इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2025—आश्विन 11, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2025

क्र. ई. एफ 1-1-1-0226-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय / अपराध, नगरीय पुलिस, इन्दौर को दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2025 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय / अपराध, नगरीय पुलिस, इन्दौर का चालू कार्य श्री अमित सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून/व्यवस्था, नगरीय पुलिस, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय /, अपराध, नगरीय पुलिस, इन्दौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयंमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0547/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला –आगर मालवा **तहसील-आगर**
वनमंडल–सामान्य शाजापुर **न परिक्षेत्र – आगर**

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाऐं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	घुरासिया	घुरासिया	शासकीय	194/1	23.000	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड घुरासिया के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड घुरासिया के मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड घुरासिया के मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 38 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड घुरासिया के मुनारा क्रमांक 38 से मुनारा क्रमांक 55 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग	01	23.000	

(क) <u>अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-</u>

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रकरण मे ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड के बंधा कोल ब्लॉक (वनमण्डल सिंगरौली) के अंतर्गत प्रभावित 807.917 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.00 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 23.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश प्रकरण क्र. 99/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 18.10.2024, पृष्ठा.

क्रमाक/रांडर/2024/369 दिनाक 18.10.2024 से हस्तातारंत अथवा नामातारंत किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी – तहसीलदार आगर के प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0547-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0547-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No./PCCF/7/0547/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

Schedule

District – Agar-Malw Tehsil – Agar

Division – Shajapur (T) Forest Range – Agar

S.No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Ghurasiya	Ghurasiya	Shaskiya	194/1	23.000	**North-** Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 8 of Protected Forest block Ghurasiya. **East-** Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to Pillar No.12 of Protected Forest block Ghurasiya. **South-** Artificial Forest Boundary from Pillar No.12

						to Pillar No.38 of Protected Forest block Ghurasiya. **West-** Artificial forest boundary from Pillar No. 38 to Pillar No. 55, and then up to Pillar No. 1 of the protected forest block Ghurasiya.
			Total	**01**	**23.000**	

A. **Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's New Delhi Order Date 30 April 2025 in lieu of 807.917 hectare of affected forest land under the EMIL Mines and Minerals Resources Limited Bandha Coal Block (Forest Division Singrauli) the above mentioned non forest land of 23.00 out of 165.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 99/A-20(3)/2023-24 Dated 18.10.2024 Endorsement No./Reader/2024/369 Dated 18.10.2024 of Collector Agar-Malwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons. - Nil

B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 27.03.2025 of Tehsildar Agar are as under.

1. - Individual Rights :- Nil
2. - Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0547/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला – आगर मालवा
वनमंडल–सामान्य शाजापुर

तहसील- बड़ौद
वन परिक्षेत्र – आगर

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाऐं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	बीजानगरी	बीजानगरी	घासबीड	3/1/1	5.520	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड बीजानगरी के मुनारा क्रमांक 73 से मुनारा क्रमांक 79 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			घासबीड	66/1/1	2.480	
			घासबीड	2/1	12.070	
			गोचर	10/2	9.720	पूर्व-संरक्षित वनखण्ड बीजानगरी के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 44 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			गोठान	9	5.700	
			घासबीड	4/1/1	3.790	
			घासबीड	5/1/1	10.980	दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड बीजानगरी के मुनारा क्रमांक 44 से मुनारा क्रमांक 49 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			बडी	10/1/1	4.150	
						पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड बीजानगरी के मुनारा क्रमांक 49 से मुनारा क्रमांक 73 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग	08	54.410	
2	खेड़ा चौहान	खेड़ा चौहान	गोचर	1363	14.810	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 48 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			गोचर	1066/1	25.080	
			गोचर	1380	2.000	पूर्व- संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 24 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			गोचर	1369	27.010	
			गोचर	1356/2	0.250	दक्षिण संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 34 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 34 से मुनारा क्रमांक 48 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						<u>आतारिक सीमाए –</u>
						उत्तर- संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 39/10 से मुनारा क्रमांक 39/12 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 39/12 से मुनारा क्रमांक 39/1 होते हुये मुनारा क्रमांक 39/2 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 39/2 से मुनारा क्रमांक 39/7 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
						पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खेड़ा चौहान के मुनारा क्रमांक 39/7 से मुनारा क्रमांक 39/10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						नोट – खसरा क्रमांक 1063, 1364, 1365, 1366 एवं 1368 वनखण्ड में शामिल नहीं है।
			योग	05	69.150	

3	कण्डारी	कण्डारी	शासकीय	98/1	11.100	उत्तर- सरक्षित वनखण्ड कण्डारी के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड कण्डारी के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 28 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड कण्डारी के मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड कण्डारी के मुनारा क्रमांक 34 से मुनारा क्रमांक 42 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			शासकीय	96/1	7.340	
			योग	**02**	**18.440**	
			महायोग	**15**	**142.00**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रकरण मे ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड के बंधा कोल ब्लॉक (वनमण्डल सिंगरौली) के अंतर्गत प्रभावित 807.917 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.00 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 142.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश प्रकरण क्र. 100/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 18.10.2024, 103/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 04.11.2024, एवं 101/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 04.11.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण .- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी – तहसीलदार बड़ोद के प्रतिवेदन दिनाक 27.03.2025 एवं 13.05.2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0547-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0547-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No/**PCCF/7/0547/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

Schedule

District – Agar-Malwa Tehsil – Badod

Division – Shajapur (T) Forest Range – Agar

S.No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Bijanagri	Bijanagri	Ghasbeed	3/1/1	5.520	**North** – Artificial forest boundary of the protected forest block Bijanagari from Pillar No. 73 to Pillar No. 79, and then up to Pillar No. 1. **East** – Artificial forest boundary of the protected forest block Bijanagari from Pillar No. 1 to Pillar No. 44. **South** – Artificial forest boundary of the protected forest block Bijanagari from Pillar No. 44 to Pillar No. 49. **West** – Artificial forest boundary of the protected forest block
			Ghasbeed	66/1/1	2.480	
			Ghasbeed	2/1	12.070	
			Gochar	10/2	9.720	
			Gothan	9	5.700	
			Ghasbeed	4/1/1	3.790	
			Ghasbeed	5/1/1	10.980	
			Bardi	10/1/1	4.150	

						Bijanagari from Pillar No. 49 to Pillar No. 73.
			Total	**08**	**54.410**	
2	Kheda Chouhan	Kheda Chouhan	Gochar	1363	14.810	North – Artificial forest boundary from Pillar No. 48 to Pillar No. 1. East – Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 24. South – Artificial forest boundary from Pillar No. 24 to Pillar No. 34. West – Artificial forest boundary from Pillar No. 34 to Pillar No. 48.
			Gochar	1066/1	25.080	
			Gochar	1380	2.000	
			Gochar	1369	27.010	
			Gochar	1356/2	0.250	**Internal Boundaries** **North – Artificial forest boundary from Pillar No. 39/10 to Pillar No. 39/12.** **West – Artificial forest boundary from Pillar No. 39/12 to Pillar No. 39/1, and then to Pillar No. 39/2.** **South – Artificial forest boundary from Pillar No. 39/2 to Pillar No. 39/7.** **East – Artificial forest boundary from Pillar No. 39/7 to Pillar No. 39/10.**
			Total	**05**	**69.150**	

3	Kandari	Kandari	Shaskiya	98/1	11.100	**North** – Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 4. **East** – Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to Pillar No. 28. **South** – Artificial forest boundary from Pillar No. 28 to Pillar No. 34. **West** – Artificial forest boundary from Pillar No. 34 to Pillar No. 42, and then to Pillar No. 1.
			Shaskiya	96/1	7.340	
			Total	**02**	**18.440**	
			Total	**15**	**142.00**	

A. **Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's New Delhi Order Date 30 April 2025 in lieu of 807.917 hectare of affected forest land under the EMIL Mines and Minerals Resources Limited Bandha Coal Block (Forest Division Singrauli) the above mentioned non forest land of 142.00 hectare out of 165.00 hectare transferred or mutate in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 100/A-20(3)/2023-24 Dated 18.10.2024, order No. 103/A-20(3)/2023-24 Dated 04.11.2024 and order No. 101/A-20(3)/2023-24 Dated 04.11.2024 of Collector Agar-Malwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons. - Nil

B. **The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 27.03.2025 and 13.05.2025 of Tehsildar Badod are as under.**

1. - **Individual Rights :- Nil**
2. - **Community Rights :- Nil**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0563/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें।

अनुसूची

जिला - सागर
वन मंडल - उत्तर सागर (सा.)

तहसील - बण्डा
वन परिक्षेत्र - मालथौन

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सेसई माफी-ब	सेसई माफी	शासकीय	107/1 (भाग)	9.75	उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड सेसई माफी के मुनारा क्रमांक- 3 से संरक्षित वनखण्ड सेसई माफी-ब के मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड सेसई माफी-ब के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड सेसई माफी-ब के मुनारा क्रमांक 15 से संरक्षित वनखण्ड सेसई माफी के मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड सेसई माफी के मुनारा क्रमांक- 6 से मुनारा क्रमांक 3 तक की वनसीमा।
			Total -	**01**	**9.75**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक FP/MP/HYD/IRRIG/423053/2023 दिनांक 08-10-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग सागर की स्वीकृत योजना बीजरी-सागौनी में प्रभावित रकवा 9.75 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल रकवा 9.75 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.75 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय

कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमाक **011**/अ-20 (3) वर्ष **2023**-24 पारित आदेश दिनाक 17-10-2023 से हस्तांतरित व नामांतरित किये जाने के कारण।

2) अन्य कार्यों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक **प्रकरण क्रमांक 011/अ-20 (3) वर्ष 2023-24 पारित आदेश दिनांक 17-10-2023** द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0563-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0563-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No./PCCF/7/0563/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Sagar **Tehsil – Banda**
Forest Division - North, Sagar (T.) **Forest Range – Malthone**

S. N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
	Sasai Mafi-B	Sasai Mafi	Government	107/1 (Part)	9.75	North – Artificial forest boundary from Pillar No. 3 of Protected Forest Block Sesai Mafi to Pillar No. 5 of Protected Forest Block Sesai Mafi-B.

						East – Artificial forest boundary of Protected Forest Block Sesai Mafi-B from Pillar No. 5 to Pillar No. 15. South – Artificial forest boundary from Pillar No. 15 of Protected Forest Block Sesai Mafi-B to Pillar No. 6 of Protected Forest Block Sesai Mafi. West – Forest boundary of Protected Forest Block Sesai Mafi from Pillar No. 6 to Pillar No. 3.
			Total:-	**01**	**9.75**	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's Letter No. FP/MP/HYD/IRRIG/423053/2023 Dated 08-10-2024 in lieu of 9.75 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bijri-Sagoni Reservoir Irrigation Project Construction in favour Water Resources Department (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 9.75 hectare transferred of mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Proposal No. 011/A-20(3) Year 2023-24 Dated 17-10-2023 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation.

2) Details of other Reasons:- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Proposal No. 011/A-20(3) Year 2023-24 Dated 17-10-2023 of Revenue Collector District Sagar are as under.

(A) Rights of Individuals:- There are not rights of individuals.

(B) Rights of Communities:- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/ **PCCF/7/0581/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बुरहानपुर **तहसील – नेपानगर**
वनमण्डल - बुरहानपुर **वनपरिक्षेत्र – नेपानगर**

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाए
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	
1.	बीड़ रैयत	बीड़ रैयत	चरनोई	251 (s) 252 (s)	1.66 0.72	उत्तर:- संरक्षित वनखड बीड़ रैयत के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम सीमा वनसीमा। पूर्व:- संरक्षित वनखंड बीड़ रैयत के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 13 तक कृत्रिम सीमा वनसीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखंड बीड़ रैयत के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 20 तक कृत्रिम सीमा वनसीमा। पश्चिम:- संरक्षित वनखंड बीड़ रैयत के मुनारा क्रमांक 20 से मुनारा क्रमांक 26 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम सीमा वनसीमा।
				योगः-	2.38	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6-MPB015/2022-BHO दिनांक 01.03.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग बुरहानपुर की स्वीकृत परियोजना सुक्ता नवाड़ से झिरपांजरिया तक मार्ग निर्माण जिला बुरहानपुर म.प्र. में प्रभावित 2.38 हेक्टेर्यर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.38 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.38 हेक्टेयेर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/रीडर कले./2022/1474 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 24 अ/59, 2021-22 बुरहानपुर दिनांक 28.02.2022 के द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार नेपानगर, जिला बुरहानपुर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0581-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0581-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No./PCCF/7/0581/2025-FLR-PCCF :: In exercise of powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Burhanpur Tehsil- Nepanagar

Forest Division- Burhanpur Forest Range - Nepanagar

S. N.	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Beed Raiyat	Beed Raiyat	Pasture Land	251 (s) 252 (s)	1.66 0.72	**North**- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 1 to Pillar no. 3 of Protected Forest Block Beed Raiyat. **East**– Artificial Forest Boundary from Pillar no. 3 to Pillar no. 13 of Protected Forest Block Beed Raiyat. **South**- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 13 to Pillar no. 20 of Protected Forest Block Beed Raiyat. **West**- Artificial forest boundary of the protected forest block Beed Rayat from Pillar No. 20 to Pillar No. 26, and then to Pillar No. 1.
				Total	**2.38**	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office Bhopal's order No/6-MPBO15/2022-BHO, dated 01.03.2023 and in lieu of 2.38 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sukta Nawad to Jhirpanzhriya Road Project of Executive Engineer, Public Works Division Burhanpur, the above mentioned Non Forest Land of 2.38 hectare transferred and mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Reader/coll./2022/1474/ Revenue case 2 4 A /59, 21-22 dated 28.02.2022 of District collector Burhanpur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as perTahsildar Nepanagar, District Burhanpur Certificate are as under.

1. Individual Rights:- No Individual Rights on the above land.
2. Community Rights:- No Community Rights on the above land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0584/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक , 16 सन 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

-अनुसूची-

जिला - देवास
वनमंडल - देवास

तहसील - टोंकखुर्द
वन परिक्षेत्र - देवास

अ.क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाऐं	
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर.)		
1.	मोहम्मदखेडा-अ	मोहम्मदखेडा	शासकीय	5/1	24.695	उत्तर	संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 26 तक की कृत्रिम सीमा
				10	23.650	पूर्व	संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 26 से मुनारा क्र. 27 एवं मुनारा क्र. 1 वर्तमान संरक्षित वनखण्ड मोहम्मदखेड़ा सेक्टर 5, 6, 7 की संयुक्त सीमा ।
						दक्षिण	संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 27 से मुनारा क्र. 33 तक की कृत्रिम सीमा
						पश्चिम	संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 33 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम सीमा
वनखण्ड का कुल क्षेत्रफल					48.345		

क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक**06**-एमपीआर **040/2023** बीएचओ दिनांक **14.05.2025** से जारी औपचारिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार रेल विकास निगम की स्वीकृत परियोजना इन्दौर-बुधनी रेल लाईन में देवास वनमण्डल की प्रभावित **45.715** हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम मोहम्मदखेड़ा के सर्वे क्र. **10** की **23.650** हेक्टेयर एवं सर्वे क्र. **5/1** की कुल **24.695** हेक्टर भूमि में से **8.642** हेक्टर भूमि कुल **32.292** हेक्टर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्धेश्य से म.प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर देवास जिला देवास के आदेश क्रमांक **0011**/अ-**20 (3)/2024-25** दिनांक **21.08.2024** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल म.प्र. के आदेश क्रमांक क्र.**6** एमपीआर 043/2023 बीएचओ/I/74902 दिनांक 18.06.2024 से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 पुराना रा.रा. क्र. 59ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु देवास वनमण्डल की प्रभावित 39.367 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम मोहम्मदखेड़ा के सर्वे क्र. 5/1 की कुल 24.695 हेक्टर भूमि में से 4.053 हेक्टर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्धेश्य से म.प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर देवास के आदेश क्रमांक 0011/अ-20 (3)/2024-25 दिनांक 21.08.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण-

म.प्र. जल निगम मर्यादित इन्दौर द्वारा प्रस्तावित परियोजना खातेगांव कन्नौद मल्टीविलेज पेयजल योजना हेतु देवास वनमण्डल की प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम मोहम्मदखेड़ा के सर्वे क्र. 5/1 की कुल 24.695 हेक्टर भूमि में से 12.000 हेक्टर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्धेश्य से म.प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर देवास के आदेश क्रमांक 0011/अ-20 (3)/2024-25 दिनांक 21.08.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी श्री विजय तलवारे तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द के प्रतिवेदन क्र. 300/2024 दिनांक 23.11.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
2. सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0584-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0584-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No./**PCCF/7/0584/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District - Dewas
Tehsil - Tonkkhurd
Forest Division - Dewas
Forest Range - Dewas

S.N	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Mohamad-kheda -A	Mohamad-kheda	Govt.	1) 5/1 2) 10	24.695 23.650	North	Artificial forest boundary from Pillar No 1 to 26 of protected forest block
						East	Artificial forest boundary from Pillar No. 26 to 27 of the protected forest block and Pillar No. 1, the joint boundary of the present protected forest block Mohammadkheda Sector 5, 6, 7.
						South	Artificial forest boundary from Pillar No 27 to 33 of protected forest block
						West	Artificial forest boundary from Pillar No 33 to 1 of protected forest block
Total					**48.345**		

A) Reason for publication of Notification: –

1. (i) Ministry of Environment and Forests, Government of India, Bhopal, M.P. As per the condition imposed in the formal approval issued by order number 06-MPR 040/2023 BHO dated 14.05.2025, approved project of Rail Vikas Nigam In lieu of 45.715 hectares of forest land of Dewas Forest Division

affected in Indore-Budhni Railway Line, 23.650 hectares of Survey No. 10 of Village Mohammadkheda and 8.642 hectares of total 24.695 hectares of Survey No. 5/1 were received, totaling 32.292 hectares Due to the transfer or muted of the land in favour of the Forest Department of Madhya Pradesh Government for the purpose of compensatory afforestation by order number 0011/A-20 (3)/2024-25 dated 21.08.2024 of Collector Dewas District Dewas.

(ii) Ministry of Environment and Forests, Government of India, Bhopal, M.P. Order No. 6-MPR 043/2023-BHO/P/74902.. As per the condition imposed in the in-principle approval issued from 18.06.2024 National Highways Authority of India's approved project for making National Highway No. 47 (old NH No. 59A) Indore-Harda road four-lane in lieu of the affected 39.367 hectares of forest land of Dewas Forest Division Out of the total 24.695 hectares non forest land of survey number 5/1 of the received village Mohammadkheda, 4.053 hectares of land was transferred or muted in favor of the Forest Department of Madhya Pradesh Government for the purpose of compensatory afforestation by order number 0011/A-20 (3)/2024-25 dated 21.08.2024 of Collector Dewas

2. Details of other reasons-

M.P. Water Corporation Limited Indore has proposed a project for the Khategaon Kannaud Multivillage Drinking Water Scheme. 12.000 hectares of land out of the total 24.695 hectares of survey number 5/1 of village Mohammadkheda received in lieu of the affected forest land of Dewas Forest Division. For the purpose of compensatory afforestation, due to transfer or muted of the land in favour of the Forest Department of Madhya Pradesh Government by order number 0011/A-20 (3)/2024-25 dated 21.08.2024 of Collector Dewas.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 300/2024 dated 23.11.2024 of (Shri Vijay Talware Tehsildar Tehsil Tonkkhurd) are as under.

1. Individuals Rights – No individuals Rights On Above Land
2. Community Rights – No Community Rights On Above Land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0584/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

-अनुसूची-

जिला - देवास
वनमंडल - देवास

तहसील - देवास
वनपरिक्षेत्र - देवास

अ.क्र.	वनखड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाऐं	
	वनखड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर.)		
1.	मिर्जापुर अ	मिर्जापुर	शासकीय	340/1	13.000	उत्तर	सरक्षित वनखड मिर्जापुर अ के मुनारा क्र. 1 से 5 तक की कृत्रिम सीमा
						पूर्व	सरक्षित वनखड मिर्जापुर अ के मुनारा क्र. 5 से 6 तक की कृत्रिम सीमा
						दक्षिण	सरक्षित वनखड मिर्जापुर अ के मुनारा क्र. 6 से 9 तक की कृत्रिम सीमा
						पश्चिम	सरक्षित वनखड मिर्जापुर अ के मुनारा क्र. 9 से मुनारा क्रमांक 13 होते हुये 1 तक की कृत्रिम सीमा
वनखण्ड का कुल क्षेत्रफल					13.000		

क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल म.प्र. के आदेश क्रमांक 06 एमपीआर 040/2023 बीएचओ दिनांक 17.02.2025 सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार रेल विकास निगम की स्वीकृत परियोजना इन्दौर-बुधनी रेल लाईन में देवास वनमण्डल की प्रभावित 45.715 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम मिर्जापुर के सर्वे क्र. 340/1 की 13.000 हेक्टेयर भूमि में से उपरोक्त वर्णित कुल 13.000 हेक्टर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्धेश्य से म.प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर देवास जिला देवास के आदेश क्रमांक 0011/अ-20 (3)/2024-25 दिनांक 21.08.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण -निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी श्री रवि शर्मा तहसीलदार तहसील देवास के प्रतिवेदन क्र. 1377 दिनांक 22.05.2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं ।
2. सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0584-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0584-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No./**PCCF/7/0584/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District - Dewas Tehsil - Dewas

Forest Division - Dewas Forest Range - Dewas

S.N	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Mirzapur A	Mirzapur	Govt.	1) 340/1	13.000	North	Artificial forest boundary from Pillar No 1 to 5 of protected forest block Mirzapur A.
						East	Artificial forest boundary from Pillar No 5 to 6 of protected forest block Mirzapur A.
						South	Artificial forest boundary from Pillar No 6 to 9 of protected forest block Mirzapur A.
						West	Artificial forest boundary of the protected forest block Mirzapur-A from Pillar No. 9 to Pillar No. 13, and then to Pillar No. 1.
Total					**13.000**		

(A) Reason for publication of Notification: –

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's Bhopal M.P. order No 06-MPR 040/2023 BHO dated 17.02.2025, No 6-MPR 043/2023 BHO/I/74902 dated 14.05.2025, sanction and in lieu of affected total 45.715 hectare forest land under the sanctioned project Indore-Budhni railway line Project of Rail Vikas Nigam Ltd. the above mentioned non forest Land village mirzapur, khasra no. 340/1, area 13.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 0011/अ-20 (3)/2024-25 dated 21-08-2024 of Collector Dewas (Revenue Department) for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons.- NIL

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 1377 dated 22.05.2025 of (Shri Ravi Sharma Tehsildar, Tehsil Dewas) are as under.

1. Individuals Rights – No individuals Rights On Above Land
2. Community Rights – No Community Rights On Above Land

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0584/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

-अनुसूची-

जिला - देवास
वनमंडल - देवास

तहसील - टोंकखुर्द
वनपरिक्षेत्र - देवास

अ.क्र.	वनखड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाऐं	
	वनखड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर.)		
1.	मोहम्मदखेडा-ब	मोहम्मदखेडा	शासकीय	224/1	36.000	उत्तर	सरक्षित वनखड मोहम्मदखेडा-ब के मुनारा क्रं. 1 से मुनारा क्रं. 11 तक की कृत्रिम सीमा
						पूर्व	सरक्षित वनखड मोहम्मदखेडा-ब के मुनारा क्रं. 11 से मुनारा क्रं. 42 तक की कृत्रिम सीमा
						दक्षिण	सरक्षित वनखड मोहम्मदखेडा-ब के मुनारा क्रं. 42 से मुनारा क्रं. 65 तक की कृत्रिम सीमा
						पश्चिम	सरक्षित वनखड मोहम्मदखेडा-ब के मुनारा क्रं. 65 से मुनारा क्रं. 82 होते हुये 1 तक की कृत्रिम सीमा
वनखण्ड का कुल क्षेत्रफल					36.000		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल म.प्र. के आदेश क्रमांक क्र. 6 एमपीआर 043/2023- बीएचओ/I/74902 दिनांक 18.06.2024 सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 पुराना रा.रा. क्र. 59ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु देवास वनमण्डल की प्रभावित 39.367 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम मोहम्मदखेड़ा के सर्वे क्र. 224/1 की 41.920 हेक्टर भूमि में से उपरोक्त वर्णित 36.000 हेक्टर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्धेश्य से म.प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर देवास के आदेश क्रमांक 0011/अ-20 (3)/2024-25 दिनांक 21.08.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण -निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी श्री विजय तलवारे तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द के प्रतिवेदन क्र. 300/2024 दिनांक 23.11.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
2. सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अत उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्र-PCCF-7-0584-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-PCCF-7-0584-2025-FLR-PCCF, दिनांक 25 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2025

No./**PCCF/7/0584/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District - Dewas Tehsil - Tonkkhurd
Forest Division - Dewas Forest Range - Dewas

S.N	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Mohamad-kheda B	Mohamad-kheda	Govt.	1) 224/1	36.00	North	Artificial forest boundary from Pillar No 1 to 11 of protected forest block Mohamad- kheda B.
						East	Artificial forest boundary from Pillar No 11 to 42 of protected forest block Mohamad- kheda B.
						South	Artificial forest boundary from Pillar No 42 to 65 of protected forest block Mohamad- kheda B.
						West	Artificial forest boundary of the protected forest block Mohammad- kheda-B from Pillar No. 65 to Pillar No. 82, and then to Pillar No. 1.
Total					**36.00**		

(A) Reason for publication of Notification: –

1. Ministry of Environment and Forests, Government of India, Bhopal, M.P. Order No. 6-MPR 043/2023-BHO/P/74902. Dated 18.06.2024 As per the condition imposed in the in-principle approval, the approved project of National Highways Authority of India, National Highway No. 47 (Old NH-59A) Indore-Harda four lane road 39.367 hectares affected forest land of forest division Dewas lieu 36.000 hactar land survey number 224/1out of 41.920 hectares of village Mohammadkheda received in purpose of compensatory afforestation. Due to transfer or muted in favour of M.P. Government Forest Department by order number 0011/A-20 (3)/2024-25 dated 21.08.2024 of Collector Dewas.
2. Details of other Reasons.- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 300/2024 dated 23.11.2024 of (Shri Vijay Talware Tehsildar Tehsil Tonkkhurd) are as under.

1. Individuals Rights – No individuals Rights On Above Land
2. Community Rights – No Community Rights On Above Land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार", ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2025

सूचना

क्र. 3282–अमृत–वि.यो.–12–देवास–नग्रानि–2025.– एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास निवेश क्षेत्र के लिए देवास विकास योजना, 2041 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट– https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Dewas/Amrut/dvs2041.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप देवास विकास योजना, 2041 के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास या ई–मेल आईडी obj-sugg-dewas@mp.gov.in में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

NOTICE

No. 3282-Amrut-D.P.-12-dewas-TCP-2025.-Notice is hereby given that the Dewas Development Plan, 2041 for Dewas Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 23 read with sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's Website https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Dewas/Amrut/dvs2041-pdf :-

1. Commissioner, Ujjian Division, Ujjain, Madhya Pradesh.
2. Collector, District - Dewas, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Nagar Palik Nigam, Dewas, Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Dewas, Madhya Pradesh.

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Dewas Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Dewas or mail on Email-id-obj-sugg-dewas@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

श्रीकांत बनोठ, आयुक्त–सह–संचालक.

देवास विकास योजना 2041 (प्रारूप)

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान अंतर्गत प्रकाशित

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

इंदौर शहर से केवल 35 किलोमीटर दूर मुम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52 पर स्थित एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र एवं इन्दौर के उपनगर के रूप में देवास विकसित हुआ है, देवास शहर से एन.एच. 52, एन.एच 86, एन.एच 752 डी , एस.एच 10(2) एवं एस.एच 10(7) गुजरते है। इस कारण यहां नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा–सुविधाओं हेतु दबाव तीव्रता से बढ़ा है। इन्दौर क्षेत्रीय परिदृश्य में देवास के आस–पास स्थित क्षेत्र में कृषि, वन, खनन आदि का उत्पादन उल्लेखनीय है। आसपास स्थित क्षेत्रों की आबादी को समाहित करने तथा इंदौर नगर के लिए काउण्टर मेगनेट का कार्य करने की दृष्टि से देवास में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। औद्योगिक नगर होने के कारण, इन्दौर से देवास के मध्य सिक्स–लेन मार्ग निर्मित होने से तथा ए.बी.रोड़ से उज्जैन रोड़ को जोड़ने के लिए 45.0 मीटर चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड का निर्माण होने से देवास नगर में और अधिक विकास की संभावनाएं बढी हैं। इंदौर प्रस्तावित महानगर क्षेत्र में देवास जिले की पांच तहसीलों को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे देवास को भी बेहतर कनेक्टीव्हीटी, सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं देवास एक एकीकृत महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा।

देवास निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 1991 की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1986 में तैयार की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 2002 में उक्त विकास योजना का पुर्नविलोकन कर विकास योजना 2011 दिनांक 17 दिसम्बर 2002 में प्रकाशित की गई थी तथा विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–212/2012/32, दिनांक 08/06/2018 के द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 17/08/2018 से प्रभावशील की गई। विगत दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए देवास विकास योजना 2031 का अमृत गाईड लाईन के अंतर्गत जी.आई.एस पद्धति के आधार पर वर्ष 2041 के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये है।

विकास योजना प्रस्ताव वर्ष 2041 की प्रक्षेपित जनसंख्या 7.60 लाख के आधार पर तैयार किये गये है, जिसमें भूमि का युक्तियुक्त उपयोग, जनसामान्य के लिए प्रभावी एवं सुगम परिवहन तंत्र की स्थापना, प्राकृतिक स्थलों का भू–दृश्यीकरण एवं विकास, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि, मूलभूत नगरीय सेवा–सूविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव के साथ ही नगर में स्थित असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को स्थानांतरित करना आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं।

देवास विकास योजना 2041 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18(1)के अंतर्गत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यवहारित एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा।

श्रीकांत बनोठ
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

योजना दल

देवास विकास योजना, प्रारूप 2041

योजना दल

संयुक्त संचालक

विष्णु खरे

डॉ. अमित कुमार गजभिये

के.एस. गवली

उप संचालक

अनिता कुरोठे

सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

विवेक देवधर
गुमान सिंह डोडवे
मयुर अस्वार
पूजा पारखे
अनिल सक्सेना
सर्वेश पिड़िहा
सरिता ठाकुर

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
शहरी एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग के
अधिकारी / कर्मचारीगण

डॉ. विवेक कटारे
हैड, प्रिंसिपल साईटिस्ट, एल.यू.एण्ड.यू.एस.डी
आर.एस.ए.सी., एम.पी.सी.एस.टी.

डॉ. जगदीश चन्द्र पलसावदिया
रिसर्च एसोसिएट– 3

विषय सूची

विवरण — पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना .....
योजना दल .....
विषय सूची .....
सारणी–सूची .....
मानचित्रों की सूची .....

अध्याय– 1 नियोजन दृष्टिकोण .....
1.1 नगर परिचय .....
1.1.1 भौतिक स्वरूप .....
1.1.2 भूमि का प्रकार –क्रम (स्वरूप) .....
1.1.3 जलवायु, तापमान एवं आद्रता .....
1.1.4 प्राकृतिक जल निकास .....
1.1.5 अर्थव्यवस्था .....
1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य .....
1.3 इंदौर महानगर क्षेत्र एवं देवास विकास योजना का सामंजस्य .....
1.4 जनसंख्या लिंगानुपात .....
1.4.1 शिशु जनसंख्या .....
1.4.2 शिशु लिंगानुपात .....
1.4.3 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या .....
1.4.4 साक्षरता .....
1.4.5 कार्यशील जनसंख्या .....
1.4.6 जनसंख्या घनत्व .....
1.4.7 मृदा .....
1.4.8 भू–आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड .....
1.4.9 भूमि अवक्रमण (Land Degradation) .....
1.4.10 चटटानों की रचना (LITHOLOGY) .....
1.5 नियोजन एवं विकास संदर्भ .....
1.6 निवेश क्षेत्र .....
1.6.1 नगर निगम क्षेत्र .....
1.7 धार्मिक स्थल (तीर्थ स्थल) .....
1.7.1 चामुण्डा माता की टेकरी .....
1.8 अन्य धार्मिक स्थल :– .....
1.8.1 नागदा का प्राचीन सिध्दी विनायक गणेश मंदिर .....
1.8.2 नागदा का निलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर .....
1.8.3 महाकालेश्वर महादेव मंदिर .....
1.8.4 भोलेनाथ मंदिर एवं मनकामेश्वर मंदिर .....
1.9 दर्शनीय स्थल .....

1.9.1 खिवनी अभ्यारण्य.....
1.9.2 पंवार छत्री.....
1.9.3 शंकरगढ़ पहाड़ी.....
1.10 अन्य पर्यटक स्थल.....
1.10.1 मीठा तालाब.....
1.10.2 गिदीया खो.....
1.10.3 कावड़िया पहाड़ी.....
1.11 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां.....
1.11.1 चामुण्डा देवी मेला :–.....
1.11.2 शिवरात्री मेला :–.....
1.12 टूरिस्ट सर्किट्स.....

अध्याय–2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग....
2.1.1 अमृत योजना.....
2.1.2 सुदूर संवेदन.....
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....
2.2 विकास योजना पुर्नविलोकन कार्यप्रणाली.....
2.2.1 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली.....
2.2.2 उद्देश्य.....
2.2.3 कार्यप्रणाली.....
2.3 पुनर्विलोकन हेतु अमृत मानकों की व्याख्या.....
2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....
2.3.2 यातायात संरचना.....
2.3.3 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन.....
2.3.4 ढलान.....
2.3.5 मृदा.....
2.3.6 बाढ़ आपदा.....
2.3.7 जलाशय.....
2.3.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र.....
2.3.9 ग्राम/वार्ड सीमा.....
2.3.10 भू–आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड.....
2.3.11 जल स्त्रोत बफर.....
2.3.12 भूमि अवक्रमण (Land Degradation).....
2.3.13 मार्ग संरचना बफर.....
2.3.14 डिजिटल ऐलिवेशन मॉडल.....
2.3.15 कंटूर.....
2.3.16 एटीएम.....
2.3.17 शासकीय भूमि.....
2.3.18 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता.....
2.3.19 भूमि उपयोग का आवंटन.....

अध्याय–3 विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण .....

3.1 विकास योजना क्रियान्वयन परिदृश्य.....
3.2 विकास योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन.....

3.2.1 आवासीय
3.2.2 वाणिज्यिक
3.2.3 औद्योगिक
3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ
3.2.5 आमोद–प्रमोद
3.2.6 यातायात एवं परिवहन
3.2.6.1 वाहन विराम स्थल
3.2.6.2 यातायात अवसान केन्द्र एवं यातायात नगर
3.2.6.3 क्षेत्रीय परिवहन
3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण
3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण
3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण
3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात
3.5.3 शिशु जनसंख्या
3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या
3.5.5 साक्षरता
3.5.6 कार्यशील जनसंख्या
3.5.7 जनसंख्या घनत्व
3.6 जनसंख्या परिवर्तन
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप
3.8 नगरीय विस्तार
3.9 गंदी बस्ती एवं झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र
3.10 योजना कालावधि
3.11 अनुमानित जनसंख्या
3.11.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
3.11.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
3.11.3 देवास निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
3.12 आवासीय ईकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यक्ता
3.12.1 आवासों की कमी
3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता
3.12.3 आवासों का प्रकार
3.13 भौतिक अधोसंरचना
3.13.1 भौतिक अधोसंरचना की दूरगामी परियोजनाएं
3.13.2 जल प्रदाय
3.13.3 अपशिष्ट जल प्रवाह
3.13.4 वर्षा जल निकासी
3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ट्रेंचिंग ग्राउण्ड
3.13.6 विद्युत प्रदाय
3.14 सामाजिक अधोसंरचना
3.14.1 शासकीय कार्यालय
3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं
3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां
3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र
3.14.6 पेट्रोल पम्प/सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र

अध्याय–4 विकास योजना प्रस्ताव–2041
4.1 विकास योजना–2031 का पुनर्विलोकन
4.2 नियोजन अवधारणा
4.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल
4.3.1 विकास योजना में भावी विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता
4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2041
4.4.1 आवासीय
4.4.2 मिश्रित
4.4.3 वाणिज्यिक
4.4.4 औद्योगिक
4.4.5 सार्वजनिक–अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता
4.4.6 आमोद–प्रमोद
4.4.7 यातायात एवं परिवहन
4.5 निवेश इकाईयाँ
4.6 निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व
4.7 प्रमुख कार्य केन्द्र
4.7.1 औद्योगिक क्षेत्र
4.7.2 वाणिज्यिक क्षेत्र
4.7.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग
4.7.4 आवासीय
4.7.5 गंदी बस्ती एवं झुग्गी झोपडी क्षेत्र
4.8 नगरीय ग्राम
4.9 असंगत भूमि उपयोग
4.10 अमोद प्रमोद
4.10.1 कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट
4.11 मध्य क्षेत्र (विकास प्रस्ताव)
4.11.1 यातायात के प्रस्ताव
4.12 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र
4.13 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र

अध्याय–5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा
5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति
5.1.1 सार्वजनिक परिवहन
5.2 मध्य क्षेत्र
5.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना की अवधारणा
5.4 मार्ग संगम सुधार
5.5 ओव्हर ब्रिज
5.6. बस स्थानक
5.7 क्षेत्रीय पिक–अप स्टेण्ड
5.8 अवसान केन्द्र

5.9 यातायात नगर 103
5.10 वाहन विराम स्थल 103
5.11 ग्रामीण मार्ग 103

अध्याय 6 विकास नियमन 104

6.1 प्रवृत्तशीलता 104
6.2 क्षेत्राधिकार 104
6.3 परिभाषायें 107
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 108
6.5 मध्य क्षेत्र हेतु मापदण्ड 110
6.5.1 आवासीय 110
6.5.2 वाणिज्यिक क्षेत्र – मध्य क्षेत्र 111
6.5.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (मध्य क्षेत्र) 112
6.5.4 ग्रामीण आबादी क्षेत्र 112
6.6 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन 112
6.6.1 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड 112
6.6.2 आवासीय 112
6.7 नवीन आवासीय भूखण्डों हेतु विकास नियमन 114
6.8 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण 116
6.9 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 116
6.10 मिश्रित उपयोग 116
6.10.1 मिश्रित उपयोग नियमन 116
6.10.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत 117
6.10.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें 117
6.11 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका 117
6.12 औद्योगिक 119
6.12.1 खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योग हेतु मापदण्ड 119
6.13 सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक 119
6.13.1 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 120
6.13.2 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन 121
6.13.3 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड 121
6.14 अन्य नियमन 121
6.15 यातायात नगर/मैकेनिक नगर 121
6.16 मिनी सुपर कॉरीडोर के अभिन्यास हेतु नियमन 122
6.17 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक 123
6.18 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल 124
6.19 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग 124
6.20 मैरिज गार्डन 124
6.21 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल 124
6.22 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड 125
6.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड 125
6.24 मल्टीप्लेक्स 125
6.25 उद्यान 125

6.26 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....
6.27 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन.....
6.27.1 नगरीय रूपांकन एवं वास्तुकला के नियंत्रण हेतु नियमन.....
6.28 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां.....
6.29 भू उपयोग में स्वीकृत स्वीकार्य उपयोग के नियमन.....
6.30 अन्य सुविधाऐं.....
6.31 विकास योजना के विशिष्ट प्रावधान.....
6.32 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.....

अध्याय–7 योजना क्रियान्वयन.....
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन.....
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति.....
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....
7.5 भूमि विकास नीति.....
7.5.1 विकास प्रबंधन.....
7.5.2 योजना एवं कार्यक्रम.....
7.5.3 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....
7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम.....
7.7 विकास योजना 2041 प्रथम चरण के घटक.....
7.8 संसाधन गतिशीलता.....
7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र.....
7.10 योजना की व्याख्या.....
7.11 योजना कालावधि.....
अनुसूची –1.....
अनुसूची–2.....
परिशिष्ट 1.....
परिशिष्ट 2.....
परिशिष्ट 3.....
परिशिष्ट 4.....
परिशिष्ट 5.....
परिशिष्ट 6.....
परिशिष्ट 7.....
परिशिष्ट 8.....
परिशिष्ट 9.....
परिशिष्ट 10.....
परिशिष्ट 11.....

सारणी–सूची

सारणी कमांक	शीर्षक	1
1–सा–1	नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी	
1–सा–2	इन्दौर परिक्षेत्र में तहसीलों का विवरण	
1–सा–3	जनसंख्या घनत्व	
1–सा–4	मृदा विश्लेषण	
1–सा–5	भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	
1–सा–6	भूमि अवकमण	
1–सा–7	चट्टानों की रचना (लिथोलोजी)	
1–सा–8	पुराने निवेश क्षेत्र एवं वर्धित निवेश क्षेत्रो के ग्राम	
1–सा–9	निवेश क्षेत्र	
1–सा–10	नगर निगम क्षेत्र	
2–सा–1	उपग्रह चित्रों के मानक	
2–सा–2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस	
2–सा–3	यातायात संरचना Geo-Spatial Data Content	
2–सा–4	यातायात संरचना Bridges/Flyovers : Geo-Spatial Data Content	
2–सा–5	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो–स्पेशियल डाटा	
2–सा–6	ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	
2–सा–7	मृदा विश्लेषण	
2–सा–8	जलाशयों का वर्गीकरण	
2–सा–9	Administrative, Planning and Municipal Boundaries	
2–सा–10	भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	
2–सा–11	जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल	
2–सा–12	भूमि अवक्रमण	
2–सा–13	मार्ग संरचना बफर	
2–सा–14	नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model-1	
2–सा–15	नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model-2	
2–सा–16	नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model-3	
2–सा–17	Land suitability model 1	
2–सा–18	Land suitability model 2	
2–सा–19	Land suitability model 3	
3–सा–1	विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति	
3–सा–2	वाणिज्यिक क्रियान्वयन विकास योजना 2031 अनुसार	
3–सा–3	औद्योगिक क्षेत्रो के क्रियानवयन की स्थिति	
3–सा–4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्रियान्वयन	
3–सा–5	यातायात क्रियान्वयन स्तर	
3–सा–6	वाहन विराम स्थल	
3–सा–7	भूमि उपयोग उपान्तरण	
3–सा–8	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की क्रियान्वयन स्थिति	
3–सा–9	जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	
3–सा–10	वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण	
3–सा–11	वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात	
3–सा–12	शिशु जनसंख्या प्रतिशत	

3–सा–13	शिशु लिंगानुपात	
3–सा–14	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	
3–सा–15	साक्षरता प्रतिशत	
3–सा–16	कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	
3–सा–17	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व	
3–सा–18	वार्ड वार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व	
3–सा–19	जनसंख्या परिवर्तन	
3–सा–20	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	
3–सा–21	अनुमानित जनसंख्या (Population Projection)	
3–सा–22	नगरीय क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या	
3–सा–23	ग्रामीण क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या	
3–सा–24	निवेश क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या	
3–सा–25	आवासों की कमी	
3–सा–26	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता–2041	
3–सा–27	आय समूह अनुसार आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता–2041	
3–सा–28	विद्युत प्रदाय	
3–सा–29	शैक्षणिक गतिविधियां	
4–सा–1	वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण	
4–सा–2	वर्ष 2041 के लिए भूमि उपयोग विवरण	
4–सा–3	निवेश इकाईवार क्षेत्र एवं जनसंख्या	
4–सा–4	निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व	
4–सा–5	गंदी बस्ती	
4–सा–6	भूमि उपयोग का पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास	
4–सा–7	मध्य क्षेत्र के मार्गों की प्रस्तावित चौडाई	
5–सा–1	वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	
5–सा–2	प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई	
6–सा–1	प्रस्तावित भू–उपयोग परिक्षेत्र	
6–सा–2	मध्य क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु मापदण्ड	
6–सा–3	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड	
6–सा–4	वाणिज्यिक भू–खण्ड के विकास मापदण्ड	
6–सा–5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	
6–सा–6	सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड	
6–सा–7	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	
6–सा–8	देवास : यातायात/मैकेनिक नगर के मानक	
6–सा–9	देवास: यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	
6–सा–10	उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियां	
6–सा–11	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण	
7–सा–1	विकास योजना का क्रियान्वयन	
7–सा–2	प्रथम चरण के कियान्वयन घटक	
7–सा–3	प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक	
7–सा–4	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	

मानचित्रों की सूची

क्र.	मानचित्र कमांक	शीर्षक	पृ.क.
1	1.1	REGIONAL SETTING	
2	1.2	REGION MAP	
3	1.3	REGION SEX RATIO	
4	1.4	REGION CHILD POPULATION (0-6)	
5	1.5	REGION CHILD SEX RATIO	
6	1.6	REGION SC/ST POPULATION	
7	1.7	REGIONLITERACY	
8	1.8	REGIONWORK PARTICIPATION	
9	1.9	REGION POPULATION DENSITY	
10	1.10	REGION SOIL	
11	1.11	REGION GEO MORPHOLOGY	
12	1.12	REGION LAND DEGRADATION	
13	1.13	REGION LITHOLOGY	
14	1.14	DEWAS LOCATION MAP	
15	1.15	PLANNING AREA	
16	2. 1	SATELLITE IMAGE	
17	2. 2	BUILDING FOOTPRINT	
18	2. 3	URBAN SPRAWL	
19	2. 4	SLOPE	
20	2. 5	SOIL TEXTURE	
21	2.6	GROUNDWATER PROSPECTS	
22	2. 7	EARTHQUAKE ZONE	
23	2. 8	WARD MAP	
24	2. 9	GEO MORPHOLOGY	
25	2. 10	WATER BODY BUFFER	
26	2.11	LAND DEGRADATION	
27	2.12	ROAD BUFFER	
28	2.13	DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)	
29	2.14	CONTOUR	
30	2.15	ATM	
31	2.16	GOVERNMENT LAND	
32	2.17	LAND SUITABILITY (MODEL-1)	
33	2.18	LAND SUITABILITY (MODEL-2)	
34	2.19	LAND SUITABILITY (MODEL-3)	
35	3.1	WARD WISE SEX RATIO	
36	3.2	WARD WISE CHILD SEX RATIO	
37	3.3	WARD WISE CHILD POPULATION	
38	3.4	WARD WISE SC/ST POPULATION	
39	3.5	WARD WISE LITERACY	
40	3.6	WORK PARTICIPATION	
41	3.7	WARD WISE POPULATION DENSITY	
42	3.8	POWER SUPPLY NETWORK	
43	4.1	EXISTING LAND USE	
44	4.2	PROPOSED LAND USE	
45	4.3	PLANNING UNIT	
46	4.4	CENTRAL AREA	
47	5.1	EXISTING TRANSPORT NETWORK	
48	5.2	PROPOSED TRANSPORT NETWORK	
49	7.1	FIRST PHASE IMPLEMENTATION	

अध्याय–1
नियोजन दृष्टिकोण

विकास योजना पुनरीक्षण में नगर की पूर्व प्रचलित नियोजन प्रणाली के साथ योजना क्रियान्वयन हेतु नियोजन सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में देवास विकास योजना–2031 के पुनर्विलोकन की परिकल्पना विनिश्चय करने हेतु पूर्व में प्रचलित देवास विकास योजना–2011 एवं वर्तमान में प्रचलित नियोजन सिद्धांत के अध्ययन के साथ–साथ अन्य शहरों की विकास योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु अंगीकृत नियोजन प्रणाली का अध्ययन किया गया। अध्ययन पश्चात देवास विकास योजना–2041 (प्रारूप) हेतु नियोजन प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है। नियोजन प्रस्ताव में भूमि उपयोग अवधारणा का सरलीकरण एवं विकास नियमन को भी सरलीकृत किया गया है। विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु नियोजन सिद्धांतों के आधार पर नियोजन हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस. तकनीक) एवं सुदूर संवेदन प्रणाली का भी उपयोग किया गया है।

विकास योजना 2031 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश कमांक एफ–3–212–2012–32 के द्वारा दिनांक 18.06.2018 को अनुमोदित की गई थी। यह विकास योजना वर्ष 2031 के लिए 5.50 लाख जनसंख्या के लिए तैयार की गई थी। विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन किया जाकर अमृत योजना के तहत GIS पद्धति पर आधारित विकास योजना 2041 तैयार की जा रही है। पुनर्विलोकन हेतु नियोजन दृष्टिकोण निम्नानुसार है:–

1. वर्तमान स्थिति अध्ययन एवं विश्लेषण
2. नियोजन प्रस्ताव
3. विकास प्रोत्साहन नियमन

1.1 नगर परिचय

देवास शहर समुद्र तल से 534.6 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है। देवास नगर की उत्पत्ति के संबंध में दो किवदंतियाँ प्रचलित है। प्रथम किवदंती के अनुसार शंख पंथी लोगों का जो चामुण्डा देवी के उपासक थे, मालवा क्षेत्र में टेकरी के समीप उस समय लूटमार करने वाले गिरोह का वर्चस्व एवं आधिपत्य था। इस नगर को उस समय "देवी वासनी" कहा जाता था, जिसका कालान्तर से नाम देवीस (देव+वास) हो गया। द्वितीय किवदंती के अनुसार देवास ग्राम का स्थापक, देवास नाम का बनिया माना जाता है, जो मालवा में सन् 1728 में आया था।

राजशेखर द्वारा दसवीं सदी में काव्य मीमान्सा में देव भाठय से एवं 12वीं सदी में चन्द्रवरदायी द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अध्ययन से यह विदित होता है कि, देवास नगर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। चामुण्डा देवी की मूर्ति भी 10वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। देवास से लगभग 6.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम नागदा, जो कि देवास के दक्षिण में स्थित है, पूर्व में इस क्षेत्र की राजधानी थी।

पूर्ववर्ती इन जुड़वा रियासतों के शासक पुराने परमार राजवंश के वारिस थे। कालूजी के पश्चात् तुकोजी एवं जीवाजी द्वारा संयुक्त रूप से एक ही क्षेत्र पर अविभाजित रूप से राज्य करना प्रारंभ किया

गया। अन्ततोगत्वा उनके ही कार्यकाल में सत्ता का विभाजन हुआ। विभाजन के पश्चात् तुकोजी द्वारा शासित भाग को सीनियर देवास एवं जीवाजी द्वारा शासित क्षेत्र को जूनियर देवास संबोधित किया जाने लगा।

सीनियर देवास की अपेक्षा जूनियर देवास का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ, लेकिन सीनियर देवास में सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिक हुए, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रोत्तर काल में इन दोनों रियासतों का मध्य भारत राज्य में विलीनीकरण हुआ तथा सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात् देवास मध्यप्रदेश का एक भाग बन गया।

देवास शहर प्राचीन समय से देवस्थलों के कारण पहचाना जाता है एवं देवस्थलों के कारण देवास की विशिष्ट ख्याति है। माता टेकरी देवास का शिखर है और इस शहर की ऊँचाई इस टेकरी की ऊँचाई से बंधी हुई है।

1.1.1 भौतिक स्वरूप

देवास मालवा के उपजाऊ पठार पर स्थित है। यह नंगर मुम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 तथा इन्दौर–उज्जैन–भोपाल रेल्वे लाईन पर बसा हुआ है। देवास नगर समुद्र सतह से 534.6 मीटर ऊँचाई पर 22.96^0 उत्तरी अक्षांश तथा 76.06^0 पूर्वी देशान्तर रेखा पर स्थित है। मालवा क्षेत्र में यह नगर उज्जैन संभाग के अन्तर्गत आता है। यह नगर उज्जैन से लगभग 38.0 कि.मी. एवं इन्दौर से 35.0 कि. मी. दूरी पर स्थित है। हवाई यातायात के लिये इन्दौर का देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवास का निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि देवास शहर से लगभग 45.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

यह नगर विंध्य पहाड़ियों के समतल पठार के उत्तरी ढाल पर चामुण्डा पहाड़ी के चारों ओर स्थित है। इस पहाड़ी भाग को छोड़कर नगर का अन्य भू–भाग विशेष रूप से समतल है। नगर में अधिकांश जगह काली मिट्टी पाई जाती है तथा नगर के दक्षिण–पूर्व की ओर मीठा तालाब स्थित है, जो कि नगर में उपलब्ध तालाबों में से एक उपयोगी तालाब है।

1.1.2 भूमि का प्रकार – क्रम (स्वरूप)

प्रथम क्रम – काली मिट्टी 1 से 4 मीटर
द्वितीय क्रम – पीली मिट्टी एवं मुरम 4 से 10 मीटर
तृतीय क्रम – पत्थर (बेसाल्ट) 10 मीटर के पश्चात

1.1.3 जलवायु, तापमान एवं आद्रता

मौसम के प्रतिदिन बदलने वाले प्रकार को मोटे तौर पर जलवायु कहा जाता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से गरम एवं ठंडी परिस्थितियों की मानव पर होने वाली प्रतिक्रिया जटिल है। मानव शरीर में स्थित उष्मा का संतुलन निम्नलिखित किसी भी एक जलवायु तत्व के कारण प्रभावित हो सकता है।

1. हवा की गति, 2. आद्रता, 3. हवा का तापमान

देवास नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां की जलवायु सौम्य है तथा रात्रि सामान्यतः सुखद होती है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद होने से सामान्य कार्यकलाप वर्ष भर ठीक प्रकार से सम्पन्न होते रहते है। शीत ऋतु नवम्बर से प्रारंभ होकर फरवरी के अन्त तक रहती है, तदोपरान्त ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होकर जून द्वितीय सप्ताह तक रहती है तथा वर्षा ऋतु जून मध्य से प्रारंभ होकर सितम्बर अन्त

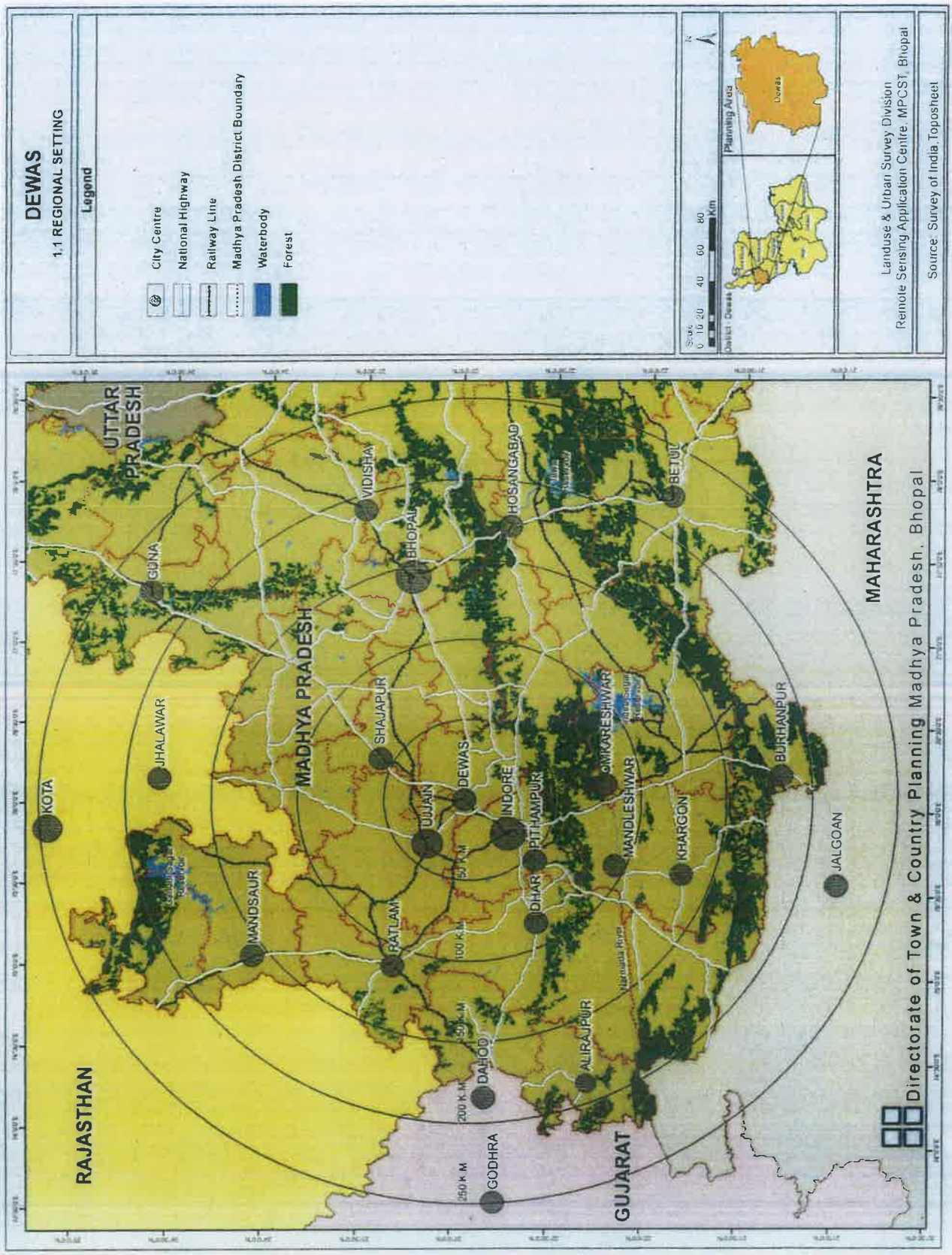
DEWAS
1.1 REGIONAL SETTING
Legend
City Centre
National Highway
Railway Line
Madhya Pradesh District Boundary
Waterbody
Forest
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Survey of India Toposheet
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
GUJARAT
KOTA
JHALAWAR
MANDSAUR
RATLAM
DAHOD
GODHRA
GUNA
VIDISHA
BHOPAL
HOSANGABAD
BETUL
SHAJAPUR
UJJAIN
DEWAS
INDORE
PITHAMPUR
DHAR
ALIRAJPUR
OMKARESHWAR
MANDLESHWAR
KHARGON
BURHANPUR
JALGOAN
50 K.M
100 K.M
150 K.M
200 K.M
250 K.M
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

तक रहती है। मार्च से नगर का तापमान बढ़ने लगता है, जो मई माह तक बढ़ता है। अधिकतम गर्मी मई माह एवं अधिकतम सर्दी दिसम्बर माह में रहती है। सामान्यतः ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा शीतकाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है।

आर्द्रता—दक्षिण—पश्चिमी मानसून के दिनों में अपेक्षित आद्रता लगभग 90 तक पहुंच जाती है। वर्षा के पश्चात् आद्रता घटने लगती है तथा शीतकाल में वायु सामान्यतः शुष्क रहती है।

वायु दिशा—देवास नगर में वायु प्रवाह की दिशा ग्रीष्म ऋतु में तथा वर्षाकाल में पश्चिम से चलती है तथा शीतकाल में उत्तर से चलती है।

1.1.4 प्राकृतिक जल निकास

देवास नगर की भू—संरचना इस प्रकार है कि नगर का प्राकृतिक जल निकास तीन दिशा में हो जाने से सम्पूर्ण क्षेत्र तीन विभिन्न कछारों में विभाजित हो जाता है। नगर में स्थित भूमि का ढाल सूक्ष्म रूप से उत्तर—पश्चिम, उत्तर—पूर्व एवं दक्षिण—पूर्व तीन विभिन्न दिशाओं में होने से दो मेढ़ श्रेणियां बनती है। इसमें से एक श्रेणी बालगढ़ टेकरी से निकलती हुई नगर से नसीराबाद की ओर उत्तर—पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है, जबकि दूसरी श्रेणी शंकरगढ़ टेकरी से निकलती हुई, जेतपुरा ग्राम की ओर मुड़ती हुई उत्तर—पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है।

नगर में दो पहाड़ियां भी स्थित है, इसमें से चामुण्डा पहाड़ी आबादी क्षेत्र में मुम्बई—आगरा मार्ग पर तथा शंकरगढ़ पहाड़ी नगर के दक्षिण में स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों में शंकरगढ़ पहाड़ी ऊँची होने के साथ—साथ उसका पूर्व—पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग पठारी है। नागदा पहाड़ी नाला, चन्दाना नाला, मल्हार नाला, रेवा—बाग नाला तथा मेंढकी नाला आदि नाले इन पहाड़ियों से निकलते हुए प्रथमतः उत्तरी दिशा में बहते है तथा बाद में पश्चिम दिशा से होते हुए क्षिप्रा नदी में मिलते है, अन्य नाले, इन्दौर—भोपाल मार्ग के उत्तरी भाग से निकलते हैं तथा पश्चिम दिशा से बहते हुए छोटी कालीसिंध नदी में मिलते है। क्षेत्र का पूरा बरसाती पानी इन नालों के जरिये तीन विभिन्न दिशाओं से बहता है। नगर का विकसित क्षेत्र मुख्यतः चामुण्डा पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है और इस पूरे विकसित क्षेत्र का ढाल दक्षिण दिशा में है।

1.1.5 अर्थव्यवस्था

विगत वर्षों में देवास आधुनिक औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति पर है। औद्योगिकी में वृद्धि के कारण, देवास जिले के निवासियों को अधिक रोजगार उपलब्ध हुए हैं। इस समय पारम्परिक हस्तकला जैसे मोजड़ी, कार्पेट, चमडें का काम जैसे बैग, लेडिस पर्स, जूते, कोट आदि अर्थ व्यवस्था को अच्छे मुकाम पर पहुँचाने मे सहायक रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में गेंहू एवं सोयाबीन भी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक है, सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के कारण तेल निकालने की फेक्ट्रीज भी स्थापित हुई हैं। देवास में बैंक नोट प्रेस भी स्थापित है।

1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य

इन्दौर एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रदेश के अंतर्गत देवास एक तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक केन्द्र है। देवास के आसपास स्थित क्षेत्रों की आबादी को समाहित करने तथा इन्दौर नगर के लिये काऊंटर मेग्नेट का कार्य करने के लिये देवास में उचित संसाधन उपलब्ध है। क्षेत्रीय संदर्भ में देवास के लिये इसके आसपास स्थित क्षेत्र में कृषि, वन, खनन आदि का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नगर राष्ट्रीय

राजमार्ग ग्रीड से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। यह नगर इन्दौर एवं उज्जैन नगरों से लगभग समान दूरी पर स्थित है। औद्योगिक केन्द्र होने के कारण यहां पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने से तथा इन्दौर से देवास तक सीक्स–लेन मार्ग निर्मित होने के कारण भी इन्दौर की जनसंख्या का दबाव देवास की ओर आकर्षित होगा, इससे आगामी दशक में देवास का विकास तीव्र गति से होने की संभावना है। राष्ट्रीय आवास नीति में भी "बैलेन्स सेटलमेंट" पद्धति को बढ़ावा दिया गया है एवं इस हेतु काऊन्टर मेग्नेट नगरों में अच्छी आधारभूत सुविधाऐं देने का प्रावधान किया गया है, ताकि मेट्रो नगर के विकास के दबाव को कम किया जा सके। भारत सरकार द्वारा देवास शहर को नॉन–अटेन्टमेंट सिटी (वायु प्रदुषण रहित) भी घोषित किया गया है, देवास नगर रेल मार्ग द्वारा भी दिल्ली, मुम्बई, इन्दौर, भोपाल, कोलकाता, मद्रास, जयपुर एवं अहमदाबाद आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। यह नगर ए.बी. रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 देश के विभिन्न राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों को जोड़ता है।

देवास नगर से होकर एन.एच.– 86 जो सीधे भोपाल को जोडता है, एन.एच–52 एबी रोड मुम्बई आगरा को जोडता है, एन.एच.–752 डी उज्जैन जिले को जोडता है, एस.एच.–10(2) नेवरी रोड़ एवं एस.एच.–10(7) विजयागंज मण्डी रोड को जोडता है। इस प्रकार देवास नगर से तीन एन. एच. एवं दो एस.एच गुजरते है।

इन्दौर औद्योगिक परिक्षेत्र में देवास, इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मन्दसौर एवं नीमच जिले सम्मिलित है। इस प्रकार इन 8 जिलों की 57 तहसीलों के संदर्भ में सस्पर्शी क्षेत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

परिक्षेत्र में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधन एवं अधोसंरचना हेतु विस्तृत अध्ययन, सुदूर संवेदन तकनीकि एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से किया गया है। इन्दौर परिक्षेत्र का फैलाव मानचित्र 1.2 में दर्शाया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 51.80 वर्ग किमी. है।

नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी

सारणी 1–सा–1

क्रमांक	समीपस्थ नगर	दूरी (कि.मी.)
1	2	3
1	उज्जैन (संभागीय मुख्यालय)	38
2	इन्दौर	40
3	भोपाल	155
4	सीहोर	115
5	आष्टा	75
6	शाजापुर	64
7	ब्यावरा	150
8	नागदा	100
9	रतलाम	141

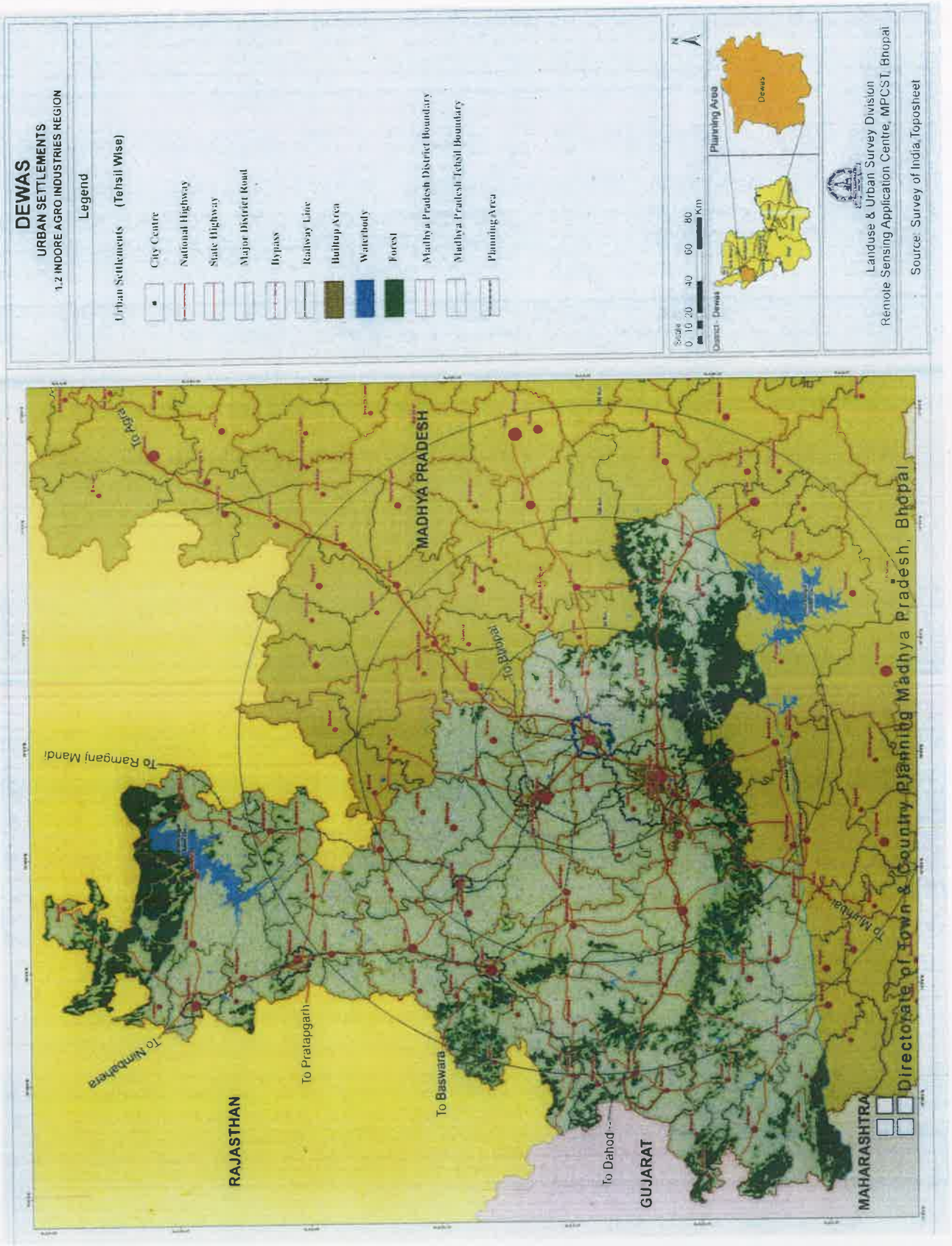
DEWAS
URBAN SETTLEMENTS
1.2 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Urban Settlements (Tehsil Wise)
City Centre
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Survey of India, Toposheet
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

10	मन्दसौर	192
11	नीमच	246
12	धार	110
13	झाबुआ	195
14	अलीराजपुर	250
15	टोंक खुर्द	27
16	हाटपीपल्या	41
17	बागली	57
18	कन्नौद	96
19	सतवास	105
20	खातेगांव	142
21	सोनकच्छ	131

1.3 इंदौर महानगर क्षेत्र एवं देवास विकास योजना का सामंजस्य

इंदौर प्रस्तावित महानगर (आईएमआर) क्षेत्र के संदर्भ में देवास की भूमिका महत्वपूर्ण है। इंदौर महानगर क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 9989.70 वर्ग कि.मी. प्रस्तावित है, जिसमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, पीथमपुर और महु शामिल हैं, जिसमें देवास जिले की 5 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है, देवास तहसील, देवास नगर, बागली, हाटपिपल्या, सोनकच्छ, टोंकखुर्द। जिसके अंतर्गत देवास का 2308.61 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल को सम्मिलित किया गया है, जिससे देवास को भी बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं देवास एक एकीकृत महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।

1. **विकास के अवसरः**
   इंदौर महानगर क्षेत्र में देवास शामिल होने से यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इंदौर जैसे बड़े शहरी केंद्र से निकटता देवास को भी स्मार्ट सिटी विकास की दौड़ में शामिल कर रही है।
2. **बेहतर कनेक्टिविटीः**
   महानगर क्षेत्र में शामिल होने से देवास के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका जीवन आसान होगा।
3. **रोजगार के अवसरः**
   औद्योगिक विकास और निवेश से देवास में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
4. **सतत विकासः**
   मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विकास संतुलित और सुव्यवस्थित एवं नियोजित रूप से किया जाएगा, जिससे देवास भी महानगर की सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा।

इन्दौर परिक्षेत्र में तहसीलों का विवरण

सारणी 1–सा–2

S.No.	Name	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates Population			WORK PATICIPATION		
		T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	Alirajpur	446494	221746	224748	89485	45115	44370	20817	10425	10392	391428	193968	197460	121551	69432	52119	221035	114484	106551
2	Alot	111970	56934	55036	16633	8574	8059	23578	11910	11668	481	256	225	58992	36900	22092	56968	34152	22816
3	Badnagar	269573	137685	131888	38158	19804	18354	59160	30148	29012	16823	8565	8258	169935	100562	69373	138314	79567	58747
4	Badnawar	226440	114825	111615	33783	17761	16022	24101	12234	11867	82676	41528	41148	125964	75930	50034	111295	64244	47051
5	Bagli	195153	99479	95674	32981	17007	15974	22346	11451	10895	101463	51439	50024	92753	55440	37313	93864	52828	41036
6	Bajna	80290	40361	39929	17100	8875	8225	559	302	257	76451	38377	38074	27479	16406	11073	41064	20866	20198
7	Bhanpura	151297	77786	73511	21605	11339	10266	23623	12247	11376	7143	3702	3441	87741	54158	33583	74338	44370	29968
8	Bhavra	91101	45437	45664	18606	9485	9121	1489	747	742	83106	41313	41793	29992	18051	11941	47118	23705	23413
9	Dahi	114242	57532	56710	19033	9730	9303	3789	1921	1868	96479	48531	47948	43816	25437	18379	57724	30673	27051
10	Daloda	109572	55436	54136	13609	7054	6555	17021	8580	8441	9184	4664	4520	71304	42805	28499	60547	33377	27170
11	Depalpur	228101	117098	111003	32416	16894	15522	42481	21596	20885	13324	6993	6331	134616	82053	52563	107217	67285	39932
12	Dewas	505948	261043	244905	65904	34477	31427	105658	54249	51409	20660	10569	10091	346972	200245	146727	212666	145470	67196
13	Dhar	578423	301567	276856	95915	50154	45761	53515	27719	25796	210782	107336	103446	330761	197174	133587	248704	162805	85899
14	Dharampuri	183659	93372	90287	27400	14253	13147	15576	7870	7706	85564	43126	42438	100124	58073	42051	81892	49972	31920
15	Gandhwani	156046	77672	78374	30445	15353	15092	2298	1145	1153	141601	70354	71247	54350	31253	23097	75189	39350	35839
16	Garoth	135181	68833	66348	18764	9696	9068	26727	13743	12984	1156	606	550	78382	48719	29663	72272	40555	31717
17	Ghatiya	138861	70808	68053	20484	10595	9889	43211	21894	21317	1296	668	628	76670	47639	29031	66386	40154	26232
18	Hatod	99313	50722	48591	14273	7453	6820	20785	10544	10241	7168	3671	3497	59769	36244	23525	45677	28680	16997
19	Hatpiplya	106612	54934	51678	15265	7968	7297	25608	13270	12338	8893	4532	4361	62129	37526	24603	56969	32088	24881
20	Indore	2389511	1241079	1148432	295716	156013	139703	379348	195613	183735	100332	52329	48003	1758546	962787	795759	882347	683621	198726
21	Jaora	243070	123843	119227	33501	17075	16426	52947	26725	26222	9646	4931	4715	152869	90061	62808	111894	69509	42385
22	Jawad	140890	71944	68946	18092	9470	8622	17863	9162	8701	15740	8154	7586	87383	53228	34155	73552	41701	31851
23	Jhabua	323204	161683	161521	70565	36105	34460	5383	2724	2659	286583	142720	143863	105766	63757	42009	152797	78558	74239
24	Jiran	72829	36838	35991	8870	4579	4291	11350	5688	5662	4617	2352	2265	45272	27604	17668	39182	22050	17132
25	Jobat	191404	95359	96045	39870	20218	19652	4571	2309	2262	174104	86561	87543	58211	33422	24789	98644	50509	48135

26	Kannod	112387	57799	54588	18305	9532	8773	13545	7046	6499	38278	19480	18798	58400	35062	23338	56151	32589	23562
27	Khacharod	161270	81942	79328	22885	11832	11053	47870	24124	23746	6774	3493	3281	93735	57241	36494	80619	47237	33382
28	Khategaon	191435	99490	91945	30001	15778	14223	27321	14281	13040	46628	23971	22657	109662	65438	44224	103510	59593	43917
29	Kukshi	322282	161408	160874	55882	28644	27238	15595	7881	7714	230833	114821	116012	136995	78726	58269	158200	86312	71888
30	Mahidpur	259299	132838	126461	40150	20784	19366	72064	36849	35215	1918	980	938	137842	85959	51883	128911	75511	53400
31	Malhargarh	203923	102926	100997	25725	13155	12570	43707	21890	21817	5368	2752	2616	132478	79879	52599	109421	60660	48761
32	Manasa	267541	135649	131892	36298	18699	17599	33374	16788	16586	19541	10092	9449	153154	94240	58914	141603	78812	62791
33	Manawar	308188	155669	152519	45479	23642	21837	19514	9962	9552	194023	97381	96642	155132	91533	63599	146751	82623	64128
34	Mandsaur	336388	171394	164994	42436	22034	20402	53044	26754	26290	6622	3400	3222	227163	131664	95499	157108	97769	59339
35	Meghnagar	171944	86913	85031	36432	18901	17531	2454	1238	1216	154625	77836	76789	57276	35366	21910	85833	44020	41813
36	Mhow	361937	189046	172891	50644	26366	24278	49835	25415	24420	87210	44733	42477	235883	136212	99671	151717	103464	48253
37	Nagda	237996	121378	116618	32326	16717	15609	65148	33201	31947	4056	2116	1940	142774	85213	57561	100386	66020	34366
38	Neemuch	239519	124506	115013	28820	15019	13801	36642	18693	17949	11708	6096	5612	165004	96389	68615	107271	71743	35528
39	Petlawad	232800	116670	116130	43185	22164	21021	5217	2626	2591	185572	92524	93048	91837	56385	35452	129355	66813	62542
40	Piploda	138362	70156	68206	18336	9499	8837	25167	12734	12433	20654	10519	10135	82898	50084	32814	72702	40510	32192
41	Ranapur	114738	57960	56778	23847	12285	11562	2306	1158	1148	101843	51322	50521	36652	22490	14162	59791	30337	29454
42	Ratlam	555259	282488	272771	73428	38020	35408	67771	34406	33365	113474	57525	55949	365342	207458	157884	243991	156891	87100
43	Rawti	84171	41893	42278	17288	8786	8502	1202	596	606	77835	38713	39122	27735	16599	11136	44028	22460	21568
44	Sailana	134959	67880	67079	26501	13720	12781	3773	1884	1889	110355	55466	54889	53022	31571	21451	66347	35299	31048
45	Sardarpur	296513	150680	145833	52012	27147	24865	11048	5559	5489	180856	91542	89314	130196	80353	49843	148219	81100	67119
46	Satwas	146089	75595	70494	24034	12467	11567	17873	9306	8567	52911	27176	25735	71898	44576	27322	68060	40860	27200
47	Sawer	197835	101682	96153	28331	14886	13445	52790	27016	25774	9645	4961	4684	120316	72335	47981	81237	56005	25232
48	Shamgarh	125848	64403	61445	17883	9268	8615	24551	12709	11842	827	455	372	71908	44668	27240	62856	37550	25306
49	Singoli	105288	53716	51572	15304	7957	7347	11933	6069	5864	19835	10044	9791	58021	36428	21593	57074	31402	25672
50	Sitamau	189814	96876	92938	24968	13001	11967	36133	18422	17711	2354	1217	1137	117194	71128	46066	98485	56805	41680
51	Sonkatch	172308	88320	83988	24730	12831	11899	47017	23904	23113	2289	1180	1109	103341	62867	40474	82405	48913	33492
52	Suwasara	88388	45197	43191	12669	6641	6028	24218	12477	11741	438	227	211	48421	29877	18544	44696	26628	18068
53	Tal	106988	54686	52302	15567	8088	7479	23615	12072	11543	969	503	466	57543	36011	21532	53986	31759	22227
54	Tarana	247299	126737	120562	35363	18573	16790	78053	40042	38011	6772	3419	3353	141425	87480	53945	127116	72516	54600
55	Thandla	182362	91797	90565	37840	19585	18255	2067	1024	1043	163195	81957	81238	60550	36584	23966	87345	45761	41584
56	Tonk Khurd	133783	68699	65084	18119	9506	8613	32639	16753	15886	1579	827	752	80214	49562	30652	69051	39160	29891
57	Ujjain	672566	344901	327665	81940	42292	39648	158363	80977	77386	11091	5684	5407	478609	266723	211886	255710	188420	67290
	TOTAL	**14388663**	**7355310**	**7033353**	**2145201**	**1112866**	**1032335**	**2109653**	**1078072**	**1031581**	**3816778**	**1919657**	**1897121**	**8283967**	**4841007**	**3442960**	**6607590**	**4066115**	**2541475**

1.4 जनसंख्या लिंगानुपात

देवास के संदर्भ में इन्दौर परिक्षेत्र में 8 जिलों की 57 तहसीलों के लिंगानुपात का अध्ययन किया गया। अलीराजपुर, रेवती, गंधवानी तहसीलों में सबसे अधिक 990 प्रति हजार पुरूष लिंगानुपात है सबसे कम महु, धार, नीमच 925 प्रति हजार पुरूष लिंगानुपात है। जिसका विवरण मानचित्र 1.3 में दर्शाया गया है ।

1.4.1 शिशु जनसंख्या

देवास के संदर्भ में इन्दौर परिक्षेत्र में 8 जिलों की 57 तहसीलों के लिंगानुपात का अध्ययन किया गया। तहसील वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औसतन शिशु जनसंख्या अधिकतम झाबुआ, बाजना, मेघनगर में 16 प्रतिशत से अधिक है तथा न्युनतम 12 प्रतिशत से कम नीमच, जीरन, उज्जैन में है । जिसका विवरण मानचित्र 1.4 में दर्शाया गया है ।

1.4.2 शिशु लिंगानुपात

इन्दौर परिक्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 960 बालिका प्रति हजार बालक है, सबसे अधिक लिंगानुपात 983 अलीराजपुर तहसील में है एवं सबसे कम लिंगानुपात 895 इन्दौर तहसील में है, यह भविष्य की एक गंभीर समस्या का विषय है। जिस पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। जिसका विवरण मानचित्र 1. 5 में दर्शाया गया है ।

1.4.3 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

इन्दौर परिक्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिकतम जनसंखया 95 प्रतिशत बजाना तहसील जिला रतलाम में है एवं न्यूनतम जनसंख्या 17 प्रतिशत मन्दसौर तहसील में है। जिसका विवरण मानचित्र 1.6 में दर्शाया गया है।

1.4.4. साक्षरता

साक्षरता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति एक मूल्यांकन सूचक है। जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर भारत वर्ष की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है, पुरूष एवं महिला के आधार पर पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है, पुरूषसाक्षरता दर 80.5 प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर 60.00 प्रतिशत है। इन्दौर परिक्षेत्र में सबसे अधिक इन्दौर एवं उज्जैन तहसील में साक्षरता दर 70 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष की साक्षरता दर 33.64 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 23.92 प्रतिशत है एवं सबसे कम साक्षरता पेटलावद, सौलाना, दाही, गंधवानी, बाजना मेघनगर, थांदला, झाबुआ जोबट, अलीराजपुर तहसील में जो 40 प्रतिशत से कम है। जिसका विवरण मानचित्र 1.7 में दर्शाया गया है।

1.4.5 कार्यशील जनसंख्या

इन्दौर परिक्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 6607590 है जिससे यह ज्ञात होता है कि तहसीलों में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं। तहसीलों में कार्य सहभागिता प्रतिशत 45.92 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सबसे अधिक कार्यशील सहभागिता पेटलावद में

55 प्रतिशत है तथा सबसे न्यूनतम कार्यशील सहभागीता 36 प्रतिशत इन्दौर तहसील में है जिसका विवरण मानचित्र 1.8 में दर्शाया गया है।

1.4.6 जनसंख्या घनत्व

इन्दौर परिक्षेत्र का सकल घनत्व 179 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है। इन्दौर तहसील में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 27 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। उज्जैन तहसील द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व सिंगोली तहसील जिला नीमच में 1 प्रतिशत व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। जिसका विवरण मानचित्र 1.9 में दर्शाया गया है।

जनसंख्या घनत्व

सारणी 1–सा–3

वार्ड क्रमांक	तहसीलों का नाम	तहसीलों का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में		जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
		जनगणना 2011 के अनुसार	जी.आई.एस के अनुसार		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Alirajpur	221648.87	221649	446494	2.014
2	Alot	43448.33	43448	111970	2.577
3	Badnagar	109367.33	109367	269573	2.465
4	Badnawar	115380.2	115380	226440	1.963
5	Bagli	156122.77	156123	195153	1.250
6	Bajna	17907.81	17908	80290	4.484
7	Bhanpura	102699.44	102699	151297	1.473
8	Bhavra	34778.85	34779	91101	2.619
9	Dahi	46859.37	46859	114242	2.438
10	Daloda	31863.75	31864	109572	3.439
11	Depalpur	80515.71	80516	228101	2.833
12	Dewas	101568.59	101569	505948	4.981
13	Dhar	196299.36	196299	578423	2.947
14	Dharampuri	42105.18	42105	183659	4.362
15	Gandhwani	69768.53	69769	156046	2.237
16	Garoth	61621.65	61622	135181	2.194
17	Ghatiya	72857.09	72857	138861	1.906
18	Hatod	54214.47	54214	99313	1.832
19	Hatpiplya	37174.23	37174	106612	2.868
20	Indore	86391.02	86391	2389511	27.659
21	Jaora	74183.95	74184	243070	3.277
22	Jawad	62122.34	62122	140890	2.268
23	Jhabua	102825.56	102826	323204	3.143
24	Jiran	26838.4	26838	72829	2.714
25	Jobat	77769.36	77769	191404	2.461

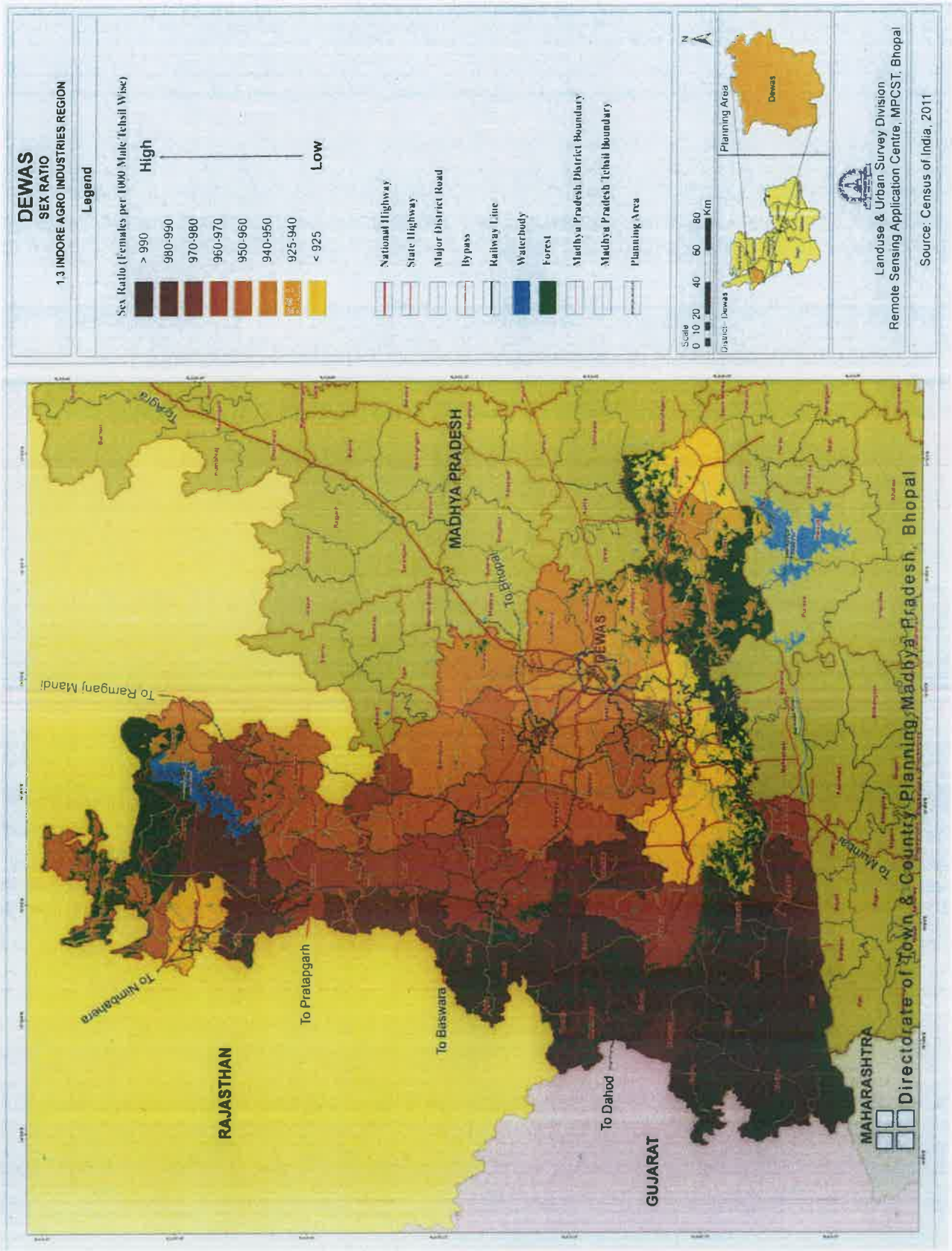
DEWAS
SEX RATIO
1.3 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Sex Ratio (Females per 1000 Male Tehsil Wise)
High
> 990
980-990
970-980
960-970
950-960
940-950
925-940
< 925
Low
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Bhopal
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

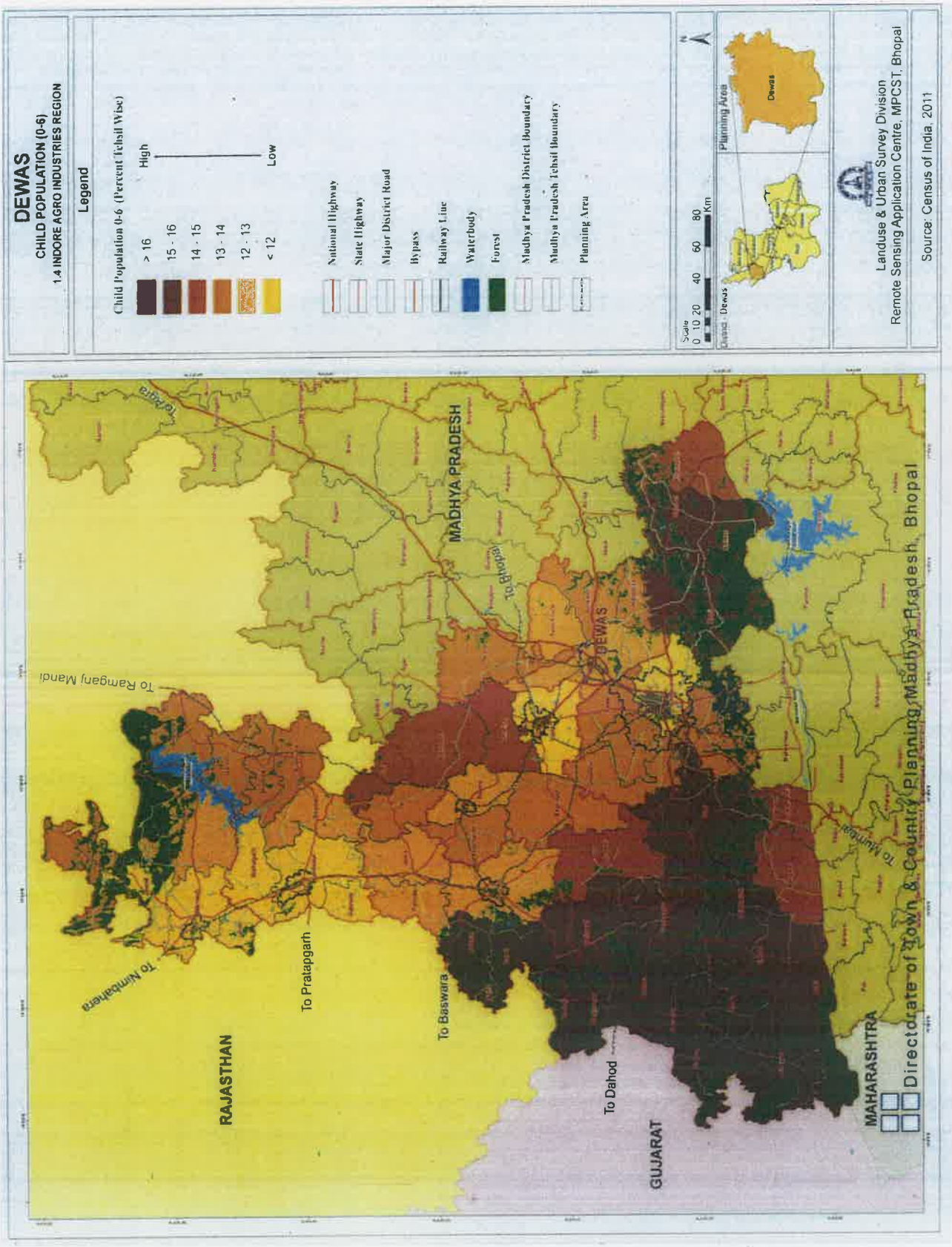
DEWAS
CHILD POPULATION (0-6)
1.4 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Child Population 0-6 (Percent Tehsil Wise)
High
Low
> 16
15 - 16
14 - 15
13 - 14
12 - 13
< 12
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80
Km
District : Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Nimbhora
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

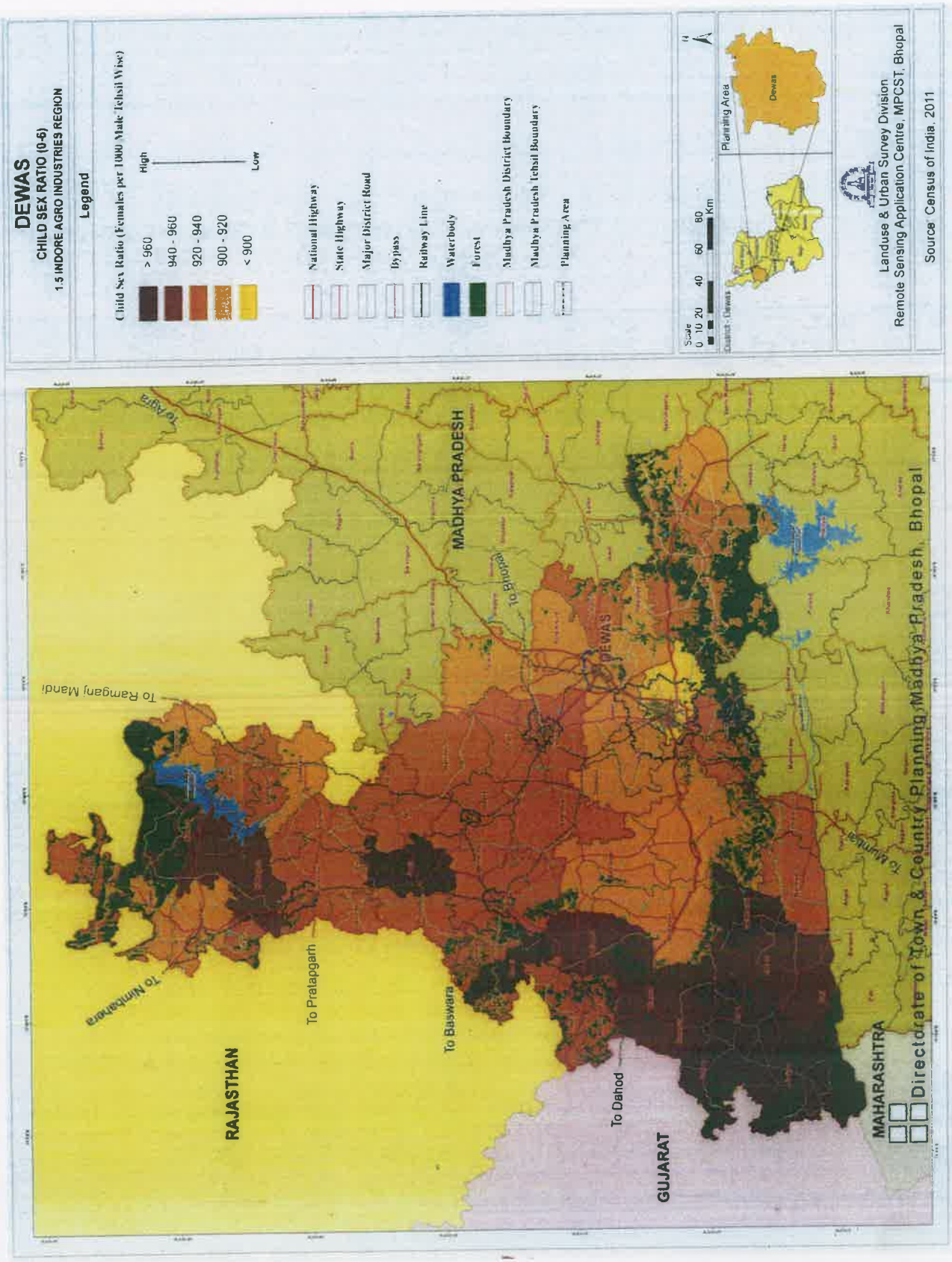
DEWAS
CHILD SEX RATIO (0-6)
15 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Child Sex Ratio (Females per 1000 Male Tehsil Wise)
High
> 960
940 - 960
920 - 940
900 - 920
< 900
Low
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mhow
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

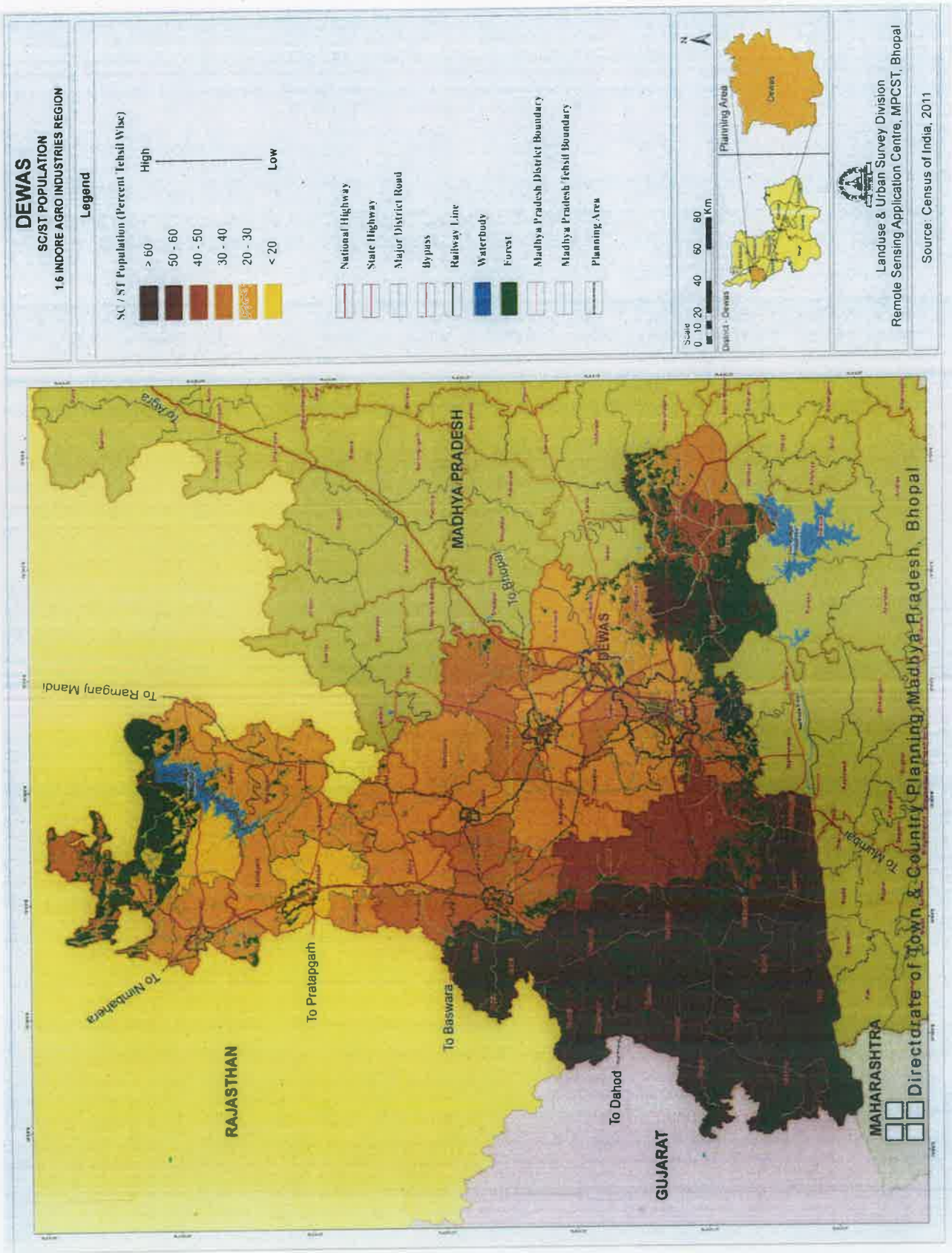
DEWAS
SC/ST POPULATION
16 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
SC / ST Population (Percent Tehsil Wise)
High
> 60
50 - 60
40 - 50
30 - 40
20 - 30
< 20
Low
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

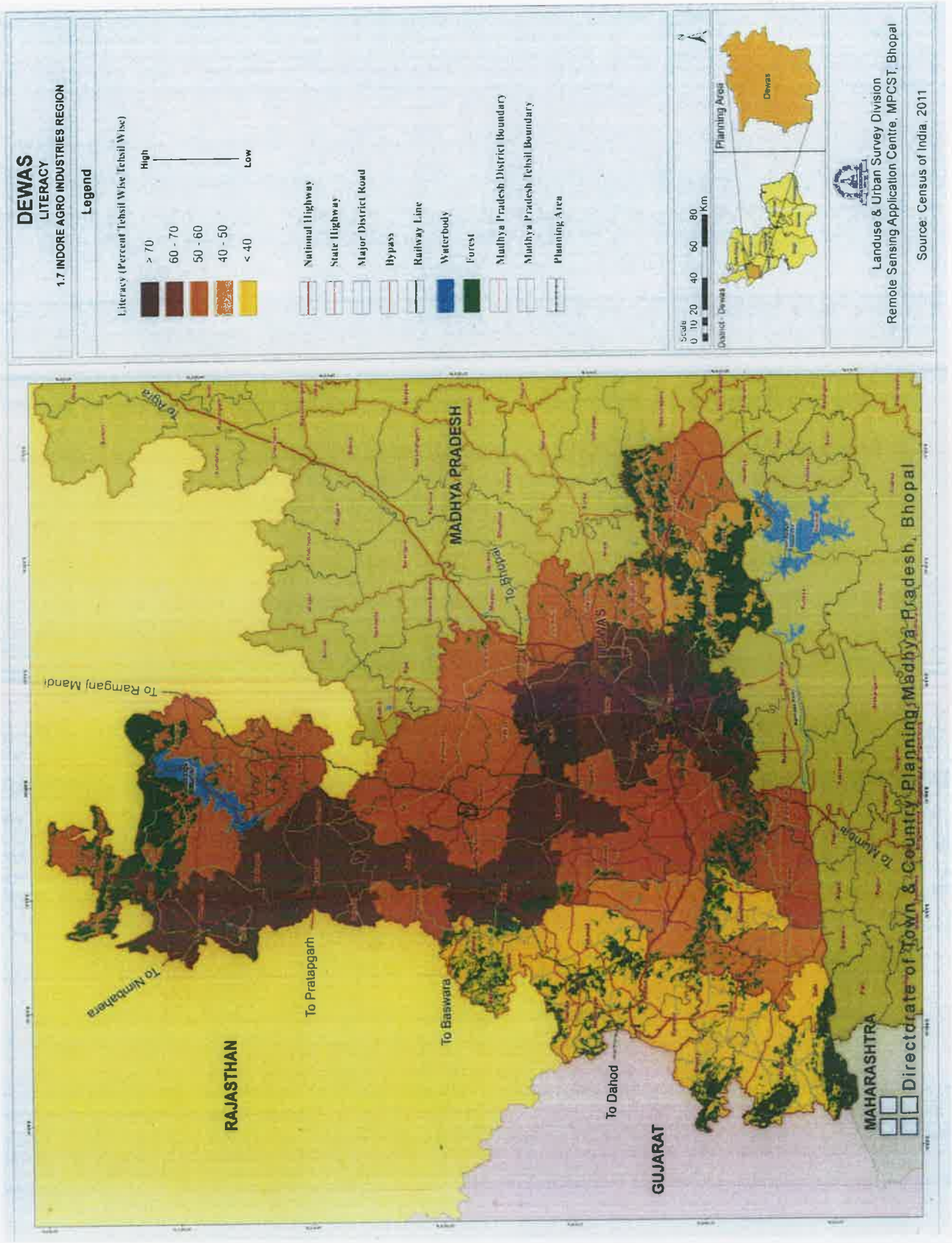
DEWAS
LITERACY
1.7 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Literacy (Percent Tehsil Wise Tehsil Wise)
High
Low
> 70
60 - 70
50 - 60
40 - 50
< 40
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

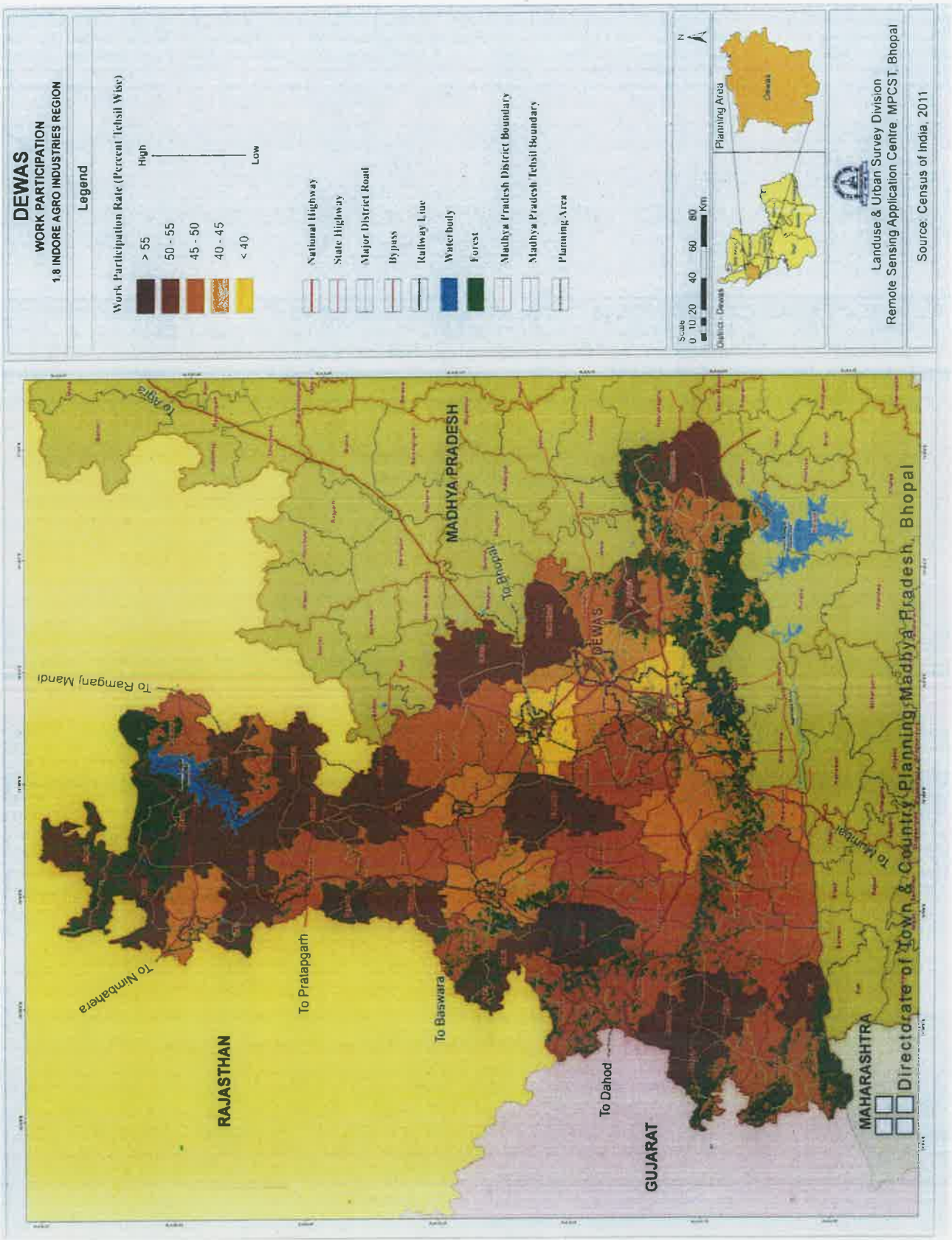
DEWAS
WORK PARTICIPATION
1.8 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Work Participation Rate (Percent Tehsil Wise)
High
> 55
50 - 55
45 - 50
40 - 45
< 40
Low
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Agra
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Bhopal
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

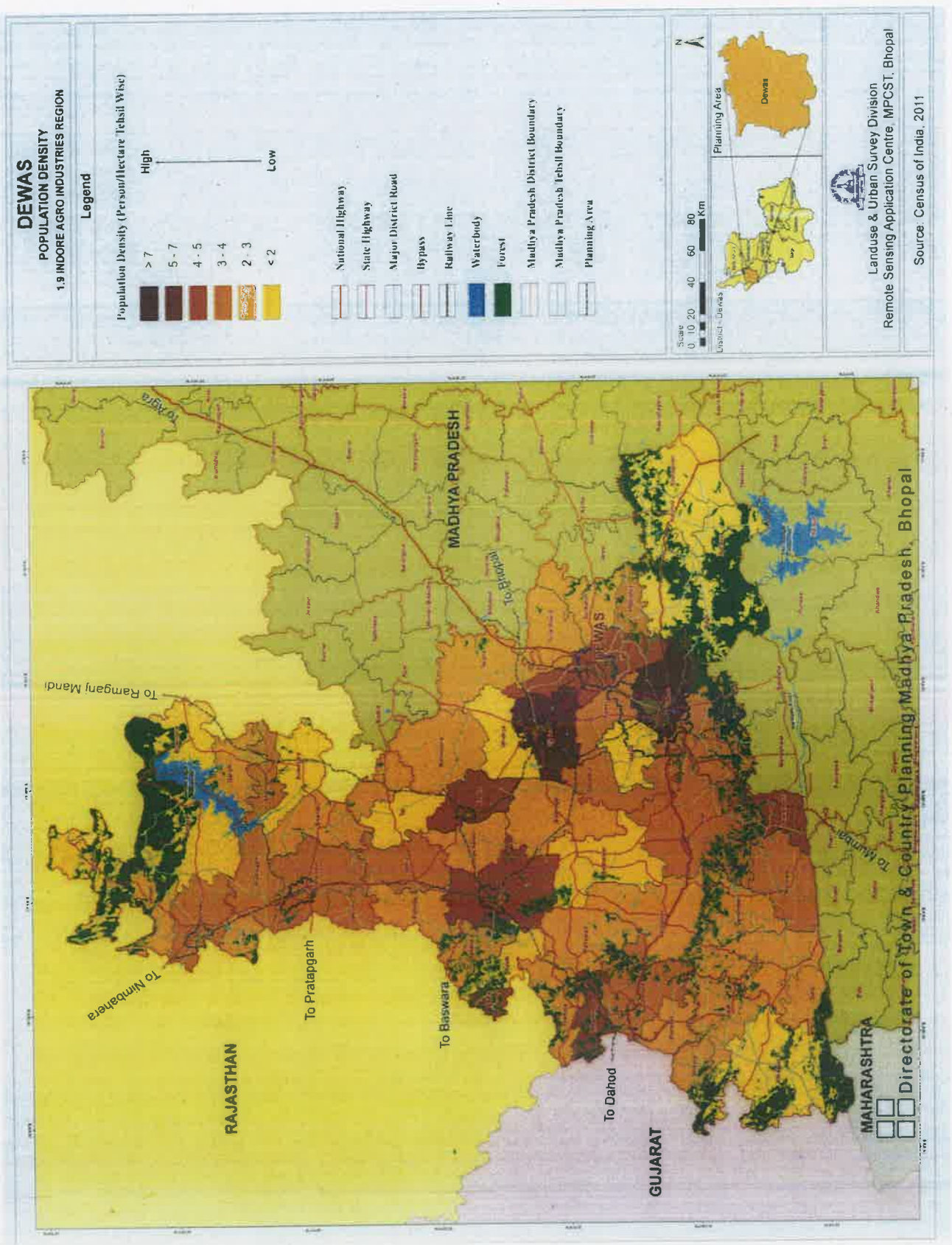
DEWAS
POPULATION DENSITY
1.9 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Population Density (Person/Hectare Tehsil Wise)
High
Low
> 7
5 - 7
4 - 5
3 - 4
2 - 3
< 2
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Agra
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Bhopal
To Dahod
To Khumbh
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

देवास विकास योजना (प्रारूप)

26	Kannod	73672.16	73672	112387	1.526
27	Khacharod	59369.34	59369	161270	2.716
28	Khategaon	106252.52	106253	191435	1.802
29	Kukshi	120862.17	120862	322282	2.667
30	Mahidpur	111127.73	111128	259299	2.333
31	Malhargarh	72475.18	72475	203923	2.814
32	Manasa	174329.3	174329	267541	1.535
33	Manawar	92114.64	92115	308188	3.346
34	Mandsaur	101978.64	101979	336388	3.299
35	Meghnagar	44932.33	44932	171944	3.827
36	Mhow	115378.16	115378	361937	3.137
37	Nagda	62588.85	62589	237996	3.803
38	Neemuch	76152.27	76152	239519	3.145
39	Petlawad	88339.01	88339	232800	2.635
40	Piploda	61378.03	61378	138362	2.254
41	Ranapur	42938.05	42938	114738	2.672
42	Ratlam	132117.89	132118	555259	4.203
43	Rawti	48731.77	48732	84171	1.727
44	Sailana	51275.31	51275	134959	2.632
45	Sardarpur	133413.55	133414	296513	2.223
46	Satwas	93593.14	93593	146089	1.561
47	Sawer	54871.34	54871	197835	3.605
48	Shamgarh	42236.35	42236	125848	2.980
49	Singoli	91615.82	91616	105288	1.149
50	Sitamau	72913.64	72914	189814	2.603
51	Sonkatch	67932.07	67932	172308	2.536
52	Suwasara	69777.04	69777	88388	1.267
53	Tal	57052.53	57053	106988	1.875
54	Tarana	107796.72	107797	247299	2.294
55	Thandla	66121.43	66121	182362	2.758
56	Tonk Khurd	64752.17	64752	133783	2.066
57	Ujjain	87539.42	87539	672566	7.683
	TOTAL	4671960.73	4671959	14388663	179.075

1.4.7 मृदा

संपूर्ण परिक्षेत्र की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land use Survey of India(SLUSI)जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव, मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं। मृदा विश्लेषण सारणी 1–सा–4 में दर्शित है। जिसका विवरण मानचित्र 1.10 में दर्शाया गया है

मृदा विश्लेषण

सारणी 1–सा–4

SOIL		
S.No.	Soil Texture Class	Area (ha)
1	Clayey	952295.3
2	ClayeySkeletal	171136
3	CoarseLoamy	130842.9
4	Fine	1588381
5	FineLoamy	244126.1
6	FineSilty	2250.17
7	Laomy	1023209
8	LoamySkeletal	315153.8
9	VeryFine	6910.14
Total		**4434305**

1.4.8 भू–आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

सम्पूर्ण परिक्षेत्र को भू–आकृति की दृष्टि से 46 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 1–सा–5 में दर्शायी गयी है। जिसका विवरण मानचित्र 1.11 में दर्शाया गया है।

भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 1–सा–5

GEOMORPHOLOGY		
S.No.	Geomorphology Class	Area (ha)
1	Abandoned Quarry	377.27
2	Active Quarry	658.12
3	Antiformal Hill	0.3
4	Bench	2515.16
5	Butte	1430.72
6	Channel Bar	20
7	Channel Island	443.09
8	Cuesta	8069.69
9	Dam and Reservior	5161.95
10	Dam and Reservoir	29340.91
11	Denudational Origin - Low Dissected Hills and Valleys	557.29
12	Denudational Origin - Moderately Dissected Hills and Valleys	20672.28
13	Denudational Origin - Pediment-Pediplain Complex	1433.42
14	Denudational Origin - Piedmont Slope	97.7
15	Dyke / Sill Ridge	2839.58
16	Fluvial Origin - Active Flood Plain	199.05
17	Fluvial Origin - Older Alluvial Plain	22948.47
18	Fluvial Origin - Younger Alluvial Plain	5012.62
19	Gillied Tract	4500.01
20	Gorge	558.66

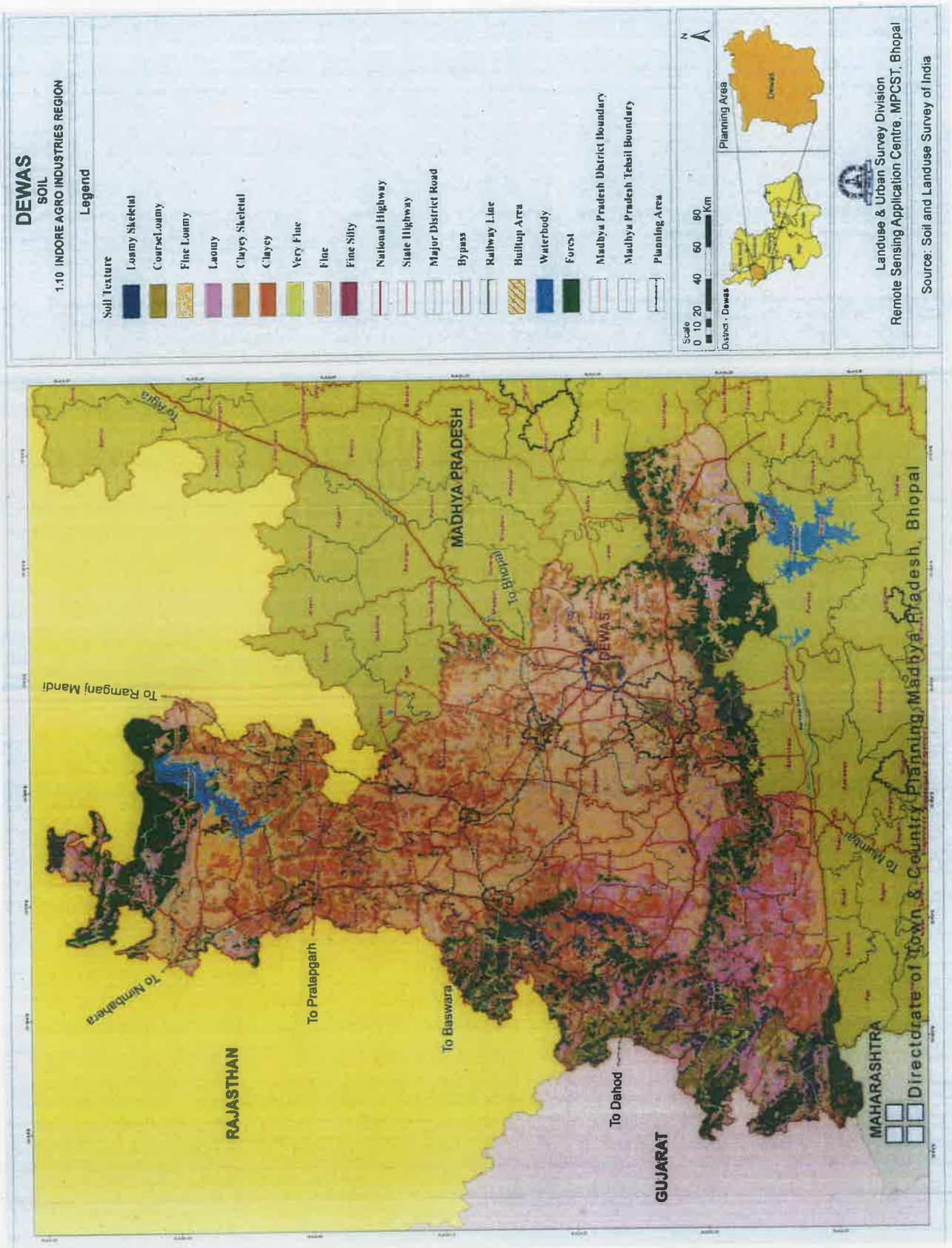
DEWAS
SOIL
1.10 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Soil Texture
Loamy Skeletal
Coarse Loamy
Fine Loamy
Loamy
Clayey Skeletal
Clayey
Very Fine
Fine
Fine Silty
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
District : Dewas
Planning Area
Dewas
N
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Soil and Landuse Survey of India
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

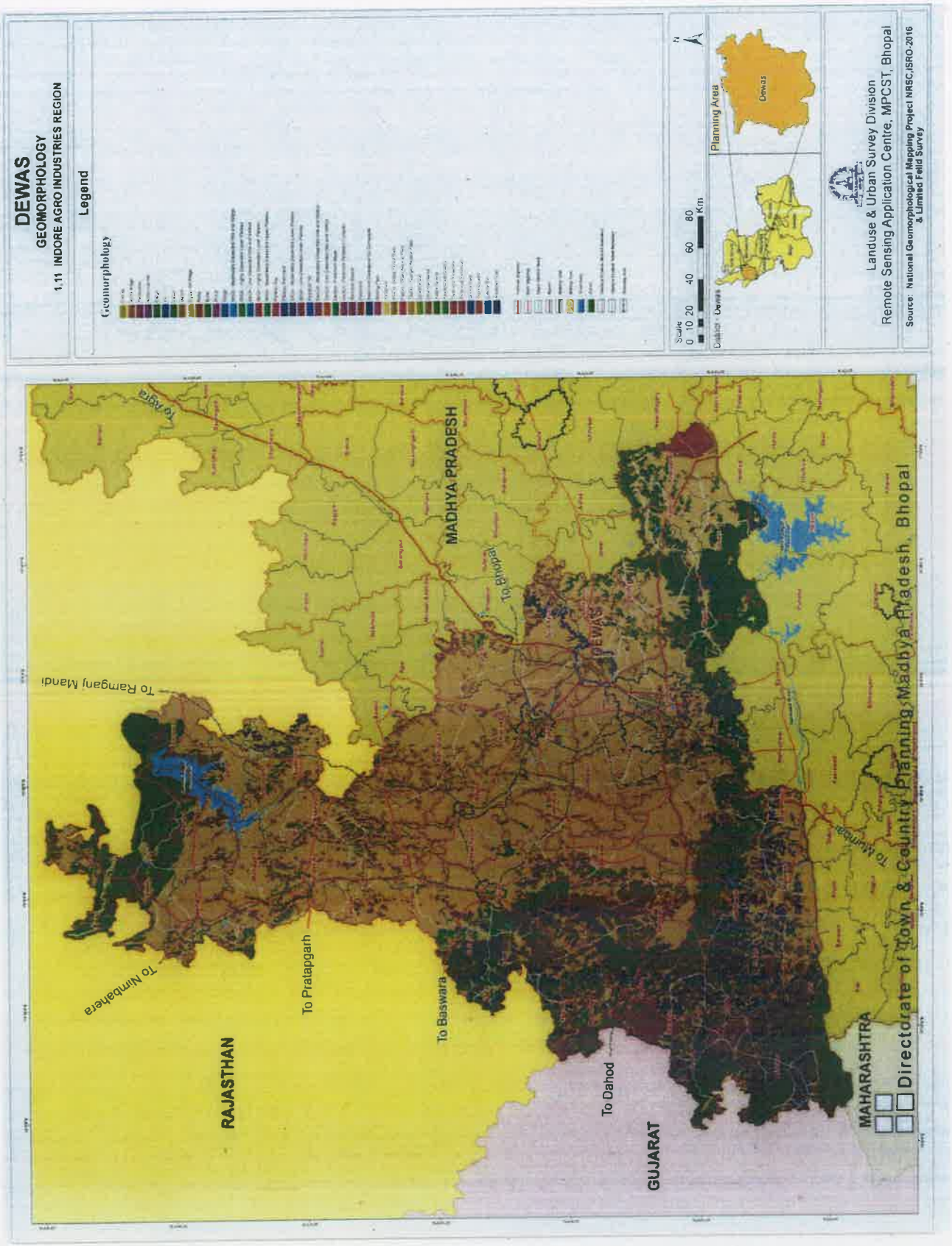
DEWAS
GEOMORPHOLOGY
1.11 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Geomorphology
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Geomorphological Mapping Project NRSC,ISRO-2016
& Limited Field Survey
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

21	Gullied Land	55663.86
22	Hill	1368.86
23	Homocline	169460.6
24	Lateral Bar	472.55
25	Meander Scar	96.26
26	Mesa	6714.58
27	Pediment	492018
28	Pediment-Corestone-Tor Composite	161658.5
29	Pediplain	2670770
30	Plateau Remnant	364666.3
31	Plateau Top	15592.84
32	Residual Hill	644.06
33	Residual Mound	234.8
34	Ridge	3489.74
35	Rolling Plain	80814.72
36	Scarp	36213.23
37	Strike Ridge	299.45
38	Structural Origin - Highly Dissected Lower Plateau	82483.34
39	Structural Origin - Highly Dissected Upper Plateau	2940.62
40	Structural Origin - Low Dissected Hills and Valleys	47265.47
41	Structural Origin - Low Dissected Lower Plateau	28721.32
42	Structural Origin - Moderately Dissected Hills and Valleys	55556.76
43	Structural Origin - Moderately Dissected Lower Plateau	188813.8
44	Structural Origin - Moderately Dissected Upper Plateau	5180.23
45	Valley	3002.7
46	WaterBodies	69998.45
	Total	**4650978**

1.4.9 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

सम्पूर्ण परिक्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 1–सा–6 में दर्शायी गई है। जिसका विवरण मानचित्र 1.12 में दर्शाया गया है।

भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

सारणी 1–सा–6

LAND DEGRADATION		
S.No.	**Land Degradation Class**	**Area (ha)**
1	Barren rocky/ Stony waste	69505.64
2	Mining - Surface/ opencast mines	3242.42
3	Miscellaneous-Riverine sands / sea ingress areas	391.46
4	Saline - Slight	252.56
5	Water erosion - Gullies	311078.4
6	Water erosion - Ravines - Moderately deep to deep	389.52
7	Water erosion - Ravines - Shallow	32556.54
8	Water erosion - Rills	55766.57

9	Water erosion - Sheet - Moderate	305799.2
10	Water erosion - Sheet - Severe	298218.4
11	Water erosion - Sheet - Slight	3764.4
	Total	**1080965**

1.4.10 चट्टानों की रचना (LITHOLOGY)

लिथोलोजि में भू विज्ञान की शाखा जो चटटानों का अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति और निर्माण, खनिज संरचना और वर्गीकरण चटटानों की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन सम्पूर्ण परिक्षेत्र के संदर्भ में किया गया है जिसका विवरण मानचित्र 1.13 में दर्शाया गया है।

चटटानों की रचना (LITHOLOGY)

सारणी 1–सा–7

LAND LITHOLOGY		
S.No.	Lithology Class	Area (ha)
1	Alluvium – Gravel dominant	3131.69
2	Alluvium – sand / silt dominant	49628.28
3	Amygdaloidal basalt	251368
4	Basic dyke	1722.86
5	Cemented assorted mixture of gravel, sand, silt & clay	3194.89
6	Columnar basalt	713325.3
7	Conglomerate	32477.32
8	Gneiss	22277.91
9	Granites / Acidic rocks	158525.6
10	Granitoid gneiss/gneissic granitoid/granitoid complex	69742.11
11	Inter-/Infra-trappean sand / clay beds	62806.76
12	Laterite (ferricrete)	11808.83
13	Marble / crystalline limestone	3308.49
14	Massive basalt	1479757
15	Migmatite / migmatite complex	11398.34
16	Phyllite	70398.52
17	Quartzite	33965.95
18	Sandstone with shale / coal bands	418.11
19	Schist	23208.7
20	Shale	27396.1
21	Shale with limestone/sandstone bands/ lenses	82362.36
22	Thick bedded / massive limestone / dolomite	31525.5
23	Thick bedded / massive sandstone / quartzite	257848.9
24	Thin bedded / flaggy sandstone / quartzite	10655.44
25	Tuffacious basalt	1204.16
26	Unclassified basaltic flows	287409
27	Vesicular basalt	878527.5
28	Waterbody	92442.13
	Total	**4671835**

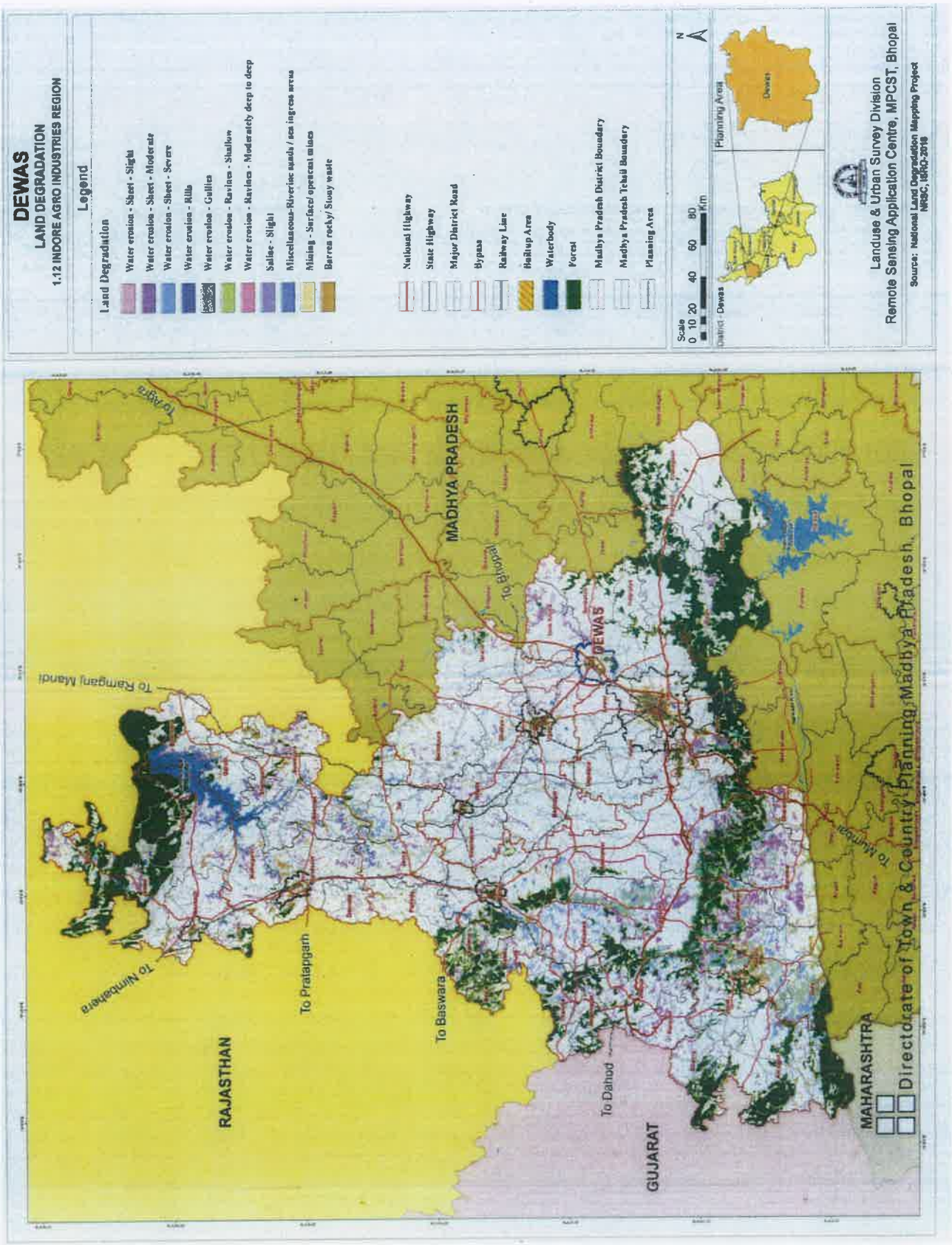
DEWAS
LAND DEGRADATION
1:12 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Land Degradation
Water erosion - Sheet - Slight
Water erosion - Sheet - Moderate
Water erosion - Sheet - Severe
Water erosion - Rills
Water erosion - Gullies
Water erosion - Ravines - Shallow
Water erosion - Ravines - Moderately deep to deep
Saline - Slight
Miscellaneous-Riverine sands / sea ingress areas
Mining - Surface/ opencast mines
Barren rocky/ Stony waste
National Highway
State Highway
Major District Road
Bypass
Railway Line
Railup Area
Waterbody
Forest
Madhya Pradesh District Boundary
Madhya Pradesh Tehsil Boundary
Planning Area
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
N
District - Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Land Degradation Mapping Project
NRSC, ISRO-2016
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
DEWAS
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Khandwa
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

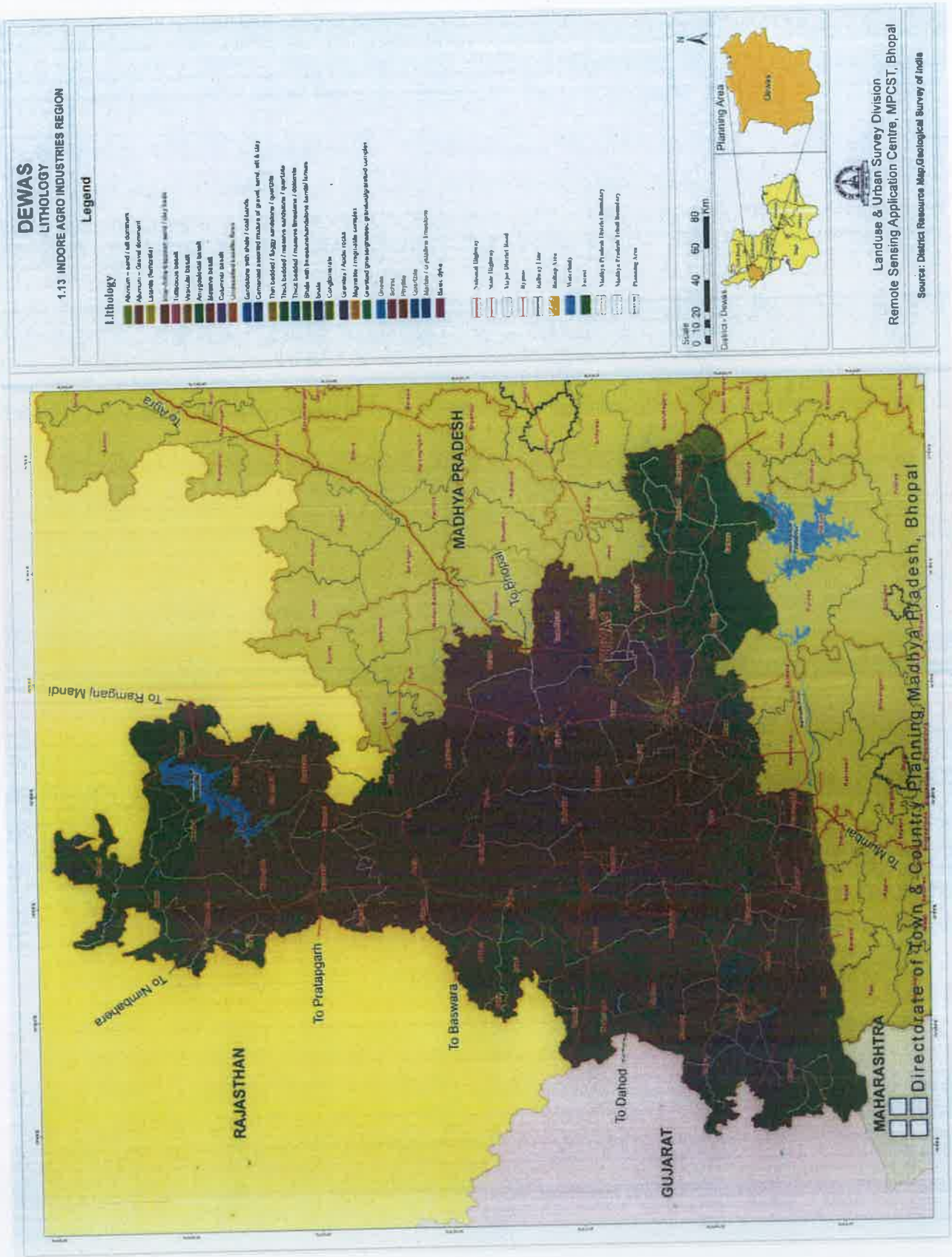
DEWAS
LITHOLOGY
1.13 INDORE AGRO INDUSTRIES REGION
Legend
Lithology
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: District Resource Map,Geological Survey of India
MADHYA PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MAHARASHTRA
To Agra
To Bhopal
To Ramganj Mandi
To Nimbahera
To Pratapgarh
To Baswara
To Dahod
To Mumbai
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

1.5 नियोजन एवं विकास संदर्भ

नगर नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय, नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव के अनुरूप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है, इसके लिये शासकीय, अर्द्धशासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थांओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास योजना में दिये गये भू–उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे की यह नगर औद्योगिक केन्द्र के रूप में अपना प्रमुख स्थान रख सके।

देवास विकास योजना 2031 जो कि, देवास नगर नियोजन हेतु तृतीय प्रयास था। मध्यप्रदेश शासन, नगर एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–212/2012/32,दिनांक 08/06/2018 के द्वारा अंगीकृत की गई थी।

देवास विकास योजना 2031 के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

- अन्य नगरीय गतिविधियों से कम से कम सामंजस्य रखते हुए, औद्योगिक उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना।
- नागरिकों एवं माल के सुरक्षित तथा शीघ्र आवागमन हेतु नगर में सक्षम परिवहन तंत्र की व्यवस्था करना।
- मध्य क्षेत्र की भीड़–भाड़ को कम करने हेतु नगर की प्रमुख धूरियों पर वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास करना।
- वर्तमान अच्छे आवासीय क्षेत्र को अतिक्रमण एवं अवांच्छित भूमि उपयोग से बचाकर संरक्षण प्रदान करना।
- भूमि का समुचित एवं तर्क संगत उपयोग।
- विभिन्न उपयोग तथा गतिविधियों में पारस्परिक संबंध।
- कार्य केन्द्र तथा आवासीय क्षेत्र के मध्य आवागमन के सीधे मार्गो का प्रावधान।
- विभिन्न धार्मिक पुरातत्व का संरक्षण एवं संधारण।
- विकास योजना की कमियां जो कि, सकारात्मक सार्वजनिक सहभागिता के न होने के कारण परिलक्षित हुई।

उपरोक्त उद्देश्य/लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जाकर पुनरीक्षित विकास योजना प्रस्ताव–2041 तैयार किये जा रहे है।

1.6 निवेश क्षेत्र

देवास निवेश क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रं. 530/एफ–1–17/33/74, भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 1974 द्वारा किया गया था, जिसमें नगरीय क्षेत्र के अलावा 18 ग्राम सम्मिलित थे तथा निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9130.0 हेक्टेयर था। नगर के विस्तार, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमाकं एफ–3–42–2021–18–5, दिनांक 06/04/2021 द्वारा निवेश क्षेत्र की 18 ग्रामों की सीमाओं में संशोधन कर देवास निवेश क्षेत्र का पुर्नगठन किया गया है, जिसमें देवास निवेश क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के 18 ग्रामों के साथ आसपास के 32 ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित है। देवास निवेश क्षेत्र की पुर्नरक्षित सीमाएं निम्नानुसार है :–

उत्तर में :– दुर्गापुरा, सिया, राजपुरा, बोरखेडी धाकड़, निपानिया, खजुरिया, भीमसी, सिंगावदा की उत्तरी सीमा तक।

पश्चिम में :– सिंगावदा, मुंगावदा, छायन, चंदाना, आजमपुर सुतारखेड़ा, गदईसा पिपल्या, टुमनी, अलीपुर, सुकल्या क्षिप्रा की पश्चिमी सीमा तक।

दक्षिण में :– सुकल्या क्षिप्रा, सुनवानी महाकाल, नागदा, भानगढ़ की दक्षिणी सीमा तक।

पूर्व में :– भानगढ़, लसुड़िया नजदीक, बालोदा, खेताखेडी, सतबर्डी, खटाम्बा, गदुखेडी, अमरपुरा, दुर्गापुर की पूर्वी सीमा तक।

पुराने निवेश क्षेत्र एवं वर्धित निवेश क्षेत्र के ग्राम निम्न सारणी 1 सा–8 में दर्शाये गये है

सारणी 1–सा–8

पुराने निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 18 ग्राम		वर्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम			
क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम
1	देवास सीनियर	1	नागदा(नपानि)	19	चदांना
2	देवास जूनियर	2	पालनगर (नपानि)	20	छायन
3	बालगढ़	3	अनवटपुरा (नपानि)	21	मुगांवदा
4	शंकरगढ़	4	सिया	22	सिगांवदा
5	बावड़िया	5	दुर्गापुरा	23	भीमसी
6	रसूलपुर	6	अमरपुरा	24	करनाखेडी
7	बिंजाना	7	गदुखेडी	25	खजुरिया
8	अमोना	8	खटाम्बा	26	मुकुदखेड़ी
9	बीराखेडी	9	सतबर्डी	27	निपानिया
10	मेंढकीचक	10	खेताखेडी	28	बोरखेडी धाकड़
11	इटावा	11	बालोदा	29	राजपुरा
12	कालूखेडी	12	सुनवानी महाकाल	30	लसुडिया नजदीक
13	ब्राहम्मणखेड़ी	13	सुकल्या क्षिप्रा	31	भानगढ
14	बिलावली	14	अलीपुर	32	अमलावती
15	नौसेराबाद	15	लोहार पिपल्या		
16	जैतपुरा	16	टुमनी		
17	राजोदा(पंचायत)	17	गदईसापिपल्या		
18	नागूखेडी (पंचायत)	18	आजमपुर सुतारखेड़ा		

क्षेत्रफल :–

देवास निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 23406.12 हेक्टेयर एवं 2011 की जनगणना के अनुसार निवेश क्षेत्र (नगरीय+ग्रामीण) की जनसंख्या 3.33 लाख है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामों के संबंध में क्षेत्रफल का विवरण सारणी क्रमांक 1–सा–9 में दिया गया है।

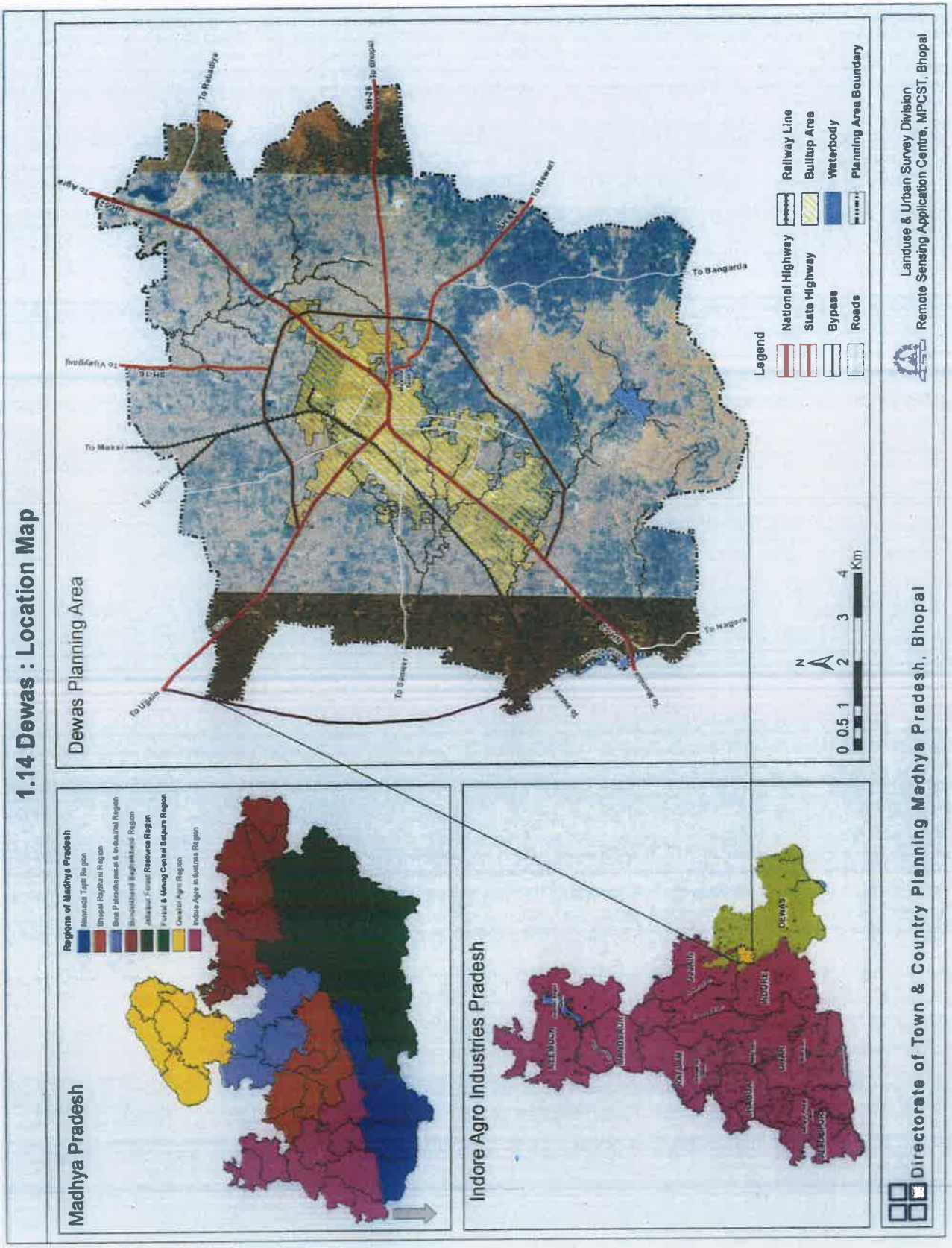
1.14 Dewas : Location Map
Madhya Pradesh
Regions of Madhya Pradesh
Indore Agro Industries Pradesh
Dewas Planning Area
To Agra
To Ratlaidiya
To Bhopal
To Nawari
To Bangarda
To Vijayawal
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Nagora
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
0 0.5 1 2 3 4 Km
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

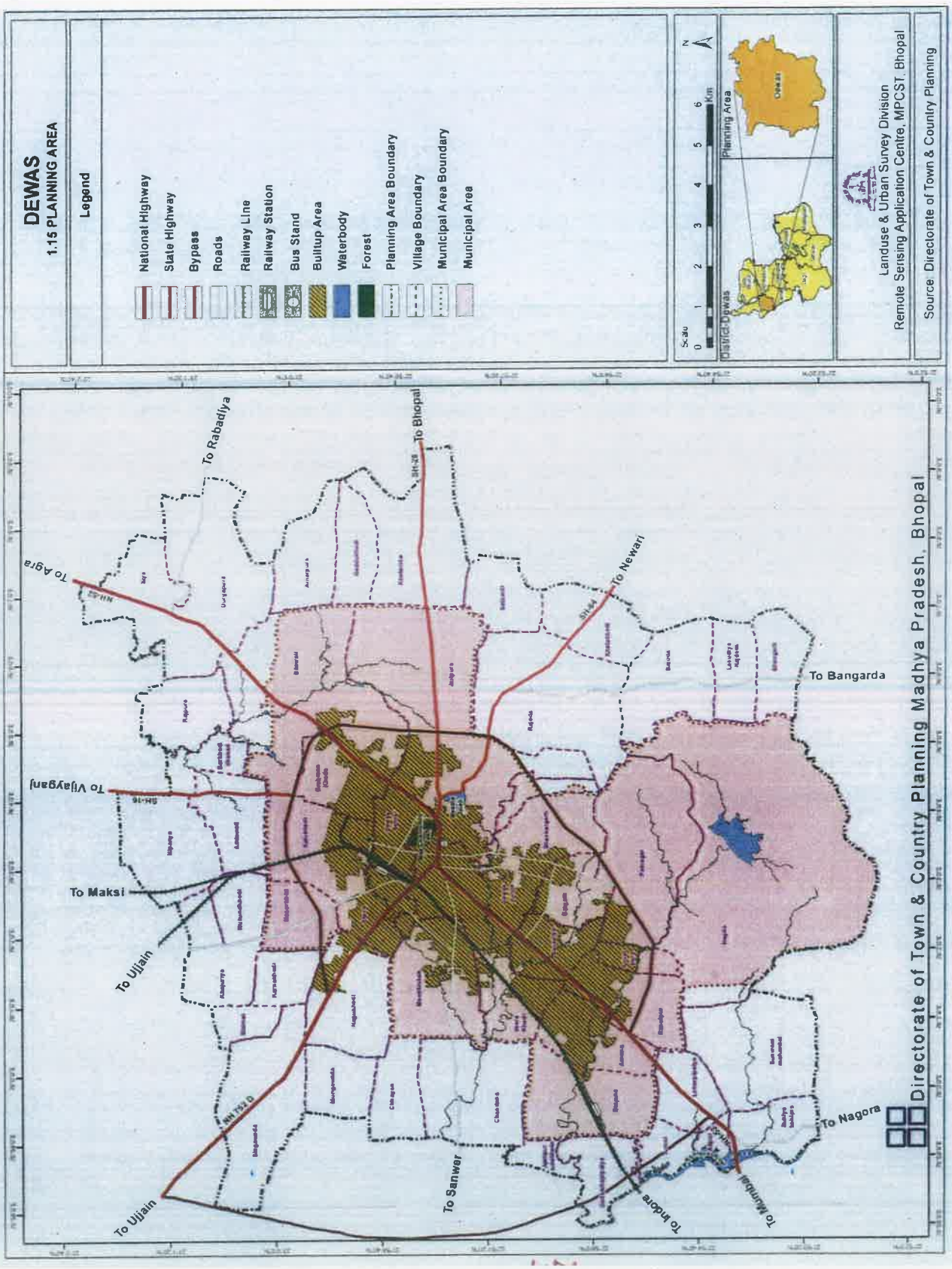
DEWAS
1.15 PLANNING AREA
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Builtup Area
Waterbody
Forest
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Municipal Area
Scale
Km
Planning Area
District Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Serising Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Directorate of Town & Country Planning
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwar
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

देवास विकास योजना (प्रारूप)

निवेश क्षेत्र

सारणी 1–सा–9

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2021 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
	अ–नगरीय क्षेत्र			
1	देवास सीनियर	नगरीय हरित क्षेत्र के अंतर्गत वार्डवार क्षेत्रफल का विवरण सारणी क्रमांक 1–सा–10 में दर्शाया गया है।	वार्डवार जनसंख्या 2011 का विवरण सारणी क्रमांक 1–सा–10 में दर्शाया गया है।	
2	देवास जूनियर			
3	बालगढ़			
4	शंकरगढ़			
5	बावड़िया			
6	रसूलपुर			
7	बिंजाना			
8	अमोना			
9	बीराखेडी			
10	मेंढकीचक			
11	इटावा			
12	कालूखेडी			
13	ब्राहम्मणखेड़ी			
14	बिलावली			
15	नौसेराबाद			
16	जैतपुरा			
17	नागदा(नपानि)			
18	पालनगर (नपानि)			
19	अनवटपुरा (नपानि)			
	कुल	10022	289550	384908
	ब–ग्रामीण क्षेत्र			
20	नागुखेड़ी	486	2425	
21	राजौदा	972	5251	
22	सिया	592	6233	
23	दुर्गापुरा	729	517	
24	अमरपुरा	337	1585	
25	गदुखेडी	250	470	
26	खटाम्बा	731	2585	
27	सतबर्डी	270	198	
28	खेताखेडी	369	516	

देवास विकास योजना (प्रारूप)

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2021 (अनुमानित)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
29	बलोदा	492	1488	
30	सुनवानी महाकाल	720	2359	
31	सुकल्या क्षिप्रा	270	5103	
32	अलीपुर	76	439	
33	लोहार पिपल्या	254	1755	
34	टुमनी	156	393	
35	गदईसापिपल्या	281	1348	
36	आजमपुर सुतारखेड़ा	103	43	
37	चंदाना	624	1556	
38	छायन	275	459	
39	मुंगावदा	261	546	
40	सिंगावदा	740	2919	
41	भीमसी	125	380	
42	करनाखेडी	192	770	
43	खजुरिया	345	757	
44	मुकुंदखेडी	197	520	
45	निपानिया	516	764	
46	बोरखेडी धाकड़	167	330	
47	राजपुरा	316	432	
48	लसुडिया नजदीक	254	450	
49	भानगढ़	298	829	
50	अमलावती	338	822	
	कुल	**11736**	**44242**	**48447**
नगरीय एवं ग्रामीण (अ+ब)		**21758**	**333792**	433355

स्त्रोत :– भारत की जनगणना वर्ष 2011

टीप :– इस प्रकार निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 21758.0 हेक्टेयर है चूंकि देवास विकास योजना 2041 जी.आई.एस. तकनीक अनुसार तैयार की जा रही है। जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 23406.12 होता है। अतः निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 23406.12 हेक्टेयर मान्य करते हुए आगामी अध्यायों में यथावत गणनाएँ इसके आधार पर की गई है।

1.6.1 नगर निगम क्षेत्र

वर्तमान नगर पालिक निगम सीमा मध्यप्रदेश शासन के स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रं. 327–अठारह–दो–83, दिनांक 01/04/1983 द्वारा अधिसूचित है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10022.00 हेक्टयर है, जो कि 45 वार्डो में विभक्त है।

नगर निगम क्षेत्र

सारणी 1–सा–10

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
1	**2**	**3**	**4**
1	बिलावली वार्ड	5556	8.31
2	जेतपुरा वार्ड	11605	9.7
3	बी.एन.पी. वार्ड	3673	0.53
4	कालूखेड़ी वार्ड	6299	6.39
5	नौसेराबाद वार्ड	5798	1.44
6	इटावा वार्ड	8989	0.84
7	विजय नगर वार्ड	14693	1.31
8	मेंढकी वार्ड	6132	3.16
9	वीराखेड़ी वार्ड	8548	5.73
10	अमोना वार्ड	7860	0.57
11	संजय नगर वार्ड	5372	5.81
12	रसूलपुर वार्ड	12378	3.23
13	बावडिया वार्ड	7440	1.78
14	जवाहर वार्ड	5297	0.29
15	कलानीबाग वार्ड	6435	0.46
16	चामुण्डा कालोनी वार्ड	8854	0.89
17	मोती बंगला वार्ड	11400	0.4
18	अ.स.पटवर्धन वार्ड	5104	0.25
19	नई आबादी वार्ड	11320	0.35
20	गुरूनाानक वार्ड	5362	0.1
21	कर्मचारी कालोनी वार्ड	5677	0.17
22	मोतीलाल नेहरू वार्ड	6286	0.4
23	शिवाजी वार्ड	4293	0.74
24	आदर्श नगर वार्ड	4392	0.18
25	राधागंज वार्ड	4666	0.75
26	महात्मागांधी वार्ड	5478	0.28
27	लक्ष्मीबाई वार्ड	4874	3.79
28	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	3955	0.17

29	भवानी सागर वार्ड	8822	0.04
30	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	4700	0.07
31	जीवाजी वार्ड	5101	0.08
32	बजरंगपुरा वार्ड	5688	0.08
33	सरदार पटेल वार्ड	4289	0.03
34	सुभाष वार्ड	3852	0.02
35	तुकोगंज वार्ड	3003	0.1
36	मोहसीनपुरा वार्ड	3937	0.1
37	रेदास वार्ड	5556	0.4
38	रज्जब अली वार्ड	7187	2.58
39	भेरूगढ़ वार्ड	4250	0.16
40	खारी बावड़ी वार्ड	5911	0.28
41	शांतिपुरा वार्ड	6263	0.22
42	शंकरगढ वार्ड	8275	3.12
43	बालगढ़ वार्ड	4990	1.33
44	पालनगर वार्ड	5002	11.36
45	नागदा वार्ड	4988	22.23
योग		**289550**	**100.22 वर्ग कि.मी.**

स्त्रोत : भारत की जनगणना वर्ष 2011

1.7 धार्मिक स्थल (तीर्थ स्थल)

1.7.1 चामुण्डा माता की टेकरी

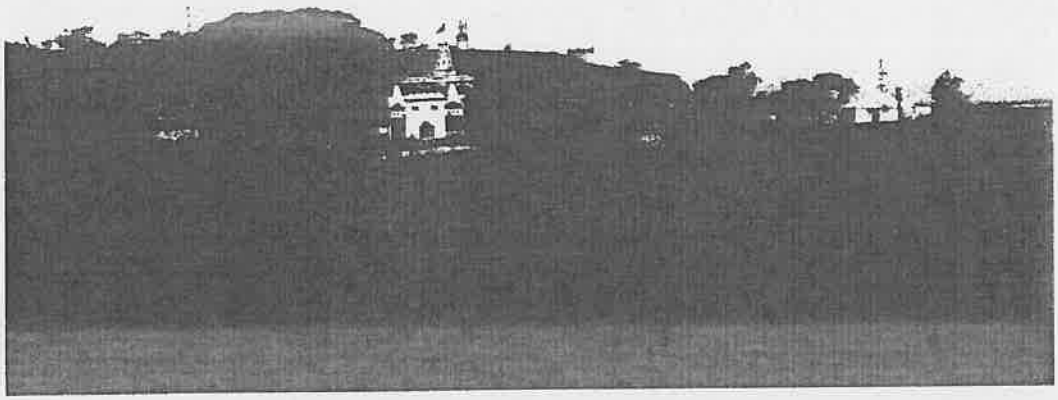

देवास नगर मे चामुण्डां टेकरी पर चामुण्डा माता एवं तुलजा भवानी माता के प्रसिद्ध मंदिर है। दोनों मंदिरों में शैलोतकिर्ण देवी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। बताया जाता है कि इन स्वरूपों का शिल्पांकन किया गया है। ये प्रतिमाएं भारत की उन्हीं प्रतिमाओं में से हैं, जिनका शिल्पांकन कल्पना के सहारे किया गया है। इन्हे राष्ट्रकुटकालीन प्रतिमा भी कहा जाता है। टेकरी की ऊँचाई लगभग 300 फीट है। नवरात्री के समय भारी संख्या में दूर–दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है।

देवास की माता टेकरी का पवित्र स्थान यहां के पूरे वातावरण को धर्ममय बनाता है। ऐसे विशिष्ट स्थान की महिमा के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में बनी रहती है। माँ चामुण्डा और तुलजा देवी तथा माता टेकरी के सम्बंध में जानना हर किसी के लिए दिलचस्प है, और उमंग से भर देता है।

मां चामुण्डा टेकरी का विकास समस्त श्रध्दालुओं की आस्था एवं विश्वास की नींव पर केन्द्रीत है। देवास की माता टेकरी हर व्यक्ति को सुख और आनंद प्रदान करने वाला स्थल है। इस शहर की गरिमा माता टेकरी के कारण अगणित रूप से बढ़ी है। देवास के हृदय स्थल में बसी माताओं के प्रति हर कोई श्रध्दा और आस्था से आपूरित है तथा इस स्थान के बारे में अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा रखता है। इस स्थान का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। दुसरी तरफ इसकी गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुये निरंतर यहां विकास और सौंदर्यीकरण कार्य किये जा रहे है, जिन्होंने दर्शनार्थीयों की सुविधाए बढ़ानें के साथ उन्हें आकर्षित भी किया है।

माता टेकरी के ईर्द–गिर्द सुंदरता को बढ़ानें वाले कई प्राकृतिक उपादान मौजूद हैं। बारिश के दिनों में इनके कारण माता टेकरी की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यहा टेकरी की ऊँचाई से अभ्रक की चट्टानों पर गिरता बारिश का पानी सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में टेकरी पर पौधारोपण के चलते अच्छी हरियाली भी हो गई है। इसके साथ ही अतीत से बहते हुए झरनों और कुण्डों के कारण दर्शकों का मन मोहित हो जाता है।

मां चामुण्डा टेकरी मंदिर म.प्र. में सुंदर तिर्थ स्थल है। वर्तमान में मां चामुण्डा टेकरी की व्यवस्थाओं का संचालन म.प्र. शासन धर्मस्व विभाग द्वारा गठित मां चामुण्डा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार, मंदिर प्रबंध समिति एवं देवास नगर निगम के तहत कई योजनाएं धरातल पर लाई जा रही है। जिस कारण से आगामी दिनों में समस्त श्रध्दांलुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधांए मिलेंगी।

1.8 अन्य धार्मिक स्थल :–

1.8.1 नागदा का प्राचीन सिध्दी विनायक गणेश मंदिर

नागदा बहुत पुरानी बस्ती है। कई मामलों में इसकी प्राचीनता प्रमाणित हो चुकी है। यहा का शिव मंदिर और गणेश मंदिर बहुत प्राचीन है। गणेश मंदिर को सिध्दी विनायक गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश मंदिर से कुछ ही दुरी पर शिव मंदिर है, मंदिर में गणेश प्रतिमा तथा शिवलिंग है।

1.8.2 नागदा का निलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर

नगदा के प्राचीन मंदिरों में नीलकण्ठेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रमुख है। नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर नागदा ग्राम से 1 कि.मी. की दुरी पर स्थित है। मूल मंदिर परमार काल में बनवाया गया था। जिसका जिर्णोध्दार 1965 ई. में ग्राम वासियों के द्वारा क़िया गया था। वर्तमान मंदिर पूर्णतया आधुनिक दिखाई देता है। भू–विन्यास में मंदिर में केवल गर्भगृह है, जिसके उपर शंकु के आकार का शिखर है। गर्भगृह में योनि पट्ट पर काले पाषाण का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पूर्वी दिवाल पर पार्वती की एक समपाद में खड़ी हुई प्रतिमा लगी है। यह मंदिर संभवतः परमार काल का मंदिर है तथा मराठा काल में इसका जिर्णोध्दार किया गया है।

1.8.3 महाकालेश्वर महादेव मंदिर

देवास के प्राचीनतम मंदिरों में बिलावली के महाकालेश्वर मंदिर का नाम आता है। जो अवंतिका की पुरातनता से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का उज्जैन और वहां के महाकालेश्वर मंदिर से पुराना नाता रहा है।ग्राम बिलावली के महाकाल मंदिर की प्राचीनता के संबंध में पुरातत्वीक साक्ष्य मिलतें है। यह मंदिर जनता की आस्था का केन्द्र है, जो बिलावली के समिप छोटीं कालीसिंध नदि के किनारे बना हुआ है। प्रांगण में अन्य मंदिर व प्रतिमाएं भी स्थीत है, ग्राम बिलावली देवास बस स्टेण्ड से लगभग 3.0 किमी. उत्तर पूर्व दिशा में आगरा–बम्बई राजपथ पर अवस्थित है।

1.8.4 भोलेनाथ मंदिर एवं मनकामेश्वर मंदिर

बालगढ़ रोड़ पर स्थित भोलेनाथ मंदिर करीब तीन सौ साल पुराना बताया जाता है। यहा संतों द्वारा पुजा और साधना की जाती रही है। यह मंदिर के साथ ही एक आश्रम भी रहा है। जहां दो धुने प्रज्वलित रहती है। इसमें तप और साधना का क्रम निरंतर चलता रहता है। यहां गौशाला भी है, जहां गायों की सेवा की जाती है।

1.9 दर्शनीय स्थल

1.9.1 खिवनी अभ्यारण्य

सन् 1955 में स्थापित खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास नगर से लगभग 100 कि.मी. की दुरी पर स्थित है। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव है, जिसके लिए पर्यटको का आवागमन देवास नगर के माध्यम से होता है।

1.9.2 पंवार छत्री

मराठा वास्तुविद कला से निर्मित यह छत्रियां, मीठा तालाब के समीप स्थित है। पंवार साम्राज्य द्वारा निर्मित यह छत्रियां वास्तुकला का उदहारण है जो कि यहॉ के पर्यटको को आकर्षित करता है।

1.9.3 शंकरगढ़ पहाड़ी

पूर्व में शंकरगढ़ पहाड़ी पर खनन संबंधी गतिविधियॉ प्रचलित थी, जिस पर रोक लगा कर शहर में एक नवीन पर्यटक एवं रोमांच के स्थल के रूप में स्थापित किये जाने के प्रयास जिला प्रशासन एवं नगर निगम देवास द्वारा किये जा रहे है।

1.10 अन्य पर्यटक स्थल

1.10.1 मीठा तालाब

देवास नगर के ग्राम देवास सिनियर में मीठा तालाब रोड़ पर सर्किट हाउस के सामने मीठा तालाब स्थित है।.तालाब के किनारे नगर पालिक निगम देवास द्वारा उद्यान का विकास पिकनिक स्थल के रूप में किया गया है।

1.10.2 गिदीया खो

गिदीया खो झरना देवास से लगभग 50.00 किलोमीटर की दूरी पर इन्दौर–नेमावर रोड़ पर स्थित है। यहां पुर्णिमा पर खुदेल देवता की मुर्तियों के दर्शन हेतु आसपास निवासरत जनजाति के श्रद्धालु एकत्रित होते है।

1.10.3 कावड़िया पहाड़ी

देवास जिले के बागली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कावड़िया पहाड़ी स्थित है जहां लाखों कि संख्या में खम्बेनुमा आकृति के पत्थर मौजुद है।

1.11 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

देवास के पूर्ववर्ती राजाओं के कार्यकाल में यहां पर कलाओं का बहुत विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्तर के बहुत से संगीतज्ञ देवास में थे और उनमें से कुछ को आज भी यह प्रतिष्ठा प्राप्त है।

नगर में स्थित जूनियर एवं सीनियर राजवाड़ा, विभिन्न गेट, मल्हार स्मृति मंदिर (टाउन हाल) पुरानी वास्तुकला को दर्शाते है। विभिन्न धार्मिक आयोजनों के समय जन सामान्य का एकत्रित होना नगर की एक सांस्कृतिक विरासत है। नगर में होने वाले मुख्य आयोजनों का विवरण निम्नानुसार है :–

1.11.1 चामुण्डा देवी मेला :–

नगर में चामुण्डा पहाड़ी पर स्थित चामुण्डा देवी का मंदिर पूरे क्षेत्र को धार्मिक महत्व प्रदान करता है। पहाड़ी पर स्थित मंदिरों में चामुण्डा देवी एवं बड़ी माता की मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई है। मंदिर में सड़क, सीढ़ियों एवं रोप–वे द्वारा पहुंच उपलब्ध है। यहाँ पर वर्षभर नगर एवं आसपास के क्षेत्र से भक्तगण दर्शन हेतु आते रहते है, परन्तु यहां पर अश्विनी मास के मेले का एवं अष्टमी का विशेष महत्व है। सम्पूर्ण नवरात्री में लगभग 15.0 लाख दर्शनार्थी देवी दर्शन के लिए आते है। इनमें से कई लोग इन्दौर एवं आसपाास के क्षेत्र से पैदल भी दर्शनलाभ के लिए आते है।

1.11.2 शिवरात्री मेला :–

नगर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 पर ग्राम बिलावली में शिव मंदिर स्थित है। यह नगर का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दिन नगर में रहने वाले एवं आसपास के ग्रामवासी दर्शन लाभ लेकर मेले का आनंद उठाते है। हरियाली एवं प्राकृतिक सुन्दरता को कायम रखते हुए, इन क्षेत्रों का यथोचित भू–दृश्यीकरण एवं वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भविष्य की जनसंख्या

हेतु प्रस्तावों का निर्धारण अध्याय–6 में दिये गये नियमन के अनुसार होगा, हालांकि निवेश इकाई केन्द्रों में इस उपयोग हेतु उचित स्थान का प्रावधान है।

1.12 टूरिस्ट सर्किट्स

देवास के आसपास कई धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल स्थित है जिसमें की इस क्षेत्र को टूरिस्ट सर्किट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है। देवास से विभिन्न धार्मिक/पर्यटन केन्द्रों की दूरी निम्न आकृति में दर्शायी गयी है:–

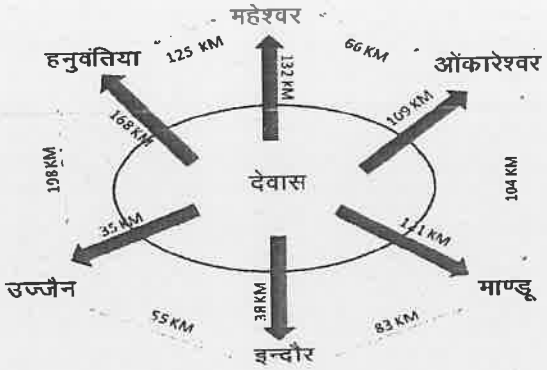

विभिन्न धार्मिक/पर्यटन स्थलों पर दर्शनीय स्थल निम्नानुसार है:–

- **इन्दौर** :– लाल बाग पैलेस, सेन्ट्रल म्युजियम, खजराना गणेश मन्दिर, रालामंडल अभ्यारण, पातालपानी वॉटरफॉल, तिन्छा वॉटर फॉल।
- **उज्जैन** :– महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल लोकचौरासी महादेव, श्री बडा गणेश मंदिर, वैद्यशाला, सांदिपनी आश्रम अंकपात, गोपाल मंदिर, शिप्रा घाट एवं अन्य धार्मिक स्थल।
- **हनुवंतिया** :– इंदिरा सागर डेम बैक वॉटर।
- **महेश्वर** :– होलकर फोर्ट, राजवाडा, जलेश्वर मंदिर, नर्मदा घाट, अहिल्येश्वर मंदिर।
- **माण्डू** :– जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, बाजबहादुर महल, नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर, रेवा कुण्ड, होशंगशाह का मकबरा।

अध्याय–2
विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

विकास योजना के नियोजन में प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास योजना 2041 की नियोजन प्रणाली हेतु परिकल्पना विनिश्चय करने हेतु पूर्व में प्रचलित विकास योजना 2011, विकास योजना 2031 एवं वर्तमान में प्रचलित नियोजन सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई अन्य शहरों की विकास योजनाओं की नियोजन प्रणाली का अध्ययन कर विकास योजना 2041 हेतु नियोजन प्रस्ताव कर परिकल्पना निर्धारित की गई है। विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु नियोजन सिद्धांतों के साथ–साथ नियोजन हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप भौगोलिक सूचना प्रणाली/जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम (जी. आई.एस.तकनीक) एवं सुदूर संवेदन प्रणाली/रिमोट सेंसींग का भी उपयोग किया गया है। विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने हेतु इन्हें उप–समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है :–

1. जोनिंग और विकास
2. यातायात संरचना
3. भौतिक अधोसंरचना
4. सामाजिक अधोसंरचना
5. आर्थिक विकास
6. पुरातत्विक एवं धार्मिक
7. पर्यावरण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं।

नगर विकास एक सतत् गतिविधि है, जिसे नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप नियोजन की सतत् प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाब को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए शासकीय, अर्धशासकीय सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास योजना में दिये गये भू–उपयोग के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ–साथ अन्य आवश्यक गतिविधियाँ जैसे–आवासीय, आमोद–प्रमोद, व्यवसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक एवं अर्ध्दसार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

भारत सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा**"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT)**योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल–आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना को सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग)एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड(Design & Standards)दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उप–योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:–

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.–II (World View-II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत 1:4000 के पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने में किया गया है। अमृत योजना मे उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 2–सा–1 में दर्शाये गये हैं।

1. LISS-III, 2006

2. CARTOSAT, 2009

3. LISS-III, 2012

4. WORLDVIEW-II, 2016

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

DEWAS

2.1 SATELLITE IMAGES

Legend

Temporal Data Specification

	Name of Satellite	Satellite Sensor	Resolution (in m)	Year of Image Acquisition
1	RESOURCESAT - 2	LISS-III	23.5*23.5	2006
2	CARTOSAT	PAN	2.5*2.5	2009
3	RESOURCESAT - 2	LISS-III	23.5*23.5	2012
4	WORLD VIEW - II	PAN+MSS	0.5*0.5	2016

Scale
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Km

N

Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: MPCST & NRSC

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2–सा–1

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: 0.6<B/H< 0.8
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्त्रोतः– एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेस एवं सब–क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 2–सा–2 में दर्शाई गई है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस

सारणी 2–सा–2

S.No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very High Resolution Satellite Data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very High Resolution Satellite Data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution. Satellite Data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्त्रोतः–एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

2.2.1 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

विकास योजना 2041 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है– संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थाई एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट, जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थाई एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो।

एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है :–

- **धरातल विशेषताएँ–**

भौगोलिक स्थिति यथा कंटूर, सामान्य अथवा अत्यधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण–**

नगरीय विस्तार कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू–दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय,वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद, यातायात एवं रिक्त क्षेत्र जो भावी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ–**

आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ –**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ–**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पदचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ–**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएं–**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएं।

- **सार्वजनिक सुविधाएं–**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्यिक क्षेत्र।

उपरोक्तानुसार जो जानकारी एकत्रित की गई है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्डव्यू–II (World View-II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.2 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना–**

वर्ल्डव्यू–II (World View-II)उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी– ।। को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्ध्दसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **देवास नगर की बसाहट विस्तार मानचित्र तैयार करना–**

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना।

1. संपूर्ण देवास नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
2. नैसर्गिक आपदाओं का जैसे भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
3. जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।

- **जनगणना के आँकड़ें –**
  अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु भारत की जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.3 कार्यप्रणाली

अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

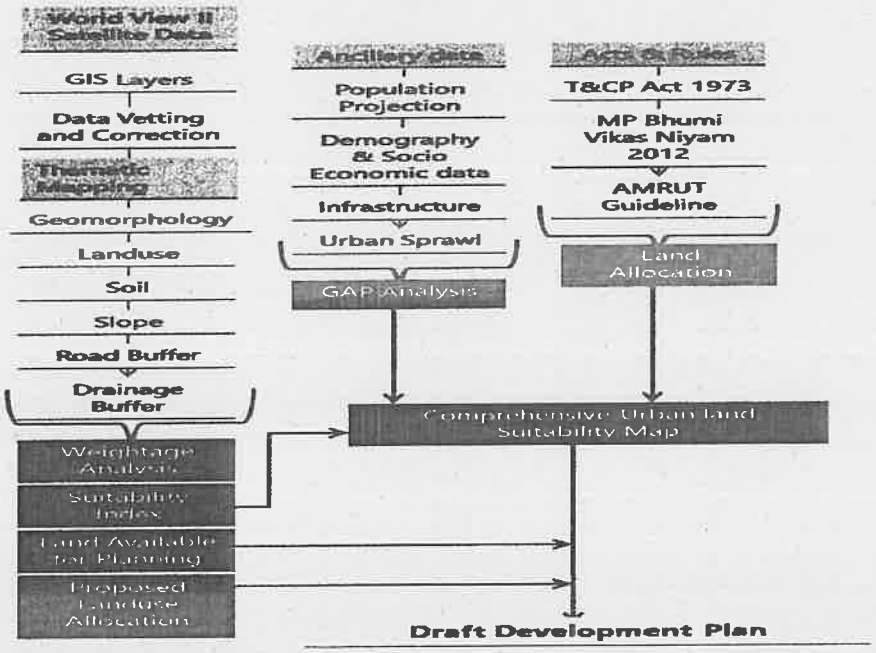

2.3 पुनर्विलोकन हेतु अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार नगर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं, इन आंकड़ो में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि के साथ–साथ जल प्रदाय, जल–मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं जिसकी कार्यप्रणाली आकृति में स्पष्ट किया गया है।

2.3.2 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 2–सा–3 में दर्शाया गया है।

Geo-Spatial Data Content

सारणी 2–सा–3

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road

Bridges/Flyovers : Geo-Spatial Data Content

सारणी 2–सा–4

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across river

2.3.3 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. हैदराबाद) से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकरदेवास नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण किया गया है। भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2–सा–5 में दर्शायी गई है।

देवास विकास योजना (प्रारूप)

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो–स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–5

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
			Anganwari
	10-05		College
			Polytechnic
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/Dispensary
7	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8	13-01	State Govt. Property	Office
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-09		Guest House/Rest House
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-02		Mosque
	16-03		Idgah
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala

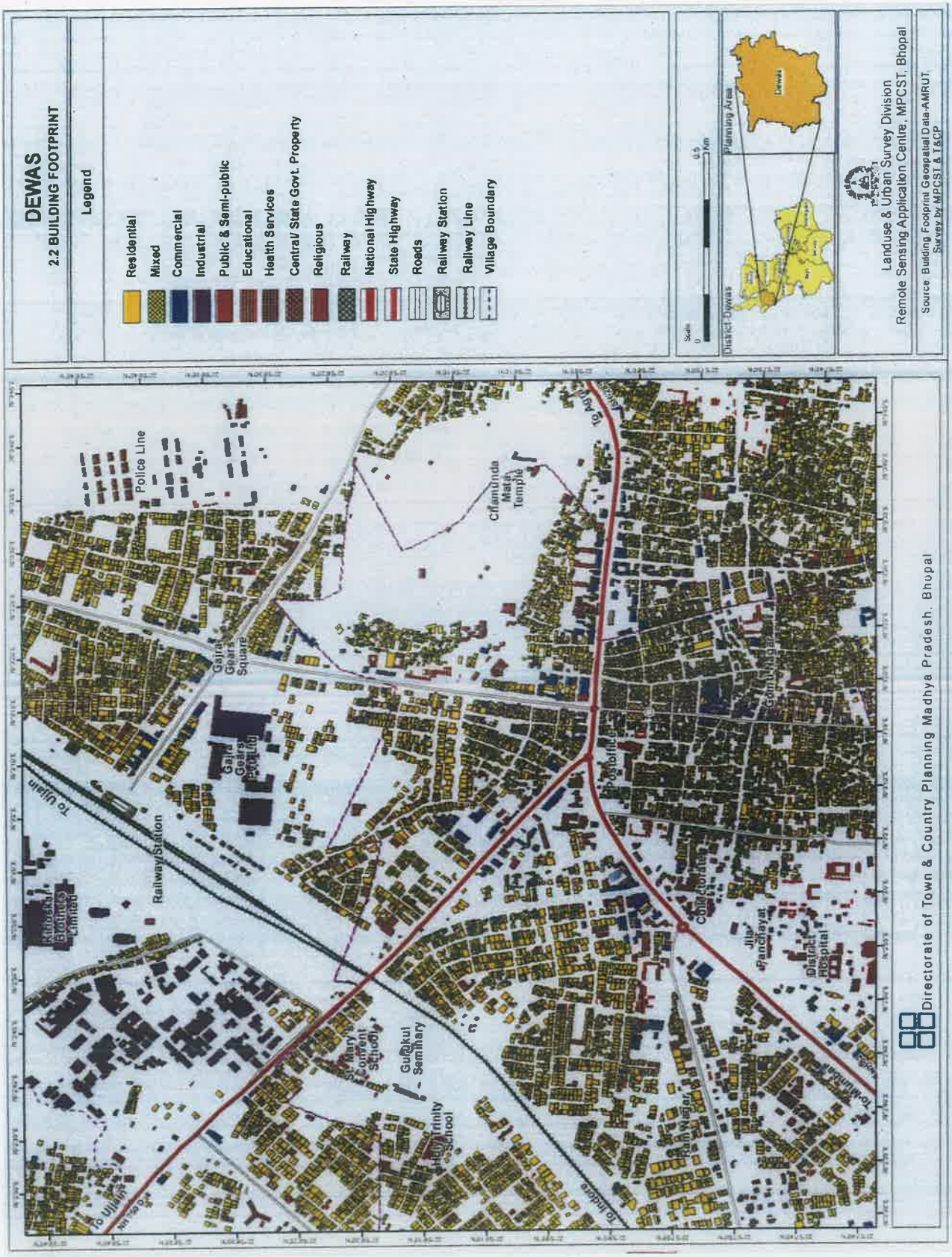
DEWAS
2.2 BUILDING FOOTPRINT
Legend
Residential
Mixed
Commercial
Industrial
Public & Semi-public
Educational
Health Services
Central/ State Govt. Property
Religious
Railway
National Highway
State Highway
Roads
Railway Station
Railway Line
Village Boundary
Scale
0
0.5
Km
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Building Footprint Geospatial Data-AMRUT, Survey by MPCST & T&CP
Police Line
Chamunda Mata Temple
Gajra Gears Square
Gajra Gears Pvt. Ltd.
Railway Station
To Ujjain
Postoffice
Collectorate
Jila Panchayat
District Hospital
St. Mary's Convent School
Gurukul Seminary
Holy Trinity School
To Indore
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

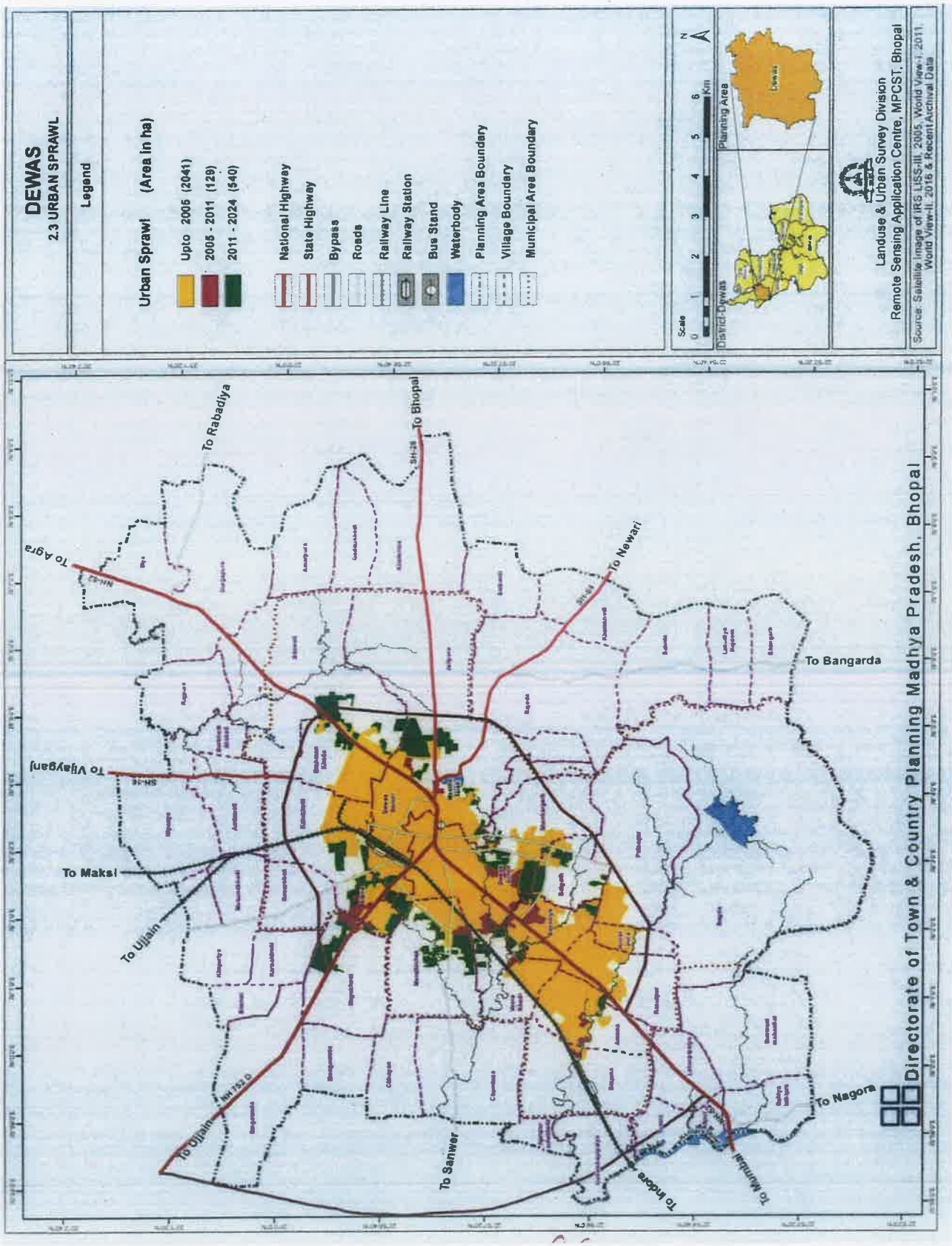
DEWAS
2.3 URBAN SPRAWL
Legend
Urban Sprawl (Area in ha)
Upto 2005 (2041)
2005 - 2011 (129)
2011 - 2024 (540)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Satellite Image of IRS LISS-III, 2005, World View-I, 2011, World View-II, 2016 & Recent Archival Data
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala

2.3.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 Derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रीड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

ढलान का प्रतिशत= (ऊँचाई में अंतर/दूरी में अंतर)X100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2–सा–6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–6

S.No.	CLASS	Area (Ha)	%
1	Nearly Level	6732.94	28.77
2	Very Gently Sloping	11306.83	48.31
3	Gently Sloping	2425.10	10.36
4	Moderately Sloping	1522.14	6.50
5	Strongly Sloping	365.09	1.56
6	Moderately to Steep Slope	1054.02	4.50
	Grand Total	**23406.12**	**100**

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land use Survey of India(SLUSI)जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव, मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं। मृदा विश्लेषण सारणी 2–सा–7 में दर्शित है।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2–सा–7

S.No.	SOIL TEXTURE	Area (Ha)	%
1	LoamySkeletal	1199.21	5.12
2	Loamy	319.98	1.37
3	FineLoamy	101.36	0.43
4	Fine	15787.53	67.45
5	Clayey	5633.30	24.07
6	Water bodies	364.75	1.56
Grand Total		**23406.12**	**100.00**

2.3.6 बाढ़ आपदा

जिला आपदा प्रबंधन योजना तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुये बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। यद्यपि निवेश क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित नही होती है, किंतु अधिक बारिश से कुछ निचले स्थानों पर जल भराव होता है।

2.3.7 जलाशय

वर्ल्ड व्यू–II (World View-II)उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर निवेश क्षेत्र मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2–सा–8 में दर्शायी गई है।

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–8

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	**2**	**3**	**4**
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Pond
	05-06		Lake
	05-08		Island (River/Lake)
	05-09		Reservoir

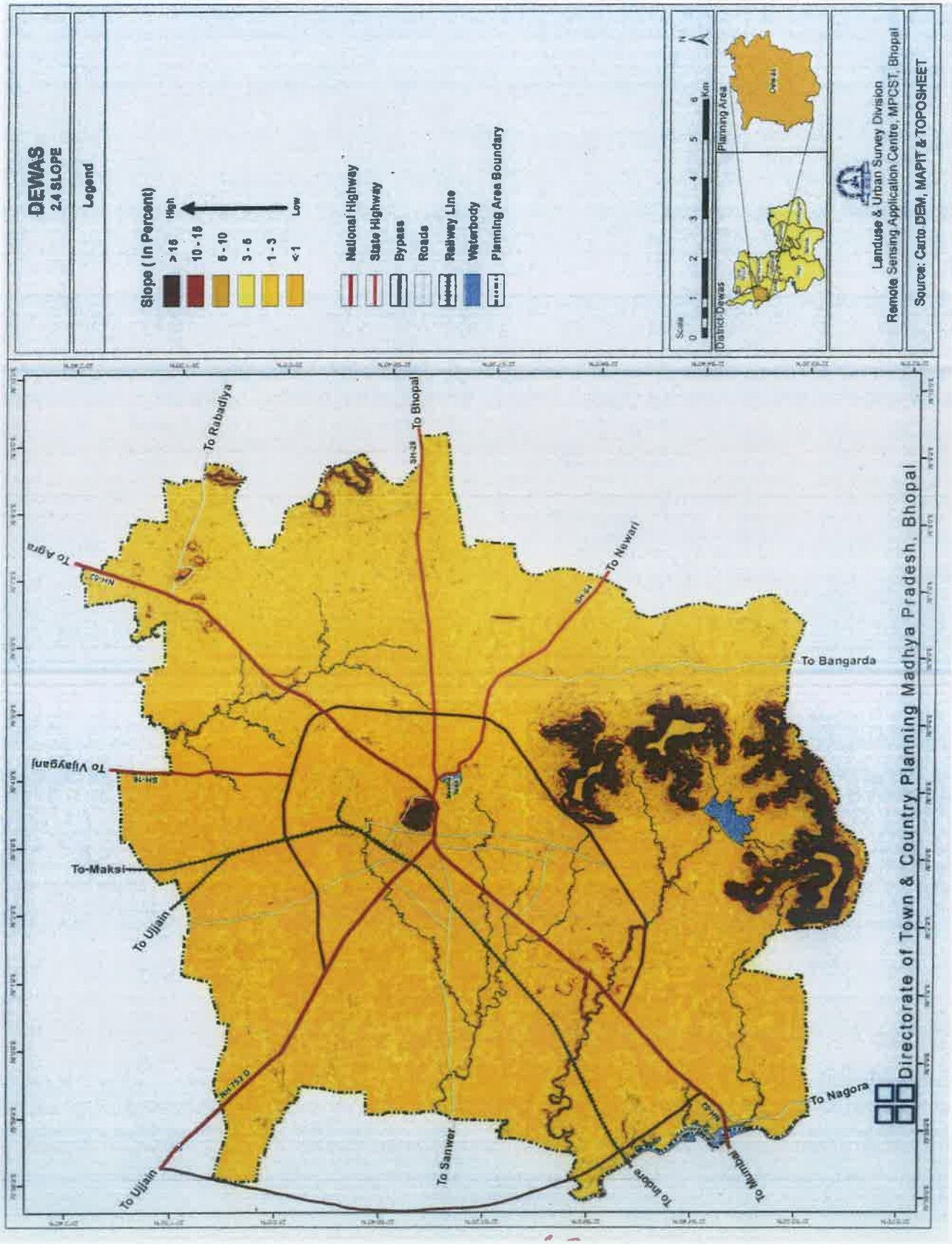
DEWAS
2.4 SLOPE
Legend
Slope (In Percent)
High
Low
>15
10 - 15
6 - 10
3 - 5
1 - 3
<1
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT & TOPOSHEET
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To-Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

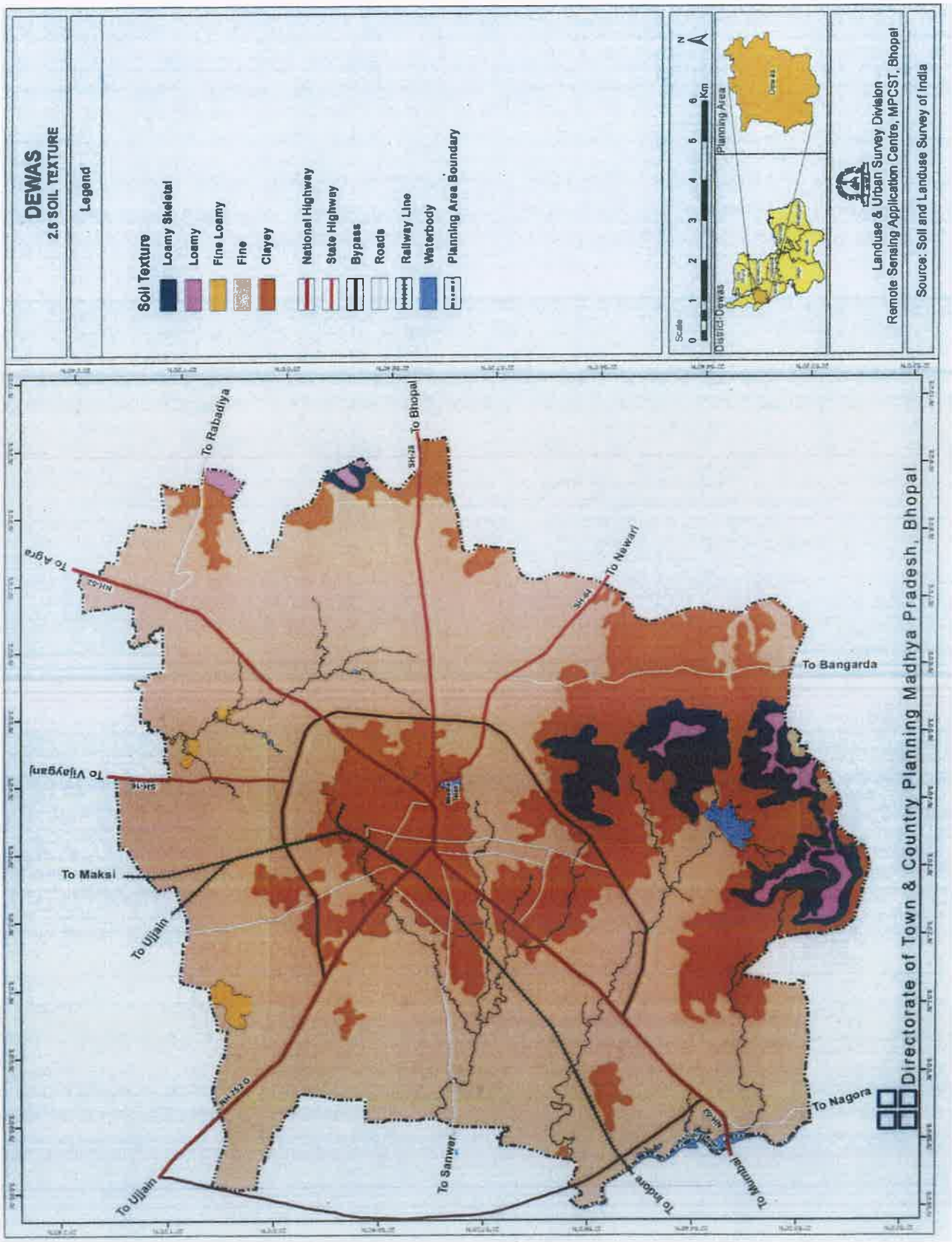
DEWAS
2.6 SOIL TEXTURE
Legend
Soil Texture
Loamy Skeletal
Loamy
Fine Loamy
Fine
Clayey
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Soil and Landuse Survey of India
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain

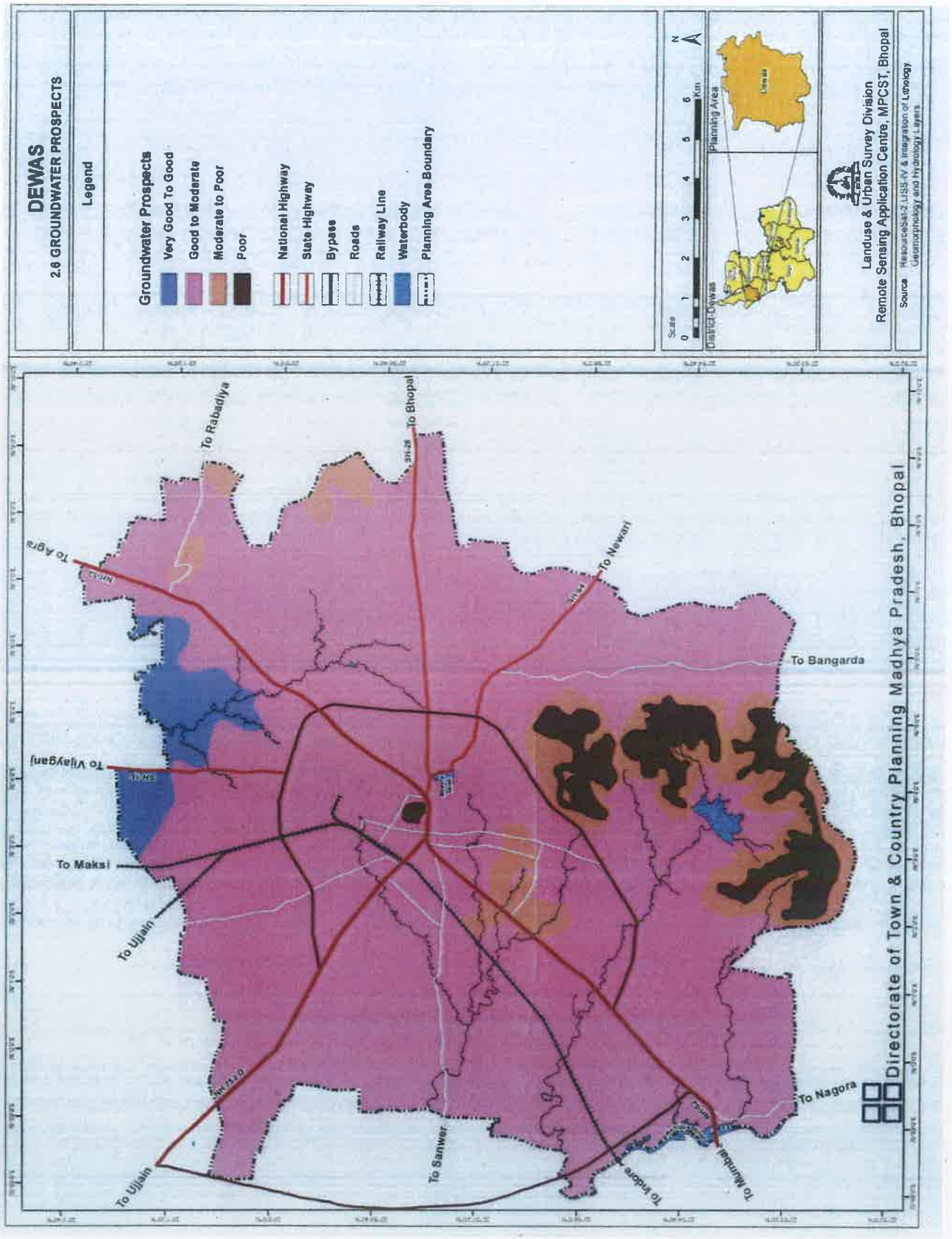
DEWAS
2.6 GROUNDWATER PROSPECTS
Legend
Groundwater Prospects
Very Good To Good
Good to Moderate
Moderate to Poor
Poor
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source ResourceSat-2 LISS-IV & Integration of Lanology Geomorphology and Hydrology Layers
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

2.3.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डियाएवं राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत देवास भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है।

2.3.9 ग्राम/वार्ड सीमा

भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू–अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिनका उपयोग कर निम्नानुसार मानचित्र तैयार किये गये :–

- भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई।
- नगर पालिक निगम से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिक निगम सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया।
- अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्रों का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए एवं उनका ग्राम मानचित्रों से सम्बद्ध किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–9 में दर्शायी गई है।

Administrative, Planning and Municipal Boundaries

सारणी 2–सा–9

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

2.3.10 भू–आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

देवास निवेश क्षेत्र को भू–आकृति की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2–सा–10 में दर्शायी गयी है।

भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–10

S.No.	GEOMORPHOLOGY	Area (Ha)	%
1	Pediment	1620.56	6.92
2	Pediplain	19970.02	85.32
3	Scarp	94.06	0.40
4	Butte	25.60	0.11
5	Plateau Remnant	1331.13	5.69
6	Water bodies	364.75	1.56
Grand Total		**23406.12**	**100.00**

2.3.11 जल स्त्रोत बफर

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य नालों एवं तालाबों का कुल क्षेत्रफल 21799.58 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर 30.00 मीटर एवं नालों से 9.00 मीटर की दूरी तक निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित किया गया है, जिससे तालाबों एवं नालों का मूल स्वरूप यथावत रहे। मुख्य जल स्त्रोतों से लगकर भू–जल संभावित क्षेत्र संबंधी जल स्त्रोत बफर की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 2–सा–11 में दर्शायी गयी है।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–11

S.No.	WATER BODIES BUFFER (Meters)	Area (Ha)
1	15	312.36
2	30	296.02
3	45	285.62
4	60	277.27
5	>60 m	21799.58

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.12 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 2–सा–12 में दर्शायी गई है।

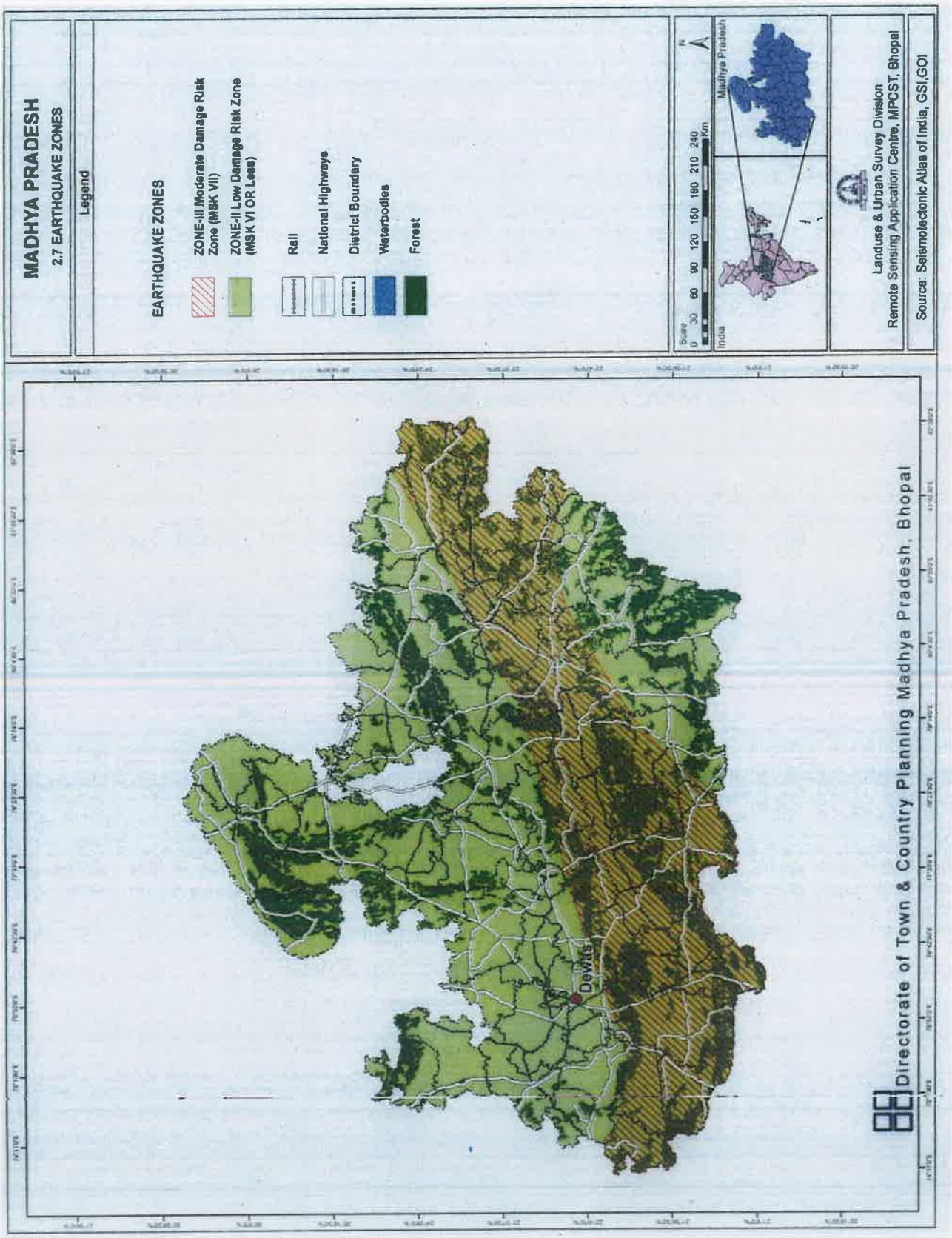
MADHYA PRADESH
2.7 EARTHQUAKE ZONES
Legend
EARTHQUAKE ZONES
ZONE-III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII)
ZONE-II Low Damage Risk Zone (MSK VI OR Less)
Rail
National Highways
District Boundary
Waterbodies
Forest
Scale
0 30 60 90 120 150 180 210 240 Km
India
Madhya Pradesh
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Seismotectonic Atlas of India, GSI,GOI
Dewas
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

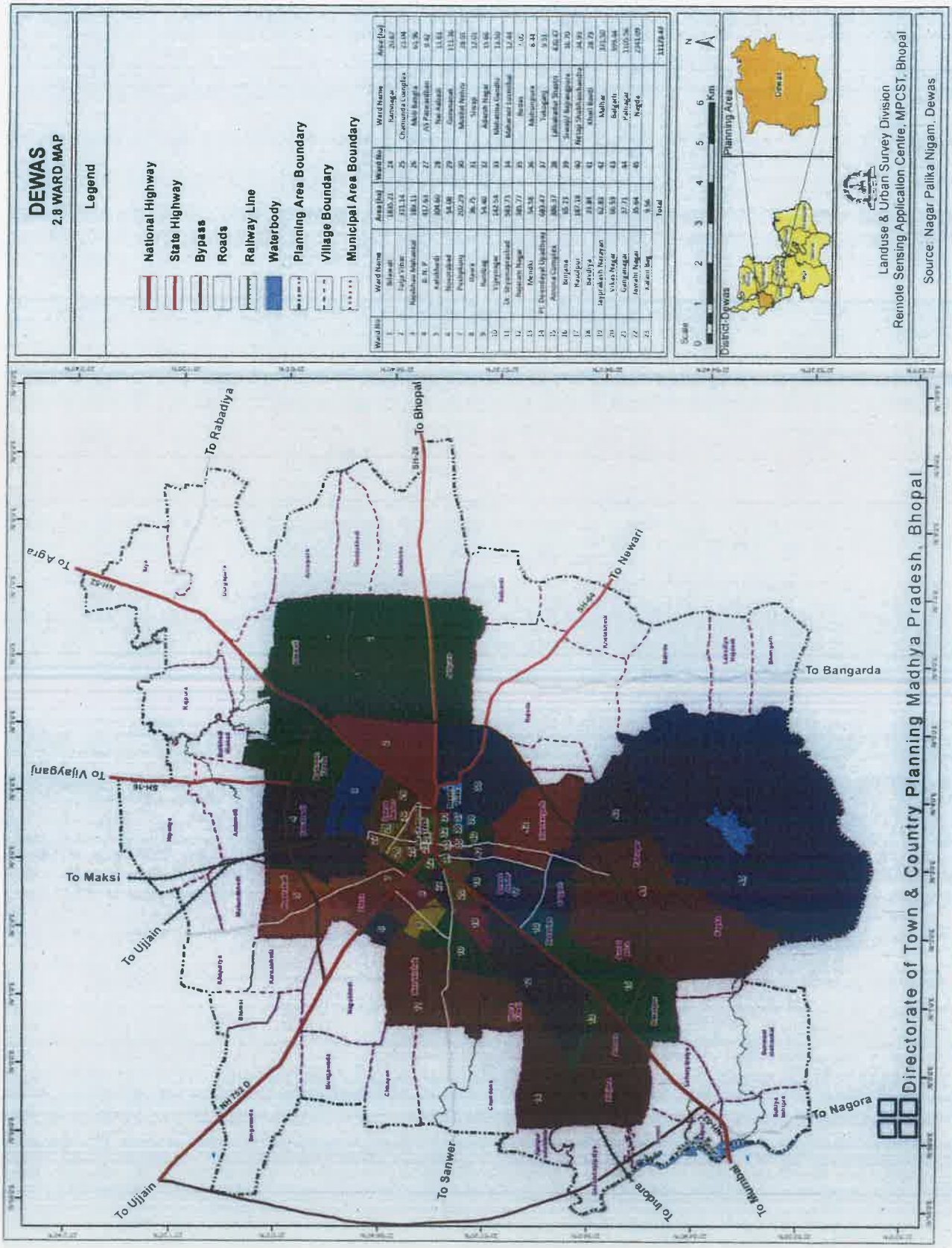
DEWAS
2.8 WARD MAP
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
District-Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Nigam, Dewas
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijayganj
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

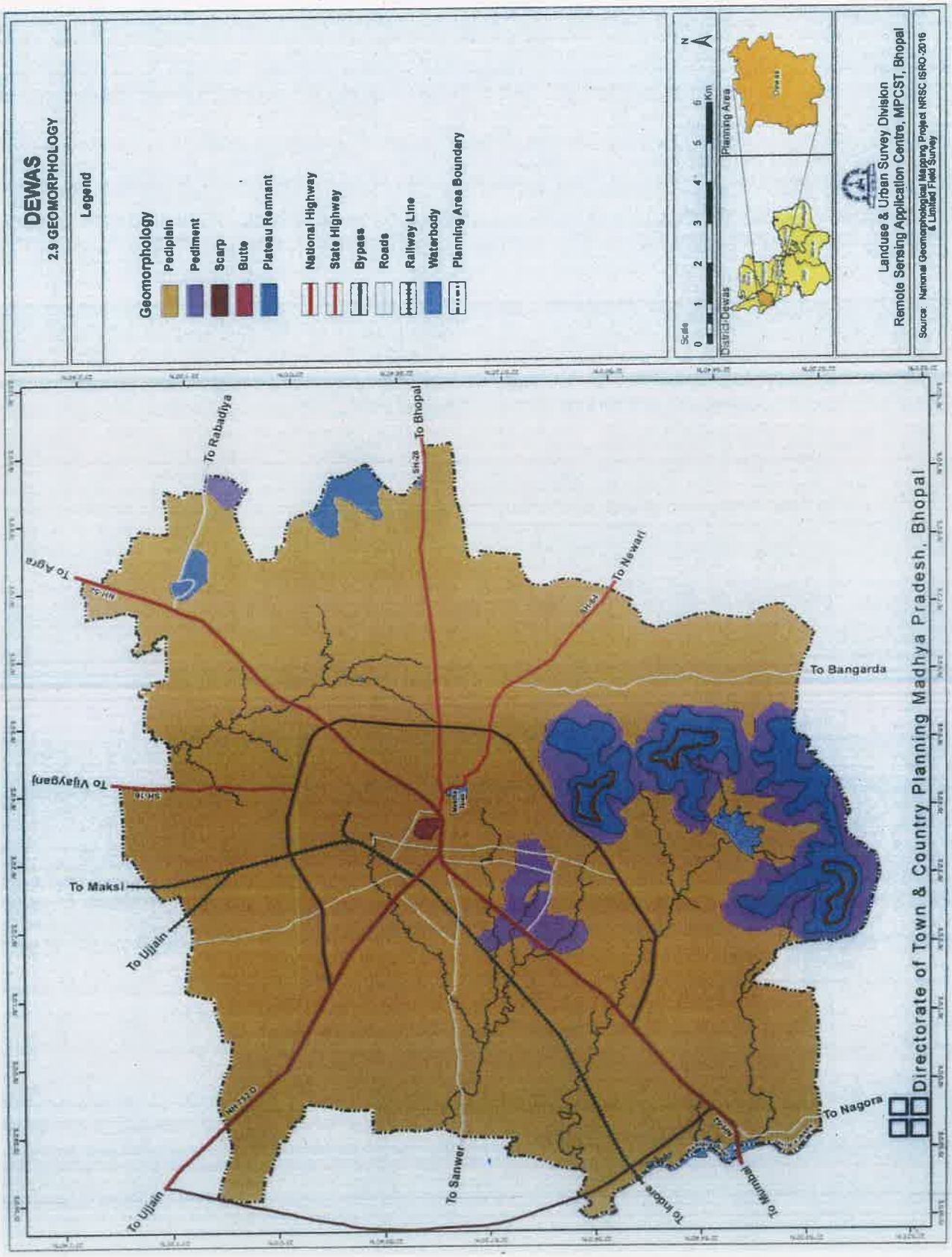
DEWAS
2.9 GEOMORPHOLOGY
Legend
Geomorphology
Pediplain
Pediment
Scarp
Butte
Plateau Remnant
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Geomorphological Mapping Project NRSC ISRO-2016 & Limited Field Survey
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

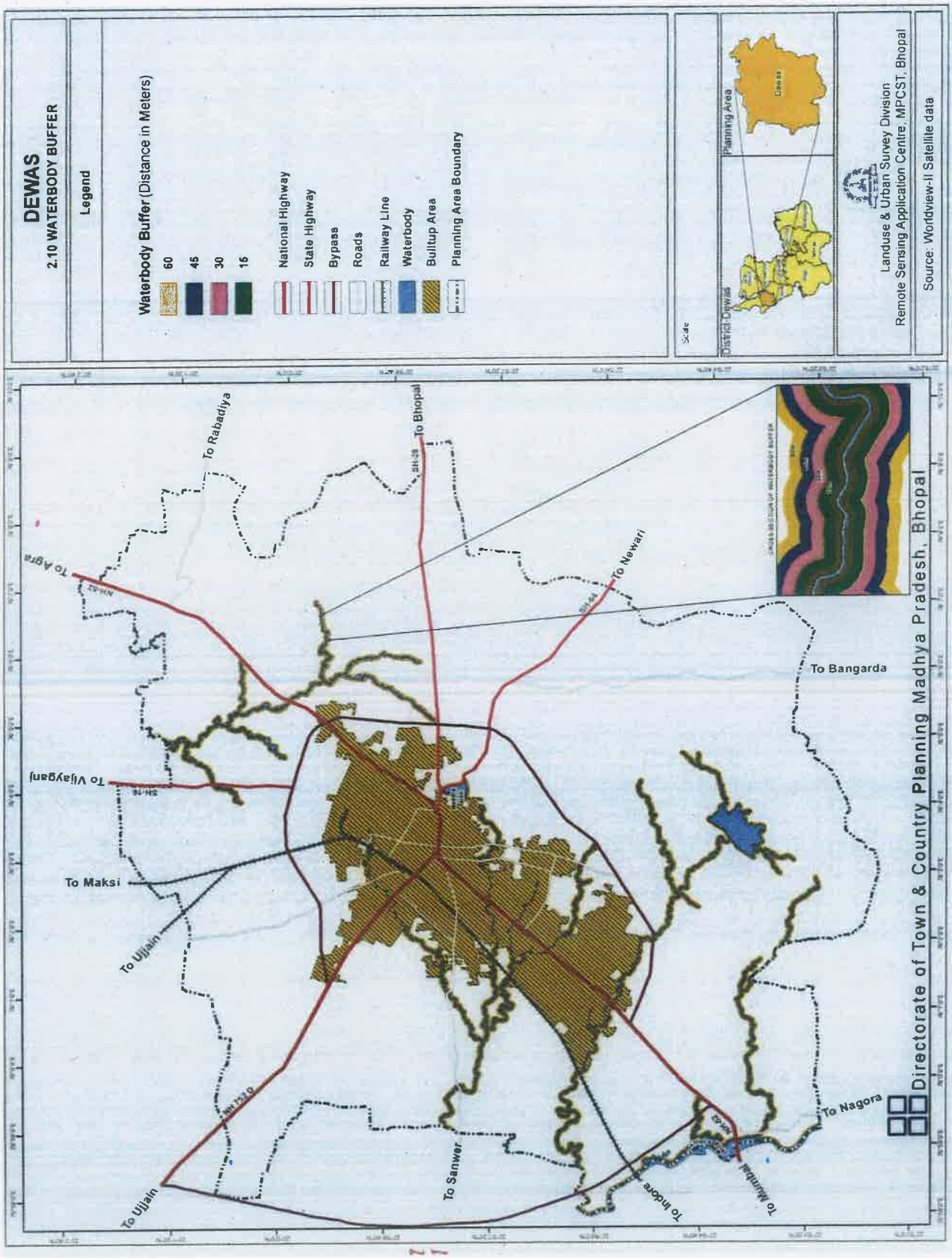
DEWAS
2.10 WATERBODY BUFFER
Legend
Waterbody Buffer (Distance in Meters)
60
45
30
15
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Planning Area Boundary
State
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

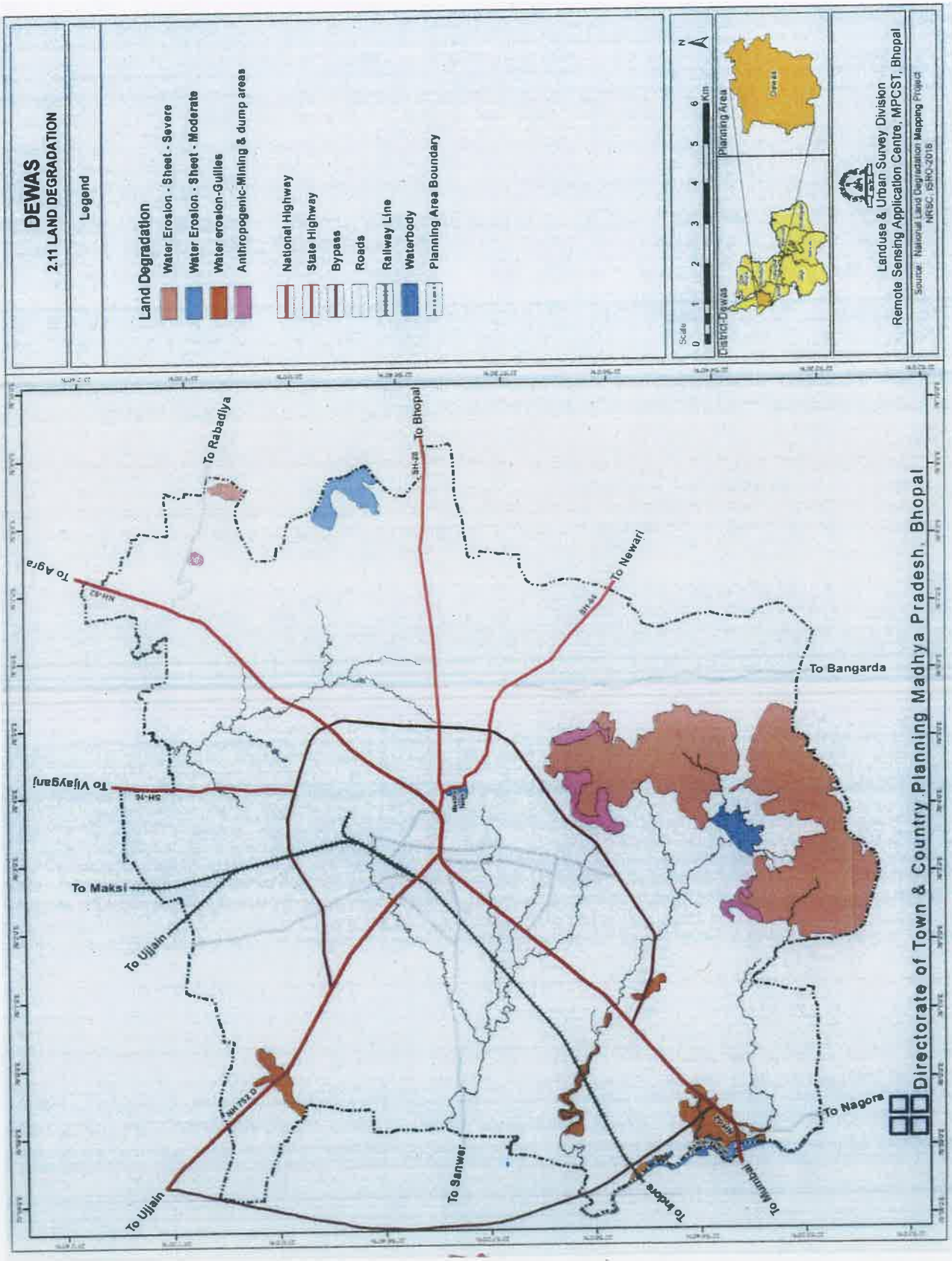
DEWAS
2.11 LAND DEGRADATION
Legend
Land Degradation
Water Erosion - Sheet - Severe
Water Erosion - Sheet - Moderate
Water erosion-Gullies
Anthropogenic-Mining & dump areas
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source : National Land Degradation Mapping Project
NRSC, ISRO-2018
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain

भूमि अवक्रमण (LAND DEGRADATION)

सारणी 2–सा–12

S.No.	LAND DEGRADATION	Area (Ha)	%
1	Water erosion-Sheet - Severe	1802.89	75.80
2	Water erosion-Sheet - Moderate	116.44	4.90
3	Water erosion-Gullies	294.34	12.37
4	Anthropogenic-Mining & dump areas	164.92	6.93
	Grand Total	2378.59	100.00

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना, भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के दोनों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित किए गये हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी निम्न सारणी 2–सा–13 में दर्शाई गई है।

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2–सा–13

S.No.	ROAD BUFFER (Meters)	Area (Ha)
1	100	1346.41
2	200	1292.205
3	500	4568.6
4	>500	15861.96

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.14 डिजिटल ऐलिवेशन मॉडल

डिजिटल ऐलिवेशन मॉडल (डीईएम) एक जी.आई.एस आधारित थ्री–डी मॉडल है, जिसके द्वारा धरातल की ऊँचाई–निचाई/भू–आकृति को प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है।

2.3.15 कंटूर

निवेश क्षेत्र की भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी हेतु कंटूर मानचित्र तैयार किया गया है।

2.3.16 एटीएम

एटीएम मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के एटीएम की स्थिति को दर्शाया गया है।

2.3.17 शासकीय भूमि

निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी इस मानचित्र में दर्शाई गई।

2.3.18 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसी भूमि का विकास किस प्रकार किया जावे। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है :–

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव भी महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है का भी विकास होगा। अतः यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

भूमि की उपयुक्तता हेतु बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। देवास नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis)अपनाई गई है। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार

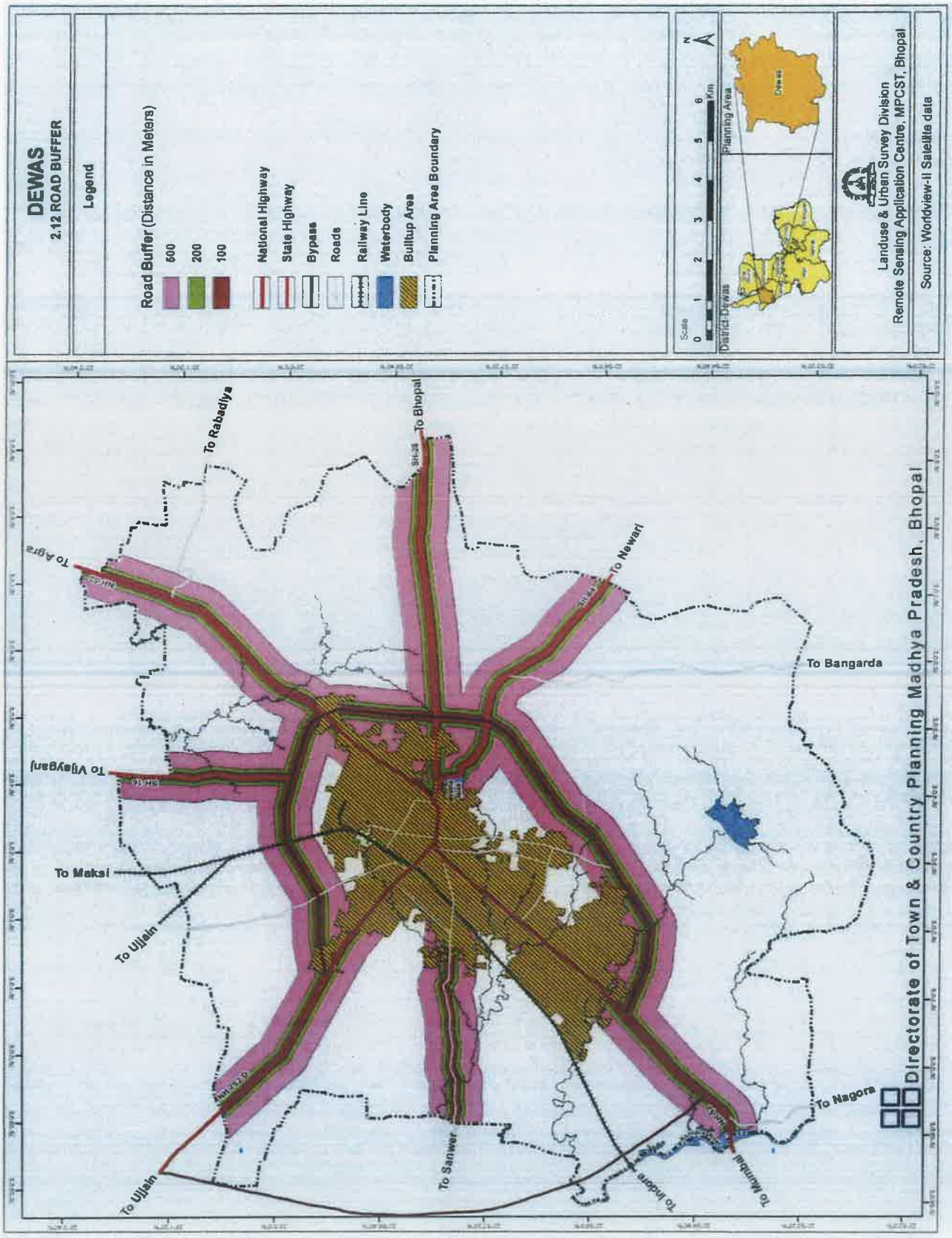
DEWAS
2.12 ROAD BUFFER
Legend
Road Buffer (Distance in Meters)
600
200
100
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

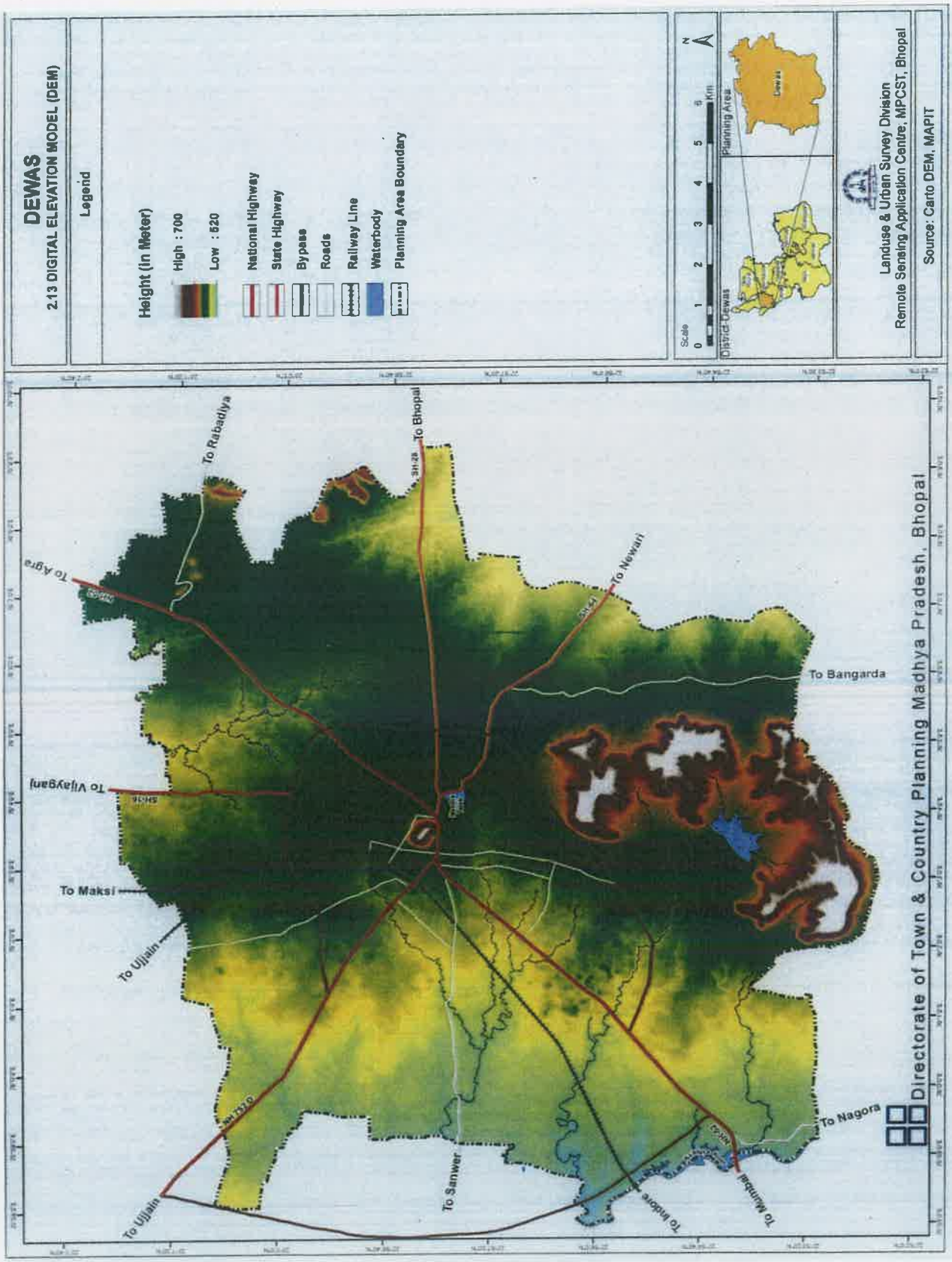
DEWAS
2.13 DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)
Legend
Height (In Meter)
High : 700
Low : 520
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 8 Km
N
Planning Area
District Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Nagora
To Sanwer
To Indore
To Mhow
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

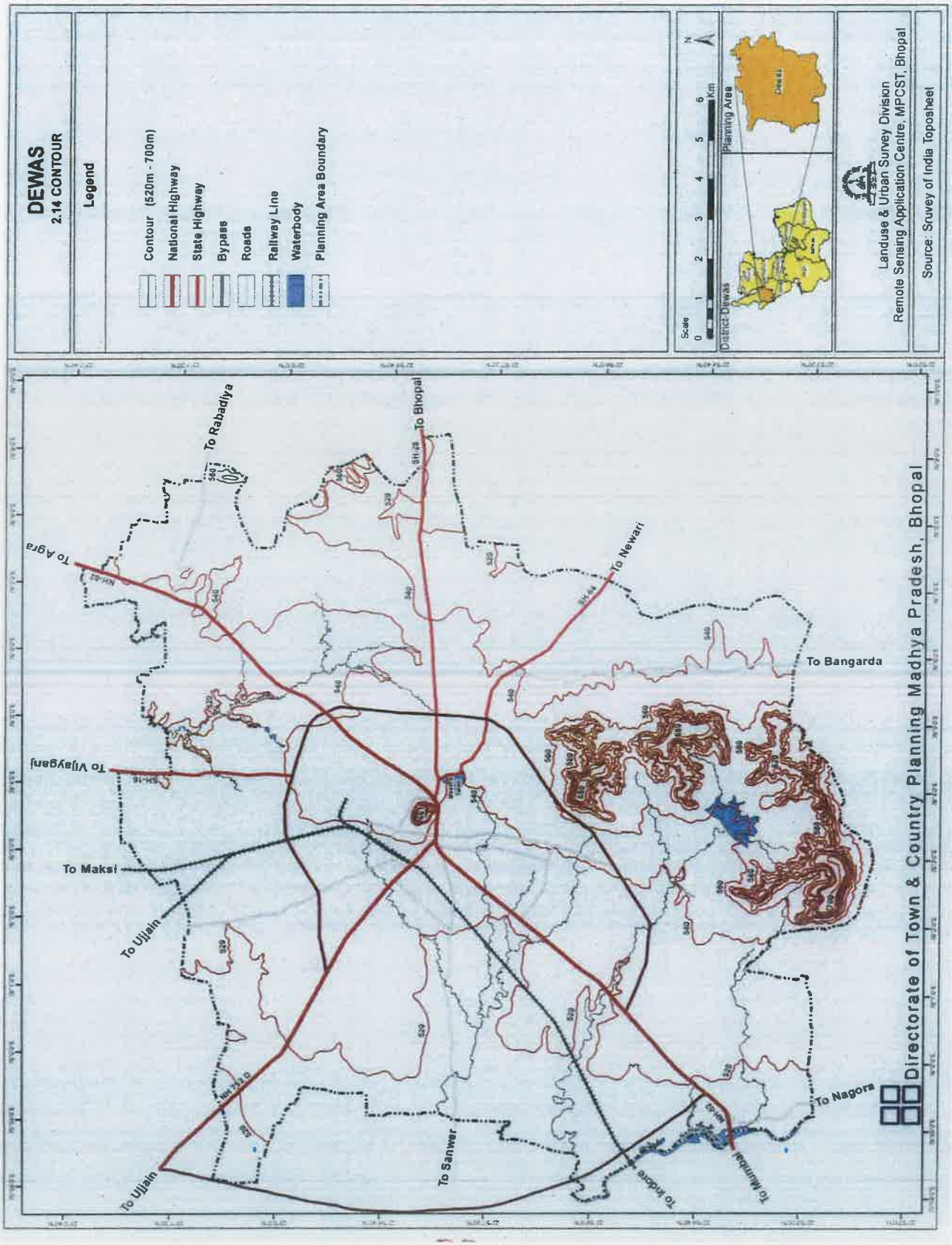
DEWAS
2.14 CONTOUR
Legend
Contour (520m - 700m)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Sruvey of India Toposheet
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

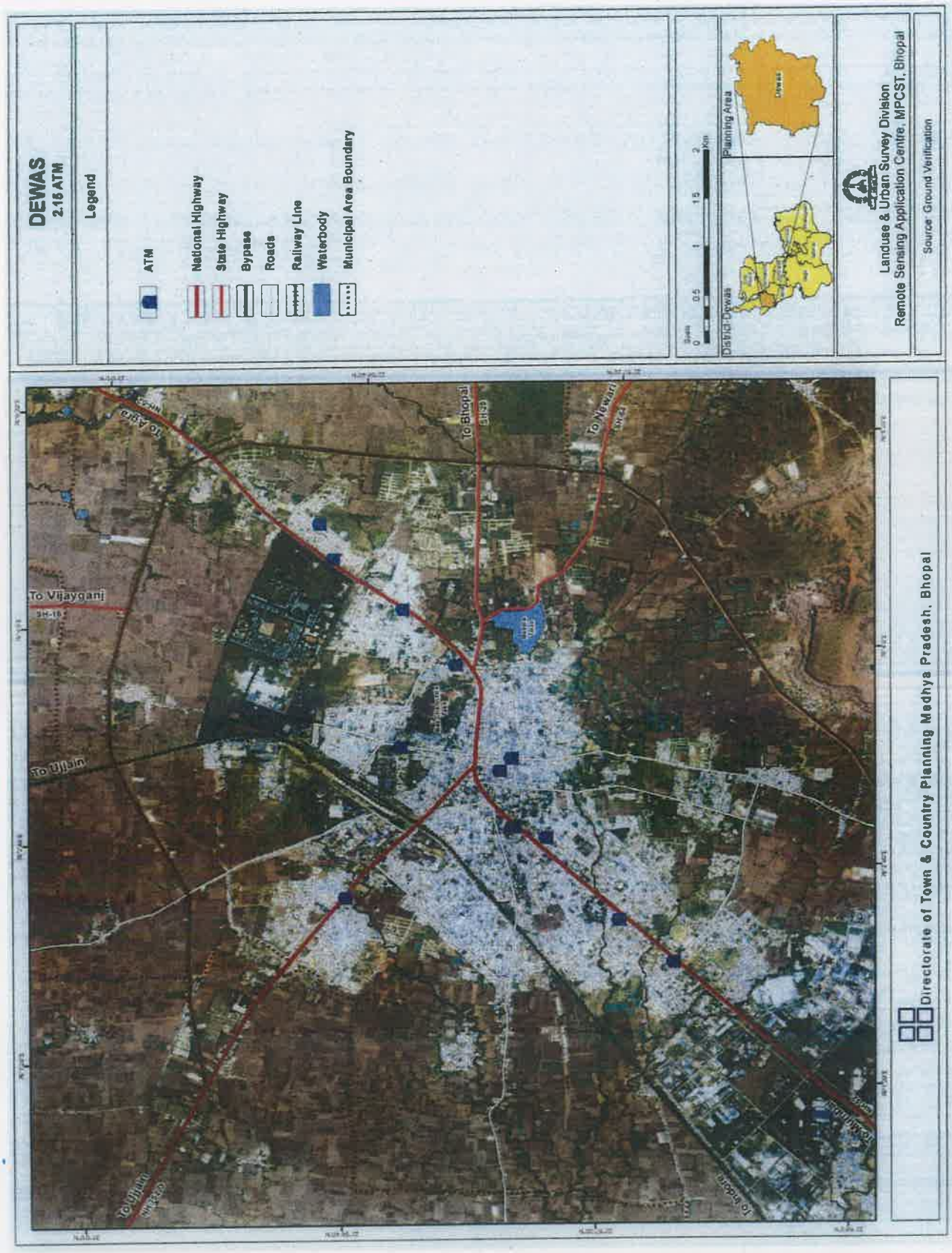
DEWAS
2.15 ATM
Legend
ATM
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Municipal Area Boundary
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
To Bhopal
To Nemawar
To Vijayganj
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

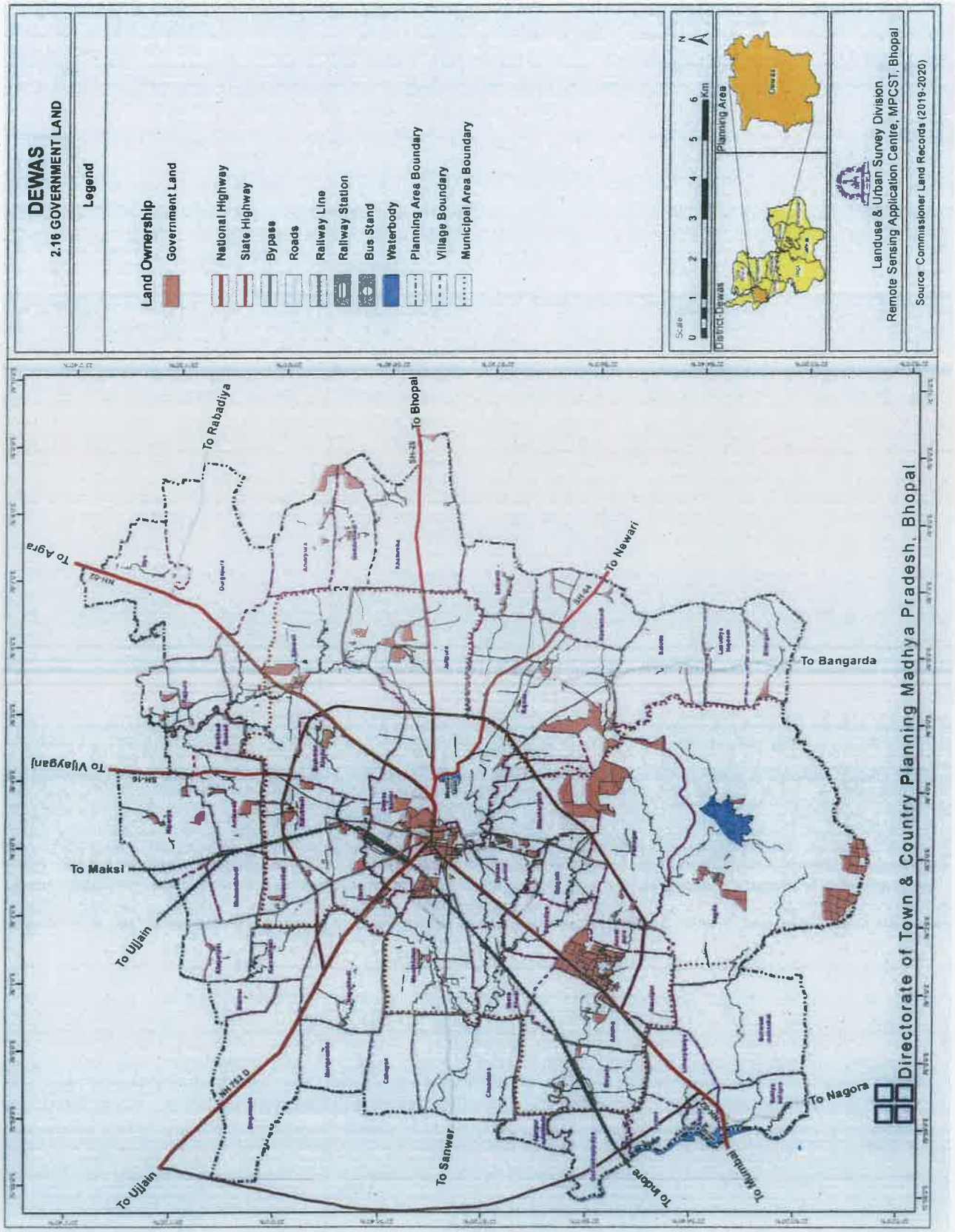
DEWAS
2.16 GOVERNMENT LAND
Legend
Land Ownership
Government Land
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Commissioner Land Records (2019-2020)
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। भूमि उपयोग की सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं। उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः ऐसी भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

DewasWeighted Index forComposite Land Suitability [Model-1]

सारणी 2–सा–14

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	25	Wasteland	9
2			Vacant Land	8
3			Agriculture	7
4			Builtup	0
5			Water body	0
1	GEOMORPHOLOGY	20	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Plateau Top	3
4			Plateau Remnant	2
5			Butte	1
6			Scarp	1
7			Water Bodies	0
1	GROUNDWATERPROSPECTS	10	Very Good To Good	8
2			Good to Moderate	7
3			Moderate to Poor	4
4			Poor	2
5			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	05	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Fine Loamy	7

4			Fine	6
5			Clayey	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	10	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	2
5			15 m	1
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5%	5
4			5-10%	3
5			10-15%	2
6			>15	1
1	LAND VALUE	10	< 5000	9
2			5000 -10000	8
3			10000 - 20000	7
4			20000 - 30000	6
5			30000 - 40000	5
6			40000 - 50000	4
7			>50000	3

Dewas Weighted Index for Composite Land Suitability [Model-2]

सारणी 2–सा–15

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	20	Wasteland	9
2			Vacant Land	8
3			Agriculture	7
4			Builtup	0
5			Water body	0
1	GEOMORPHOLOGY	10	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Plateau Top	3
4			Plateau Remnant	2
5			Butte	1
6			Scarp	1
7			Water Bodies	0
1	GROUNDWATERPROSPECTS	10	Very Good To Good	8

2			Good to Moderate	7
3			Moderate to Poor	4
4			Poor	2
5			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	10	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Fine Loamy	7
4			Fine	6
5			Clayey	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	2
5			15 m	1
1	SLOPE	15	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5%	5
4			5-10%	3
5			10-15%	2
6			>15	1
1	LAND VALUE	10	< 5000	9
2			5000 -10000	8
3			10000 - 20000	7
4			20000 - 30000	6
5			30000 - 40000	5
6			40000 - 50000	4
7			>50000	3

Dewas Weighted Index for Composite Land Suitability [Model-3]

सारणी 2–सा–16

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	14	Wasteland	9
2			Vacant Land	8
3			Agriculture	7
4			Builtup	0
5			Water body	0
1	GEOMORPHOLOGY	12	Pediplain	9

देवास विकास योजना (प्रारूप)

2			Pediment	7
3			Plateau Top	3
4			Plateau Remnant	2
5			Butte	1
6			Scarp	1
7			Water Bodies	0
1	GROUNDWATERPROSPECTS	12	Very Good To Good	8
2			Good to Moderate	7
3			Moderate to Poor	4
4			Poor	2
5			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	12	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Fine Loamy	7
4			Fine	6
5			Clayey	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	14	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	12	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	2
5			15 m	1
1	SLOPE	12	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5%	5
4			5-10%	3
5			10-15%	2
6			>15	1
1	LAND VALUE	12	< 5000	9
2			5000 -10000	8
3			10000 - 20000	7
4			20000 - 30000	6
5			30000 - 40000	5
6			40000 - 50000	4
7			>50000	3

Land suitability model 1

सारणी 2–सा–17

Model - 1		
S.No.	Class	Area Ha
1	Highly Suitable	6602.09
2	Moderately Suitable	9735.65
3	Less Suitable	2295.06
4	Not Suitable	4773.31
	Grand Total	**23406.12**

Land suitability model 2

सारणी 2–सा–18

Model - 2		
S.No.	Class	Area Ha
1	Highly Suitable	5849.18
2	Moderately Suitable	9980.39
3	Less Suitable	2803.09
4	Not Suitable	4773.46
	Grand Total	**23406.12**

Land suitability model 3

सारणी 2–सा–19

Model - 3		
S.No.	Class	Area Ha
1	Highly Suitable	3166.20
2	Moderately Suitable	12047.89
3	Less Suitable	3418.62
4	Not Suitable	4773.40
	Grand Total	**23406.12**

उपरोक्त तीनों सारणीयों में से Model – 3 में भूमि उपयुक्तता Highly/Moderately Suitable के अंतर्गत 96.49 प्रतिशत है। जो कि Model – 1 एवं Model – 2 कि तुलना में अधिक है। अतः भूमि

उपयुक्तता के संदर्भ में Model – 3 का चयन अंतिम रूप सें विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है।

2.3.19 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रसारितUrban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर देवास निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

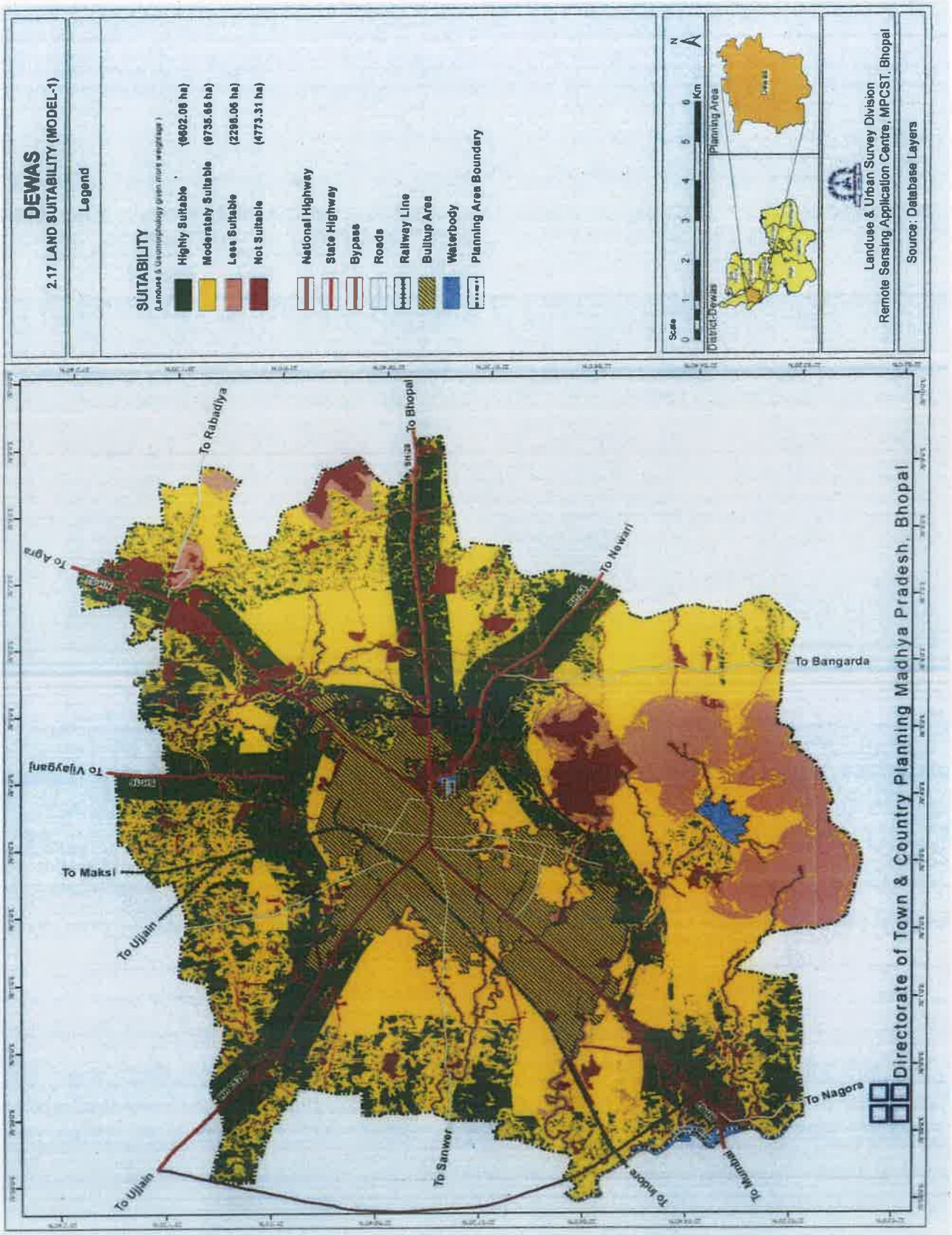
DEWAS
2.17 LAND SUITABILITY (MODEL-1)
Legend
SUITABILITY
(Landuse & Geomorphology given more weightage)
Highly Suitable (6602.08 ha)
Moderately Suitable (8735.65 ha)
Less Suitable (2296.06 ha)
Not Suitable (4773.31 ha)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
District-Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Nagora
To Mandsor
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

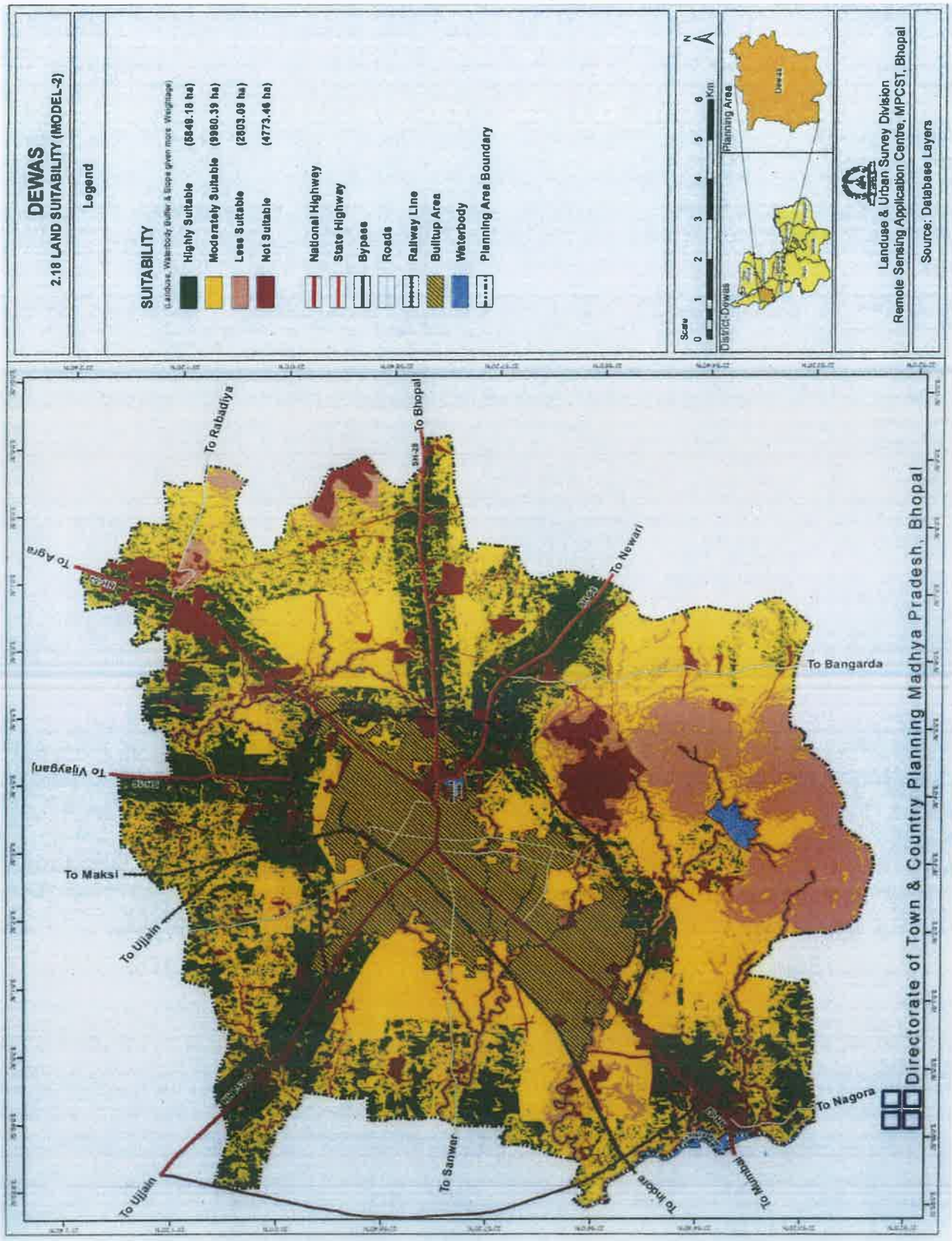
DEWAS
2.18 LAND SUITABILITY (MODEL-2)
Legend
SUITABILITY
(Landuse, Waterbody Buffer & Slope given more Weightage)
Highly Suitable (5449.18 ha)
Moderately Suitable (9980.39 ha)
Less Suitable (2803.09 ha)
Not Suitable (4773.46 ha)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

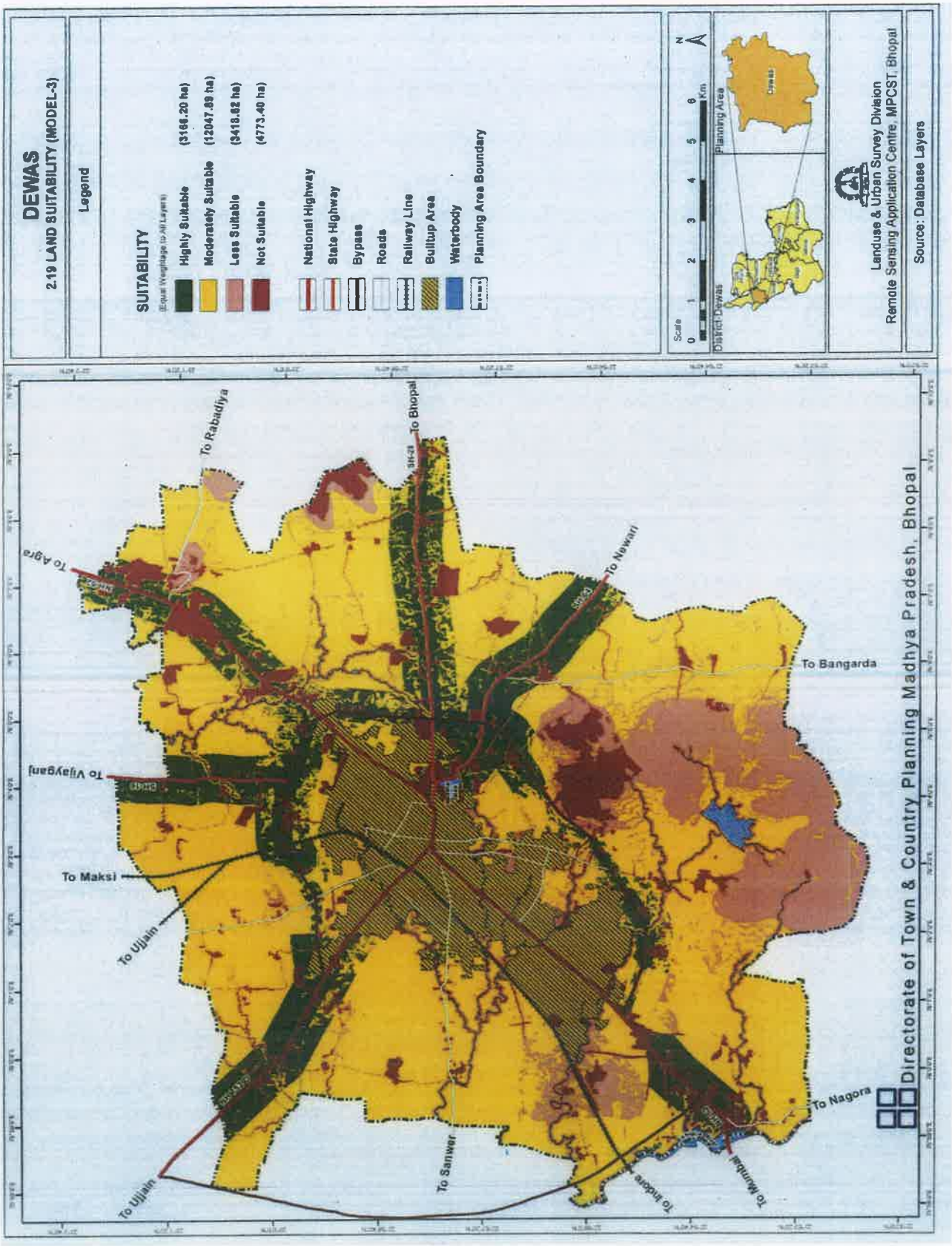
DEWAS
2.19 LAND SUITABILITY (MODEL-3)
Legend
SUITABILITY
(Equal Weightage to All Layers)
Highly Suitable (3166.20 ha)
Moderately Suitable (12047.88 ha)
Less Suitable (3418.62 ha)
Not Suitable (4773.40 ha)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layers
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Nawari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय–3
विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना क्रियान्वयन परिदृश्य

पुनरीक्षित विकास योजना 2031 में विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का विश्लेषण करते समय यह निष्कर्ष निकाला गया था कि विकास योजना में निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षित पूर्ति नहीं हुई है तथा कुछ क्षेत्र में असंबद्ध भूमि उपयोग का अत्याधिक विस्तार अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भूमि उपयोग नियंत्रण, अपर्याप्त सामाजिक आधारभूत अधोसंरचना भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता एवं अपेक्षित भूमि उपयोग का नहीं हो पाना इत्यादि प्रमुख कमियां परिलक्षित हुई है। अतः योजना के कियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:–

- संस्थागत संरचना के लिये भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में आवश्यक समन्वय का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्धता का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये वित्तीय संसाधनो की पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्धता का अभाव।
- निजी निवेश के लिये संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव।
- भौतिक पर्यावरण के लिये कारगर प्रबंधन का अभाव।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभव के आधार पर संशोधन प्रणाली के विकास का अभाव।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में कुछ क्षेत्रों में अवांच्छित विकास, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा निम्न स्तरीय भौतिक व सामाजिक अधोसंरचना वाले क्षेत्रों का नगरीय विकास हुआ है।

3.2 विकास योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन

विकास योजना 2031 में 6428 हेक्टेयर भूमि के विकास के प्रस्ताव थे जिनमें तत् समय का विकसित क्षेत्र 2323 हेक्टेयर भी सम्मिलित था। विकास योजना प्रस्ताव वर्ष 2011 की जनसंख्या 2.95 लाख तथा 2031 की जनसंख्या 5.50 लाख आंकलित कर प्रस्तावित किये गये थे तथा भूमि उपयोग दर प्रति हजार व्यक्ति 11.69 अनुमानित की गई थी जबकि वर्ष 2012 में विकसित क्षेत्र के आधार पर भूमि उपयोग दर 8.02 हेक्टेयर थी.। निम्नलिखित सारणी कमांक 3–सा–1 में विकास योजना 2031 के अनुसार वर्ष 2012 से 2025 तक विकसित क्षेत्र के आंकडे दर्शाये गये है।

देवास विकास योजना (प्रारूप)

विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में			वर्तमान विकसित क्षेत्र (2025)			शेष रिक्त भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में)
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	आवासीय	2952.00	45.93	5.37	1505.00	39.00	3.34	1447.00
2	वाणिज्यिक	421.00	6.55	0.76	75.95	1.97	0.17	345.05
	मिश्रित				38.64	1.00	0.09	-38.78
3	औद्योगिक	1390.00	21.62	2.53	1005.26	26.05	2.23	384.74
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	263.00	4.09	0.48	163.52	6.05	0.52	29.48
	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं				70.0			
5	आमोद–प्रमोद	689.00	10.72	1.25	220.00	5.70	0.49	469.00
6	यातायात एवं परिवहन	713.00	11.09	1.30	781.00	20.24	1.74	-68.00
	योग	6428.00	100.00	11.69	3859.37	100.00	8.58	2568.49

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश

उक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि, विकास योजना 2031 में कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का लगभग 60.04 प्रतिशत के प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके है। एवं भूमि उपयोगिता दर 8.58 हेक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या प्राप्त हुई है।

3.2.1 आवासीय

विकास योजना 2031 में 2952.0 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था, जिसमे से 1505.00 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है,जो कुल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र का 50.98 प्रतिशत है, एवं 1447.00 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है।

3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2031 में 421.00 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से 75.95 हेक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत विकसित हो चुका है। जो कि प्रस्तावित वाणिज्यक क्षेत्र का लगभग 18.04 प्रतिशत है एवं 345.05 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है।

वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का कियान्वयन स्तर

विकास योजना 2031 में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत अनेक गतिविधियों में कोई विशेष परिर्वतन नही हुआ है जिसका मुख्य कारण विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विशेषीकृत बाजार का विकास न होना है। परिणाम स्वरूप विकसित क्षेत्र में सघनता तथा यातायात दबाव बहुत अधिक है। मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के तीव्र फैलाव के कारण पार्किंग तथा पर्यावरण अवमूल्यन की समस्या उभर आई है। साथ ही क्षेत्र में अधिकांश मार्ग संकीर्ण होने के कारण यातायात सुगमता पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण मध्य क्षेत्र से वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है।

निवेश इकाई एवं खण्डस्तरीय वाणिज्यिक विकास नहीं होने के कारण मध्यक्षेत्र के आसपास लगे हुए क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। देवास नगर में मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित होना, मुख्य मार्ग पर मिश्रित उपयोग अवधारणा को दर्शाता है। निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय विकास तभी संभव है, जब उस स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जावें अथवा नगरीय निकायों द्वारा परिक्षेत्रिय योजना तैयार करने के पश्चात् मार्ग संरचनाओं का निर्माण किया जावे।वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का कियान्वयन स्तर निम्न सारणी क्रमांक 3–सा–2 पर दर्शाया गया है।

वाणिज्यिक क्रियान्वयन विकास योजना 2031 अनुसार

सारणी 3–सा–2

क्र.	विवरण	निवेश ईकाई	वर्तमान स्थिति (2021)
1	2	3	4
	बाजार केन्द्र		
1	थोक एवं विशिष्ट बाजार	01	अविकसित
2	वेयर हाउसिंग, शीतगृह एवं गोदाम (ए.बी. रोड के उत्तर–पश्चिम मक्सी मार्ग के संगम)	03	अविकसित
3	**मण्डी**		
	(अ) अनाज मण्डी	01	विकसित
	(ब) पशु मण्डी एवं घास मण्डी (राजौदा मार्ग एवं बायपास के संगम पर)	01	अविकसित (ग्राम नौशेराबाद बायपास मार्ग से लगकर संचालित किया जा रहा है)
	(स) सब्जी मण्डी एवं फल मण्डी (राजौदा मार्ग एवं बायपास के संगम पर)	01	अविकसित
	(द) लोहा मण्डी (ए.बी.मार्ग के उत्तर पश्चिम की ओर बायपास के संगम पर)	03	अविकसित
	(ई) कबाडी बाजार ए.बी.मार्ग के उत्तर पश्चिम की ओर बायपास के संगम पर	03	अविकसित
	(प) भवन सामग्री	03	अविकसित
4.	मिनी कोरिडोर (एम.आर. 10)	02	अर्द्ध विकसित
5.	**वर्गीकृत बाजार**		
	(अ) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर (ग्राम रसूलपुर में एबी मार्ग एंव बायपास के संगम पर)	02	विकसित

	(ब) मिनी यातायात नगर एबी मार्ग के उत्तर पश्चिम की ओर बायपास के संगम पर)	03	विकास प्राधिकरण द्वारा विकास किया जा रहा है

स्त्रोत :– नगर तथा ग्राम निवेश के सर्वेक्षण।

3.2.3 औद्योगिक

विकास योजना 2031 में 1390.00 हे0 क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 1005.26 हे0 क्षेत्र विकसित हो चुका है। वर्तमान में 384.74 हे0 क्षेत्र रिक्त है। विकसित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण सारणी 3–सा–3 में दर्शाया गया है :–

औद्योगिक क्षेत्रो के क्रियान्वयन की स्थितिः–

सारणी 3–सा–3

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्तमान स्थिति 2021
1	2	3	4	5
1.	औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक–1 बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52	1973	215.00	विकसित
2.	औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक–2 बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52	1975	182.00	विकसित
3.	औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक–3 बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52	1982–83	103.18	विकसित
4.	औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन मार्ग	1965	20.02	विकसित
5.	औद्योगिक क्षेत्र सिया लेदर कॉम्पलेक्स राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52	1978	20.78	विकसित

3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ

विकास योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु 263.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था, जिसमे से 163.52 हेक्टेयर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग एवं 70.0 हेक्टेयर क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाए के अन्तर्गत विकसित हुआ है। इस प्रकार कुल 233.52 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है। जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 88.79 प्रतिशत है किन्तु इस उपयोग के अंतर्गत जो विकास हुआ है वो विकास योजना 2031 में प्रस्तावित सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक की भूमि पर न होकर अधिकांशतः आवासीय उपयोग की भूमि पर होना पाया गया है एवं प्रस्तावित सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अधिकांशतः रिक्त है।

देवास विकास योजना (प्रारूप)

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्रियान्वयन

सारणी 3–सा–4

क्र.	प्रकार	देवास विकास योजना 2031 के अनुसार	निवेश ईकाई	वर्तमान स्थिति (2025)
1	2	3	3	4
1.	**स्वास्थ्य**	औषधालय	निवेश इकाई क्रं. 1, 2, 3	अविकसित
2	**प्रशासनिक**	प्रशासनिक गतिविधियों हेतु स्थान	निवेश इकाई क्रं. 3	अविकसित
3.	**शैक्षणिक**	(अ) शैक्षणिक गतिविधियां	निवेश इकाई क्रं. 3	अविकसित
		(ब) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	निवेश इकाई क्रं. 3	ईकाई क्रमांक 02 में विकसित
4.	**सार्वजनिक सेवाऐं**	**1. जल प्रदाय** लोदरी एवं नर्मदा नदी से प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु 19 एम.एल.डी. जल प्रदाय प्रस्तावित	निवेश इकाई क्रं. 3	राजानंद तालाब एवं क्षिप्रा नदी से 52 एम.एल.डी. पानी प्रतिदिन प्रदाय किया जा रहा है।
		2. जल, मल निकास भूमिगत परिपूर्ण योजना प्रणाली प्रस्तावित		विकसित
5.	**अन्य सेवांए**	**1. दूरभाष केन्द्र** निवेश इकाई क्रं. 3 ए.बी. मार्ग पर ऑटो एक्सचेंज प्रस्तावित	निवेश इकाई क्रं. 1	विकसित
		2. डाक एवं तार घर निवेश इकाई क्रं. 2.3 में एक–एक डाक एवं एक एक तार घर प्रस्तावित।	निवेश इकाई क्रं. 1	विकसित
		3. अग्निशमन केन्द्र निवेश इकाई क्रं. 3 में एक प्रमुखअग्निशमन केन्द्र प्रस्तावित।	निवेश इकाई क्रं. 2 एवं पटवर्धन मार्ग पर पुराना मछली बाजार के स्थान पर	विकसित

देवास विकास योजना (प्रारूप)

क्र.	प्रकार	देवास विकास योजना 2031 के अनुसार	निवेश ईकाई	वर्तमान स्थिति (2025)
1	2	3	3	4
		4. आरक्षी केन्द्र	निवेश इकाई क्रं. 2 एवं 3	औद्योगिक क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में (एम.जी. रोड़) एवं बी.एन.पी. के पास विकसित
		5. पावर हाउस एवं विद्युत उपकेन्द्र/प्रत्येक निवेश ईकाई में विद्युत उपकेन्द्र		भोपाल मार्ग, औद्योगिक केन्द्र क्रं. 1 तथा बी.एन.पी. में ग्रीड स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, उज्जैन मार्ग, सिविल लाईन एवं बालगढ़ मार्ग पर विद्युत उपकेन्द्र स्थापित

3.2.5 आमोद–प्रमोद

विकास योजना 2031 मे आमोद–प्रमोद उपयोग के अंतर्गत कुल 689.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें से 220.00 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है,जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 31.91 प्रतिशत है। प्रस्तावित नगर उद्यान, स्टेडियम, तरणताल तथा अन्य उद्यानों आदि विकसित नही हो सके। नगर में चामुण्डा माता टेकरी का सौन्दर्यीकरण, मीठा तालाब का सौन्दर्यीकरण तथा ए.बी. रोड़ लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस से लगकर महाराजा तुकोजीराव इन्डोर स्टेडियम, टेकरी के नीचे प्रदर्शनी स्थल, मल्हार स्मृति उद्यान, औद्योगिक क्षेत्र से लगकर ए.बी. रोड के दोनों ओर 8.0 हेक्टेयर का उद्यान तथा शंकरगढ पहाडी पर वृक्षारोपण आदि विकसित किये गये है।

3.2.6 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2031 में यातायात उपयोग के अंतर्गत 713.00 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान था। उक्त उपयोग के अंतर्गत 781.00 हेक्टेयर भूमि विकसित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का लगभग 109.56 प्रतिशत है। जिसमें विकास योजना के मुख्य मार्गो के साथ अन्य विकसित मार्ग भी सम्मिलित है।

देवास विकास योजना (प्रारूप)

यातायात क्रियान्वयन स्तर

सारणी 3–सा–5

क्र.	श्रेणी	देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति (2025)
1	**2**	**3**	**4**
1.		आगरा–बम्बई मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52) मुख्य मार्ग क्र. 13 मण्डी, पुलिस थाना से लक्ष्मीनारायण क्लब तक चौड़ाई 30.00 मीटर	विकसित
	क्षेत्रीय मार्ग	आगरा–बम्बई मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52) (अ) मुख्य मार्ग क्र. 13 मण्डी, पुलिस थाना से शाजापुर की ओर (चौड़ाई 60 मी.) (ब) लक्ष्मीनारायण क्लब से इन्दौर की ओर (चौड़ाई 60 मी.)	अर्द्ध विकसित
		उज्जैन मार्ग रेल्वे लाईन से उज्जैन की ओर (चौड़ाई 60 मी.)	अर्द्ध विकसित
		भोपाल मार्ग भोपाल चौराहे से भोपाल की ओर (चौड़ाई 60 मी.)	अर्द्ध विकसित
2.	बाय–पास मार्ग	देवास बाय–पास मार्ग (चौड़ाई 60 मी.)	विकसित
3.	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग क्रं. 1 (चौडाई 30 मी.)	अर्द्ध विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 2 (चौडाई 15 मी.)	अर्द्ध विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 3 (चौडाई 30 मी.)	विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 4 (चौडाई 30 मी.)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 5 (चौडाई 45 मी.)	अर्द्ध विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 6 चौडाई 12.0 मीटर उज्जैन मार्ग से मेंढ़की मार्ग तक रेल्वे लाईन के समानांतर	अर्द्ध विकसित
		चौडाई 25.0 मीटरमेंढकी मार्ग से मुख्य मार्ग क्रमांक 17 तक (रेल्वे लाईन के समानांतर)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 7 (चौडाई 12 मी.)	अर्द्ध विकसित

देवास विकास योजना (प्रारूप)

क्र.	श्रेणी	देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति (2025)
1	2	3	4
		मेंढ़की मार्ग से रेल्वे लाईन के समानांतर मेंढकी मार्ग से मुख्य मार्ग क्रमांक 17 तक (रेल्वे लाईन के समानांतर) चौडाई 25.0 मीटर	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 8 (चौडाई 30 मी.)	विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 9 (चौडाई 30 मी.)	विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 10 (चौडाई 45 मी.)	अर्ध्द विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 11 (चौडाई 25 मी.)	विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 12 – मुख्य मार्ग क्रमांक– 13 से भोपाल मार्ग तक (चौडाई 18 मी.)	अर्द्ध विकसित
		भोपाल मार्ग से राजोदा मार्ग तक (चौडाई 30.0 मी.)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 13 (चौडाई 30 मी.)	अर्द्ध विकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 14 (चौडाई 30 मी.)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 15 (चौडाई 30 मी.)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 16 (चौडाई 30 मी.)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 17 (चौडाई 45 मी.)	अविकसित
		मुख्य मार्ग क्रं. 18 (चौडाई 30 मी.)	अविकसित

3.2.6.1 वाहन विराम स्थल

विकास योजना 2031 में पांच स्थलों पर वाहन विराम स्थलों के प्रस्ताव दिये गये थे, जो कि निम्नानुसार हैः–

सारणी 3–सा–6

क्र.	देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति (2025)
1	3	4
1.	वर्तमान बस स्टेण्ड की भूमि पर	बस स्टेण्ड संचालित
2.	मेढ़की मार्ग पर, ए.बी. मार्ग के संगम पर, शिक्षा विभाग की खुली भूमि पर	विकसित
3.	उज्जैन मार्ग पर, रेल्वे क्रासिंग के दोनों ओर स्थित खुली भूमि पर	अविकसित

क्र.	देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति (2025)
1	3	4
4.	प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्रों में	अविकसित
5.	ए.बी. मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर में	विकसित

3.2.6.2 यातायात अवसान केन्द्र एवं यातायात नगर

विकास योजना 2031 के प्रस्तावों में ए.बी. मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं 3 में अवसान केन्द्र प्रस्तावित किये गये थे। बायपास मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 1 में ग्राम रसूलपुर में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में यातायात नगर प्रस्तावित किया गया था, जिसे विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त ए.बी.मार्ग पर (मक्सी चौराहा) ग्राम बिलावली, निवेश इकाई क्रमांक 2 में भी 5.00 हेक्टेयर भूमि पर एक मिनी यातायात नगर प्रस्तावित किया गया था। जिसका विकास नहीं हुआ है।

3.2.6.3 क्षेत्रीय परिवहन

नगर के बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 4 मार्ग हैं। देवास नगर से चार मुख्य नगर इन्दौर, उज्जैन, भोपाल एवं शाजापुर जुड़े हुए है। मुख्यतः ए.बी.रोड़, उज्जैन रोड़, भोपाल रोड़ एवं नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52 (आगरा–बम्बई) गुजरता है। ए.बी. मार्ग से पूर्व दिशा से उत्तर की ओर 60.0 मीटर चौडा सिक्स–लेन बायपास मार्ग विकसित है। जो भोपाल रोड़, मक्सी रोड़ एवं उज्जैन रोड़ को जोडता है।

बस स्टैण्ड

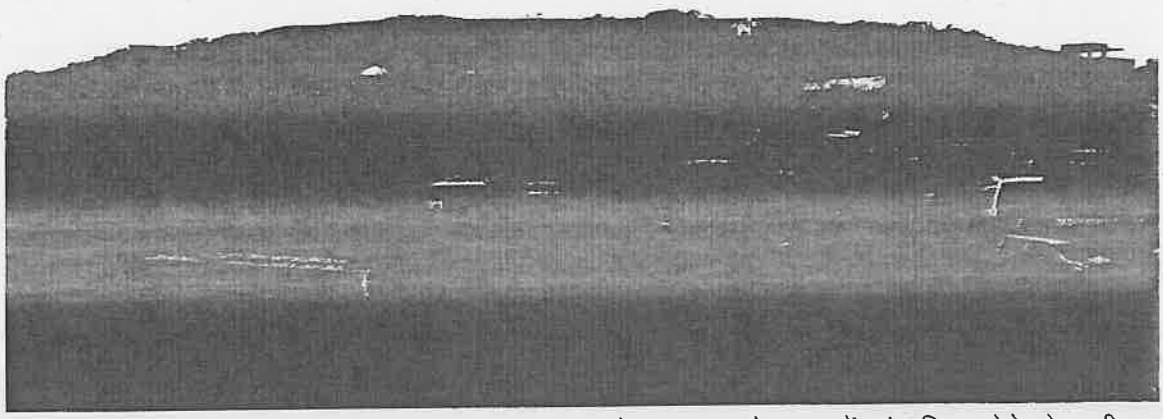

वर्तमान में ए.बी. मार्ग पर महात्मा गॉधी बस स्टेण्ड नगर के मध्य में संचालित होने से ए.बी. मार्ग पर यातायात का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। उज्जैन मार्ग पर पिकअप स्टेण्ड विद्यमान है। विकास योजना में भोपाल मार्ग पर, मुख्य मार्ग क्र.–12 के संगम पर 2.0 हेक्टेयर भूमि पर बस स्थानक प्रस्तावित किया गया था। जिसका कियान्वयन नही हुआ है।

3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण

विकास योजना 2031 प्रभावशील होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23–(क) के अंतर्गत विकास योजना 2031 में निम्न भू–उपयोग उपान्तरण किए है।

भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3–सा–7

क्र.	ग्राम का नाम	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	जैतपुरा सर्वे कमांक 401	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मीनल (बस डिपो)	9.215 हे. में से 2.0 हे.	अविकसित
2	राजौदा सर्वे कमांक 01	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मीनल (बस डिपो)	3.640 हे.	अविकसित
3	देवास जूनियर सर्वे कमांक 110/2	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक , वाणिज्यिक तथा मार्ग (कलेक्टर परिसर)	वाणिज्यिक तथा मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना)	4500.0 वर्गमीटर	अविकसित
4	देवास जूनियर सर्वे कमांक 415/2	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक , तथा मार्ग (सिविल लाईन रोड़)	वाणिज्यिक तथा मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना)	413.87 वर्गमीटर	अविकसित
5	देवास जूनियर सर्वे कमांक 440/1/2	आवासीय, एवं मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक तथा मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना)	4546.13 वर्गमीटर	अविकसित
6	पालनगर	एम.आर.–5	–	–	–
7	कालूखेडी सर्वे क्रमांक 154/2, 155, 154/411	औद्योगिक एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध्दसार्वजनिक एवं मार्ग	3.813 हे.	अविकसित
8	शंकरगढ़ सर्वे क्र 404, 412	कृषि	उद्योग	8.223	अविकसित

नोटः– विकास योजना 2031 में उपांतरित उपयोग विकास योजना 2041 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

विकास योजना में असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग होने से अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव दिये गये थे। उनके क्रियान्वयन की स्थिति निम्न सारणी क्रमांक 3–सा–8 में दर्शायी गयी है :–

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3–सा–8

क्र.	वर्तमान उपयोग	वर्तमान	प्रस्तावित स्थान	रिक्त होने पर उपयोग	क्रियान्वयन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	दाल एवं तेल मिल	सरदार पटेल मार्ग, एम.जी. मार्ग स्टेशन मार्ग (फतेहसिंह मार्ग)	निवेश इकाई क्र.–2	आवासीय	अक्रियान्वित
2	पशु बाजार	स्टेशन मार्ग, ओलंपिक ग्राउंड	निवेश इकाई क्र.–1	मार्ग एवं खेल का मैदान	वर्तमान में पशु बाजार ईकाई क्रमांक 2 में स्थानांतरित हो चुका है।
3	घास की फुटकर दुकानें	उज्जैन मार्ग एवं ईदगाह मार्ग, एवं अन्य मार्गो पर	निवेश इकाई क्र.–1	मार्ग विस्तार पार्किंग एवं खुला सलि	स्थानांतरित
4	आरा मशीनें	स्टेशन मार्ग, ए.बी. मार्ग एवं उज्जैन मार्ग	निवेश इकाई क्र.–2	वाणिज्यिक एवं मार्ग विस्तार	अक्रियान्वित
5	चामुण्डा टेकरी	टेकरी के नीचे चारों ओर स्थित अवैध विकास/निर्माण	निवेश इकाई क्र.–1, 2, 3	वृक्षारोपण एवं दोनों चढाई के मार्ग पर पार्किंग	अक्रियान्वित
6	बस स्टेण्ड	ए.बी. मार्ग	निवेश इकाई क्र.–1	नगर बस स्थानक निजी बस स्थानक एवं पार्किंग	अक्रियान्वित
7	समस्त–असंगत दुकाने मार्केट	मध्यक्षेत्र में स्थित	निवेश इकाई क्र.–1	वाणिज्यिक/मार्ग	अक्रियान्वित
8	ट्रक स्थानक एवं गैरेज	ए.बी. मार्ग, उज्जैन मार्ग, भोपाल मार्ग, स्टेशन मार्ग एवं अन्य मार्गो पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–2 एवं 3	मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक	अक्रियान्वित
9	गोदाम	डाकघर के पीछे	निवेश इकाई क्र.–3	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	अक्रियान्वित
10	सब्जी/फल की फुटकर दुकानें	शालिनी मार्ग, जेल मार्ग एवं अन्य मार्ग पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–1	मार्ग	अक्रियान्वित

11	सब्जी मंडी/फल की दुकाने	नावेल्टी चौराहा ईदगाह, जय प्रकाश मार्ग	निवेश इकाई क्र.–1 (खारी बाबड़ी रोड स्थित पुरानी उपजेल की भूमि पर)	पार्किंग/खुला मार्ग	अक्रियान्वित
12	लोहा मण्डी	जयप्रकाश मार्ग (तीन बत्ती तिराहा तक)	निवेश इकाई क्र.–3	वाणिज्यिक	अक्रियान्वित
13	भवन सामग्री की दुकानें	ए.बी.मार्ग, उज्जैन मार्ग, स्टेशन मार्ग, जय प्रकाश मार्ग एवं अन्य मार्ग	निवेश इकाई क्र.–3	वाणिज्यिक/मार्ग	अक्रियान्वित
14	कबाड़ी दुकाने/बाजार	चूड़ी बाखल मार्ग तथा नगर के अन्य मार्गो पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–3	वाणिज्यिक/मार्ग	अक्रियान्वित
15	मछली एवं मटन मार्केट	मध्य क्षेत्र में स्थित	निवेश इकाई क्र.–1	वाणिज्यिक/मार्ग	मछली मार्केट स्थानांतरित शेष अक्रियान्वित

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एव समाज की आर्थिक, साक्षरता एवं लिंगानुपात का विश्लेषण कर इसके आधार पर ऐसे निवेश क्षेत्र में विकास की दशा निर्धारित की जाती है।

जनसंख्या विश्लेषण तहसील के अन्तर्गत होने से देवास परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण सारणी क्रमांक 3–सा–9 में दर्शाया गया है।

जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3–सा–9

क्र.	जिला एवं तहसील	कुल जनसंख्या–2011	पुरूष	महिला	लिंग अनुपात
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	देवास नगर	290000	150081	139469	929
8.	शाजापुर + आगर मालवा	1512681	780520	732161	938
6.	देवास जिला	145506	738241	716828	942
5.	नीमच जिला	826067	422653	403414	954
3.	उज्जैन संभाग	8684807	4445913	4238894	954
7.	उज्जैन जिला	1986864	1016289	970575	955
4.	मंदसौर जिला	1340411	682851	657560	963
2.	मध्यप्रदेश	72626809	37612306	35014503	931

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी का अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि, देवास नगर में जहाँ लिंग अनुपात 929 है, वही देवास जिले में यह अनुपात 942 है। नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात जिले से कम होना गंभीर विषय है। यद्यपि प्रदेश का औसत लिंगानुपात 931 है, वही संभाग का 954 है। औसत की दृष्टि से नगर का लिंग अनुपात उचित है, किन्तु जिले से तुलना करने पर लिंग अनुपात में कमी के विश्लेषण हेतु यदि लिंग अनुपात का निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र का विश्लेषण भी आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वार्डवार जनसंख्या विश्लेषण सारणी क्रमांक 3–सा–10 में दर्शित है।

वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3–सा–10

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC population			ST Population			Literates Population		
	T	M	F	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1	5556	2915	2641	424	354	778	1006	928	1934	188	199	387	2202	1357	3559
2	11605	6146	5459	639	533	1172	1537	1388	2925	160	173	333	5173	4037	9210
3	3673	1939	1734	143	114	257	427	384	811	395	356	751	1765	1458	3223
4	6299	3249	3050	435	394	829	1402	1369	2771	298	270	568	2448	1623	4071
5	5798	2976	2822	491	475	966	773	750	1523	38	29	67	1950	1378	3328
6	8989	4694	4295	556	515	1071	1124	1052	2176	137	115	252	3799	2808	6607
7	14693	7550	7143	1038	1032	2070	962	955	1917	203	195	398	5919	4716	10635
8	6132	3176	2956	347	282	629	526	453	979	175	140	315	2651	2300	4951
9	8548	4501	4047	442	352	794	325	299	624	78	71	149	3949	3253	7202
10	7860	4068	3792	431	419	850	482	466	948	89	82	171	3484	2825	6309
11	5372	2799	2573	413	346	759	1490	1366	2856	67	55	122	1987	1237	3224
12	12378	6551	5827	794	766	1560	1580	1333	2913	351	358	709	5149	3846	8995
13	7440	3921	3519	558	474	1032	1363	1243	2606	103	88	191	2860	1892	4752
14	5297	2792	2505	412	349	761	845	784	1629	101	98	199	1961	1274	3235
15	6435	3377	3058	542	522	1064	926	818	1744	133	113	246	2310	1585	3895
16	8854	4679	4175	612	563	1175	1589	1442	3031	107	108	215	3654	2500	6154
17	11400	5938	5462	725	604	1329	1016	976	1992	206	193	399	4793	3987	8780
18	5104	2653	2451	270	224	494	252	231	483	63	65	128	2283	2004	4287
19	11320	5947	5373	611	527	1138	454	452	906	115	104	219	5169	4428	9597
20	5362	2723	2639	269	252	521	143	151	294	37	45	82	2384	2215	4599
21	5677	2883	2794	316	281	597	243	250	493	297	293	590	2267	2101	4368
22	6286	3165	3121	385	401	786	239	232	471	73	69	142	2553	2287	4840
23	4293	2130	2163	268	253	521	732	786	1518	13	13	26	1774	1628	3402
24	4392	2232	2160	292	307	599	681	633	1314	127	153	280	1686	1344	3030

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC population			ST Population			Literates Population		
	T	M	F	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
25	4666	2365	2301	274	282	556	454	445	899	55	63	118	1922	1696	3618
26	5478	2823	2655	377	337	714	462	433	895	102	90	192	2204	1873	4077
27	4874	2535	2339	303	285	588	365	371	736	78	75	153	2136	1747	3883
28	3955	2039	1916	210	222	432	262	256	518	34	36	70	1776	1520	3296
29	8822	4642	4180	518	456	974	671	634	1305	367	319	686	3993	3215	7208
30	4700	2433	2267	300	278	578	1230	1078	2308	16	18	34	1829	1245	3074
31	5101	2630	2471	305	268	573	239	209	448	6	7	13	2191	1830	4021
32	5688	2862	2826	305	286	591	469	463	932	44	44	88	2408	2200	4608
33	4289	2154	2135	247	207	454	46	48	94	0	0	0	1822	1749	3571
34	3852	1927	1925	204	223	427	45	43	88	11	19	30	1652	1516	3168
35	3003	1544	1459	172	152	324	13	8	21	3	2	5	1337	1176	2513
36	3937	2011	1926	239	181	420	17	14	31	0	0	0	1712	1553	3265
37	5556	2812	2744	387	380	767	29	31	60	23	25	48	2248	1946	4194
38	7187	3830	3357	539	498	1037	1228	1002	2230	83	53	136	2805	1943	4748
39	4250	2218	2032	294	233	527	127	111	238	302	284	586	1801	1476	3277
40	5911	3037	2874	416	414	830	204	188	392	0	0	0	2437	1978	4415
41	6263	3132	3131	412	376	788	582	669	1251	16	63	79	2483	2138	4621
42	8275	4256	4019	545	532	1077	971	939	1910	183	178	361	3089	2370	5459
43	4990	2593	2397	301	251	552	591	579	1170	23	15	38	2100	1513	3613
44	5002	2621	2381	383	318	701	549	516	1065	75	62	137	1878	1184	3062
45	4988	2613	2375	426	349	775	478	439	917	75	73	148	1850	1294	3144
Total	289550	150081	139469	18570	16867	35437	29149	27217	56366	5050	4811	9861	119843	95245	215088

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

नगर पालिक निगम सीमा में वार्ड वार लिंगानुपात का अध्ययन किया गया। देवास नगर का लिंगानुपात 929 महिला प्रति हजार पुरूष है। सबसे अधिक लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 23 में है, सबसे कम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 38 में है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–11 में दिया गया है।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3–सा– 11

Sex Ratio (Females per 1000 Male)	WARD	TOTAL WARD
>1000	23	1
975-1000	22,32,33,34,37,41	6
950-975	20,21,24,25,36	5
925-950	4,5,7,8,10,26,28,30,31,35,40,42	12
900-925	1,6,11,15,17,18,19,27,29,39,43,44,45	13
<900	2,3,9,12,,13,14,16,38	8

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.5.3 शिशु जनसंख्या

नगर पालिक निगम सीमा में वार्ड वार शिशु जनसंख्या का अध्ययन किया गया। वार्ड वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औसतन शिशु जनसंख्या देवास नगर निगम में 12 प्रतिशत है एवं सबसे अधिक 17 प्रतिशत वार्ड कमांक 05,15 में है तथा न्युनतम वार्ड कमांक 03 में है जिसका विवरण सारणी 3–सा–12 में दर्शाया गया है।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3–सा–12

Child Population Density	WARD	TOTAL WARD
>15	5,15,45	3
13-15	1,4,7,11,13,14,16,24,26,37,38,40,42,44	14
11-13	6,12,17,22,23,25,27,29,30,31,34,39,41,43	14
9-11	2,8,9,10,18,19,20,21,28,32,33,35,36	13
<9	3	1

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

शिशु लिंगानुपात

देवास नगर का शिशु लिंगानुपात 907 बालिका प्रति हजार बालक है, जो कि देवास नगर के लिंगानुपात से काफी कम है और यह भविष्य की एक गंभीर समस्या का विषय है।

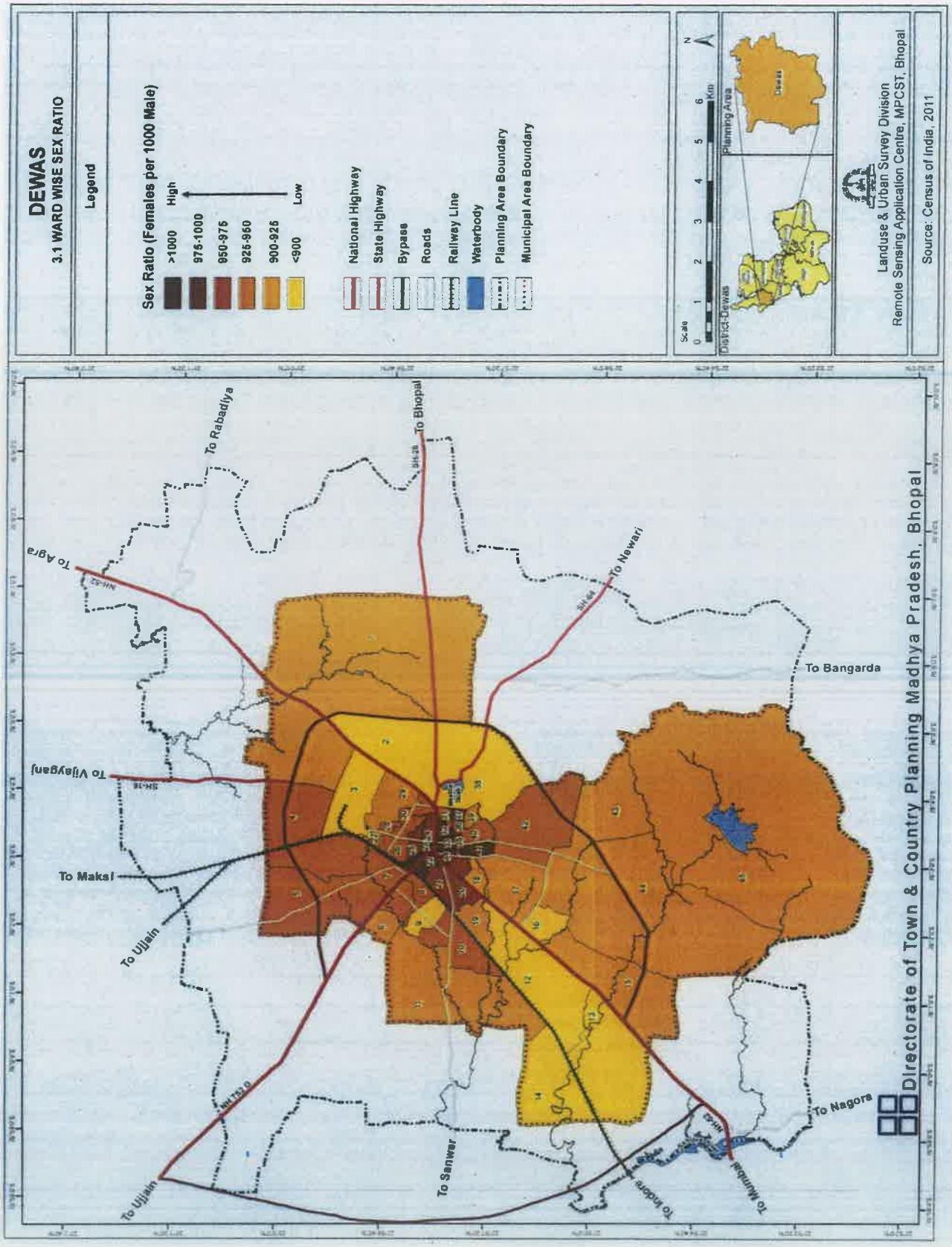
DEWAS
3.1 WARD WISE SEX RATIO
Legend
Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
>1000
975-1000
950-975
925-950
900-925
<900
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijeygarj
To Makai
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

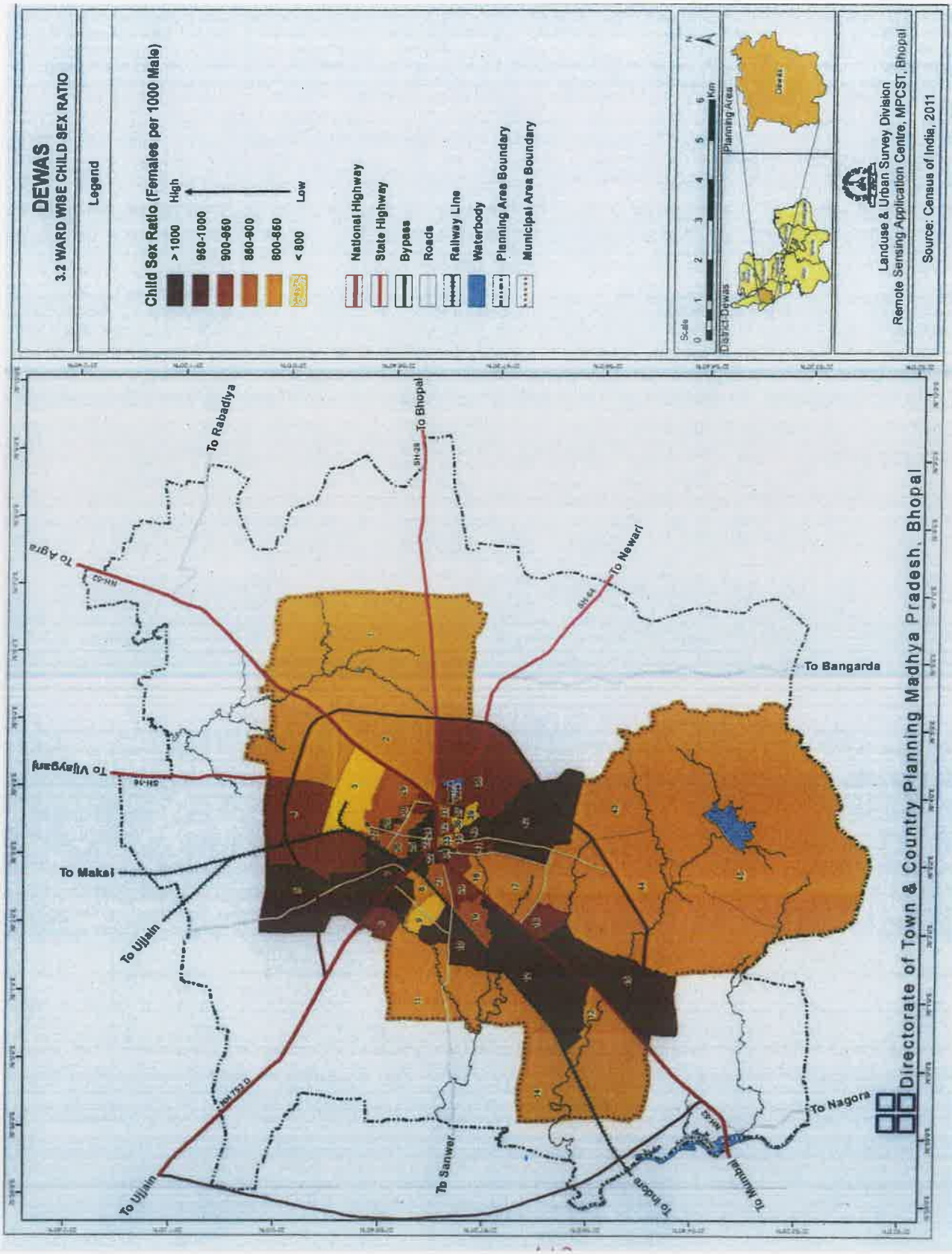
DEWAS
3.2 WARD WISE CHILD SEX RATIO
Legend
Child Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
> 1000
950-1000
900-950
850-900
800-850
< 800
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
District-Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Makai
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora

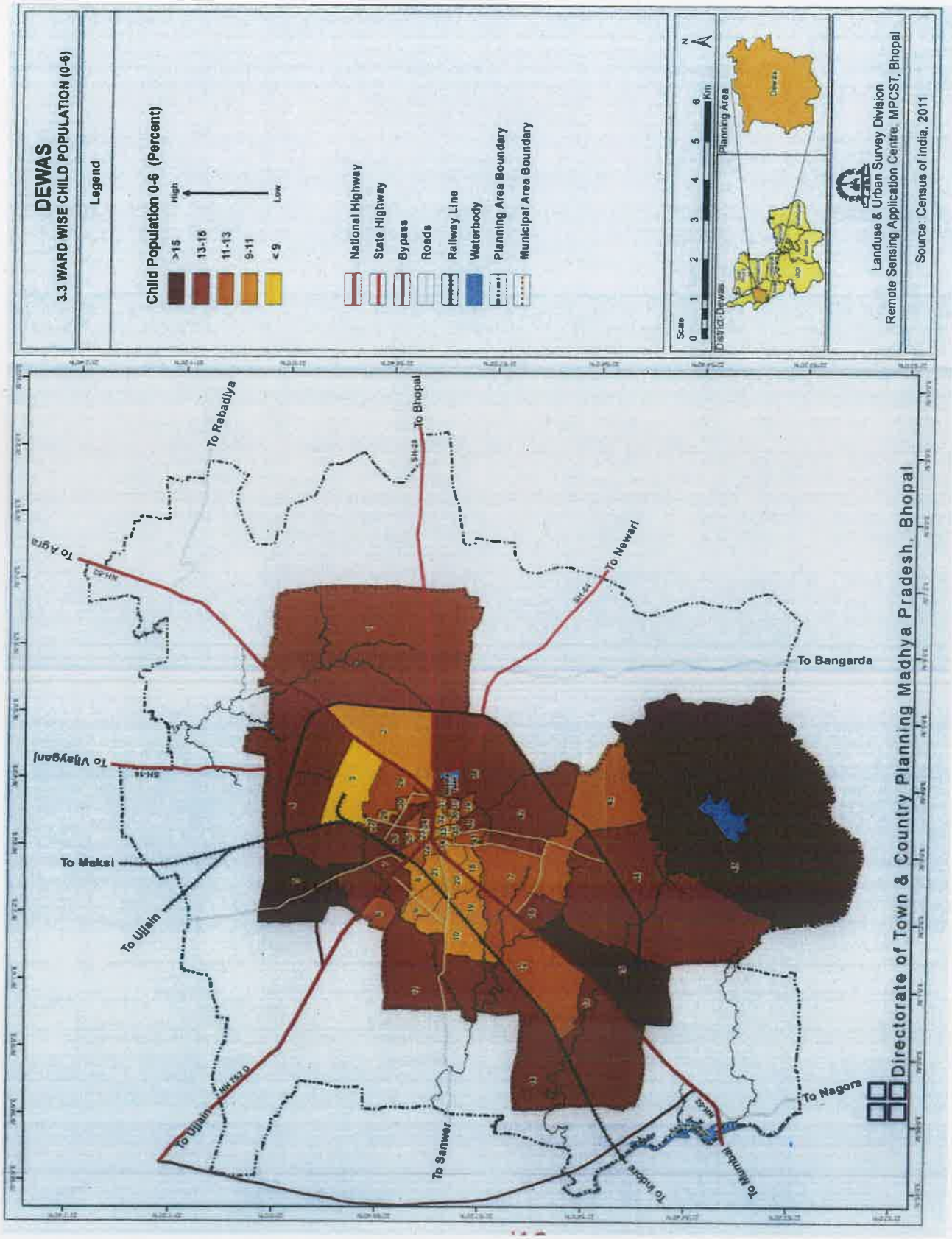
DEWAS
3.3 WARD WISE CHILD POPULATION (0-6)
Legend
Child Population 0-6 (Percent)
High
Low
>15
13-16
11-13
9-11
<9
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

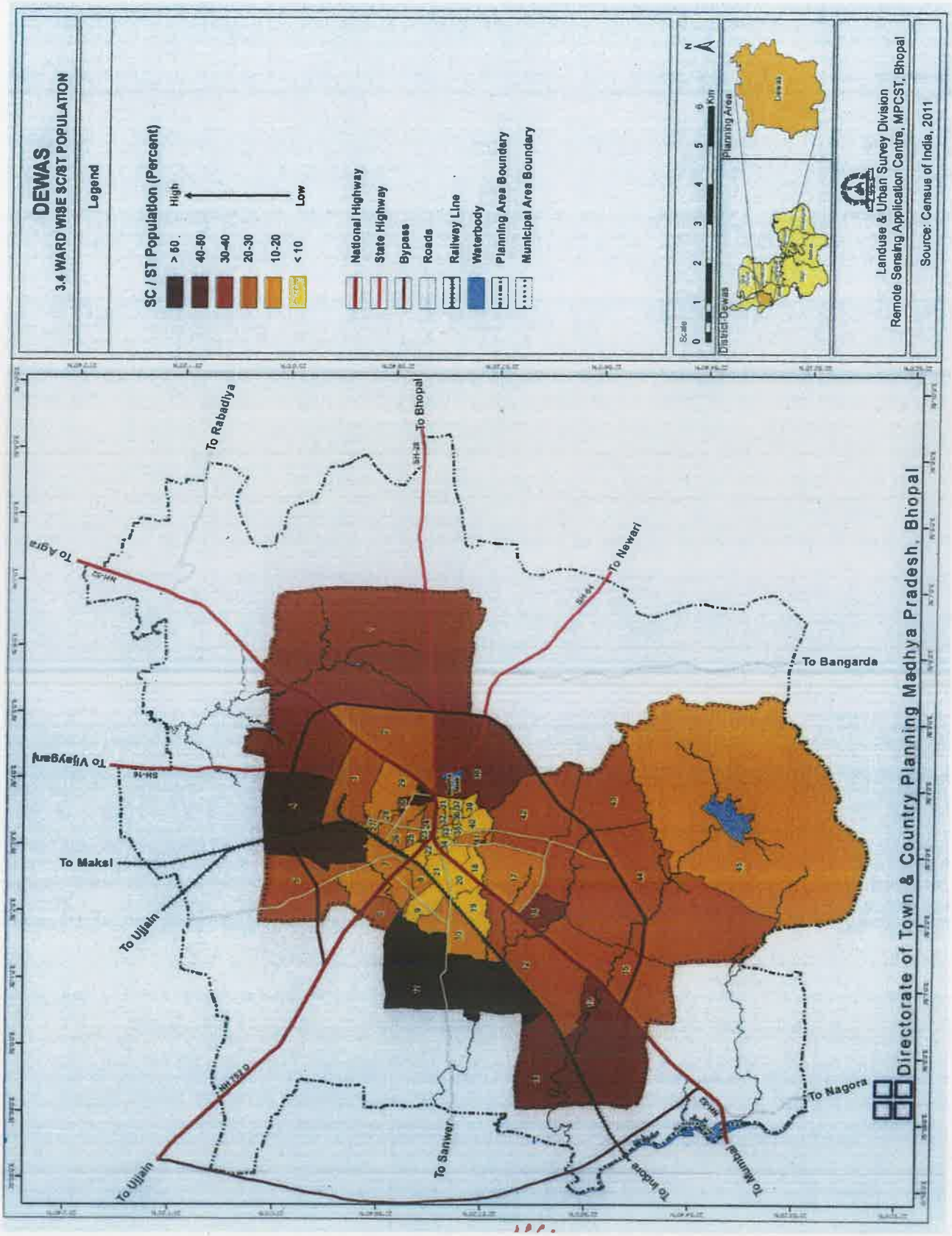
DEWAS
3.4 WARD WISE SC/ST POPULATION
Legend
SC / ST Population (Percent)
High
Low
> 60
40-50
30-40
20-30
10-20
< 10
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Kilometers
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

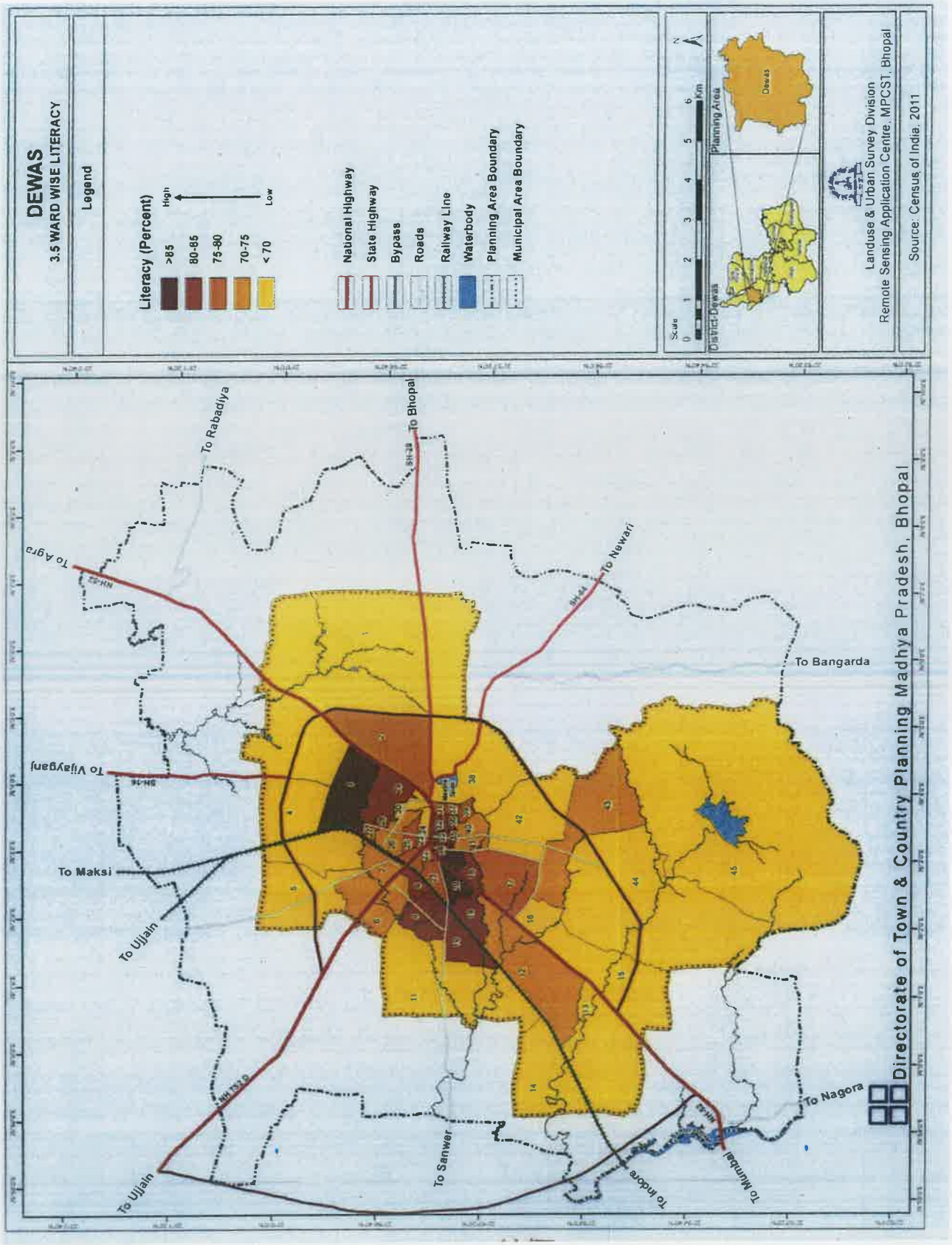
DEWAS
3.5 WARD WISE LITERACY
Legend
Literacy (Percent)
High
Low
>85
80-85
75-80
70-75
< 70
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District-Dewas
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

सारणी 3–सा–13

Child Sex Ratio (Females per 1000 Male)	WARD	TOTAL WARD
>1000	22,24,25,28,34	5
950-1000	5,7,10,12,15,37,40,42	8
900-950	4,6,16,20,23,27,30,32,38,41	10
850-900	19,21,26,29,31,35	6
800-850	1,2,8,11,13,14,17,18,33,43,44,45	12
<800	3,9,36,39	4

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

नगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 19.46 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 3.40 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति–जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 22.86 प्रतिशत है। निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड वार अनुसूचित जाति–जनजाति का विवरण सारणी 3–सा–14 में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3–सा–14

SC ST Population	WARD	TOTAL WARD
>50	11	1
40-50	4,30	2
30-40	1,13,14,16,23,38	6
20-30	2,3,5,6,12,15,24,42,43,44	10
10-20	7,8,10,17,25,26,27,28,29,32,41,45	12
<10	9,18,19,20,21,22,31,33,34,35,36,37,39,40	14

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.5 साक्षरता

साक्षरता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति एक मूल्यांकन सूचक है। जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर भारत वर्ष की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है, पुरूष एवं महिला के आधार पर पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है, पुरूष साक्षरता दर 80.5 प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर 60.00 प्रतिशत है। देवास जिले में साक्षरता दर 74.28 प्रतिशत है, पुरूष की साक्षरता दर 41.38 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 32.89 प्रतिशत है।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3–सा–15

Literacy	WARD	TOTAL WARD
>85	3,20	2
80-85	8,9,10,18,19,28,29,32,33,34,35,36	12
75-80	2,17,21,22,23,25,27,31,37,39	10
70-75	6,7,12,26,40,41,43	7
<70	1,4,5,11,13,14,15,16,24,30,38,42,44,45	14

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.6 कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 अनुसार देवास नगर में कार्यशील जनसंख्या 96,172 जिससे यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं। नगर में कार्य सहभागिता प्रतिशत 33.21 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3–सा–16

Work Participation	WARD	TOTAL WARD
>36	1,11,13	3
34-36	10,12,14,18,20,21,25,39,42,43	10
32-34	2,4,5,15,16,17,19,22,23,24,26,30,31,32,35,38,40,41,45	19
30-32	6,7,8,9,33,34,36,37,44	9
<30	3,27,28,29	4

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.7 जनसंख्या घनत्व

देवास नगर का सकल घनत्व 29.00 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी में दर्शाया गया है।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3–सा–17

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	बिलावली वार्ड	831	5556	7
2	जेतपुरा वार्ड	970	11605	12
3	बी.एन.पी. वार्ड	53	3673	69
4	कालूखेड़ी वार्ड	639	6299	10
5	नौसेराबाद वार्ड	144	5798	40

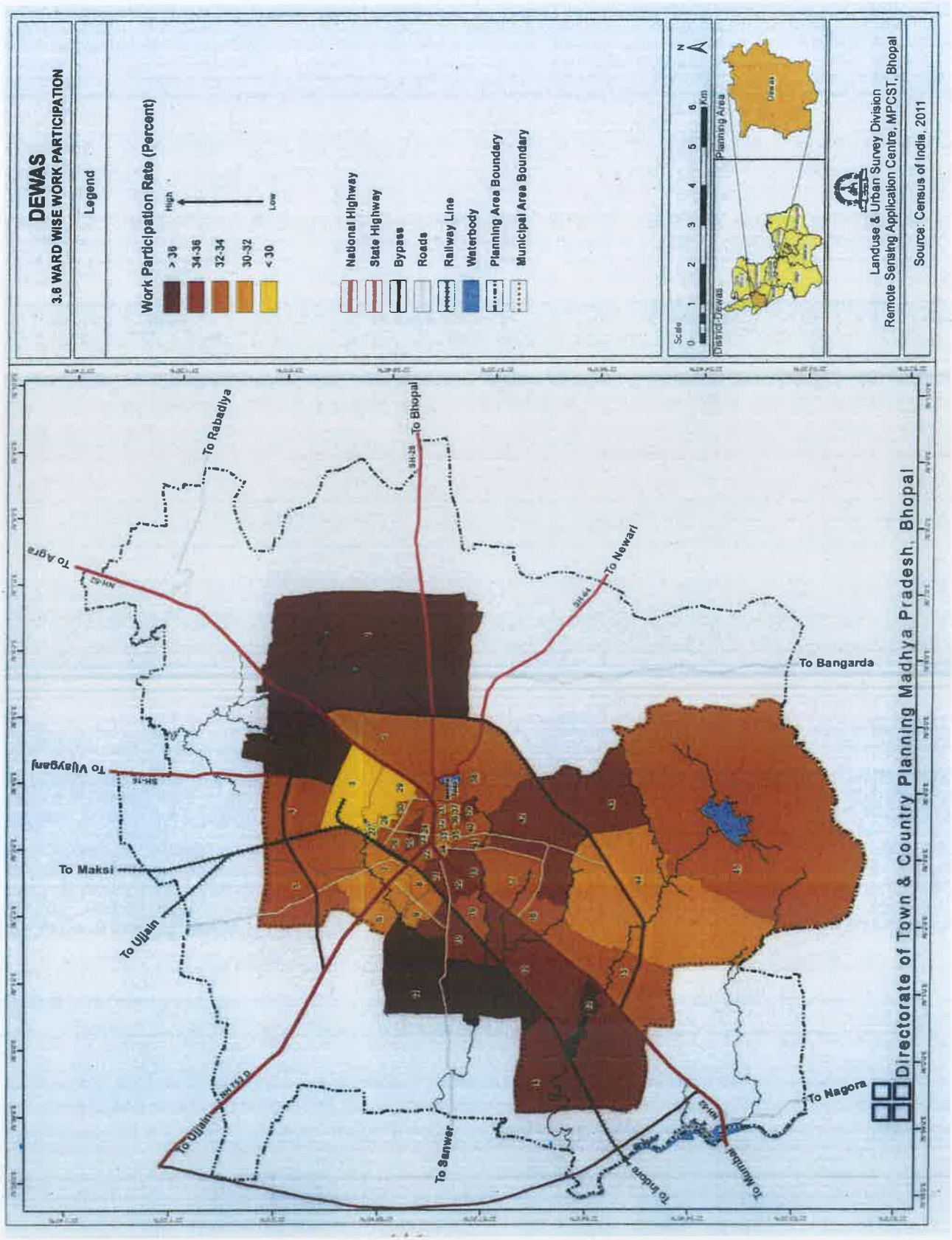
DEWAS
3.6 WARD WISE WORK PARTICIPATION
Legend
Work Participation Rate (Percent)
High
Low
> 38
34-36
32-34
30-32
< 30
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District-Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora

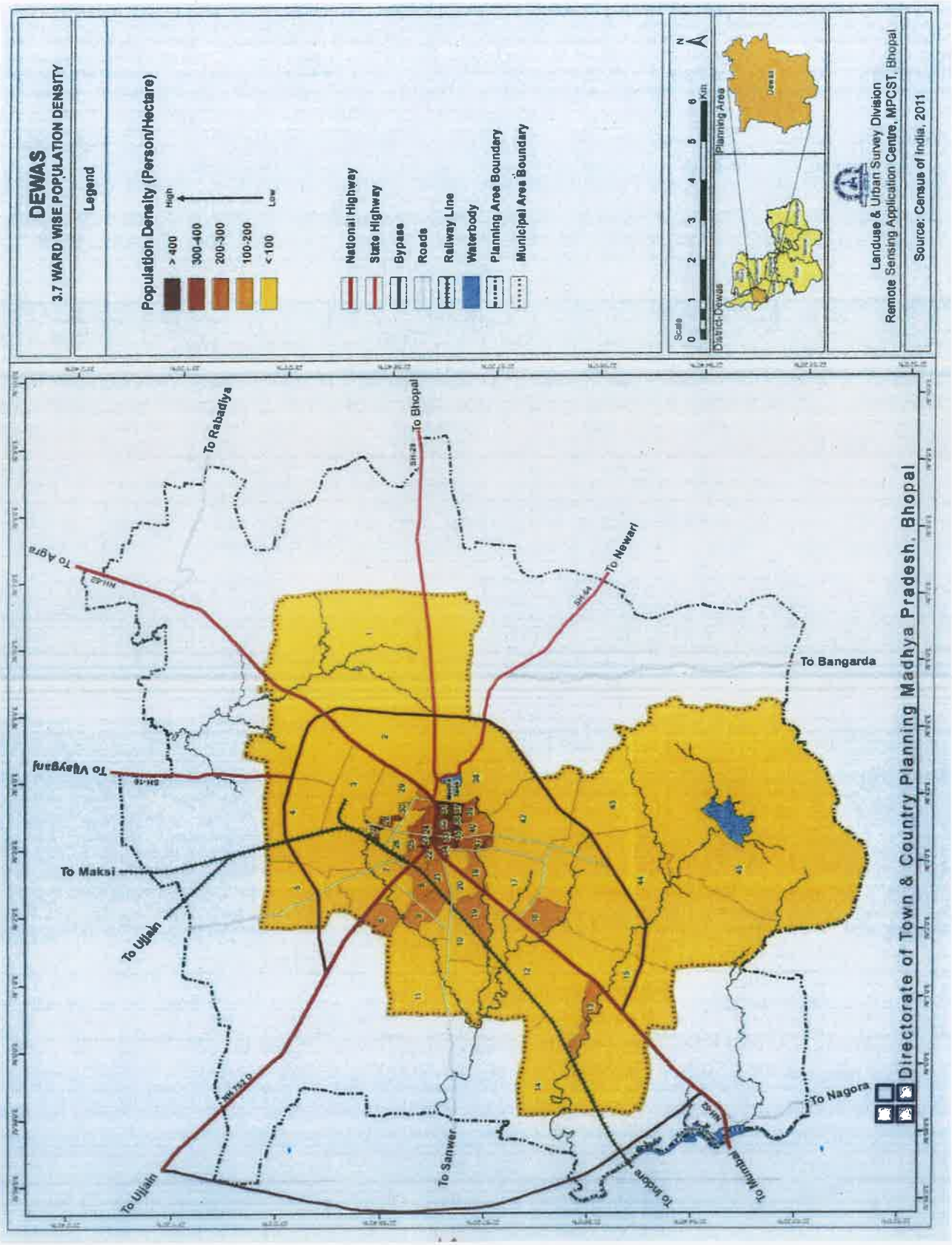
DEWAS
3.7 WARD WISE POPULATION DENSITY
Legend
Population Density (Person/Hectare)
High
> 400
300-400
200-300
100-200
< 100
Low
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
N
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijaygarh
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
To Ujjain

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5
6	इटावा वार्ड	84	8989	107
7	विजय नगर वार्ड	131	14693	112
8	मेंढकी वार्ड	316	6132	19
9	वीराखेड़ी वार्ड	573	8548	15
10	अमोना वार्ड	57	7860	138
11	संजय नगर वार्ड	581	5372	9
12	रसूलपुर वार्ड	323	12378	38
13	बावडिया वार्ड	178	7440	42
14	जवाहर वार्ड	29	5297	183
15	कालानीबाग वार्ड	46	6435	140
16	चामुण्डा कालोनी वार्ड	89	8854	99
17	मोती बंगला वार्ड	40	11400	285
18	अ.स.पटवर्धन वार्ड	25	5104	204
19	नई आबादी वार्ड	35	11320	323
20	गुरूनानक वार्ड	10	5362	536
21	कर्मचारी कालोनी वार्ड	17	5677	334
22	मोतीलाल नेहरू वार्ड	40	6286	157
23	शिवाजी वार्ड	74	4293	58
24	आदर्श नगर वार्ड	18	4392	244
25	राधागंज वार्ड	75	4666	62
26	महात्मागांधी वार्ड	28	5478	196
27	लक्ष्मीबाई वार्ड	379	4874	13
28	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	17	3955	233
29	भवानी सागर वार्ड	4	8822	2206
30	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	7	4700	671
31	जीवाजी वार्ड	8	5101	638
32	बजरंगपुरा वार्ड	8	5688	711
33	सरदार पटेल वार्ड	3	4289	1430
34	सुभाष वार्ड	2	3852	1926
35	तुकोगंज वार्ड	10	3003	300
36	मोहसीनपुरा वार्ड	10	3937	394
37	रेदास वार्ड	40	5556	139
38	रज्जब अली वार्ड	258	7187	28
39	भेरूगढ़ वार्ड	16	4250	266
40	खारी बावड़ी वार्ड	28	5911	211
41	शांतिपुरा वार्ड	22	6263	285

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	**2**	**3**	**4**	**5**
42	शंकरगढ वार्ड	312	8275	27
43	बालगढ़ वार्ड	133	4990	38
44	पालनगर वार्ड	1136	5002	4
45	नागदा वार्ड	2223	4988	2
	योग	**10022.00**	**289550**	**29**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में,घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है। वार्ड क्रमांक 29 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2206 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्ड क्रमांक 34 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 1926 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 45 में 2 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3–सा–18 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व

सारणी 3–सा–18

Population Density	WARD	TOTAL WARD
>400	23,27,31,35,36,37	6
300-400	28,32,33,34	4
200-300	24,25,39,41	4
100-200	6,8,9,13,16,18,19,21,22,30,40	11
<100	1,2,3,4,5,7,10,11,12,14,15,17,20,26,29,38,42,43,44,45	20

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि देवास नगर भिन्न–भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना के प्रस्ताव ठोस एवं परिणाम कारक हो, जिससे कि अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना कम घनत्व के क्षेत्रों में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

3.6 जनसंख्या परिवर्तन

निम्न सारणी में नगर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गई है :–

जनसंख्या परिवर्तन

सारणी 3–सा–19

क्र.	वर्ष	जनसंख्या (देवास नगर पालिक क्षेत्र)	दशक वृद्धि दर
1	**2**	**3**	**4**
1	1951	27897	21.6
2	1961	34577	23.9
3	1971	51966	50.3
4	1981	83465	60.6
5	1991	164364	96.9
6	2001	230765	40.4
7	2011	289550	25.4

स्त्रोतः– भारत की जनगणना वर्ष 2011

नोट :–वर्ष 1951–1971 तक देवास निवेश क्षेत्र का गठन नही हुआ था। देवास निवेश क्षेत्र का प्रथम बार गठन वर्ष 1974 में किया गया था, अतः वर्ष 1981 से 2011 तक की जनसंख्या निवेश क्षेत्र की है।

3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर हेतु नियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले आसपास नगरों की गतिविधियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उदार आर्थिक नीति के कारण नगरीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहे है। इस प्रकार नगर नियोजन नगर के लिये आवश्यकता बन जाती है। इन बातों को ध्यान रखते हुए नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का अंतिम लक्ष्य है। उक्त आधार पर देवास नगर के मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

प्रशासनिक केन्द्र :–

देवास नगर का इतिहास बहुत पुराना है। जूनियर–सीनियर देवास की जुड़वा रियासतों (छोटी पाती–बड़ी पाती) के शासक पुराने परमार वंशज के वारिस थे। सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात् देवास नगर मध्य भारत का एक भाग बन गया। देवास आज मालवा क्षेत्र का प्रमुख जिला है तथा यहाँ पर जिला स्तर के विभिन्न शासकीय कार्यालय कार्यरत है।

व्यापार एवं वाणिज्यिक :–

देवास नगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 52 एवं राज्य मार्ग क्रं. 18 के संगम पर स्थित होकर पश्चिम रेलवे एवं मध्य रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। देश के प्रमुख वाणिज्यिक नगर इन्दौर से निकट स्थापित होने से यह नगर व्यापार वाणिज्यिक दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। यह नगर कृषि उपज, तेल, बीजों तथा वनोपज का एक बड़ा मण्डी केन्द्र है। यहाँ पर बैंक नोट प्रेस एवं अग्रणी व्यवसायिक संस्थाओं के कार्यालय भी स्थित है।

औद्योगिक केन्द्र :–

औद्योगिक दृष्टि से यह नगर उपयुक्त स्थान पर स्थित होने से तथा प्रदेश के इन्दौर एवं उज्जैन दो प्रमुख विकासशील नगरों के निकटस्थ होने से तथा बढ़ते कुछ औद्योगीकरण के कारण पिछले दशकों में यह नगर प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में सामने आया है। यहाँ स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं रसायनों का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में औद्योगीकरण का विस्तार हुआ है।

3.8 नगरीय विस्तार

देवास निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग–अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृति विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी में स्पष्ट है। सारणी से यह स्पष्ट होता है कि, नगर विकास/विस्तार का क्रम वर्ष 2001 में 2057.0 हेक्टेयर तथा उसके पश्चात् वर्ष 2020 तक लगभग 4028.00 हेक्टेयर विकास हुआ है।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3–सा–20

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे.में.)
1	**2**	**3**
1	2001 तक	2057.00
2	2001-2012	266.00
3	2012-2020	1705.00
कुल		**4028.00**

3.9 गंदी बस्ती एवं झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र

नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त जानकारी अनुसार देवास नगर में गन्दी बस्ती ग्राम बिलावली, ग्राम अमोना, माताजी रोड़, ग्राम बालगढ़, राजीव नगर एवं नई आबादी (वार्ड क्रमांक 1, 15, 29, 47, 44, 45) में स्थित है, नगर में 81 गंदी बस्ती क्षेत्र पाये गये है। उपरोक्त के अलावा 1100 जीर्ण–शीर्ण आवास पाये गये। जिसमें 1.30 लाख जनसंख्या निवास करती है।

3.10 योजना कालावधि

नगर विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन नगर विकास की नितियाँ एवं दिशा निर्धारण हेतु योजना की कालावधि निर्धारित की जाना आवश्यक है, ताकि निश्चित समय–सीमा के आधार पर जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकता का पूर्ण आंकलन किया जा सके।

इस विकास योजना की कालावधि 2041 तक निर्धारित की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव जैसे मार्ग, जल प्रदाय आदि विकास योजना की कालावधि के बाद के विकास के लिये भी आधार भूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे। अतः देवास विकास योजना से प्रस्ताव

कालावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी विकास योजना के पुनः पुर्नविलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा इस विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील होंगे।

3.11 अनुमानित जनसंख्या

वर्ष 2041 की भावी जनसंख्या का आकलन करने हेतु वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सांख्यिकी पद्धति के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन किया गया है –

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)
2. अंकगणितीय प्रगति पद्धति (Arithmetic Progression Method)
3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method)
4. घातांकीय पद्धति (Exponential Progression Method)

विगत दशकीय वृद्धि दर के आंकडों से यह स्पष्ट है कि देवास नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1951 में 6.81 प्रतिशत, 1961 में 23.95 प्रतिशत, वर्ष 1971 में 50.29 प्रतिशत, 1981 में 60.61 प्रतिशत, 1991 में 96.93 प्रतिशत, 2001 में 40.40 प्रतिशत व 2011 में 25.67 प्रतिशत रही है। उक्त स्थिति में विगत दशकों में नगर की असमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुये उपरोक्त उल्लेखित पद्धतियों से वर्ष 2041 की जनसंख्या अनुमानित की गई है।

अनुमानित जनसंख्या (Population Projection)

सारणी 3–सा–21

S.No.	Year	Population	Growth Rate
1	**2**	**3**	**4**
1	1951	27897	6.81%
2	1961	34577	23.95%
3	1971	51966	50.29%
4	1981	83465	60.61%
5	1991	164364	96.93%
6	2001	230765	40.40%
7	2011	289550	25.47%

Growth Rate

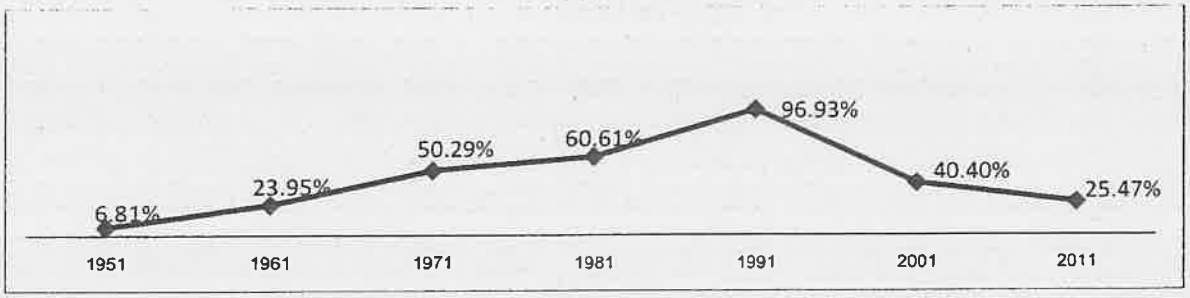

3.11.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

देवास नगर की दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021, 2031 एवं 2041 की जनसंख्या का अंकलन कर नियमानुसार गणितिय पद्धितयों से किया गया है, जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:–

सारणी 3–सा–22

POPULATION DATA FOR TOWN DEWAS (RURAL)					
Sr. No.	Year	Population	Decadal Increse (X)	Incremental Increse (Y)	Decadal Growth Rate
1	1951	27897			6.81%
2	1961	34577	6680		23.95%
3	1971	51966	17389	10709	50.29%
4	1981	83465	31499	14110	60.61%
5	1991	164364	80899	49400	96.93%
6	2001	230765	66401	-14498	40.40%
7	2011	289550	58785	-7616	25.47%
Average			43609	10421	49.61%

Population Projection by Incremental Increase Method(URBAN)		
Pn=Po+nx+n*(n+1/2*y)	Population of 2021	343580
Pn=Population of the year to be projected	Population of 2031	408031
Po=Population of the base year	Population of 2035	436729
n= number of decad	**Population of 2041**	**482903**
X= Avg. decadal increase		
Y= Avg. Incremental increase		
Population Projection by Arthmatic Progression Method		
Pn=Po+nx	Population of 2021	333159
	Population of 2031	376768
	Population of 2035	394211
	Population of 2041	**420377**
Population Projection by Geomatrical Method		
Pn=Po(1+r/100)^n	Population of 2021	417024
r=Geometrical Mean	Population of 2031	600618
0.44	Population of 2035	694982
0.17	**Population of 2041**	**865039**
Population Projection by Exponatial Method		
Pt=P0*e^kt	Population of 2021	384908
	Population of 2031	510875
	Population of 2035	572135
	Population of 2041	**678068**

3.11.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

अधिसुचना क्रमांक एफ–3–42–2021–18–5, दिनांक 06/04/2021 द्वारा देवास निवेश क्षेत्र की पुर्नरिक्षित सीमाओं का गठन किया गया। उक्तानुसार देवास विकास योजना 2041 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन निम्नानुसार चार गणितिय पद्धति द्वारा किया गया है, जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी 3–सा– 23

POPULATION DATA FOR TOWN DEWAS (RURAL)					
Sr. No.	Year	Population	Decadal Increse (X)	Incremental Increse (Y)	Decadal Growth Rate
1	1971	13852			
2	1981	18806	4954		35.76%
3	1991	25203	6397	1443	34.02%
4	2001	31516	6313	-84	25.05%
5	2011	44242	12726	6413	40.38%
Average			7598	2591	33.80%

Population Projection by Incremental Increase Method(RURAL)		
Pn=Po+nx+n*(n+1/2*y)	Population of 2021	54430
Pn=Population of the year to be projected	Population of 2031	67209
Po=Population of the base year	Population of 2035	73046
n= number of decad	**Population of 2041**	**82579**
X= Avg. decadal increase		
Y= Avg. Incremental increase		
Population Projection by Arthmatic Progression Method		
Pn=Po+nx	Population of 2021	51840
	Population of 2031	59437
	Population of 2035	62476
	Population of 2041	67035
Population Projection by Geomatrical Method		
Pn=Po(1+r/100)^n	Population of 2021	58977
r=Geometrical Mean	Population of 2031	78620
0.33	Population of 2035	88200
0.25	**Population of 2041**	**104804**
Population Projection by Exponatial Method		
Pt=P0*e^kt	Population of 2021	48447
	Population of 2031	64189
	Population of 2035	71835
	Population of 2041	**85045**

3.11.3 देवास निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सारणी 3–सा–24

क्रमांक	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035	2041
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)**	398010	475240	509775	565481
2	**अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)**	384998	436205	456687	487411
3	**ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)**	476001	679238	783182	969844
4	**घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)**	433355	575064	643970	**763114**

विकास योजना 2041के लिए कुल जनसंख्या का आंकलन चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। चुंकि विकास योजना 2031, 5.50 लाख कि जनसंख्या के लिए तैयार की गई है। अतः घातांकीय वृद्धि पद्धति के अनुसार वर्ष 2041 हेतु 7.60 लाख अनुमानित जनसंख्या आंकलित की गई है। जिसके आधार वर्ष 2041 के लिए 7.60 लाख अनुमानित जनसंख्या मान्य करते हुए आगामी अध्यायों मे गणना की गई है।

उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2041 तक आंकलित जनसंख्या को ग्राफ के माध्यम से चित्रण निम्नानुसार है।

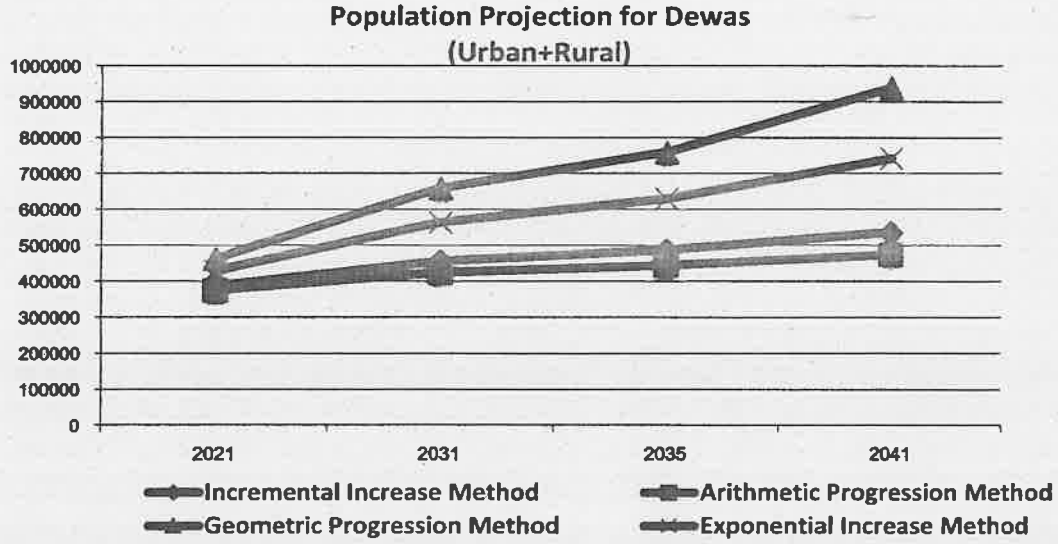

3.12 आवासीय ईकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यकता

3.12.1 आवासों की कमी

नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त जानकरी के अनुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र अतंर्गत 4,00,000 जनसंख्या 65135 आवासों में निवासरत है, जो प्रति आवास निवासित व्यक्तियों की औसत संख्या 6.14 आती है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता 5.0 के मान से 14865 आवासों की कमी परिलक्षित होती है।

नगर के 81 गंदी बस्ती में लगभग 1,46128 जनसंख्या निवासरत है, 5.20 व्यक्ति के औसत परिवार के आधार पर 28181 झुग्गियों का अनुमान लगाया जा सकता है जिसमें 30 प्रतिशत आवासों के पुनर्निमाण की आवश्यकता की परिकल्पना करने पर 8454 से 8500 है। उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी में किया गया है।

उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

आवासों की कमी

सारणी 3–सा–25

क्र.	विवरण	रहवासी इकाई आवासों की कमी		
		कुल	पुर्नस्थापना का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	वर्ष 2025 तक के आवासों की कमी (परिकल्पित कुल उपलब्ध इकाईयों का 10 प्रतिशत)	...	....	14865
	गंदी बस्ती, जीर्ण–शीर्ण एवं कच्चे आवास	28181	30	8500
	योग	...	...	23865

उपरोक्तानुसार वर्तमान में निवेश क्षेत्र में लगभग 23865 आवासों की कमी का आंकलन किया गया है तथा वर्ष 2041 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिये आवासों की आवश्यक्ता निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता

जनगणना 2011 के आधार पर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में एवं परिवार का औसत आकार के आधार पर वर्ष 2041 तक की अनुमानित जनसंख्या 7.60 लाख एवं परिवार का औसत आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार मानते हुये वर्ष 2041 तक के लिये आवासीय इकाईयों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 3–सा–26 में दर्शाया गया हैं।

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता–2041

सारणी 3–सा–26

क्र.	विवरण	आवासीय इकाई की आवश्यकता 2041
1	**2**	**3**
1	जनसंख्या (लाख में) नगर पालिका क्षेत्र + बाह्य वृद्धि क्षेत्र	7.60
2	अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2041 तक	3.60
3	वर्ष 2025 से वर्ष 2041 के लिये औसत परिवार का अनुमानित आकार	5
4	अतिरिक्त परिवार	72000
5	वर्ष 2041 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता (लगभग)	64800
6	कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता	28181
7	निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (65135 मकान)	651
8	वर्ष 2025 की आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए कुल आवास आवश्यकता	93632

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 2041 की आवासीय भू–उपयोगिता दर 5.26 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति लेते हुए लगभग 2462.0 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

3.12.3 आवासों का प्रकार

वर्ष 2041 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 93632 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिप्रेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जावें। अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास का विवरण निम्न सारणी क्रमांक 3–सा–27 में दिया गया है।

आय समूह अनुसार आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता–2041

सारणी 3–सा–27

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	40	34726
2	निम्न आय वर्ग	30	26045
3	मध्यम आय वर्ग	25	21704
4	उच्च आय वर्ग	5	4341
	योग	**100**	**86816**

3.13 भौतिक अधोसंरचना

3.13.1 भौतिक अधोसंरचना की दूरगामी परियोजनाएं

भौतिक अधोसंरचना के विकास हेतु आवश्यक है, कि विस्तृत योजना एवं वांछित मापदण्डों की उपलब्धता के साथ विकास योजना काल में क्रियान्वयन हेतु दीर्घकालिन योजनाएं तैयार की जावे। उक्त योजना संबधित विभागों/संस्थाओं द्वारा विकास योजना के परिपेक्ष्य में अर्थात जल प्रदाय जलमल निकास प्रणाली का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगर पालिक निगम के समन्वय के साथ तैयार किया जाना आवश्यक है।

3.13.2 जल प्रदाय

नगर पालिक निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार इन जल स्त्रोतों से नगर को जल प्रदाय किया जा रहा है :–

1. क्षिप्रा/नर्मदा जल यंत्रालय

नगर में वर्तमान में प्रतिदिन 43.0 एम.एल.डी. जल प्रदाय किया जा रहा है, जो वर्तमान आवश्यकता से कम है।

वर्ष 2041 की आंकलित जनसंख्या 7.60 लाख की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 135 एल.पी.सी.डी. के मान से जल प्रदाय के लिए क्षिप्रा/नर्मदा जल यंत्रालय का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

नगर में किया जा रहा जल प्रदाय आवश्यकता से बहुत कम है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में निजी स्त्रोत भी सूख जाते है, इस कारण घटी हुई क्षमता को बढ़ाने के लिये कृत्रिम विधियों से भू–जल वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

कुंओं, हेण्डपम्पों एवं नलकूपों में वर्षाजल को एकत्रित कर भू–जल (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) एक असरदार तकनीक है। इससे भू–जल भण्डार में वृद्धि होगी। साथ ही रिचार्ज पिट (गढ़ढा), रिचार्ज ट्रेंच, रिचार्ज शाफ्ट में भी छत का पानी इकट्ठा कर रिचार्ज किया जा सकता है। इन पद्धतियों का समावेश भूमि विकास नियम, 2012 में किया गया है। जिसका पालन प्रत्येक निजी ट्युबवेलधारी को करना अनिवार्य होगा। इस हेतु देवास प्रशासन द्वारा भी रेन वॉटर हार्वेस्टींग फिल्टर की संरचना तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त अति दोहन वाले क्षेत्र में नये नलकूपों एवं कूपों का निर्माण तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। भू–जल अधिनियम बनाकर इस पर तकनीकी अनुशासन लागू किया जा सकता है।

3.13.3 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू–जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनिकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

वर्तमान स्थिति अनुसार देवास नगर में 36 वार्ड के लिए 3 जल अपशिष्ट प्रबंधन (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) (12 एम.एल.डी., 14 एम.एल.डी., 22 एम.एल.डी.) एवं 272 किमी लम्बी सिवरेज पाईप लाईन है।

उपरोक्तानुसार नगर में कुल 44 एम.एल.डी. केपीसीटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। एवं शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2041 की प्रस्तावित जनसंख्या 7.60 लाख अनुसार 70.0 एम. एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी।

3.13.4 वर्षा जल निकासी

नगर की भूमि सामान्यतः समतल है, किन्तु चामुण्डा टेकरी एवं शंकरगढ़ टेकरी नगर में पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनसे नगर के समीप में मुख्य रूप से दो तालाब मीठा तालाब एवं नागदा ग्राम में तालाब स्थित है। नगर का जल बहाव मुख्यतः दक्षिण की ओर क्षिप्रा नदी की ओर है। लेकिन औद्योगिक बस्ती के उत्तर में स्थित क्षेत्र का ढाल उत्तर–पूर्व दिशा की ओर है।

3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ट्रेंचिंग ग्राउण्ड

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु नगर पालिक निगम देवास द्वारा शंकरगढ की टेकरी से लगकर देवास जुनियर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1258 एवं 1259 कुल रकबा 10 हेक्टेयर भूमि पर (ट्रेंचिंग ग्राउण्ड) अपशिष्टों का निस्तारण किया जा रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड से 300 मीटर तक किसी भी प्रकार की विकास अनुमति दी जाना प्रतिबंधित रहेगी। वर्ष 2041 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी मापदण्ड के परिपालन में शहरी बसाहट की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।जन सामान्य की मांग पर ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा किया जावेगा, जो कि बाहरी आबादी से दूर, कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा।

3.13.6 विद्युत प्रदाय

देवास राष्ट्रीय पावर ग्रीड से जुड़ा हुआ है, बिजली की आपूर्ति मुख्यतः इन्दौर ग्रीड से की जाती है। नगर में वर्ष 2018 में लगभग 1779 मेगावाट कि विद्युत खपत होना पायी गई है।

निम्नलिखित सारणी से वर्ष 2018 में प्रयोजन के आधार पर वर्गवार विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत की खपत को लघु तनाव एवं उच्च तनाव वर्गीकृत कर दर्शाया गया है।

विद्युत प्रदाय

सारणी 3–सा–28

Type	Residential	Commercial	Industrial	Agricultural	Others	Total
No. of Electric Connections(LT)	54762	7922	825	726	363	64598
Electric Consumption(LT)	856.69	238.48	181.44	59.22	53.18	1389.01
No. of Electric Connections(HT)	-	-	136	-	-	136

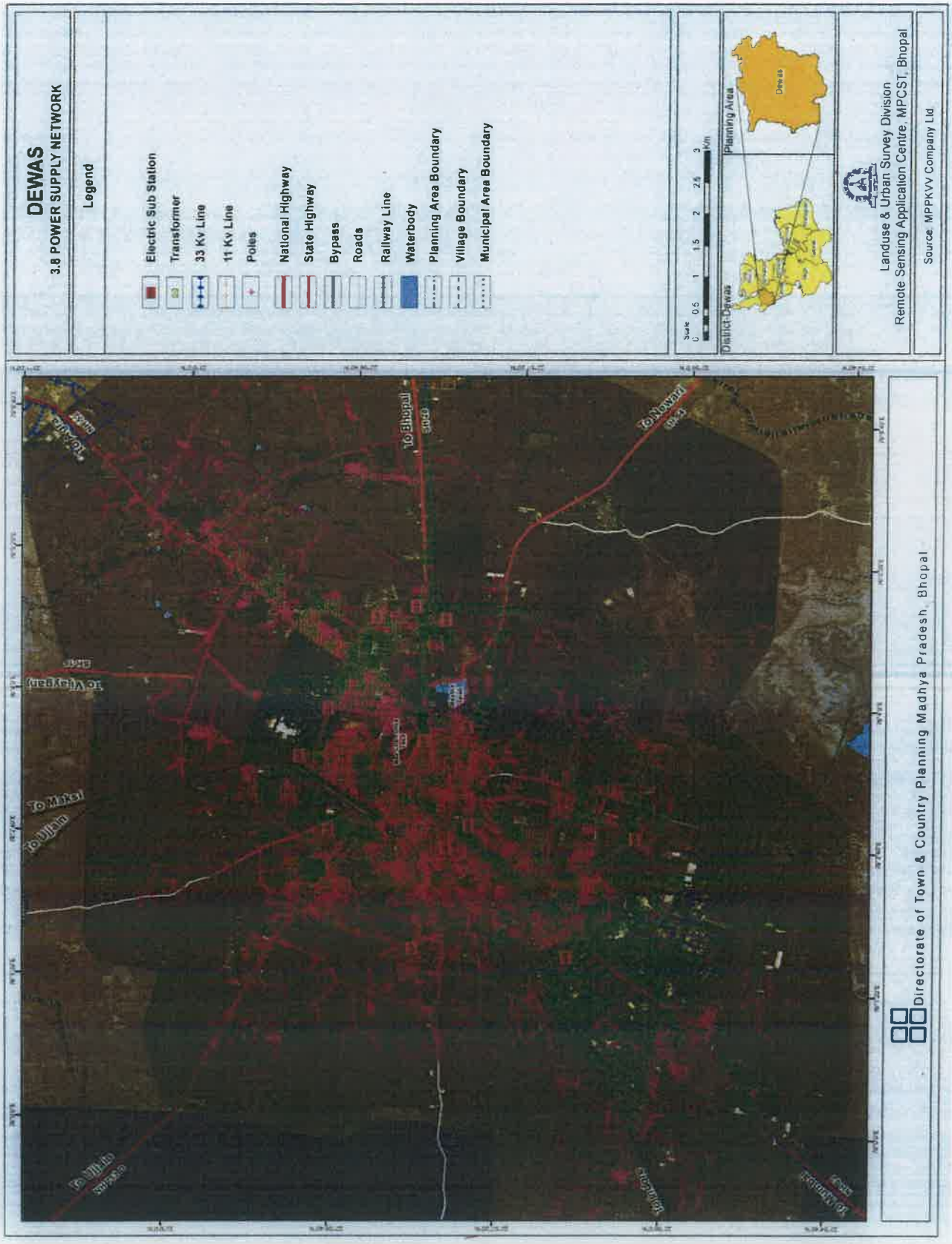
DEWAS
3.8 POWER SUPPLY NETWORK
Legend
Electric Sub Station
Transformer
33 Kv Line
11 Kv Line
Poles
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: MPPKVV Company Ltd.
To Bhopal
To Nowari
To Vijaypur
To Maksi
To Ujjain
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

Electric Consumption(HT)	-	-	390.08	-	-	390.08
TOTAL(LT+HT)	54762	7922	961	726	363	64734
TOTAL(LT+HT)	856.69	238.48	571.52	59.22	53.18	1779.09

स्त्रोतः– म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण

3.14 सामाजिक अधोसंचरना

3.14.1 शासकीय कार्यालय

देवास नगर जिला मुख्यालय होकर नगर में लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय स्थापित हैं।

3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं

सामाजिक अधोसंरचना का विश्लेषण यू.आर.डी.पी.एफ.आई. (URDPFI) के मानकों के अनुसार शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की तुलना मानकों के अनुसार वर्तमान आवश्यकता तथा भावी आवश्यकता का आकलन किया गया है।

3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां

शैक्षणिक गतिविधियॉं

देवास नगर, देवास जिले के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र है। नगर में चार शासकीय महाविद्यालय– 1. कला एवं वाणिज्य, 2. विज्ञान महाविद्यालय, 3. शासकीय महिला महाविद्यालय, 4. लॉ कॉलेज संचालित है। इसके अतिरिक्त एक पॉलीटेक्नीक तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित है। वर्ष 2018 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति निम्नानुसार है।

शैक्षणिक गतिविधियां

सारणी 3–सा–29

Type of Institutions	Primary	Middle	Secondary	Senior Secondary	Colleges				
					General	Medical	Engineering	Law	Total
No. of Govt.	17	31	02	04	03	00	00	01	04
No. of Private	00	57	99	151	07	00	00	00	07
Total	17	88	101	155	10	00	00	01	11

स्त्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी देवास एवं के.पी.कॉलेज देवास

स्वास्थ्य गतिविधियॉं

नगर में उपलब्ध अच्छी स्वास्थ्य सेवाऐं नगर एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वर्तमान में नगर में एक शासकीय मुख्य चिकित्सालय के साथ–साथ बीमा चिकित्सालय भी है, जिनमें क्रमशः 400 एवं 40 बिस्तर है। इसके अतिरिक्त नगर मे 1 शासकीय औषधालय जिसमे 30 बिस्तर की क्षमता है एवं 25 शासकीय प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र है जिसमें लगभग 140 बिस्तर की क्षमता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित निजी चिकित्सक नर्सिंग होम आदि भी स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराते है। यहां विशेषीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।

विकास योजना 2031 में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु दिये गये प्रस्तावों का क्रियान्वयन निवेश इकाई स्तर पर नहीं हो सका है। विकास योजना 2041 में पुनः निवेश इकाईवार चिकित्सा केन्द्रों का प्रावधान रखा गया है।

3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में 15 श्मशान एवं कब्रिस्तान विद्यमान है, जिन्हें यथावत नियोजन में समाहित किया गया है। नगर के भावी जनसंख्या एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नये श्मशान एवं कब्रिस्तान, कृषि उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थलों का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय संस्था की सहमति से किया जावेगा।

3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

वर्तमान में नगर में 02 अग्निशमन केन्द्र हैं, जिसमें से एक औद्योगिक क्षेत्र में एवं एक पटर्वधन मार्ग (पुराना मछली बाजार) में स्थित है। नगर के विभिन्न परिक्षेत्रों की गतिविधियों से संबंधित योजना बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र के लिए सुगम अग्निशमन पहुंच सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जावेगा।

3.14.6 पेट्रोल पम्प/सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र

वर्तमान में देवास नगर में 15 पेट्रोल पम्प/गैस स्टेशन संचालित है। साथ ही खाना बनाने के लिए भी सी.एन.जी. गैस पाईप लाईन द्वारा गैस सप्लाई की जा रही है।

अध्याय–4

विकास योजना प्रस्ताव–2041

निवेश क्षेत्र की पुनर्विलोकित विकास योजना 2031 म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2/2012/32 दिनांक 08/06/2018 द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत अनुमोदित की जाकर राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 17/08/2018 से प्रभावशील की गई थी। विकास योजना का योजनाकाल वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं का आंकलन कर निर्धारित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.90 लाख के आधार पर वर्ष 2031 के लिये अनुमानित जनसंख्या 5.50 लाख आंकलित करते हुए विकास योजना 2031 के नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे। अमृत योजना के अंतर्गत विकास योजना को जी.आई.एस. पद्धति के आधार पर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यद्यपि विकास योजना की कालावधि की जनसंख्या के आधार पर पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं है तथापि अमृत योजना के अंतर्गत जी.आई.एस पद्धति पर आधारित विकास योजना तैयार की गई है।

4.1 विकास योजना–2031 का पुनर्विलोकन

निवेश क्षेत्र की वर्ष 2031 की जनसंख्या का आंकलन कर एवं वर्तमान भूमि उपयोग का पूर्व अध्याय में विश्लेषण कर वर्ष 2041 के लिए विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत आवश्यक भूमि उपयोग का आंकलन किया गया है। वर्ष 2001 में दशकीय जनसंख्या दर 40.4 प्रतिशत है एवं वर्ष 2011 में दशकीय जनसंख्या दर 25. 4 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2025 के लिए (नगरीय + ग्रामीण) अनुमानित जनसंख्या 4,50,000 आंकलित की गई है। तद्नुसार वर्ष 2041 के लिए निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 7.60 लाख हेतु पुनर्विलोकन किया जाना प्रस्तावित है।

4.2 नियोजन अवधारणा

किसी भी नगर का आकार एवं स्वरूप प्राकृतिक तथा मानवीय प्रतिरूप से प्रभावित होता है। क्षेत्र की स्थल आकृतियां पहाड़, नदी, नाले, तालाब आदि नगर के भौतिक स्वरूप को प्रभावित करते है। नगर विंध्य पहाड़ियों के कारण समतल पठार के उत्तरी–दक्षिणी ढाल पर चामुण्डा पहाड़ी के चारों ओर स्थित है। विकास योजना 2031 में प्रस्तावित नियोजन अवधारणा को देवास विकास योजना 2041 के लिये यथावत रखा गया है। नगरीय विकास की वर्तमान आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मिश्रित उपयोग की अवधारणा को भी सम्मिलित किया गया है।

विकास योजना 2041 की विकास अवधारणा निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :–

(1) अन्य नगरीय गतिविधियों मे कम से कम सामंजस्य रखते हुए, औद्योगिक उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना।

(2) नागरिकों एवं माल के सुरक्षित तथा शीघ्र आवागमन हेतु नगर में सक्षम परिवहन तंत्र की व्यवस्था करना।

(3) भूमि का समुचित एवं तर्क संगत उपयोग।

(4) विभिन्न धार्मिक पुरातत्व का संरक्षण एवं संधारण।

(5) नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने के लिए विभिन्न मुख्य मार्गों पर मिश्रित प्रस्ताव।

(6) वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।

(7) प्रमुख व्यापारिक–वाणिज्यिक एवं कृषि आधारित उत्पाद पर आधारित औद्योगिक केन्द्र के प्रस्ताव।

(8) प्रदूषणकारी उद्योगों को नगरीय क्षेत्र से बाहर प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव।

(9) नगर के कार्यकेन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना।

(10) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नालों, जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण।

(11) ग्रामीण आबादी के आसपास आवासीय उपयोग के विकास के प्रस्ताव।

4.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल

जनसंख्या आंकलन के अनुसार वर्ष 2041 तक देवास निवेश क्षेत्र (नगरीय + ग्रामीण) की भावी जनसंख्या 7.60 लाख आंकलित की गई है। देवास विकास योजना 2031 में 5.50 लाख जनसंख्या अनुमानित कर विभिन्न भू–उपयोगों हेतु 6428.00 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी। जिसके आधार पर सकल घनत्व 86 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होता है। मानक भू–उपयोगिता दर कें आधार पर भूमि की आवश्यकता प्रति 1000 व्यक्ति के लिये 11.69 हेक्टेयर के आधार पर अनुमानित कर भूमि उपयोग आरक्षित किये गये थे। वर्तमान जनसंख्या 4.50 लाख (नगर निगम+ग्रामीण) प्रक्षेपित करते हुए भूमि उपयोग दर के आधार पर वर्ष 2025 में वर्तमान भूमि उपयोग की अद्यतन स्थिति सारणी क्रमांक 4–सा–1 में दर्शायी गयी है।

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण

सारणी 4–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में			वर्तमान विकसित क्षेत्र (2025)			शेष रिक्त भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	आवासीय	2952.00	45.93	5.37	1505.00	39.00	3.34	1447.00
2	वाणिज्यिक	421.00	6.55	0.76	75.95	1.97	0.17	345.05
	मिश्रित				38.64	1.00	0.09	-38.78
3	औद्योगिक	1390.00	21.62	2.53	1005.26	26.05	2.23	384.74

DEWAS
4.1 EXISTING LANDUSE
Legend
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
MANDI
CATEGORIZED
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
AFFORESTATION
STADIUM
HILLOCK
SPECIAL PURPOSE
FOREST
PUBLIC & SEMIPUBLIC
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
WATERBODIES
RIVER
LAKE/PONDS/RESERVOIRS
NALLAH/CANAL
AGRICULTURE
BOUNDARIES
PLANNING AREA
VILLAGE
MUNICIPAL CORPORATION
Scale
0 1 2 3 4 5 Km
N
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II,2016 Satellite Data & Ground Verification
To Rabadiya
To Bhopal
SH-29
To Agra
To Newari
SH-44
To Bangarda
To Vijaygarh Mandi
SH-16
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	263.00	4.09	0.48	163.52 70.0	6.05	0.52	29.48
5	आमोद–प्रमोद	689.00	10.72	1.25	220.00	5.70	0.49	469.00
6	यातायात एवं परिवहन	713.00	11.09	1.30	781.00	20.24	1.74	-68.00
	योग	6428.00	100.00	11.69	3859.37	100.00	8.58	2568.49

स्त्रोत :– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण।

4.3.1 विकास योजना में भावी विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं, आमोद–प्रमोद एवं यातायात एवं परिवहन शामिल है। इसमें रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र, एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। देवास नगर की प्राकृतिक संरचना एवं विकास की प्रवृत्ति के कारण इस नगर में कम एवं मध्यम ऊंचाई के भवन ही निर्मित है। भवनों की वर्तमान प्रकृति अनुसार ही उपरोक्त तालिका अनुसार यदि विभिन्न भू–उपयोग परिक्षेत्रों में उल्लेखित भूमि उपयोग हेतु भूमि आरक्षित की जाती है तो सकल आवासीय घनत्व 118 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा, जो अनुशंसित घनत्व के अनुसार है। देवास निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोगों के लिये भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि में उपयुक्तता विश्लेषण किया गया है।

4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2041

विकास योजना 2031 में विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोगिता दर 11.69 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति प्रस्तावित की गई थी। वर्ष 2025 के विकसित क्षेत्र के आधार पर भूमि उपयोग दर का विश्लेषण 4–सा–2 में किया गया है। विश्लेषण के आधार पर कुल भूमि उपयोग दर प्रति 1000 व्यक्ति 8.83 हेक्टेयर प्राप्त होती है। तालिका में पृथक–पृथक भूमि उपयोग के अंतर्गत विश्लेषण भी दर्शाया गया है। भूमि उपयोगिता दर 13.82 के आधार पर वर्ष 2041 की जनसंख्या के लिये आवश्यक क्षेत्रफल तथा विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत शेष भूमि के आधार पर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये है। विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत आवश्यक भूमि के अतिरिक्त मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर विभिन्न गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक/आवासीय/सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक जो नगर विकास में सहायक हो उनको गति देना है।

वर्ष 2041 के लिए भूमि उपयोग विवरण

सारणी 4–सा–2

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में	वर्तमान विकसित क्षेत्र (2025)			प्रस्तावित विकसित क्षेत्र (2041) (वर्तमान विकसित क्षेत्र सहित)		
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	वर्तमान + प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	प्रस्तावित भूमि उपयोगिता दर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	आवासीय	2952.00	1505.00	39.00	3.34	3582.93	34.11	4.71
2	मिश्रित		38.64	1.00	0.09	1242.34	11.83	1.63
3	वाणिज्यिक	421.00	75.95	1.97	0.17	476.85	4.54	0.63
4	औद्योगिक	1390.00	1005.26	26.05	2.23	1981.83	18.87	2.61
5	सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक	263.00	163.52	6.05	0.52	315	3.00	0.41
	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं		70.0					
6	आमोद–प्रमोद	689.00	220.00	5.70	0.49	1195.28	11.38	1.57
7	यातायात एवं परिवहन	713.00	781.00	20.24	1.74	1709	16.27	2.25
	योग	6428.00	3859.37	100.00	8.58	10503.23	100.00	13.82

नोट :–

1. आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्ष 2041 हेतु प्रस्तावित आवासीय वर्ष 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में कम किया गया है, जिसका मुख्य कारण प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के मिश्रित उपयोग में समानुपात में प्रस्तावित किया जाना है।
2. वर्तमान भूमि उपयोगिता दर निवेश क्षेत्र की वर्ष 2025 की प्रक्षेपित जनसंख्या 4.50 लाख के आधार पर आंकलित की गई है।
3. प्रस्तावित भूमि आवंटन दर वर्ष 2041 की प्रक्षेपित जनसंख्या 7.60 लाख के आधार पर आंकलित की गई है।
4. देवास एक औद्योगिक नगर है, यहां पर औद्योगिक गतिविधियों के कारण अधिक भूमि की आवश्यकता होने से भूमि आवंटन दर 13.82 प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त सारणी में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोगिता दर 8.58 प्रति हजार व्यक्ति जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2041 के लिये 13.82 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भू–आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

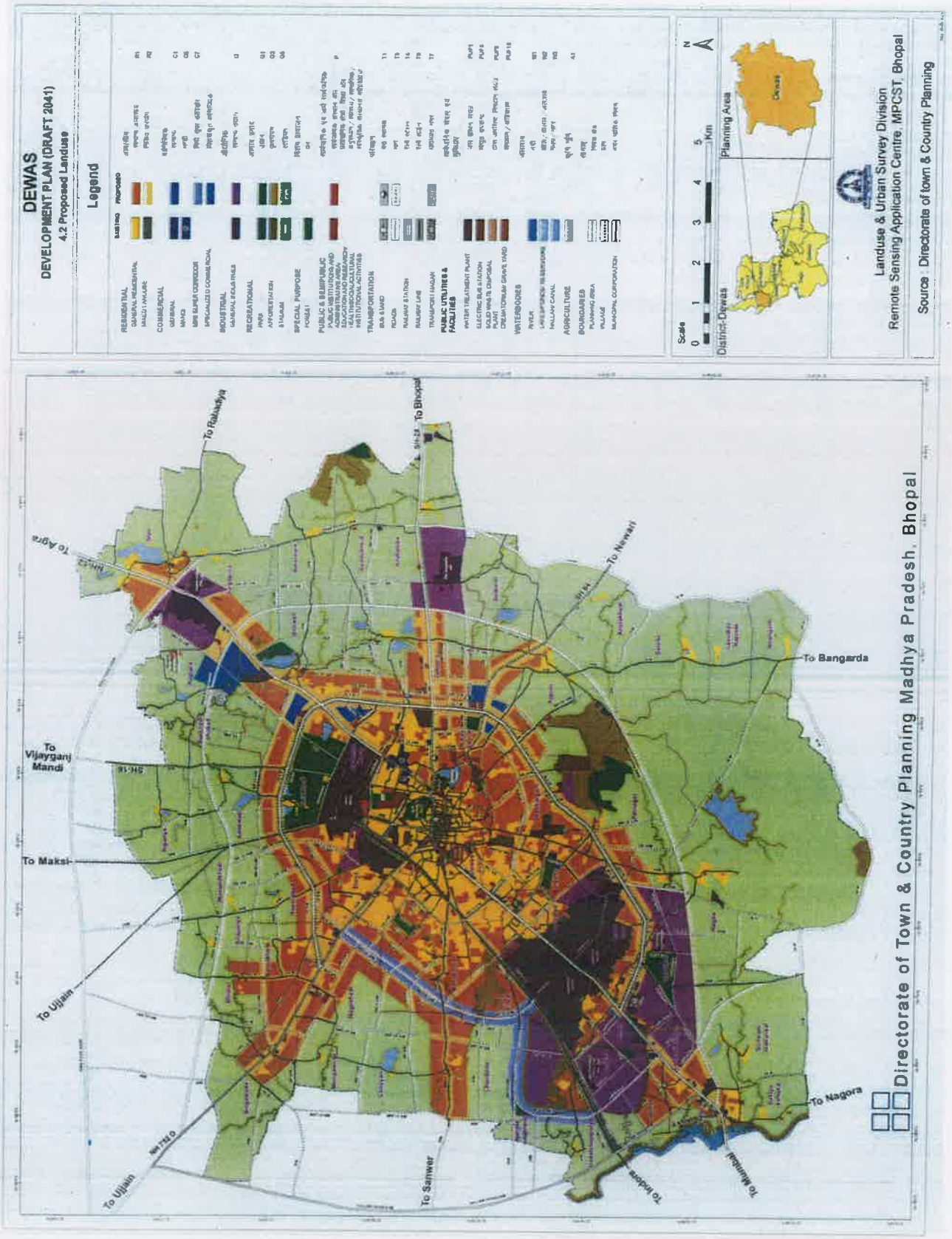
DEWAS
DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2041)
4.2 Proposed Landuse
Legend
Scale
0 1 2 3 4 5 Km
District-Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source : Directorate of town & Country Planning
To Rahadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijayganj Mandi
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग के आधार पर नगर का औसत सकल घनत्व लगभग 73 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा औसत आवासीय घनत्व 212 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है।

देवास विकास योजना 2041 में विकास योजना 2031 की मूल अवधारण वर्तमान विकसित क्षेत्र की प्रवृत्ति एवं प्रकार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित भावी जनसंख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से भू–उपयोग आधारित नियोजन प्रस्तावों को उपरोक्त सारणी में दर्शाये अनुसार सकल वास्तविक क्षेत्रफल के प्रस्ताव दिये जा रहे है।

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 3582.93 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 34.11 प्रतिशत है।

4.4.2 मिश्रित

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 1242.34 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.83 प्रतिशत क्षेत्र है।

4.4.3 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 476.85 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.54 प्रतिशत है, जिसमें से विशिष्ट वाणिज्यिक उपयोग हेतु 80. 0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 1981.83 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 18.87 प्रतिशत है।

4.4.5 सार्वजनिक–अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता

सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता भूमि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 315.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 3.00 प्रतिशत है।

4.4.6 आमोद–प्रमोद

आमोद–प्रमोद सदैव मानव जीवन का अंग रहा है। खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक है, जिनके सहारे नगर प्राणवायु, अर्थात परिपुष्ट स्वास्थ्य ग्रहण करता है। देवास नगर में चामुण्डा माता टेकरी पर नवरात्री एवं शिवरात्री पर मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त ए. बी. रोड पर मल्हार स्मृति उद्यान के रूप में विकसित है। औद्योगिक क्षेत्र से लगकर ए.बी. रोड के किनारे महाराजा तुकोजीराव स्पोर्ट्स उद्यान तथा शंकरगढ़ पहाड़ी पर वृक्षारोपण कर नगर वन के नाम से नगर पालिक निगम देवास एवं वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। देवास नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उद्यान एवं पर्यावरण वानिकी तथा वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। विशेषकर क्षिप्रा नदी की शुद्धता एवं पवित्रता एवं सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखकर क्षिप्रा नदी से लगकर 100.0 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही शंकरगढ़ पहाडी को भी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हरित क्षेत्र रखा गया है। इस उपयोग के अन्तर्गत 1195.28 हे. भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.38 प्रतिशत है।

4.4.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 1709.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 16.27 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत यातायात नगर, नगरीय मार्गों का विस्तार, बायपास मार्ग का निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है।

4.5 निवेश इकाईयाँ

विकास योजना 2041 में नगर विकास की संरचना पदानुक्रम नियोजन में विकसित करने पर आधारित है। देवास निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये है। ये निवेश ईकाईयां आवासीय, वाणिज्यिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद–प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। निवेश ईकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश ईकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि ये ईकाइयां सर्व–सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर हो सकें।

- **निवेश इकाई क्रमांक –1**
  इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को पूर्व में ग्राम खटाम्बा भोपाल रोड की पूर्वी सीमा तक तथा दक्षिण में ए. बी. रोड पर ग्राम सुकल्या क्षिप्रा तक सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 10150.26 हेक्टेयर है।
- **निवेश इकाई क्रमांक –2**
  इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को पूर्व में ग्राम खटाम्बा भोपाल रोड की पूर्वी सीमा तक तथा उत्तर–पश्चिम में ग्राम सिंगावदा उज्जैन रोड तक सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 8374.08 हेक्टेयर है।

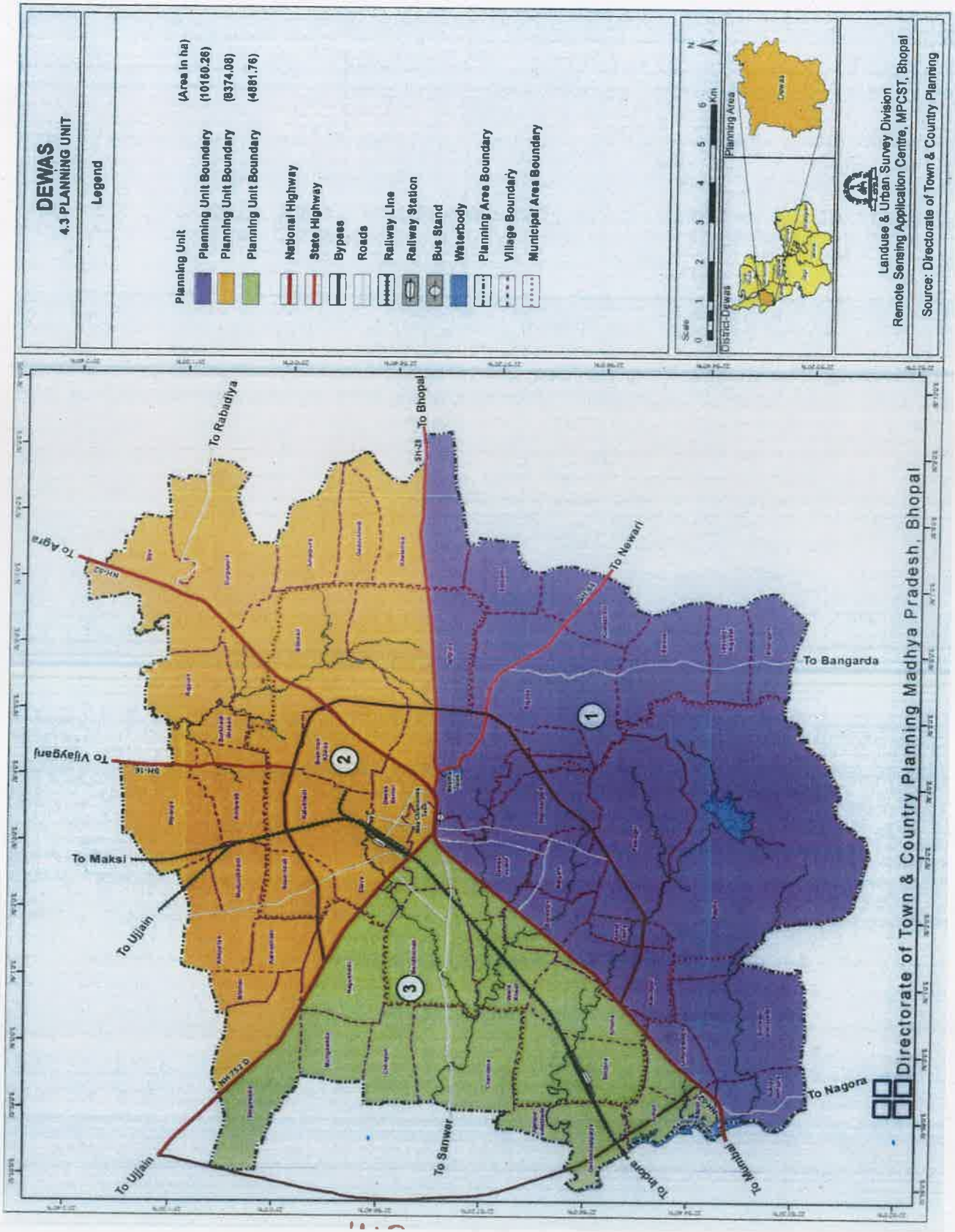
DEWAS
4.3 PLANNING UNIT
Legend
Planning Unit (Area in ha)
Planning Unit Boundary (10160.26)
Planning Unit Boundary (8374.08)
Planning Unit Boundary (4881.76)
National Highway
State Highway
Bypass
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1 2 3 4 5 6 Km
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Directorate of Town & Country Planning
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijayganj
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
1
2
3
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

- **निवेश इकाई क्रमांक– 3**
  इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को उत्तर पश्चिम में उज्जैन रोड पर ग्राम सिंगावदा की सीमा तक तथा दक्षिण दिशा में एबी रोड पर ग्राम सुकल्या क्षिप्रा की सीमा तक सम्मिलित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 4881.78 हेक्टेयर है।

निवेश इकाईवार क्षेत्र एवं जनसंख्या

सारणी 4–सा–3

क्र.	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आंकलित जनसंख्या–2025 (लाख में)	अनुमानित जनसंख्या–2041 (लाख में)
1	2	3	4	5
1	1	10150.26	1.63	2.66
2	2	8374.08	1.43	2.28
3	3	4881.78	1.44	2.66
योग		23406.12	4.50	7.60

नोटः– निवेश इकाई में दर्शित जनसंख्या अनुमानित है। इसका उपयोग केवल अधोसंरचना नियोजन के प्रारंभिक आंकलन के लिए दर्शाया गया है। स्थानीय स्वीकृतियों के संबध में इस अनुमानित जनसंख्या का उपयोग किया जाना अपेक्षित नहीं है। अधोसंरचना के रूपांकन के समय भी इस अनुमानित जनसंख्या का युक्तियुक्तकरण कर रूपांकन किया जाना प्रस्तावित है।

4.6 निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व

निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। इन निवेश इकाईयों में 3582.93 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित है। निवेश इकाई क. 1 से 3 में अनुमानित 7.60 लाख जनसंख्या निवास करेगी। इससे निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व का विवरण निम्न सारणी में दर्शित है।

सारणी 4–सा–4

नि.इ. क.	कुल क्षेत्रफल (हे.में) आवासीय	क्षेत्रफल प्रतिशत	कुल जनसंख्या लाख में (2041)	जनसंख्या प्रतिशत	औसत आवासीय घनत्व
1	2	3	4	5	6
1	1146.53	32.00	2.66	35	232
2	1182.36	33.00	2.28	30	193
3	1254.04	35.00	2.66	35	212
योग	3582.93	100	7.60	100	212

4.7 प्रमुख कार्य केन्द्र

औद्योगिक केन्द्र, राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय, रेल्वे, व्यापारिक, वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन, बड़े पैमाने पर निर्माण व्यवसायिक सेवाएं आदि प्रमुख कार्य केन्द्र के अंतर्गत आते हैं। यहां प्रमुख नियोक्ता राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ–साथ सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यम, यातायात एवं सेवा क्षेत्र है।

बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–52 पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र, बैंक नोट प्रेस, कृषि उपज मण्डी, मध्य क्षेत्र के आस–पास स्थित शासकीय कार्यालय तथा वर्तमान नगर का वाणिज्यिक क्षेत्र, नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र है। यह कार्य केन्द्र प्रतिदिन यातायात के दबाव को बढ़ाकर मिश्रित प्रकार का यातायात उत्पन्न करते हैं, इससे यात्रा समय में वृद्धि होती है। अतः कार्य केन्द्रों को आवासीय क्षेत्रों के पास रखने के प्रस्ताव विकास योजना 2041 में दिए गये है।

4.7.1 औद्योगिक क्षेत्र

भारत के औद्योगिक मानचित्र पर 1970 के दशक में देवास एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आया, इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय यातायात संरचना में देवास की स्थिति, यहां पर स्थित आधारभूत सुविधाएं एवं श्रमिकों का उपलब्ध होना तथा केन्द्र सरकार की औद्योगिक नीति है। औद्योगिक दबाव को समाहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा एक औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन मार्ग पर लगभग 500.0 हेक्टयर क्षेत्र में विकसित है।

इसके अतिरिक्त मेसर्स चामुण्डा स्टेण्डर्ड मि.लि. बालगढ़, मेसर्स गजरा गियर्स लि. स्टेशन रोड, मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि., बैंक नोट प्रेस, मेसर्स एस. गियर्स, मेसर्स स्टील ट्यूब्स ऑफ इण्डिया ग्राम कालूखेडी, मेसर्स एस.पी.आई. बायप्लस ट्यूब प्रा.लि. कालूखेड़ी, मेसर्स एस.टी.आई.सी.आर रोल्स मिल कालूखेड़ी, मेसर्स हिन्द सिन्थेटिक ग्राम कलमा, मेसर्स अल्पाईन बायेटेक लि. ग्राम सिया, मेसर्स एम.पी. ग्लायकेन लि. ग्राम बिलावली कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग है जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी स्वामित्व की भूमियों पर कार्यरत हैं। बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों की उपलब्धता रही है। वर्तमान में कार्यरत विभिन्न प्रकार के उद्योग लगभग 21000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्दौर, देवास, पीथमपुर एवं महू राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 52 (ए.बी. रोड)पर स्थित है एवं उक्त नगरों की आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां आपस में जुडी हुई है। अतः म.प्र. औद्योगिक विकास निगम एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा देवास में इण्डस्ट्रियल इन्वेस्मेंट क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे देवास में रोजगार के साथ–साथ निवेश की भी संभावनाएं बढेंगी, जो शहर के आर्थिक विकास में सहायक होगा।

4.7.2 वाणिज्यिक क्षेत्र

नगर में मुख्यतः वाणिज्यिक गतिविधियां मध्य क्षेत्र, ए.बी. मार्ग एवं उज्जैन मार्ग पर विद्यमान है। मध्यक्षेत्र में मिश्रित गतिविधियां विद्यमान है, जो नगर कि आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थित है। मध्य क्षेत्रान्तर्गत थोक एवं फुटकर बाजार, व्यवसायिक कार्यालय, बैंक, शैक्षणिक, एवं आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। वाणिज्यिक कार्यकलापों के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों

की सघनता से वाहन विराम स्थल एवं यातायात समस्या उत्पन्न होती है। मानचित्र में विशेषीकृत बाजार के स्थल को नहीं दर्शाया गया है। विशेषीकृत बाजार के अंतर्गत – लोहाबाजार, कबाडी बाजार, भवन निर्माण सामग्री, थोक एवं विशिष्ट बाजार, जो पूर्व विकास योजना में दर्शाये गये थे, किंतु प्रस्ताव अनुसार स्थल पर विकसित नहीं हो सके। जिन्हें वाणिज्यिक क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार नियोजित किया जा सकेगा। चूंकि उक्त बाजार भारी यातायात से संबंधित है, अतः इन्हें यातायात नगर हेतु चयनित स्थलों पर भी नियोजित किया जा सकता है, देवास विकास योजना 2041 के प्रस्ताव निम्नलिखित नीति पर आधारित होंगेः–

1. मध्य क्षेत्र को ''नगर केन्द्र'' जैसा स्वरूप बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है ।
2. उपयुक्त स्थलों पर पदानुक्रमिक वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है, ताकि वर्तमान में नगर पर बढ़ते हुये दबाव एवं इससे आगे आवासीय उपयोगों का वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन कम किया जा सके ।

(अ) फुटकर वाणिज्यिक क्षेत्र

पंच–स्तरीय फुटकर वाणिज्यिक क्षेत्र उपयुक्त स्थल पर प्रस्तावित किये गये है।

1. मध्य क्षेत्र को केन्द्र मानकर नगर केन्द्र का प्रमुख मार्गों पर विस्तार।
2. सभी निवेश इकाईयों में निवेश इकाई केन्द्र।
3. खण्ड स्तर पर दुकान केन्द्र।

(ब) थोक वाणिज्यिक क्षेत्र

1. मण्डी ।
2. भण्डारगृह, शीतगृह एवं मालगोदाम।
3. वर्गीकृत बाजार ।

4.7.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग

नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपयोग के अंतर्गत शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें सम्मिलित होती है, जो नगरीय स्तर में गुणात्मक सुधार के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में कार्यशीलता प्रकट करती है।

4.7.4 आवासीय

नगरीय क्षेत्र में विभिन्न आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने का नीतिगत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आवास एक ऐसा प्रमुख घटक है, जो नगर के आर्थिक विकास को पूर्णतः प्रभावित करता है तथा गतिशील बनाता है। अधिकांश परिवारों के लिए पारिवारिक बचत से आवास प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य होता है।

नगरीय संरचना के संदर्भ में आवास का विभिन्न कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थानीय संबंध है। किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए कार्य केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विभिन्न सुविधाओं की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगरीय

योजना की कुंजी है। आवास का अर्थ केवल आवासीय स्थल अथवा आवासीय इकाईयां प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इसका वृहद् अर्थ है– प्रत्येक आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो निम्नलिखित हैः–

- आर्थिक क्षमता के अनुसार भविष्य में विस्तार करने की संभावना तथा बदलते परिवेश में भवन निर्माण हेतु भू–खण्ड का प्रावधान ।
- अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना के तहत मध्यम एवं गरीब वर्ग के लिए शासन की प्रोत्साहन नीति के अनुसार किफायती दर पर आवासीय ईकाईयॉ उपलब्ध कराना ।
- आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत सेवा–सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में सुधार तथा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में अधोसंरचना का प्रावधान ।
- सार्वजनिक सेवा–सुविधाओं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद–प्रमोद आदि का प्रावधान करना।
- कार्य केन्द्रों तथा सुविधा केन्द्रों का आवासीय क्षेत्र के साथ परस्पर उचित परिवहन प्रणाली एवं व्यवस्था द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करना।
- पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र के आवंटन का प्रावधान।
- पानी, विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य अधोसंरचना का प्रावधान।
- सामाजिक एवं सामुदायिक क्षेत्र में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयों का प्रावधान।
- यातायात के साधन एवं सुविधा जो कार्य केन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधा स्थलों से उचित ढंग से सम्बद्ध हो, की उपलब्धता।

4.7.5 गंदी बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र

मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधा रहित समाज के अनौपचारिक मजदूर वर्ग की बसाहट गन्दी बस्ती के नाम से पहचानी जाती है। देवास नगर में गन्दी बस्तियों की संख्या 81 है इनमें लगभग 1,30,000 व्यक्ति निवासरत है। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या देवास नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 33.76 प्रतिशत है।

स्थानीय संस्थाओं द्वारा गंदी बस्तीयों के लिये पर्यावरण सुधार योजनाएं कियान्वित की गई है। देवास नगर निगम सीमा के अंतर्गत गन्दी बस्तियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया हैः–

गंदी बस्ती

सारणी 4–सा–5

क्र.	गंदी बस्ती	संख्या	जनसंख्या (लाख में)
1	**2**	**3**	**4**
1	अधिसूचित बस्तियां	36	93550
2	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित	45	36450
	योग	81	1,30,000

स्त्रोत– नगर पालिक निगम, देवास

टीप :–उपरोक्त गंदी बस्ती क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाकर, मूल–भूत सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

4.8 नगरीय ग्राम

निवेश क्षेत्र में जो ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल दर्शाई गई है। उनका विकास, विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुरूप ही किया जावेगा, किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200.0 मीटर की परिधि में किया जा सकेगा तथा इसका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा।

4.9 असंगत भूमि उपयोग

विकास योजना 2031 में अधिक कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के साथ–साथ सामान उतारने–चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़–भाड़ एवं पहुंच विहीनता के कारण कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव निम्न सारणी अनुसार पुनः प्रस्तावित है :–

भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास

सारणी 4–सा–6

क्र.	वर्तमान उपयोग	वर्तमान स्थान	प्रस्तावित स्थान	रिक्त होने पर उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आरा मशीने	स्टेशन मार्ग, ए.बी. मार्ग एवं उज्जैन मार्ग	निवेश इकाई क्र.–2	वाणिज्यिक एवं मार्ग विस्तार
2.	चामुण्डा टेकरी	टेकरी के नीचे चारों ओर स्थित अवैध विकास/निर्माण	निवेश इकाई क्र. –1,2,3	वृक्षारोपण एवं दोनों चढाई के मार्ग पर पार्किंग
3.	ट्रक स्थानक एवं गैरेज	ए.बी. मार्ग, उज्जैन मार्ग, भोपाल मार्ग, स्टेशन मार्ग एवं अन्य मार्गों पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–2 एवं 3	मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक
4.	सब्जी/फल की फुटकर दुकानें	शालिनी मार्ग जेल मार्ग एवं अन्य मार्ग पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–1	मार्ग
5.	सब्जी मंडी/ फल की दुकाने	नावेल्टी चौराहा ईदगाह, जय प्रकाश मार्ग	निवेश इकाई क्र.–1 (खारी बाबड़ी रोड स्थित पुरानी उपजेल की भूमि पर)	पार्किंग/खुला मार्ग
6.	लोहा मण्डी	जयप्रकाश मार्ग (तीन बत्ती तिराहा तक)	निवेश इकाई क्र.–3	वाणिज्यिक
7.	भवन सामग्री की दुकानें	ए.बी. मार्ग, उज्जैन मार्ग, स्टेशन मार्ग, जय प्रकाश मार्ग एवं अन्य मार्ग	निवेश इकाई क्र.–3	वाणिज्यिक/मार्ग
8.	कबाड़ी दुकाने / बाजार	चूड़ी बाखल मार्ग तथा नगर के अन्य मार्गों पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–3	वाणिज्यिक/मार्ग

9.	गजरा गियर्स प्रायवेट लिमिटेड	ग्राम देवास सिनियर स्टेशन रोड पर स्थित	औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय
10.	अनाज एवं सब्जी मण्डी,	ग्राम देवास सिनियर ए.बी. रोड पर स्थित	निवेश इकाई क्र.–2	आवास एवं मिश्रित

4.10 अमोद प्रमोद

आमोद–प्रमोद सदैव मानव जीवन का अंग रहा है। खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक है, जिनके सहारे नगर प्राणवायु अर्थात परिपुष्ट स्वास्थ्य ग्रहण करता है। सड़क किनारे एवं विकसित क्षेत्रों के मध्य हरित पट्टी निर्मित करने का प्रस्ताव है। इसी के साथ–साथ जल स्त्रोतों के किनारे भी वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

आमोद–प्रमोद क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

- उद्यान
- हरित क्षेत्र
- क्षेत्रीय उद्यान
- प्राकृतिक क्षेत्रों या भू–दृश्यीकरण क्षेत्रों का संरक्षण
- नदी/तालाब के किनारे का विकास

स्थानीय खुला स्थान प्रणाली

आवासीय सेक्टरों एवं गतिविधि–कॉरीडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। यह व्यक्तिगत खुले क्षेत्र शहर के निर्मित आकृति के अभिन्न अंग होंगे। स्थानीय खुला क्षेत्र आमोद–प्रमोद एवं समुदाय आधारित सामाजिक सुविधाओं को समाहित करते हुए निरन्तरता के साथ क्षेत्रीय संरचना के रूप में प्रस्तावित किये गये है, खुले क्षेत्रों के अंतर्गत पासवर्ती एवं खण्डों में प्रावधानित खुले क्षेत्र आते है। जिसमें पासवर्ती उद्यान को समाहित किया गया है तथा जो संपूर्ण खुले तंत्र से रेखीय रूप से अंततः सम्बद्ध हैं, भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर इस खुले क्षेत्र को भू–स्वामियों एवं संबंधित विभाग/संस्था के सहयोग से विकसित किया जावेगा।

क्षेत्रीय उद्यान

निवेश इकाई क. 1 में बायपास से लगकर 160.0 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्राकृतिक एवं भू–दृश्यीकरण क्षेत्रों का संरक्षण एवं पिकनिक स्थल

निवेश इकाई 1 मे ग्राम शंकरगढ़ मे 45.0 हेक्टेयर पर सघन वृक्षारोपण किया जाकर पिकनिक स्पॉट एवं एडवेन्चर स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है।

खेल मैदान

वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण परिसर से लगकर एक खेल का मैदान स्थित है। इसके अतिरिक्त निवेश इकाई कमांक–2 में भी क्रीडा संबंधी गतिविधियों के प्रावधान रखे गये है।

तरण पुष्कर

वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण परिसर से लगकर एक छोटा तरण पुष्कर स्थित है। निवेश इकाई स्तर पर स्थल चयन किया जाकर निर्माण करना उचित होगा।

स्टेडियम

भोपाल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के रेस्टहाउस से लगकर तुकोजिराव पंवार इन्डोर स्टेडियम स्थित है। निवेश ईकाई–2 में ग्राम ब्राम्हणखेडा मे बायपास से लगकर 35 हेक्टेयर भूमि में स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है। जिसके अंन्तर्गत खुला स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम, तरणताल एवं अन्य कीडा संबंधी गतिविधियों का विकास प्रस्तावित है। स्टेडियम से लगकर 107 हेक्टेयर भूमि पर उद्यान प्रस्तावित है।

नदी तट/तालाब के किनारे का विकास

नदी के किनारे स्थित भूमि का विकास हेतु वृहद विकास योजना बनाना प्रस्तावित है। इस हेतु सौंदर्यीकरण हेतु कुछ स्थलों का चयन किया जाना तथा जल कीडा मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बाढ़ नियंत्रण का भी प्रावधान करना होगा इस योजना के विभिन्न चरणों में नगर निगम, देवास द्वारा कियान्वित करना उचित होगा जिससे नगर को आमोद प्रमोद की सुविधा के रूप में उपयोग हो सकेगा।

जल स्त्रोतों का विकास एवं संरक्षण

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत आमोद प्रमोद गतिविधियों के विकास हेतु मीठा तालाब, बिलावली तालाब, मेंढकी तालाब, ब्राम्हणखेड़ा तालाब, ग्राम जैतपुरा स्थित तीन तालाब, ग्राम नागदा मे स्थित तालाब का संरक्षण, सौन्दर्यीकरण एवं हरित क्षेत्र के अंतर्गत गहन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

4.10.1 कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तान एवं श्मशान वर्तमान में निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित होकर यथावत रहेंगे, जब तक कि कहीं अन्यत्र विस्थापित किये जाने की स्थिति न बने। कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट का विस्तार किया जा सकता है। नये कब्रिस्तान एवं श्मशान कृषि भूमि के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे किन्तु इनका स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।

4.11 मध्य क्षेत्र (विकास प्रस्ताव)

विकास योजना 2041 में मध्य क्षेत्र की सीमाओं को विकास योजना 2031 के अनुसार यथावत रखा गया है। मध्य क्षेत्र के कियान्वयन स्तर का वर्णन अध्याय 1 में समग्र विवरण के साथ किया गया हैं यातायात से संबंधित प्रस्तावों का कियान्वयन नहीं हुआ है वहीं दूसरी ओर वाणिज्यिक गतिविधियां मध्य क्षेत्र में ओर सघन हो गई है। जिन मार्गों को वाणिज्यिक मार्ग नहीं दर्शाया गया था, वे भी वाणिज्यिक रूप में परिवर्तित हो गये है। इसी प्रकार मध्य क्षेत्र की जनसंख्या अतिरिक्त आवास बन जाने से बढ़ी है। यातायात को बढ़ाने वाले कार्य केन्द्र जिनको मध्य क्षेत्र से भी स्थानांतरित करना था वे यथावत कार्यरत हैं। विकास योजना 2041 में मध्य क्षेत्र के प्रस्ताव व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं कियान्वयन की कठिनाईयों को भी ध्यान में रख कर तैयार किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

- मिश्रित भूमि उपयोग को बनाये रखा जाए।
- उन्हीं भूमि उपयोगों को स्थानांतरित किया जावेगा, जो असंगत है तथा यातायात एवं पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न करते है।
- यातायात एवं पार्किंग की समस्या को सुधारना एवं मध्य क्षेत्र की संकीर्णता को कम करना।
- आवासीय भवनों को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित होने से रोकना।
- उन आवासीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार करना, जिनका स्थानांतरण प्रस्तावित नहीं है।
- खुले क्षेत्रों का विकास एवं बचाव तथा विरासत भवनों का संरक्षण।

4.11.1 यातायात के प्रस्ताव

विकास योजना 2031 में वर्णित प्रस्ताव निम्न मार्ग श्रेणी पर आधारित था।

- परिधि वृत्तीय मार्ग
- जोड़ मार्ग
- पहुंच मार्ग
- पदयात्री मार्ग

मध्य क्षेत्र के प्रस्ताव के कियान्वयन स्तर का अध्ययन यह दर्शाता है कि कोई भी मार्ग विकास योजना 2031 के प्रस्तावों के अनुसार नहीं बन सका। यातायात के लिए तैयार की गई मूलभूत अवधारणा जो देवास विकास योजना 2031 के लिए थी, आज के संदर्भ में भी उपयुक्त है। मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव पुनरिक्षित विकास योजना–2041 में यथावत प्रस्तावित है।

मध्य क्षेत्र के मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

4–सा–7

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मी.में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मी.में)
1	2	3	4
1	भगतसिंह मार्ग	09–14	15
2	सरदार पटेल मार्ग	06–12	12
3	सुतार बाखल मार्ग	08–12	12
4	ईदगाह मार्ग	08–18	18
5	शुकवारिया हाट मार्ग (हैबतराय मार्ग)	4–13	15
6	जय प्रकाश मार्ग (पीठा मार्ग)	10–15	15
7	चूडी बाखल	7–10	12
8	चन्द्रशेखर मार्ग	7–10	12
9	बहादुरशाह मार्ग	12–18	18

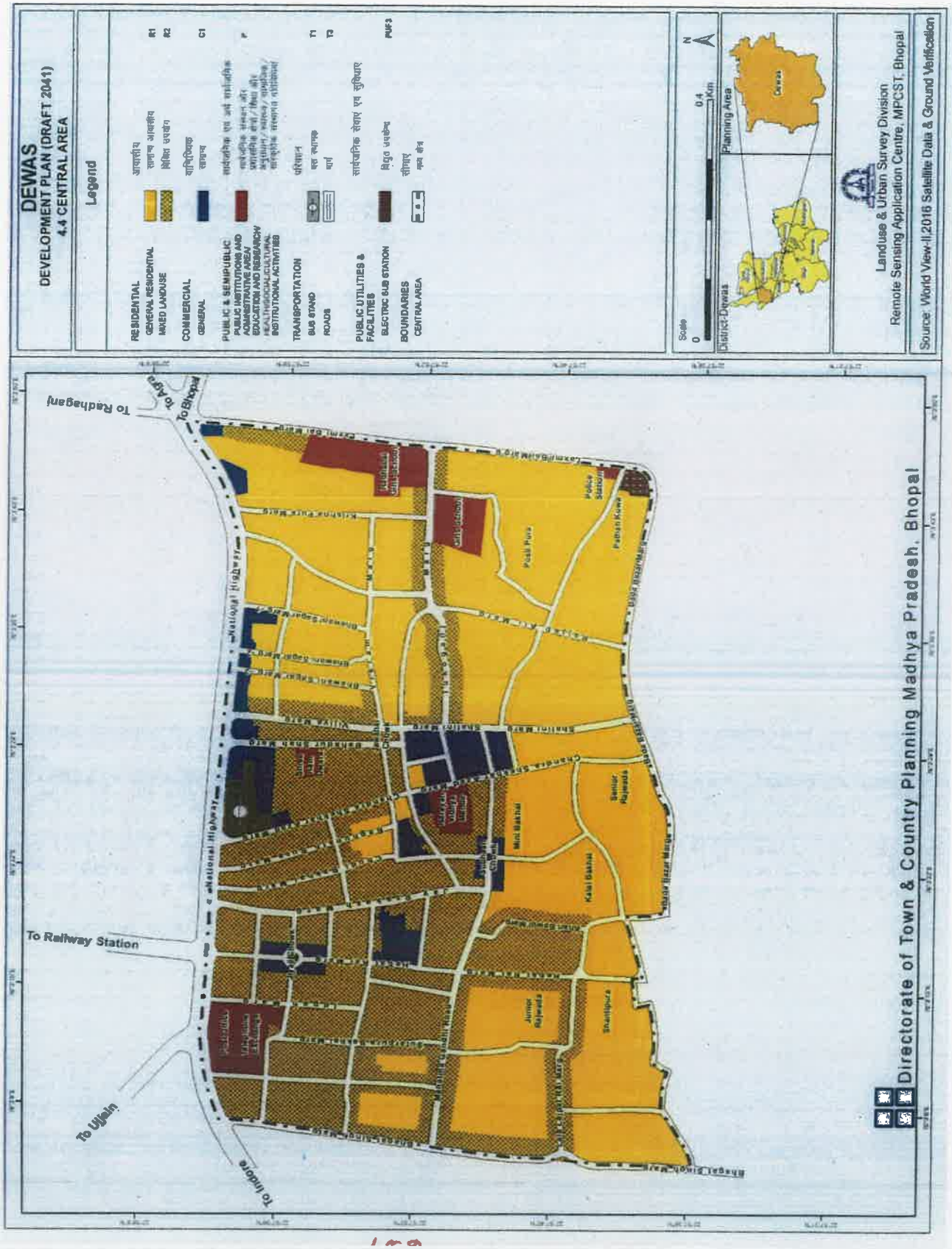
DEWAS
DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2041)
4.4 CENTRAL AREA
Legend
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
PUBLIC & SEMIPUBLIC
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE AREA
EDUCATION AND RESEARCH
HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONAL ACTIVITIES
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
ELECTRIC SUB STATION
BOUNDARIES
CENTRAL AREA
Scale
0
0.4
Km
N
District-Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II,2016 Satellite Data & Ground Verification
To Agra
To Bhopal
To Radhagarh
To Railway Station
To Ujjain
To Indore
National Highway
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

10	बिजिया मार्ग (भवानी सागर)	6–14	15
11	शालिनी मार्ग	6–14	15
12	जेल मार्ग	6–10	12
13	रज्जब अली मार्ग	6–10	12
14	लक्ष्मीबाई मार्ग	12–18	18
15	महात्मागांधी मार्ग(सरदार पटेल मार्ग से सुभाष चौक तक)	6–12	12
16	लाला लाजपत राय मार्ग	8–12	12
17	बडा बाजार मार्ग	4–15	15
18	तुकोगंज मार्ग	6–13	15
19	कवि कालिदास मार्ग	7.5–11	12
20	भवानी सागर कं.–1 मार्ग	5–8	9
21	भवानी सागर कं.–2,3,4,5 मार्ग	8–12	12
22	खारी बावडी मार्ग	5–12	12
23	कृष्णापुरा मार्ग	9	9
24	विक्रम मार्ग	9	9
25	रघुनाथपुरा मार्ग	9–12	12

टीपः–

1 जहां मार्गों की चौड़ाई उपरोक्त सारणी में प्रस्तावित चौडाई से अधिक उपलब्ध होगी वहां उपलब्ध चौडाई यथावत रखी जावेगी, उसका उपयोग पार्किंग हेतु किया जावेगा।

1 पार्किंग हेतु प्रस्ताव–

मध्य क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है। महात्मा गांधी मार्ग, शालिनी मार्ग, तुकोगंज मार्ग, कवि कालिदास मार्ग, हेवतराय मार्ग आदि मार्गों पर अव्यवस्थित रूप से की गई पार्किंग से यातायात समस्या उत्पन्न होती रहती है और इस क्षेत्र के यातयात को प्रभावित करती है, इसलिये मध्यक्षेत्र के लिए निम्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है:–

- जामा मस्जिद
- पुराना बस स्टेण्ड
- अहिंसा भवन (शालीनी मार्ग पर खुला क्षेत्र)

शालीनी मार्ग पर वर्तमान में सब्जी एवं फल की फुटकर दुकानें तथा हाथ ठेले खड़े होने के कारण यातायात में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होती है। असंगत भूमि उपयोगों के पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि के विकास की तालिका 2–सा–13 में मार्ग एवं चौराहे पर स्थित सब्जी/फल की फुटकर दुकानों को खारी बावड़ी स्थित पुरानी जेल की भूमि तथा शालिनी मार्ग के समीप स्थित जेल विभाग की भूमि पर विस्थापित

किया जाना प्रस्तावित है। विस्थापन के पश्चात् उपलब्ध रिक्त भूमि एवं मार्ग को पार्किंग एवं मार्ग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

2. प्रस्तावित भूमि उपयोग

मध्य क्षेत्र मुख्यतः मिश्रित भूमि उपयोग पर आधारित है, अतः इसे यथावत रखा जावेगा। केवल असंगत भूमि उपयोगों की ही पुनर्स्थापना प्रस्तावित की गई है। वाणिज्यिक भूमि उपयोग अब और अधिक प्रस्तावित किया जाना वांछित नहीं होगा। मटन मार्केट एवं फिश मार्केट को मध्य क्षेत्र से स्थानांतरित कर निवेश क्षेत्र अंतर्गत कृषि भू–उपयोग अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की अनुशंसा पर विकसित किया जा सकेगा।

प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्गों की सूची निम्नानुसार है :–

(अ) वाणिज्यिक मार्ग

1 विजिया एवं शालिनी मार्ग (ए.बी. मार्ग से बड़ा बाजार मार्ग तक)
2 तुकोगंज मार्ग
3 कवि कालिदास मार्ग
4 जय प्रकाश मार्ग (पीठा मार्ग)
5 शुक्रवारिया हाट मार्ग (ए.बी मार्ग से लाला लाजपत राय मार्ग तक)
6 बहादुरशाह मार्ग
7 महात्मा गांधी मार्ग
8 ए.बी मार्ग
9 ईदगाह मार्ग
10 सुतार बाखल मार्ग
11 चूडी बाखल मार्ग
12 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग
13 ईदगाह मार्ग से पुराना बस स्टेण्ड तक ।

(ब) वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग (मध्य क्षेत्र में स्थित)

1. बडा बाजार मार्ग, आजाद मार्ग, बग्गी खाना से सीनियर पेलेस तक
2. मील मार्ग (ए. बी. मार्ग से मध्यक्षेत्र की सीमा तक)
3. रज्जब अली मार्ग

3. आवासीय

मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान आवासीय क्षेत्रों को यथावत रखा गया है।

4. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

ऐसे सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग जो कि यातायात बढ़ाते है तथा जिनके लिए अधिक वाहन विराम स्थल की आवश्यकता होती है को मध्य क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5. आमोद–प्रमोद

मल्हार स्मृति उद्यान की सेवाएँ मध्यवर्ती क्षेत्र को उपलब्ध होती रहेगी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्षेत्र मध्य क्षेत्र में अथवा इससे लगकर स्थित नहीं है।

4.12 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र

नगर के कुछ क्षेत्रों जैसे नगरीय धरोहर, आमोद–प्रमोद के केन्द्र, धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलों के आसपास नियोजन एवं विकास नियंत्रण आवश्यक है ताकि निर्माण से उस क्षेत्र का मूल स्वंरूप नष्ट नहीं हो। नगरीय रूपांकन एवं नियोजन के संदर्भ में नियंत्रित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगाः–

1. मीठा तालाब
2. चामुण्डा टेकरी
3. मल्हार स्मृति उद्यान

4.13 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से तालाब, जल विस्तार, डूब में आने वाले क्षेत्र इत्यादि संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाएं निम्नानुसार हैः–

(अ) नालों एवं जलाशयों के किनारे संघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जावे। ठोस निस्तार वस्तुओं एंवं उसके निस्तारण के प्रबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि ये पर्यावरण एवं जल स्त्रोतों को प्रदूषित न करें। बायोगैस उत्पादन, वर्मी कल्चर एवं मायक्रोविक पद्धति तथा निस्तार पदार्थों के जैविक वर्गीकरण से भिन्न धुआं रहित ईंधन केक व भवन निर्माण सामग्री संबंधी ब्लॉक्स के निर्माण की संभावनाओं की खोज की जाना चाहिए।

(ब) अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्त्रोतों का प्रबंधन एक स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिए, जो विधि–विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो।

अध्याय–5
प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

देवास नगर का राष्ट्रीय यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके अंतर्गत देवास विभिन्न नगरों जैसे– इन्दौर, भोपाल, आगरा एवं मुम्बई से मार्ग तथा रेल मार्ग से भी यह नगर दिल्ली, मुम्बई से जुड़ा है। देवास में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52, 86 राजमार्ग क्रं. 18 तथा अन्य क्षेत्रीय मार्गों के मिलने से शहरी यातायात प्रबंधन एवं उसके प्रवाह में असंतुलन उत्पन्न होता है। अतः क्षेत्रीय मार्गों तथा अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में उपयुक्त संशोधन आवश्यक है। आंतरिक नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रभावित करता है। देवास नगर की यातायात प्रणाली निम्न अवधारणा पर आधारित है :–

- दक्ष एवं बहु आयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास।
- मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्गों की व्यवस्था करना।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे– यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक केन्द्र एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पदचारी मार्गों का प्रबंध।
- मुख्य मार्ग पर सीधे पहुंच को प्रतिबंधित करना।
- यदि मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते है, तो ऐसे क्षेत्र में पृथक से मुख्य मार्ग से जुड़े अतिरिक्त पहुंच मार्ग का प्रावधान करना।
- क्षेत्रीय तथा नगरीय यातायात का पृथक करना।

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर की भौतिक विकास का स्वरूप मूलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात संबंधी आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। परिवहन संरचना निर्मित होने के उपरांत लम्बे समय तक उपयोग में आती है, यद्यपि उनके आसपास निर्मित भवनों की संख्या तथा उनके उपयोग परिवर्तित होते रहते है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। आटो रिक्शा नगर में यातायात का प्रमुख साधन है जो नगर की यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। पिछले दशक के मध्य कार आटो रिक्शा टेम्पो व दो पहिया वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तीव्र गति एवं मन्द गति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

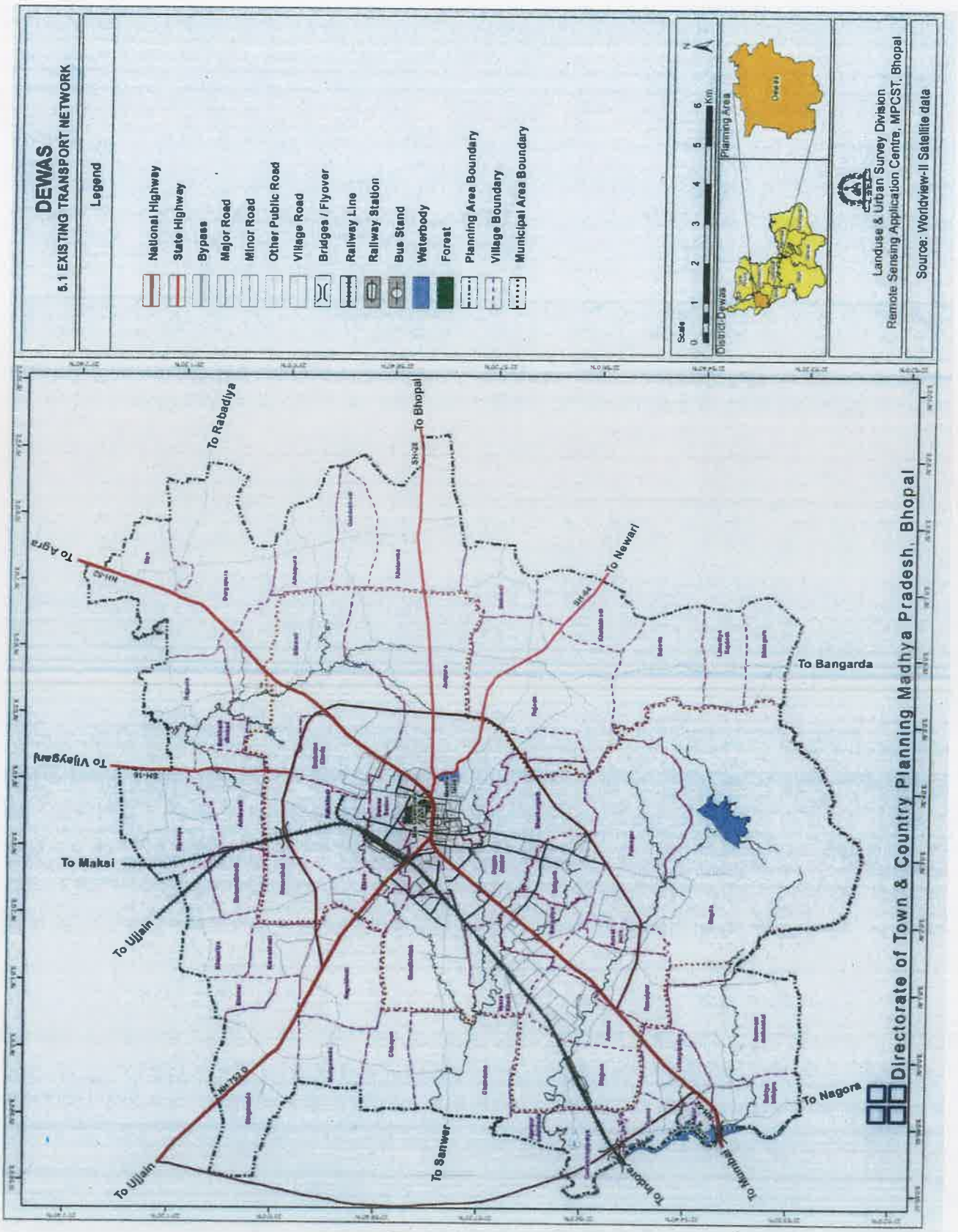
DEWAS
5.1 EXISTING TRANSPORT NETWORK
Legend
National Highway
State Highway
Bypass
Major Road
Minor Road
Other Public Road
Village Road
Bridges / Flyover
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Forest
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
Km
Planning Area
District Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijeygarj
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mhow
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

5.1.1 सार्वजनिक परिवहन

विकास योजना 2031 में जन परिवहन हेतु मुख्यतः बायपास मार्ग प्रमुख नगरीय मार्ग, वृत्तीय खण्ड जो विभिन्न कार्य केन्द्रों को जोड़ते है, प्रस्तावित किये गये थे, जिनमें से बायपास मार्ग के अतिरिक्त अधिकांश मुख्य मार्ग तथा सेक्टर मार्गों का विकास नहीं हो सका। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्र तथा अन्य गन्तव्य स्थलों तक पहुंचने हेतु मैजिक, आटो रिक्शा/ई–रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ता था। वर्तमान में नगर में सार्वजनिक परिवहन के रूप में सिटी बसें संचालित है, जिनकी संख्या बहुत कम है जिनको बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर का Comprehensive Mobility Plan स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाकर कियान्वित किया जाएगा।

5.2 मध्य क्षेत्र

मध्यक्षेत्र में यातायात के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए सुगम यातयात संरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यक्षेत्रों के मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित की गई है। मध्य क्षेत्रों मार्गों का चौड़ीकरण देवास विकास योजना 2031 मे भी प्रस्तावित किया गया था। आवश्यकता के अनुसार मार्गों का समय समय पर चौड़ीकरण किया गया है। पूर्वानुसार ही पुनरीक्षित विकास योजना में भी मार्ग चौड़े किये जानें के संबंध में निम्न सारणी क्रमांम 5–सा–1 में मार्ग की चौडाई प्रस्तावित की गई है।

वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5–सा–1

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मी.में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मी.में)
1	**2**	**3**	**4**
1	भगतसिंह मार्ग	09–14	15
2	सरदार पटेल मार्ग	06–12	12
3	सुतार बाखल मार्ग	08–12	12
4	ईदगाह मार्ग	08–18	18
5	शुकवारिया हाट मार्ग (हैबतराय मार्ग)	4–13	15
6	जय प्रकाश मार्ग (पीठा मार्ग)	10–15	15
7	चूडी बाखल	7–10	12
8	चन्द्रशेखर मार्ग	7–10	12
9	बहादुरशाह मार्ग	12–18	18
10	बिजिया मार्ग (भवानी सागर)	6–14	15
11	शालिनी मार्ग	6–14	15
12	जेल मार्ग	6–10	12
13	रज्जब अली मार्ग	6–10	12
14	लक्ष्मीबाई मार्ग	12–18	18

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मी.में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मी.में)
1	2	3	4
15	महात्मागांधी मार्ग(सरदार पटेल मार्ग से सुभाष चौक तक)	6–12	12
16	लाला लाजपत राय मार्ग	8–12	12
17	बडा बाजार मार्ग	4–15	15
18	तुकोगंज मार्ग	6–13	15
19	कवि कालिदास मार्ग	7.5–11	12
20	भवानी सागर कं.–1 मार्ग	5–8	9
21	भवानी सागर कं.–2,3,4,5 मार्ग	8–12	12
22	खारी बावडी मार्ग	5–12	12
23	कृष्णापुरा मार्ग	9	9
24	विक्रम मार्ग	9	9
25	रघुनाथपुरा मार्ग	9–12	12
अन्य वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई			
26	चर्च मार्ग	11–15	15
27	लक्ष्मीबाई मार्ग	18–25	24
28	रेल्वे गोदाम मार्ग	12–15	15
29	हटेसिंग गोयल मार्ग	9–12	12
30	रेवा बाग मार्ग	6–9	12
31	राधागंज मार्ग (भोपाल चौराहा से बीएनपी मार्ग तक)	12–15	15
32	रेल्वे स्टेशन मार्ग	12–36	36
33	मेंढकी–चंदाना मार्ग	16–18	18
	अ. मेंढकी से रेलवे लाईन तक		18
	ब. रेलवे लाईन से चंदाना तक		30
34	मल्हार मार्ग	6–9	12

नोटः–

01. जहां मार्गों की चौड़ाई उपरोक्त सारणी में प्रस्तावित चौडाई में अधिक उपलब्ध होगी वहां उपलब्ध चौडाई यथावत रखी जावेगी।

02. मध्यक्षेत्र के ऐसे मार्ग जो 7.5 मीटर से कम चौड़े है उन मार्गें पर भवनों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय मार्ग मध्य से 3.75 मीटर छोडते हुए पुनर्निर्माण की अनुमति दी जावेगी तथा ऐसे मार्ग जो 7.5 मीटर से अधिक किन्तु 9.0 मीटर से कम चौडे है उन मार्गों पर पुनर्निर्माण कि अनुमति देते समय मार्ग मध्य से 4.5 मीटर छोडते हुए पुनर्निर्माण की अनुमति दी जावेगी।

5.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना की अवधारणा

वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग जो भोपाल, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर को जाते हैं तथा राजमार्ग नेवरी एवं विजयागंज मण्डी को जाते हैं। क्षेत्रीय मार्ग सांवेर एवं बागरदा को जाता है। इन्हीं मार्गों में संबंध स्थापित करने हेतु पूर्वी क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग तथा उत्तरी क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग निर्मित किया गया है। विकास योजना 2031 में मुख्य मार्ग नगर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये थे। विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मार्गों के क्रियान्वयन स्थिति का वर्णन अध्याय–3 में किया गया है। मुख्य मार्ग क्रं. 3, 5, 8, 9, 11 का निर्माण/क्रियान्वयन हो चुका है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित मुख्य मार्गों तथा खण्ड मार्गों का आंशिक रूप से निर्माण/क्रियान्वयन हुआ है। अतः विकास योजना 2041 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2031 में प्रस्तावित यातायात संरचना का विशेष ध्यान रखा गया है।

01. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–52

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (ए.बी. रोड) मुम्बई एवं आगरा को आपस में जोड़ता है। शहर के मध्य से निकलता है, परन्तु इस मार्ग के भारी यातायात को नगर के बाहर प्रस्तावित बायपास से परिवहन किया जाता है। यह नगर का एक मुख्य मार्ग भी है। यह मार्ग मुख्यतः नगर के आंतरिक यातायात को वहन करता है।

02. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–752D (उज्जैन मार्ग)

यह मार्ग उज्जैन तिराहा पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 से मिलता है। उज्जैन तिराहा से उज्जैन की ओर रेल्वे क्रासिंग तक उक्त मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर तथा रेल्वे क्रासिंग से उज्जैन की ओर 60 मीटर प्रस्तावित है।

03. राज्य राजमार्ग क्रमांक–28 (भोपाल मार्ग)

यह मार्ग भोपाल चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 से मिलता है। भोपाल चौराहे से भोपाल की ओर उक्त मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है।

04. राज्य राजमार्ग कमांक 64

यह मार्ग देवास बायपास से नेवरी को आपस में जोड़ता है। बायपास से नेवरी की ओर उक्त मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है।

05. राज्य राजमार्ग कमांक 16

यह मार्ग देवास बायपास से विजयागंज मण्डी को आपस में जोडता है। बायपास से विजयांगज मण्डी की ओर उक्त मार्ग की चौड़ाई 45 मीटर प्रस्तावित है।

06. एन.एच. लिंक रोड – यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 52 ग्राम लोहारपिपल्या से ग्राम सिंगावदा से लगकर राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 752D को जोडता है। राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम लोहारपिपल्या से ग्राम सिंगावदा से लगकर उज्जैन रोड की ओर मार्ग की चौड़ाई 45.0 मीटर प्रस्तावित है।

07. वृत्तीय/बायपास मार्ग

(अ) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 के भारी यातायात को नगर के मध्य मुम्बई, आगरा, भोपाल एवं उज्जैन की ओर से जाने वाले सीधे यातायात को बाहर से ही बाहर निकालने के लिए बायपास मार्ग, विकसित है। उक्त मार्ग को भारी वाहनों के आवागमन हेतु 60.0 मीटर चौड़ा प्रावधानित किया गया है एवं मार्ग के दोनों और 22.50 मी.–22.50 मी. का ग्रीन बेल्ट (Wooded Area) एवं उसके पश्चात 22.50 मी. –22.50 मी. पर मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जिससे शहर के अन्दर जाने वाला यातायात सुगम हो सके। बायपास से लगकर स्थित भूमि को 150.मी. (ROW) चौड़े मार्ग से सीधे पहुँच माना जावेगा।

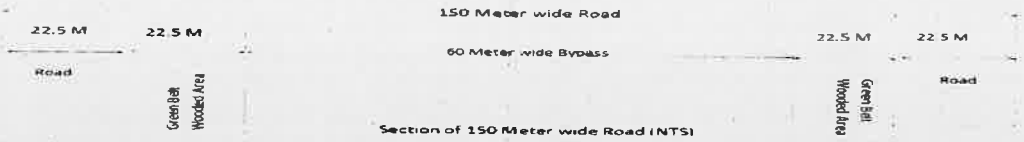

(ब) वृत्तीय मार्ग क्रमांक 01 – ग्राम लोहारपिपल्या राष्ट्रीय राजमार्ग ए.बी रोड से प्रारंभ होकर भोपाल मार्ग से लगकर ग्राम बिलावली में आगरा–मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए उज्जैन मार्ग पर ग्राम सिंगावदा तक 60 मीटर वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

वृत्तीय मार्ग क्रमांक 02 – इंदौर की ओर से ग्राम सुकल्या क्षिप्रा से प्रारंभ होकर नेवरी मार्ग (SH 10-2), ग्राम खटाम्बा में NH–86 भोपाल मार्ग एवं A.B. रोड (NH –52) ग्राम सिया से होते हुये निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित ग्राम बड़ामालसापुरा, पटलावदा एवं कचनारिया होते हुये उज्जैन रोड (NH 752 D) तक 60 मीटर वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

08. मुख्य मार्ग – मुख्य मार्ग अन्तर नगरीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। विकास योजना 2031 में प्रस्तावित प्रमुख मार्गों का विकास न हो पाने के कारण नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सम्बद्धता पर भी असर पड़ा है। उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना 2041 में प्रस्तावित सभी मुख्य मार्गों को यथा सम्भव इस योजना में पुनः प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना 2041 में 34 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 24.0–45.0 मीटर तक रखी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्गों को जोड़ने के लिए 12.0 से 30.0 मीटर तक की चौड़ाई के सेक्टर रोड प्रस्तावित किये गये है। मुख्य मार्ग क्र. 6 एवं 7 उज्जैन मार्ग मेंढ़की मार्ग तक (रेलवे लाईन के समानान्तर) के क्षेत्र है, जहां पर मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक उपलब्ध हो रही है, वहां पर मार्ग की वर्तमान चौड़ाई को यथावत रखी जावेगी। विकास योजना 2031 में प्रस्तावित मार्गो पर विकास/निर्माण होने के कारण कुछ मुख्य/सेक्टर मार्गो का अलायमेंट परिवर्तित किया गया है।

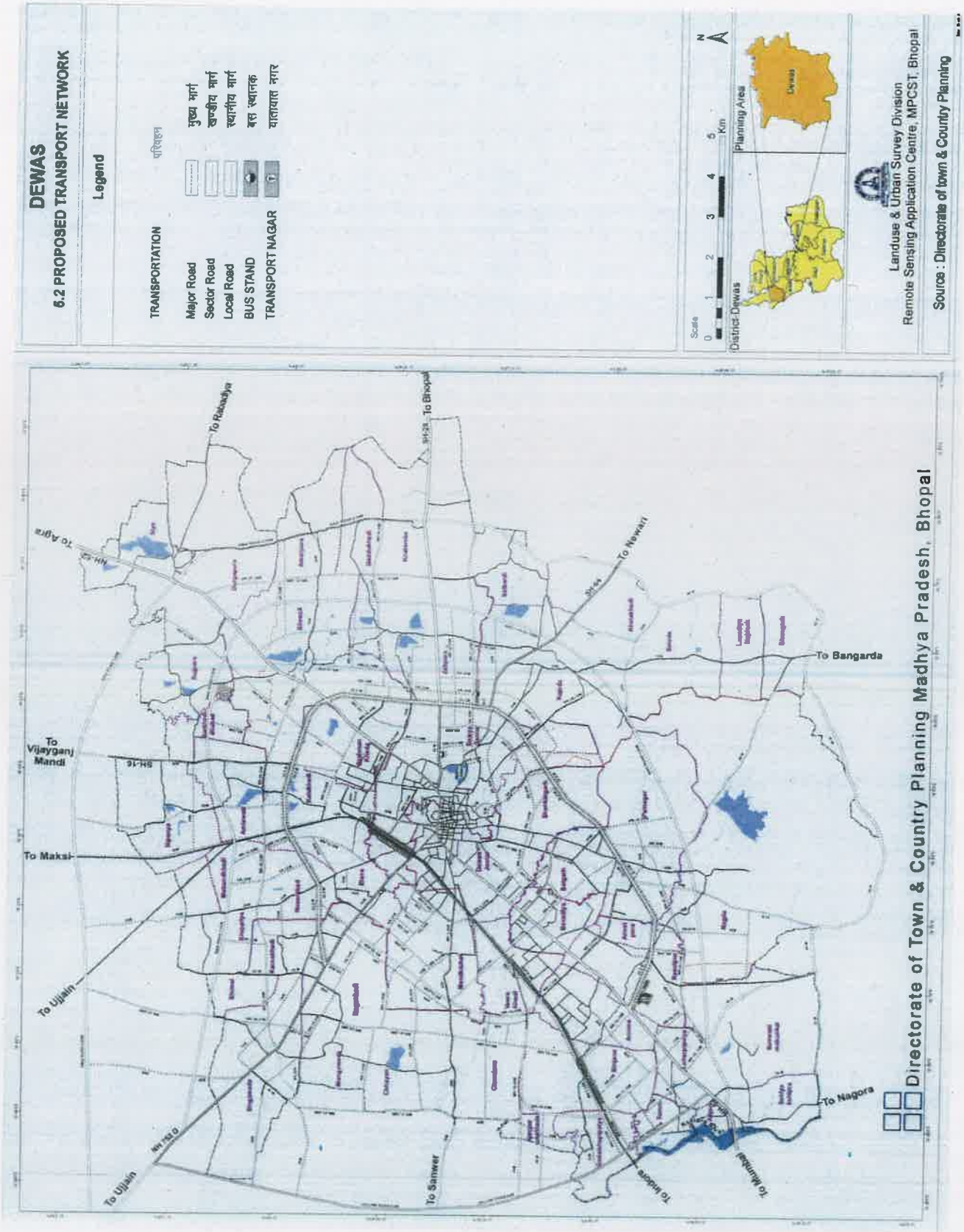
DEWAS
6.2 PROPOSED TRANSPORT NETWORK
Legend
TRANSPORTATION
परिवहन
Major Road
मुख्य मार्ग
Sector Road
खण्डीय मार्ग
Local Road
स्थानीय मार्ग
BUS STAND
बस स्थानक
TRANSPORT NAGAR
यातायात नगर
Scale
0 1 2 3 4 5 Km
District-Dewas
Planning Area
Dewas
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source : Directorate of town & Country Planning
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijayganj Mandi
To Maksi
To Ujjain
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई

सारणी 5–सा–2

क्र.	मार्ग	मार्ग खण्ड	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
1. राष्ट्रीय राजमार्ग			
1	आगरा–मुम्बई मार्ग	मुख्य मार्ग क्रं. 13 (मण्डी पुलिस थाना) से लक्ष्मीनारायण क्लब तक	30
		लक्ष्मीनारायण क्लब से इन्दौर की ओर	60
		मुख्य मार्ग क्रं. 13 (मण्डी पुलिस थाना) से शाजापुर की ओर	60
2.	उज्जैन मार्ग	उज्जैन तिराहा से रेल्वे लाईन तक	30
		रेल्वे लाईन से उज्जैन की ओर	60
2. राज्यमार्ग			
1.	भोपाल मार्ग	भोपाल चौराहा से भोपाल की ओर	60
2.	नेवरी मार्ग	देवास बायपास से नेवरी की ओर	60
3.	विजयागंज मण्डी	बायपास से विजयागंज मण्डी की ओर	45
3. एन.एच. लिंक रोड			
1	एन.एच. लिंक रोड	राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम लोहार पिपल्या से ग्राम सिंगावदा से लगकर उज्जैन रोड तक	45
4. क्षेत्रीय मार्ग			
1	सांवेर मार्ग	एम.आर.–10 से सांवेर की ओर	30
2	बांगरदा मार्ग	नेवरी राज्यमार्ग से बांगरदा की ओर	
	अ.	नेवरी राज्यमार्ग से रिंग रोड 1 तक	24
	ब.	रिंग रोड 1 से बांगरदा की ओर	30
5. वृत्तीय/बायपास मार्ग			
		इन्दौर की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग से (ग्राम रसुलपुर से) प्रारंभ होकर भोपाल मार्ग पर, म.प्र. विद्युत मंडल ग्रिड से लगकर शाजापुर मार्ग पर, ग्राम बिलावली एवं ब्राम्हणखेड़ी से होते हुये उज्जैन मार्ग पर ग्राम नागूखेड़ी तक	150

क्र.	मार्ग	मार्ग खण्ड	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
	रिंग रोड 1	ग्राम लोहारपिपल्या राष्ट्रीय राजमार्ग ए.बी रोड से प्रारंभ होकर भोपाल मार्ग से लगकर ग्राम बिलावली में आगरा–मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए उज्जैन मार्ग पर ग्राम सिंगावदा तक	60
	रिंग रोड 2	इंदौर की ओर से ग्राम सुकल्या क्षिप्रा से प्रारंभ होकर नेवरी मार्ग (SH 10-2), ग्राम खटाम्बा में NH–86 भोपाल मार्ग एवं A.B. रोड (NH –52) ग्राम सिया से होते हुये निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित ग्राम बड़ामालसापुरा, पटलावदा एवं कचनारिया होते हुये उज्जैन रोड (NH 752 D) तक	
6. मुख्य मार्ग			
1	मुख्य मार्ग क्रं. 1	वृत्तीय मार्ग (बायपास) से ए.बी. रोड होते हुए रेल्वे लाईन व एम.आर. 10 से मुख्य मार्ग क्रं. 31 तक	30
2	मुख्य मार्ग क्रं. 2	A.B. रोड (NH–52) से मुख्य मार्ग क्रं. 03 तक	15
3	मुख्य मार्ग क्रं. 3	A.B. रोड (NH–52) (आई.टी.आई.) से मुख्य मार्ग क्रं. 11 तक (बालगढ़ मार्ग तक)	30
4	मुख्य मार्ग क्रं. 4	मुख्य मार्ग क्रं. 10 से रेल्वे लाईन तक एवं ए.बी. रोड से बायपास मार्ग तक	30
		रेल्वे लाईन से ए.बी. रोड तक	18
5	मुख्य मार्ग क्रं. 5	रेल्वे लाईन (एम.आर. 6) से ए.बी. रोड तक	30
		ए.बी. रोड से वृत्तीय मार्ग (बाय–पास) औद्योगिक क्षेत्र तक	45
6	मुख्य मार्ग क्रं. 6	(अ) उज्जैन मार्ग से मेंढकी मार्ग तक (रेल्वे लाईन के समानान्तर)	12
		(ब) मेंढकी मार्ग से एन.एच. लिंक रोड तक (रेल्वे लाईन के समानान्तर)	25
7	मुख्य मार्ग क्रं. 7	(अ) उज्जैन मार्ग से मेंढकी मार्ग तक (रेल्वे लाईन के समानान्तर)	12
		(ब) मेंढकी मार्ग से एन.एच. लिंक रोड तक (रेल्वे लाईन के समानान्तर)	25
8	मुख्य मार्ग क्रं. 8	उज्जैन मार्ग से मेंढकी मार्ग तक (स्थल की स्थिति के मान से)	30
9	मुख्य मार्ग क्रं. 9	(अ) स्टेशन मार्ग से परेड ग्राउंड की सीमा तक	30
		(ब) परेड ग्राउंड की सीमा से राधागंज मार्ग तक	12
10	मुख्य मार्ग क्रं. 10	उज्जैन मार्ग से (एम.आर. 7) रेल्वे लाईन तक,	45

क्र.	मार्ग	मार्ग खण्ड	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
11	मुख्य मार्ग क्रं. 11	मीरा बावड़ी से एम.आर.–4 तक	25
12	मुख्य मार्ग क्रं. 12	मुख्य मार्ग क्रं. 13 से भोपाल मार्ग से राजोदा मार्ग तक	18
13	मुख्य मार्ग क्रं. 13	बायपास से रविदास नगर तक एवं ए.बी. रोड से स्टेशन रोड तक एवं MR-14 से रिंग रोड–2 तक	30
		बायपास से जेतपुरा मार्ग तक	24
		रविदास नगर से ए.बी. रोड तक	18
		स्टेशन रोड से रेल्वे लाईन जंक्शन तक	12
14	मुख्य मार्ग क्रं. 14	रेल्वे लाईन से एबी रोड व बायपास होते हुए रिंग रोड 2 तक	30
15	मुख्य मार्ग क्रं. 15	नौसेराबाद मार्ग से बाय–पास होते हुए रिंग रोड 1 तक	30
16	मुख्य मार्ग क्रं. 16	ए.बी. रोड से मुख्य मार्ग क्रं. 6 तक	30
17	मुख्य मार्ग क्रं. 17	ए.बी. रोड से मुख्य मार्ग क्रं. 6 तक	45
18	मुख्य मार्ग क्रं. 18	ग्राम लोहारपिपल्या में NH 52 ए.बी. रोड से रिंग रोड 1 के जंक्शन तक	30
19	मुख्य मार्ग क्रं. 19	एम.आर 14 से बायपास होते हुए रिंग रोड 1 से रिंग रोड 2 तक	24
20	मुख्य मार्ग क्रं. 20	एम.आर. 13 से ए.बी. रोड तक	30
21	मुख्य मार्ग क्रं. 21	बायपास से रिंग रोड 2 तक	30
22	मुख्य मार्ग क्रं. 22	नेवरी मार्ग से भोपाल मार्ग होते हुए एबी रोड तक	30
23	मुख्य मार्ग क्रं. 23	बायपास से रिंग रोड 1 जंक्शन तक	30
24	मुख्य मार्ग कं. 24	एम.आर. 7 से सांवेर रोड एवं उज्जैन रोड होते हुए रिंग रोड 2 तक	24
25	मुख्य मार्ग कं. 25	उज्जैन रोड से विजयागंज मंण्डी रोड से होते हुए एबी रोड तक	30
26	मुख्य मार्ग कं. 26	एबी रोड से एम.आर. 23 तक	30
27	मुख्य मार्ग कं. 27	भोपाल रोड से एबी रोड तक	30
28	मुख्य मार्ग कं. 28	बायपास से रिंग रोड 1 तक	30
29	मुख्य मार्ग कं. 29	एम.आर. 20 से रिंग रोड 1 तक	30

क्र.	मार्ग	मार्ग खण्ड	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
30	मुख्य मार्ग कं. 30	बायपास से रिंग रोड 1 तक	30
31	मुख्य मार्ग कं. 31	एम.आर 10 से उज्जैन रोड तक 30 मीटर	30
32	मुख्य मार्ग कं. 32	बायपास से रिंग रोड 1 तक	30

5.4 मार्ग संगम सुधार

नगर के विभिन्न मार्गों के संगम को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अतः निम्न चौराहों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है :–

1. स्टेशन रोड चौराहा
2. टाटा चौराहा
3. उज्जैन तिराहा
4. सयाजी द्वार तिराहा/मेंढ़की मार्ग तिराहा
5. रसुलपुर चौराहा

5.5 ओव्हर ब्रिज

नगर के पश्चिमी दिशा से निकलने वाली इन्दौर–भोपाल रेल्वे लाईन उक्त क्षेत्र के विकास में भौतिकीय रूकावट का कार्य करती है। रेल्वे लाईन के दोनों और सुव्यवस्थित विकास को जोड़ने की दृष्टि से ग्रेट सेपरेटेड क्रासिंग (ओव्हर ब्रिज एवं अण्डर पास) का होना आवश्यक है। विकास योजना 2031 में 3 स्थलों पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किये गये थे। जिनमें से वृत्तीय/बाय–पास मार्ग रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। अतः विकास योजना 2041 में निम्न तीन स्थलों पर ओव्हर ब्रिज पुनः प्रस्तावित है–

1. मुख्य मार्ग क्रमांक –1 रेल्वे क्रासिंग
2. मुख्य मार्ग क्रमांक –3 रेल्वे क्रासिंग
3. मुख्य मार्ग क्रमांक –4 रेल्वे क्रासिंग
4. मुख्य मार्ग क्रमांक –5 रेल्वे क्रासिंग
5. मुख्य मार्ग क्र.–10 तथा मुख्य मार्ग क्र.–17 रेल्वे कासिंग
6. रसुलपुर चौराहा
7. राजौदा बायपास संगम पर

5.6 बस स्थानक

वर्तमान में नगर के मध्य में स्थित बस स्थानक नगर में बढ़ रही वाणिज्यिक गतिविधियों के फलस्वरूप यातायात वृद्धि के कारण असुविधाजनक प्रतीत हो रहा है। विकास योजना में भोपाल मार्ग पर, मुख्य मार्ग क्र.–12 के संगम पर बस स्थानक प्रस्तावित किया गया था, जिसका विकास नहीं हुआ है एवं वर्तमान में

बायपास से लगकर ग्राम राजोदा जैतपुरा की कांकड पर 5.64 हे. भूमि का अंतराज्यीय बस टर्मिनल हेतु नगर निगम द्वारा विकास/निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एबी रोड पर भी पिकअप स्टेशन एवं पार्किंग हेतु प्रस्ताव दिये गये है।

5.7 क्षेत्रीय पिक–अप स्टेण्ड

क्षेत्रीय बस स्थानक की सक्षमता बढ़ाने के लिए नगर के अन्दर विभिन्न स्थानों पर पिक–अप स्टेण्ड का प्रस्ताव निम्नानुसार है –

1. आवास नगर/बैंक नोट प्रेस।
2. ए.बी. मार्ग पर इन्दौर की ओर ग्राम अमोना में मुख्य मार्ग क्र. 16 के संगम पर।
3. भोपाल चौराहे से लगकर भोपाल मार्ग की ओर तथा शाजापुर मार्ग की ओर स्थित खुली भूमि पर।
4. उज्जैन मार्ग पर मोती बंगला मार्ग संगम पर.।
5.. ए.बी.मार्ग पर आई.टी.आई. की भूमि के उत्तर की ओर।

5.8 अवसान केन्द्र

क्षेत्रीय बस स्थानक की सुगमता बढाने के लिए नगर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पिकअप स्टेशन का होना अति आवश्यक है। नगरीय बस अवसान केन्द्र को विशेषीकृत रूप से नहीं दर्शाया गया है। स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार विकसित किये जा सकेंगे।

5.9 यातायात नगर

बाय–पास मार्ग पर ग्राम रसुलपुर में 10.0 हे. भूमि पर प्राधिकरण द्वारा यातायात नगर विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त रिंग रोड क्रमांक 1 पर निवेश इकाई क्रमांक 2 में 11.0 हेक्टेयर भूमि पर यातायात नगर एवं पार्किंग प्रस्तावित किया गया है। इसका विकास संस्थागत पहल पर एकजाई स्कीम/योजना तैयार की जाकर चरणबध्द तरीके से किया जावेगा।

5.10 वाहन विराम स्थल

वर्तमान में नगर में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पार्किंग समस्या में वृद्धि हो रही है. अतः इसके समाधान हेतु निम्नलिखित नियोजित वाहन विराम स्थलों को प्रस्तावित किया गया है–

1. वर्तमान बस स्टेण्ड एवं प्रस्तावित बस स्टेण्ड की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग।
2. मेंढ़की मार्ग पर ए.बी.मार्ग के संगम पर शिक्षा विभाग की खुली भूमि पर।
3. उज्जैन मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग के दोनों ओर स्थित खुली भूमि पर।
4. प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्रों में।
5. ए.बी. मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर में।
6. रिंग रोड क्रमांक 2 पर यातायात नगर में।

5.11 ग्रामीण मार्ग

समस्त ग्रामीण मार्गों व कांकड की भूमि पर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर तथा अधिकतम स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार मान्य की जा सकेगी।

अध्याय 6
विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :–

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का विभाजन, विलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, विकास, पुनर्विकास, भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन एवं तोड़ा जाना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।

6. आस–पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा–30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप–दर्शित नहीं है अथवा उप–दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन, नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।

11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लायओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 100 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश

भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।

16. गंदी बस्ती/झुग्गी झोपडीयों के विस्थापन को उसी स्थान पर व्यवस्थापित किये जाने हेतु शासन की नीति अनुरूप मान्य किया जा सकेगा।

17. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी–झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद–प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।

18. आवास आवश्यकता के अनुरूप अफोर्डेबल हाऊसिंग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा 66.0 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र को विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत 0.25 अतिरिक्त एफ.ए.आर. मान्य किया जा सकेगा।

19. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई–चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई–चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू–उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

20. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग–अलग विकास नियमन–परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।

21. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।

22. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।

23. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

24. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा।

25. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।

26. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू–उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्रः– मुख्य भू–उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग परिसर :– उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास :– अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।

भूमि उपयोग मानचित्र :– सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।

परिक्षेत्रिक योजना :– निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना, जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।

नगरीय ग्राम :– भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।

नगरीय विरासत का क्षेत्र :– नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।

विकसित क्षेत्र :– विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।

एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास :– अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप–विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।

मिश्रित उपयोगः– मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।

ऊँचे भवनों का विकास :– ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।

फर्शी क्षेत्र अनुपात :– फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।

भवन की ऊँचाई :– अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।

संवेदनशील क्षेत्र :– परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

नियंत्रित क्षेत्र :– नाली विभाजक, तालाबों के ग्राह्य क्षेत्र एवं परिदृश्य गुणवत्ता की संभावना के आधार पर निर्धारित किये गये क्षेत्र।

नगरीय ग्राम विस्तार :– ऐसी ग्राम आबादी जो प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अन्तर्गत आबादी जो राजस्व अभिलेख में दर्शाई गई हो।

नगरीय विरासत :– नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें की पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र, विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में विभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू–उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू–उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–1 में दिया गया है।

प्रस्तावित भू–उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6–सा–1

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति	आधार तल क्षेत्रानुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)	1.25
2	मिश्रित	आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	(एम)	1.25
3	वाणिज्यिक	सामान्य	(सी 1)	1.50
		मण्डी	(सी 6)	1.50

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति	आधार तल क्षेत्रानुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		मिनी सुपर कॉरिडोर	(सी 7)	1.50
		विशिष्ट वाणिज्यिक		1.50
4	उद्योग	सामान्य उद्योग	(आई 2)	भू.वि.नि 2012
5	आमोद–प्रमोद	उद्यान	(जी 1)	0.05
		नदी/तालाब के किनारे का हरित क्षेत्र	(जी 2)	0.00
		स्टेडियम	(जी 6)	0.10
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)	1.0
7	यातायात एवं परिवहन	बस स्टेण्ड/बस डिपो	(टी 1)	1.0
		मार्ग	(टी 3)	0.00
		रेलवे स्टेशन	(टी 4)	आवश्यकतानुसार
		रेलवे लाइन	(टी 5)	0.00
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)	1.25
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)	आवश्यकतानुसार
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)	आवश्यकतानुसार
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र	(पीयूएफ 9)	आवश्यकतानुसार
		श्मशान घाट/कब्रिस्तान	(पीयूएफ 10)	आवश्यकतानुसार
9	जल निकाय	नदियां	(डब्ल्यू 1)	0.00
		तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)	0.00
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)	0.00
10	कृषि	कृषि	(ए 1)	0.10

नोटः–

1. उपरोक्त सारणी के अतिरिक्त म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के प्रावधानों के अनुसार एफ.ए.आर. मान्य किया जा सकेगा।
2. उस दशा में जहॉ भू–खण्ड/भूमि का स्वामी अपने भू–खण्ड के किसी भाग का स्वामित्व सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, शासन/प्राधिकारी को सौंपता है और उसमें निहित करता है, वहां, उसके द्वारा सौंपे भू–खण्ड/भूमि के क्षेत्र के दोगुने के गणना कर अतिरिक्त तल क्षेत्र उसके आर्थिक प्रतिकर के स्थान में भू–खण्डों/भूमि के शेष भाग में अनुज्ञात किया जायेगा।

3. झुग्गी–झोपडी के पुनर्विकास की दशा में, उस क्षेत्र में अनुज्ञप्त तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) के अतिरिक्त 0.50 तक, अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात अनुज्ञेय किया जाएगा। तथापि विकास एवं भवन अनुज्ञा से संबंधी समस्त अन्य मानदण्ड का अनुपालन किया जाएगा।
4. भूखण्डों पर 2.4 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के साथ आच्छादित पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पार्किंग के ऐसे क्षेत्र की गणना, तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) तथा अनुज्ञेय ऊंचाई गणना में नहीं ली जाएगी।
5. किसी शहर/नगर के पुराने भाग के क्षेत्रों के पुनर्विकास की दशा में, पुरानी तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र के अनुज्ञेय फर्श तल अनुपात (एफ.ए. आर) से अधिक 0.25 तक अतिरिक्त तल क्षेत्रानुपात, मंजूर किया जा सकेगा। तथापि विकास अथवा भवन अनुज्ञा संबंधी अन्य मानदण्ड शिथिल नहीं किए जाएंगे।
6. उपरोक्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. संवेदनशील क्षेत्रों (जलग्रहण क्षेत्रों) के सीमावर्ती क्षेत्रों में देय नहीं होगा।
7. ग्राम आबादी विस्तार क्षेत्र में अधिकतम 1:1.0 एफ.ए.आर. मान्य किया जा सकेगा।
8. TDR को प्रोत्साहित करने हेतु बेस FAR से अधिक FAR प्राप्त करने हेतु एक सीमा तक TDR को अनिवार्य किया गया है। उपर्युक्त सारणी में उल्लेखित तल क्षेत्र अनुपात के अलावा, प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात के रूप में अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रदान किया जा सकता है, जो आधार तल क्षेत्र अनुपात के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6.5 मध्य क्षेत्र हेतु मापदण्ड

मध्य क्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भू–खण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नही है। चूंकि मध्य क्षेत्र में बहुत से आवासों के भूखण्ड अव्यवस्थित आकार के है। मध्य क्षेत्र में कार्य स्थलों पर रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वस्थ परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए फर्शी क्षेत्रानुपात एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। निर्मित क्षेत्र संबंधी वर्तमान नगर निगम भवन नियमों में निम्नानुसार संशोधन करना होगा।

6.5.1 आवासीय

मध्यक्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भूखण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नहीं है। मध्यक्षेत्र में बहुत से आवासों के भूखण्ड अव्यवस्थित आकार के हैं। मध्यक्षेत्र में कार्यस्थलों पर रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वस्थ्य परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित घनत्व की प्राप्ति हेतु फर्शी एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। मध्य क्षेत्र में आवासीय परिसरों का उपविभाजन प्रतिबंधित रहेगा।

मध्य क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु मापदण्ड

सारणी 6–सा–2

क्र.	भूखण्ड का आकार क्षेत्रफल	भूतल पर स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र
1	2	3
1	100 वर्ग मीटर तक	75 प्रतिशत
2	100 वर्गमीटर से अधिक व 200 वर्गमीटर तक	66 प्रतिशत
3	200 वर्गमीटर से अधिक व 500 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
4	500 वर्गमीटर से अधिक	40 प्रतिशत

(अ) फर्शी क्षेत्रानुपात

1. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर से कम — 1:1.5
2. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर एवं अधिक — 1:1.75

(ब) भवन पंक्ति

वर्तमान भवन पंक्ति यथावत किन्तु प्रस्तावित मार्ग चौडाई निर्धारित करने पर भवन पंक्ति पीछे होती हो तो, भवन पंक्ति प्रस्तावित मार्ग चौडाई को निर्धारित करने के पश्चात ही निर्धारित की जावेगी।

(स) अन्य शर्तें –

भवन/उपयोग परिसर में भवन के अन्य नियंत्रण निम्नानुसार होंगे:–

1. भू–खण्डीय विकास पर भू–तल पर निर्मित क्षेत्रानुपात आवासीय क्षेत्र के ही अनुरूप होगा।
2. इन क्षेत्रों में एकीकरण किये गये भवन/भूखण्डों पर स्वीकृति म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही दी जा सकेगी।

6.5.2 वाणिज्यिक क्षेत्र – मध्य क्षेत्र

(अ) आच्छादित क्षेत्र

वाणिज्यिक मार्गों पर भू तल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र पार्किंग प्रावधान सुनिश्चित करने के पश्चात निर्धारित किया जायेगा, जो किसी भी दशा में 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ब) फर्शी क्षेत्रानुपात

विभिन्न वाणिज्यिक मार्गों पर फर्शी क्षेत्रानुपात निम्नानुसार स्वीकार्य होंगे:–

1. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर से कम — 1:1.5
2. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर से अधिक — 1:2.0

(स) भवन पंक्ति

वर्तमान भवन पंक्ति यथावत किन्तु प्रस्तावित मार्ग चौडाई निर्धारित करने पर भवन पंक्ति पीछे होती हो तो, भवन पंक्ति प्रस्तावित मार्ग चौडाई को निर्धारित करने के पश्चात ही निर्धारित कि जावेगी।

6.5.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (मध्य क्षेत्र)

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत व फर्शी क्षेत्रानुपात 1:1.0 से अधिक नही होगा। 500.0 वर्गमीटर से छोटे शासकीय भवन/भूखण्डो में सीमान्त खुले एवं आच्छादित क्षेत्रो में छूट दी जा सकेगी। मध्य क्षेत्र मे स्थित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भवनों के पुनर्निर्माण की अनुमति में उनके सम्मुख मार्ग की चौड़ाई की चौड़ाई को प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई अनुसार रखते हुए स्वीकृति दी जा सकेगी।

6.5.4 ग्रामीण आबादी क्षेत्र

ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित भवनो के पुनर्निर्माण हेतु मध्य क्षेत्र के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा दी जा सकेगी। किन्तु स्थल जिस पर अनुज्ञा हेतु आवेदन दिया गया है, का ग्रामीण आबादी का प्रमाणीकरण राजस्व अभिलेख के अनुसार राजस्व कार्यालय से कराना आवश्यक होगा। ग्रामीण आबादी के 200 मीटर संलग्न क्षेत्र में भी यही नियम मान्य होंगे।

6.6 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

- वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊंचाई, भू–आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात (FAR) एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- विकसित क्षेंत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।

6.6.1 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

भवन की ऊंचाई, अहाते की दीवार की उंचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.6.2 आवासीय

(अ) आवासीय अभिन्यास हेतु नियमन

आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु निम्न माप दण्डों के अनुसार नियोजन उपरांत भू–खण्डीय क्षेत्र का निर्धारण किया जावेगा।

1. आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्युनतम 1.0 हे. भूमि होना अनिवार्य होगा।
2. आंतरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 9.0 मीटर मान्य होगी। स्वीकृत एवं विकसित कालोनी के आंतरिक 7.50 मीटर चौडे मार्गों से पहुंच मान्य की जा सकेगी।
3. सेवा सुविधाओं हेतु नियमानुसार क्षेत्र प्रावधानित करना आवश्यक होगा।

4. विद्युत अधोसंरचना हेतु आवश्यक क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से आरक्षण कराया जाना आवश्यक होगा।
5. सुविधाजनक दुकानें म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार प्रावधानित करना आवश्यक होगा।
6. सभी प्रकार के भूखण्डीय क्षेत्र मार्ग संरचना, खुला क्षेत्र, सुविधाएं एवं सेवाओं हेतु नियोजन करने के पश्चात निर्धारित किये जाऐगें।
7. सुविधाजनक दुकानों हेतु आरक्षित भूखण्डों के आगे सम्मुख एम.ओ.एस. पार्किंग हेतु छोड़ना होगा।
8. प्रत्येक कॉलोनी में सामुदायिक खुला क्षेत्र में से 30% क्षेत्रफल को वृक्ष आच्छादित क्षेत्र (Wooded Area) के रूप में विकसित करना अनिवार्य होगा।

अन्य मार्गदर्शी सिध्दांत

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–3 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल–मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू–तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
4. म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम–2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम–2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जावेंगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट–ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेंगे।
7. ग्रामीण मार्गों कांकड की न्यूनतम चौडाई न्यूनतम 12 मीटर तथा अधिकतम स्थल पर उपलब्ध चौडाई के अनुसार मान्य की जा सकेगी।

(ब) समूह आवास/ ऊँचे भवन (हॉईराईज) के मानक

(1) समूह आवास –मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप मान्य होंगे।

(2) डुप्लेक्स एवं रो–हाउसिंग–मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप मान्य होंगे।

(स) स्वयं के आवास हेतु मापदण्ड

ऐसे भू–भाग जो कृषि के रूप में छोटे–छोटे टुकडों में विभक्त हैं तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर होकर विकास योजना में भूमि उपयोग आवासीय प्रस्तावित है तो निम्न प्रावधानों का पालन करते हुए नियोजन अनुज्ञा दी जा सकेगी:–

1. स्वयं के आवास हेतु न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम भू–भाग पर अनुमति जारी नही की जावेगी।
2. संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जावेगा की भू–भाग अवैध कालोनी का भाग नही है।
3. ऐसे भू–भाग जो एक से अधिक व्यक्ति के नाम से हो एवं वे व्यक्ति एक परिवार के ना हों उस पर अनुमति नहीं दी जावेगी। संयुक्त परिवार के खाते की भूमि होने पर उक्त भू–भाग पर एकल स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. भूखण्ड में से 10 प्रतिशत खुला क्षेत्र छोड़ा जावेगा, जो सीमांत खुले क्षेत्र से पृथक रहेगा।
5. भूखण्ड पर अनुमति तभी ही दी जा सकेगी, जब आवेदक द्वारा भूखण्ड हेतु सार्वजनिक अथवा निजी पहुंच मार्ग उपलब्ध हो।
6. भूखण्ड के चारों ओर निर्धारित सीमांत खुले क्षेत्र (एम.ओ.एस.) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य किया जावेगा।
7. स्थानीय संस्था द्वारा मांग की जाने पर प्रचलित नियमों अनुसार आश्रय शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि जो कि, स्थानीय संस्था निर्धारित की जावेगी, आवेदक को भवन निर्माण अनुज्ञा के पूर्व स्थानीय संस्था में जमा कराना होगी, उसके पश्चात् ही भवन अनुज्ञा जारी की जा सकेगी।
8. अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत से अधिक नही होगा तथा भवन की ऊँचाई 9.50 मीटर (जी+2) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1:1.00 मान्य होगा।

6.7 नवीन आवासीय भूखण्डों हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–3 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल–मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।

3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू–तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।

4. म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम–2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम–2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जावेंगे।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट–ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः किफायती आवास एवं अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सां–3

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम. ओ. एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम उँचाई (मी.में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां
					अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9.5	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9.5	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9.5	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	15.0X24.0	360	पृथक्कृत	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथकृत	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोटः–

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।.
7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य नही होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.8 बहुविध बहु मंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.9 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.10 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां।

6.10.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है। अतः वास्तविकता को अनदेखा

करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मार्ग जिनकी चौड़ाई 24.00 मीटर या इससे अधिक है, ऐसे मार्गों पर आमोद–प्रमोद, यातायात, कृषि, विशेषीकृत वाणिज्यिक (मण्डी आदि) एवं औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित भूमियों को छोड़कर शेष भूमि/भूखण्ड पर भी मार्ग की चौड़ाई के दोगुना चौड़ाई तक मिश्रित उपयोग की गतिविधि मान्य की जा सकेगी। मिश्रित उपयोग में आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतर्गत दर्शित गतिविधियॉ मान्य की जा सकेगी।

6.10.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किये जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग–अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़–भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।
4.

6.10.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगें।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे।
3. 24.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर–आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।
4.

6.11 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड निम्न सारणी क्रमांक 6–सा–4 में दर्शाये गये है:–

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	फर्शी क्षेत्रानुपात	निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)			
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6.0x9.0	54	12 या अधिक	1.5	80	4.5	0.0	0.0	0.0
2.	9.0x15.0	135	12 या अधिक	1.5	70	4.5	1.5	2.5	0.0
3.	12.0x18.0	216	12 या अधिक	1.5	60	4.5	1.5	2.5	2.5
4.	15.0x24.0	360	12 या अधिक	1.5	60	4.5	3.0	3.6	3.6
5.	18.0x30.0	540	12 या अधिक	1.5	60	6.0	4.5	4.5	4.5
6.	30.0x33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	1.5	40	6.0	4.5	4.5	4.5

टीप :–

1. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा।
2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा।
   - 12 मीटर या अधिक – 1:1.50
   - 18 मीटर या अधिक – 1:1.75
   - 24 मीटर या अधिक – 1:2.00
3. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे।
4. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6–सा–5 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6–सा–5

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई – बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग	12 मीटर

	की न्यूनतम चौड़ाई – दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई – दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.12 औद्योगिक

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.12.1 खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योग हेतु मापदण्ड

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाल श्रेणी के उद्योगों को निवेश क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृति नहीं दी जावेगी। नगरीय सीमा में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों को असंगत भूमि उपयोग की श्रेणी में मान्य करते हुये ऐसे उद्योगों को निवेश क्षेत्र के बाहर विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

6.13 सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

(अ) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अभिन्यास के मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहीत प्रावधान अनुसार रखे जावेंगे।

(ब) इस उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात वर्तमान सघन क्षेत्र के लिये निम्न सारणी 6–सा–6 में दर्शाये गये है।

सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–6

क्र.	विवरण	भू–आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	**2**	**3**	**4**
1	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.0
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.0
3	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.0
6	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25

7	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.0
8	अग्निशमन भवन	30 प्रतिशत	1.0
9	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

भू–आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य होगा।

6.13.1 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6–सा–7

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार वृत्त खण्ड केन्द्र उपवृत्त खण्ड केन्द्र सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय प्राथमिक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	 3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6.	उद्यान नगर उद्यान स्थानीय उद्यान	 8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीपः– प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.13.2 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधान अनुसार मान्य होंगे।

6.13.3 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

- शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट–ञ में दिए गए अनुसार होगी।
- विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।

उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो, विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट–छः में विहित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।

6.14 अन्य नियमन

- 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.15 यातायात नगर/मैकेनिक नगर

यातायात नगर/मैकेनिक नगर के अभिन्यास हेतु निम्नलिखित मानक रहेंगे।

देवास : यातायात/मैकेनिक नगर के मानक

सारणी 6–सा–8

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाईयां प्रति 100 ट्रक	अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमीटर में
1	**2**	**3**	**4**
1	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30–40	29–450
2	कल पुर्जो की दुकानें	10–15	09–72
3	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशॉप	15–25	7.5–135
4	टायर ट्यूब की बिक्री दुकानें	12–20	7.5–90

5	ढाबा/ रेस्टोरेंट	05–07	30–90
6	चाय नाश्ता दुकान	08–19	09–14
7	पान सिगरेट दुकान	10–14	02–05
8	नाई, सिलाई दुकान	01	10–15

नोट :– सकल क्षेत्र 1.1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर के लगभग प्रति 100 ट्रक की आवश्यकता होती है। सुविधाएं:– प्रति 100 ट्रकों के लिये विभिन्न सेवाओं के प्रावधान निम्न मानकों के अनुरूप होंगे:–

देवास: यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

सारणी 6–सा–9

क्र.	सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्ग मीटर)	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**
1	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम
2	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिंदु पर एक
3	पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिंदु पर एक
4	होटल, लॉजिंग/बोर्डिंग	600	ऊपरी मंजिल पर
5	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6	उपचार गृह	200	–
7	अग्निशमन केन्द्र	200	–
8	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिंदु पर

टीप:–

1. सकल क्षेत्र 0.25 हेक्टेयर प्रति ट्रक (व्यस्ततम समय) अथवा अभिन्यास का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र।
2. **परिभ्रमण तंत्र**
   अभिन्यास के प्रमुख मार्ग – 18 मीटर चौड़े
   द्वितीयक मार्ग – 9–12 मीटर चौड़े
   खुले क्षेत्रों के ओर के मार्ग – 12–18 मीटर चौड़े
3. **पार्किंग एवं खुले स्थल**
   36 वर्गमीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समान्तर पार्किंग के या खुले यार्ड के रूप में

6.16 मिनी सुपर कॉरीडोर के अभिन्यास हेतु नियमन

प्रस्तावित मिनी सुपर कॉरिडोर में मार्ग के दोनों ओर 150–150 मीटर भूमि का विकास संस्थागत प्रयासों से किया जाना प्रस्तावित है। यह आवश्यक है कि इसके दोनों ओर आवश्यक भूमि विकास हेतु

संस्थागत पहल पर एकजाई/स्कीम योजना तैयार की जाकर उसका विकास चरणबध्द तरीके से किया जावेगा।

(अ) भूखण्ड का आकार

1. मिनी सुपर कॉरिडोर से संलग्न न्यूनतम भूखण्ड का आकार 2000 वर्गमीटर
2. भवन की ऊंचाई – मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार सामने के मार्ग पर आधारित
3. सार्वजनिक खुला क्षेत्र – 10 प्रतिशत
4. भूखण्ड के अग्र भाग की न्यूनतम चौड़ाई – 30 मीटर
5. सेवा–सुविधाओं के लिये क्षेत्र–संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार
6. आंतरिक मार्गों की चौड़ाई– न्यूनतम 18 मीटर

(ब) विकसित भूखण्ड हेतु नियमन

1. अधिकतम भू–आच्छादन क्षेत्र 30 प्रतिशत
2. सीमान्त खुला क्षेत्र
   1) अग्र – न्यूनतम 12 मीटर अथवा भवन की ऊंचाई का आधा जो भी अधिक हो।
   2) दायें/बायें ओर – न्युनतम 7.5 मीटर अथवा भवन की ऊंचाई का एक तिहाई जो अधिक हो।
   3) पृष्ठ – न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा भवन की ऊंचाई का एक तिहाई जो अधिक हो।
   4) फर्शी क्षेत्र अनुपात – 3.0 अधिकतम।

टीपः–

1. आवासीय गतिविधियां केवल उन्हीं भूखण्डों पर मान्य होगी जो मिनी सुपर कॉरिडोर से संलग्न नहीं है।
2. मिनी सुपर कॉरिडोर से संलग्न भूखण्डों पर निर्मित भवनों में प्रथम दो तलों पर आवासीय गतिविधियां मान्य नहीं होगी। यद्यपि भूखण्ड पर निर्मित होने वाले भवन की पीछे के 20 प्रतिशत भाग पर आवश्यकता अनुसार प्रथम दो तलों पर भी आवासीय गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

6.17 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई–वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.18 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शॉपिंग मॉल, खुला मॉल विकास योजना में दर्शित आवासीय, वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू–उपयोग में मान्य होंगे। खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत भी मान्य होंगे। उक्त हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे।

6.19 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/बोर्डिंग के लिए नियमन–

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र –

(अ) सम्मुख	6.0 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण –

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

6.20 मैरिज गार्डन

मैरिज गार्डन विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।

6.21 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :–

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1:0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र –

सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण :–

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।

- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप– शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.22 शीतकेन्द्र वेयर हाउस गोदाम अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

- भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल– 1000 वर्गमीटर
- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात– 1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र– 40 प्रतिशत
- भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई– 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र –6.0 मीटर

6.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.24 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स एवं मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग सेन्टर हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू–उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.25 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद–प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुशांगिक गतिविधियां स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.26 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :–

1. नदी के दोनों ओर 100.00 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.00 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा।
2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रख जावेगा। इस सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।
3. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम–से–कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 4.50–4.50 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
5. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।

6. जलाशय/जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को सीवेज लाईन से जोड़ना होगा।
7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ0ए0आर0 में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
9. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है।
10. प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन स्मारकों के रख–रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा।
11. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुये एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ दी जा सकेंगी।
12. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन, आमोद–प्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे।
13. नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छादित क्षेत्र या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
14. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख–रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

6.27 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विरासत महत्व के स्मृति चिन्हों के संरक्षण एवं सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिये। जब तक इस प्रकार का अध्ययन एवं प्रस्ताव क्रियांवयन हेतु तैयार नहीं होते है, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित एवं सूचीबध्द विरासत भवन निम्नानुसार नियमनों द्वारा प्रतिबंधित होंगे।

1. शासन द्वारा स्वीकृत निजी या अन्य किसी संस्था के माध्यम से स्वीकार्य होगा।
2. चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवनों को गिराने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वे निजी आधिपत्य में ही क्यों न हो।
3. प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संरचना नगर में प्रभावशील सामान्य मापदण्डों से संचालित नहीं होंगे।
4. प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित भवनों की ऊंचाई एवं रूपांकन विरासत भवनों के वास्तुकला के समान होना चाहिए।
5. मार्ग, नगरीय स्थल, चौराहे, आंगन, जो कि नगर के प्रमुख तत्व है, को संरक्षित रखा जाना चाहिए एवं किसी नगरीय नवीनीकरण एवं पूर्ण विकास के माध्यम से यथास्थिति दिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
6. प्रतिबंधित क्षेत्र में भू–दृश्यीकरण विकास स्वीकार्य होगा, जिसमें परिवेश से मिला–जुला वृक्षारोपण, पंहुच परिभ्रमण एवं भवन के चारों ओर पार्किंग स्वीकार्य होगी, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित रूपांकन अनुसार स्वीकृत की जाएगी।

7. पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

6.27.1 नगरीय रूपांकन एवं वास्तुकला के नियंत्रण हेतु नियमन

उन सभी अंकित रूपांकन एवं वास्तुकला नियंत्रण क्षेत्रों का नियमन शासन द्वारा गठित तकनिकी समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। नियमन में नगरीय रूपांकन के बिंदु सम्मिलित होंगे। इसका उद्देश्य नगर की पहचान एवं इसकी स्थानीय विशेषता को उभारना है।

6.28 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत गविविधियां

सारणी 6–सा–10

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	**आवासीय**	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेटस, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, स्वयं का आवास, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशुक्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे–केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्धशासकीय /शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मल्टीप्लेक्स, पिकअप स्टेशन, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, फिटनिस क्लब, रो–हाऊसिंग, मल्टी डेव्हलिंग यूनिट, आवासीय प्रकोष्ठ, ग्रुप हाऊसिंग, शॉपिंग मॉल, खुला मॉल, मल्टीप्लेक्स।
2	**मिश्रित**	आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में समस्त स्वीकृत उपयोग परिसर स्वीकार्य होंगे।
3	**वाणिज्यिक**	
(अ)	सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भू–खण्डीय विकास को छोडकर) सिनेमा हाल, होटल, इंधन भराव स्टेशन एवं इंधन भराव–सह–सेवा

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो पार्टस एवं ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज/मैकेनिक दुकाने एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, शोरूम, फिटनेस क्लब, ओपन मॉल।
(ब)	वर्गीकृत वाणिज्यिक	थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब, कबाडी बाजार, लोहा मण्डी, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, भवन निर्माण सामग्री, इंधन भराव स्टेशन एवं इंधन भराव–सह–सेवा केन्द्र।
4	**औद्योगिक**	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, हॉस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, माल गोडाउन, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पैकेजिंग युनिट, भवन निर्माण सामग्री, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, छात्रावास, श्रमिक आवास, एस.ई.जेड. प्रशिक्षण केन्द्र।
5	**सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक**	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग–ध्यान–अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव, बैटरी चार्जिंग स्टेशन एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता, ब–शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग''।
6	**सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें**	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर/ स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7	**यातायात एवं परिवहन**	रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल–नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प (ईधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र), बैटरी चार्जिंग स्टेशन।
8	**आमोद–प्रमोद**	
(अ)	क्षेत्रीय/नगर उद्यान/ मनोरंजन	खेल का मैदान , पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाए, ईधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, जॉगिंग ट्रेक, साईकील ट्रेक।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
(ब)	हरित क्षेत्र / वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, ऑरचर्ड, फ्लाईंग, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, कैम्पिंग साईट–अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक / कुटीर–अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं, जॉगिंग ट्रेक, साईकील ट्रेक।
9	**वन**	वन विभाग के प्रावधानानुसार
10	**कृषि**	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो **"कृषि"** शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट / कब्रिस्तान, ज़ल–मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय / अर्ध–शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ, मैरिज गार्डन, ईंधन भराव, बैटरी चार्जिंग स्टेशन एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम., भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्धशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट, (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट / एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस,मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ट्रेंचिंग ग्राउण्ड, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव–दाह, समस्त खेल गतिविधियां / लॉजिस्टिक हब, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर–प्रदूषण कारी उद्योग, आरा मशीनें, कृषि पर्यटन सुविधाएं, समस्त प्रकार के भण्डारण, बस स्टैण्ड, हाट / साप्ताहिक बाजार, जेल, शूटिंग रेंज, शासकीय परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुनर्वास, पवन / सौर ऊर्जा संयंत्र, ढाबा, मोटल, हवाई पट्टी, हैलीपैड, पशु एवं घास बाजार, पशु वध गृह, कांजी हाउस ।
	ब) ग्राम आबादी विस्तार	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो **"कृषि"** शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है। ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस, समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ (संक्रामक रोगों के अतिरिक्त),क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु चिकित्सालय / औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, वाहन शोरूम, होस्टल / लॉजिंग बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक कल्याण केन्द,माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता ब–शारीरिक

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		विकलांगता), नर्सरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान,समस्त खेल गतिविधियॉ, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियॉ, कम्यूनिटी हाल, बालगृह, सुविधाजनक दुकानें, बस/पिकअप स्टेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि पर्यटन सुविधा एवं समस्त प्रकार के भण्डारण, वेयर हाऊस।

व्याख्या:–

(1) 'सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

(2) ''गैर–प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

(3) '''कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार मान्य होगा।

6.29 भू उपयोग में स्वीकृत स्वीकार्य उपयोग के नियमन

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी 6–सा–11

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
शैक्षणिक गतिविधियां										
1.	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.20	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	18.00	–	–	–	–	–	–	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
	अ–प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	–	30	1:1.0	12.50	30.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
	ब–आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	–	30	1:1.0	12.50	30.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
	स–खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 प्रतिशत	–	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
	द–पार्क एवं लैण्ड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	–	5	1:0.05	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	24.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
4.	चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	30.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	24.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
6.	पॉलीटेक्नीक	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
7.	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
8.	प्राथमिक विद्यालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
9.	नर्सरी स्कूल	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
10.	प्ले स्कूल	0.05	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
11.	समन्वित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	12.00	30	1:1.0	12.50	24.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.20	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
16.	संगीत/नृत्य/ नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
17.	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
18.	कोचिंग सेंटर	0.05	12.00	30	1:1.0	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
22.	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.40	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.40	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.40	12.00	30	1:1.0	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	18.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
28	प्रयोगशाला	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
स्वास्थ्य गतिविधियाँ										
29	सामान्य चिकित्सालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
30	विशिष्ट/सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	संबंधित विभाग के मानक अनुसार	12.00	30	1:1.0	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
31	क्लिनिक/डिस्पेंसरी	0.05	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
32	प्रसूति गृह	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
33	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
34	नर्सिंग होम	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
35	पॉलिक्लिनिक	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
36	क्लीनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
37	पेथोलॉजी लैब	0.05	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
38	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	30	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
39	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
40	डायग्नोस्टिक सेन्टर	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
41	ब्लड बैंक	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
42	रेड क्रास केन्द्र	0.20	12.00	30	1:1.0	12.50	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
43	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
44	एक्सरे/ रेडियोलॉजी	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
रहवासी गतिविधियाँ										
45	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
46	बालगृह	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
47	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
48	झूलाघर/डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
49	अनाथालय	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
50	वृद्धाश्रम	0.20	12.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
51.	धर्मशाला	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
52.	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
54.	होस्टल	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
55.	रेस्ट हाउस/ अतिथि गृह	0.20	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
56	रात्रि विश्राम गृह	0.20	12.00	30	1:1.25	7.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
57	सर्किट हाउस	0.40	12.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
58	भूखण्डीय विकास	–	9.00	–	–	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
59	ग्रूप हाउसिंग	0.40	12.0	30	1:1.25	12.50	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
60	आवासीय सह व्यवसायिक/स्थानीय दुकान	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	4.50	2.50	3.5/3.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
61.	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.05	12.00	30	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
62	स्वयं का आवास	0.05	9.00	30	1:1.0	10.0	4.5	2.5	3.0/3.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
वाणिज्यिक गतिविधियाँ										
63	शापिंग माल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
64	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
65	सुपर मार्केट/ डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.20	12.00	33	1:1.50	12.50	15.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
66	कैफेटेरिया	0.10	12.00	33	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
67	कन्वेनशन सेंटर	0.10	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
68	सुविधाजनक दुकानें	0.10	12.00	35	1:1.50	9.00	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
69	स्थानीय दुकाने	0.05	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
70	साप्ताहिक हाट बाजार	0.20	12.00	30	–	4.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
71	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
72	सिनेमा हाल	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार
73	होटल	0.10	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
74	मोटल	0.20	12.00	25	1:0.75	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
75	रेस्टॉरेंट	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
76	ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
77	व्यवसाय/ कार्यालय	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
78	ऑटो सर्विस स्टेशन/ मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
79	स्टोरेज/गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	0.10	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
80	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
81	जंकयार्ड	0.20	12.00	25	1:0.25	12.50	15.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
82	वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ.एम. सी.जी. गोदाम	0.10	12.00	25	1:0.75	12.50	10.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
83	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
84	ए.टी.एम.	–	12.00	–	–	–	–	–	–	–
85	मैरिज हाल	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
86	बारात घर	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
87	कल्याण मंडपम	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
88	मांगलिक भवन	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
89	मेरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
90	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	0.20	12.00	25	1:0.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
91	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय	0.20	12.00	30	1:1.0	12.50	15.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
	केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के									
92	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
93	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	1.00	12.00	30	1:1.00	12.50	24.00	20.00	20.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
94	गैस गोडाउन	–	12.00	30	1:0.5	7.50	6.0	4.5	4.5	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
95	अनाज मण्डी	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
96	सब्जी/फल मण्डी	0.40	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
97	लोहा मण्डी	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
98	भवन सामग्री यार्ड	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
99	सी.एन.जी. केन्द्र	0.10	18.00	10	1:0.15	7.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
100	सर्विस स्टेशन	0.10	18.00	30	1:1.25	12.50	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
101	ब्यूटी पार्लर	0.01	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
102	तौल कांटा	0.15	24.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
103	थोक मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
104	दवाई मार्केट	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
105	स्टेशनरी मार्केट	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
106	ऑटोमोबाईल मार्केट	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
107	फायर वर्कस् मार्केट	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
108	सर्राफा मार्केट	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
109	क्राकरी मार्केट	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
110	कपड़ा मार्केट	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
111	बर्तन बाजार	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
112	मरम्मत बाजार	0.20	18.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
113	टिम्बर मार्केट	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
114	केमिकल बाजार	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
115	ई-चौपाल	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
116	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
117	इन्फार्मल शॉपिंग	0.10	18.00	35	1:1.25	12.25	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
118	बैंक्वेट हॉल	0.20	18.00	30	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
119	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	0.20	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
120	कोल यार्ड	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
121	मीट मार्केट	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
122	सायबर केफे	0.20	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
123	ढाबा	0.20	30.00	10	1:0.1	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
124	रेल/एयर टिकिट घर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
सांस्कृतिक गतिविधियाँ										
125	खुला रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.10	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
126	योग केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
127	अध्यात्मिक केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
127	सांस्कृतिक/ सूचना केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
128	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
129	लाइब्रेरी	0.10	12.00	3	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
130	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
131	कॉन्फ्रेन्स हॉल/प्रदर्शनी केन्द्र	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
132	नाट्य गृह	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
133	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
134	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
135	क्रेच/झुलाघर	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
136	आर्ट/गैलेरी संग्रहालय	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
खेल/मनोरंजन गतिविधियां										
137	खेल का मैदान/नेबरहूड पार्क	खेल/पार्क की आवश्यकतानुसार	खेल/पार्क की आवश्यकतानुसार			आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
138	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	18.00	10	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
139	एम्यूजमेंट पार्क/मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	2.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
140	क्लब/रिसोर्ट	0.20	12.00	20	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
141	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
142	जिम्नेजियम मय पूल गेम, स्नेकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
143	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	18.00	15	1:0.10	आवश्यकतानुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
145	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकतानुसार	18.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
146	स्टेडियम	खेल की आवश्यकतानुसार	18.00	30	1:0.10	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
147	स्पोर्टस काम्पलेक्स	खेल की आवश्यकतानुसार	18.00	30	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
148	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
149	तरणताल	0.20	12.00	25	1:0.10	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
150	पिकनिक हट	0.10	12.00	25	1:0.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
151	फ्लाइंग क्लब	0.20	18.00	30	1:0.10	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
152	फिटनेस क्लब	0.10	12.00	33	1:1.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
153	मेला मैदान	आवश्यकतानुसार	18.00	20	1:0.50	7.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
154	नर्सरी	0.10	12.00	30	1:0.25	9.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
155	पक्षी अभयारण्य	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
156	वनस्पति उद्यान	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
157	प्राणी उद्यान	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
158	मत्स्यालय	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
159	केम्पिंग साइट	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
160	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस फलोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	1.00	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
161	रिसार्ट पर्यटक/कुटीर	1.00	18.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
शासकीय गतिविधियां										

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
162	शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय/उपकम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
163	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
164	जेल	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
165	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
166	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
167	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
168	बैंक	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
सार्वजनिक सेवाऐं सुविधाएं										
169	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय/उपकम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	आवश्यकता अनुरूप	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
170	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
171	दूरसंचार टावर/स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
172	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
173	कम्बाईन्ड ट्रिटमेंट प्लान्ट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
174	वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
175	दूर संचार केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
176	ट्रांसमिशन टावर/वायर लेस स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
177	रेडियो स्टेशन	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
178	वैद्यशाला	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
179	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
180	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
181	मौसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
182	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
183	शमशान/कब्रस्तान/सिमीट्री	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
184	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
185	गौशाला	0.20	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
186	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
187	दूरभाष केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
188	विन्ड मिल्स/फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
189	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	4.50	3.00	3.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
190	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
191	ओवर हेड पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
192	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
193	ऑक्सीडेशन पौंड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
194	सेप्टिक टैंक	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
195	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
196	घूरा एवं कचराघर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
197	धोबी घाट	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
198	औद्योगिक सुविधायें एग्रो स्तर उद्योग	0.20	12.00	40	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
199	डेयरी प्लांट	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
200	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
201	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	18.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
202	डेरी प्लांट	0.20	18.00	35	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
203	स्लाटर हाउस	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
204	फेलेटेड फैक्ट्री	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
205	एक्सर्टेसिव/ विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग		18.00	–	–	–	–	–	–	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
206	गैर प्रदुषणकारी उद्योग	0.10	18.00	35	1:1.00	12.50	10.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
207	फूड पार्क	1.00	18.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
208	साफ्टवेयर पार्क	1.00	18.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
209	दुग्ध शीतजन संयंत्र	0.40	12.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
यातायात सुविधायें										
	बस स्टेण्ड	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
210	बस टर्मिनल	1.50	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
211	पिकअप स्टेशन	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
212	बस स्टॉप	आवश्यकतानुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	–	–	–	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
213	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
214	मेकेनिक नगर	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
215	ऑटो स्टेण्ड/ टैक्सी स्टेण्ड	0.10	12.00	15	1:0.30	07.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
216	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
217	बस डिपो/कर्मशाला	0.80	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
218	कार्गो	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
219	पार्किंग	आवश्यकतानुसार	9.00	–	–	–	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
220	कन्टेनर डिपो/लॉजिस्टीक हॅब	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
221	ड्राई पोर्ट/कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
222	हेलीपेड	आवश्यकताअनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
223	रेल्वे स्टेशन	आवश्यकताअनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
224	धर्म कांटा/वेविंग ब्रिज	0.05	18.00	15	1:0.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां										
225	मुर्गी पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
226	फॉर्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
227	डेयरी युनिट	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
228	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
229	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
230	कृषि पर्यटन सुविधा	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
231	अनाज गोदाम	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
232	भवन सामग्री यार्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
233	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
234	कृषक परामर्श/ सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
235	आंगनवाड़ी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
236	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
237	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग
							सामने	पीछे	साईडस्	
238	चौपाल	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
239	उत्सव स्थल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

नोट :– 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र 6–सा–11 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा।

2. भूतल अधिकतम कव्हरेज एवं भूखण्ड के अग्रभाग हेतु मापदंड यदि म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 से भिन्न हो तो उसे म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य किया जावेगा।

3. 12.50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के अनुसार मान्य होंगे।

4. उपरोक्त सारणी में वर्णित विभिन्न सुख–सुविधाओं के लिये अपेक्षित न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल केवल निर्देशित है। भूखण्ड का न्यूनतम आकार/क्षेत्रफल प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा।

5. ऐसी गतिविधियॉ जिनका एफ.ए.आर. वर्णित नही है उनमें एफ.ए.आर. मूल भू–उपयोग परिक्षेत्र सारणी 6–सा–1के अनुसार मान्य होंगे।

6.30 अन्य सुविधाएँ

देवास निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.31 विकास योजना के विशिष्ट प्रावधान

1. मिश्रित भूमि उपयोग : विकास योजना के नवीन प्रस्तावित क्षेत्र में भिन्न–भिन्न रिजिड (Rigid) भूमि उपयोग के प्रस्ताव ना देते हुए आवासीय के तहत एकल किन्तु लचीला (Flexible) मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मार्ग की चौड़ाई के आधार पर गतिविधियां स्वीकार्य की गई है।

2. **हरित क्षेत्र :** देवास नगर में हरित क्षेत्र को बढ़ाये जाने की नितांत आवश्यकता है। इसी अवधारणा से आमोद–प्रमोद भूमि उपयोग के तहत भूमि वितरण का प्रतिशत बढाया गया है। विकास योजना में नदी, नाले एवं तालाबों से बफर जोन के रूप में हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। ग्रीन बफर के रूप में क्षिप्रा नदी से लगकर 100.00 मीटर चौडाई तक तथा शंकरगढ़ पहाड़ी पर हरित क्षेत्र आमोद– प्रमोद के तहत प्रस्ताव दिए गए है जो कि नगर के पर्यावरणीय संतुलन के साथ–साथ सामुदायिक खुले क्षेत्र, खेल के स्थान, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र (Wooded Area), नगर उद्यान की आवश्यकता की पूर्ति करेगा साथ ही साइकल ट्रेक एवं जोगिंग ट्रेक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना भी तैयार हो सकेगी।

6.32 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगी।

———0———

अध्याय–7
योजना क्रियान्वयन

सभी नियोजन व्यर्थ है, यदि विकास योजना के कियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु संभव प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते है। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करंके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा,जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें। भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है।

विकास योजना का कियान्वयन मुख्यतः देवास नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिक निगम द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है। उससे विकास योजना के कियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों कों समन्वित करने हेतु शासकीय अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2041 तक की कालावधि के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में 699052.5 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 6643.23 हे. भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि का 60 प्रतिशत विकास पर व्यय, नये मार्गों का निर्माण आदि शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर 50.00 लाख रूपये प्रति हेक्टर मानी गई है। विकास व्यय का जहॉ तक प्रश्न है वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग–अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7–सा–1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जावेगी।

विकास योजना का क्रियान्वयन

सारणी 7–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)				भू–अर्जन प्रति हेक्टेयर लागत (रु. 50.00 लाख प्रति हे. की दर से)	शेष भूमि का 60 प्रतिशत विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में 7+10)
		प्रस्तावित	वर्तमान विकसित भूमि	शेष भूमि	भू अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	(लागत रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	3582.93	1505.00	2077.93	2077.93	103896.5	1246.76	100	124676	228572.5
2	मिश्रित	1242.34	38.64	1203.70	1203.70	60185	722.22	100	72222	132407
2	वाणिज्यिक	476.85	75.95	400.90	400.90	20045	240.54	100	24054	44099
3	औद्योगिक	1981.83	1005.26	976.57	976.57	48828.5	585.94	100	58594	107422.5
4	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक सुविधा एवं सेवाएं	315.00	233.52	81.48	81.48	4074	48.88	50	2444	6518
5	आमोद–प्रमोद	1195.28	220.00	975.28	975.28	48764	585.16	50	29258	78022
6	यातायात एवं परिवहन	1709.00	781.00	928.00	928.00	46400	556.8	100	55680	102080
	योग:–	**10503.23**	**3859.37**	**6643.86**	**6643.86**	**332193**	**3986.3**		**366928**	**699121**

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि बहुत से प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है उनका उल्लेख अध्याय–एक में किया गया हे। जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है।

अतएव निम्नलिखित उदेश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है।

1 भूमि कुशलतम उपयोग

2. सेवाएं एवं अधोसंरचना का विकास

1. भूमि की निरंतर उपलब्धता तथा अधोसंरचना विकास में संस्थागत/निजी सहभागिता
2. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन
3. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है,जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू–स्वरूप तथा जल स्त्रोंतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे नगरीय अवशिष्ट

के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रिकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैः–

1 तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल मल के प्रावह को रोकने हेतु प्रभावी कदम

2 तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू–उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना

3 जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध ।

4 तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदंडों को प्रभावीकरण

5 निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण

6 सभी जल स्त्रोतो के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उदेश्यों की पूर्ति हेतु होगाः–

1. संस्था गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसरंचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगरीय अद्योसंरचना एवं सेवा योजना के प्रमुख तत्व निम्नानुसार हैः–

1. नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू–स्वामी/विकासकर्त्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा। यहॉ समन्वयक संस्था की भूमि प्रदायकर्त्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएं, प्रमुख सेवा तंत्वों के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसीमन विकास आवास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार विकसित बडे भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने

हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा पॉच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा। वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिंता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा। जो कंडिका 7.6 के संदर्भ में होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण–लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड एवं उप वृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों का प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसरंचना के विकास के लिये समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:–

1 एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2 कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों मे से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।
3 विकास योजनाओं के अनुरूप प्राथमिकता का निर्धारण।
4 एकीकृत नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत परियोजना तैयार करना ।
5 निवेश से संबंधित समस्याग्रस्त ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचाना करना जिसमें सहभागिता के आधार पर समन्वित विकास हो जिससे विकास गतिशील हो सके।
6 समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 भूमि विकास नीति

7.5.1 विकास प्रबंधन

भूमि प्रदाय को बढाने के लिए राज्य आवास नीति 2007 में भूमि स्वामियों के संबंध में निम्न प्रावधान रखे गये है:–

1. शहरों में आवासीय विकास हेतु कृषको/निजी भूमि स्वामियों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। ताकि उनकी भूमि सुलभता से उपलब्ध हो सके। भूमि के मालिकों, जिनमें भूमि ली जाएगी। उन्हें भूमि के मूल्य के बदले विकास व्यय को दृष्टिगत रख सेमी– विकसित भूमि या विकसित भूखण्ड या निर्मित सम्पत्ति उपलब्ध कराई जायेगी। इस तरह निजी भूमि धारकों की स्टेक होल्डर के रूप में क्षेत्र में सार्वजनिक संस्था के साथ भागीदारी हो सकेगी।
2. प्रदेश के विभिन्न शहरों में पुर्नघनत्वीकरण योजनान्तर्गत ऐसे शासकीय परिसर/भवन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहा है, उनकों तोड़कर रिक्त भूमि के विकास की पुर्नघनत्वीकरण योजनान्तर्गत निजी तथा कार्पोरेट सेक्टर को निर्धारित योजना अनुसार सम्बद्ध किया जावेगा। पुनर्घनत्वीकरण योजना को इस प्रकार कियान्वित किया जायेगा जिससे नगर के कोर एरिया में अधोसंरचना पर दबाव कम हो।
3. नगरों के मध्य क्षेत्रों में जहां पर आबादी एवं अधोसंरचना पर बहुत अधिक दबाव है, ऐसे क्षेत्रों में पुनर्घनत्वीकरण की योजनाओं को यथासंभव प्रतिबंधित रखा जाएगा व उपलब्ध भवनों/परिसरों के अन्तर्गत भूमि का उपयोग उस क्षेत्र की अधोसंरचना पर दबाव को कम करने की दृष्टि से खुले क्षेत्र, खेल मैदान, पार्किंग एवं मार्ग विस्तार हेतु करने पर समग्र विचार किया जाएगा।
4. पुनर्विकास के क्षेत्रों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात तथा अन्य मापदण्ड के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार योजना तैयार की जा सकेगी।

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ–साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंध नितियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में विकास नियमन दिये गए है।

7.5.2 योजना एवं कार्यक्रम

आलोच्य क्षेत्रों का विकास हेतु कियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण मे सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2025 से 2041 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा। योजना प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु भूमि–स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है। योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में कियान्वयन करने के लिये नीति का सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इस

उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास कियान्वित किया जावेगाः–

1 भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिये नीति तैयार करना।

2 मार्ग ग्रिड विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।

3 भूमि स्वामियों विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से कियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।

4 परिसीमन अधोसरंचना के प्रावधान के साथ–साथ लगभग पॉच से दस हेक्टर आकर के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।

5 योजना के तीनों चरणों की आवश्यक जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास।

6 नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।

7 मुख्य जल स्त्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

7.5.3 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार हैः–

– यह सुनिश्चित हो की भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरूद्ध न हो।

– उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।

– बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।

– अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।

– भू–स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के घटक में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार सारणी 7–सा–2 चिन्हित किया गया हैः–

प्रथम चरण के कियान्वयन घटक

सारणी 7–सा–2

क्र.	उपयोग	क्षेत्र का विवरण	रिमार्क
1	आवासीय	नि. इ. 1– ग्राम देवास सीनियर, बावडिया,बालगढ़, रसूलपुर	विकसित (निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकास किया गया)
		नि. ई. 2– ग्राम देवास जुनियर, बिलावली, ईटावा	विकसित (प्राधिकरण एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकास किया गया)

		नि. ई. 3– ग्राम ब्राहम्मणखेडी देवास सीनियर, वीराखेडी, अमोना, बिंजाना, नागूखेडी	अर्द्ध विकसित (निजी विकासकर्ताओं द्वारा लगभग 30 प्रतिशत विकास किया गया)
2	वाणिज्यिक	नि.ई. 1– ग्राम देवास सीनियर, सब्जी मण्डी, फिश मार्केट एवं मटन मार्केट रसूलपुर	अविकसित
		नि.ई. 2– ग्राम बिलावली, थोक एवं विशिष्ट बाजार	अविकसित
		नि. ई. 3– ग्राम नागूखेडी, बिंजाना	अविकसित
3	औद्योगिक	नि. ई. 2– ग्राम रसूलपुर, अमोना एवं बिंजाना	अर्द्ध विकसित
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सूविधाएं एवं सेवाएं	नि. ई. 1– ग्राम देवास सीनियर	अविकसित
		नि. ई. 2– ग्राम बिलावली	अविकसित
		नि. ई. 3– ग्राम नागुखेडी बिंजाना	अविकसित
5	आमोद प्रमोद	नि. ई. 1– ग्राम बालगढ़, मीठा तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण	ग्राम बालगढ में कृषि विभाग की भूमि पर कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है। मीठा तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया ।
		नि. ई. 2– ग्राम बिलावली स्टेडियम का विकास	अविकसित
		नि. ई. 3– ग्राम देवास सीनियर, मॉ चामुण्डा टेकरी का विकास, अमोना बिंजाना	नगर निगम द्वारा चामुण्डा टेकरी का विकास किया गया।
		प्रस्तावित वृत्तिय/बायपास मार्ग के दोनों ओर हरित क्षेत्र का विकास	अविकसित
	यातायात एवं परिवहन	मुख्य मार्ग कमांक–1 (वृत्तिय/बायपास मार्ग से रेल्वे लाईन तक)	अर्द्धविकसित
		मुख्य मार्ग कमांक–10 उज्जैन मार्ग से बिंजाना मुख्य मार्ग कमांक 17 रेल्वे कासिंग तक	अविकसित
		मुख्य मार्ग कमांक–13 एबी मार्ग से रेल्वे लाईन तक तत् पश्चात रेल्वे लाईन के समानान्तर वृत्तिय/बायपास मार्ग तक	आंशिक रूप से विकसित
		बस स्टेण्ड का विकास/निर्माण (ग्राम देवास सीनियर में भोपाल मार्ग पर)	अविकसित
		ओवर ब्रिज का निर्माण	अविकसित

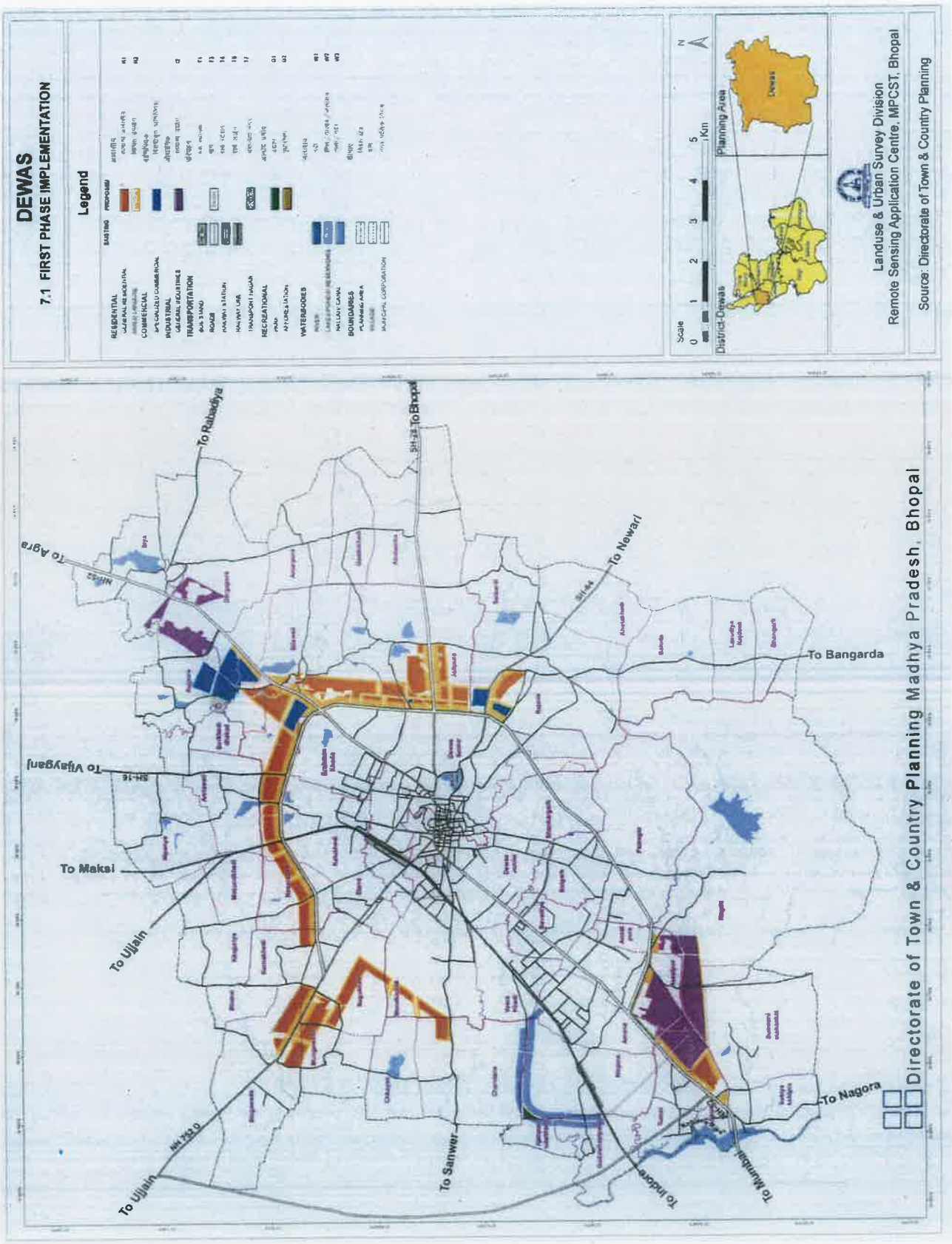
DEWAS
7.1 FIRST PHASE IMPLEMENTATION
Legend
RESIDENTIAL
COMMERCIAL
INDUSTRIAL
TRANSPORTATION
RECREATIONAL
WATERBODIES
BOUNDARIES
Scale
Km
District-Dewas
Planning Area
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Directorate of Town & Country Planning
To Rabadiya
To Bhopal
To Agra
To Newari
To Bangarda
To Vijayganj
To Maksi
To Ujjain
To Sanwer
To Indore
To Mumbai
To Nagora
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

		1 अमोना रेल्वे क्रांसिग 2 बिंजाना रेल्वे क्रासिंग	

प्रथम चरण के कियान्वयन की कुल लागत रूपये 82385.0 लाख आंकलित की गई थी चूंकि यह लागत केवल अनुमान हेतु थी। अतः इसकी समीक्षा की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है क्यों कि, विकास योजना में भूमि उपयोग व कियान्वयन हेतु नियम मुख्य तत्व है। अन्य विवरण प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु अनुमानित होता है।

7.7 विकास योजना 2041 प्रथम चरण के घटक

विकास योजना 2041 तक की आवश्यकताओं को आंकलित कर तैयार की गई है अतः विकास योजना प्रस्तावों का कियान्वयन तीन चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक संस्था के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार सारणी क्रमांक 7 सा 3 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है:–

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7–सा–3

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हे.
1	2	3
1	आवासीय	479.42
2.	वाणिज्यिक	385.55
3	मिश्रित	148.14
4	औद्योगिक	304.19
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक सेवाएँ– सुविधाएँ	19.44
6	आमोद–प्रमोद	50.00
7	यातायात रिंग रोड 1, एम आर–10 एवं एम आर–17 यातायात नगर	195.76
	योग	**1582.5**

विकास योजना के प्रथम चरण मे चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 791.25 हेक्टेयर भूमि अधिकृत कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कियान्वयन प्रकिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण कियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 188024.5 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण कियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 7–सा–4 में दिया गया है।

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7–सा–4

क्र.	कार्य विवरण	भू अर्जन क्षेत्रफल (हे.में.)	भू–अर्जन की लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि विकास व्यय			कुल व्यय (रु. लाख में)
				भौतिक लक्ष्य (हे.में)	व्यय रुपये लाख में		
					दर	लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	239.71	11985.5	479.42	100	47942.0	59927.5
2	वाणिज्यिक	192.77	9638.75	385.55	100	38555.0	48193.75
3	औद्योगिक	152.09	7604.75	304.19	100	30419.0	38023.75
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक सुविधाएं	9.72	486	19.44	100	1944.0	2430
5	आमोद–प्रमोद	25	1250	50.00	100	5000.0	6250
6	यातायात एवं परिवहन अ. आर.आर–1 लंबाई 3.06 किमी चौड़ाई 30.0 मीटर ब. एम.आर.–5 लंबाई 1.122 कि. मी. चौड़ाई 30.0 मीटर द.एम.आर.–21 लंबाई 2.16 कि.मी. चौड़ाई 24 मीटर बसस्टेण्ड, ट्रांसपोर्ट नगर, लॉजिस्टीक हब, ओव्हर ब्रीज 1	97.88	4894	195.76	50	9788.0	14682
7	मिश्रित	74.07	3703.5	148.14	100	14814.0	18517.5
	योग	**791.25**	**39562.5**	**1582.5**	**100**	**86808.0**	**188024.5**

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग–अलग प्रयास किये गये है। जिसके परिणाम स्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन मे निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक्–पृथक् रहे है। जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को देवास जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार

को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती हैं इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न उपाय हो सकते हैः–

बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग उपांतरण शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि। इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यन्त तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

7.9 योजना पर्यवेक्षक तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में कियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते है। यह योजना कियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ–साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तद्नुसार कार्यवाही परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र के स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

2 अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित हैः–

(क) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।

(ख) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण

(ग) प्रथम चरण कियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिहिन्त कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।

(घ) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।

(ड़) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।

(च) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना

(छ) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।

(ज) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

3 **नियोजन पर्यवेक्षण तंत्रः–** योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैः–

(अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।

(ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।

(स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।

(द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का कियान्वयन।

4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के कियान्वयन का मूलतः दायित्व देवास विकास प्राधिकरण का होगा। अपितु इसके कियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ–3/130/32/97, दिनांक 20.1.1998 एवं एफ–3/55/32/98, दिनांक 12.8.1998 द्वारा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन कमांक 2876, दिनांक 15.5.1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

राज्य शासन के आदेश कमांक एफ–3/130/32/97, दिनांक 20.1.1998 एवं एफ–3/55/32/98, दिनांक 12.8.1998 एवं आदेश कमांक एफ–3/130/32/97, दिनांक 02.05.2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के कियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को संशोधित किया गया।

5 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण :– विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन कियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.10 योजना की व्याख्या

विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

(1) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ–साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।

(2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास के अध्याय 4 में वर्णित प्रकिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।

(3) ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियों जो प्रमुख भू–उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में तथा सम्बद्ध तालिका कमांक 4–सा–17 में शामिल है, के भू उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेगी।

(4) विकास प्रस्ताव कियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।

7.11 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिये किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। देवास विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2041 तक की कालावधि के लिये प्रस्तावित किये गये हैं। विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरांन्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

———0———

अनुसूची –1

उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग/उपयोग गतिविधियों की परिभाषायें :

आवासीय भूखण्ड

आवास, मिश्रित भू–उपयोग पैराग्राफ में दिये गये विवरण अनुसार गतिविधियां।

आवासीय भूखण्ड एवं समूह आवास

आवासीय फ्लेट, कन्फेक्शनरी की फुटकर दुकानें, किराना एवं सामान्य व्यापार, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, दवाई दुकान नाई, धोबी–लॉण्ड्री, टेलर सब्जी दुकान (भूतल पर प्रत्येक हेतु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ)।

झूलाघर एवं डे–केयर सेन्टर

भूतल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ एवं निगरानी आवास (20 वर्गमीटर)

आवासीय

आवास एवं व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार)।

आवासीय फ्लेट

आवास एवं व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार)।

आवास सह कार्य भूखण्ड

आवास भू–तल को फुटकर दुकानों के कार्यक्षेत्र के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान।

छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह, निगरानी कर्मियों के आवास (20 वर्गमीटर), व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई धोबी, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) स्टॉल (15 वर्गमीटर)।

धर्मशाला

धर्मशाला, धोबी, नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) एवं बार (15 वर्गमीटर)।

बारात घर

बारात घर, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार(15 वर्गमीटर)।

रात्रि आश्रय

रात्रि आश्रय।

मोटल

क्षेत्रीय मार्गों पर वाहन सुधार सेवाएँ तथा खान–पान एवं विश्राम सुविधा सहित।

फुटकर मरम्मत एंव व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान, मरम्मत दुकान, व्यक्तिगत सेवा दुकान।

वेन्डिंग बूथ

वितरण बूथ (वेन्डिंग बूथ)।

सुविधाजनक दुकानें
फुटकर दुकानें एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपहार गृह, क्लीनिक।

स्थानीय दुकानें
फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1) परिशिष्ट–च में उल्लेखित उद्योग उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक उपहार गृह शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर नर्सिंग होम्स एवं अतिथिगृह।

साप्ताहिक बाजार
साप्ताहिक बाजार, अनौपचारिक फुटकर व्यवसाय, शीतल पेय, स्नेक्स स्टॉल (सभी संरचनायें गतिमान या अस्थायी स्वरूप होंगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस।

थोक व्यापार
थोक दुकान, गोदाम एवं भण्डारण, वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित)।

भण्डारण, गोदाम एवं भण्डारगृह
भण्डारगृह, गोदाम, एवं भण्डारगृह, नगरानी आवासी (20 वर्गमीटर), थोक आऊट–लेट प्रशासकीय एवं विक्रय कार्यालय।

शीतगृह
शीतगृह निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय।

गैस गोदाम
गैस गोदाम, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), देख–रेख कार्यालय।

तेल डिपो
तेल एवं गैस डिपो, आवासीय ईकाई (निगरानी एवं रख–रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रशासकीय कार्यालय।

कबाड़खाना
कबाड़खाना, निगरानी आवास, क्रय/विक्रय कार्यालय।

वाणिज्यिक कार्यालय
वाणिज्यिक कार्यालय, फुटकर एवं व्यक्गित सेवा दुकान, उपाहार गृह, बैंक, डाक एवं तार घर।

बैंक
बैंक निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक वाणिज्यिक कार्यालय अल्पाहार गृह।

मोटर गैरेज एवं कर्मशाला
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, फुटकर दुकान (कलपुर्जे) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल

छबिगृह
छबिगृह निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक प्रशासकीय कार्यालय शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

पेट्रोल पंप
पेट्रोल पम्प/डीजल/वाहन हेतु ईंधन, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान।

रेस्टोरेंट/उपाहार गृह
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार बैठक व्यवस्था हो।

होटल
होटल फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक प्रतिबंधित)।

सेवाकेन्द्र
फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक से दिया गया है गैस गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय।

हल्के औद्योगिक भूखण्ड
हल्के उद्योग इकाई भूमि विकास निगम 2012 के नियम 37 (1 परिशिष्ट–च) की सूची अनुसार प्रशासकीय कार्यालय विक्रय केन्द्र निगरानी एवं पर्यवेक्षेण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से जो भी कम हो, तक के आवासीय फ्लेट (निगरानी हेतु)।

पार्क
पार्क शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु) ।

खेल मैदान
खेल मैदान।

आउटडोर स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज
स्टेडियम, प्रशासनिक कार्यालय (रख रखाव) निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर) आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकान उपाहर गृह।

आंतरिक खेल हाल
आंतरिक खेल हाल, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

तरण पुष्कर
तरण पुष्कर निगरानी/रख रखाव कर्मचारी आवास उपहार गृह।

आमोद प्रमोद क्लब
आमोद प्रमोद क्लब निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक), आवासीय इकाई (रख रखाव कमचारियों हेतु) फुटकर उपहार गृह।

ऐतिहासिक स्मारक
ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र।

वनस्पति उद्यान पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान
वनस्पति एवं जीवन उद्यान पक्षी अभ्यारण निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर उपाहार गृह।

पिकनिक हट/केम्पिंग साइट
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

उड्यन क्लब
उड्यन क्लब एवं आमोद–प्रमोद से सम्मिलित गतिविधियॉ।

पार्किंग/वाहन विराम
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता है।

टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अन्तर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है वाहन विराम स्थल व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक हो।

माल एवं बुकिंग कार्यालय
माल एवं बुकिंग कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।

रेल माल गोदाम
रेल माल गोदाम देख रेख कार्यालय, निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक)।

रेल बुकिंग कार्यालय एवं सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय
रेल तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण।

बस टर्मिनल
बस डिपो, कार्यालय, निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक), हल्के पेय एवे स्नेक्स स्टॉल प्रशासकीय कार्यालय।

बस डिपो
बस डिपो, कर्मशाला निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक), हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल प्रशासकीय कार्यालय।

सार्वजनिक सुविधा परिसर
ओवर हेड टेंक, भूगर्भीय टेंक, आक्सीडेशन पॉण्डस, सेप्टीकटेंक, मल पंपिंग स्टेशन सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय, विद्युत उपकेन्द्र ढलाव एवं कचरा दानी, धोबीघाट।

केन्द्रीय शासन कार्यालय स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय
केन्द्रीय शासन कार्यालय स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक), औषधी की फुटकर दुकानें, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कन्ज्यूमर स्टोर, (भूतल पर 15 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु), अल्पाहार गृह बैंक विस्तार काउण्टर डाकघर विस्तार काउण्टर।

न्यायालय
न्यायालय, निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह औषधी की फुटकर दुकानें, एवं स्टेशनरी, (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) ग्रंथालय प्रशासकीय कार्यालय, बैंक, डाक एवं तार घर पुलिस चौकी अधिवक्ताओं के चैम्बर।

चिकित्सालय
चिकित्सालय आवासीय इकाई कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु संस्थागत होटल, चिकित्सा महाविद्यालय, फुटकर दुकान कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधी, नाई, धोबी, सब्जी।

स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम
स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, निगरानी आवास प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक, औषधी दुकान प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक ।

फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला
फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला।

औषधालय (डिस्पेंसरी)
औषधालय /डिस्पेंसरी, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

उपचार प्रयोगशाला
उपचार प्रयोगशाला शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा
स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) प्रशासकीय कार्यालय औषधालय अल्पाहार गृह।

पूर्व प्राथमिक एंव किंडर गार्डन विद्यालय
पूर्व प्राथमिक एंव किंडर गार्डन विद्यालय निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।

प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान (15 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय
माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधी दुकान (15 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, डाकघर काउण्टर सुंविधा।

एकीकृत आवासीय विद्यालय एंव महाविद्यालय (व्यवसायिक महाविद्यालय समेत)
विद्यालय एंव महाविद्यालय, आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु), संस्थागत होस्टल, 15 वर्गमीटर प्रत्येक तक की फुटकर दुकानें, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, पुस्तक एवं स्टेशनरी, औषधी,

नाई, धोबी, सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा।

व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक (होस्टल) केवल शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में, पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (15 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, ग्रंथालय।

सामाजिक कल्याण केन्द्र

सामाजिक कल्याण केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह प्रदर्शनी सह विक्रय काउण्टर ।

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों के लिये होस्टल अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, ग्रंथालय, काउण्टर सुविधा।

ग्रंथालय

ग्रंथालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी एवं कलाविथिका, सभागृह।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु), पुस्तक एवं स्टेशनरी, औषधि, दुकान, (15 वर्गमीटर प्रत्येक तक) अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, डाकघर काउण्टर सुविधा।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

खेल प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय फ्लेट रखरखाव हेतु फुटकर दुकानें कन्फेशनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, छात्रावास बैंक डाकघर, अल्पाहार गृह, इन्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम, तरण पुष्कर, खेल मैदान।

मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र

मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

बाल यातायात उद्यान

बाल यातायात उद्यान निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, संग्रहालय, सभागृह।

संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एवं खुला रंगमंच

संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एंव खुला रंगमंच, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह।

सामुदायिक हॉल

सामुदयिक हॉल, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

मैला मैदान

मैला मैदान, आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरूप में) उपाहारगृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, पुलिस पोस्ट, अग्निशमन केन्द्र, बैंक विस्तार काउण्टर, डाकघर काउण्टर सुविधा।

सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र

सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह (500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तक), ग्रंथालय, प्रदर्शनी एंव कला वीथिका।

सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान

सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, उपाहार गृह, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, ग्रंथालय, नृत्य, संगीत एंव नाटय प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र, तथा कला वीथिका।

सुधार गृह एंव अनाथालय

सुधार गृह एंव अनाथालय, आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु), छात्रावास, व्यक्तिगत सेवा दुकान (15 वर्गमीटर तक)

धार्मिक परिसर/भवन

धार्मिक परिसर/भवन 1. मंदिर 2. मस्जिद, 3. चर्च, 4. गुरूद्वारा, 5. यहुदियों का देवालय, 6. आश्रम, 7. स्नानघाट, 8. गौशाला, 9. दरगाह, 10. धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय।

ध्यान/योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ध्यान/योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

पुलिस थाना

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस कार्यालय एवं सुविधायुक्त परिसर एवं कर्मचारी आवास के साथ हो।

पुलिस चौकी

पुलिस चौकी, आवश्यक कर्मचारी आवास

जेल

जेल एवं आवश्यक आवास (कर्मचारियों के लिए)।

अग्निशमन केन्द्र

अग्निशमन केन्द्र, आवासीय इकाई (रखरखाव कर्मचारियों हेतु), छात्रावास (कर्मचारियों हेतु), सेवा कार्यशाला ।

डाकघर, डाक व तार कार्यालय, एवं सामान्य डाकघर

डाकघर, डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाकघर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहारगृह।

दूरभाष केन्द्र

दूरभाष केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहारगृह, छात्रावास, ग्रंथालय।

दूरसंचार टावर

दूरसंचार टावर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

दूरसंचार केन्द्र

दूरसंचार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहारगृह।

दूरसंचार केन्द्र तथा वैद्यशाला एवं जलवायु कार्यालय

दूरसंचार केन्द्र तथा वैद्यशाला एवं जलवायु कार्यालय, आवासीय फ्लेट (रखरखाव कर्मचारियों हेतु), अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, छात्रावास, पुस्तकालय।

कब्रिस्तान, शव दाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाह गृह

कब्रिस्तान, शव दाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाह गृह, लकडी, फूल एवं संबधित सामग्री की फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।

नर्सरी/पौध शाला

नर्सरी/पौध शाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी।

डेयरी फार्म

डेयरी फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी।

मुर्गी पालन फार्म

मुर्गी पालन फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी।

अनुसूची–2

परिसरों की परिभाषायें

01 **आवासीय भू–खण्ड, भू–खण्डीय आवास**
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो.

02 **आवासीय भू–खण्ड समूह आवास**
न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधाएं जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधाएं आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हो.

03 **आवासीय प्रकोष्ठ**
एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह का भाग या स्ववंत्र हो।

04 **आवासीय–सह–कार्य भू–खण्ड**
एक परिवार में एक परिवार के लिये उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजना में मान्य होंगें.

05 **आवासीय परिसर–विशेष क्षेत्र**
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान.

06 **छात्रावास (होस्टल)**
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर.

07 **अतिथिगृह बोर्डिग एंव लॉजिंगगृह**
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय,अर्द्वशासकीय,सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर. बोर्डिग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों को छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हो.

08 **धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो.

09 **बारात घर**
सार्वजनिक संस्था व्दारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यो के उपयोग हेतु स्थान।

10. **रैन बसेरा (नाईट शेल्टर)**
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय शासन या स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो।

11. **फुटकर दुकानें**
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

12. **मरम्मत दुकान**
गृह सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, ऑटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

13. **व्यक्तिगत सेवा दुकान**
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हो।

14. **बेंडिंग बूथ**
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

15. **सुविधा जनक दुकान केन्द्र–**
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे।

16. **स्थानीय दुकान केन्द्र–**
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे।

17. **साप्ताहिक बाजार/ अनौपचारिक समूह इकाई–**
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र, यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है।

18. **थोक व्यापार–**
ऐसा परिसर जहां से वस्तुएं एंव सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हो।

19. **स्टोरेज गोदाम एवं भंण्डारण–**
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

20. **कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह)**
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

21. **गैस गोदाम–**
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों को भण्डारण किया जाता हो।

22. **तेल डिपो–**
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

23. **कबाड़खाना–**
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय–विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भंडारण परिसर।

24. **वाणिज्यिक कार्यालय–**
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

25. **बैंक–**
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

26. **मोटर गैरिज एवं कार्यशाला–**
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

27. **छविगृह–**
ऐसा परिसर जहां दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो ।

28. **पेट्रोल पम्प –**
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो।

29. **रेस्टोरेन्ट (उपाहार गृह)**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिये किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

30. **होटल–**
ऐसा परिसर जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

31. **मोटल–**
ऐसा परिसर जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

32. **फ्लेटेड समूह–**
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो यह ईकाईयां बहु मंजिला भवन में हो सकती है।

33. **सेवा केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हो। ताकि पड़ोसी आवासी क्षेत्रों का आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके।

34. **औद्योगिक भूखण्ड– हल्के उद्योग–**
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग ईकाइयों का परिसर।

35. **औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग–**
ऐसी औद्योगिक ईकाइयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रोनिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन ईकाइयों का समूह सम्मिलित हो।

36. **उद्यान (पार्क)**
आमोद–प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हो जिसमें लॉन, खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित हो।

37. **कीड़ांगण–**
बाहय खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर जिसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हो।

38. **बाहय खेल स्टेडियम–**
बाहय खेलो के लिये ऐसा स्टेडियम जिसमें पेवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिये संबंधित सुविधायें उपलब्ध हो।

39. **आंतरिक खेल स्टेडियम–**
आंतरिक खेलो के लिये ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शकदीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिये संबंधित सुविधाये उपलब्ध हो।

40. **आतंरिक खेल हॉल–**
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलो तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हो।

41. **शूटिंग रेंज–**
ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधाये उपलब्ध हो।

42. **तरण पुष्कर–**
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

43. **आमोद–प्रमोद क्लब–**
संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

44. **ऐतिहासिक स्मारक–**
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हो।

45. **प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय**
संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्यन हेतु उपलब्ध हो।

46. **पक्षी अभ्यारण–**
पक्षियो के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

47. **वनस्पति उद्यान–**
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिये उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

48. **पिकनिक हट/केम्पिंग साइट –**
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद–प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिये परिवार सहित ठहरने की सुविधा स्पष्ट हो।

49. **फ्लांइग क्लब–**
ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन क्लब एवं आतंरिक खेल गतिविधियां शामिल हो।

50. **माल एवं टिकिट घर–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिये किया जाता है।

51. **रेल माल गोदाम–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

52. **रेल टिकिट घर–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेल्वे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।

53 **सड़क परिवहन टिकट घर–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमे गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हेा।

54. **वाहन विराम–**
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

55. **टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हो द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

56. **बस अवसान केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय में विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती है।

57. **बस स्थानक–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख–रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

58. **सार्वजनिक उपयोगिता परिसर–**

1. **पानी की टंकी–** ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।

2. **भूमिगत टंकी–** ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों मे जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।

3. **आक्सीकरण पोण्ड–** ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थो के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।

4. **सेप्टिक टैंक–** ऐसा परिसर जिसमें जल विकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।

5. **जल मल पंपिंग स्टेशन–** ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल मल को ऊचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।

6. **सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय–** ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो। इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।

7. **विद्युत उपकेन्द्र –** ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।

8. **घूरा एवं कचरा घर–** ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थो के एकत्रीकरण एवं आगे गढ्डो को भरने हेतु लदान किया जाता हो।

9. **धोबी घाट–** ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़ा धोने, सुखाने इत्यादि के लिये किया जाता हो।

59. **केन्द्र शासन के कार्यालय–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

60. **स्थानीय शासन के कार्यालय–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

61. **सार्वजनिक उपकम कार्यलय–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपकम व्यूरो अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों द्वारा किया जाता हो।

62. **न्यायालय–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

63. **शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)**
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

64. **चिकित्सालय–**
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषिकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

65. **स्वास्थ्य केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

66. **उपचार केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

67. **औषधालय–**
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्थ एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

68. **क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

69. **उपचार प्रयोग शाला–**
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परिक्षण करने की सुविधा हो।

70. **स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा–**
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

71. **झूला घर एंव दिवस देख–रेख केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देख–रेख की सुविधा हो यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

72. **पूर्व प्राथमिक एवं किन्डर गार्डन स्कूल–**
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एंव प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हो।

73. **प्राथमिक शाला**
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

74.. **माध्यमिक शाला–**
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढने, खेलने की सुविधा हो इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित है।

75. **उच्चतर माध्यमिक शाला–**
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

76. **एकीकृत शाला–**
ऐसा परिसर जिसमे कक्षा 12 के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

77. **एकीकृत आवासीय शाला–**
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। तथा छात्रों के लिये बोर्डिंग सुविधा हो इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते है।

78. **महाविद्यालय–**
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नाकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल है।

79. **व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय एवं व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण सह कार्य केन्द्र शामिल है।

80. **सामाजिक कल्याण केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

81. **अनुसंधान एवं विकास केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

82. **पुस्तकालय–**
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढने एवं संदर्भ के लिये वृहद् संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

83. **तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकि प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो, इसमें तकनीकि शाला , औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हो।

84. **वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण–**
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

85. **संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

86. **खेल प्रशिक्षण केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलो के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा भी शामिल है।

87. **वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें आटो वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

88. **बाल यातायात उद्यान–**
ऐसा परिसर जिसमे बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा सह उद्यान की सुविधा हो।

89. **संग्रहालय–**
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एंव काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

90. **कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियो, भित्ती चित्र, मिटटी से बनी कलाकृतियें, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

91. **सभागृह (आडिटोरियम)**
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

92. **खुला रंगमंच**
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिये दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

93. **सामुदायिक भवन–**
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक' –सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो।

94. **मेला मैदान–**
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिये प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो।

95 **सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिये सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हो।

96. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था–**
ऐसा परिसर जिसमें गैर वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाये हो।

97. **सुधार गृह–**
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

98. **अनाथालय–**
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षिणक सहित या रहित हो सकता है।

99. **धार्मिक–**
ऐसा परिसर जिसमें ईश्वर अथवा धार्मिक प्रकृति के अन्य उद्देश्यों से संबंधित सेवाएं व स्थल हो। ये विभिन्न धर्मो जैसे मंदिर (सभी धर्मों के) मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा, यहुदियों का प्रार्थना भवन, आश्रम, स्नानघाट, गौशाला आदि हो सकते है।

100. **योग, ध्यान, आध्याम्कि एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र–**
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हो।

101. **पुलिस चौकी–**
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102. **पुलिस स्टेशन–**
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103. **जिला पुलिस कार्यालय–**
अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालयो हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104. **नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक–**
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105. **न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला–**
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106. **जेल–**
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107. **अग्निशमन पोस्ट–**
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि–प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108. **अग्निशमन स्टेशन–**
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109. **डाकघर–**
सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक सुविधायुक्त परिसर।

110. **डाक एवं तार घर–**
सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111. **मुख्य डाकघर–**
सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112. **टेलीफोन एक्सचेंज–**
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113. **रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन–**
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमांक का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिये होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिये टावर्स जैसी सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती है।

114. **ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन–**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिय टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115. **उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र–**
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीक के अनुसंधान तथा विकास के लिये सुविधायें उपलब्ध हो।

116. **वेधशाला एवं मौसम कार्यालय–**
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

117. **कब्रिस्तान–**
मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधायुक्त परिसर।

118. **विश्रामघाट (श्मशान)**
दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का सुविधायुक्त परिसर।

119. **सिमिट्री–**
ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर।

120. **विद्युत दाहगृह–**
ऐसा परिसर जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह किया जाता हो।

121. **बाग (ओरचर्ड)–**
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षो के साथ उद्यान सम्मिलित हेा सकता है।

122. **पौध नर्सरी–**
पौध उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर।

123. **वन–**
सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर।

124. **डेरीफर्म–**
ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है।

125. **कुक्कुट फार्म–**
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है।

126. **सुअर पालन–**
सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है।

127. **फार्म हाऊस–**
एक कृषि फार्म पर बनी आवासीय इकाई।

128. **ग्रामीण केन्द्र–**
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

129. **URDPFI**
Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines

130. **GIS**
Geographical Information System

131. **TDR**
Transfer of Development Rights

132. **DEM**
Digital Elevation Model

133. **NRSC**
National Remote Sensing Centre

134. **RS**
Remote Sensing

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

मध्यप्रदेश शासन,
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 1974

क्रमांक 530/एफ–1–17/XXXIII/टी.सी.पी./74– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस नियम के प्रयोजनों के लिये देवास निवेश क्षेत्र का गठन करती है। जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची परिलक्षित की गई है।

अनुसूची
देवास निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :– बिलावली, कालूखेड़ी , नौसेराबाद तथा नागूखेड़ी ग्राम की उत्तरी सीमा तक।

पश्चिम में :– नागूखेड़ी , मेंढकीचक, बीराखेड़ी , तथा बिंजाना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

दक्षिण में :– बिंजाना, अमोना, रसूलपुर, बावड़िया, बालगढ़ शंकरगढ़, देवास जूनियर, देवास सीनियर तथा राजौदा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।

पूर्व में :– राजौदा, जैतपुरा तथा बिलावली ग्राम की पुर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार हस्ताक्षर
(एन.सी.जैन)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग,

परिशिष्ट 2

COPY OF NOTICE FOR ADOPTION OF EXISTING LAND-USE MAPS OF DEWAS APPEARD IN MADHYA PRADESH GAZETTE DATED -08-02-1974

कार्यालय, मुख्य नगर निवेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 14 फरवरी 1974

मध्यप्रदेश नगर निवेश (संशोधन) अधिनियम, 1968 (क्रमांक 21 सन् 1968) द्वारा यथा संशोधित मध्यप्रदेश टाउन प्लानिंग एक्ट, 1948 (क्रमांक 67 सन् 1948) की धारा 2–बी की उपधारा (3) तथा (4) के साथ पठित धारा 2–ई के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की भूमि के प्रत्येक खण्ड के संबंध में भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी रजिस्टर तदानुसार सम्यक रूप से स्वीकार किये जाते है। इस सूचना की प्रति मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रमकाशन हेतु भेजी जा रही है। उक्त प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र तथा रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा स्वीकार किये गये है–

स्थानीय क्षेत्र से रिक्त भूमि की अनुसूची

नगर पालिका देवास के क्षेत्राधिकार में आने वाला समस्त भू–भाग तथा निम्न ग्राम जो स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते है।

01	देवास सीनियर	02	देवास जूनियर	03	बालगढ
04	शंकरगढ़	05	बावडिया	06	रसूलपुर
07	बिंजाना	08	अमोना	09	बीराखेडी
10	मेंढकीचक	11	ईटावा	12	कालूखेड़ी
13	ब्राहम्मणखेड़ी	14	बिलावली	15	राजोदा
16	जैतपुरा	17	नौसेराबाद	18	नागूखेडी

उक्त स्वीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर दिनांक 28 नवम्बर 1973 से 6 दिसम्बर 1973 तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल –
मल्हार स्मृति मंदीर, देवास

के.कपलिश
मुख्य नगर निवेशक

परिशिष्ट 3

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2021

क्रमांक एफ–3–42/2021/18–5, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14/02/1974 के द्वारा गठित देवास निवेश क्षेत्र की सीमाओं संशोधित कर निवेश क्षेत्र का पुर्नगठित करता है। पुर्नगठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई है।

देवास पुर्नगठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :– दुर्गापुरा, सिया, राजपुरा,बोरखेडा धाकड़ निपानिया, खजुरिया, भीमसी, सिंगावदा, की उत्तरी सीमा तक।

पश्चिम में :– सिंगावदा, मुंगावदा,छायन,चंदाना, आजमपुर सुतारखेड़ा, गदईसापिपल्या, टुमनी, अलीपुर, सुकल्या शिप्रा, की पश्चिमी सीमा तक।

दक्षिण में :– सुकल्या शिप्रा, सुनवानी महाकाल, नागदा, भानगढ़, खटाम्बा, की दक्षिणी सीमा तक।

पूर्व में :– दुर्गापुरा, अमरपुरा, गदुखेडी, खटाम्बा, सतबर्डी, खेताखेडी, बालोदा, लसुड़िया नजदीक, भानगढ़ की पुर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,

परिशिष्ट 4

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास-शाजापुर मध्यप्रदेश

हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास

देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2021

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्र. 2394-देवास-नग्रानि-2021.—देवास वर्धित निवेश क्षेत्र, के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब, देवास वर्धित निवेश के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 26 नवम्बर 2021 से 03 दिसम्बर 2021 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:—

(1) जिला कलेक्टर, देवास

(2) आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास

(3) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास.

अनिता कुरोठे, उपसंचालक.

परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
/ /आदेश/ /

भोपाल दिनांक 15.4.2010

क्रमांक एफ–3–45/32/2010 राज्य शासन के आदेश कमांक एफ–3–130/32/97 दिनांक 20.01.1988 आदेश कमांक एफ–3–55/32/98 दिनांक 12.08.1988 एवं ओदश कमांक एफ–3–130/32/97 दिनांक 2 मई 2000 के अनुमोदित विकास योजनाओं के कियान्वयन हेतु सभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को एतत द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	सांसद, संबंधित क्षेत्र	सदस्य
3.	अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत	सदस्य
5.	महापौर, संबंधित नगर पलिक निगम	सदस्य
6.	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक	सदस्य
7.	अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका	सदस्य
8.	अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत	सदस्य
9.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
10.	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत	सदस्य
11.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
13.	मध्यपद्रेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
14.	संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकार	सदस्य
15.	संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक,नग्रानि, संबंधित जिला कार्यालय	सदस्य सचिव

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।
(ब) सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संधारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
(स) कियान्वयन संस्थाएं अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार परतैयार करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर
(वर्षा नावलेकर),
उपसचिव,मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

परिशिष्ट 6

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ–3–119–2021–अठारह–5, –राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम–1973 की धारा 17–क(1) के अन्तर्गत देवास विकास योजना, हेतु म.प्र.शासन आवस एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3–3–बत्तीस–99, दिनांक 27 जनवरी 1999 को निरस्त करते हुए देवास विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है, यह समिति अधिनियम की धारा 17–क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :–

अधिनियम की धारा 17(क)(1) की उपधारा	पदनाम	संस्था /पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	महापौर नगर पालिक निगम, देवास	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, देवास	सदस्य
(ग)	लोक सभा सदस्य	देवास–शाजापुर संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, देवास	सदस्य
(ड़)	अध्यक्ष	देवास विकास प्राधिकरण, देवास	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, देवास	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत राजौदा	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत नागुखेडी (ग्राम नागूखेडी, मुगावदा)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत निपान्या (ग्राम निपान्या,अमलावती)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत सिया (ग्राम सिया, दुर्गापुरा)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत सिंगावदा	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत खजुरिया जागीर (ग्राम खजुरिया जागीर, भीमसी, करनाखेडी, मुकुदखेडी)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत अमरपुरा (ग्राम अमरपुरा, गदुखेडी)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत खटाम्बा (ग्राम खटाम्बा, सतबर्डी)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत चंदाना (ग्राम चंदाना, छायन)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत गदईसा पिपल्या (ग्राम गदईसा पिपल्या, आजमपुर, सुतारखेडा)	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत लोहारपीपल्या (ग्राम लोहारपीपल्या, टुमनी)	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत सुक्लया क्षिप्रा (ग्राम सुकल्या क्षिप्रा, अलीपुर)	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत सुनवानी महाकाल	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत बालोदा	सदस्य

	15. सरपंच	ग्राम पंचायत भानगढ (ग्राम भानगढ़, लसुडिया नजदीक)	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत मेंढकीधाकड (ग्राम बोरखेडा धाकड़, राजपुरा)	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत बरखेडा कोतापाई (ग्राम खेताखेडी)	सदस्य
(ज)	1.प्रतिनिधि	जिलाध्यक्ष, जिला देवास	सदस्य
	2.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग,	सदस्य
	3.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, देवास	सदस्य
	4.प्रतिनिधि	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास	सदस्य
	5.प्रतिनिधि	इंस्टीटयूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	6.प्रतिनिधि	इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स इंण्डिया	सदस्य
	7.प्रतिनिधि	काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समितिका संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव

परिशिष्ट 7

सूचना

क्र. 1614-832-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ. -सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 784-टीसी-140-देवास-उपां-नग्रानि-2021, दिनांक 22 फरवरी 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :--

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जेतपुरा	401	9.215 में से 2.000	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि.	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (बस डिपो).
2	राजोदा	01	3.6400	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि.	बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (बस डिपो).
		कुल रकबा . .	5.6400		

शर्तें

1. स्थल पर स्थित विद्युत् लाईन से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

परिशिष्ट 8

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020

सूचना

क्र. एफ-3-05-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 7281-टीसी-उपां-नग्रानि- 2018, दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में एम आर-5 के alignment में उपांतरण की पुष्टि करती है.

2. उपरोक्त उपरांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

परिशिष्ट 9

(2) This amendment shall be deemed to have come into force from the date on which the Judge, as specified in the notifications assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2008

क्र. एफ 3-60 2008-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-60-2008-बत्तीस, दिनांक 12 जून 2008 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित देवास विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शंकरगढ़	404, 412 का अंशभाग	8.223	कृषि	उद्योग
		कुल योग . .	8.223		

2. उपरोक्त उपांतरण, देवास विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्र. एफ-3-89-2008 बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-89-2008-बत्तीस, दिनांक 26 अगस्त 2008 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सागर विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(1)	(5)	(6)
1	बदोना	383, 387/1, 388, 389, 390	4.89	निम्न घनत्व आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक शैक्षणिक नोट—1. ग्राम बम्होरी रेंगुआ एवं बदोना के बीच की ग्राम सीमा एवं खसरा मानचित्र में अंकित मार्ग यथावत अपरिवर्तनीय रखा जाये.
		कुल योग . .	4.89		

परिशिष्ट 10

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 07-42-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयपाल चावड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नियुक्त किया जाता है.

क्र. 1580-1296-2021-अठारह-6.—मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1972) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष तिवारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-121-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4160-टी सी-24-देवास-उपा./नग्रानि-2021-उपा-नग्रानि, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवास जूनियर	110/2 में से	4500.00 वर्गमीटर	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक वाणिज्यिक तथा मार्ग (कलेक्टर परिसर)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
2	देवास जूनियर	415/2 में से	413.87 वर्गमीटर	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
3	देवास जूनियर	440/1/2 में से	4546.13 वर्गमीटर	आवासीय एवं मार्ग (सिविल लाईन रोड)	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना)
		योग . .	9460.00		

उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

परिशिष्ट 11

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (Electricity Act)
(1)	(2)	(3)	(4)
43	Gwalior	Additional Sessions Judge, Gwalior, Special Court (Electricity Act, 2003) No. 3 Gwalior	Electricity Area of Civil District Gwalior (Excluding the [illegible] jurisdiction [illegible] and 45).
44	Gwalior	Additional Sessions Judge Gwalior, Special Court (Electricity Act, 2003) No. 4, Gwalior	Electricity Area of North Division, South Division, Gole Ka Mandir and Shinde Ki Chhawani of Civil District, Gwalior
45	Gwalior	Additional Sessions Judge, Dabra	Electricity Area of Dabra

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, सचिव

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2024

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0033-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा कि.क.प्र. आयुक्त एवं संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4656-टीसी-29-देवास-उपां-नग्रानि-2023, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण को पुष्टि करती है. उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक		कुल रकबा (हेक्टेयर)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	कालूखेड़ी तहसील देवास नगर जिला देवास	154/2, 155 एवं 154/411	कुल रकबा	3.8130	3.8130	औद्योगिक एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
				3.8130	3.8130		

शर्तें —

1. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित देवास विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मुख्य मार्ग (एम. आर-13) की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगा.
2. प्रस्तावित स्थल के पश्चिम दिशा में विद्यमान स्टेशन मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगा.
3. स्थल पर विद्युत लाईन से म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा.
4. प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में स्थित नाले की सीमा से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं देवास विकास योजना, 2031 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्याप्त खुली भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.
5. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं देवास विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
6. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 2 सितम्बर 2025

प्र क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 122-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः, सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	हनुमना	चौहना नं. 3	0.750	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म. प्र.).	खटखरी फोरलेन बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 125-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः, सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	हनुमना	माजन रामशरण	0.471	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म. प्र.).	खटखरी फोरलेन बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 128-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः, सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	हनुमना	उचेहरा	0.198	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म. प्र.).	खटखरी फोरलेन बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 131-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः, सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	हनुमना	धर्मपुरा	4.852	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म. प्र.).	खटखरी फोरलेन बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 134-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:, सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	हनुमना	खटखरी	9.292	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म. प्र.).	खटखरी फोरलेन बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन ग्रामीण, दिनांक 22 सितम्बर 2025

शुद्धि-पत्र

पत्र क्र. 2376-री-1-भू.अ.-2025.—ग्राम चंदेसरा, तहसील उज्जैन ग्रामीण, जिला उज्जैन, राजस्व प्रकरण क्रमांक प्रारुप ''ख'' अधिसूचना क्रमांक 1830-री-1-भू.अ.-2025, उज्जैन ग्रामीण दिनांक 5 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिसमें टंकन त्रुटि से राजपत्र एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है :—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन	सही प्रकाशन
(1)	(2)
342/3/2 प्रभावित रकबा 0.0078 हे.	342/3/3 प्रभावित रकबा 0.0078 हे.

अत: सर्वे नम्बर 342/3/2 के स्थान पर सर्वे नम्बर 342/3/3 पढ़ा जावे.

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर 2025

प्रारुप ''घ''

(नियम 6 देखिए)

क्र.-भू-अर्जन-2025-2402-प्र.क्र.-14-अ-82-2025-26.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-भू-अर्जन-प्र.क्र.-14-अ-82-2025-26, दिनांक 15 अगस्त 2025 द्वारा, राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आज दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम गंगेड़ी, पटवारी हल्का क्रमांक 24	5/1	0.74
			7/1/1	1.65
			7/2/1/1	0.62
			7/2/1/2	0.60
			7/3	0.10
			8/1	1.15
			8/3	0.56
			11/1/1/1	0.16
			11/1/1/2	0.86
			11/1/2	0.98
			योग . .	7.42

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू–अर्जन–2023–24–38(अ–82) 2023–24–831 डिण्डौरी, दिनांक 26 सितम्बर 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालमं नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	रहंगी माल प.ह.नं. 72	1.814	12	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			1.814 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	गोविन्ददास पिता मारी, गंगादास पिता गोविन्द दास, सीमाबाई पुत्री गोविन्द दास, गणेश कुमार पिता गोविन्द दास, सुरेन्द्र पिता गोविन्द दास, यमुना पडवार पिता गोविन्द दास जाति पनिकापता रंहगी डिंडोरी	2	0.120	0.120	-	कंजी-6, बबूल-2
2	बजारीलाल पुत्र दर्शन लाल जाति लूहार पता रंहगी डिंडोरी मध्य प्रदेश, मीराबाई पुत्री दर्शन लाल जाति लूहार पता रंहगी डिंडोरी मध्य प्रदेश, कुदिया बाई पुत्री दर्शन लाल जाति लूहार पता रंहगी डिंडोरी मध्य प्रदेश, धन्नूलाल पुत्र दर्शन लाल जाति लूहार पता रंहगी डिंडोरी मध्य प्रदेश,	7	0.590	0.260	-	-
3	बोधनसिंह पिता गनेशसिंह जाति गोड पता रंहगी डिंडोरी मध्य प्रदेश,	8	0.610	0.170	-	-
4	रितेश पिता के. पी. तिवारी जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	12	0.670	0.670	-	-

5	रितेश पिता के. पी. तिवारी जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	13	0.230	0.230	-	-
6	कलावती पति मानसिंह, लालवती पिता पतिराम, लालसिंह पिता पतिराम, अंतरसिंह पिता मानसिंह, शकुनबाई पिता मानसिंह, तोपसिंह पिता मानसिंह, सुकल सिंह पिता धन सिंह, हरीतिमा पुत्री पहलसिंह, यंशवती पत्नी पहलसिंह, रज्जनसिंह पिता धनसिंह, मौशमी पुत्री पहलसिंह, गंगोत्री पुत्री धनसिंह, नम्रता पुत्री पहलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेशभूमि स्वामी	15/1	1.190	0.024	-	
7	नान्हूसिंह पुत्र विसनाथ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	16/1/1/1	1.1000	0.010	-	
8	शिवचरण पिता राघव शरण	25/3			पक्का घर-1, पक्का गुम्बद मंदिर-2 , पक्का गुम्बद-2 पक्का घर छत टिन शेड-2 , पक्का मंदिर गुम्बद-2 , पक्का पानी टंकी-2 , पक्का फर्श टिन शेड , पक्का पिलर फेंसिंग , पक्का बाथरूम, पक्का फर्श-4, पक्का घर छत टिन शेड-1, पक्का मंदिर-1 , पक्का गेट , पक्का पुलिया, बोरवेल-1	
9	चन्दरु पिता बजरु जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, भूमि स्वामी	35	0.660	0.240	-	
	मिही लाल (मकान मालिक)				कच्चा मकान-1 , बोंड्री बाल पक्का	
10	चमरु पिता लक्ष्मन जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	36	0.590	0.080	-	
11	बत्तीबाई पत्नी लहरु जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, लालन पिता लहरु जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, प्रेमवती पत्नी लालजी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, थानेश्वर पिता लालजी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुशीला पुत्री लालजी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	37	0.600	0.010	-	
12	शशि देवी (शास्कीय)(मकान मालिक)	25/4			पक्का फर्श दिवार-1, कचरा घर-1,पक्का मंदिर-7, पक्की सीढ़ही -3 , स्टील फ्रेम मंदिर-1, पक्का मकान- 1,फर्श पक्का नीचे शेड, फर्श पक्का सामने शेड, पक्का पानी टंकी-1, फर्श गेट पक्का, पक्का चबूतरा-1, बोंड्री बाल पक्का, धर्मशाला पक्का-1 , पक्का घर टिन शेड-1	

13	रज्जन पिता धनसिंह	15			पक्का घर, पक्का छज्जा, कच्चा घर छत सीमेंट शीट , पक्का मकान छत खपरेल, पक्का चबूतरा, कच्चा घर छत खपरेल	
14	सुकलसिंह पिता धनसिंह				पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का छज्जा	
	योग		6.360	1.814		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 11 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 है.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–55(अ–82) 2023–24–832

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जोगिटिकरिया प.ह.नं. 42	**9.904**	**62**	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**9.904 हेक्ट.**		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसम्पत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	मनेन्द्र पुत्र भारत पता जोगीटिकरीया डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/1/53	2.000	0.070	.	.
2	रामप्यारी बेवा रामकुमार जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/3	1.600	0.042	.	-
3	कलिया बेवा दादूलाल जाति अहीर] मनोज पुत्र दादूलाल जाति अहीर पता जोगीटिकरीया] सुरजना पुत्री दादूलाल जाति अहीर] अमा पुत्री दादूलाल जाति अहीर]सरस्वती बेवा भैयालाल जाति अहीर]गोपी पुत्र बारेलाल जाति अहीर] सुकवरीया पुत्री बारेलाल जाति अहीर पता जोगीटिकरीया] क्षीवती पुत्री बारेलाल जाति अहीर पता जोगीटिकरीया डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55	0.800	0.096	..	-

4	कलिया बेवा दादूलाल, मनोज पुत्र दादूलाल, उमा पुत्री दादूलाल, सुरंजना पुत्री दादूलाल, सरस्वती पुत्री दादूलाल जाति अहीर पता जोगीटिकरीया डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/1/1	1.070	0.282	.	-
5	हेमतछावड पुत्र राजकुमार पंजाबी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शरद छावडा पुत्र हेमत जाति पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/2	0.400	0.370	.	-
6	प्राचीसिंह राजपूत पत्नि आशीष राजपूत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57//1/2	0.740	0.025	.	-
7	रतिफुलू पत्र फलचंद गँद पता जोगीटिकरिया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/1	0.800	0.401	.	शोबबूल-1, खमेर-13, खसी-1, नीम-1, बांस-1, मुनगा-2, सगोन-3, बेर-9
8	सम्हर पिता झंगलू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/2/1/1	0.850		.	
	चिरौंजाबाई पति राधेलाल जाति अहीर पता जोगीटिकरीया डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/2/1/2	0.100		.	
	चिरौंजा पुत्री झंगलू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/2/2/2	0.400		.	
	चिरौंजाबाई पति राधेलाल जाति अहीर पता जोगीटिकरीया डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/2/2/3	0.050		.	
	झंगलू पिता मनीराम (मकान मालिक)				पक्का मकान छत खपरेल,	
		238/3			बोरबेल एवं हेण्डपंप–1	
9	शीतल पुत्र नस्सू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/6	1.220		.	
10	शीतल पुत्र नस्सू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238/2/7	0.100		.	
11	रमेश पिता मायाराम (मकान मालिक)	279/1			पक्का घर, पक्का मंदिर, पक्का मकान छत खपरेल, कच्चा घर छत टिन शेड, बॉड्री वाल पक्का–2, पक्कास्नानागार, पक्का फर्श, पक्का पानी टंकी	-

	सुन्दरलाल, महेन्द्र, रमेश, कमला, विमला, चम्पा, गुलावती पिता मायाराम, रामेश्वर पिता सुन्द्ररलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		0.680	0.050		शोबबूल-1, उमर-1, बमूर-3, बांस-1
12	कमलाबाई पत्नि शोभराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/2	0.800	0.315	.	-
13	मदन, दुजा, नरबदिया, पिक्कू पुत्री रामसिंह जाति अहीर फेकू, प्रिति पुत्री रामसिंह जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	286	0.140	0.074	.	केवलार-1
14	सुभाष पुत्र गोविंद जाति अहीर पता डिंडोरी	287/1/1	0.170	0.169	.	सफेद शीरस-1
15	चंदा पुत्र भगवत, देवेन्द्र पुत्र भागवत, विनोद पुत्र भागवत, लता पुत्री भागवत जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	287/1/2	0.170	0.170	.	बमूर-1, साल्हे-1
16	ईश्वर पुत्र गोविन्द जाति अहीर पता डिडोरी	287/1/3	0.170	0.170	.	केवलार-1, खमेर-10
17	रतीबाई पत्नी गेदलाल, जानकी पत्नी फुल्लूलाल, गंगाराम पिता फुल्लूलाल, सावित्री पुत्री फुल्लूलाल, शशि पुत्री फुल्लूलाल, सिलोचना पुत्री फुल्लूलाल, रजनी पुत्री फुल्लूलाल, जमुना पुत्री फुल्लूलाल, फुलचदं पुत्र गेदलाल, लक्ष्मी पुत्री गेदलाल, कलशा पुत्री गेदलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	287/2	0.510	0.510	.	नीम-1, बमूर-6, लिप्टिस-4, सगोन-1
18	मदन पुत्र देशू जाति अहीर पता] दुजा पुत्री देशू जाति अहीर] दुषा पुत्री देशू जाति अहीर] नरबदीया पुत्री देशू जाति अहीर] पिक्कू पुत्री रामसिह जाति अहीर] फेकू पुत्री रामसिह जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रिति पुत्री रामसिह जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	287/3	0.290	0.290	.	
19	नत्थूलाल पुत्र दयाराम, परसराम, सुमंत्री, चित्रीबाई पुत्री दयाराम, चमेली पुत्री दयाराम जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	288	1.380	0.869	.	शोबबूल-6, आम-1, उमर-1, खमेर-4, जामुन-2, नीम-1, पिपल-1, बमूर-6, बेर-1, मैदा-1, लिप्टिस-15, सोनपाती-1
	नत्थूलाल पुत्र दयाराम (मकान मालिक)				पक्का घर.1	-

20	लालजी पुत्र कांशीराम जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/1	0.430	0.350	.	खमेर-6, जामुन-1, बमूर-6, बांस-3, सीताफल-1, बेर-9
21	पूर्णिमा पूत्री महेश, किरन, अंजु, सतीया, सुलोचना पुत्री बरसी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/2	0.270	0.240	.	अमरूद-1, पिपल-1, बमूर-3, बांस-2, लिप्टिस-1
22	सुदामा पुत्र कांशीराम जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/3	0.370	0.081	.	छियला-1, बांस-2, लिप्टिस-5, सगोन-1
	सुदामा पुत्र काशीराम (मकान मालिक)				पक्का शौचालय	-
	झंगलू पिता मनीराम (मकान मालिक)				पक्का मकान छत सीमेंटशीट, पक्का पानी टंकी	-
23	गणराज पुत्र कांशीराम जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/4	0.370	0.060	.	-
	गणराज पुत्र काशीराम (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय	-
24	महेश पुत्र मायाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	291	0.570	0.481	.	अमरूद-1, बमूर-2, बेर-61, महुआ-2
	महेश पुत्र मायाराम (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का फर्श, पक्की सीढ़ी, कच्चा घर छत सीमेंट शीट	-
25	रमेश पुत्र मायाराम जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी म.प्र. भूमि स्वामी	292	0.800	0.800	.	शोबबूल-3, अमरूद-1, उमर-2, खमेर-2, जामुन-1, -नीम-1, पिपल-1, बबूल-14, बमूर-6, बांस-1, बेर-4, सगोन-2, सेम्हर-1
26	जानकी पत्नी फुल्लूलाल, गंगाराम पिता फुल्लूलाल, सावित्री पुत्री फुल्लूलाल, शशि पुत्री फुल्लूलाल, सिलोचना पुत्री फुल्लूलाल, रजनी पुत्री फुल्लूलाल, जमुना पुत्री फुल्लूलाल, पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	293/2	0.120	0.120	.	-

27	दशरथलाल पुत्र समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/1	0.250	0.176	.	शोबबूल-3, अमरूद-13, उमर-1, खमेर-1, जामुन-17, बबूल-39, बेर-1, लिप्टिस-2, सेम्हर-1
28	लखन पुत्र समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/2	0.250	0.250	.	
29	ममता बेवा लच्छू यादव जाति अहीर, हर्षित पुत्र लच्छू यादव, रिया पुत्री लच्छू यादव जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/3	0.250	0.250	.	
30	दशरथलाल पुत्र समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295	0.100	0.100	.	बबूल-1, सीताफल -3
31	लखन पुत्र समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	296	0.850	0.487	.	शोबबूल-11, अनार-1, अमरूद-3, आम-4, जामुन-4, नीबू-1, नीम-1, - पिपल-1, बबूल-8, बांस-1, लिप्टिस-11, सीताफल-7
	लखन पुत्र समारू (भूमिस्वामी) दशरथ पिता समारू (कब्जेदार) (मकान मालिक)				पक्का मकान छत खपरेल–2, बॉड्री बाल पक्का–2, कच्चा गौशाला छतटिन खपरेल, पक्का फर्श, पक्का स्नानागार, पक्का शौचालय, पक्का पानी टंकी	-
32	ममता बेवा लच्छू यादव जाति अहीर, हर्षित पुत्र लच्छू यादव, रिया पुत्री लच्छू यादव जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	297	0.850	0.460	.	शोबबूल-6, खमेर-2, बबूल-9, बेर-1
33	दशरथलाल पुत्र समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298	0.220	0.220	.	उमर-1, बबूल-11
34	रमाकांत यादव पिता दशरथ जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	299	0.080	0.024	.	शीशम-1, शोबबूल-5, बबूल-2
35	जानकी पत्नी फुल्लूलाल, गंगाराम पिता फुल्लूलाल, सावित्री पुत्री फुल्लूलाल, शशि पुत्री फुल्लूलाल, सिलोचना पुत्री फुल्लूलाल, रजनी पुत्री फुल्लूलाल, जमुना पुत्री फुल्लूलाल, पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	301	1.880	0.195	.	शोबबूल-4, बबूल-2, बेर-1

36	दशरथलाल पुत्र समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	311/1	0.400	0.089	.	बबूल-6, लमेर-1, सगोन-1
37	गजनाथ पुत्र डोमनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, गीता पुत्री डोमन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	322/1/1	0.590	0.277	.	बबूल-1
38	सतपालगाँधी पुत्र रामलुभाया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हिना जलोटा पुत्री सतपाल गाँधी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ऋषि गाँधी पुत्र सतपालगाँधी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	322/2	0.680	0.120	.	शोबबूल-1, बबूल-1
39	रामजी पुत्र लालजी जाति जोगी पता जोगीटिकरिया डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	327/3	0.530	0.196	.	सगोन -1
	सुखराम पिता नत्थू (मकान मालिक)	327			कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय 2	-
40	गल्लो पत्नी नत्थू, अघनू पिता रामप्रसाद, अन्तू पुत्र रामप्रसाद जाति कोल पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	328	0.600	0.022	.	-
41	फुला पत्नि समारू, आसवानी लाल, आशीष, अनीता, मीना, शीलू पिता समारू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	332	0.020	0.020	.	-
42	जानकी पत्नि जग्गूनाथ धनाबाई पत्नि जग्गूनाथ कुमारी पुत्री जग्गूनाथ रामकुमार पत्नी जग्गूनाक पता डिंडौरी म.प्र.	421	0.900	0.392	.	–
43	अनुरूद्व, रामसिंह पिता रमेशनाथ, ब्रजकुमारी पत्नि रमेशनाथ पता जोगीटिकरिया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	422	0.960	0.114	.	शोबबूल-4, इमली-5, बेर-4
44	रोहितनाथ पुत्र सिलोचना जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/1/1/2	0.580	0.130	.	-
45	शंकर पुत्री डरियानाथ पुरूषोतम पिता डरियानाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	427	0.050	0.022	.	शोबबूल-1, अमरूद-2, आम-1, उमर-1, पिपल-1, बांस-1,सीताफल-4
	शंकर पुत्री डरियानाथ (भूमिस्वामी) सोनमनाथ पिता मोहननाथ (कब्जेदार)				पक्का मंदिर, मंदिर गुम्बज, पक्का चबूतरा-4 पक्का फर्श, पक्की दिवाल, कच्चा घर छत सीमेंट शीट	-

	शंकर पुत्री डरियानाथ (भूमिस्वामी) सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत				पक्का घर	
46	श्रीनर्मदा मंदिर पुजारी संवराकर लक्ष्मी पिता धनीनराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	429	0.610	0.024	.	अशोक-5, बबूल-1
	ईश्वरनाथ पिता लक्ष्मीनाथ (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्काछज्जा–2, पक्का मकान छत टिन शेड, पक्की सीढ़ी–3, बॉड्री बाल पक्का	-
	ईश्वरनाथ पिता लक्ष्मीनाथ (मकान मालिक)				पक्का फर्श, पक्की सीढ़ी रेम्प	-
	श्री नर्मदा मंदिर पुजारी सांवरकर लक्ष्मी पिता धनीराम (मकान मालिक)				पक्का मकान छत टिनशेड–2, पक्का मकान छत खपरेल–2, पक्का मंदिर, पक्का चबूतरा, टिनशेड पक्का फर्श	-
	लक्ष्मीनाथ पिता धनीराम (मकान मालिक)				पक्का मंदिर–2, मंदिर गुम्बज, पक्का फर्श	-
47	सोनिया छावडा पत्नि सुरेन्द्र छावडा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	434/1/1	0.268	0.164	.	शोबबूल-2, सफेद शीरस-1
48	अंजु पत्नि जितेन्द्र जाति मेहरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	434/2/1	0.258	0.060	.	-
49	सुदरलाल पुत्र मायाराम जाति अहीर] महेंद्र पुत्र मायाराम जाति अहीर] रमेश पुत्र मायाराम जाति अहीर]कमला पुत्री मायाराम जाति अहीर] विमला पुत्री मायाराम जाति अहीर] चम्पा पुत्री मायाराम जाति अहीर] गुलावती पुत्री मायाराम जाति अहीर] रामेश्वर पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	441	0.170	0.077	.	-
50	जानकीबाई पिता सेवकनाथ (मकान मालिक)	428			पक्का घर, पक्का मकान छत टिन शेड, पक्का मकान छत टिन शेड, पक्की दिवाल	-

	राजेन्द्र नाथ पिता बाबू लाल (मकान मालिक)				टिनशेड टिन दीवार, पक्का फर्श	-
51	दीपनाथ पिता मेघनाथ (मकान मालिक)	425			पक्का मकान छत टिन शेड	-
	गीताबाई पति काशीनाथ (मकान मालिक)				पक्का फर्श, टिनशेड टिन दीवार	-
	राधेश्याम पिता कुंदनलाल (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का पोर्च कुंआ (आर.सी.सी)-1 आ.सी.सी. डक्ट-1	-
52	रमेशनाथ पिता पंचमनाथ (मकान मालिक)	333			पक्का मकान छत टिन शेड, कच्चा घर तिरपाल, पक्कीदिवाल–2	-
53	फूलाबाई पति समारूलाल (मकान मालिक)	335			पक्का मकान छत टिन शेड, पक्काशौचालय, बॉड्रीबाल पक्का	-
	अमित पिता राजेन्द्र नाथ (मकान मालिक)				पक्का मकान छत टिन शेड . पक्का फर्श सीढ़ी	-
54	बिशमतिया बाई पति मानसिंह (मकान मालिक)	330			पक्का मकान छत टिन शेड, पक्का मकान छत खपरेल, पक्काशौचालय	-
	काशीनाथ पिता रामकुमार (मकान मालिक)				पक्का मकान छत टिनशेड–2, पक्कास्नानागार, पक्का पानी टंकी–5 पक्की सीढ़ी, पक्की दिवाल, पक्का मंदिर	-

	प्रेमलाल पिता पटवारि(मकान मालिक)	64			कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय	-
55	उदयभान पिता कन्हैया (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, गौशाला कच्चा छत सीमेंटशीट, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय	-
56	मुकेश पिता सम्पत (मकान मालिक)	59			पक्का मकान छत सीमेंटशीट, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय, पक्का पानी टंकी	-
	सत्यनारायण पिता लालजी (मकान मालिक)	280			कच्चा घर छत खपरेल–2, पक्का पट्टी, पक्का घर, पक्का छज्जा–2 पक्का शौचालय, पक्का पानी टंकी	-
57	लालजी पिता कांशी (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का छज्जा	-
	सुदामा पिता कांशी (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंटशीट, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, पक्का पट्टी, पक्का शौचालय	-
58	सुखवीर पिता श्रीपाल (मकान मालिक)	278			पक्का घर, पक्का छज्जा	--
59	रज्जू पिता निर्मल प्रसाद (मकान मालिक)	320/4			पक्का घर–2 पक्का छज्जा–7 पक्की सीढ़ी, पक्का पेरापिट वाल, पक्का पानीटंकी बोरबेल–1	-

60	फूलचंद पिता नरबद (मकान मालिक)	320/1			पक्का मकान छत टिन शेड, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का पट्टी, पक्का घर , पक्का छज्जा–2 पक्की सीढ़ी	-
61	कोपसिंह पिता तेजीलाल (मकान मालिक)	391			पक्का घर–3, पक्का छज्जा–3 पक्की सीढ़ी, पक्का मंदिर, पक्का रेलिंग छत	--
	कोपसिंह पिता तेजीलाल (मकान मालिक)				पक्का शौचालय, पक्का फर्श, बॉड्री बाल पक्का, पक्का मकान छत टिन शेड	
62	श्यामलाल पिता पुशौवालाल (मकान मालिक)	399			पक्का घर, पक्का छज्जा, पक्का मकान छत टिन शेड, बॉड्री बाल पक्का, पक्का शौचालय	-
	शंभूनाथ पिता रमेशनाथ (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का छज्जा, पक्की सीढ़ी, पक्का रेलिंग छत, पक्का शौचालय, कच्चा घर छत खपरेल	-

63	बृहस्पतिबाई पति रातूलाल (मकान मालिक)	400			पक्का घर, पक्काछज्जा–3, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय, पक्का पानी टंकी	-
	राजेन्द्र लाल पिता रामलाल (मकान मालिक)				पक्का घर दुकान, पक्का छज्जा, पक्का पट्टी, पक्का फर्श	-
योग :–			28.716	9.904		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 63 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकबा 27.39 है.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–39(अ–82) 2023–24–833

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	धौरइ माल प.ह.नं. 69	0.279 हेक्ट.	01	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			0.279 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	पुत्तन पति मंशाराम जाति गौंड पता डिण्डौरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रतन पिता मंशाराम , रनमत पिता मंशाराम , रमई पिता मंशाराम जाति गौंड पता डिण्डौरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	1	0.510	0.279	–	बेल-2 ,बेर-1
	कुल		0.510	0.279		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 0 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 है.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स. अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–54(अ–82) 2023–24–834

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिसंपत्तियों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	हिनौता माल प.ह.नं.	हेक्ट. 2.351	29	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			हेक्ट. 2.351		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	रोहित पुत्र सिलोचन नाथ जाती जोगी पता डिंडोरी, प्रमोद नाथ पुत्र सिलोचन नाथ जाती जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	643	2.120	0.186	.	बेर-3, सगौन-2, नीम-1, बबूल-2, समी-1
2	उर्सिला पुत्री केवल नाथ] राजेन्द् पुत्र बाबूलाल] उर्मिला पुत्री बाबूलाल] पुष्पा पुत्री बाबूलाल] सुशीला पत्नी केवलनाथ] जगेन्द्र पुत्र केवलनाथ] द्रोपती पुत्री केवलनाथ] राजकुमारी पुत्री केवलनाथ] चम्पाबाई पत्नी सुलोचन] रोहित पुत्र सुलोचन] प्रमोद पुत्र सुलोचननाथ] दुर्गा पुत्री सुलोचननाथ] रामकुमारी पुत्री सुलोचननाथ] मीराबाई बेवा देवनाथ] अंकलेश्वर नाथ पुत्र देवनाथ] मुकेशनाथ पुत्र देवनाथ] अनीता पुत्री देवनाथ] कलावती पुत्री दूलम नाथ] पता डिंडोरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	646/1	1.050	0.398	.	लिसिस-1

3	बैद्यनाथ पिता महेन्द्रनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	647/1	0.230	0.180	.	बेर-2 , बेल-1
4	किशोरकुमार पुत्र पुरषोतम जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	647/2	0.230	0.040	.	.
5	मुरालीनाथ पुत्र दूमलनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	647/3	0.220	0.071	.	बबूल 1
6	सोनभद्र पुत्र दूमलनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	647/5	0.130	0.130	.	बबूल-1
7	शेखरफीक पुत्र शेखहवीव जाति मुसलमान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शफीक पुत्र शेखहवीव जाति मुसलमान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	648	1.700	0.684	.	लिसिस-1 , बबूल- 10, कंजी-2 , अमरुद-2 , जामुन-2 ,बेर-1 , महानीम-2 पीपल-1 , छिवला-1
8	मिथलेश कुमार पुत्र धरमूलाल जाति कुम्हार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	649/1	1.970	0.320	.	बबूल-1 ,महानीम-1 ,इमली-1
9	दिनेशकुमार पुत्र रामचरन जाति कुम्हार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, तोताराम पुत्र लोकदास जाति कुम्हार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	649/2	1.970	0.073	.	

10	उर्सिला पुत्री केवल नाथ, राजेन्द् पुत्र बाबूलाल, उर्मिला पुत्री बाबूलाल, पुष्पा पुत्री बाबूलाल, सुशीला पत्नी केवलनाथ, जगेन्द्र पुत्र केवलनाथ, द्रोपती पुत्री केवलनाथ, राजकुमारी पुत्री केवलनाथ, चम्पाबाई पत्नी सुलोचन, रोहित पुत्र सुलोचन, प्रमोद पुत्र सुलोचननाथ, दुर्गा पुत्री सुलोचननाथ, रामकुमारी पुत्री सुलोचननाथ, मीराबाई बेवा देवनाथ, अंकलेश्वर नाथ पुत्र देवनाथ, मुकेशनाथ पुत्र देवनाथ, अनीता पुत्री देवनाथ, कलावती पुत्री दूलम नाथ, पता डिंडोरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	714/1	0.650	0.149	.	.
11	अशोककुमार पूत्र दूमलनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	714/2/1	0.130		.	.
12	मुरालीनाथ पुत्र दूमलनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	714/2/2	0.130		.	.
13	सोनभद्र पुत्र दूमलनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	714/2/3	0.130		.	.
14	किशोरकुमार पुत्र पुरषोतम जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	714/2/4	0.130		.	.
15	पुरषोतमनाथ पुत्र दूमलनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	714/3	0.130		.	.
16	निजामुदीन पुत्र सहबाजखां जाति मोमिन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	715/1	1.750	0.012	.	.
17	शुभम पुत्र जगदीश] सौरभ पुत्र जगदीश] वेदप्रकाश पुत्र बद्री] ओमप्रकाश पुत्र बद्री] अनुज पुत्र बद्री] सियाबाई बेवा जगदीश] आरती पुत्री जगदीश] दामेश्वरी बेवा बद्री] लता पुत्री मकरंद] उमा पुत्री मकरंद] गायत्री पुत्री मकरंद] मंजुलता पुत्री मकरंद] गुड्डी पुत्री मकरंद] जाति ब्राम्हण पता हिनौता मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	717/1/3	4.160	0.108	.	.
18	बसंत गिरी महाराज (शासकीय भूमि)	718			कच्चा मकान पत्थर मिट्टी टिन शेड-1	.
	योग		14.879	2.351		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 02 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स. अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार हैः–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोशणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–58(अ–82) 2023–24–835

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	गांगपुर माल प.ह. नं. 70	**15.685 हेक्ट.**	**49**	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**15.685 हेक्ट.**		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	पुरूषोतम पुत्र रामप्रसाद, चन्द्रप्रकाश पुत्र खेमचन्द, बसन्तलाल पुत्र रामप्रसाद, सोहन पुत्र रामप्रसाद, ननकी पत्नी रामप्रसाद, भानवती पिता स्व खेमचंद जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	3/1	1.290	0.590	-	-
2	हरकेश कुमार पिता मूलचंद जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2	0.400	0.400	-	-
3	बोधन नाथ पिता लाल नाथ, सवित्री पिता लाल नाथ, सिया बाई बनाफर पति स्व लाल नाथ, हरभजन नाथ पिता लाल नाथ, मालती पिता लाल नाथ, अजय नाथ गोस्वामी पिता शंकर नाथ जाति जोगी पता डिंडोरी	4/1	0.460	0.460	-	बबूल-2

4	हरभजन पुत्र लालनाथ जाति जोगी पता गांगपुर मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, बोधननाथ पुत्र लालनाथ जाति जोगी पता गांगपर मा.	4/2	0.310	0.310	-	खसी-1, बबूल-1 , बेर-1
5	लक्ष्मी बेवा ननसाराम जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुरेन्द्र पिता ननसाराम जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अंजनी पुत्री ननसाराम जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, लता अहिरवार पति स्व. सुनील अहिरवार जाति चमार भूमि स्वामी, दिव्यांश अहिरवार नाबालिग पिता स्व. सुनील अहिरवार संरक्षक माँ लता अहिरवार जाति चमार भूमि स्वामी, सृष्टि अहिरवार नाबालिग पिता स्व. सुनील अहिरवार संरक्षक माँ लता अहिरवार जाति चमार भूमि स्वामी	5/4	0.450	0.077	-	
6	रतनीबाई पति सुवननाथ जाति जोगी पता गांगपुर मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	1.250	1.230	-	केवलार-2, बबूल-13
7	सियाबाई ध प स्व. डहरिया नाथ पुरुषोत्तम नाथ शंकरनाथ पिता डहरिया नाथ पता साध्देह शासकीय पट्टेदार	7/245	0.190	0.080	-	बबूल-1
8	पारसनाथ पुत्र सुरेशनाच जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नरबदिया बाई पिता सुरेश नाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नेमनाथ पुत्र सुरेशनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	0.230	0.029	-	
9	वृन्दवासिनी पत्नी महेशप्रसादमिश्रा पत्ता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16	1.710	0.243	-	

10	विनोद पिता रामनाथ, प्रमोद कुमार बनाफर पिता रामनाथ, चंद्रकांत पिता रामनाथ, उमा बाई पिता रामनाथ, उर्मिला बाई पति स्व रामनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17	0.400	0.031	-	
11	ईश्वरनाथ पिता लक्ष्मीनाथ	18	0.620	0.060	पक्का घर ईट खपरेल–1	
	ईश्वरनाथ पिता लक्ष्मीनाथ परिहार जाति जोगीनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी				-	
		19	0.810	0.250	-	
12	पुरुषोतमनाथ पिता डरिहानाथ जाति जोगीनाथ पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शंकरनाथ नाथ पिता डरिहानाथ जाति जोगी स्वामी	37	1.470	0.481	-	
13	प्रदीपकुमार पुत्र कालूराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39	0.030	0.030	--	बांस-1 , शोबबूल-50 , सीताफल-1
14	अंजनाबाई पुत्री लेखराम, पुशिया बाई पिता गुरैया, पवन कुमार पिता लेखराम, प्रमोद कुमार पुत्र लेखराम, रम्मी बाई पिता गुरैया, रामकुमारी पिता गुरैया, राम बाई पुत्री गुरैया, सिया बाई पत्नी लेखराम, ओमप्रकाश पिता बाजूलाल, रज्जर बाई पिता बारेलाल, रामकिशन पिता बाजूलाल, जगदीश पिता भद्देलाल, सतीष पिता भद्देलाल, शिवकुमार पिता भद्देलाल, चमेली बाई पिता भद्देलाल, गुल्लो बाई पति भद्देलाल जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122	0.430	0.010	-	
15	सुवननाथ पुत्र मोहननाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	123/4	0.930	0.095	-	

16	अमोलनाथ पिता हरेनारायण, जयश्री नाबालिग पिता हरेनारायण संरक्षक सरस्वती, घनश्याम नाथ परिहार पिता अमोल नाथ, पुनीतनाथ पुत्र हरेनारायण, रूकमणी पुत्री हरेनारायण, बैंकटेश्वर नाथ बनाफर पिता / इतवार नाथ बनाफर, भुवनेश्वर नाथ बनाफर पिता / इतवार नाथ बनाफर, कौशिल्या बाई पति संतकुमार सिंह, गायत्री जोगी पति दुलारे जोगी पता 37/क., ग्राम-बरबसपुर बरबसपुर, तहशील-मान पुर बरबसपुरबर्बस्पुर डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124	0.17	0.17	-	बबूल-4 , बेर-2
17	(शासकीय) भदेलाल पि गुरैया रज्जरबाइ पति बाबूलाल ओमप्रकाश रामकिशन पि बाबूलाल सियाबाई पति लेखराम प्रमोद पवन कूमार पि लेखराम पुसिया रोमबाई राजकुमारिन सम्मोबाई बाजूलाल पि गुरैया रम्मी बाई पिता गुरैया जाति चमार पता सा.देह शासकीय संस्था	125	0.370	0.360	-	बबूल-3
18	ओमकार पुत्र हरेनारायण जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126	0.200	0.030	-	
19	प्रथाबाई पत्नी रामनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, उमेश पुत्र रामनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, यादवेन्द्र पुत्र रामनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	127	1.040	0.048	-	
20	बासूदेव पुत्र कल्लू, सुन्दरी पत्नी कल्लू, मथुराप्रसाद पुत्र कल्लू, माहूलाल पुत्र कल्लू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128	1.190	0.700	-	कंजी-1 , बबूल-7 , बेर-1

21	कार्तिकनाथ पुत्र बैजनाथ जाति जांगी पत्ता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	131	0.400	0.266	-	इमली-1 , बबूल-2 , बेर-2
22	चंद्रभान पिता भैयालाल गंगा पिता रमेश, दीपिका पिता बुधराम, दीपक नाबालिग पिता बुधराम, बुधराम पिता कुंवरसिंह, दीपांशु नाबालिग पिता बुधराम, जमुना पिता रमेश , सप्तमी नाबालिग पिता बुधराम, चंद्रभान पिता भैयालाल, नरेंद्र पिता रमेश, मंगलीबाई पति मनीराम, तिहारोबाई पति रमेश, पंचवती पिता भैयालाल, राकेश पिता मनीराम, राजेश पिता मनीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/1	0.390	0.390	कुआँ -1 -	
23	चन्द्रभान पुत्र भैयालाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/2	0.390	0.199	-	
24	अघनियाबाई पत्नी भददुनाथ जाति जोगी पत्ता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी उत्तम पुत्र भददुनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलाबाई पुत्री भददुनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सरोजबाई पुत्री भददुनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जयंतीबाई पुत्री भददुनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/1	1.540	0.170	-	
25	प्रीतम गुसा पिता रघुनाथ गुसा जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2/2	0.400	0.340	-	

26	ओतम नाथ पिपरहा पिता फूलनाथ, रामबाई पति फूलनाथ, सेवन नाथ पिपरहा पिता फूलनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/3/1	1.130	0.010	-	
27	प्रीतम गुप्ता पिता रघुनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/3/2	0.400	0.320	-	
28	दिगम्बरलाल पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, गिरीशकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175	1.51	1.040	-	बबूल-8
29	हेमन्तकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कुन्जन पुत्र बाबूलाल अ पा पिता बाबूलाल जाति ढीमर पता हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	176	0.800	0.350	-	खमेर-3 , बबूल-11
30	धनदकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता गांगपुर मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	177/1	1.810	1.260	-	खमेर-12 , बबूल-18 , शीशम-1
31	संतोषकुमार पिता बाबूलाल जाति ढीमर पता गांगपुर मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	177/2	1.810	1.490	-	खमेर-10 , बबूल-49 , बेर-5 , शीशम-1 , सेम्हर-1
32	जगदम्बा पिता लालजी जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/2	0.650	0.010	-	
33	रामजी पिता लालजी जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/3	0.660	0.100	-	
34	दिवाकर पिता लालजी जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/4	0.660	0.144	-	बबूल-3
35	कुंजनलाल पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संतोषकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182	0.120	0.120	-	बबूल-3

36	हरवंश पुत्र कोदूनाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/1	1.350	1.108	-	.
37	यदुशंकर परिहार पिता ध्रुवनाथ परिहार जाति जोगिनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, परमशंकर परिहार पिता ध्रुवनाथ परिहार जाति जोगिनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/2	0.520	0.210	-	.
38	मुन्नीबाई पत्नी पतरस जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चम्मू पुत्र पतरस जाति ढीमर भूमि स्वामी राधेलाल पुत्र पतरस जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चम्मीबाई पुत्री पतरस जाति शैलबाई पुत्री पतरस जाति ढीमर पता डिंडोरी मंध्य प्रदेश भूमि स्वामी	184	0.400	0.272	-	बबूल-6
39	धनदकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पत्ता गांगपुर मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186	1.150	0.544	-	उमर-1 , खमेर-3 , बबूल-3 , बेर-1, शोबबूल-4
40	दिगम्बरलाल पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, गिरीशकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	188	1.770	0.565	-	बबूल-3
41	यदुशंकर परिहार पिता ध्रुवनाथ परिहार जाति जोगिनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, परमशंकर परिहार पिता ध्रुवनाथ परिहार जाति जोगीनाथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	189/1	0.230	0.010	-	.
42	अनुसुईया पत्नी खेलननाथ जाति जोगी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	189/2	1.350	0.048	-	शोबबूल-3

43	मनीषकुमार पिता धनद कुमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190	0.200	0.200	-	खमेर-1 , बबूल-9 , शोबबूल-12
44	टेकचन्द पुत्र मंगलसिंह जाति गोड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	191	0.640	0.224	-	उमर-2 , खमेर-8 , बबूल-3 , शोबबूल -3
45	भालचंद्र पिता किर्रा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	201	2.400	0.611	-	कंजी-8 ,खमेर-9 , खसी-2 , जामुन-2 , बबूल-11 , शोबबूल-3
46	हरिओम पिता प्रदीप	42			पक्का मकान–1, पक्की सीढ़ी	
	कालूराम पिता गोविंद				पक्का मकान–1, पक्की सीढ़ी	
	प्रदीप पिता कालूराम				पक्का मकान ईट खपरेल–1	
	धनेश्वर पिता कालूराम				पक्का मकान ईट खपरेल–1	
	रामकुमार पिता गोविन्द				पक्का चबूतरा	
	मनोज पिता बाबूराम				पक्का घर, पक्का छज्जा, पक्की सीढ़ी, पक्का पोर्च–2, पक्का मकान छत खपरेल, पक्का शौचालय , पक्का पट्टी, बॉड्री बाल पक्का	
	ओमकार सिंह पिता बाबूराम				पक्का मकान छत खपरेल, पक्का पट्टी	
	पीतम नाथ पिता केवलनाथ				पक्का मकान ईट खपरेल–1	
	रामकिशन पिता बाजूलाल				पक्की नीव	

47	अमरनाथ पिता कमलनाथ (शासकीय भूमि)	56			पक्का मकान–1 पक्की सीढ़ी	
48	अजयपुरी पिता अखण्डानंद पुरी (शासकीय भूमि)	58			पक्का मकान टिन शेड–2 पक्का शौचालय टिन शेड–1 यज्ञ शाला पक्का	
	हेमन्तनाथ पिता केदार नाथ (शासकीय भूमि)				हनुमान मंदिर पक्का चबूतरा	
	रामजीनाथ पिता खेलननाथ (शासकीय भूमि)				पक्का मंदिर गुम्बज–1 बरामदा पक्का मकान धर्मशाला टीन शैड–1	
49	कुंती बाई पति सुरेश नाथ	59			पक्का घर, पक्का छज्जा–2, पक्की सीढ़ी	
50	संतोषी पति अनिलनाय	55			बाँड्री बाल पक्का, पक्का फर्श	
योग :–			36.630	15.685		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनिय 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लि संभावित कुटुंम्ब की संख्या 03 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विव निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69, अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जा
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्र क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान वं मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान न जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के र के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जा

8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–59(अ–82) 2023–24–836

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मुढिया माल प.ह.नं. 82 (सलैया माल)	0.315	03	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			0.315 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	करम सिंह पिता पनकू जाति गोंड पता मुढिया माल डिण्डौरी म.प्र.	471/1/1	2.570	0.2275	–	बेर–1
2	उमा बाई पति रजन कुमार जाति गोंड पता मुढिया माल डिण्डौरी म.प्र	471/1/2	0.100	0.0475	–	
3	उमा बाई पति रजन कुमार जाति गोंड पता मुढिया माल डिण्डौरी म.प्र.	471/2	0.400	0.0400	–	महानीम–1
4	उमाबाई पति रज्जन कुमार धुर्वे (मकान मालिक)	471/2			पक्का मकान छत खपरेल 1, पक्का पट्टी पक्का फर्श, पक्का मकान छत खपरेल शौचालय पक्का 1, पक्का चबूतरा बोरबेल एवं हेण्डपंप 1	
5	कोलेराम पिता मोहनलाल (मकान मालिक)	472			शौचालय पक्का 1 बोरबेल एवं हेण्डपंप 1	
	योग		3.070	0.315		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 0 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकबा 27.39 है.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलमूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–53(अ–82) 2023–24–837

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खाम्ही रैयत प.ह.नं. 35	56.972 हेक्ट.	56	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			56.972 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	प्रतापसिंह पिता पनकूसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामलाल पिता पनकूसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	17/1	1.260	0.010	-	-
2	हीरा सिह पिता फगुआ जाति गोंड पता खाम्ही रै. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	18/1	0.660	0.387	-	छिवला-1
3	धीरा पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	18/2	0.660		-	
4	शिवलाल पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	18/3	0.650		-	
5	लाल सिंह पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	18/4	0.650		-	
6	ब्रम्हा बाई पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	18/5	1.100		-	
7	कलीबाई पुत्री गुलाबसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] परतापसिंह पिता बिरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	19	0.610	0.432	-	छिवला-1

पटवारी तहसीलदार

8	भारतसिंह पिता लामूसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	20	0.470	0.470	.	बबूल-2
9	फूलसिंह पिता सेमसिंह ,हरिसिंह पिता सेमसिंह तिहारोबाई पुत्री सेमसिंह फूलाबाई पुत्री सेमसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	277/1	4.940	4.648	.	बबूल-24, बेर-26 , लिप्टिस-16, शोबबूल-04, खमेर-7, छिवला-3
	ओमकार पिता मायाराम, बलीराम पिता मायाराम, सम्पतसिंह पिता मायाराम जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	277/2	2.650		.	-
	फूलसिंह पिता सेमसिंह (मकान मालिक)	277/1			कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा घर छत सीमेंट शीट, वॉन्ड्री बाल पक्का, शौचालय पक्का, पानी टंकी	-
10	शैलेन्द्रकुमार पिता परषोत्तम जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/1/1	0.400	0.400	.	खमेर-3, बबूल-2, बेर-35
11	सचिनकुमार पिता परषोत्तम जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/1/2	0.400	0.400	.	केवलार-1, खसी-1, नीबू-2, पीपल-1, बबूल-2, बेर-41
12	सतेन्द्रकुमार पिता परषोत्तम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/1/3	0.400	0.400	.	खसी-1, बबूल-1, बेर-14
13	रोहितकुमार पिता गया सिंह जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/2/1	0.410	0.410	.	-
14	ओमवती पुत्री गया सिंह जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/2/2	0.400	0.400	.	-
15	मालती पुत्री गया सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/2/3	0.400	0.400	.	-
16	पारवती पुत्री गंगाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	278/3	0.600	0.600	.	-
17	आसामबाई पत्नी रमेश जाति गोड पता खाम्ही रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	279/1	1.040	1.040	कुंआ–1	उमर-3, खमेर-2, जामुन-2, नीम-1, बबूल-4, बेर-48, सेम्हर-1
18	महेश पिता भदुआ जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	279/2	0.350	0.350	.	बेर-28

19	सुरेश पिता भदुआ जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	279/3	0.810	0.810		
20	इन्द्र सिंह पिता दशरथ, आनन्द सिंह पिता दशरथ, दिलीप कुमार पिता दशरथ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	280/1	1.550	1.311		उमर-2, बबूल-7, बेर-10
21	चिन्ताराम पिता भदुआ जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	280/2/1	0.500	0.500		बबूल-1, बेर-3
22	महेश पिता भदुआ जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	280/2/2	0.060	0.060		
23	दविसयिाबाई पत्नी विशनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	280/3	0.400	0.400		उमर-1, कंजी-5, नीम-1
24	प्रेमसिंह पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	281	2.340	1.334		शीशम-1, आम-2, उमर-3, कचनार-1, खमेर-10, जामुन-11, नीम-6, बबूल-4, बांस-1, बेर-64, महुआ-2, लभेर-1, लिप्टिस-2, सगोन-14, सेम्हर-1, हर्रा-2
25	विश्नू पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	283	0.660	0.580		उमर-2, खमेर-3, खसी-1, बबूल-2, बेर-15, महुआ-1
26	बुध्दूसिंह पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	284	0.660	0.122		उमर-1, कंजी-2, खमेर-4, बेर-10
27	गोपालसिंह पिता नैनसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रवीन्द्रसिंह पिता नैनसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	292	3.700	2.588		आम-1, उमर-2, खमेर-5, खसी-2, छिवला-3, जामुन-5, बबूल-52, बेर-37, सीताफल-1
	रवीन्द्र सिंह पिता नैनसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा वॉन्ड्री बाल, पक्का शौचालय	
28	सरवन पिता शुक्ला सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीबाई पुत्री शुक्ला सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] वृन्दाबाई पुत्री शुक्ला सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सनियाबाई पुत्री शुक्ला सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] हंसी पुत्री शुक्ला सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	293	2.870	2.870		अमरूद-1, उमर-1, खमेर-16, छिवला-1, नीम-1, बबूल-18, बेर-103

29	मगंलसिंह पिता ननसा जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294	0.200	0.200		बबूल-7, बेर-9
30	पारवती पुत्री गंगाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295/1	0.400	0.400		उमर-3, बेर-15
31	परषोत्तम पिता गंगाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295/2/1	0.550	0.550		कंजी-3, बबूल-7, बेर-28, साजा-1
32	शैलेन्द्रकुमार पिता परषोत्तम जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295/2/2	0.400	0.400		
33	सचिनकुमार पिता परषोत्तम जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	295/2/3	0.400	0.400		
34	सतेन्द्रकुमार पिता परषोत्तम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	295/2/4	0.400	0.400		
35	गयासिंह पिता गंगाराम जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	295/3/1	0.870	0.870		बबूल-6, बेर-10
36	रोहितकुमार पिता गया सिंह जाति गौंडपता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	295/3/2	0.880	0.880		
37	भगवनिया पुत्री बिसाहू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ललिया पत्नी सुरेश पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	296/1	0.180	0.180		बबूल-3, बेर-11
38	दविसयिाबाई पत्नी विशनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	296/2	1.000	1.000		शोबबूल-9, उमर-15, कंजी-13, खमेर-7, खसी-1, छिवला-1, नीम-1, बबूल-34, बेर-10, लिप्टिस-14, सगोन-3, साजा-1, सेम्हर-1
39	सुनीलकुमार पिता शंकरसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	296/3	0.800	0.800		उमर-3, किरगी-1, बबूल-4, बेर-18
40	प्रहलादसिंह पिता धोकलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	298/1	1.200	1.200		उमर-4, खमेर-3, छिवला-1, जामुन-1, नीम-1, बबूल-72, बांस-2,बेर-12, रेला-2
41	दिलीपसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	298/2	1.600	1.600		
42	बृहस्पतियाबाई बेवा सुकलूसिंह, कातिकराम पिता सुकलूसिंह , गीताबाई पुत्री सुकलूसिंह , चम्पाबाई पुत्री सुकलूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	299	2.080	2.080		बबूल-14, बेर-9
43	सावनसिंह पिता लामूसिंह , बजराहिनउर्फ़रामकली पिता लामूसिंह , ब्रह्मावती पुत्री लामूसिंह जाति गोंड पता खाम्ही रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	300/1/1	0.850	0.850		बबूल-3, बेर-8

पटवारी तहसीलदार

44	मुरलीधरभवेदी पिता कहलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	300/1/2	0.400	0.400		
45	तिहारोबाई पत्नी बुध्दूसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	300/2	0.400	0.400		बबूल-11, साजा-1
46	बृहस्पतियाबाई बेवा सुकलूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कातिकराम पिता सुकलूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गीताबाई पुत्री सुकलूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चम्पाबाई पुत्री सुकलूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	301/1	4.050	4.050		खमेर-1, छिवला-2, बबूल-5, बेर-6
47	धानसिंह पिता बजरू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] तोपसिंह पिता बजरू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] पारवती बेवा फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कृपालसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	301/2	0.600	0.600		बबूल-2, बरगद-1, बेर-5
48	धन्नूसिंह पिता धोकलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	301/3/1	0.450	0.450		शोबबूल-1, ककई-2, केवलार-1, बबूल-13, बेर-10
49	सुनीता पिता धन्नु जाति गोंड पता खाम्ही रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	301/3/2	1.200	1.200		केवलार-1, खमेर-17, छिवला-1, बबूल-11, बेर-16
50	हरिवती पुत्री धन्नु जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	301/3/3	1.200	1.200		केवलार-1, खमेर-1, तिनसा-1, पीपल-1, बबूल-14, बांस-1, बेर-10
51	बुद्धूसिंह पिता गंगाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] अशोकवती पुत्री गंगाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दूजियाबाई पुत्री गंगाराम आ पा चाचा पूनीराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] फूलवतीबाई पुत्री गंगाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] पूनीराम पिता खज्जू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रामसिंह पिता खज्जू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] फूलसिंह पिता बजरू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] थानसिंह पिता बजरू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] तोपसिंह पिता बजरू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	302	9.250	9.250		शीशम-1, आम-2, उमर-1, केवलार-1, खमेर-6, खसी-1, छिवला-3, जामुन-1, पीपल-1, बबूल-56, बहेड़ा-1, बांस-1, बेर-68, महुआ-1, सगोन-9, सीताफल-3, सेम्हर-2, हड़वा-1

पटवारी

52	कृष्णासिंह पिता रम्हू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गनपती पुत्री रम्हू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य ,प्रदेश भूमि स्वामी] लमिया बेवा रम्हू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] शांती बेवा मंगल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुनील पिता मंगल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मोहन पिता मंगल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] थानसिंह पिता मंगल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुनीला पुत्री मंगल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	303/1	0.400	0.400		ककई-1, बबूल-10, बहेड़ा-1, बेर-2
53	इन्द्रवती बेवा शंकर जाति गौड ,उमेश पिता शंकरसिंह जाति गौड ,पुन्नु पिता शंकरसिंह जाति गौड ,तीरथ पिता शंकर सिंह ,प्रीतम पिता शंकर सिंह जाति गौड ,ओमप्रकाश पिता शंकर सिंह जाति गौड ,सुशीला पुत्री शंकर सिंह , चुनरिया पुत्री शंकर सिंह जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] पुष्पा पुत्री शंकर सिंह जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	303/2	1.670	1.670		शीशम-1, ककई-1, खमेर-3, छिवला-1, बबूल-8, बेर-5
54	सुकलू पिता नौसा जाति गौड, मोती पिता नौसा जाति गौड, सुखदीन पिता नौसा जाति गौड , कातिकराम पिता नौसा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	304	1.220	1.220		खमेर-1, पीपल-1, बबूल-1, बेर-5, लभेर-1
55	अघनीबाई बेवा करिया , रतनसिंह पिता करिया , रविवती पुत्री करिया ,भागवती पुत्री करिया , रामरती पिता करिया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] शोभासिंह पिता करिया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कन्हैया पिता करिया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	305	1.700	1.700		आम-2, कंजी-3, खमेर-19, छिवला-4, नीम-1, बबूल-3, बांस-1,बेर-1, हड़वा-1
56	अमरूसिंह पिता गनेशा] मीराबाई पति अमर सिंह] प्रेम सिंह पिता अमर सिंह] दूप सिंह पिता अमर सिंह] चैन सिंह पिता अमर सिंह] बैसाखू पिता गनेशा] अंधरिया पत्नी गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	306	1.700	1.700		उमर-1, छिवला-4, बबूल-9, बेर-8, रेला-1, सेम्हर-1
योग :–			67.650	56.972		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 05 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

Ritu पटवारी ग्राम बिंया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–69(अ–82) 2023–24–838

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुर्कवारा माल प.ह.नं. 34	**15.855 हेक्ट.**	21	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**15.855 हेक्ट.**		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	हरीसिंह पिता टीकाराम जाति गोड , नानसिंह पिता टीकाराम, पहलवती पुत्री रातूसिंह , सवनी पुत्री रातूसिंह , सकुन्तला पुत्री रातूसिंह , गोमती पुत्री रातूसिंह, बतसिया बेवा टीकाराम , जेठू पिता अमरु, फुलबसबाई पत्नी बजारी, सुभईसिंह पिता बजारी, सुहागबाई पुत्री बजारी, रेवा पिता अमरू , कंधईसिंह पिता आशाराम, मंधईसिंह पिता आशाराम पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	. 9	5.820	0.013	-	-
2	हरीसिंह पिता टीकाराम जाति गोड , नानसिंह पिता टीकाराम, पहलवती पुत्री रातूसिंह , सवनी पुत्री रातूसिंह , सकुन्तला पुत्री रातूसिंह , गोमती पुत्री रातूसिंह, बतसिया बेवा टीकाराम , जेठू पिता अमरु, फुलबसबाई पत्नी बजारी, सुभईसिंह पिता बजारी, सुहागबाई पुत्री बजारी, रेवा पिता अमरू , कंधईसिंह पिता आशाराम, मंधईसिंह पिता आशाराम पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10	0.290	0.216	-	छिवला-1

3	सुखदीन पिता हिरवा, मायावती पुत्री हिरवा, जाति गोड पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11	0.510	0.510	-	खजूर-2
4	हरीसिंह पिता टीकाराम जाति गोड , नानसिंह पिता टीकाराम, पहलवती पुत्री रातूसिंह , सवनी पुत्री रातूसिंह , सकुन्तला पुत्री रातूसिंह , गोमती पुत्री रातूसिंह, बतसिया बेवा टीकाराम , जेठू पिता अमरु, फुलबसबाई पत्नी बजारी, सुभईसिंह पिता बजारी, सुहागबाई पुत्री बजारी, रेवा पिता अमरू , कंधईसिंह पिता आशाराम, मंधईसिंह पिता आशाराम पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14	0.380	0.380	-	आवला-7, छिवला-3, बबूल-2, बहेड़ा-1, बेर-3
5	सुखदीन पिता हिरवा, मायावती पुत्री हिरवा, जाति गोड पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/1	2.380	3.400		शोबबूल-3, उमर-1, खजूर-1, खमेर-6, छिवला-12, जामुन-1, तेन्दू-1, महुआ-1, रेला-2, सफेदशीरस-1, बेर-18
6	हीरालाल पिता नानसाह जाति गोंड पता कुर्कवारा माल डिंडोरी मध्य प्रदेश,	16/2	2.740			
7	नवलसिंह पिता कातिकराम, कमलसिंह पिता कातिकराम, देवेंद्र पिता दयाराम, अरविन्द पिता दयाराम, देवकीबाई पुत्री दयाराम, अमृत पिता जरमनी, मीराबाई पुत्री छोटेलाल, संगीता पुत्री छोटेलाल, सुरेशकुमार पिता छोटेलाल, रमेशकुमार पिता छोटेलाल, महेशकुमार पिता छोटेलाल, सहबिनबाई पत्नी छोटेलाल, गोपालप्रसाद पिता छोटेलाल, समलीबाई बेवा रामसिंह, , सनियाबाई पुत्री रामसिंह, जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	17	0.350	0.350		खमेर-1, बेर-1
8	हरीसिंह पिता टीकाराम जाति गोड , नानसिंह पिता टीकाराम, पहलवती पुत्री रातूसिंह , सवनी पुत्री रातूसिंह , सकुन्तला पुत्री रातूसिंह , गोमती पुत्री रातूसिंह, बतसिया बेवा टीकाराम , जेठू पिता अमरु, फुलबसबाई पत्नी बजारी, सुभईसिंह पिता बजारी, सुहागबाई पुत्री बजारी, रेवा पिता अमरू , कंधईसिंह पिता आशाराम, मंधईसिंह पिता आशाराम पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18	12.860	4.040		अमरूद-1, इमली-2, उमर-3, खजूर-1, खमेर-22, छिवला-3, जामुन-3, बबूल-1, बेर-69, सगोन-1, साजा-1, सीताफल-1

9	नवलसिंह पिता कातिकराम, कमलसिंह पिता कातिकराम, देवेंद्र पिता दयाराम, अरविन्द पिता दयाराम, देवकीबाई पुत्री दयाराम, अमृत पिता जरमनी, मीराबाई पुत्री छोटेलाल, संगीता पुत्री छोटेलाल, सुरेशकुमार पिता छोटेलाल, रमेशकुमार पिता छोटेलाल, महेशकुमार पिता छोटेलाल, सहबिनबाई पत्नी छोटेलाल, गोपालप्रसाद पिता छोटेलाल, समलीबाई बेवा रामसिंह, , सनियाबाई पुत्री रामसिंह, जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	20	4.200	0.184		छिवला-1, लिड़ैया-7
10	हल्कूसिंह पिता तितरु , सुखवीर पिता तितरु , नन्हूवा पिता तितरु , ऐतुसिंह पिता सुमैया , बुधराम पिता सुमैया , रमोतिन बेवा सुखलाल , मनोहर पिता सुखलाल , जनकसिंह पिता सुखलाल , मुनीमसिंह पिता सुखलाल , ज्ञानवती बेवा किशन , गोलू पिता किशन , पुनीता पुत्री किशन जाति बैगा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	21	0.130	0.130		
11	हल्कूसिंह पिता तितरु , सुखवीर पिता तितरु , नन्हूवा पिता तितरु , ऐतुसिंह पिता सुमैया , बुधराम पिता सुमैया , रमोतिन बेवा सुखलाल , मनोहर पिता सुखलाल , जनकसिंह पिता सुखलाल , मुनीमसिंह पिता सुखलाल , ज्ञानवती बेवा किशन , गोलू पिता किशन , पुनीता पुत्री किशन जाति बैगा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23	1.790	0.891		
12	सुखदीन पिता हिरवा जाति गोड पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मायावती पुत्री हिरवा जाति गोड पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	24	1.780	0.106		
13	नवलसिंह पिता कातिकराम, कमलसिंह पिता कातिकराम, देवेंद्र पिता दयाराम, अरविन्द पिता दयाराम, देवकीबाई पुत्री दयाराम, अमृत पिता जरमनी, मीराबाई पुत्री छोटेलाल, संगीता पुत्री छोटेलाल, सुरेशकुमार पिता छोटेलाल, रमेशकुमार पिता छोटेलाल, महेशकुमार पिता छोटेलाल, सहबिनबाई पत्नी छोटेलाल, गोपालप्रसाद पिता छोटेलाल, समलीबाई बेवा रामसिंह, , सनियाबाई पुत्री रामसिंह, जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	26	0.940	0.585		शोबबूल-2, उमर-3, छिवला-1, पड़री-1, बेर-16
14	हीरालाल पिता नानसाह जाति गोंड पता कुर्कवारा माल डिंडोरी मध्य प्रदेश,	143	2.070	0.275		

15	धरमसिंह पिता पंचम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, प्रेमसिंह पिता पंचमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	144	1.800	1.800		खमेर-1, छिवला-1, बबूल-3, बेर-15, हड़वा-1
16	जमनीबाई पत्नी मंगला, रामबाई पुत्री सम्हासिंह, सुखसेन पिता सम्हासिंह, सियाबाई पुत्री सम्हासिंह, लामूसिंह पिता मंगला, रामवती बेवा टीकाराम, गुहियाबाई पुत्री टीकाराम, सुखियाबाई बेवा भददूसिंह, दयाराम पिता भददूसिंह,सन्तलाल पिता भददूसिंह, शंकरसिंह पिता भददूसिंह, बसन्तीबाई पुत्री भददूसिंह, लालसिंह पिता विश्राम, सगुन्ताबाई पुत्री लम्हा, धरमसिंह पिता लम्हा, सम्पत पिता लम्हा, धरम सिंह पिता सम्हा सिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा माल डिंडोरी मध्य प्रदेश,	145	6.250	2.226		शोबबूल-4, बेर-12
17	सुखदीन पिता हिरवा, मायावती पुत्री हिरवा, जाति गोड पता कुर्कवारा मा0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	149/1	0.370	0.154		खसी-1, छिवला-2, बेर-3
18	हीरालाल पिता नानसाह जाति गौंड पता कुर्कवारा माल डिंडोरी मध्य प्रदेश,	149/2	0.380			
19	चमरिनबाई बेवा पटवारी, रामवती पुत्री छोटू, चिरौंजाबाई बेवा गुरू, सुन्दरू पिता लोकमान, श्यामसिंह पिता हीरसिंह, धरमसिंह पिता पंचम, सुन्दर पिता लोकमान, चम्मर पिता हीरासिंह, अलसिया पुत्री छोटू, समलियाबाई पुत्री हीरा सिंह, सुदंरबाई पुत्री हीरसिंह, केहर पिता लोकमान, सम्हर पिता हीरासिंह, कृष्णाबाई पुत्री झलकसिंह, अजयसिंह पिता झलकसिंह, वारवती पत्नी झलकसिंह, सुमनबाई पुत्री लालसिंह, मीलसिंह पिता झलकसिंह, लीलाबाई पुत्री कवलसिंह, सेमसिंह पिता लालसिंह, लामूसिंह पिता झलकसिंह, सुन्दरबाई पत्नी कवलसिंह, इन्द्रसिंह पिता कवलसिंह, पुहपसिंह पिता लालसिंह, कोमलसिंह पिता लालसिंह, श्रीवति पुत्री झलकसिंह, दानसिंह पिता छोटू, रंगोबाई पुत्री बिसाहू, प्रेमसिंह पिता पंचम, तिलकसिंह पिता मानसिंह, शांतिबाई पुत्री चैनसिंह, परमसिंह पिता मानसिंह, मायाबाई पत्नी चैनसिंह, नोहरसिंह पिता नवलसिंह, सिवित्री पुत्री मानसिंह, मानबाई पत्नी मानसिंह, करमसिंह पिता मानसिंह, सोनाबाई पुत्री झलकसिंह, चरनू पिता पटवारी जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	170	0.410	0.158		छिवला-2,

सहायक सहकारी ASSISTANT

20	हरीसिंह पिता कल्लू, भगवनिया बाई पुत्री मातादीन, कुवरिया बेवा भददेसिंह सुखियाबाई पिता कल्लूसिंह, सुदामा सिंह पिता भददेसिंह, शंकरसिंह पिता भददेसिंह, सुमंत्राबाई पुत्री भद्दे सिंह, सुखियाबाई पुत्री कल्लूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	171	0.270	0.264	-	-
21	मंगललाल पिता सोनू जाति लोहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, कमललाल पिता सोनू जाति लोहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, नंदलाल पिता बिसाहू जाति लोहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, गेंदलाल पिता बिसाहू जाति लोहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	172	4.940	0.173	-	-
	कुल योगः–		**50.660**	**15.855**		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, निर्माण एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक् [illegible] करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या [illegible] है जिसके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढिया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।
11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।
12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–36(अ–82) 2023–24–839

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित ! तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	रयपुरा माल प.ह.नं. 36/71	**42.188 हेक्ट**	**85**	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	**42.188 हेक्ट.**		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकवा हे.	अर्जित रकवा हे.	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	चन्दसिह पिता सहवा जाति गोड़ पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी भजनसिह पिता सहवा जाति गोड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/1	0.800	0.032	–	–
2	झामसिह पिता मंगलू जाति गोड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, लालवती पिता मंगलू जाति गोड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, इन्द्रवती पिता मंगलू जाति गोड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, झीमाबाई पिता मंगलू जाति गोड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	4/1	0.400	0.400		अमरुद 1 आम 2 कंजी 2 खमेर 9 खसी 1 धवा 1 पीपल 1 बांस 1 बेल 2 बेर 5 महुआ 3 साल्हे 2 हर्रा 1

	सम्पतिया बाई [illegible] जाति गोंड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, माधव सिंह पिता लालसिंह जाति गोंड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य पदेश भूमि स्वामी, देववती पिता लालसिंह जाति गोड पता रयपुरा मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
3	मोहनपिता चमरू जाति गोड पता ग्राम रैपुरा डिंडोरी मध्य पदेश भूमि स्वामी छतरसिंहपिता चमरू जाति गोड पता डिडोरी मध्य पदेश भूमि स्वामी ओमकारसिंहपिता चमरू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लामूपिता जयसिंह जाति गोड पता डिडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी टीकोबाई पति जयसिंह जाति गोंड पता डिडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/2	1.p420	0.832		जामुन 1 मुंडी 3 सेमर 1
4	मोहन पिता शिवराज जाति गोंड पता डिंडोरी रनमत पिता गुलाब जाति गोड पता डिंडोरी सम्हरसिंह पिता डुमरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी नैनसिंह पिता डुमरा जाति गोड पता डिंडोरी सुनीताबाई पिता शिवराज जाति गोंड पता ग्राम रयपुरा डिंडोरी रनमतिया पिता गुलाबसिंह जाति गोंड पता डिडोरी	4/3	1.110			
4	दसरू पिता [illegible]डवा जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1/1	0.050	0.050		
5	चमरिनपिता तितरा जाति अहीर पता ग्राम रायपुरा डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी जीराबाईपिता सोनू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी उदयरामपिता सोनू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1/2	0.060	0.060		
6	फूलवती पिता समारू जाति अहीर पता ग्राम रायपुरा डिडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/2	0.400	0.400		
7	यशोदा पति उतम सिंह जाति राठौर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/1/1	0.320	0.181		

8	चमरिनपिता तितरा जाति अहीर पता ग्राम रायपुरा डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी जीराबाईपिता सोनू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी उदयरामपिता सोनू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/1/2	0.320			
9	मनोज कुमार चंदेल पुत्र श्री महेश कुमार चंदेल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/2	0.600	0.600		
10	पन्नूलाल पिता नानसाय जाति अहीर पता ग्राम रैयपुरा मॉल डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	1.200	0.807		
11	अम्माबती पिता धनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11	2.180	2.081		आम 1 उमर 1 खमेर 1 बबूल 5 बेर 8 शीशम 2
12	द्रोपती पति हीरासिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15	3.240	1.953		
13	कमलसिंह पिता जिल्लासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16	1.390	1.390		बेर 1
14	करनसिंह तेकाम पिता ईदलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17	0.840	0.840		बबूल 4
15	अभिषेककुमार पिता बोधनसिंहश्याम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19	0.790	0.790		बबूल 17
16	कमलसिंह पिता जिल्लासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20	0.800	0.800		
17	शिवशंकरपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी तारावतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/1	0.620	0.620		खसरा 21/3 में

18	गोंड पता डिंडारा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मदनपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सूरजपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सदन पिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शांतिबाई पति प्रताप जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गुलाबपिता गोपाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बोधीपिता गोपाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/2	0.620	0.620	खसरा 21/3 में
19	नरेंद्रपिता अयोध्या जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भुवनपिता अयोध्या पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीवनपिता रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कोमलपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रभानपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरेशपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुहागवतीपिता शम्भू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलवती पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमीरा पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/3	0.630	0.630	बबूल 10
20	रामवतीपिता जिल्ला जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बिरमतपिता जिल्ला जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लक्ष्मीबाईपिता जिल्ला जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलसिंहपिता जिल्ला जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/1	3.680	3.680	अमरूद 38 आम 21 आवला 2 कंजी 1 कराइन 8 खमेर 3 खसी 1 चार 1 जामुन 1 नीबू 1 नीम 2

	कमलसिहपिता जिल्ला जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सरोजबाईपिता जिल्ला जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सरोजबाईपिता जिल्ला जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शकुनबाईपिता नर्मदा प्रसाद जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी किशनपिता नर्मदानाबावलीमॉशकुनबाई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					पीपल 1 बरगद 3 बेर 3 बेल 23 शोबबूल 10 सीताफल 79 हरदु 1
	तारा स्वामी पिता रुपसिंह मरावी				पक्का मकान-1, पक्का मंदिर गुम्बज-3, मंदिर पोर्च पक्का लेंटर , प्रथम तल लेंटर फर्श, पक्का धर्म शाला-2, कच्चा घर-1, बॉड्री बाल , पक्का सीडी.-2 (धर्मशाला) पक्का फर्श-2(धर्मशाला), सेप्टिक टैंक पक्का लेंटर, पक्का मंदिर-3, चबूतरा पक्का-1 बोरबेल-1, बोरबेल/हैंडपंप-1	
21	लक्ष्मीबाई पति बोधनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/2	1.000	1.000		जामुन 2
22	जेहरसिंह पति दुरवेन जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमेशकुमारपिता दुरबेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संतसिंहपिता दुरवेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विजयाबाईपिता दुरबेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24	2.680	2.680		बबूल 3 बेर 16

23	आत्माराम पिता हीरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/1	0.330	0.33	
24	गीता पंद्रो पति सुनीलपंद्रो जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2	2.000	0.605	वेर 2 लड़िया 2
25	नीलेशपिता वोधी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नीलेशपिता ओधी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पप्पूपिता बोधी जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दुआलालपिता नन्हा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलवती पति वोधी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलवती पति वोधी जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वानी नीरज पति वोधी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वानी	26	0.880	0.191	
26	रामलाल पिता सुखवा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27	1.840	0.010	
27	आत्माराम पिता हीरासिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28	1.240	0.186	
28	रामप्यारी पिता देवसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/1	0.400		
29	मतवारसिंह पिता चमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/2	0.630	0.030	
30	गंगासिह पिता चमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/3	0.200		
31	धोकलसिहपिता मन्ना जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पतीरामपिता मन्ना जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बुदेलसिंहपिता मन्ना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आँधरिया पति मन्ना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलाबाई पति भवरसिंह	30	1.780	0.010	

	जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भजनपिता भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गायत्रीपिता भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रम्मापिता भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कौशिल्यागिता भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
32	शिवशंकरपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलवतपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीवतिपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी तारावतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/1	2.120	2.120		
33	शिवशंकरपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीवतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी तारावतीपिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/2/1	0.010	0.010		
34	कुन्दनसिंहपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मदनपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सूरजपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सदन पिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शांतिबाई पति प्रताप जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गुलाबपिता गोपाल जाति	32/2/2	0.010	0.010		

	गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बोधीपिता गोपाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी			
35	नरेद्रपिता अयोध्या जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भुवनपिता अयोध्या पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीवनपिता रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कोमलपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रभानपिता प्रेमसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरेशपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुहागवतीपिता शम्भू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलवती पुत्री प्रेमसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आमीरा पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/2/3	0.010	0.010
36	ललिया पति तिलक जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नारेन्द्रपिता चैन सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी छोटूपिता चैन सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शारदापिता चैन सिंह न जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अधीनापिता तिलक जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भारतसिंहपिता रतसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमृतसिंहपिता शोभाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34	1.000	1.000

37	सावित्री पिता रामप्रसाद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35	1.680	1.581		बबूल 4 बेर 9
38	जेहरसिंह पति दुरदेन जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमेशकुमारपिता दुरबेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संतसिंहपिता दुरवेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विजयाबाईपिता दुरबेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36	1.660	1.320		
39	नरेंद्रपिता अयोध्या जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भुवनपिता अयोध्या पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीवनपिता रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कोमलपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रभानपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरेशपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुहागवतीपिता शम्भू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलवती पुत्री प्रेमसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमीरा पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/1	1.360	0.080		
40	नरेंद्रपिता अयोध्या जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भुवनपिता अयोध्या पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीवनपिता रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कोमलपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रभानपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरेशपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुहागवतीपिता शम्भू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि	37/2	0.030			

	स्वामी कमलवती पुत्री प्रेमसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमीरा पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
41	नवलसिंहपिता मोती सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कृपालपिता मोती सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हृदयसिंहपिता मोती सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शकुनवाईपिता मोती सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चन्द्रकलापिता मोती सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38	0.570	0.530		बयूल 1 बेर 15
42	कौशल्या पिता मालिकराम पता डिंडोरी डिंडो ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/1/1/1	0.110			
43	प्रतिभा पत्नी धर्मेन्द्र जाति गोंड पता रहगो डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/1/1/2	0.010			
44	प्रतिभा पत्नी धर्मेंद्र मार्को जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/1/2	0.040			
45	जामवती पत्नी संतलाल धूमकेती जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/1/3	0.020			
46	दिगंबर पिता मालिकराम पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/2/1	0.160			
47	सुमंत पिता सुखराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/2/2	0.020			
48	मतवारसिंह पिता चमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/2	0.360	0.170		
49	हीरासिं ह पिता चरन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/3	0.260	0.030		

50	गोमतीबाई पति रामफल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/4/1	0.100	0.013	बोरबेल एवं हेण्डपंप-1	
51	गोमतीबाई पति रामफल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/4/2	0.020			
52	नरेंद्रपिता अयोध्या जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भुवनपिता अयोध्या पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीवनपिता रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कोमलपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रभानपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरेशपिता प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुहागवतीपिता शम्भू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलवती पुत्री प्रेमसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमीरा पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40	0.380	0.073		बेर 2
53	सुरजपिता तोकसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरपिता तोकसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सदनपिता तोकसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सदनपिता तोकसिंह न जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बोधनपिता गोपाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पुष्पलतापिता प्रताप सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गंगोत्रीबाईपित. प्रताप सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुन्दनपिता तोकसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	42	2.760	1.354		किर्गी 1 खमेर 1 बेर 8

	बोधन सिंह पिता गोपाल सिंह				कच्चा घर-1, वॉड़ी वात	
54	नेहरसिंह पति दुरवेन जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमेशकुमारपिता दुरवेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संतसिंहपिता दुरवेन सिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विजयाबाईपिता दुरबेन सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43	0.620	0.099		खमेर 1 वेर 1
55	सावित्री पिता रामप्रसाद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/2	1.300	0.875		खमेर 1 वेर 3
56	दिनेश पुत्र धंसा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी चेनवती पुत्री धंसा जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46	1.200	0.253		वबूल 1 वेर 20
57	रविता पुत्री जियालाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गंगेश्वरी पुत्री जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मधूउर्फचम्पा पुत्री जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुसुम पुत्री जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47	1.430	0.074		खमेर 2 वेर 9
58	गुलवसियावाई पति हरिलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी रामवाईपिता हरिलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी रामप्यारीपिता हरिलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48	0.650	0.016		वेर 2
59	कुलदीप पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67	0.610	0.358		
60	शकुनवाई पति नर्मदा प्रसाद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी किशनकुमार नावावतीमोंशकुनवाईपिता नर्मदा	74/1	0.050	0 243		

	प्रसाद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
61	भानसिह पि.ा कुन्दन सिंह जाति गोंड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/2	0.830			खमेर 29
62	गिरवरसिंह पिता अमरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/1	0.100	0.009		
63	निर्मलाबाई पति सजनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/2	0.480	0.102		
64	दानसिंह पिता अमरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	79	0.580	0.516		
65	कल्याणसिंह पिता अमरसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80	0.570	0.570		खमेर 1
66	नैनसिंहपिता डुमरा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी समहरसिंहपिता डुमरा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82	1.200	0.850		आम 3 जामुन 2 महुआ 1 लभेर 2
67	कुन्दनसिंहपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मदनपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सूरजपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सदनपिता तोपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शांतिबाई पति प्रताप जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गुलाबपिता गोपाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बोधीपिता गोपाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84	3.050	2.180		
68	हीरासिंह पिता मोहनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87	2.390	0.699		

69	होबलसिंह पिता कार्तिक राम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1	1.600			
70	खुमानसिंह पिता कार्तिक राम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2	1.600	0.925		अमरूद 1 खमेर 1 बबूल 5 बेर 2 शीशम 1 सगोन 2
71	होबनसिंह पिता कार्तिकराम	89/1			पक्का घर, पक्का छज्जा 2, कच्चा वॉन्ड्री बाल, पक्का घर लैटर बाकी, पक्का पानी टंकी	
	होबलसिंह पिता कार्तिक राम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		1.180			
72	खुमानसिंह पिता कार्तिक राम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2	2.570	0.629		
73	अगरवती पत्नी श्यामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/1	2.110			बबूल 1
74	तेजवती पति सुखराम जाति गोंड पता ग्राम रैयपुरा डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी सुमन्तकुमारपिता सुखराम जाति गोंड पता ग्राम रयपुरा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/2/1	1.040	2.268		
75	तेजवती पति सुखराम जाति गोंड पता ग्राम रैयपुरा डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी सुमन्तकुमारपिता सुखराम जाति गोंड पता ग्राम	93/2/2	0.020			

	रयपुरा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
76	मीराबाई पति सुखराम जाति गोंड पता ग्राम रैपुरा डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी राहुलपिता सुखराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी रेणुपिता सुखराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/3	1.060			
77	कुसुम पिता जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95/1	0.220	0.220		
78	रविता पिता जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95/2	0.230	0.220		
79	चम्पा पिता जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95/3	0.220	0.150		
80	गंगेश्वरी पिता जियालाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95/4	0.230	0.031		
81	लक्ष्मीबाई पति बोधनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	96	0.800	0.203		
82	सुदामाबाई पति बलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी शिवम अपाबलीमॉसुदामाबाईपिता बलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/1	0.680	0.127		
83	सुदामाबाई पति बलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी शिवम अपाबलीमॉसुदामाबाईपिता बलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/2	0.030			
84	संजयपिता दुलारे जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी दिपिकापिता संजय जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य भूमि स्वामी प्रदयसिंहपिता दुलारे जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99	1.750	0.8p01		
85	सुहागवती पिता शम्भू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	112	1.600	0.035		खमेर 1 बेर 2

86	आत्माराम पिता हीरासिंह	77			पक्का मकान छत सीमेंट शीट	
87	सुहागवति पति मोहनसिंह धूमकेति	37			बोरवेल एवं हेण्डपंप-1	
	योगः–		77.931	42.188		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अधीन सम्यक जाच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए सभावित कुटुम्ब की सख्या 04 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–गुढ़िया कला रा.नि.गं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर सभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमाक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनाक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमत्री आवास योजना विनिर्देशो के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कडिका 1 मे वर्णित फायदो को ऐसे किसी प्रभावित कुटुबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र मे रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नही दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओ के स्थानातरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुब की पत्नि और पति दोनो के सयुक्त नाम मे हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियते और मूलभूत न्यूनतम सुविधाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी मे पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वय मे लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके।

11.1 युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियते और ससाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2 सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुबो के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामो के भीतर सडक और पक्की सडक, मार्ग से जुडी वासभारी सडक और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाए निष्पादित की जाए।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित ससाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त सख्या।

11.6 यथेचित पचायत घर।

11.7 जाति–समुदायो और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाए जिसके अतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन विदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परपरागत ससाधनो के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाए उपलब्ध कराने वाली आगनवाडी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–57(अ–82) 2023–24–840

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खाम्ही माल प.ह.नं. 35	66.560	134	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			66.560 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	चैनसिंह पुत्र रेवासिंह जाति गौड पता खाम्ही मॉल डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश 481880 भूमि स्वामी	3/1	1.000	0.848		
2	मोहन पिता रेवासिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2	1.410			
3	जोहन पिता रेवासिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/3	0.540			
4	फूलमतबाई पुत्री डुमारी जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1	1.470	0.025		
5	मन्तीबाई पुत्री डुमारी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/2	1.470	0.054		

6	ओमप्रकाश पिता जोहनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लोकेन्द्र कुमार पिता जोहनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3	1.460	0.723		
7	श्यामसिंह पिता दलसिंह जाति गौंड पता खाम्ही रै. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गंगोत्रीबाई पुत्री दलसिंह जाति गौंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सावित्रीबाई पुत्री दलसिंह जाति गौंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	3.060	0.226		
8	शिवप्रसाद पिता मंगलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/1	0.300	0.526		
9	दशरथसिंह पिता शिवप्रसाद जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/2	1.200			
10	प्रदीपकुमार पिता शिवप्रसाद जाति गॉड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/3	1.200			
11	छोटीबाई बेवा फूल्लूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/1	0.240	0.017		
12	देवलाल पिता फूल्लूलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/2	1.600			
13	तेजलाल पिता फूल्लूलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/3	1.600			
14	महेशलाल पिता फूल्लूलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/4	1.600			
15	मिहीलाल पिता फूल्लूलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/5	1.600			

16	सोहनलाल पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1	0.440			
17	इन्दूबाई बेवा मोहन जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गजेन्द्र पिता मोहन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/2	0.440			
18	दिगम्बर पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/3	0.440			
19	देवेन्द्र पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/4	0.440			
20	नंदकिशोर पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/5	0.440			
21	नंदकिशोर पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/6	0.450			
22	सोहनलाल पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/7	0.450			
23	देवेन्द्र पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/8	0.450			तेन्दू-1, नीम-1, बबूल-25, बेर-7, सेम्हर-1
24	इन्दूबाई बेवा मोहन जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गजेन्द्र पिता मोहन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/9	0.440	3.378		
25	दिगम्बर पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/10	0.450			
26	इन्दूबाई बेवा मोहन जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गजेन्द्र पिता मोहन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/11	0.440			
27	नंदकिशोर पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/12	0.440			
28	दिगम्बर पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/13	0.440			
29	सोहनलाल पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/14	0.440			
30	देवेन्द्र पिता पीतमलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/15	0.440			

31	सोनू पिता फुन्दीलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32	3.270	2.106		शोबबूल-1, इमली-1, उमर-3, किरगी-1, खजूर-1, खमेर-7, खसी-3, जामुन-2, नीम-2, बबूल-116, बरगद-1, बांस-1, बेर-135, लिप्टिस-1, सीताफल-7
32	हीरासिंह पिता फगुआ जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1	0.720	2.244		इमली-3, उमर-1, खमेर-1, गन्धरी-1, बबूल-44, बेर-18
33	धीरा पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2	0.720			बबूल-5, बेर-7
34	शिवलाल पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/3	0.710			इमली-1, बबूल-3, बेर-15
35	लालसिंह पिता फगुआ जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/4	0.710			उमर-1, खमेर-3, बबूल-4, बरगद-1, बेर-11
36	बसंती बेवा चेतराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] संतोषीबाई पिता चेतराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कोमलसिंह बेवा लमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34	1.580	1.481		आम-1, इमली-1, उमर-1, खमेर-5, जामुन-2, बबूल-56, बेर-37
37	विजयसिंह पिता केहरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] हन्नूसिंह पिता केहरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35	3.080	3.074		शीशम-1, शोबबूल-1, इमटी-3, उमर-1, कंजी-2, खमेर-3, गन्धरी-1, बबूल-94, बेर-60, महुआ-1, सगोन-1
38	सियाबाई पत्नी गोकलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रोहितकुमार पिता गोपालसिंह अ पा पि गोपालसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37	0.400	0.217		बबूल-4, सगोन-2
39	जयसिंह पिता कुंवरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/2	0.400	0.361		बेर-4
40	सबलसिंह पिता मोहनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/4	0.400	0.400		बबूल-9, बेर-4

41	चैनसिह पिता रेवासिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मोहनसिह पिता रेवासिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जोहनसिह पिता रेवासिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/7	0.600	0.026		
42	सत्यनारायण पिता हीरासिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/9	1.800	0.011		
43	सबलसिंह पिता मोहनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/10	0.200	0.135		
44	सबलसिंह पिता मोहनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/11	0.300	0.300		बबूल-3
45	कवलसिह पिता टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45/12	0.900	0.818		बबूल-24, बेर-4
46	कंधईसिंह पिता नानसिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लवकुश पिता कुंदनसिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] अरुणकुमार पिता कुंदनसिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/1	1.030	2.041		बबूल-8, बेर-2
47	भावप्रकाश पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2	1.200			खमेर-2, खसी-2, बबूल-20, बहेड़ा-1, बेर-7
48	(शासकीय) राहुलसिंह पिता सबलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	47/2	0.800	0.120		बेर-2
49	रामसिंह पिता लामूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48	1.000	0.034		शोबबूल-1, सगोन-1
50	लक्ष्मनसिंह पिता लामूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49	1.000	0.101		बबूल-3, बेर-2
51	गोपालसिंह पिता लामूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/1	0.600	0.062		
52	गोपाल पिता लामू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लक्ष्मण पिता लामू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामसिंह पिता लामू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भारत पिता लामू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हलधरसिंह पिता लामू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गनपती पुत्री लामू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/2	0.600			
53	हलधरसिंह पिता लामूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/3	1.000			छिवला-1, दोहन-1, बबूल-1, बेर-3

54	भारतसिंह पिता लामूसिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/4	1.000			शोबबूल-1, जामुन-1, बबूल-2, बेर-2, साजा-1
55	फुलमतबाई पुत्री नवलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2	0.440	0.104		
56	हरियारोबाई बेवा रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69	3.070	2.919		उमर-1, खमेर-1, गन्धरी-2, जामुन-2, बबूल-14, बेर-21, सीताफल-1
57	सावनबाई बेवा सरवनसिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सरोज पुत्री सरवनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सगर पिता सरवनसिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयावती पुत्री सरवनसिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74	2.460	0.603		बबूल-2, बेर-1
58	शांती पत्नी सहजन जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] आसामबाई पत्नी रमेश जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118	2.200	0.039		
59	अर्जुनसिंह पिता बैशाखू, अमरू पिता बैशाखू, अधरिया पत्नी गनेशी, चैन सिंह पिता अमर सिंह, मीराबाई पति अमर सिंह, दूप सिंह पिता अमर सिंह, प्रेम सिंह पिता अमर सिंह, जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120	0.390	0.367		आम-1, खमेर-2, जामुन-2, बेर-15, सेम्हर-1
60	गनेशा पिता बरतू जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/1	0.800	0.228		बेर-8
61	रामकुमार पिता गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/2	2.000		आर.सी.सी. कुंआ–1	
62	रमेश्वर पिता गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/3	2.000			
63	रामकली पिता गनेशा जाति गौंड पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	121/4	0.200			
64	रामबाई पुत्री गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/5	0.200			
65	भानाबाई पुत्री गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/6	0.200			
66	सोनाबाई पुत्री गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/7	0.200			
67	गंगलिया पुत्री गनेशा जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/8	0.200			

	शांति पत्नी सहजन				कुंआ–1	
68	इंद्रवती पुत्री परसादी पता खाम्ही मा-डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गौरीबाई पुत्री परसादी पता खाम्ही मा-डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सरस्वती पुत्री परसादी पता खाम्ही मा-डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री परसादी पता खाम्ही मा-डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी इक्कीबाई पुत्री परसादी पता खाम्ही मा-डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124	6.130	4.554		शोबबूल-1, अमरूद-2, आम-1, उमर-7, खमेर-6, खसी-2, खिरीजी-1, जामुन-3, नीम-1, बबूल-23, बेर-6, महुआ-1, सीताफल-1, सेम्हर-2, हड़वा-3
69	शांती पत्नी सहजन जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] आसामबाई पत्नी रमेश जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126	1.300	1.300		शोबबूल-1, उमर-8, खमेर-5, जामुन-1, बबूल-11, बेर-40
70	रामकुमार पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/1	0.310	0.310		बबूल-1, बेर-6
71	रमेश्वर पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/2	0.320	0.320		उमर-1
72	चमरासिंह पिता नंदलाल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	129/1	0.310	0.877		शोबबूल-1, उमर-7, पड़री-1, बबूल-5, बेर-5
73	भगवानसिंह पिता सहजनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	129/2	0.400			
74	संतोषसिंह पिता सहजनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	129/3	0.200			
75	अघनीबाई बेवा करिया , रतनसिंह पिता करिया , रविबाई पुत्री करिया , रामरती पुत्री करिया ,शोभासिंह पिता करिया , कन्हैया पिता करिया जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	130	0.340	0.340		उमर-9, कंजी-2, खमेर-1, छिवला-1, सगोन-1
76	कोमलसिंह पिता लमना कमलवती पुत्री लमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री लमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्यामवती पुत्री लमना , अलीवती पुत्री लमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बसंतीबाई बेवा चेतराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संतोषीबाई पुत्री चेतराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	132	1.170	0.751		

77	चमरासिंह पिता नंदलाल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	141/1	5.100	0.514		
78	संतोषसिंह पिता सहजनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	141/2	0.200			
79	कोमलसिंह पिता लमना , कमलवती पुत्री लमना , विमला पुत्री लमना , श्यामवती पुत्री लमना ,अलीयती पुत्री लमना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बसंतीबाई बेवा चेतराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संतोषीबाई पुत्री चेतराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	142	1.180	0.156		
80	दलसिंह पिता अजमेरसिंह जाति गांड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]	172/1	2.93	1.660		शीशम-1, अमरूद-1, आम-1, उमर-2, केवलार-1, खमेर-23, घड़ी-1, छिवला-4, जामुन-1, बबूल-6, बांस-3, बेर-14, महुआ-1, रेला-3, लिप्टिस-59
	धनियाबाई पुत्री अजमेरसिंह जाति गांड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	172/2	0.400			
81	धनियाबाई पत्नी सम्पतसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175	1.800	1.209		आम-2, उमर-1, खमेर-1, तेन्दू-1, बेर-15
82	अर्जुनसिंह पिता बैशाखू , चैन सिंह पिता अमर सिंह, मीराबाई पति अमर सिंह, दूप सिंह पिता अमर सिंह, प्रेम सिंह पिता अमर सिंह , अमरू पिता बैशाखू , अधरिया पत्नी गनेशी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	176	1.870	1.090		खमेर-2, बबूल-5, बेर-12
83	नंदूसिंह पिता दलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/1	0.640	0.144		
84	मनोजसिंह पिता दलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/2	0.630			
85	शिलानन्द पिता दलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/3	0.630			

86	कमलसिंह पिता बाबूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कंधीसिंह पिता बाबूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुमन्तसिंह पिता बाबूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] तिलझरबाई पुत्री बाबूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	179	0.640	0.238	कुंआ–1	शोबबूल-6, खमेर-5, बबूल-2, बेर-1
87	अनुसुईयाबाई पुत्री टिकवासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	188/1	0.250	0.020		
88	प्रेमवतीबाई पुत्री टिकवासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	188/2	0.240			
89	शोभाराम पिता गंगाराम जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सावित्री पुत्री गंगाराम जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190/1	0.510	0.177		बेर-2
90	भारतसिंह पिता लामूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190/2	0.480	0.010		बबूल-2, बेर-3
91	विशमतबाई पत्नी समारूसिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कलमतबाई पत्नी समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कुंवरसिंह पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुदामासिंह पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गणेशसिंह पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गुलवसिया पुत्री समारूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामबाई पुत्री समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बिरसिंह पिता छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] होबलाल पिता छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रमोतिन बेवा छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	194	3.190	2.652		उमर-1, किरगी-1, खमेर-7, खसी-1, छिवला-34, नीम-3, बबूल-20, बेर-43
92	गुलबसिया पिता समारू, कुंवरसिंह पिता समारूसिंह, गणेश पिता समारू, सुदामासिंह पिता समारू, कलमतबाई पत्नी समारूसिंह, श्यामबाई पिता समारू, विशमतबाई पत्नी समारूसिंह पता खाम्ही मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	195	0.400	0.400		केकर-1, छिवला-1, बेर-1

93	विसमतबाई पत्नी समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कलमतबाई पत्नी समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कुंवरसिंह पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुदामासिंह पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गणेशसिंह पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गुलवसिया पिता समारूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामबाई पिता समारूसिंह पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	196/1	1.860	3.585		उमर-2, खमेर-1, जामुन-2, बेर-5, साजा-1
94	सुदामासिंह पिता समारू जाति गोंड पता खाम्ही मॉल डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	196/2	2.400			उमर-1, खसी-1, छिवला-3, नीम-1, बेर-3, सेम्हर-1
95	होबलाल पिता छोटेलाल जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197	4.260	1.104		छिवला-1, बेर-5
96	प्रतापसिंह पिता परसूराम पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] परवतिया पुत्री परसूराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रामवती पुत्री परसूराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	198	0.400	0.400		बेर-1
97	बिरसिंह पिता छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	199	4.260	4.260		किरगी-1, छिवला-1, नीम-1, बेर-8

98	धानसिंह पिता बजरूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी तोपसिंह पिता बजरूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रहलाद पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धन्नू पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमसिंह पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जैनसिंह पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मोतीसिंह पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बुध्दू पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विशनू पिता अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी समारू पिता छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विरसिंह पिता छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी होवलाल पिता छोटेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी छोटीबाई पत्नी टिकवा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पारवती बेवा फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रीतपाल पिता फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कृपाल पिता फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शिवकुमार पिता फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शिवकुमारी पुत्री फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संगीता पुत्री फूलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वृहस्पतिया पति सुकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कार्तिकराम पुत्री सुकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गीताबाई पुत्री सुकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चम्पाबाई पुत्री सुकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	200	4.950	2.307		खमेर-1, बबूल-12, बेर-25

99	प्रेमसिंह पिता गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/1/1	1.540			
100	प्रेमवती पिता गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/1/2	0.150			
101	अमरवती पुत्री गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/1/3	0.400			बबूल -3
102	सुखीराम पिता गोपाली जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/2/1/1	0.600			
103	संदीप पिता सुखीराम जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/2/1/2	0.600			
104	प्रियंका पुत्री सुखीराम जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/2/1/3	0.290			
105	संतकुमार पिता गोपाली जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/2/2	1.490			
106	प्रेमसिंह पिता गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/3	1.090			
107	संदीप पिता सुखीराम जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/4/1/1	0.200	2.199		
108	प्रियंका पुत्री सुखीराम जाति गोंडगों पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/4/1/2	0.250			
109	संतकुमार पिता गोपाली जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/4/2	0.450			
110	प्रेमसिंह पिता गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/5/1	0.960			
111	प्रेमवती पिता गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/5/2	1.050			
112	गजेंद्र पिता सुखीराम जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/6/1	0.660			
113	संतकुमार पिता गोपाली जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/6/2	0.660		कुंआ–1	बबूल-29
114	प्रेमसिंह पिता गिरवर सिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/7	1.750			बबूल-4, बेर-5
115	प्रेमवतीबाई पति हरिसिंह जाति गोंड पता खाम्ही डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/8/1/1	0.200			खमेर-1, बबूल-7

116	गजेंद्र पिता सुखीराम जाति गोंड पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/8/1/2	0.140			
117	प्रियंका पुत्री सुखीराम जाति गोंडर्गो पता खाम्ही मा- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/8/1/3	0.260			
118	संतकुमार पिता गोपालीजाति गोंडपता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेशभूमि स्वामी	203/8/2	0.400			
119	नंदूसिंह पिता दलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	204/1	0.180	0.180		
120	मनोजसिंह पिता दलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	204/2	0.180	0.180		खमेर-5, बबूल-5
121	शिलानन्द पिता दलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	204/3	0.360	0.360		
122	सहीशसिंह पिता दद्दुसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुनील पिता हरिसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जानकीबाई पुत्री दद्दुसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामवती पुत्री दद्दुसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205	0.610	0.610		खमेर-1, बबूल-5, बेर-4
123	धरमसिंह पिता रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चंद्रसिंह पिता रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	206	0.620	0.620		खमेर-3, बेर-5
124	सरवनसिंह पिता बुद्धसेन, लक्ष्मणसिंह पिता सुकालू, दीनाबाई पुत्री सुकालू, श्यामसिंह पिता बुद्धसेन, दसमाबाई पत्नी बुद्धसेन, महलीबाई पुत्री बुद्धसेन, शांतिबाई पुत्री सुकालू, भूतेबाई पुत्री सुकालू, लक्ष्मनिया पुत्री सुकालू, सेवसिंह पिता बुद्धसेन पता खाम्ही मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	207	2.060	0.444		छिवला-1, बबूल-1, बेर-1
125	टिकेश्वरसिंह पिता मगल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	211/2	3.430	1.373		अमरूद-2, आम-1, खमेर-7, बबूल-1, बेर-2, मुनगा-1, सीताफ्रूल-2

126	नंदलाल पिता भरवोसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	213	1.510	1.510	पक्का घर, पक्का टंकी, कच्चा घर छत सीमेंट शीट, पक्का फर्श, पक्का कालम, पक्का पानी टंकी,	उमर-1, खमेर-2, छिवला-1, बबूल-3, बेर-7
127	शोभाराम पिता गंगाराम जाति गॉड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सावित्री पुत्री गंगाराम जाति गॉड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	214/1	1.190	0.936		उमर-2, बबूल-3, बेर-5
128	सावनबाई बेवा सरवनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सरोज पुत्री सरवनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सगर पिता सरवनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयावती पुत्री सरवनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	214/2	1.200	0.442		आम-1, छिवला-1, बबूल-1, बेर-4
129	फुलमतिया बेवा जमादार जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] शिवप्रसाद पिता मंगलसिह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] टिकेश्वर पिता मंगलसिह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	215/1	0.920	0.860		बबूल-1
130	महेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सरस्वती बेवा नारेन्द्र सिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ज्ञानेश्वर पिता नारेन्द्र जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	215/2	0.920			बबूल-3, बेर-2
131	लालसिंह पिता भेरवासिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	216	1.520	1.520		केवलार-2, छिवला-1, बबूल-36, बेर-11

132	प्रेमसिंह पिता भेरवासिंह जाति गोंड पता खाम्ही मा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	217	1.690	1.690	-	आवला-2, जामुन-1, बबूल-30, बेर-9
133	रामकुमार पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	218/1	0.840	0.840	-	खमेर-1, बबूल-3, बेर-3
134	रमेश्वर पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	218/2	0.830	0.830	-	बेर-4
योग :–			145.650	66.560		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित्, प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंब की संख्या 01 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र विहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुदिया, कला, पी.म. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–52(अ–82) 2023–24–841

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सालिवाड़ा रैयत प.ह.नं. 31	42.863	35	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			42.863 हेक्ट		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी / शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकवा हे.	अर्जित रकवा हे.	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	बुधवरिया पति मुल्लू, दशरथ पिता गुलाब, सहबिन पुत्री गुलाब, जवाहर पिता मोतीलाल, इंद्रसिंह पिता गुलाब जाति गॉड डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	4.770	0.471	-	छिवला- 7
2	तीरथ पिता बाबूलाल पता चोरमाल डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामसिंह पिता बजागी पता चोरामाल डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुम्मल पत्नी बिझासिह पता चोरामाल डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12	5.270	0.216	-	-
3	उमरावसिंह पुत्र हरीसिंह पता सालीवाडा रैयत डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13	1.500	0.038	-	-

4	बिन्दाबाई बेवा उदयसिंह, राजकुमारी पुत्री उदयसिंह, रामकली पुत्री उदयसिंह, छोटू पिता उदयसिंह, चम्मेबाई पुत्री उदयसिंह, रघुवीर पिता उदयसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/1	1.350	2.694	-	शीशम-1, शोबबूल-24, आम-1, आवला-1, इमली-1, उमर-3, खमेर-3, खसी-1, छिवला-15, दोहन-1, धनकट1, नीबू-1, नीम-3, पिपल-2, बेर-1, बेल-1, मुनगा-1, लिड़ैया-21, लिप्टिस-4, साजा-1, सीताफल-5, सेम्हर-1, हर्रा-1
					पक्का घर-2 पक्की सीढ़ी- 26 पक्का फर्श-3 पक्का मंदिर-3 पक्की दिवाल, पक्काशौचालय	
	रघूवीर सिंह पिता उदयसिंह				पक्का मकान छत खपरेल-1	
	रघूवीर सिंह पिता उदयसिंह सुरेन्द्र पिता उमराव (कब्जेदार)				कच्चा घर छत खपरेल-1, पक्काचबूतरा-3	
5	रघुवीरसिंह पिता उदयसिंह जाति गॉड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/2	0.800		-	शोबबूल-17, उमर-1, खमेर-4, छिवला-20, तेन्दू-16, दोहन-1, बमूर-1, बांस-1, बेर-7, लिड़ैया-47, सफेद शीरस-2, साजा-1, हर्रा-1
6	छोटूसिंह पिता उदयसिंह जाति गॉड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/3	0.800		-	उमर-2, छिवला-6, लिड़ैया-6, सीताफल-1, सेम्हर-1
7	सोनवती बेवा बसोर , रायसिंह पिता बसोरी , रामसिंह पिता बसोरी , रामफली बेवा गंगासिह , दुर्गेश पुत्र गंगासिह , जगवती पुत्री गंगासिह , जमनी पुत्री सहदेव जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बरती पुत्री सहदेव जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17	2.950	1.392	-	छिवला-24 तेन्दू-4 बेर-2 लिड़ैया-14 सफेद शीरस-1 साजा-1 हड़वा-1

8	सुनारिन पुत्री कोपा सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समलू पिता पुनीराम जाति गोड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमकुमारी पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सोमती पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सरस्वती पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ओमबती पुत्री पुनीराम जाति गोंड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18	2.930	0.878	-	कंजी-2, खसी-2, छिवला-18, तेन्दू-1 नीम-8, रोरी-1, लिड़िया-11, साजा-1
9	शिवकुमार पिता बाबूलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19	3.110	2.853	-	शीशम-1,उमर-1,ककई-1, कटोरी-3,खमेर-1,छिवला-50,तिनसा-1,तेन्दू-3,नीम-5,बमूर-6,महानीम-2,रेला-2,लाभेर-1,लिड़िया-51,साजा-12,साल्हे-1,सेम्हर-3
10	सोनसिंह पिता महासिंह , मनोहर पुत्र बुद्धूसिंह , आशा पुत्री मदनसिंह , कृष्णकुमार पिता रमेश , गनपतिदेवी पुत्री बुद्धूसिंह , गह्वर पुत्र महासिंह , गोविन्द पुत्र महासिंह , तुलसी पुत्री बुधुसिंह , नरबदिया पुत्री महासिंह , परवतिया पुत्री महासिंह , बरसातीसिंह पुत्र बुद्धूसिंह , बैसखिया बेवा मदनसिंह , मोहनसिंह पुत्र बुद्धूसिंह , मीरा पुत्री बुद्धूसिंह , मनोरती पुत्री बुद्धूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] नानसिंह पिता नवलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21	3.330	2.056	-	शोबबूल-3,आम-1,उमर-4,कोशुम-3,खमेर-7,खसी-2,छिवला-30,तिनसा-13,तेन्दू-2,दोहन-1,धनकट-4,धवा-1,नीम-5,पड़री-2,बमूर-2,बांस-9,बेर19,मडरा-1,मुंढी-1,लाभेर-1,लिड़िया-25,सफेद शीरस-5, सरई-1,साजा-6,सेम्हर-2,हर्रा-2,हल्दू-1
11	सोनवती बेवा बसोरी , रामसिंह, रायसिंह पिता बसोरी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23	1.260	1.260	-	छिवला-7, तेन्दू-2, नीम-3, बेर-2, लिड़िया-1, सेम्हर-1

12	सोनवती बेवा बसोरी जाति गॉड पता भीलवाड़ा डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रायसिंह पिता बसोरी जाति गोड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रामसिंह पिता बसोरी जाति गोड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रामफली बेवा गंगासिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दुर्गेश पुत्र गंगासिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जगवती पुत्री गंगासिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जमनी पुत्री सहदेव जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बरती पुत्री सहदेव जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25	3.000	1.620	-	छिवला-10, नीम-2, बेर-3, महानीम-1, लिड़ैया-2
13	शिवराम पुत्र जेहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बलराम पुत्र जेहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/4	2.250	0.010	-	-
14	चुन्नू पिता धोकल पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रहलाद पिता धोकल पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रोहन पिता धोकल पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45	1.150	0.070	-	मुंढी-1, हथजोड़-1
15	बिसाहिनबाई बेवा कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी इन्द्रसिह पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कंधई पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दलसिह पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकुमार पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भागवती पुत्री कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी इंद्रवती पुत्री कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मेमवती पुत्री कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जयवती पुत्री कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरिचंद्र पुत्र भगवानदीन जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47	3.000	0.626	-	छिवला-1, लिड़ैया-2

16	बिसाहिनबाई बेवा कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी इन्द्रसिह पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कंधई पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दलसिह पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकुमार पुत्र कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भागवती पुत्री कवलसिह , इंद्रवती पुत्री कवलसिह , मेमवती पुत्री कवलसिह , जयवती पुत्री कवलसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरिचंद्र पुत्र भगवानदीन जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48	5.400	1.102	-	छिवला-8, बमूर-1, बेर-3, लिड़िया-3, सफेद शीरस-1
17	शिवकुमार पुत्र बाबूलाल , धन्नू पुत्र बाबूलाल जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमिया बेवा बाबूलाल जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फुलिया बेवा काशी जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शिवप्रसाद पुत्र काशी जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी इन्द्रवती पुत्री काशी जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जनिया बेवा घुटैया जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुखीदास पुत्र घुटैया जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/1	4.280	4.280	-	अमरूद-1, आम-1, छिवला-31, जामुन-1, तेन्दू-1, नीम-15, पड़री-1, पिपल-1, बमूर-19, बांस-2, बेर-6, महानीम-16, महिला-1, मुंढी-1, लिड़िया-17, सफेद शीरस-1, सीताफल- 2, सेम्हर-1, हर्रा-2
18	आशाबाई पति रामू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/2	0.300	0.300	-	ऊमर-1, कंजी-1, किरगी-1, कोशुम-1, खमेर-7, छिवला-1, बमूर-1, बेर-2, लिड़िया-1
19	ग्वालिन बेवा गिरवरसिंह , श्यामवती बेवा गिरवरसिंह , गणेश पुत्र गिरवरसिंह , दुर्गेश पुत्र गिरवरसिंह , अमरसिह पुत्र नैनसिह , गनपतिया बेवा भंवरसिह , सुमरिनसिंह पुत्र रामलाल , रतनिया पुत्री रामलाल , सिगरिया पुत्री रामलाल , नंदनी पुत्री सुरेंद्रसिंह, बेलवती पुत्री रामलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50	6.190	5.969	-	आम-1, औरा-1, कंजी-1, किरगी-1, छिवला-22, तिनसा-10, दोह्न-2, नीम-8, बमूर-1, बांस-1, बेर-1, महानीम-3, मैदा-1, लिड़िया-8, सीताफल-1, हड़वा-1, हर्रा-1

20	ग्वालिन बेवा गिरवरसिंह , श्यामवती बेवा गिरवरसिंह , गणेश पुत्र गिरवरसिंह , सुरेन्द्र पुत्र गिरवरसिंह , दुर्गेश पुत्र गिरवरसिंह , अमरसिह पुत्र नैनसिह , गनपतिया बेवा भंवरसिह , सुमरिनसिंह पुत्र रामलाल , रतनिया पुत्री रामलाल , सिगरिया पुत्री रामलाल , नंदनी पुत्री सुरेंद्रसिंह, बेलवती पुत्री रामलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51	3.380	3.380	-	शोबबूल-2, कंजी-2, कहुवा-2, किरगी-1, छिवला-17, नीम-5, पिपल-1, बमूर-4, बांस-2, बेर-11, लिड़ैया-6, सेम्हर-1, हर्रा-1
21	सुनारिन पुत्री कोपा सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समलू पिता पुनीराम जाति गोड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमकुमारी पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सोमती पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सरस्वती पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ओमबती पुत्री पुनीराम जाति गोंड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52	3.160	3.160	-	उमर-1, खमेर-1, छिवला-15, नीम-4, बमूर-2, बांस-2, बेर-19, लिड़ैया-20, सीताफल-6, हर्रा-1
22	चुन्नूए रोहनए प्रहलाद पिता धोकल पता नि. गार. सालीवाड़ा रै० भूमि स्वामी	53	2.130	0.525	-	
23	सुखियाबाई बेवा गुलाबसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गोविंदसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कमलवती पुत्री गुलाबसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] इन्द्रवती पुत्री गुलाबसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55/2	0.430	0.050	-	बेर-4
24	सुमरिन पुत्री फगुवा पता डिंडोरी मध्यप्र देश भूमि स्वामी	55/3	0.220	0.130	-	छिवला-1, नीम-1, लिड़ैया-3
25	सुशील कुमार पुत्र भंगी ति गोड पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55/4	0.220	0.129	-	आम-2, कंजी-3, छिवला-1, महुआ-1, लिड़ैया-9
26	बुधवरिया पति मुल्लू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दुलरिया पति नानसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84	2.200	2.026	-	छिवला-5, तिनसा-6, नीम-4, बेर-1, महानीम-1, लिड़ैया-24, सगोन-1

27	सुनारिन पुत्री कोपा सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समलू पिता पुनीराम जाति गोड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमकुमारी पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सोमती पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सरस्वती पुत्री पुनीराम पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ओमबती पुत्री पुनीराम जाति गोंड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85	4.560	0.020	-	
28	बुधवरिया पति मुल्लू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दुलरिया पति नानसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87	2.210	1.360	-	आम-1, उमर-1, छिवला-10, तिनसा-3, नीम-5, बमूर-1, महुआ-1, लिड़ैया-7, सफेद शीरस-1, साजा-1, सेम्हर-1, हर्रा-1
29	विंदाबाई पति उदयसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1	0.700	1.488	-	छिवला-2, नीम-1, महुआ-1, लिड़ैया-3
30	चम्मेबाई पुत्री उदयसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2	0.710		-	छिवला-5, नीम-1, हड़वा-2
31	राजकुमारी पुत्री उदयसिंह जाति गोंड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/3	0.710		-	नीम-2
32	रामकली पुत्री उदयसिंह जाति गोंड़ पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/4	0.710		-	शोबबूल-1,, छिवला-3, जामुन-2, बमूर-4
33	फगनी पति बाबूलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] फुल्लू पुत्र बाबूलाल पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गलियारो पुत्री बाबूलाल पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमवती पुत्री बाबूलाल पता सालीवाड़ा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/1	2.380	2.380	-	आम-1, छिवला-9, जामुन-1, नीम-8, बमूर-7, बेर-3, सेम्हर-1

34	रामसिंह पिता नंदू, टीकाराम पिता नंदू, अंतरसिंह पिता नंदू, रामप्यारी पुत्री नंदू, बैसखिया बेवा नंदू, सोनवती पुत्री नंदू जाति गॉड डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2	1.190	1.190	-	शोबबूल-10, उमर-2, खमेर-17, छियला-1, बमूर-5, बांस-1, बेर-4
35	सम्हर सिह पुत्री रामलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/3	1.190	1.190	-	शोबबूल-1, उमर-1, कौआ-2, खमेर-2, बमूर-4, बांस-1, बेर-3, सेम्हर-1
योग			79.740	42.863		

(2) उपरोक्त क्षेषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 04 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आबादी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–67(अ–82) 2023–24–842

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	विदयपुर रैयत प.ह.नं. 35	123.021	146	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			123.021 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	तीजोबाई बेवा शंकरसिंह जाति गोंड , जयसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड , दयासिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	177/1	2.800	1.510	-	बबूल-1, बेर-9, लिप्टिस-22
2	सामबाई बेवा सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] राजेश पिता सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कन्धीसिंह पिता सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	177/2	2.790		-	शोबबूल-2, आम-3, खमेर-11, छिवला-1, जामुन-1, बबूल-1, बांस-5, बेर-19, सगोन-3

3	गेन्दसिह पिता चमरा जाति गोड, सोनवती पुत्री चमरा जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/1	0.340	0.340	-	-
	दसियाबाई बेवा टीकाराम, चन्द्रवती पुत्री टीकाराम, इन्द्रवती पुत्री टीकाराम, चम्पा पुत्री टीकाराम, चमेली पुत्री टीकाराम, विरसा पुत्री टीकाराम, अवंती पुत्री टीकाराम जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/2	0.340	0.340	-	-
	धन्नू पिता छत्तर जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/3	0.340	0.340	-	-
	नोहरसिंह पिता मानसिंह, तिवरिया बाई बेवा मानसिंह, मुकेश पिता मानसिंह, भादूसिंह पिता मानसिंह, भदीबाई पुत्री मानसिंह, ज्ञानसिंह पुत्री मानसिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/4	0.340	0.340	-	-
4	सुखमतबाई बेवा कहरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मानसिंह पिता कहरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भानवती पुत्री कहरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	179/1	0.310	0.203	-	-
5	छोटेसिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मायावती पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुघरू सिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बोधी सिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	179/2	0.310	0.029	-	-
6	गंगियाउर्फ़गंगावती पुत्री दम्मी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181	8.890	7.317	-	बबूल-2
	पहलु कब्जेदार				-	जामुन-2, नीम-3, बबूल-1, लभेर-1
	भादू मान सिंह कब्जेदार				-	नीम-1, बबूल-1, बेर-3
	गैंद सिंह कब्जेदार				-	नीम-1, बेर-1
7	जमनीबाई पुत्री सुनवा जाति गोड़, दालसिंह पिता अघनू, शिववती पुत्री अघनू, तिहरियाबाई पुत्री अघनू, प्रह्लादसिंह पिता गंगासिंह, सुशीलाबाई पुत्री गंगासिंह, सेमवतीबाई पुत्री गंगासिंह, रेवासिंह पिता सुनवा, चन्द्रवती पुत्री सुनवा, नरवदिया पुत्री सुनवा, कलाबती पुत्री सुनवा जाति गोड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182	3.040	3.040	-	बबूल-3, बेर-10

8	गुलाबसिंह पिता बल्लार सिंह जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जुलाबसिंह पिता बल्लार सिंह जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्यारे पिता बल्लार सिंह जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/1	0.830	0.830	-	बबूल-3, बेर-2
9	भदियाबाई पिता दसरू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/2	0.830	0.830	-	बेर-15, शिशम-1
10	दसरू पिता आधार जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/3	0.030	0.030	-	बबूल-3, बेर-10
11	तितरालाल पिता सुनैयालाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	184	2.850	2.850	-	उमर-2, खमेर-2, खसी-1, बबूल-17, बेर-10, मैदा-1
12	बसन्ती पति बीरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185	0.120	0.120	-	बबूल-10
13	तीजोबाई बेवा शंकरसिंह जाति गोंड , जयसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड , दयासिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/1/1	0.590	0.590	-	बबूल-3, बेर-2
14	सामबाई बेवा सोनसिंह जाति गोंड , राजेश पिता सोनसिंह जाति गोंड , कन्धीसिंह पिता सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/1/2	0.590	0.590	-	
15	बैसाखू पिता अलवैला , सुशीलाबाई बेवा प्रेमसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/2	1.190	1.190	-	बेर-6
16	तिलोकसिंह पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/1	0.730	0.730	-	बबूल-4, बेर-4
17	रामसिंह पिता मंगलसिंह , बजरू पिता मंगलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/2	0.730	0.730	-	खमेर-1, छिवला-1, बबूल-1, बेर-13
18	गुलाब पिता पुहपलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/3	0.730	0.730	-	बबूल -6
19	दुरपत पिता पुहुपलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/4	0.720	0.720	-	छिवला-1, बेर-7
20	मिटठूसिंह पिता बरतू , फुन्दीलाल पिता बरतू पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गजराज पिता हेमसिंह पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] फूलसिंह पिता बरतू पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]प्रेमसिंह पिता बरतू पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	188/1	0.010	0.010	-	-

21	हीरासिंह पिता छोटासिंह नंदकुमार चमेली कपूरा सेमवती समलिया पिता हीरासिंह जाति गोंड भूमि स्वामी	188/2	0.260	0.260	-	-
22	सुन्दरसिंह पिता दुलपसिंह, फुलवरिया पुत्री दुलपसिंह, ओमवती पुत्री दुलपसिंह, सोमवती पुत्री दुलपसिंह, जाति गोंड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	188/3	0.440	0.440	-	बबूल-7, बेर-4, सफेद शीरस-1
23	मानसिंह पिता केहरसिंह जाति गोंड पता विदयपुर डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	189	0.910	0.910	-	बबूल-8, बेर-1
24	सुखमतबाई बेवा कहरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मानसिंह पिता कहरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भानवती पुत्री कहरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190/1	0.490	0.490	-	खमेर-2, पिपल-1, बबूल-9, बेर-2
25	हीरासिंह पिता छोटा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190/2	0.480	0.480	-	बबूल- 4
26	छोटेसिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]सुघरू सिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मायावती पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बोधी सिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190/3	0.480	0.480	-	खमेर-1, खसी-1, नीम-1, बबूल-3, बेर-1, सीताफल-2
27	गोपालसिंह पिता दसरू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]अमृतसिंह पिता दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]रतनसिंह पिता दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]चंद्रसिंह पिता दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]मंगलिया पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बुधनीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]रतनीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] फगनीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एछीताबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] वृहस्पतीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	191	1.960	1.960	-	उमर-5, खमेर-2, बबूल-8, बेर-13, मेंहदी-1, साजा-1, सेम्हर-1
28	तीजोबाई बेवा शंकरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जयसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयासिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/1	0.460	0.460	-	बबूल-2, बेर-3

29	सामबाई बेवा सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] राजेश पिता सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कन्धीसिंह पिता सोनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/2	0.470	0.470	-	खमेर-5, बबूल-8, बेर-7, बेल-1
30	हीरासिंह पिता छोटासिंह नंदकुमार चमेली कपूरा सेमवती समलिया पिता हीरासिंह जाति गोंड भूमि स्वामी	193	0.960	0.960	-	नीम-2, बेर-1, सफेद शीरस-1, सेम्हर-1
31	परसूसिंह पिता रमलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]सोनसिंह पिता रमलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	194	0.840	0.840	-	उमर-2, बबूल-6, बेर-2
32	छोटेसिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुधरू सिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मायावती पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बोधी सिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	195/1	0.710	0.710	-	खमेर-1, बबूल-5, बेर-2, लिप्टिस-1
33	सुखमतबाई बेवा कहरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मानसिंह पिता कहरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भानवती पुत्री कहरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	195/2	0.710	0.710	-	बबूल-1, बेर-30, लिप्टिस-1, सफेद शीरस-1
34	हीरासिंह पिता छोटा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	195/3	0.710	0.710	-	उमर-1, बबूल-3, बेर-28, लभेर-4
35	कलावती पत्नी सुन्दरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/1	0.610	0.610	-	नीम-2, बबूल-8, बेर-2, महानीम-1
36	अनीताबाई बेवा रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रदीप पिता रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] तारेन्द्र पिता रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] अर्चना पुत्री रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रियंका पुत्री रायसिंह चारो ना बली माँ अनीता बाई जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/2	1.800	1.800	-	खमेर-5, जामुन-2, बबूल-11, बेर-22, सफेद शीरस-1, सेम्हर-1
37	अनूप पिता सोनसिंह पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]3 अनिल पिता सोनसिंह पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]3 द्रोपती पुत्री सोनसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	199	2.200	2.200	-	खमेर-1, नीम-1, बबूल-13, बेर-32

38	आनन्दसिह पिता मधई जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]चन्द्रभान पिता मधई जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समारूसिह पिता मधई जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लल्लासिह पिता मधई जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	200/1	1.130	1.130	-	बबूल-2, बेर-7
39	अमरसिंह पिता खेमासिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	200/2	1.120	1.120	-	बबूल-1
40	सिरझू पिता लम्मा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	201/1	0.320	0.320	-	
41	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	201/2	0.200	0.200	-	-
42	सिरझू पिता लम्मा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	201/3	0.480	0.480	-	खमेर-6, बबूल-9, बेर-10
43	श्रीवति पुत्री गह्वर जाति गोंड , जगत पिता आनंद जाति गोंड , लोंगवती पुत्री आनंद जाति गोंड ,जवाहरसिंह पिता गह्वर जाति गोंड , सोमवती पुत्री गह्वर जाति गोंड ,बृहस्पतिया पति आनंद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जोहरसिंह पिता गह्वर जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]भगत पिता आनंद पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	202	2.400	2.224	-	खमेर-1, बबूल-11, बेर-29, लभेर-1, साजा-1
44	गोपालसिंह पिता दसरू ,अमृतसिंह पिता दसमा ,रतनसिंह पिता दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,चंद्रसिंह पिता दसमा ,मंगलिया पुत्री दसमा , बुधनीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रतनीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]फगनीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]छीताबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]वृहस्पतीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203	1.720	0.084	-	बबूल-3
45	शिवराम पिता समारू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	204/1	0.950	0.518	-	बबूल-14, बेर-13

46	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	204/2	0.080	0.080	-	बेर-1
47	शिवराम पिता समारू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/1	0.150	0.018	-	
48	केहरलाल पिता सुकलू , फुलमतिया पुत्री सुकलू ,नानबाई पुत्री सुकलू , ननसीबाई पुत्री सुकलू ,हंशीबाई पुत्री सुकलू , सविताबाई पुत्री सुकलू , गीताबाई पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/2	0.700	0.670	-	बबूल-10, बेर-10
49	लमिया बेया धनसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/3	1.120	1.120	-	खस्सी-1, बबूल-1, बेर-5
50	जानकी पति शंकरलाल, सुनील यादव पिता शंकरलाल, सोनम यादव पिता शंकरलाल, रामगनेश पिता बाबूलाल, जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/4	0.300	0.051	-	-
51	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर , श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर ,कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर , श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/5	0.400	0.220	-	नीम-2, बबूल-1
52	बजराहिन पिता हरिलाल जाति अहीर , बीछा बाई पिता हरिलाल जाति अहीर , सविसिया पिता हरिलाल जाति अहीर , अमरलाल पिता नान्हू जाति अहीर , सेमकली पत्नी गुलाब जाति अहीर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/6/1	1.480	2.230	-	-
53	सुक्को बाई बेवा जेठू जाति अहीर , देववती पुत्री जेठू जाति अहीर , रानू नावा पुत्री देवेंद्र जाति अहीर , बुधवरिया पुत्री धन सिंह जाति अहीर , मंगलिया पुत्री धन सिंह जाति अहीर , भगवतिया पुत्री धन सिंह जाति अहीर पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/6/2	0.300		-	-
54	मायाराम पिता मानसिंह जाति अहीर , कोदूराम पिता मानसिंह जाति अहीर , कौशल्या पुत्री मानसिंह जाति अहीर पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समलिया पिता मानसिंह जाति अहीर पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/6/3	0.300		-	बबूल-4, बेर-2
55	प्रह्लाद पिता भगवत जाति अहीर पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	205/6/4	0.300		-	बबूल-5, बेर-2

56	सुक्कोबाई पत्नी जेठूलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	206/1	0.250	0.189	-	-
57	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	206/2	0.120	0.120	-	-
58	महाबाई बेवा पुहपलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	207/1	0.800	0.701	-	-
59	रामसिंह पिता मंगलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बजरू पिता मंगलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	207/2	0.150	0.150	-	खमेर-2, नीम-1, बबूल-4, बेर-1
60	गोमतीबाई पुत्री ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]जानकी पुत्री ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]शांति पुत्री ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कोमलसिंह पिता ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	208	2.530	2.530	-	बबूल-1, बेर-3
61	सध्दो बाई पति इन्दलसिंह पता बिदयपुर रै-डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	209/1	0.210	0.210	-	
62	सोनसिंह पिता इंदलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	209/2	1.800	1.800	-	बबूल-5, बेर-18, महानीम-6
63	केहरलाल पिता सुकलू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]फुलमतिया पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] नानबाई पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ननसीबाई पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एहंशीबाई पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सविताबाई पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गीताबाई पुत्री सुकलू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210/1	1.550	1.550	-	शोबबूल-1, उमर-1, खमेर-1, नीम-1, बबूल-19, बेर-13
64	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210/2	1.560	1.560	-	उमर-2, खमेर-1, बबूल-16, बेर-11

65	जानकी पति शंकरलाल, सुनील यादव पिता शंकरलाल, सोनम यादव पिता शंकरलाल, रामगनेश पिता बाबूलाल जाति अहीर पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210/3/1	0.890	0.890	-	बबूल-12, बेर-2
66	लवलप्रीत कौर पति गुरुदेव सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210/3/2	0.670	0.670	-	-
67	सध्दो बाई पति इन्दलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213	4.670	4.670	-	उमर-2, कंजी-1, बबूल-52, बेर-27
68	कमलीबाई पत्नी तितरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	214	0.530	0.530	-	इमली-1, खमेर-4, नीम-1, बबूल-10, बांस-1, बेर-30, लिप्टिस-43
69	सोहनसिंह पिता टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	215/1	1.040	1.040	-	उमर-2, खमेर-2, बबूल-28, बेर-13
70	कमलीबाई पत्नी तितरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	215/2	0.070	0.070	-	-
71	मदनसिंह पिता उमरावसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लखनसिंह पिता उमरावसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] उर्मिलाबाई पुत्री उमरावसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] निर्मिलाबाई पुत्री उमरावसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	216	0.330	0.330	-	बबूल-1, बेर-4
72	कातिकराम पिता पूरन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	218/1	0.940	0.940	-	बबूल-10, बेर-18
73	महेन्द्रलाल पिता पूरनलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	218/2	0.600	0.600	-	नीम-1, बबूल-4, बेर-7
74	गौतमलाल पिता पूरनलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	218/3	0.600	0.600	-	इमली-1, खसी-1, बबूल-25, बेर-9
75	गुरुदेवसिंह पिता निधानसिंह जाति सिक्ख पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	219	3.500	3.500	पक्का मकान छत सीमेंट शीट, पक्का फर्श-2 कंक्रीट पेडस्तल, बोरबेल-1	अनार-80, उमर-9, खमेर-7, छिन्दी-1, नीम-2, बबूल-15, बेर-38
76	गंगियाउर्फ़गंगावती पुत्री दम्मी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/1	0.850	0.850	-	-
77	सोनिया पत्नी सरवनसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/2	0.800	0.800	-	बबूल-23, बेर-17

78	गेन्दसिह पिता चमरा, सोनवती पुत्री चमरा जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	221/1	0.400	0.400	-	उमर-1, बबूल-3, बेर-15
	दसियाबाई बेवा टीकाराम, चन्द्रवती पुत्री टीकाराम, इन्द्रवती पुत्री टीकाराम, चम्पा पुत्री टीकाराम, चमेली पुत्री टीकाराम, विरसा पुत्री टीकाराम, अवंती पुत्री टीकाराम जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	221/2	0.400	0.400	-	
	धन्नू पिता छत्तर, जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	221/3	0.400	0.400	-	
	नोहरसिंह पिता मानसिंह, तिवरिया बाई बेवा मानसिंह, मुकेश पिता मानसिंह, भादूसिंह पिता मानसिंह, भदीबाई पुत्री मानसिंह, ज्ञानसिंह पुत्री मानसिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	221/4	0.400	0.400	-	
79	तिलोकसिंह पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/1	0.400	0.400	-	उमर-1, खमेर-2, नीम-1, बेर-15
80	रामसिंह पिता मंगलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बजरू पिता मंगलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/2	0.400	0.400	-	उमर-1, खमेर-3, बबूल-6, बेर-35
81	गुलाब पिता पुहपलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/3	0.400	0.400	कुंआ-1	जामुन-3, बबूल-7, बेर-49, लिप्टिस-1, सगोन-2
82	दुरपत पिता पुहुपलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/4	0.400	0.400	-	खमेर-1, बबूल-10, बेर-36, रेला-1
83	लमियाबाई बेवा शिवराज जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	223/1	0.460	0.460	-	बेर-21
84	सम्हरसिंह पिता शिवराज पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	223/2	0.470	0.470	-	खमेर-4, नीम-1, बबूल-2, बेर-5
85	प्रेमसिंह पिता शिवराज पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	223/3	0.460	0.460	-	खमेर-12, खसी-1, नीम-1, बबूल-7, बेर-25
86	परवतियाबाई पत्नी तितरासिंह ,संतोष पिता तितरासिंह , ओमप्रकाश पिता तितरासिंह ,गुलाववती पुत्री तितरासिंह , फूलवती पुत्री तितरासिंह पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुशमा पुत्री तितरासिंह पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	223/4	0.460	0.460	-	उमर-1, खमेर-7, बबूल-5, बेर-20

87	कातिकराम पिता ननसू पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	223/5	0.460	0.460	-	उमर-3, खमेर-4, नीम-1, बबूल-1, बांस-2, बेर-36
88	तितरासिंह पिता लालसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	224/1	1.130	0.543	-	नीम-1, बबूल-4, बेर-1
89	प्रकाशसिंह पिता लालसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	224/2	1.130		-	
90	पुष्पाबाई पुत्री गुलाब ,कुंवरियाबाई पुत्री गुलाब , इंदूबाई पुत्री गुलाब , छोटीबाई पत्नी गुलाब पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225/1	0.300	0.010	-	-
91	जानकी पति शंकरलाल, सुनील यादव पिता शंकरलाल, सोनम यादव पिता शंकरलाल, रामगनेश पिता बाबूलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225/2	0.400	0.364	-	बबूल-5
92	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर , श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295	0.780	0.010	-	बेर-3
93	नगमतिया पुत्री रूपसिंह जाति गोंड ,तुलसीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , कुन्तीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , बुध्दी पुत्री ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	297/1	1.930	0.462	-	-
94	गोमतीबाई पुत्री ललसी जाति गोंड , जानकी पुत्री ललसी जाति गोंड , शांति पुत्री ललसी जाति गोंड , कोमलसिंह पिता ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	297/2	1.930		-	बेर-2
95	प्रेमसिंह पिता रूपसिंह जाति गोंड ,तितरा पिता रूप सिंह जाति गोंड , केरीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गनसी पुत्री रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गिरजा पुत्री रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]वृहस्पतिया पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , जीतसिंह पिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लाला पिता रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]गुडिया पुत्री रूप सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298	3.140	2.229	-	उमर-2, खमेर-2, जामुन-2, बबूल-5, बहेड़ा-1, बांस-1, बीजा-1, बेर-34

96	तितरासिंह पिता लालसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	299/1	1.020	1.020	-	खमेर-1, बबूल-9, बेर-22
97	प्रकाशसिंह पिता लालसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	299/2	1.020	1.020	-	बबूल-4, बेर-3
98	कुंदनसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड , राधेसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड ,इंद्रवती पुत्री फूलसिंह जाति गोंड , सुमन्त्री पुत्री फूलसिंह जाति गोंड , तितरीबाई पुत्री फूलसिंह जाति गोंड , बजरीबाई बेवा मंधईसिंह , आनन्दसिंह पिता मंधईसिंह , चन्द्रभानसिंह पिता मंधईसिंह , समारू पिता मंधईसिंह , लल्लासिंह पिता मंधईसिंह अमरसिंह पिता खेमा अजमेरसिह पिता खेमा पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	300/1	2.680	1.634	-	बबूल-2, बेर-5
99	हरिलाल पिता गुहरू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	300/2	0.650	0.650	-	बेर-3
100	चैती बेवा लालसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	301	0.100	0.100	-	खमेर-1, बबूल-8, बेर-12
101	हरिलाल पिता गुहरू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302	0.400	0.400	कुंआ-1	आम-1, खमेर-5, बबूल-3, बेर-28, सीताफल-1
102	मदनसिंह पिता उमरावसिंह जाति गोंड ,लखनसिंह पिता उमरावसिंह जाति गोंड ,उर्मिलाबाई पुत्री उमरावसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] निर्मिलाबाई पुत्री उमरावसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	303	1.410	1.410	-	शोबबूल-1, अनार-1, अमरूद-12, आम-1, खमेर-4, जामुन-3, नीबू-1, बबूल-1, बेर-11, लिप्टिस-36, सीताफल-1
	मदनसिंह पिता उमरावसिंह (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का मकान छत सीमेंट शीट-2, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का शौचालय, कुंआ-1	-
103	कवलसिंह पिता टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	304	1.000	1.000		बबूल-5, बेर-6, लिप्टिस-1
104	नगमतिया पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , तुलसीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , कुन्तीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , बुध्दी पुत्री ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	305/1	2.540	2.540	-	-

105	गोमतीबाई पुत्री ललसी जाति गोंड ,जानकी पुत्री ललसी जाति गोंड ,शांति पुत्री ललसी , कोमलसिंह पिता ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	305/2	1.230	1.230	-	-
106	राजेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	306	1.560	1.560	-	-
107	कातिकराम पिता पूरन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/1	1.360	1.360	पक्का मकान छत सीमेंट शीट, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का घर , पक्का शौचालय	शोबबूल-17, अमरूद-7, आम-4, कंजी-1, खमेर-6, नीबू-1, बबूल-2, बांस-4, बेर-7, लिप्टिस-20, सगोन-3, सीताफल-4,
108	नरबदिया बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/2/1/1	0.13	0.13	-	शोबबूल-4, अमरूद-2, आम-2, केवलार-10, खमेर-10, पिपल-1, फनेल-2, बबूल-1, बांस-3, बेर-12, बेल-1, महुआ-2, मुनगा-1, लिप्टिस-14, सीताफल-6
	श्यामवती पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/2/1/2	0.13	0.13	-	
	चमेली बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/2/1/3	0.13	0.13	-	
	पार्वती बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/2/1/4	0.13	0.13	-	
	मनोहरलाल पिता लालसाय जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/2/1/5	0.13	0.13	-	
	दिलीप कुमार पिता मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308/2/1/6	0.15	0.15	-	
109	प्रेमवती बेवा पूरनलाल, गौतमलाल पिता पूरनलाल, महेन्द्रलाल पिता पूरनलाल, तीरथबाई पुत्री पूरनलाल, तीरथबाई पुत्री पूरनलाल	308/2/2	0.400	0.400	पक्का घर-3 कच्चा घर छत खपरेल-3, कच्चा गौशाला छत खपरेल, पक्का शौचालय-2, पक्का फर्श,	शोबबूल-26, अनार-1, अमरूद-2, आम-7, इमली-1, खमेर-8, नीबू-1, बबूल-1, बांस-2, बेर-2, महुआ-1, लिप्टिस-60, सीताफल-19

	यादेलाल पिता दादूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		0.060	0.060	-	शोबबूल-5, अमरूद-1, खमेर-1, फनेल-2, बांस-5, बेर-2, महानीम-3, लिप्टिस-23
	बजारी लाल पिता भैया लाल कब्जेदार				-	शोबबूल-2, खमेर-4, नीम-1, बहेड़ा-1, बेर-1, मुनगा-1, लिप्टिस-27
110	हरिचरण पिता दादू लाल कब्जेदार	309/1			-	शोबबूल-3, अमरूद-3, आम-3, खमेर-4, छिवला-1, बबूल-1, बांस-11, रेला-1, लिप्टिस-29
	यादेलाल पिता दादूलाल (मुखिया) सुखराम पिता यादेलाल (पुत्र) कोमलनंदा पिता यादेलाल (पुत्र)				पक्का घर, पक्का मकान छत खपरेल, बोंड्री बाल पक्का, पक्का शौचालय-2, पक्का फर्श	-

	पार्वती बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/2/1	0.030	0.030		
	चमेली बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/2/2	0.030	0.030		
	श्यामवती पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/2/3	0.030	0.030		
111	मनोहरलाल पिता लालसाय जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/2/4	0.030	0.030	कच्चा घर छत खपरेल-4, बोंड्री बाल पक्का-2, पक्का शौचालय, पक्का मकान छत खपरेल, पक्का मकान छत सीमेंट शीट, पक्का फर्श	शोबबूल-2, अमरूद-8, आम-6, आवला-1, - कठल-1, खमेर-10, बबूल-1, बांस-2, बेल-2, महुआ-1, मुनगा-1, मोहानी-1, लिप्टिस-4, सीताफल-14
	दिलीप कुमार पिता मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/2/5	0.030	0.030		
	नरबदिया बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/2/6	0.030	0.030		
112	चमरू पिता सोनू (मकान मालिक)	310/1			पक्का मंदिर, पक्का फर्श, पक्का मकान छत खपरेल	-
	चमरू पिता सोनू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भगवनिया पुत्री सोनू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		2.560	4.262	-	खमेर-4, नीम-2, बेल-1, महानीम-2, सीताफल-9
113	लक्ष्मीबाई पत्नी धर्मेंद्रधुर्वे जाति गोंड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	310/2	6.400		-	
114	माधोसिंह पिता धोकल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मवलसिंह पिता धोकल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चरनसिंह पिता धोकल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सोमबती पुत्री माधो सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	311	1.210	0.932	-	-

115	आनन्दसिह पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चन्द्रभान पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समारूसिह पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लल्लासिह पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/1	0.300	1.216	-	खमेर-1, बबूल-2, बेर-8, लिप्टिस-11
116	आनन्दसिह पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चन्द्रभान पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] समारूसिह पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लल्लासिह पिता मधई जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/2	0.300		-	
117	अमरसिंह पिता खेमासिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/3	0.300		-	बबूल-1, बेर-4
118	अजमेरसिंह पिता खेमा जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/4	0.300		-	बेर-7
119	कुंदनसिंह पिता फूलसिंह जाति गॉड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] राधेसिंह पिता फूलसिंह जाति गॉड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] इंद्रवती पुत्री फूलसिंह जाति गॉड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुमन्त्री पुत्री फूलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] तितरीबाई पुत्री फूलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	313	0.160	0.160	-	आम-1, जामुन-1, बबूल-3, बेर-7, लिप्टिस-33
120	हरिलाल पिता गुहरू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	314	0.200	0.200	-	-
121	दिलीप कुमार पिता मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	315/1	1.840	0.593	-	उमर-1, खमेर-1, बबूल-3, बेर-11
	चमेली बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	315/2	0.070		-	
	पार्वती बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	315/3	0.080		-	
	Pitu	315/4	0.070		-	

	श्यामवती पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
	नरबदिया बाई पुत्री मनोहरलाल जाति ढीमर पता बिदयपुर रै डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	315/5	0.070		-	
122	भानवती बेवा लालमेन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कलीबाई पुत्री लालमेन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गनपतीबाई पुत्री लालमेन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] तीजोबाई पुत्री लालमेन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बसन्तीबाई पुत्री लालमेन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] शिवकुमारी पुत्री लालमेन जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	318	0.220	0.220	-	बबूल-4, बेर- 5
123	सेमसिंह पिता पनकू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] लम्मा पिता पनकू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गेंदसिंह पिता पनकू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] इदरसिंह पिता पनकू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	319	0.690	0.090	-	जामुन-1, बबूल-4, बेर-6
124	नरबदिया पत्री लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सूरतसिह पिता लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ललता पुत्री लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रेवावती पुत्री लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	331/1	0.200	0.561	-	खमेर-2, तिनसा-1, बबूल-3, बेर-43
125	पियरसिंह पिता डुमरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कलावती पुत्री डुमरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	331/2	0.200		-	
126	भगवतसिंह पिता झामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भगवनिया पुत्री झामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भगवतिया पुत्री झामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	331/3	0.440		-	

127	नरबदिया पत्नी लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]सूरतसिह पिता लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ललता पुत्री लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]रेवावती पुत्री लामूसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	331/4	0.240		-	
128	जानकी पति शंकरलाल, सुनील यादव पिता शंकरलाल, सोनम यादव पिता शंकरलाल, रामगनेश पिता बाबूलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	332/1	2.000	2.000	-	-
129	कोमल पिता मंगल, श्री चंद , कमलवती, श्रीवती (मकान मालिक)	332/2			पक्का मंदिर, पक्का फर्श, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा घर छत सीमेंट शीट, पक्का चबूतरा	-
	कोमललाल पिता मंगल जाति अहीर , श्रीचँद पिता मंगल जाति अहीर पता बिदयपुर रै- , कमलवती पुत्री मंगल जाति अहीर , श्रीवती पुत्री मंगल जाति अहीर पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		1.990	1.990	-	-
130	पुहुपलाल पिता भरोसा , शांतिबाई बेवा भरोसा जाति लुहार पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	333/1	1.140	0.736	-	-
131	दुर्गाबाई बेवा पूना जाति लुहार , दिनेश पिता पूना जाति लुहार , कमलवतीबाई पुत्री पूना जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] खमियाबाई पुत्री पूना जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	333/2	1.140		-	नीम-1, पिपल-3
132	लम्बूलाल पिता असडू जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गोलाबाई पुत्री असडू जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	333/3	1.130		-	बेर-1
133	नगमतिया पुत्री रूपसिंह जाति गोंड ,तुलसीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , कुन्तीबाई पुत्री रूपसिंह जाति गोंड , बुध्दी पुत्री ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	339/1/1	1.270	0.437	-	-
134	गोमतीबाई पुत्री ललसी जाति गोंड , जानकी पुत्री ललसी जाति गोंड ,शांति पुत्री ललसी जाति गोंड , कोमलसिंह पिता ललसी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	339/1/2	1.260		-	

135	सूरतसिंह पिता चेतसिंह पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुगंतीबाई पुत्री चेतसिंह पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	339/2	0.800		-	पिपल-1
136	रामलाल पिता सुखवा जाति गोंड , मनिहारोबाई बेवा शोभेलाल जाति गोंड ,लल्लूसिंह पिता शोभेलाल जाति गोंड , दल्लूसिंह पिता शोभेलाल जाति गोंड , रायसिंह पिता शोभेलाल जाति गोंड , कौशिल्याबाई पुत्री शोभेलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	340	2.210	0.284	-	बेर-12
137	लमियाबाई पत्नी बजरहा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	341	1.550	1.388	कुंआ-1	शीशम-1, शोबबूल-1, आम-2, उमर-3, कंजी-6, खमेर-6, जामुन-4, नीम-2, फनेल-7, बबूल-3, बेर-126, लिप्टिस-1, सीताफल-1, सेम्हर-1
138	रामसिंह पिता भीखम , भारत पिता भीखम ,रामकली पुत्री भीखम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	342	0.420	0.218	-	उमर-1, खमेर-4, जामुन-3, बबूल-4, बेर-42
139	कुंदियाबाई पत्नी ईश्वरसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	343	0.360	0.035	--	बबूल-1, बेर-8
140	सुरेन्द्रसिह पिता जैनसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	344/1	0.500	0.466	-	बेर-12
141	दिवसियाबाई पत्नी विशनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	344/2	0.550		-	उमर-3, बबूल-3, बेर-2
142	भागवती पुत्री डुमरा जाति गोंड ,फगनी पुत्री डुमरा जाति गोंड , श्रीवति पुत्री डुमरा जाति गोंड , लामूसिंह पिता डुमरा जाति गोंड , भागरती पुत्री डुमरा जाति गोंड , सतुलिया पत्नी डुमरा जाति गोंड , सुफलसिंह पिता डुमरा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	345	0.540	0.540	-	उमर-1, कंजी-1, खमेर-4, जामुन-2, बबूल-2, बेर-60
143	गोपालसिंह पिता दसरू ,अमृतसिंह पिता दसमा ,रतनसिंह पिता दसमा , चंद्रसिंह पिता दसमा , मंगलिया पुत्री दसमा , बुधनीबाई पुत्री दसमा , रतनीबाई पुत्री दसमा , फगनीबाई पुत्री दसमा , छीताबाई पुत्री दसमा , वृहस्पतीबाई पुत्री दसमा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी Ritu	346	0.170	0.170	-	शोबबूल-5, इमली-1, खमेर-3, बबूल-4, बेर-51, महुआ-1, मैदा-3, लभेर-1

144	सियावती बेवा धन्नू जाति गॉड हिरौंदियाबाई पुत्री धन्नू जाति गॉड . शिववती पुत्री धन्नू , जाति गॉड , मंगलसिंह पिता टिकवा जाति गॉड .तिलका पुत्री फूलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]लमिया पुत्री फूलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी]दसमा पुत्री फूलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	347	1.930	1.897	-	उमर-7, खमेर-3, नीम-1, बबूल4, बेर-49
145	मोतीसिंह पिता स्च माहु जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रघुवीर पिता माहूसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348	2.640	2.640	--	उमर-2, खमेर-2, बबूल-5, बेर-14, सफेद शीरस -1
146	विजयसिंह पिता केहरसिंह , गंगासिंह पिता सुखना, पतिसिंह पिता सुखना, रजनसिंह पिता गैंदसिंह, बृहस्पतिबाई पिता शोभा, मंगलियाबाई पिता अमरसिंह, लमियाबाई पिता अमरसिंह, सोनवती पिता शोभा, सुहागवती पिता शोभा, हन्नुसिंह पिता केहरसिंह] गनपतिबाई पिता सुखना] श्यामाबाई पिता सुखना] मोहनसिंह पिता सुखना] सम्हरसिंह पिता गैंदसिंह] रामकली पुत्री केहरसिंह जाति गॉड पता बिदयपुर रै- डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	349	3.300	3.300	-	तेन्दू-1, बबूल-11, बरगद-1, बेर-2
147	हरिचरण पिता दादूलाल (मकान मालिक)	309/3			पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, पक्का शौचालय	-
148	भानवती पति लालमेन कलीबाई, गनपतीबाई, तीजोबाई, बसंती बाई , शिवकुमारी (मकान मालिक)	309/4			पक्का घर, पक्की सीढ़ी, कच्चा घर छत खपरेल-3, बौंड़ी बाल पक्का, पक्का फर्श, पक्का शौचालय,	-
	योग		156.790	123.021		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 29 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

पटवारी

ग्राम–भुड़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू–अर्जन–2023–24–33(अ–82) 2023–24–843

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सक्का माल प.ह.नं. 38/76 (सक्का)	27.830	52	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	27.830		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	श्रीवती पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललित पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललितकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धर्मेन्द्रकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धोकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, श्रीवती पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	3	0.220	0.101	-	-
2	रामफूल पिता नंदूलाल जाति कोल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शम्भू पिता नंदूलाल जाति कोल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	5	0.150	0.150	-	बेर 2, मैदा 1, साजा 1,
3	प्रतापसिंह पिता बिसरु पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	6	0.170	0.170	-	खमेर 1, बेर 8
4	नंदलाल पिता भालू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	7	0.160	0.160	-	इमली 1, उमर 1, खमेर 4, छिवला 1, बेर 2,

5	रामसिंह पिता मोतीसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	8/1	0.370	0.370	कच्चा मकान-2, चबूतरा पक्का-1, कुआँ -2	उमर 2,कंजी 2, केवलार 1, खमेर 8, बबूल 2, बेर 18, सोबबूल 3,
6	पुहपसिंह पिता मोती सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	8/2	0.370	0.370	कच्चा मकान-2	खमेर 1, बेर 24, सोबबूल 6,
7	रमैयसिंह पिता मोती सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	8/3	0.460	0.460	कच्चा मकान-1	अमरुद 25, कंजी 1, कौआ 1, खमेर 2, छिवला 5 , नीम 1, बबूल 1, बांस 1, बेर 36, बेल 1, मैदा 1, साजा 3, सोबबूल 4,
8	रुपसिंह पिता मोती सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	8/4	0.370	0.370	-	बबूल 1 ,बेर 18 ,सोबबूल 2
9	खम्हिा पिता मोती सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	8/5	0.370	0.370	-	बेर 2
10	बसोरीसिंह पिता बाबादीन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	10/1	1.570	1.570	कुआं -1	खसी 2, नीम 1, बबूल 3 ,बेर 110 , सोबबूल 1
11	गनपत सिंह पिता बसोरी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	10/2	1.000	0.435	-	उमर 1 ,खमेर 1 ,खसी 1 ,छिवला 1 , नीम 2 , पीपल 2 , बबूल 1, बेर 30 , सफ़ेद शिरस 6 ,सोबबूल 1 ,हर्रा 1
12	नीरज पिता ओनासिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12	0.180	0.180	-	खमेर 2, खसी 1, बबूल 2, बेर 10, सोबबूल 6
13	सावित्री पिता धुन्ती जाति कोल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	13	0.200	0.200	-	-
14	रामफूल पिता नंदूलाल जाति कोल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शम्भू पिता नंदूलाल जाति कोल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	14	0.130	0.130	-	-
15	ओनासिंह पिता जेठूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	15/1	0.460	0.460	-	खमेर 3, जामुन 2, बबूल 3, बेर 18, सगोन 1
16	घोपतसिंह पिता जेठूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	15/2	0.470	0.470	-	उमर 1, कंजी 2, खमेर 7, खसी 2, जामुन 1, बबूल 8, बेर 9, साजा 3
17	भगवानसिंह पिता पुन्नू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	16	0.940	0.940	-	कंजी 4, खमेर 14, नीम 1, बबूल 11, बेर 79, सगोन 2, सफ़ेद शीशम 5, सीताफल 4, सोबबूल 1,

18	सुकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धोकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सीतावती पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, श्रीवती पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, राधाबाई पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललितकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धर्मेन्द्रकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	17	0.990	0.676	-	नीम 1, बबूल 1
19	जयसिंह पित हीरालाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	18/1	0.230	0.063	-	-
20	सुन्दरियाबाई पति दादूलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	18/2	0.220	0.030	-	-
21	नारायण पिता छोटू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	19/1	0.200	0.200	-	-
22	शंकरसिंह पिता छोटू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	19/2	0.430	0.430	-	-
23	नारायण पिता छोटू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	19/3	0.190	0.190	-	-
24	धीरजसिंह पिता फगनू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	19/4	0.450	0.450	-	बबूल 6, बेर 1, साजा 1
25	पंचमसिंह पिता बाबूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	20	1.080	1.080	-	उमर 6, खमेर 10, पीपल 4, बबूल 9, बेर 17
26	बसोरीसिंह पिता बाबादीन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	21	1.530	1.530	-	आम 1, उमर 1, कंजी 2, कातुल 3, खमेर 18 , खसी 5, घरी 5, छिवला 1, जामुन 4, नीम 3, बबूल 23, बेर 60,महुआ 2, सफ़ेद शीशम 5, सफ़ेद शिरस 13, साजा 4
27	धीरजसिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	22	0.250	0.250	-	बेर 8 , सफ़ेद शिरस 1, साजा 1
28	जयसिंह पिता हीरालाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/1	0.370	0.370	-	खमेर 2, नीम 2, बबूल 2, बेर 16, शीशम 1
29	सुन्दरियाबाई पति दादूलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/2	0.360	0.360	-	खमेर 1, बेर 3
30	धीरजसिंह पिता फगनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	24	0.560	0.249	-	-

31	पंचमसिंह पिता बाबूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	25	1.750	0.383	-	-
32	रतनसिंह पिता शंकरसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	26	0.710	0.109	-	-
33	कमलीबाई पिता भाद्दू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	27/1	0.150	0.150	-	बबूल 2, बेर 1
34	जगनिनबाई पिता भाद्दू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	27/2	0.150	0.150	-	किर्गी 1, बबूल 2
35	ओमवती बेवा सरदार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, केबीदास पिता सरदार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, कोशिल्याबाई पिता सरदार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, बिशनूदास पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शंकर पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, रम्मा पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ओमकार पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	27/3	0.360	0.360	-	बेर 4
36	पन्नेलाल पिता बुद्दू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	27/4	0.360	0.360	-	बबूल 2, बेर 4,
37	दालचॅद पिता भाद्दू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	27/5	1.050	0.962	-	नीम 2, बबूल 4, बेर 21, बेल 1, शीशम 1, सफ़ेद शिरस 3, सोबबूल 2,
38	ओमवती बेवा सरदार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, केबीदास पिता सरदार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, कोशिल्याबाई पिता सरदार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, बिशनूदास पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शंकर पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, रम्मा पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ओमकार पिता बुद्दू जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	27/6	0.790	0.740	-	अमरुद 4, खमेर 2 , बबूल , बेर 30, महुआ 1 लिप्तिस 1, सगोन 2, सफ़ेद सिरस 2, साजा 3
	विष्णु दास पिता बुद्धू सिंह				कच्चा मकान-1	-
39	दालचँद पिता भाद्दू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	27/7	0.050	0.050	-	बेर-13, खसी 2, बबूल-1

40	सुकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धोकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सीतावती पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, श्रीवती पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, राधाबाई पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललितकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धर्मेन्द्रकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	28	0.810	0.810	-	खसी 1, नीम 1, बबूल 20, बेर 15, महुआ 3, सफ़ेद सिरस 1,साजा 1
41	देववती पति राजेन्द्रसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	29	0.460	0.460	-	बबूल 1, बेर 1
42	श्रीवती पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललित पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललितकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धर्मेन्द्रकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धोकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, श्रीवती पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	30/1	0.900	0.900	-	बेर 7
43	सोमसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता सक्कामाल डिंडोरी मध्य प्रदेश, मानसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता सक्कामाल डिंडोरी मध्य प्रदेश,	30/2	0.800	0.800	-	छिवला 1, बबूल 10, साजा 1,
44	सोमसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता सक्कामाल डिंडोरी मध्य प्रदेश, मानसिंह पिता शंकरसिंह जाति गोंड पता सक्कामाल डिंडोरी मध्य प्रदेश,	30/3	0.800	0.800	-	बबूल 16, बेर 18, सफ़ेद सिरस 3, साजा 2, हड्वा 1
45	अन्तराम पिता अमरसाय जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, मुकुन्दसिंह पिता अमरसाय जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	31/1	2.750	1.724	-	आम 10, इमली 1, उमर 2, कंजी 9, खमेर 13, खसी 4, खमेर 1, गुरुझा 2, गुसंजा 1, छिवला 22, जामुन 2, तेंदू 1,नीम 4, [पीपल 1, बबूल 23 , बांस 1, बीजा 1, बेर 109, महानीम 1, महुआ 1, मैदा 1, शीशम 11, सफ़ेद शिरस 4, साजा 15, हड्वा 2,
46	पारवतीबाई पिता अमरसाय जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	31/2	1.860	1.860	-	
47	अन्तराम पिता अमरसाय जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, मुकुन्दसिंह पिता अमरसाय जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	32	0.980	0.508	-	अमरुद 8, उमर 1, कंजी 2, खमेर 6, छिवला 2, जामुन 3, बबूल 10 , बेर 32, सीताफल 1

48	सुकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धोकलसिंह पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सीतावती पिता बैरागी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, श्रीवती पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, राधाबाई पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ललितकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धर्मेन्द्रकुमार पिता पुहुपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	106	4.930	2.702	-	खसी 2, छिवला 65, बबूल 5, बेर 14, महुआ 1
49	कवलसिंह पिता बैसाखू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	121/1	0.620	0.280	-	छिवला 6, नीम 1, बबूल 1
50	झामी पति बैसाखू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	121/2	0.590	0.304	-	-
51	धनसिंह पिता बैसाखू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	121/3	0.550	0.304	-	-
52	मोहवती पति धानू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	121/4	0.620	0.280	-	-
	योग		36.490	27.830		

राजस्व निरीक्षक
वृत्त–अमरपुर
तहसील डिण्डोरी

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच कराई गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 08 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनि चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–844–भू–अर्जन–2023–24–23–अ–82–2024–25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची – 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	घुसिया माल प.ह.नं. 28	7.084 हेक्ट.	–	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना पहुंच मार्ग हेतु
			7.084 हेक्ट.		

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी / शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकवा हे.	अर्जित रकवा हे.	परिसम्पत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	लालसिंह पिता हब्बूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	227	2.930	0.028	-	-
2	बजरिया बेवा तिर्रा जाति ढीमर , संगनी बेवा तिर्रा जाति ढीमर , प्याहरेलाल पिता तिर्रा जाति ढीमर , मोनीबाई पिता तिर्रा जाति गोंड , महेश पिता संपतलाल जाति ढीमर , लम्मू पिता संपतलाल जाति ढीमर , गुडीडीबाई पिता संपतलाल जाति ढीमर , आंधीबाई पिता सुन्दारलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8	229	0.810	0.232	-	-

3	आमूलाल पिता ननसू जाति ढीमर,हन्नूलाल पिता ननसू जाति ढीमर, रमेश पिता ननसू जाति ढीमर, झामा पिता ननसू जाति ढीमर , केशव पिता उत्तम जाति ढीमर ,चन्दन पिता उत्तम जाति ढीमर , रजनी पिता उत्तम जाति ढीमर ,आशाराम पिता वसुदेव जाति ढीमर , पीतम पिता वसुदेव जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/9	232/2	0.400	0.312	-	-
4	रतू पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	232/3	0.400	0.400	-	बांस 1
5	मंगल पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	232/4	0.400	0.320	-	-
6	लच्छूलाल पिता रमुआलाल, लखनलाल पिता रमुआलाल, फागूलाल पिता रमुआलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	232/5	0.320	0.171	-	-
7	आमूलाल पिता ननसू जाति ढीमर , हन्नूलाल पिता ननसू जाति ढीमर , रमेश पिता ननसू जाति ढीमर, झामा पिता ननसू जाति ढीमर , केशव पिता उत्तम जाति ढीमर , चन्दन पिता उत्तम जाति ढीमर , रजनी पिता उत्तम जाति ढीमर , आशाराम पिता वसुदेव जाति ढीमर , पीतम पिता वसुदेव जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/9	232/6	0.340	0.251	-	-
8	रतू पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	232/7	0.330	0.151	-	-
9	मंगल पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	232/8	0.330	0.059	-	-
10	फूलाबाईनंदा पति कमलू लाल नंदा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	233/1	0.530	0.530	-	-
11	समनूलालनंदा पिता रत्तूलाल नंदा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	233/2	0.600	0.600	-	-

12	गनेशराम पिता रतिराम जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234/1	1.230	1.230	-	बेर-11
13	नोहरलाल पिता रतिराम जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234/2	1.220	1.220	-	-
14	नन्सीबाई पिता रतिराम जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234/3	0.400	0.400	-	-
15	पर्वत पिता धनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	607	1.540	0.250	-	खमेर-4, सगोन-2, बांस-3, बबूल-3, बेर-4
16	जयन्तीबाई पिता अनूपसिंह, कमलसिंह पिता अनूपसिंह, सम्हरसिंह पिता अनूपसिंह, सहबिनबाई बेवा अनूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	669	0.400	0.110	-	-
17	चन्दर पिता लोटन जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	670	0.350	0.070	-	बेर-1, बबूल-1
18	गुहरा पिता हनुमान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	676	0.480	0.08	-	जामुन-2, आम-1
19	रामप्र पिता बखत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वामी	688/1	0.600	0.0536	-	-
20	पारवती पत्नी मदनसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	688/2	0.200	0.0264	-	बबूल-2, बेर-2
21	उदयचंद पिता हीरालाल, सुक्रवती पति हीरालाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	689	0.280	0.060	-	बबूल-4
22	नारायण पिता मोहनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	799/2	0.290	0.010	-	-
23	हलीमउदम् दीन पिता नयीरउददीन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमिभू स्वाम	800/1/2	0.400	0.0196	-	-
24	नवलकिशोर पिता राजेन्द्र प्रसाद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	800/2	1.230	0.1504	-	-

25	विराजोबाई पति फगुवा, सोनवती पिता फगुवा, फूलबाई पिता फगुवा, सुकवरिया पिता फगुवा, दुर्गेश पिता फगुवा जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	809	0.330	0.070	-	बबूल-1
26	तिहारु पिता डुमारी, चमरू पिता परमू, मंगली पिता डुमारी, समलिया बेवा डुमारी, हेमवती पिता डुमारी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	810	0.330	0.080	-	-
27	रामसिंह पिता बैसाखू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	811	0.510	0.090	-	-
28	बसंतीबाई पिता देवा, कुसुमबाई पिता दलपत, सोनूबाई पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	812	0.510	0.080	-	बबूल-1, बेर-1
29	संतोष पिता गुहरा, कलाबाई बेवा गुहरा, प्रीती पिता गुहरा, दिगंबर पिता गुहरा, रनमत पिता टिकवा, परसू पिता टिकवा, समलिया पिता गुहरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	868	0.810	0.030	-	-
	योग		**18.580**	**7.084**		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–845–भू–अर्जन–2023–24–24–अ–82–2024–25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची – 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	विक्रमपुर प.ह.नं. 11	0.960 हेक्ट.	–	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना पहुंच मार्ग हेतु
			0.960 हेक्ट.		

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकवा हे.	अर्जित रकवा हे.	परिसम्पत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	गंगा सिंह पुत्र हीरा जाति गोंड पता डिण्डौरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	256/2/1	0.740	0.060	-	-
2	कुन्ती बाई बेवा धरमू लाल, मिथिलेश कुमार पुत्र धरमूलाल,जाति कुम्हार पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	322/1	0.848	0.090	-	-
3	बुद्धू पुत्र फूलसिंह जाति गोंड पता डिण्डौरी म. प्र. भूमि स्वामी	323/1	1.060	0.220	-	-
4	दुलारी बाई पति हेमलाल, चिरौंजिया बाई पति मदनलाल,जाति कुम्हार पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	324	2.650	0.210	-	-
5	प्रेमवती पुत्र सुनैया जाति गोंड पता डिण्डौरी म. प्र. भूमि स्वामी	446	2.270	0.210	-	बांस 2, शोबबूल-1
6	गंगाबाई बेवा टेकचंद, मालती बाई बेवा अमना प्रसाद,गोपाल पुत्र अपना प्रसाद, नाथूलाल पुत्र अमना प्रसाद,लीला बाई पुत्री अमना प्रसाद, अनुसईया पुत्री अमना प्रसाद,यशोदा पुत्री अपना प्रसाद, अशोक पुत्र टेकचंद, राजेश पुत्र टेकचंद, सावित्री पुत्री टेकचंद, कमलाबाइ पुत्री टेकचंद, जाति गोंड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	447	0.530	0.070	-	खसी–1, नीम–1
7	जानकी प्रसाद पुत्री प्यारे लाल जाति गोंड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	448/1	0.180	0.020	-	-
8	दुजिया पुत्री शिवप्रसाद, रामवती पुत्री कोदू, श्यामवती पुत्री कोदू, श्यामलाल पुत्र कोदू, गनसिया बाई बेवा कोदू, नानबाई पति शिवप्रसाद जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	454	0.370	0.080	-	सीताफल-1, बेर-1, शोबबूल-1
	योग		8.648	0.960		

(2) अर्जित की जाने वाली उक्त प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–846–भू–अर्जन–2023–24–51–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सुबखार रैयत प.ह.नं. 70	1.984	20	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	1.984 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	प्रीतमलाल पिता रघुनाथ गुसा, अमरिया बाई नायक पति तेज सिंह नायक जाति बंजारा पता बार्टोधा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65/2/1/1	0.380	0.1006	-	-
2	सौरभ शुक्ला पिता स्व. श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	65/2/1/2	0.010	0.0064	-	-
3	रविराज बिलैया पिता अयोध्या जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	74/1	0.283	0.026	-	लिसिस 32
	मायादेवी बिलैया पति राजाराम जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शिवम् पिता राजाराम जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुंदरम पिता राजाराम जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शिवांश पिता राजाराम जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	74/3	0.280	0.072	-	

4	लालबहादुर पिता बुद्धूलाल कोल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	75	1.11	0.045	-	
5	महेशप्रसाद पिता लक्ष्मणप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	82/1	2.08	0.256	-	-
	महेशप्रसाद पिता लक्ष्मणप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	82/2	3.28	0.240	-	
6	जयेन्द्र पिता महेशप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	83	2.79	0.241	-	आम-1, उमर 3 कंजी-1, खासी-3, बांस-12 मुंडी-3, लिप्तिस-153 ,शोबाबुल-8 सगोन-12
		90	1.01	0.441	-	खमेर-1, बेर-1 लिप्तिस-187 ,सेमर 1
7	महेशप्रसाद पिता लक्ष्मणप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	88	1.76	0.050	-	केकर 2 बांस 4 लिप्तिस 45
		91	1.27	0.099	-	लिप्तिस-32
8	ज्योति पिता जीवनदास जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	92/1/1/1	0.4784	0.004	-	गुलमोहर 8 बबूल 1 बेर 1
	ज्योति पिता जीवनदास जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	92/1/1/2	0.1416	0.1060	-	
	संदीप मरकाम पिता रामसिंह मरकाम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	92/1/2	0.28	0.036	-	
	ओमकारसिंह पिता ननकूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	92/2	0.88	0.120	बॉड्री बाल RCC, पक्का पानी टंकी, बॉड्री बाल पक्का टेक	
9	रामचन्द बिलैया पिता श्री नाथूराम बिलैया जाति बानी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	94	0.26	0.047	-	-
10	ओमकारसिंह मरकाम पिता ननकूसिंह मरकाम जाति गोंड पता डिंडोरी	96	2.05	0.094	-	केकई-3 , कौंया-1 जामुन-1, लिप्तिस-6, साजा-1

11	देववती पिता अमृत	02	-	-	कच्चा मकान-1	-
	सिकंदर नाथ पिता यादव नाथ		-	-	पक्का मकान-1, पक्का फर्श , पक्की सीडी	-
12	अनिल नाथ पिता शुभनाथ		-	-	फर्श एवम प्लंथ पक्का	-
13	गोरखनाथ पिता शुभनाथ		-	-	पक्का फर्श, पक्का प्लेटफार्म मार्वल	-
14	रामजी नाथ पिता संपत नाथ		-	-	पक्का फर्श प्लंथ	-
15	साहू बाबा अखिलेश		-	-	पक्का मकान-1, पक्का चबूतरा	-
16	शुभम शुक्ला पिता स्व. श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला	65/2/1/2	-	-	पक्का मकान 2, पक्का टंकी	-
17	लखन दास पिता कारन सिंह	62	-	-	पक्का मकान छत टिन शेड-1	-
18	विष्णु गिरी पिता गोपाल गिरी	72	-	-	पक्का मकान एवम मंदिर पक्का मकान गुम्बज, नर्मदा जी द्वार, पक्का फर्श, पक्का मंदिर रेड टाइल्स, शौचालय , पक्का पानी टंकी, पक्की बोंड्री चबूतरा	-
19	विष्णु गिरी पिता गोपाल गिरी	72	-	-	पक्की पानी टंकी, गुम्बज	-
20	रामजीनाथ पिता संपतनाथ	70	-	-	कच्चा घर छत खपरेल 1, पक्का मकान छत टिन शेड 1, पक्का दिवाल डोर लेवल तक, शौचालय पक्का 1, पक्का पानी टंकी	-
	अनिलनाद पिता शुबनाद		-	-	पक्का मकान छत टिन शेड, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	गोरखनाथ पिता शुभनाथ		-	-	पक्का मकान छत खपरेल 2, शौचालय पक्का, पक्का पट्टी, पक्का फर्श	-

21.	अविनाश मूर्ति पिता श्रीराम मूर्ति	68	-	-	बॉड्री बाल पक्का 4, पक्के कालम 15, पक्का मकान छत टिन शेड, पक्की सीढ़ी,	-
योग :–			18.343	1.984		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 07 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएंगी।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–847–भू–अर्जन–2023–24–24–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	कुल प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04		05
डिण्डौरी	डिण्डौरी	इमलई माल प.ह.नं. 72	**83.316** हेक्ट.	150	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**83.316** हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्रं	भूमि स्वामी का नाम	खसरा न	कुल रकवा (हे.)	अर्जित रकवा (हे.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	गिरीश प्रश्नानी पिता छोटेलाल जाति ठक्कर लोहना पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3	0.500	0.500	-	-
2	गिरीश प्रश्नानी पिता छोटेलाल जाति ठक्कर लोहना पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4	0.280	0.280	-	-
3	रोहन पुत्री ढोल,दससी पिता चेनु जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/1/1	0.690	0.690	-	-
4	अशोक पुत्र जगत जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/1/2	0.700	0.700	-	बेर-2
5	गिरीश प्रश्नानी पिता छोटेलाल जाति ठक्कर लोहना पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/2	0.420	0.420	-	-
6	कुसुम पुत्री जियलाल,रविता पुत्री जियालाल,गंगेश्वरी पुत्री जियालाल,मधूठर्फचम्पा पुत्री जियालालजाति गोड पता इमलई मा. डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7	0.240	0.240	-	बेर-4
7	पुलझर पुत्री आंनद जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	0.070	0.070	-	बबूल-1 , बेर-2
8	कुसुम पुत्री जियलाल,रविता पुत्री जियालाल,गंगेश्वरी पुत्री जियालाल,मधूठर्फचम्पा पुत्री जियालालजाति गोड पता इमलई मा. डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9	0.018	0.018	-	बेर-4

9	साबित्री पत्नी कुंवरसेन जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10	1.600	1.600	-	आम-1 , खमेर-3 , नीम-1 , बेर-17
10	दीपकसिंह पिता भगवत,विजयसिंह पिता भगवत,अरविन्द पिता भगवत,संतोषी पुत्री भगवत,देववती पुत्री भगवत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1	0.580	0.580	-	-
11	लक्ष्मीबाई पुत्री गेंदलाल जाति कोलभू ता पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/2	0.520	0.520	-	आम-3 ,खमेर-1 ,बबूल-2 ,बेर-1 ,रोरी-1 ,सोबबूल-1
12	फागूसिंह पिता उजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/1	0.250	0.250	-	कंजी-6, खमेर-1 ,जामुन-3, बबूल-6, बेर-21
13	नानसिंह पिता उजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/2	0.250	0.250	-	कंजी-1 , बबूल-7
14	नानसिंह पिता उजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/3	0.260	0.260	-	बबूल-3, बेर-5
15	इन्द्रजीत पिता उजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/4	0.250	0.250	-	बबूल-42 , बेर-2
16	लक्ष्मीबाई पुत्री गेंदलाल जाति कोलभू ता पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13	1.080	1.080	कुआं–1	उमर-8 , कंजी-6,केकर-1,खमेर-12 ,बबूल-24 ,बेर-20 ,मुनगा-1 , रोरी-1 ,लभेर-2, शीशम-3 ,सोबबूल-2
17	रोहन पुत्री ढोली,दससी पिता चेनु जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14	0.390	0.390	-	बेर-14
18	शिवशंकरप्रसाद पिता महादेवप्रसाद,श्वेता पत्नी पंकज,वृति पुत्री पंकज,दिपांशु पुत्री पंकज जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15	1.690	1.690	-	पड़री-1 , बबूल-2 , बेर-3
19	सम्हर पिता प्यारेलाल,गोइलाल पिता प्यारेलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16	0.640	0.640	-	खमेर-9 ,जामुन-1 ,नीम-1 ,बबूल-12 ,बेर-61 लिप्तिस-36, साजा1,सोबबूल1
20	फागूसिंह पिता उजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1	0.260	0.260	-	खमेर-1 ,पीपल-1 ,बबूल-1 , बांस-4 ,बेर-2
21	गुहरा सिंह सैयाम पुत्र गुलाब सिंह सैयाम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/2	0.260	0.260	-	महुआ-1
22	गुलाब पिता उज्यार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/3	0.260	0.260	-	-
23	इन्द्रजीत पिता उजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/4	0.260	0.260	-	छिवला-1, बेर-1, हड्वा-1
24	पुष्पा पुत्री रणजीत,बसंती पुत्री रणजीत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/5	0.260	0.260	-	खमेर-3, बबूल-2,बांस-2, बेर-1, सोबबूल-1
25	रानीबाई पत्नी राजेन्द्र प्रसाद,राहूल पुत्र राजेन्द प्रसाद,रोहित पुत्र राजेन्द प्रसाद,रीतेश पुत्र राजेन्द प्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/1	0.940	0.940	-	-

26	प्रेमचंद पुत्र नारायण दास पता इमलई मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/2/1	0.250	0.250	-	-
27	अंजना पत्नी इंद्रेश जाति गुप्ता पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/2/2	0.550	0.550	-	बबूल-1, बेर-1
28	बिरियाबाई पत्नी शिवलाल,रमेश पुत्र शिवलाल,महेश पुत्र शिवलाल,सुरेश पुत्र शिवलाल,श्रीवति पुत्री शिवलाल,पार्वती पुत्री शिवलाल,रमियाबाई पुत्री शिवलाल,कलियाबाई पुत्री शिवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/1	0.600	0.600	-	अनार-1,अमरुद-15, आम-6, आवला-1, इमली-1, कंजी-5, कटहल-1, केवलार-4, खमेर-22, जामुन-6, नीबू-1, नीम-2, बकाहन-5, बबूल-1, बांस-7, बेर-15, महुआ-1, मुनगा-1, लिप्तिस-3, शीशम-1, सगोन-5, सीताफल-1, सोबबूल-10
	रमेश सिंह पिता शिवलाल				कच्चा मकान -1, कच्चा गौशाला-1 पक्का गौशाला-1 पक्का मकान छत सीमेंट शीट-1, बोंड्री बाल कुआं–1 ,बोरवेल–1	-
	सुरेश सिंह पिता शिवलाल				कच्चा मकान -1, गौशाला -1	-
29	बिरियाबाई पत्नी शिवलाल,रमेश पुत्र शिवलाल,महेश पुत्र शिवलाल,सुरेश पुत्र शिवलाल,श्रीवति पुत्री शिवलाल,पार्वती पुत्री शिवलाल,रमियाबाई पुत्री शिवलाल,कलियाबाई पुत्री शिवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2	0.020	0.020	-	-
	महेश पिता शिवलाल				पक्का मकान-2, शिडी. पक्की, पक्का किचिन-1 पक्का शौचालय-1, पक्का पानी टंकी-1, पक्का बोंड्री बाल, पक्का मकान फर्श छत सीमेंट शीट-1, पक्का मंदिर-1, पक्का फर्श	-
	महेश पिता शिवलाल				छत की बोंड्री पक्की . कच्चा मकान ईंट खपरेल गौशाला	-
30	फागूसिंह पिता उज्यार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21	0.400	0.400	पक्का घर-1, कच्चा घर-2, सीडी. पक्की , बोंड्री बाल पक्की	कंजी-4, केकर-7, खमेर-2, बांस-3,बेर-8, मुनगा-3, सगोन-1,सोबबूल-6

	पंचम सिंह पिता इन्द्र जीत सिंह				पक्का घर ईट खपरेल-2 , कच्चा घर ईट खपरेल-2, बोंड़ी बाल पक्की	-
	पुष्पा बाई पति मिलन सिंह				पक्का घर-1, काचा घर-1, कच्चा गौशाला-1	-
31	गुलाबसिंह पिता उजियार,जलसीबाई पत्नी रणजीत,पुष्पा पुत्री रणजीत,बसन्ती पुत्री रणजीतजाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22	0.200	0.034	-	-
	जेहर सिंह पिता गुलाब सिंह				पक्का घर-1, पक्की सीडी., कच्चा घर सीमेंट शीट -2,	-
	विलसा बाई पति गुलाब सिंह				पक्का मकान-1, पक्का मकान कच्चा ईट-1, बोंड़ी बाल कच्ची, कच्चा घर-1	-
	गुहरा सिंह पिता गुलाब सिंह				पक्का घर-1, पक्का घर सीमेंट शीट-1 , कच्चा घर-1 , बोंड़ी बाल पक्का-2, मंदिर पक्का	-
32	दीपकसिंह पिता भगवत,विजयसिंह पिता भगवत,अरविन्द पिता भगवत,संतोषी पुत्री भगवत,देववती पुत्री भगवत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24	0.330	0.258	-	बेर-4
33	तोपसिंह पिता दिन,शाशि पुत्र लक्ष्मण,शंकरवती पुत्री तोपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/1	2.510	2.510	-	-
	राय सिंह पिता बग्घयु				पक्का मकान सीमेंट शीट-1, पक्का मंदिर गुम्बज-1, पक्का बोंड़ी बाल, कच्चा मकान छत सीमेंट शीट-1	कंजी-4, किर्गी-1, खमेर-12, बबूल-64, बांस-2, बेर-77, शिरतोली-1, सगोन-1, सोबबूल-13
	शंकर वती पति गोविन्द				पक्का घर-1 , कच्चा घर-2, बोंड़ी बाल कच्चा कुआं–1	-
34	बिरसा पत्नी गुलाबसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2	0.260	0.260	-	केवलार-1, खमेर-4, छिवला-1,जामुन-1, बांस-8, बेर-28
35	बुधवरिया पत्नी जोहर सिंह,शिवराज पुत्र जौहरसिंह,रतिया पुत्री जौहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1	0.260	0.260	-	बेर-2
36	विजयसिंह पुत्र हुलकरसिंहनाबावली हुलकरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/2	0.400	0.400	-	-
37	कौशिल्या पत्नी हुल्कर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28	0.670	0.670	-	-

अधिकारी

38	गेंदसिंह पुत्र करमसिंह,वेंदसिंह पुत्र करमसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29	0.670	0.670	-	बबूल-2, बेर-1, सगोंन-1
39	हीरासिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30	0.660	0.660	-	-
40	हीराकली पुत्री थानसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/1	1.050	1.050	-	अमरुद-17, अर्जुन-2, आम-4, आवला-1, उमर-3, कंजी-20, कटहल-1, किर्गी-10, केकर-2, केवलार-2, खमेर-21, गुलमोहर-1, छिवला-1, जामुन-6, नीबू-1, नीम-1, पीपल-2 , बबूल-25, बरगद-1, बांस- 8, बेर-8, बेल-2, भिलवा-1, महुआ-4, मुनगा-1, लिप्तिस-23, शीशम-2, सगोन-7, सफ़ेद शिरस-1,सोबबूल-8
41	राजेश्वरी पत्नी प्रताप जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/2	0.810	0.810	-	बबूल-4, बेर-3
42	राजेश्वरी पत्नी प्रताप जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/3	0.400	0.400	-	-
43	सुम्मा पिता इंद्रजीत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/1/1	0.250	0.250	-	-
44	गोपाल पिता केहर जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/1/2	0.200	0.200	-	-
45	सरिताठर्फ़धनेश्वरी पुत्री बजारी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/2	0.360	0.360	-	-
46	महेश पुत्र शिवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/1	1.300	1.300	-	कंजी-1, खमेर-20, बबूल-17, बेर-16 ,लिप्तिस-1, सोबबूल-2
47	महेश पुत्र शिवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/2	0.400	0.400	-	अमरुद-1, आवला-2, कंजी-3, केवलार-1, खमेर-26, जामुन-2, नीम-3, बबूल-31, बांस-4, बेर-19, महुआ-1, मुनगा-1, लिप्तिस-10, सोबबूल-3
48	महेश पुत्र शिवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/3	0.800	0.800	-	अमरुद-1, आवला-1, कंजी-6, केवलार-1, खमेर-11, छिवला-4, जामुन-2, बबूल-33, बेर-7, महुआ-1, लभेर-1, लिप्तिस-27, शीशम-1
49	महेश पुत्र शिवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/4	0.400	0.400	-	आम-3, उमर-1, कंजी-7, केवलार-4, खमेर-3, जामुन-3,बबूल-40, बेर-18, महानीम-4,

						शीशम-1, सगोन-2, सोबबूल-2
	सुम्मा बाई पति इंद्रा जीत				-	बबूल-7 ,बेर-2
50	ब्रजवती बाई पुत्री इन्द्रजीत सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/1	0.360	0.360	-	खमेर-1, पीपल-1, बबूल-6, बेर-1,
51	हेमसिंह पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/2	0.350	0.350	-	किर्गी-1, बबूल-2, बेर-7
52	सुनियाबाई पत्नी पूलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37	0.430	0.430	-	बेर-5
53	गंगासिंह पिता शैलू सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38	0.130	0.130	-	बबूल-17, बेर-6, सोबबूल-5
54	रतनलाल पुत्र भदुवा,ईश्वरलाल पुत्र भदुवा,विरसिंह पुत्र भदुवा, बीरनलाल पुत्र भदुवा, बुध्दन पत्नी भंवरू, छोटी पुत्री भंवरू, दबल पुत्री भंवरू, सुभियाबाई पत्नी छत्तर,रामप्रसाद पिता छत्तर सिंह जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1	1.200	1.200	-	कंजी-1, खमेर-2, बबूल-5, बेर-12
55	कुवरियाबाई पत्नी दल्लू, शालिकराम पिता दल्लू, पुरषोत्तम पुत्र दल्लू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/2	0.200	0.200	-	बेर-2
56	माखनसिंह पुत्र रूपसिंह अपापिता रूपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40	0.800	0.800	-	खमेर-2, बांस-1, बेर-4
57	कलाबाई पत्नी चन्द्रभानसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41	0.370	0.370	-	केवलार-1, कोसुम-1, खमेर-16, गुलमोहर-1, जामुन-1, नीम-1, बांस-19, बेर-8, लिप्तिस-10, सफ़ेद शिरस-1, साल्हे-1, सोबबूल-2
	चंद्रभान पिता प्रेम सिंह				पक्का घर-1, कच्चा मकान-2, कच्चा गौशाला-1 बोंड़ी बाल पक्की	-
58	सुन्दर सिंह सैयाम पुत्र इन्द्र जीत सिंह सैयाम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	42	0.445	0.445	-	बबूल-20, सोबबूल-1
59	इन्द्रवती पत्नी सुकलसिंह,रविसिंह पुत्र सुकलसिंह,ताराबाई पुत्री सुकलसिंह,रंजना पुत्री सुकलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43	0.250	0.168	-	सोबबूल-1
60	सिवकुमारी पुत्री रूपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	44	0.820	0.718	-	बबूल-1, बेर-13
61	राजेश्वरी पत्नी प्रताप जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45	0.450	0.450	-	-
62	प्रतापसिंह पुत्र कार्तिकराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46	0.470	0.470	-	-
63	बीरन सिंह सैयाम पिता इन्दरसिंह सैयाम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47	0.870	0.870	-	बबूल-10

64	सुशीला पत्नी विश्राम,ममता पुत्र विश्राम,सरिता पुत्री विश्राम,गिरीश पुत्र विश्राम,सुनीता पुत्री विश्राम,आशीष पुत्र विश्राम जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/1	0.370	0.370	-	-
65	गोपालसिंह पुत्र केहरसिंह,हेमसिंह पुत्र केहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/2	0.400	0.400	-	बबूल-4, सोबबूल-1
66	फूलमती पुत्री बजागी,इन्द्रजीत पुत्र ठजयार जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीी	49	0.450	0.450	-	बबूल-23
67	प्रतापसिंह पुत्र कार्तिकराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीी द	50	0.410	0.410	-	-
68	विजयसिंह पुत्र गवेन्द्रसिह जाति लोधी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51	1.690	1.690	-	अमरुद-1, घुई-3, जामुन-1, नीम-1, बबूल-19, बेर-9, शीशम-2
69	प्रकाशसिंह पुत्र रमेशसिंह जाति राठौर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/1	0.400	0.400	-	-
70	सुदामा पत्नी बलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/2	1.630	1.630	-	अमरुद-2, आम-2, जामुन-3,बबूल-22, बेर-15, सोबबूल-1
71	ईशवरदीन पुत्र नन्हुवा जाति अहिर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55	0.470	0.470	-	-
72	गनपतिबाई पत्नी मातादीन,गंगालाल पुत्र मातादीन,तीरथलाल पुत्र मातादीनजाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56	0.470	0.470	-	-
73	बुध्धीबाई पत्नी मथुवा,प्रभुलाल पुत्र मथुवा,रामबाई पुत्री मथुवा,मंगलवति पुत्री मथुवा,बसंती पुत्री मथुवा पता डिंडोरी डिंडोरी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	57	0.470	0.470	-	बबूल-3, बेर-3
74	रामसखिया पत्नी रतिलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	58	0.470	0.470	-	बबूल-1, बेर-1
75	गुरूलाल पुत्र पनकू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59	0.620	0.620	-	बेर-4
76	बोधी पुत्र पनकू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60	0.630	0.630	-	
77	गनपतिबाई पत्नी मातादीन,गंगालाल पुत्र मातादीन,तीरथलाल पुत्र मातादीनजाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/1	1.100	1.100	-	कंजी-2, खमेर-1, बबूल-48,बेर-6
78	गोपाल पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/2	0.400	0.400	-	खमेर-1, बबूल-2, बेर-10
79	रामप्यारी पत्नी फूल साय जाति अहिर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/3	0.250	0.250	-	कंजी-1, बबूल-10, बेर-11
80	बुध्धीबाई पत्नी मथुवा,प्रभुलाल पुत्र मथुवा,रामबाई पुत्री मथुवा,मंगलवति पुत्री मथुवा,बसंती पुत्री मथुवा पता डिंडोरी डिंडोरी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	62/1	2.000	2.000	-	उमर-1, जामुन-1, पीपल-1, बबूल-29, बेर-39, सफ़ेद शिरस-1
81	ईशवरदीन पुत्र नन्हुवा जाति अहिर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	63	2.040	2.040	-	आम-1, आवला-1, खमेर-8, जामुन-2 ,बबूल-18, बांस-1,बेर-

उपखण्ड अधिकारी

						29, महुआ-1, लभेर-1, लिप्तिस-10, सफ़ेद शिरस-1, सोबबूल-15
82	समलवतीबाई पत्नी मंगल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	64	0.450	0.450	-	बबूल-7, बेर-1
83	शिवशंकरप्रसाद पिता महादेवप्रसाद,श्वेता पत्नी पंकज,त्रुति पुत्री पंकज,दिपांशु पुत्री पंकज जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65	1.160	1.160	-	जामुन-1, बबूल-8, बेर-12
84	हेमसिंह पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/1	0.020	0.020	-	बबूल-5, बरगद-1, बेर-12
85	हेमसिंह पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2	0.080	0.080	-	
86	हेमसिंह पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/3	0.160	0.160	-	
87	कंगलू पिता पनकू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/1	0.200	0.200	-	बबूल-1, बेर-6, सोबबूल-1
88	बोधी पिता पनकू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/2	0.200	0.200	-	खमेर-10, छिवला-1, बबूल-20, बेर-7, लभेर-1, सोबबूल-1
89	बोधी पिता पनकू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/3	0.200	0.200	-	
90	कंगलू पिता पनकू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68	0.620	0.620	-	बबूल-1, बेर-2
91	दिलीप पिता इन्द्रसिंह,संदीप पिता इन्द्रसिंह,कुलदीप पिता इन्द्रसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69/1	0.240	0.240	-	बबूल-1
92	रविता पिता जेहर सिंह जाति गोंडगों पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69/2	0.290	0.290	-	-
93	गोपाल पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70/1	0.220	0.220	-	उमर-1, बबूल-1 बेर-4
94	गंगासिंह पिता शैलू सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70/2	0.320	0.320	-	-
95	रानीबाई पत्नी राजेन्द्र प्रसाद,राहूल पुत्र राजेन्द प्रसाद,रोहित पुत्र राजेन्द प्रसाद,रीतेश पुत्र राजेन्द प्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72/1	0.590	0.590	-	-
96	प्रतापसिंह पुत्र कार्तिकराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72/2	1.500	1.500	-	-
97	हेमसिंह पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/1	0.570	0.570	-	बेर-1
98	गोपाल पुत्र केहर सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/2	0.500	0.500	-	बबूल-1
99	सोनवती पुत्री नान्हू,विमलाबाई पति गुलाब,चन्दन पिता गुलाब,कृष्णाकुमार पिता गुलाब,सुनील पिता गुलाब,सरस्वती पुत्री गुलाब,कृष्णाबाई पुत्री गुलाब,कलावती पुत्री नान्हू, महवती पुत्री	74/1	0.170	0.170	-	-

उप अधिकारी

	नान्हू,गुलाबवती पुत्री नान्हू,इन्द्रवती पुत्री नान्हू,कमलवती पुत्री नान्हू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
100	राजेश्वरी पत्नी प्रताप जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/2	1.200	1.200	-	-
101	फूलवती पत्नी दशरथ,नारायण पुत्र दशरथ जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75/1	0.160	0.160	-	-
102	बेलाबाई पुत्री भंवरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75/2	0.160	0.160	-	-
103	गंगावती पुत्री भंवरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75/3	0.160	0.160	-	--
104	प्रताप पुत्र जोहन जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	76	0.500	0.500	-	बबूल-1 बर-1
105	हीराकली पुत्री थानसिह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77	0.510	0.510	-	बेर-2, शीशम-1
106	सोनवती पुत्री नान्हू,विमलाबाई पति गुलाब,चन्दन पिता गुलाब,कृष्णाकुमार पिता गुलाब,सुनील पिता गुलाब,सरस्वती पुत्री गुलाब,कृष्णाबाई पुत्री गुलाब,कलावती पुत्री नान्हू, महवती पुत्री नान्हू,गुलाबवती पुत्री नान्हू,इन्द्रवती पुत्री नान्हू,कमलवती पुत्री नान्हू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78	5.590	5.198	-	कंजी-2, किर्गी-1, खमेर-1, नीम-2, पीपल-1, बबूल-8, बेर-45, लिप्टिस-169 ,सगौन-5, सोबबूल-3
	कृष्णा बाई पति हरी सिंह				पक्का घर-1, कच्चा घर-1	-
	चमरू सिंह पिता टिकाराम				पक्का घर-1, कच्चा घर फर्श -1	-
	विमलाबाई पति गुलाब,				कुंआ--1, बोरबेल एवं हेण्डपंप	-
107	इन्द्रवतीबाई पत्नी सुकलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	79	0.330	0.097	-	-
	सुनील कुमार पिता गुलाव सिंह				पक्का घर, पक्का छज्जा	-
	कृष्णकुमार पिता गुलाबसिंह				पक्का घर 2, पक्का छज्जा 3, बॉड्री बाल पक्का, पक्का फर्श	-
	चंदन पिता गुलाबसिंह				पक्का मकान छत टिन शेड 2, बॉड्री बाल पक्का, पक्का फर्श, पक्का पट्टी	-
	विमलाबाई पति गुलाबसिंह				कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का 3, बोरबेल एवं हेण्डपंप 1	-

108	दसमतबाई पत्नी गंगासिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80	1.250	0.967		आवला-1, उमर-1, कंजी-14, केवलार-2, खमेर-39, जामुन-6, बबूल-2, बांस-3, बेर-23, महुआ-4, लभेर-1,सगौन-1, सोबबूल-30
	गंगा सिंह पिता शेलु सिंह				पक्का घर ईट खपरेल -1	-
109	गंगासिंह पिता शैलू सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	81	0.510	0.510	-	आम-1, बबूल-1, बेर-10
110	सबलसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82	0.670	0.670	-	बेर-1
111	बुधवरिया पत्नी जोहरसिंह,शिवराज पुत्र जौहरसिंह,रतिया पुत्री जौहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85	0.750	0.750	--	हड्वा-1
112	गेंदसिंह पुत्र करमसिंह,वेंदसिंह पुत्र करमसिंह जाति गोडपता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86	0.650	0.650	-	खमेर-2, बबूल-3, बेर-24
113	सबलसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87	0.750	0.497	-	-
114	रतिया पुत्री जौहरसिंह, कथैया पिता शिवराज, कलाबाई पुत्री जौहर, समलवती पत्नी शिवराज, पतियाबाई पुत्री जोहर, शंकरवती पटटा पिता जौहर, ब्रजकुमारी पिता जौहर, कोटमा बाई पुत्री जौहर पता इमलई मा. डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1	0.450	0..350	-	-
115	राजबहादुर पुत्र संत सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/2	0.400	0.400	-	-
116	कमल पुत्र रतनसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/1	0.150	0.150	बोरबेल--01	-
	कमल पुत्र रतनसिंह (जलजीवन मिशन)					
117	दिलीप पिता इन्द्रसिंह,संदीप पिता इन्द्रसिंह,कुलदीप पिता इन्द्रसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2	0.150	0.047	-	बबूल-4
118	जीवनसिंह पुत्र लालसिंह,गेंदसिंह पुत्र लालसिंह,धरमवती पुत्री लालसिंह,विद्यया पुत्री लालसिंह,अमरवती पुत्री लालसिंह,कृष्णा बेवा लालसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/3	0.150	0.150	-	-
119	पनकिनबाई पति कुवरसिंह,रामरतन पिता कुवरसिंह,उदय पिता दुलारे,राजकुमार पिता उदय,जागेश्वरी पिता उदय,यशवंत पिता उदय,संतोषी पिता उदय,आकांक्षा पिता उदय,राजकुमारी पिता उदय,नारोज पिता उदय,सरोज पिता उदय जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	90	0.940	0.082	-	-

120	शिवशंकर पुत्र रूपसिंह,रामवती ,फूलवती, श्रीवती, तारावतीपुत्री रूपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91/1	3.780	0.041	-	-
121	पुहुप सिंह पिता दिन्नी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93	2.190	0.490	-	आम-1, बबूल-2, बेर-7, सोबबूल-1
	हेमसिंह पिता पुहुपसिंह	93			पक्का घर, पक्का छज्जा 2, पोर्च, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	पुहुपसिंह पिता दिन्नी				पक्का घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, मंदिर गुम्बज, पक्का मंदिर, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	ओमकार पिता पुहुपसिंह				पक्का घर, पक्का छज्जा, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
122	कुल्लीनबाई पत्नी बाबूराम,भगवतसिंह पुत्र बाबूराम,भावसिंह पुत्र बाबूराम,राजूसिंह पुत्र बाबूराम,रजनवती पुत्री बाबूराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95	2.380	0.070	-	सगोन-3
	भगवत पिता बाबूराम				पक्का घर ईट खपरेल -1 , कच्चा घर-1 शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	भावसिंह पिता बाबूराम				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी 2, बोरबेल 1	-
	राजू पिता बाबूराम				कच्चा घर छत खपरेल, पक्का घर, पक्का छज्जा 2, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-

123	सुनियाबाई पत्नी फूलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	96	1.450	1.069	हेण्पंप–1	-
124	मोतेबाई पत्नी धीरा सिंह,शीतल पुत्र धीरा सिंह,नीरज पुत्र धीरा सिंह,यशवंत पुत्र धीरा सिंह,रीया पुत्री धीरा सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97	1.670	0.600	-	-
125	अभिजीत नाबालिग पिता भाव सिंह संरक्षक पिता भाव सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि भूमि स्वामी	99	0.400	0.155	-	
126	लालसिंह पिता रामफल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	101	1.070	1.070	-	खमेर-1 , छिवला-1, बबूल-1 , बेर-5 , सेम्हर-1
127	पंचम पुत्र सैलू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102	0.490	0.490	-	केकर-1 ,खमेर-1 ,बबूल-2 , बेर-4
128	विमला पुत्री लल्लासिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	103	0.380	0.380	कुआं–1	छिवला-1 ,बबूल-1
129	छोटीवती पत्नी धरमसिंह,सम्पत पुत्र धरमसिंह,यदुनंदन पुत्र धरमसिंह,जगदीप पुत्र धरमसिंह,देवकी पुत्री धरमसिंह,यशोदा पुत्री धरमसिंह,कांती पुत्री धरमसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	104	1.420	1.420	-	बेर-1
130	छोटीवती पत्नी धरमसिंह,सम्पत पुत्र धरमसिंह,यदुनंदन पुत्र धरमसिंह,जगदीप पुत्र धरमसिंह,देवकी पुत्री धरमसिंह,यशोदा पुत्री धरमसिंह,कांती पुत्री धरमसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	105	1.310	1.310	-	बेर-22
	पार्वती पत्नी हुलकर(कब्जेदार)				-	बेर-2 , बबूल-5 शीशम-1, घरी-1
131	दलपत सिंह पिता सैलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106	0.510	0.027	-	-
132	कुल्लीनबाई पत्नी बाबूराम,भगवतसिंह पुत्र बाबूराम,भावसिंह पुत्र बाबूराम,राजूसिंह पुत्र बाबूराम,रजनवती पुत्री बाबूराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	107	5.130	1.896	-	आम-1 ,कंजी-1 , खमेर-27 ,जामुन-2 , बबूल-8 ,बेर-24 ,शीशम-1, सेमर-1, सोबबूल-1 ,हडवा-4
133	हरिसिंह पुत्र रूप सिंह,माखनसिंह पुत्र रूप सिंह,शिवकुमारी पुत्री रूपसिंह, अनुसुइया पुत्री रूपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	108	2.540	1.600	-	खमेर-10 ,बबूल-18 ,बेर-30 , महुआ-2 ,मुनगा-1 , साजा-2 ,सोबबूल-74
	भावसिंह पिता बाबूराम (कब्जेदार)				कुआं–1	-
134	गोपालसिंह पुत्र केहरसिंह,हेमसिंह पुत्र केहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110	1.110	1.075	-	बबूल-1 ,बेर-5 ,सोबबूल-1

135	फुलमत पत्नी सुकलसिंह, काशीराम पुत्र सुकलसिंह, गुहिया पुत्री सुकलसिंह, कौशिल्या पुत्री सुकलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/1	0.360	0.230	-	बबूल-1 बेर-10
136	शुभवती पुत्री तनगा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/2	0.350	0.210	--	
137	दिलीप पिता इन्द्रसिंह, संदीप पिता इन्द्रसिंह, कुलदीप पिता इन्द्रसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/3	0.350	0.150	-	
138	जीवनसिंह पुत्र लालसिंह, गेंदसिंह पुत्र लालसिंह, धरमवती पुत्री लालसिंह, विद्या पुत्री लालसिंह, अमरवती पुत्री लालसिंह, कृष्णा बेवा लालसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/4	0.350	0.100	-	
139	कमल पुत्र रतनसिंह जाति गोंडगों पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/5	0.360	0.098	-	
140	ननसाइया पति रतन,सेवासिंह पिता रतन,लोकसिंह पिता रतन,कमलसिंह पिता रतन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/6	0.360	0.010	-	
141	सेमलाल पिता रामफल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118	1.180	1.180	-	उमर-1 , बेर-30
142	दीपकसिंह पिता भगवत,विजयसिंह पिता भगवत,अरविन्द पिता भगवत,संतोषी पुत्री भगवत,देववती पुत्री भगवत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	125	0.270	0.270	-	खमेर-3 , बबूल-2 ,बेर-13 ,सोबबूल-1
143	दीपकसिंह पिता भगवत,विजयसिंह पिता भगवत,अरविन्द पिता भगवत,संतोषी पुत्री भगवत,देववती पुत्री भगवत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126	1.820	0.052	-	-
144	ननसाइया पति रतन,सेवासिंह पिता रतन,लोकसिंह पिता रतन,कमलसिंह पिता रतन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/2	0.740	0.394	-	कंजी-3, बबूल-5 ,बांस-2, बेर-18 ,लिप्तिस-16 ,सोबबूल-24
145	दिगम्बर पुत्र बैसाखू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167	1.740	0.061	-	बेर-1
146	पहलूसिंह पिता सम्पत,रोनू पिता गोलू,सोनू पिता गोलू जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पहलु सिंह पिता संपत लाल	168	0.710	0.693	- पक्का मकान-1, कच्चा मकान-1, पक्की सीडी	खमेर-2, बबूल-4, बेर-24
147	शांति पुत्री नानसाय,सम्पतिया पत्नी नानसाय,धीरज पुत्र नानसाय,सोनीबाई पुत्री नानसाय,समरतीबाई पुत्री नानसाय जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	169	0.500	0.046	-	-
148	सुरेश पिता वासुदेव	176			पक्का घर, पक्का छज्जा 2	-
योग			108.133	83.316		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात् की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 17 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–848–भू–अर्जन–2023–24–42–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	छपरी रैयत प.ह.नं.–74	15.359 हेक्ट.	15	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			15.359 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	थानसिंह पिता टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	66	1.72	0.008	-	उमर-1,
2	वीरा पिता सम्हारु पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सूना पिता बैसाखू जाति गोंड गुलबी पिता बैसाखू जाति गोंड नवलसिंह पिता बैसाखू जाति गोंड नवसिया पिता बैसाखू जाति गोंड , हीरा पिता सम्हारु , झनकी पति सम्हारु पता	67	1.77	0.035	-	बेर-3, भडरा-1
3	ललवाबाई बेवा रामलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सम्हरसिंह पिता रामलाल	68/1	0.400	0.203 0.035	-	बेर-5
4	धनसिंह पिता रामलाल पता	68/2	0.400	0.320	-	

5	सवनू पिता सहीस पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	69	8.3	2.846	-	किर्गी-2 , कंजी-4 , केवलार-1,खमेर-10 ,छिवला-1 ,नीम -1 ,बबूल -14, बरगद-1 ,बेर-50, महुआ-1 ,शोबबूल-2
6	अनूप सिंह पिता लालसिंह, मानवती पिता लालसिंह, जयमती पिता लालसिंह, प्रेमसिंह पिता सम्हा, करमसिंह पिता सम्हा, बरातू पिता सम्हा, पार्वती पिता सम्हा, हीरावती पिता सम्हा, धीरावती पिता सम्हा, अमरवती पिता सम्हा, जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71	1.400	1.400	-	कंजी-4 ,छिवला-1 ,बबूल-13 ,बेर-21
7	छीता पिता अमर जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, कोता पिता अमरु जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	73/1	1.32	1.32	-	
8	श्यामवती पति फुल्लू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, नवल पिता फुल्लू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, तवल पिता फुल्लू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, देवी पिता फुल्लू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, महेश पिता सुपर जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, इन्दर पिता आनद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, अंतर पिता आंनद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, देवीसिंह पिता आंनद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, फग्गाबाई पिता आंनद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, फूलवती पिता आंनद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, चन्द्रवती पिता आंनद जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	73/2	1.33	1.33	-	

9	ललवाबाई बेवा रामलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सम्हरसिंह पिता रामलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	74/1	1.37	1.370	-	बबूल-4 , बेर-4
10	धनसिंह पिता रामलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	74/2	1.37	1.353	-	छिवला-1 , पीपल-1, बबूल-5 , बेर-14
11	फगनी पति चूरामन, जगत पिता चूरामन, अतर पिता चूरामन, सेवासिंह पिता चूरामन, सकरवती पिता चूरामन जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुम्मन पिता चूरामन जाति गोंड पता	75	0.66	0.511	-	अमरुद -1 , उमर -1 , बबूल -9 , बेर-4 , शोबबूल-1
12	बिसमतिया बेवा तोपसिंह, झामसिंह पिता तोपसिंह, रामदयाल पिता तोपसिंह, झामी बाई पुत्री तोपसिंह, झमिया बाई पुत्री तोपसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	76	0.650	0.200	-	खमेर-2 , बबूल-6 , बेर-12, शोबबूल-2
13	हरिसिंह पिता रामसिंह पता डिंडोरी मध्य	77	1.320	0.433	कुआं–1	
14	रनियाबाई बेवा बजारीं ग्रामनौकर पता छपरी रै, डिडोरी मध्य प्रदेश शा. संस्था	118	6.650	3.795	-	बबूल-3 , बेर-17 ,
15	रनियाबाई पति बजारी पता छपरी रै, डिडोरी मध्य प्रदेश	120	0.200	0.200	-	बबूल -2
	योग :-		28.860	15.359		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 0 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स. अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक

लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–849–भू–अर्जन–2023–24–40–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	धौरई रैयत प.ह.नं. 69	13.246 हेक्ट	32	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			13.246 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	काशीराम पिता बुद्वसेन जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	1	3.81	3.81	-	उमर 1 कंजी 4 खमेर 13 जामुन 1 नीम 1 बबूल 33 बांस 1 बेर 103 लिसिस 8 शोबाबुल 5 साजा 1 हड्वा 3 अमटी 1
2	हीरोबाई पत्नी बुधसेन, क्रांतिबाई पुत्री काशीराम, जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3	1.80	1.80	-	उमर 1 किर्गी 1 केवलार 2 खमेर 2 तिनसा 1 नीम 2 बबूल 3 बांस 1 बेर 16 लिसिस 5 शोबबूल 1 हड्वा 1
3	बती पति सुंदरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, भगवानसिंह पिता सुंदरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	6	1.12	0.886	-	बेर 1
4	नारायणसिंह पित अमरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	9	0.91	.069	-	

5	सीताबाई पिता सम्पतसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शिवकुमार पिता जगदीश जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश संदीप पिता जगदीश पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सतीष पिता जगदीश जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	10	0.900	0.065	-	बबूल 2 बेर 3
6	गोविन्दसिंह पिता देवसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12/1/1	0.47	2.54	-	खमेर 6 बेर 3 लिसिस 18
7	ओमप्रकाश पिता देवसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12/1/2	0.48		-	खमेर 5 चार 1 बबूल 1 बेर 16 लिसिस 15 शीशम 1 हड्वा 4
8	रामेश्रवर पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12/2/1	0.32		-	कंजी 3 खमेर 3 बेर 8 लिसिस 10
9	शारदा पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12/2/2	0.33		-	कंजी 6 खमेर 2 बेर 5 लिसिस 7
10	हिरोबाई पिता बुद्धसेन जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12/3	0.32		-	कंजी 1 खमेर 2 बबूल 4 बांस 3 बेर 8 लिसिस 9
11	लालवती पति मंगल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	12/4	0.62		-	कंजी 1 खमेर 1 खासी 1 छिवला 1 बबूल 2 बेर 33 हड्वा 1
12	फुलमोतिन स्व. धर्म प. विश्राम, मदन, गोपाल पिता विश्राम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	13	0.25	0.25	-	अमरुद 1 छिवला 1 तिन्सा 1 बेर 1
13	तीरथ पिता चन्द्रसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुमनबाई पिता चंन्द्रसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, चन्द्रसिंह पिता बजरु जाति गोंड पंता डिंडोरी मध्य प्रदेश	14	0.65	0.65	-	अमरुद 1 आम 1 कनेर 1 केवलार 1 खमेर 10 तिन्सा 1 बबूल 4 बांस 3 बेर 14 बेल 1 महुआ 1 लिसिस 44 शोबबूल 14 सीताफल 2

	चन्द्र सिंह पिता बजरू	14			पक्का मकान–1	
	तीरथ पिता चन्द्र सिंह				कच्चा घर–2 पक्का शौचालय–1	
	मिही लाल पिता फगुआ				पक्का मकान छत खपरेल–1 कच्चा घर–1 पक्का शोचालय–1	
14	वोधन पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15	0.28	0.254	पक्का मकान छत सीमेंट शीट–1 पक्का मकान छत खपरेल–1 शौचालय पक्का–1 बोन्ड्री बाल कच्चा कच्चा घर–1	कटहल 2 खमेर 2 बांस 2 लिसिस 10
	छुन्नू पिता नरबद (कब्जाधारी)				पक्का घर ईंट खपरेल–1 शौचालय पक्का–1	
	संतोष पिता गया सिंह (कब्जाधारी)				कच्चा घर–1 गौशाला कच्चा–1 शौचालय पक्का–1	
15	रामसिंह पिता बज्जा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, कोमलसिंह पिता बज्जा जाति गोंड, जयसिंह पिता देवलाल जाति गोंड, जयसिंह पिता देवलाल जाति गोंड, मंगलसिंह पिता देवलाल जयसिंह पिता देवलाल, तेजसिंह पिता सज्जी जयसिंह पिता देवलाल जाति गोंड, हेमसिंह पिता सज्जी सिंह जाति गोंड, पुनावाई पिता सज्जी सिंह जाति गोंड , हेमवती पिता सज्जी सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	16	0.34	0.265	-	अमरी 2 उमर 1 खमेर 7 बांस 1 लिसिस 3 शोबबूल 1
	रामसिंह पिता बज्जा	16			पक्का मकान छत खपरेल –1, कच्चा घर.–1, पक्का मकान अधुरा–1 पक्का शौचालय–1	
16	तेजसिंह पिता सज्जी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, हेमसिंह पिता सज्जी सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, पूनाबाई पुत्री सज्जीसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, हेमवती पिता सज्जी सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	17	0.33	0.116	कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, पक्का घर लेंटर बाकी, कच्चा वोन्ड्री बाल	बांस 1

17	लच्छू पत्रु अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, रामू पुत्र अकलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुकरती पत्नी रामफल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, बबलू पुत्र रामफल जाति गोंड जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	21	0.21	0.099	-	बेर 1 लिसिस 7
	सुकरती बाई पती रामुफल (मकान मालिक)	21			पक्का मकान छत खपरेल–1 गौशाला कच्चा–1 बाउण्ड्री बाल पक्का मंदिर–1	
	सुमरन पिता रामफल (मकान मालिक)	21			पक्का मकान छत खपरेल–1 गौशाला कच्चा–1	
18	बजारीलाल पुत्र दर्शनलाल जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, धन्नूलाल पुत्र दर्शनलाल जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, कुँदियाबाई पुत्री दर्शनलाल जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, मीराबाई पुत्री दर्शनलाल जाति लुहार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	22	0.93	0.614	-	बांस 1 बेर 2 लिसिस 6 शोबबूल 1 साजा 2
19	राधाबाई पत्नी देवसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/1	0.17	0.048	-	शोबबूल 1
20	शारदा पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/2/1	0.08	0.048	-	
21	रामेश्रवर पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/2/2	0.09	0.048	-	
22	सुमंत्रा धूमकेति पति सुदामा सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/2	0.17	0.048	-	
23	लालवती पति मंगल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	23/4	0.17	0.048	-	

24	वतीबाई पत्नी लहरु जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, लालन पुत्र लहरु जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, प्रेमवती पत्नी लालजी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, बलीराम पिता कोपा, थानेश्रवर पुत्र लालजी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुशीला पुत्री लालजी जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	25	0.59	0.063		
	थानेश्रवर पिता लालजी				कच्चा घर छत सीमेंट शीट -1, कच्चा घर छत खपरेल-1, कच्चा गौशाला छत खपरेल-1	
25	अनीता धूमकेति पत्नी महेश सिंह धूमकेति जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27	0.200	0.030	-	
26	मतियाबाई पत्नी भगत, शेर सिंह पुत्र भगत, रामसिह पुत्र सम्हर, बेजन्ती पुत्री लालसिह, सुदामा पुत्र लालसिह, गोतम पुत्र लालसिह, कविता पुत्री लालसिह, जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33	0.500	0.247	-	खमेर 4 बांस 5 बेर 6 लिसिस 26 शोबबूल 3 सगोन 2
	सुदामा पिता लालसिंह	33			पक्का घर ईट खपरेल–1, गौशाला कच्चा–1	
	गौतम पिता लाल सिंह	33			पक्का घर ईट खपरेल–1, गौशाला कच्चा–1	

	फूलमत पति टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, ध्यानी पिता टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, मूला पिता टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, भवर पिता टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, पतिबाई पिता टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, मूलवती पिता टीकाराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	34	0.280	0.042	-	आम 1 जामुन 1
27	भवर सिंह टिकाराम घूमकेतु	34			पक्का मकान ईट खपरेल–1 गौशाला कच्चा ईट खपरेल–2 शौचालय पक्का–1 वॉउन्ड्री बाल कच्चा	
	मूला सिंह पिता टिकाराम				कच्चा घर–1 पक्का घर सीमेंट शिट–1 कच्चा गौशाला–1 पक्का शौचालय–1 कच्चा घर–1	
	ध्यानी सिंह पिता टीकाराम				पक्का मकान–1 कच्चा घर–1 गौशाला कच्चा –1 शोचालय पक्का–1 कच्चा घर–1	
28	मरकन्द पिता अगंदप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, गीतादेवी पिता अगंदप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुरेश कुमार पिता अगंदप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	43	0.900	0.041	-	बेर 10 लिप्तिस 1
29	मतियाबाई पत्नी भगतसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, शेरसिंह पिता भगतसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	50	0.96	0.419	-	
30	सीताबाई पिता सम्पतसिंह, शिवकुमार पिता जगदीश संदीप पिता जगदीश मध्य प्रदेश, सतीष पिता जगदीश जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश,	52	1.35	0.367	-	छिवला 3 बेर 3

31	आशीष कुमार पिता मकरंद मरकन्द , शुशील पिता हरभजन मरकन्द पिता अगंदप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, गीतादेवी पिता अगंदप्रसाद जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, सुरेश कुमार पिता अगंदप्रसाद	75/2	0.46	0.369	पक्का मकान-1, शोचालय पक्का-1 कच्चा घर-2, -	बबूल 5 बेर 3
32	सुनारिन पिता मेरसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	82	0.84	0.010	-	खमेर 1 नीम 1 बबूल 1 बेर 11 शोबबूल 1
33	महेश पिता अमर	75/1			पक्का घर ईंट खपरेल	.
34	उदय पिता धन सिंह (कब्जेदार)				पक्का घर ईंट खपरेल-1, कच्चा घर टीनशेड-1, शोचालय पक्का -1	.
35	हज्जू पिता नवलू				पक्का मकान-1, पक्का घर छत टीनशेड-1	.
36	बैसखिया पति समारू				कच्चा घर छत टीनशेड-1, पक्का मकान-1	.
37	प्रह्लाद पिता पंचम (कब्जेदार)				कच्चा घर ईंट खपरेल-1	.
38	अजय पिता प्रह्लाद				कच्चा घर ईंट खपरेल-1	.
39	गोपाल पिता विश्राम (कब्जेदार)				पक्का मकान-1,	.
40	रनमत पिता मदन सिंह (कब्जेदार)				कच्चा घर-1, गौशाला कच्चा टीनशेड- 1,शौचालय पक्का -1	.
41	सोनाबाई पति बिरसाय धुर्वे (कब्जेदार)	40/1			कच्चा गौशाला टीनशेड -1, शोचालय पक्का-1, पक्का प्लंथ-1	.
42	अंजोर कुमार पिता बिरसा (कब्जेदार)	40/1			कच्चा गौशाला टीनशेड-1, शोचालय पक्का-1	.

43	नरेश पिता होसला प्रसाद (कब्जेदार)	40/1			कच्चा घर-1, बॉड्री बाल कच्ची , शोचालय पक्का -1	
44	हरी पिता लामू (कब्जेदार)				कच्चा घर -1, पक्का शोचालय-1	
45	बुधिया बाई पति कार्तिक राम (कब्जेदार)	35			कच्चा घर -2, पक्का मकान-1, पक्का मकान अधुरा	
	महापति बाई पति गुल्लू सिंह				कच्चा घर -1, गोशाला कच्चा -1	
	अरविन्द कुमार गुल्लू सिंह धुर्वे				कच्चा घर -1, पक्का मकान छत सीमेंट शिट -1, पक्का शौचालय-1	
	मंगली बाई पति मंगलसिंह (कब्जेदार)				कच्चा घर छत टीनशेड –1 शौचालय कच्चा सिमेंट शीट–1 शौचालय पक्का–1	
	कमलसिंह पिता लखन (कब्जेदार)				कच्चा घर–1	
	बैजंती बाई पती लालसिंह (कब्जेदार)				कच्चा घर–1 शौचालय पक्का–1	
	ईश्वर प्रसाद पिता बजारी लाल विश्वकर्मा				पक्का मकान–1 बोन्ड्री बाल पक्का,ए पक्का मकान छत खपरेल, पक्का फर्श, बोंड्रीबाल पक्का, पक्की पट्टी	
	धनसिंह पिता भद्दे सिंह				पक्का मकान छत खपरेल, पक्का पट्टी–2, पक्का मंदिर, मंदिर गुम्बज, पक्का शौचालय , कच्चा वॉन्ड्री बाल, पक्का फर्श	
	उदयचंद पिता बजारी लाल				पक्का घर, पक्का छज्जा–3, पक्का पट्टी–2, पक्का फर्श, पक्की सीढ़ी	
46	रमेश पिता कमला प्रसाद (दुबे)	40/1			पक्का मकान–1	

47	लालन पिता लहरू (कब्जेदार)	18			पक्का मकान–2 पक्का घर छत सिमेंट शीट–1 गौशाला कच्चा–1	
	छुन्नु पिता नरबद (कब्जेदार)				पक्का मकान–1 कच्चा घर–1	
	हेमसिंह पिता सज्जीसिंह				पक्का मकान छत सीमेंट शीट, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल	
	रमेश पिता रेवा (कब्जेदार)				कच्चा घर–1	
	बिसमतिया पति रेवा				कच्चा घर–1	
48	देवी सिंह पिता सुखदयाल	19			पक्का घर छत सिमेंट शीट–1 कच्चा गौशाला–1 पक्का शौचालय–1	
	झरियारो बाई पति सुखदयाल				पक्का घर छत सिमेंट शीट–1 कच्चा घर–1 कच्चा शौचालय–1	
49	शारदा प्रसाद पिता दर्शन प्रसाद	44			पक्का घर गौशाल, पक्का छज्जा–3	
योग :–			20.830	13.246		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 36 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–850–भू–अर्जन–2023–24–71–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुर्कवारा रैयत प.ह.नं. 34	**73.994**	**66**	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**73.994 हेक्ट.**		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	चन्द्रकला पत्नी सुखदेव जाति गोंड , गंभीरसिंह पिता सुखदेव , शांतिबाई पुत्री सुखदेव , जीराबाई पुत्री सुखदेव, इन्द्रसिंह पिता गुपतसिंह, मंगलसिंह पिता गुपतसिंह , इंद्रवती पुत्री गुपतसिंह , मोहवती पुत्री गुपतसिंह, रमोतिनबाई पत्नी सम्पतसिंह, हम्मेलाल पिता सम्पतसिंह , गलीराम पिता सम्पतसिंह , देवसिंह पिता सम्पतसिंह पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बुद्धीबाई पुत्री सम्पतसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] केहरसिंह पिता सुनवा जाति गोंड , रामबाई पुत्री चमरासिंह, धरमीबाई पुत्री चमरासिंह, श्यामबाई पुत्री चमरासिंह , सुनवा पिता सोनसाय ,] सम्हर पिता सोनसाय , भुखिया बेवा सोनसाय , बृहस्पतिया पुत्री महासिंह, श्यामवती बेवा हीरासिंह, कमलसिंह पिता हीरासिंह, नवलसिंह पिता हीरासिंह, लखनसिंह पिता हीरासिंह , राजेन्द्र पिता हीरासिंह , मंगलीबाई पुत्री हीरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1	6.580	4.089		शोबबूल-3, ऊमर-3, खमेर-6, छिवला-7, नीम-1, पड़री-1, बबूल-1, बेर-12, लिप्टिस-6, सगोन-4

	हरीसिंह पिता टीकाराम , नानसिंह पिता टीकाराम , जेठू पिता अमरु , पहलवती पुत्री रातू , सवनी पुत्री रातू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] शकुन्तला पुत्री रातू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गोमती पुत्री रातू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] फुलबसबाई पत्नी बजारी जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुभईसिंह पिता बजारी जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुहागबाई पुत्री बजारी जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		5.180	5.180		शोबबूल-2, अमरुद-3, आम-1, उमर-2, कंजी-9, केवलार-1, खमेर-6, पड़री-1, पीपल-1, बबूल-2, बहेड़ा-1, बांस-6, बेर-65, बेल-1, मुनगा-2, लिप्टिस-1, सगोन-1, सफेद शीरस-1, सीताफल-1 शोबबूल-22, नीम-1, पीपल-2, लिप्टिस-2, साजा-1, सीताफल-2
2	सोनसिंह पिता हरीसिंह (मकान मालिक)	4			पक्का मकान छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल–2 कच्चा वॉन्ड्री बाल,	
	नंदलाल पिता बिसाहू (मकान मालिक)				पक्का मंदिर, मंदिर गुम्बज	
	बुद्धनबाई पति विसाह (मकान मालिक)				पक्का मंदिर, मंदिर गुम्बज	
	रामचंद्र पिता रतिराम बंजारा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2, मूर्ति हनुमानजी	
	हरिसिंह पिता टीकाराम (मकान मालिक)				पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल	

3	जुलाबसिंह पिता बल्लारसिंह, प्यारे पिता बल्लारसिंह, फूलाबाई पुत्री सेमसिंह, फूलसिंह पिता सेमसिंह, हरेसिंह पिता सेमसिंह, नंदनी पुत्री रोहित, हरियारोबाई पत्नी गुलाबसिंह, तिहारोबाई पुत्री सेमसिंह, गुलावती पिता थानसिंह, नन्हेसिंह पिता गुलाबसिंह, राधेश्याम पिता रोहित, हरिवती पुत्री निरपत पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1	7.880	3.942		आम-1, उमर-3, कंजी-1, खमेर-5, खसी-1, छिवला-2, नीम-1, पीपल-1, बेर-63, लिड़िया-2
	नानसिंह पिता गुलाबसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
4	टीकोबाई पिता दसरुसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/2	5.700	5.344		आम-1, कंजी-3, ककई-2, छिवला-7, नीम-2, बबूल-11, बांस-1, बेर-56, मुंढी-1, सेम्हर-1, हड़वा-1, हर्रा-3
5	प्यारे लाल पिता बल्लारसिंह (मकान मालिक)	5/3			पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल–3	
	मदनसिंह पिता जुलाबसिंह (मकान मालिक)				पक्का मकान छत टिन शेड, पक्का मकान छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल	
	जुलाबसिंह पिता बल्लारसिंह				कुंआ-1	
	स्वरूपसिंह पिता जुलाबसिंह (मकान मालिक)				पक्का मकान छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल	
	दलपत पिता जुलाबसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2	

6	भदियाबाई पुत्री दशरथसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3/1	0.510	0.510		शीशम-7, शोबबूल-52, साल्हे–2, अमरूद-8, अशोक-2, आम-1, इमली-7, उमर-1, कंजी-3, खमेर-28, छिवला-7, जामुन-2, नीम-3, पीपल-4, बबूल-8, बांस-3, बेर-118, बेल-3, महुआ-4, मुंढी-1, मुनगा-1, मेंहदी-2, लिप्टिस-30, सफेद शीरस-सीताफल-9, सेम्हर-1
	लामूसिंह पिता सम्पतसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3/2	2.400	2.400		
7	प्रेमसिंह पिता सम्पत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3/3	2.400	2.400		
8	मानवती पुत्री सम्पत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3/4	2.000	2.000		
9	दशरतियाबाई पुत्री आधारसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/4	0.530	0.530		
10	दसमाबाई पुत्री आधारसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/5	0.520	0.520		
11	कोशीबाई पत्नी अजरू जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/1	0.860	5.222		नीम-1
12	विशनसिंह पिता मंगलू जाति गौड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/2/1	0.300			छिवला-1
13	भजनसिंह पिता विशनसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/2/2	0.350			
14	धरमसिंह पिता मंगलू,जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/3	0.930			
15	छुरैया पिता मंगलू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/4	1.060			

16	कोपसिंह पिता बाबूलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/5	1.020			
17	नवलसिंह पिता बजरू] विश्रामसिंह पिता बजरू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुर्टीबाई पुत्री बजरू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरिवती पुत्री बजरू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/6/1	0.510			कंजी-3, खमेर-2, छिवला-1, बबूल-1, बेर-1, हड़वा-1
	रामसिंह पिता कुंदूसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/6/2	0.510			
18	शिखरचन्द पिता हीरासिंह जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलसिंह पिता हीरासिंह जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नन्नूसिंह पिता कुंवरलाल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/1	0.800	0.795		शोबबूल-34, कंजी-1, किरगी-11, खमेर-1, नीम-1, बबूल-8, बेर-21
19	अमरतिया पुत्री रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमरसिंह पिता नन्नूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सम्हासिंह पिता नन्नूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी समलीबाई पुत्री रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/2	0.920	0.759		शोबबूल-14, आम-1, उमर-1, खमेर-33, बेर-43
20	सोमनाथ पिता गनपत जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/3/1	0.760			खमेर-1, बेर-20
21	रजनसिंह पिता रामनाथ जाति गौंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/3/2/1	0.390			शोबबूल-14, खमेर-10, बबूल-1, बेर-32, लिप्टिस-7
22	चन्द्रसिंह पिता रामनाथ जाति गौंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/3/2/2	0.380	1.807		
23	बुध्दाबाई पुत्री गनपत जाति गौड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/3/3	0.400			उमर-1, बेर-1
24	मोहनसिंह पिता सुखना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मनोहरसिंह पिता सुखना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमरवती पुत्री सुखना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	0.300	0.300		शोबबूल-4, छिवला-2, बेर-8
25	भदियाबाई पुत्री दशरथसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/2	0.270	0.127		छिवला-2, बेर-5

26	मेनका पुत्री सुधईसिंह, भागवती पुत्री सुधईसिंह, जानकी पुत्री सुधईसिंह, निरूपसिंह पिता रायसिंह, प्रेमसिंह पिता मानसिंह, सेवसिंह पिता मानसिंह, सजीवन पिता सुधईसिंह, सियाबाई पत्नी सुधईसिंह पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1	2.280	1.551		शोबबूल-3, छिवला-2, बबूल-2, बेर-71, लिप्टिस-1, सीताफल-1
	राजेन्द्रसिंह पिता भददेसिंह, महेंद्रसिंह पिता भददेसिंह, हेमसिंह पिता मनेसिंह, महेन्द्रवती पुत्री भददेसिंह, श्यामवती पुत्री भददेसिंह, कलावती पत्नी भददेसिंह, हरिवति पुत्री भददेसिंह पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/2	2.620			
27	जयसिंह पिता शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दयासिंह पिता शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दयावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अम्मावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरजावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1	1.020	0.183		खमेर-, बेर-3
28	श्यामबाई परस्ते बेवा सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेशसिंह परस्ते पिता सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कंधीसिंह पिता सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/2	1.030			
29	जुलाबसिंह पिता बल्लारसिंह, प्यारे पिता बल्लारसिंह, फूलाबाई पुत्री सेमसिंह, फूलसिंह पिता सेमसिंह, हरेसिंह पिता सेमसिंह, नंदनी पुत्री रोहित, हरियारोबाई पत्नी गुलाबसिंह, तिहारोबाई पुत्री सेमसिंह, गुलावती पिता थानसिंह, नन्हेसिंह पिता गुलाबसिंह, राधेश्याम पिता रोहित, हरिवती पुत्री निरपत पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/1	0.440	0.302		उमर-1, बेर-15
30	मानवती पुत्री सम्पत जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2	0.340	0.269		बेर-8

31	झामसिंह पिता गरभू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चैनसिंह पिता गरभू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बैसखिया पुत्री गरभू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फुलझरिया पुत्री गरभू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमोतिनबाई पुत्री गरभू जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हीरासिंह पिता रामलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरिसिंह पुत्र रामलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमेश पिता रामलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हीरावती पुत्री रामलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हिरिया पुत्री रामलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीतसिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमरसिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गंगासिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गीताबाई पुत्री रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21	4.360	3.876		शोबबूल-4, ऊमर-2, किरगी-2, खमेर-13, खसी-1, जामुन-1, नीम-1, बबूल-9, बांस-4, बेर-190, महुआ-1, सेम्हर-1
	गंगासिंह पिता रामसिंह				कुंआ-1	
32	जयसिंह पिता शंकरसिंह , दयासिंह पिता शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दयावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अम्मावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरजावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/1	0.270	0.270		शोबबूल-2, ककई-1, खमेर-2, बबूल-10, बेर-19
33	श्यामबाई परस्ते बेवा सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेशसिंह परस्ते पिता सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कंधीसिंह पिता सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/2	0.270	0.270		शोबबूल-6, ककई-2, किरगी-2, खमेर-1, बेर-13

34	रामवती पिता छबलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23	0.790	0.790		शोबबूल-2, कचनार-1, किरगी-2, खमेर-9, बबूल-2, बेर—54, हड़वा-1
35	टीकोबाई पिता दसरुसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24	0.810	0.810		शोबबूल-2, उमर-1, किरगी-1, खमेर-1, बेर-9, सेम्हर-1
36	कोशीबाई पत्नी अजरू जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/1	0.180	0.180		
37	भजनसिंह पिता विशनसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2/1	0.090	0.090		
38	सजनसिंह पिता विशनसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2/2	0.090	0.090		शोबबूल-10, आम-1, उमर-1, किरगी-5, खमेर-3, जामुन-1, बेर-59, साजा-1, सेम्हर-3
39	धरमसिंह पिता मंगलू जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/3	0.180	0.180		
40	छुरैया पिता मंगलू जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/4	0.170	0.170		
41	कोपसिंह पिता बाबूलाल जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/5	0.170	0.170		
42	नवलसिंह पिता बजरू जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विश्रामसिंह पिता बजरू जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुटीबाई पुत्री बजरू जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरिवती पुत्री बजरू जाति गौंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/6	0.170	0.170		
43	कवलसिंह पिता बुद्धू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27	0.790	0.790		खमेर-1, खसी-1, बबूल-3, बेर-11
44	शिखरचन्द पिता हीरासिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फूलसिंह पिता हीरासिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नन्नूसिंह पिता कुंवरलाल जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/1	2.000	2.000		शोबबूल-63, उमर-3, कंजी-1, किरगी-3, खमेर-11, पीपल-2, बबूल-11, बेर-79

45	अमरतिया पुत्री रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमरसिंह पिता नन्नूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सम्हासिंह पिता नन्नूसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी समलीबाई पुत्री रामसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/2	1.300	1.300		शोबबूल-2, उमर-1, धुन्जा-2, बबूल-4, बेर-6
46	सोमनाथ पिता गनपत जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/3/1	0.590	0.590		
47	रजनसिंह पिता रामनाथ जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/3/2/1	0.300	0.300		शोबबूल-11, आम-2, किरगी-1, खमेर-3, बबूल-6, बरगद-1, बेर-16, लभेर-1, लिप्टिस-1, सगोन-1
48	चन्द्रसिंह पिता रामनाथ जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/3/2/2	0.300	0.300		लिप्टिस-9
49	सोमनाथ पिता गनपत जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/4/1	0.300	0.300		
50	रामनाथ पिता गनपत जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/4/2	0.300	0.300		किरगी-3, बेर-2
51	पतिराम पिता नन्कू , द्रोपति पिता नन्कू , रूपता पुत्री नन्कू जाति गौड , सुग्रीबाई पुत्री नन्कू जाति गौड , गनपती पुत्री नन्कू , लता पुत्री नन्कू जाति गौड , सेमसिंह पिता पनकू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लम्मासिंह पिता पनकू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गेंदसिंह पिता पनकू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी इन्द्रसिंह पिता पनकू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29	3.900	3.900		शीशम-3, शोबबूल-15, आम-1, उमर-4, खमेर-36, छिवला-1, नीम-4, बबूल-42, बांस-1, बेर-66, साजा-1, सेम्हर-1
52	झामसिंह पिता गरभू , चैनसिंह पिता गरभू , बैसखिया पुत्री गरभू , फुलझरिया पुत्री गरभू , रमोतिनबाई पुत्री गरभू जाति गौड , हीरासिंह पिता रामलाल , हरिसिंह पुत्र रामलाल , रमेश पिता रामलाल , हीरावती पुत्री रामलाल जाति गौड , हिरिया पुत्री रामलाल जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जीतसिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमरसिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गंगासिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गीताबाई पुत्री रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30	0.420	0.420		खमेर-1, छिवला-1, बबूल-7, बेर-7

53	जयसिंह पिता शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दयासिंह पिता शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दयावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अम्मावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरजावती पुत्री शंकरसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/1	1.980	1.980		अमरूद-3, आम-1, इमली-2, किरगी-1, खमेर-1, खसी-1, छिवला-2, नीम-2, बबूल-21, बेर-70
	जयसिंह पिता शंकरसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
54	श्याम बाई परस्ते बेवा सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेशसिंह पिता सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कंधीसिंह पिता सोनसिंह जाति गौड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/2	1.970	1.970		शोबबूल-8, इमली-1, किरगी-3, खमेर-16, बबूल-7, बेर-76
55	जोहर सिंह पिता गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जवाहरसिंह पिता गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीवती पुत्री गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शामवती पुत्री गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सहमतियाबाई बेवा गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वृहस्पतिया बेवा आनंद जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भगतसिंह पिता आनंद जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जगतसिंह पिता आनंद जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लोंगवती पुत्री आनंदसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32	0.950	0.950		

56	चन्द्रकला पत्नी सुखदेव जाति गोंड पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गंभीरसिंह पिता सुखदेव पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] शांतिबाई पुत्री सुखदेव पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जीराबाई पुत्री सुखदेव पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] इन्द्रसिंह पिता गुपतसिंह पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मंगलसिंह पिता गुपतसिंह पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] इंद्रवती पुत्री गुपतसिंह पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मोहवती पुत्री गुपतसिंह पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रमोतिनबाई पत्नी सम्पतसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] हम्मेलाल पिता सम्पतसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गलीराम पिता सम्पतसिंह पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता सम्पतसिंह पता कुर्कवारा रै० डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बुद्धीबाई पुत्री सम्पतसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] केहरसिंह पिता सुनवा जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] रामबाई पुत्री चमरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] धरमीबाई पुत्री चमरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामबाई पुत्री चमरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुनवा पिता सोनसाय जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सम्हर पिता सोनसाय जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भुखिया बेवा सोनसाय जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] बृहस्पतिया पुत्री महासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामवती बेवा हीरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कमलसिंह पिता हीरासिंह , नवलसिंह पिता हीरासिंह , लखनसिंह पिता हीरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] राजेन्द्र पिता हीरासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मंगलीबाई पुत्री हीरा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1	2.120	2.120		खमेर-3, छिवला-1, जामुन-1, बेर-35, रेला-1

57	सुन्दरसिंह पिता दुलपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फुलवरिया पुत्री दुलपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ओमवती पुत्री दुलपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सोमवती पुत्री दुलपसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/3	0.530	0.530		उमर-3, बेर-5, रेला-1
58	मेनका पुत्री सुधईसिंह, भागवती पुत्री सुधईसिंह, जानकी पुत्री सुधईसिंह, निरूपसिंह पिता रायसिंह, प्रेमसिंह पिता मानसिंह, सेवसिंह पिता मानसिंह, सजीवन पिता सुधईसिंह, सियाबाई पत्नी सुधईसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/1	0.980	0.980		छिवला-1, बेर-8
	राजेन्द्रसिंह पिता भददेसिंह, महेंद्रसिंह पिता भददेसिंह, हेमसिंह पिता मनेसिंह, महेन्द्रवती पुत्री भददेसिंह, श्यामवती पुत्री भददेसिंह, कलावती पत्नी भददेसिंह , हरिवति पुत्री भददेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/2	0.980	0.980		
59	मगनलाल पिता सोनू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमललाल पिता सोनू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गोकल पिता महगू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35	2.250	2.250		खमेर-1, बबूल-28, बेर-50
60	मेनका पुत्री सुधईसिंह, भागवती पुत्री सुधईसिंह, जानकी पुत्री सुधईसिंह, निरूपसिंह पिता रायसिंह, प्रेमसिंह पिता मानसिंह, सेवसिंह पिता मानसिंह, सजीवन पिता सुधईसिंह, सियाबाई पत्नी सुधईसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/1	1.490	1.490		शोबबूल-6, अमरूद-5, किरगी-13, बबूल-17, बरगद-1, बेर-84
	राजेन्द्रसिंह पिता भददेसिंह, महेंद्रसिंह पिता भददेसिंह, हेमसिंह पिता मनेसिंह, महेन्द्रवती पुत्री भददेसिंह, श्यामवती पुत्री भददेसिंह, कलावती पत्नी भददेसिंह , हरिवति पुत्री भददेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/2	1.480	1.480		

61	मोहनसिंह पिता सुखना जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मनोहरसिंह पिता सुखना जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमरवती पुत्री सुखना जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुखैया पिता बिगरा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मनमतिया बेवा भुखवा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हिन्दूसिंह पिता भुखवा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जगतसिंह पिता भुखवा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सरवनसिंह पिता पुनवा जयमती पुत्री पुनवा भारतसिंह पिता भुखवा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लमुवा पिता भुखवा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी छोटेलाल पिता भुखवा जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37	3.130	1.620		शोबबूल-22, अमरूद-3, उमर-1, खमेर-18, बबूल-35, बांस-3, बेर-30, लभेर-1
62	भगवतसिंह पिता अधनू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चरनसिंह पिता अधनू जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39	3.920	1.324		शोबबूल-3, खमेर-6, नीम-1, बबूल-32, बेर-43
	चरनसिंह पिता अधनू				बोरबेल-1	
63	चेतराम पिता सौनू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जिल्लेसिंह पिता सुकलु पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कल्ले सिंह पिता सुकलु पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40/1	1.900	0.504		उमर-1, बबूल-1, बेर-3
64	कल्लेसिंह पिता सुकलु जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40/2	0.400	0.160		खमेर-1, बेर-7
65	रामवती पिता छबलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/1	0.300	0.142		बबूल-6, बेर-8
66	जोहर सिंह पिता गहबरसिंह , जवाहरसिंह पिता गहबरसिंह , श्रीवती पुत्री गहबरसिंह , शामवती पुत्री गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सहमतियाबाई बेवा गहबरसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वृहस्पतिया बेवा आनंद जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भगतसिंह पिता आनंद जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जगतसिंह पिता आनंद जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लोंगवती पुत्री आनंदसिंह जाति गोंड पता कुर्कवारा रै0 डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/2	3.390	0.018		हड़वा-1
योग :-			96.710	73.994		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 20 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकबा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–851–भू–अर्जन–2023–24–50–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	चौरा रैयत प.ह.नं. 30	**98.973**	92	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**98.973** हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी/शास.पट्टेदार का नाम मय पता सहित	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.)	परिसम्पत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	सुहाना पति दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/1	1.560	1.560	.	शोबबूल-2, आम-2, किरगी-1, नीम-1, बबूल-1, बेल-4, सेम्हर-1
	सुमरित / रामभरोसे (कब्जेदार)		-	-	.	शोबबूल-1, खमेर-4, बांस-3, बेर-3
	प्रदीप कुमार/दुख्यु वचावले (कब्जेदार)		-	-	.	खमेर-6, पीपल-1, मुनगा-1
	सुशील कुमार / दुख्यु वचावले (कब्जेदार)		-	-	.	शोबबूल-6, खमेर-2, तेन्दू-2, पीपल-1, बांस-1, बेर-4
	दुख्यु वचावले/राममरोस (कब्जेदार)		-	-	.	अनार-1, आम-1, नीम-1
	रामचरण /दुख्यु वचावल (कब्जेदार)		-	-	.	शोबबूल-1, ठमर-2, हर्रा-1
2	रामवती पुत्री दलपत जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/2	1.560	1.560	.	आम-1, नीम-1, बेल-3, सेम्हर-1

3	कामा पति फुन्दीलाल जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1	0.850	0.850	.	आम-1, इमली-1, किरगी-1, नीम-2, बीजा-1, सीताफल-1
4	झामा पति दादूलाल जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/2	0.860	0.860	.	उमर-1, पीपल-1, बेर-2
5	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	2.060	2.060	.	छिवला-2, पीपल-1, बमूर-6, हर्रा-2
6	सुनरा पिता छोटा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मुकेश पिता बुधई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7	1.210	1.210	.	आम-1, उमर-1, जामुन-1, बमूर-4
7	सुहाना पति दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/1	1.280	2.426	.	छिवला-2, जामुन-1, नीम-1, हर्रा-1
8	रामवती पुत्री दलपत जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/2	1.280		.	छिवला-8
9	हल्कू पिता मायाराम , प्रेमवती बेवा कोलसिंह , दयासिंह पिता कोलसिंह , भागवती पुत्री कोलसिंह , सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9	2.850	2.499	.	अदार-3, उमर-1, छिवला-67, जामुन-1, नीम-1, सेम्हर-1
10	रामफल पिता जयसिंहए छोटी पुत्री जयसिंहए सांनसिंह पिता जयसिंहए रामवती पुत्री जयसिहए सांनवती पुत्री जयसिहए लालवती पुत्री जयसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10	2.840	2.840	.	आम-1, छिवला-16, जामुन-1, बकाइन-1, बेर-4, सेम्हर-1, हर्रा-1
11	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11	0.850	0.850	.	-
12	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12	1.650	1.650	.	बबूल-8, बेर-मीठि नीम-1
13	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13	0.200	0.200	.	नीम-1, बबूल-1, बेर-2
14	सुहाना पति दलपत , मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14	0.210	0.210	.	
15	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15	0.860	0.860	.	शोबबूल-1, आम-1, उमर-1, खमेर-2, जामुन-2, पड़री-1, पीपल-1, बकाइन-1, बबूल-4, बेर-5, सगोन-4

16	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16	0.770	0.770		आम-1, जामुन-1, बेर-2
17	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17	1.860	1.860		,बेर-1
18	इंद्रवती पिता दान सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18	4.870	4.870		नीम-1, बबूल-3, बेर-1
19	बृहस्पतिया पुत्री सुपैहा , गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह , कलारिन पति जहरा जाति गॉड , ढोलीसिंह पिता जहरा जाति गॉड , सुकरनवती पिता जहरा जाति गॉड , चिरोजाबाई पति धनसिंह जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चमरुसिंह पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] डुमारीसिंह पिता धनसिह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामवती पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19	3.230	2.418		छिवला-130, नीम-1, बकाइन-3, बबूल-1, बेर-1, सेम्हर-1, हर्रा-1
20	हल्कू पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमवती बेवा कोलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयासिंह पिता कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भागवती पुत्री कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20	1.270	0.179		छिवला-18
21	बृहस्पतिया पुत्री सुपैहा , गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह , कलारिन पति जहरा जाति गॉड , ढोलीसिंह पिता जहरा जाति गॉड , सुकरनवती पिता जहरा जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चिरोजाबाई पति धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चमरुसिंह पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] डुमारीसिंह पिता धनसिह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामवती पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25	1.210	1.210		शोबबूल-20, अर्जुन-1, कंजी-1, नीम-1, पीपल-1

22	मातो पति तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामदयाल पिता कुहकुर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सहबा पिता सुखवा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धनसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	26	1.950	1.950		शोबबूल-20, उमर-2, किरगी-8, छिवला-17, पीपल-1
	सोनवती / बुधईसिंह (कब्जेदार)					शोबबूल-32, आम-1, इमली-1, उमर-11, किरगी-1, जामुन-1, नीम-6, पीपल-1, बमूर-3, बेर-12, सेम्हर-3
23	सुहाना पति दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1	1.200	1.200		शीशम-1, शोबबूल-1, उमर-2, कंजी-1, नीम-1, बबूल-1, बीजा-1, बेर-4, मैदा-1, सेम्हर-2
24	रामवती पुत्री दलपत जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/2	1.210	1.210		शोबबूल-1, आम-3, इमली-1, उमर-2, किरगी-2, जामुन-5, बेर-9, साजा-4, सेम्हर-1, हर्रा-3
25	रूपदास पिता मुन्नादास जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29	2.550	0.945		शोबबूल-11, उमर-1, किरगी-1, छिवला-4, बबूल-1, बेर-3, सफेद शीरस-1, साजा-1, सेम्हर-1
26	मुकेश पिता बुधई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37	2.300	1.975		आम-4, किरगी-2, छिवला-373, नीम-1, पीपल-1, मुंढी-1, साजा-1, सेम्हर-3, हर्रा-5
27	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38	1.650	1.650		छिवला-176, बेर-1, सेम्हर-1
28	मुलिया बेवा ईंदल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1	0.220	0.220		
29	पतियाबाई बेवा सहबू पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/2	0.400	0.400		

30	हजारीसिंह पिता इन्द्रसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जमनी पति इन्द्रसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/3	0.400	0.400		
31	कामा पति फुन्दीलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/4	0.370	0.370		
32	झामा पति दादूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/5	0.260	0.260		
33	हल्कू पिता मायाराम , प्रेमवती बेवा कोलसिंह , दयासिंह पिता कोलसिंह , भागवती पुत्री कोलसिंह , सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40	0.910	0.910		छिवला-6, नीम-1
34	मुकेश पिता बुधई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43	0.570	0.570		शोबबूल-2, छिवला-1, बबूल-2, बेर-1
35	सुहाना पति दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	44	1.520	1.520		शोबबूल-1, अमरूद-2, आम-3, कठल-1, किरगी-1, खमेर-9, पड़री-1, बबूल-3, बांस-13, बेर-5, लिप्टिस-3, सीताफल-1
36	रामफल पिता जयसिंहए छोटी पुत्री जयसिंहए सांनसिंह पिता जयसिंहए रामवती पुत्री जयसिहए सांनवती पुत्री जयसिहए लालवती पुत्री जयसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45	1.600	1.600		छिवला-1, जामुन-1, नीम-2, बबूल-1, सेम्हर-1, हर्रा-1
37	ग्वालिन पति पन्नेसिंह , मोहन पिता पन्नेसिंह , जोहन पिता पन्नेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] उमेशकुमार पिता पन्नेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46	5.310	3.561		आम-1, किरगी-1, छिवला-170, जामुन-1, नीम-3, बेर-3, लिड़ैया-1, सीताफल-3, सेम्हर-15, हर्रा-3
38	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47	2.450	2.450		जामुन-2, नीम-2, बेर-2, महुआ-1, हर्रा-2
39	मातो पति तितरा , रामदयाल पिता कुहकुर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सहबा पिता सुखवा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धनसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49	0.820	0.820		जामुन-1, नीम-1, बबूल-8, बेर-6

40	गुलपत पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50	1.430	1.430		खमेर-1, बेर-3, हड़वा-1
41	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51	1.130	1.130		
42	सुहाना पति दलपत , मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/1	1.800	1.800		केवलार-2, खमेर-5, जामुन-1, बांस-3, बेर-3, सगोन-3
43	रामवती पुत्री दलपत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2	1.200	1.200		शोबबूल-1, खमेर-1, बांस-3, बेर-2, मुनगा-4, सीताफल-1
44	मातो पति तितरा , रामदयाल पिता कुहकुर , सहबा पिता सुखवा , गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह , धनसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/1	7.010	7.010		इमली-1, बबूल-16, बेर-21, महानीम-2, मीठि नीम-1, लभेर-2
45	बृहस्पतिया पुत्री सुपैहा , गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह , कलारिन पति जहरा , ढोलीसिंह पिता जहरा जाति गोंड , सुकरनवती पिता जहरा , चिरोजाबाई पति धनसिंह जाति गोंड , चमरुसिंह पिता धनसिंह जाति गोंड , डुमारीसिंह पिता धनसिह जाति गोंड , श्यामवती पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/2	2.340	2.340		शोबबूल-14, केवलार-1, खमेर-28, जामुन-1, बबूल-6, बांस-1, बेर-16, मुनगा-2, रेला-1
46	ग्वालिन पति पन्नेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मोहन पिता पन्नेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] जोहन पिता पन्नेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] उमेशकुमार पिता पन्नेसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54	1.940	1.940		शोबबूल-2, आम-2, इमली-4, केवलार-2, खमेर-2, खमेर-1, बबूल-3, बमूर-11, बांस-4, बेर-16, महानीम-1, मुनगा-4, सीताफल-2
	पन्ने सिंह पिता मोती(मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	उमेश पिता पन्ने सिंह (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्की नीव, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का छज्जा	

47	गुलपत पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55	1.700	1.700		शोबबूल-1, खमेर-1, तेन्दू-1, बबूल-2, बांस-1, बेर-10
48	गुलपत पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56	0.740	0.740		
49	बृहस्पतिया पुत्री सुपैहा पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कलारिन पति जहरा जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ढोलीसिंह पिता जहरा जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुकरनवती पिता जहरा जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चिरोजाबाई पति धनसिंह जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चमरुसिंह पिता धनसिंह जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] डुमारीसिंह पिता धनसिह जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामवती पिता धनसिंह जाति गॉड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57	0.980	0.980		खमेर-4, बमूर-13, बेर-6, लिप्टिस-1
50	गुलपत पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	58	1.050	1.050		
51	सुनरा पिता छोटा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मुकेश पिता बुधई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59	0.160	0.160		
52	सुनरा पिता छोटा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ब्रहस्पतिया बेवा जेहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] अमरसिंह पिता जेहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्रीवती पुत्री जेहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] अमरवती पुत्री जेहरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मुकेश पिता बुधई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60	1.000	1.000		बमूर-1, बेर-2
53	सुहाना पति दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/1	0.510	0.510		बेर-6
54	रामवती पुत्री दलपत जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/2	0.510	0.510	कुंआ-1	

55	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवी पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] विजय पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62	0.510	0.510		बमूर-5, बेर-3
56	रामफल पिता जयसिंह, छोटी पुत्री जयसिंहए सांनसिंह पिता जयसिंहए रामवती पुत्री जयसिहए सांनवती पुत्री जयसिहए लालवती पुत्री जयसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	63	0.770	0.770		,बेर-2
57	हल्कू पिता मायाराम , प्रेमवती बेवा कोलसिंह जाति गॉड , दयासिंह पिता कोलसिंह , भागवती पुत्री कोलसिंह , सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	64	0.510	0.510		बमूर-2, बेर-5
58	हल्कू पिता मायाराम जाति गोड , प्रेमवती बेवा कोलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयासिंह पिता कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भागवती पुत्री कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65	0.370	0.370		बेर-4
59	सुमरित पुत्र राम भरोस, दुकखू पुत्र राम भरोस, गुन्दुलाल पुत्र राम भरोस, सुमतिया पुत्री राम भरोस, पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/1	0.030	0.030		आम-1, उमर-1, बेर-2
	सुमरित पिता राम भरोसे जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2	0.030	0.030		
	दुक्खू पिता राम भरोसे जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/3	0.030	0.030		
	गुन्दू पिता राम भरोसे पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/4	0.040	0.040		
	सुमतिया पुत्री राम भरोसे पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/5	0.030	0.030		
60	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवी पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] विजय पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67	2.570	2.570		बमूर-10, बेर-8

61	हल्कू पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमवती बेवा कोलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयासिंह पिता कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भागवती पुत्री कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68	0.940	0.940		किरगी-1, बमूर-6, बेर-1
62	हल्कू पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रेमवती बेवा कोलसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] दयासिंह पिता कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] भागवती पुत्री कोलसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुखराम पिता मायाराम जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69/1	2.130	2.130		बबूल-1, बांस-1, बेर-13, लिप्टिस-3
	प्रेमवती पति कोलसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–3	
	दयासिंह पिता कोलसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का	
63	रामफल पिता जयसिंहए छोटी पुत्री जयसिंहए सांनसिंह पिता जयसिंहए रामवती पुत्री जयसिहए सांनवती पुत्री जयसिहए लालवती पुत्री जयसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69/2	2.130	2.130		शोबबूल-3, खमेर-1, बांस-1, बेर-2
	रमेश पिता रूपचंद (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	कमलसिंह पिता हरीलाल (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	

64	मातो पति तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामदयाल पिता कुहकुर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सहबा पिता सुखवा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धनसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70	0.100	0.100		
65	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71	2.110	2.110		खमेर-1, बबूल-4, बमूर-3, बांस-16, बेर-9, मुनगा-2, लिप्टिस-6,
66	बृहस्पतिया पुत्री सुपैहा पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] गिरवरसिंह पिता तिलकसिंह पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] कलारिन पति जहरा जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी. डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] ढोलीसिंह पिता जहरा जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] सुकरनवती पिता जहरा जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चिरोजाबाई पति धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] चमरुसिंह पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] डुमारीसिंह पिता धनसिह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] श्यामवती पिता धनसिंह जाति गोंड पता चौरा रै- डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72	0.310	0.310		अमरूद-1
	गिरवर पिता तिलकसिंह (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का छज्जा, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का	
	रविसिंह पिता गिरवर सिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का	

	चमरू सिंह पिता धन सिंह (मकान मालिक)				पक्का घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल	
	चिरौंजा बाई पति धनसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का	
	डुमारी पिता धनसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल	
	अमरसिंह पिता जेहरसिंह (मकान मालिक)				पक्का घर लेंटर बाकी, कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	ढोलीसिंह पित जहरा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का	
	गिरवार / तिलक (कब्जेदार)					शोबबूल-3, अमरूद-1, खमेर-1, मुनगा-8, सीताफल-2
	ढोली सिंह / जेहर (कब्जेदार)					शोबबूल-2, कठल-1, खमेर-3, बबूल-2, बेर-2, मुनगा-6, सीताफल-1

67	गुलपत पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73	0.130	0.130		
68	जानकीबाई पति मुलवा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74	0.190	0.190		खमेर-1, बांस-2, बेर-1
69	जानकी बेवा मुलवा , देवीलाल पिता मुलवा , द्रोपती पुत्री मुलवा , दुर्गावती पुत्री मुलवा जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75	0.010	0.010		शोबबूल-3, कठल-1, खमेर-3, नीम-1, पीपल-1, बांस-4, बेर-2, सीताफल-3
	देवीलाल पिता मुलवा (मकान मालिक)				पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल	
	जानकी पति मुलवा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
70	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	76	0.040	0.040		मुनगा -2
71	मुकेश पिता बुधई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77	0.240	0.240		शोबबूल-8, कनेर-2, खमेर-2, बांस-1, बेर-3, बेल-1, मुनगा-2, साजा-1
	सुखदीन पिता बुधईसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट	
	सुनारिन पति सुनरा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
	बुधइ सिंह पिता सुनरा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल–2	
	रूपचंद पिता लक्ष्मण (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का	
	अशोक पिता बुधई (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट, शौचालय पक्का	
	मुकेश पिता बुधई (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा वॉन्ड्री बाल देवी स्थल	

72	रामफल पिता जयसिंह, छोटी पुत्री जयसिंह, सांनसिंह पिता जयसिंह, रामवती पुत्री जयसिह, सांनवती पुत्री जयसिह, लालवती पुत्री जयसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78	0.310	0.310		शोबबूल-2, केवलार-1, खमेर-1, बबूल-1, मुनगा-3
	रामफल पिता जयसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	हनुमत पिता रामफल (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2 कच्चा वॉन्ड्री बाल	
	सोनसिंह पिता जयसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, कच्चा वॉन्ड्री बाल, पक्का पानी टंकी	
73	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवी पिता मेरसिंह , विजय पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	80	0.240	0.240		शोबबूल-2, अमरूद-6, आम-1, आवला-1, खमेर-2, जामुन-1, पीपल-1, बबूल-1, सीताफल-1
74	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड , देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड , देवी पिता मेरसिंह जाति गोड , विजय पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	81	0.080	0.080		
75	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवी पिता मेरसिंह , विजय पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82	0.080	0.080		

76	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत . रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83/1/1	0.030	0.030		केवलार-1
77	कवलसिंह पिता रामा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रहलाद पिता रामा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83/1/2	0.400	0.400		शोबबूल-1, अमरूद-1, खमेर-5, बांस-2, बेर-1, मुनगा-1, सगोन-1, सफेद शीरस-1
	रामू पिता रतुआ (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
	कंवल सिंह पिता रामा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2 कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का	
	अतरसिंह पिता कंवल सिंह (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का घर लेंटर बाकी, शौचालय पक्का	
	धरम पिता प्रहलाद (मकान मालिक)				कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	प्रहलाद पिता रामा (मकान मालिक)				पक्का घर लेंटर बाकी, पक्का मकान छत सीमेंट शीट	
78	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत ; रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84/1/1	0.950	0.950		बेर-6
79	कवलसिंह पिता रामा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] प्रहलाद पिता रामा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84/1/2	0.400	0.400		शोबबूल-1, केवलार-1, खमेर-5, बांस-4, बेर-1

	जयमतिया पुत्री प्रतापसिंह				कुंआ-1	
80	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85	0.260	0.260		शोबबूल-1, केवलार-1, खमेर-2, बेर-1
81	रूपदास पिता मुन्नादास सेवा भूमि ग्राम कोटवार जाति पनिका पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86	1.500	1.500		शोबबूल-8, खमेर-1, बबूल-12, बांस-1, बेर-10, लभेर-1, लिप्टिस-10, सगोन-1, सीताफल-6
82	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87	0.590	0.590		शीशम-2, कहुवा-1, खमेर-4, बबूल-4, बांस-3, बेर-1, सगोन-3, सीताफल-3
83	गुलपत पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88	0.180	0.180		अमरूद-, जामुन-1, सीताफल-1
	गुलपत पिता हीरालाल (मकान मालिक)				पक्का घर छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	संतोष पिता गुलपत (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का छज्जा, कच्चा गौशाला छत खपरेल, बौंड्री बाल पक्का शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
84	चेतसिंह पुत्र दलसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89	0.120	0.120		कहुवा-3, मुनगा-1
85	जयमतिया पुत्री प्रतापसिह लाल सिंह, तितरा, गनपत , रन्नूसिंह पिता तितरा पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	90	0.120	0.120		बेर-3, मीठि-नीम-1, मुनगा-3, लिप्टिस-3
	पुहुप सिंह पिता दीना (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2	
	दीना पिता तीता (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का	

	बेलसिंह पिता दीना (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल	
	कुंवरसिंह पिता दीना (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2 कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का	
86	सुहाना पति दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] मेरसिंह पिता दलपत पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91/1	0.270	0.270		
87	रामवती पुत्री दलपत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91/2	0.270	0.270		शीशम-1, केवलार-1, खमेर-2, नीम-1, बबूल-1, बांस-6, बेर-2, सगोन-3
88	कुंवरसिंह पिता कंधी, सुनारिन पति भीखम, दानसिंह पिता हजारी, खेमसिंह पिता हजारी, नदबद पिता हजारी, मालतीबाई पुत्री हजारी, शांतिबाई पिता हजारी, चरनसिंह पिता कंधी, झुरगावती पिता कंधी, मंगलिया पिता कंधी, चिरौंजा पिता कंधी पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	92	1.020	1.020		बांस-2, बेर-1, सगोन-1
89	कामा पति फुन्दीलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/1	0.460	0.460		
90	झामा पति दादूलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/2	0.450	0.450		
91	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवी पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] विजय पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	94	0.980	0.980		
92	मेरसिंह पिता दलपत जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवसिंह पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] देवी पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी] विजय	95	0.590	0.590		

	पिता मेरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी					
	प्रहलाद पिता रामा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
	राजकुमार पिता कमलसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत सीमेंट शीट	
	देवीसिंह पिता मेरसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, कच्चा वॉन्ड्री बाल	
	विजयसिंह पिता मेरसिंह (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का छज्जा, कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
93	कमलेश पिता फूलचंद (मकान मालिक)	79			कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	रामवती पति फूलचंद (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल–2, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	देवसिंह पिता मेरसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर केवल दिवाल	
	सेवसिंह पिता चेतसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, कच्चा वॉन्ड्री बाल	

	चेतसिंह पिता दलसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
	देवसिंह पिता मेरसिंह (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
	धम्मनसिंह पिता हरीलाल (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा घर छत सीमेंट शीट, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	फुल्ली बाई पति रामा (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
94	दुक्खु पिता रामभरोस बचावले (मकान मालिक)	03			पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल–2, पक्का छज्जा	
	मुन्नी बाई पति सुमरतलाल (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल	
	रामभरोस पिता रामदास (मकान मालिक)				पक्का घर, पक्का छज्जा, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का मंदिर	
	शुशील कुमार पिता दुक्खु (मकान मालिक)				पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल–2	
	प्रदीप पिता दुक्खू (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल	
	मुन्नी बाई पति संतोष (मकान मालिक)				पक्का घर छत खपरेल	
	रामचरण पिता दुक्खू (मकान मालिक)				कच्चा घर छत खपरेल शौचालय पक्का	
योग :–			105.040	98.973		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 83 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकबा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. ाजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथोचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–852–भू–अर्जन–2023–24–37–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03		04	05
डिण्डौरी	डिण्डौरी	औरई माल प.ह.नं. 35	52.926	137	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	52.926 हेक्ट.		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र	प्रभावित खातेदार (कृषक का नाम)	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	परिसंपत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	पतिलाल पुत्र सूना, नारायण पिता सुखीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी।	2	0.100	0.100		उमर-1, कंजी-2, खमेर-2, खसी-2, नीम-1, बबूल-6, बेर-1 ,शोबबूल-1
2	दिगम्बरलाल पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर , गिरीसकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर , सुशीलाबाई पुत्री बाबूलाल जाति ढीमर , धनदकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वाम	3	2.300	0.636		खमेर-6 ,बबूल-4 ,बरगद-1 ,शोबबूल-4 ,सगोन-1
3	पतिलाल पिता सुना, नारायण पिता सुखीराम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4	0.200	0.200		सीताफल-1

4	पतीलाल पिता सोनू, देवेंद्र पिता नारायण, लखन पिता नारायण, लक्ष्मी पुत्री नारायण, निर्मला पुत्री नारायण, सहीसनबाई पति सुखीराम, नारायण पिता सुखीराम, सुकवरिया पिता सुखीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5	0.750	0.650	-	खमेर-1 ,बबूल-9 ,बेर-2 ,बेल-2 , मुहड़ी-3
5	रतनलाल पुत्र लहकू जाति ढीमर पता .डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि	6	1.390	1.220	-	कंजी-16 ,खमेर-23 ,खसी-1, नीम-1 ,बबूल-13 ,बेर-10, मुनगा-22 ,शोबबूल-23 ,सगोन-6,सेमर-1
6	संतोषकुमार पुत्र चेतराम जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि	7	1.010	0.030	-	-
7	सोनू पिता रतीलाल जाति ढीमर . पतीलाल पिला सोनू जाति बीमर . पतियाबाई पिता सोनू जाति ढीमर . सहीसनबाई पति सुखीराम आति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नारायण पिता सुखौराम जात	167	1.240	0.160	-	केवलार-1 ,खमेर-3 ,बबूल-1 ,बेर-1
8	शारदा पिता महा सिंह जाति गाँड पता हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/1	0.410	0.155	-	-
9	रामेश्वर पिता महा सिंह जाति गाँड पता हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/2	0.410	0.155	-	-
10	संपतियाबाई पत्नी विसाहू जाति गाँड . मोहनसिंह पुत्र बिसाहू जाति गाँड . हिरेन्द्र पुत्र बिसाहू जाति गाँड . प्रर्यिका पुत्री बिसाहू ना या वली माँ जाति गाँड . भागाबाई पुत्री मंगलू जाति गाँड पला हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	171	0.25	0.010	-	-
11	तिलकसिंह पुत्र नरबदा जाति गोड पता डिंड़ोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/1/1	0.190	0.1225	कुआँ -1	

12	तुलाराम वनवासी पिता गैसराम जाति कौल पता देवलपुर डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/1/2	0.400	0.400	-	
13	सुकमतियाबाई पत्नी गिरवर सिंह जाति गॉड , पारवती पुत्री गिरवर सिंह जाति गाँड , प्रीतमसिंह पुत्र गिरवर सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2/1	0.590	0.1225	-	खमेर-5, पीपल-1, बबूल-31 , बेर-21 , शोबबूल-2 , सेमर-1
14	छुन्नू पुत्र नरबदा सिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2/2	0.590	0.1225	-	
15	गंगासिंह पुत्र नरबदा जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2/3	0.590	0.1225	-	
16	बजारीलाल पुत्र परमलाल जाति गाँड पता हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	174	1.740	0.140	-	
17	फुलझर पत्नी हरी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	193	0.590	0.430	-	खमेर-1 , बबूल-1
18	रतनलाल पिला लहकू जाति ढीमर पता सा. देह शासकीय संस्था	194	0.410	0.410	-	बबूल-1
19	तितरू पुत्र धोकल जाति ढीमर , सुखराम पुत्र धोकल जाति ढीमर , चैतू पुत्र धोकल जाति ढीमर , कंरजिया पुत्री धोकल जाति ढीमर , रामबाई पत्नी मंगल जाति ढीमर चिवली पुत्री मंगल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	196	0.970	0.340	-	कंजी-1 ,खमेर-1 , पीपल-1 ,बबूल-5 ,बेर-1
20	छोटेलाल पुत्र विश्रु जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197	0.980	0.750	-	नीम-1 ,बबूल-4 ,बेर-4 , लिसिस। पीपल–1
21	चमेली धुर्वे पत्नी हीरा सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	199	2.230	0.460	-	-

22	गनपत पिता गनेशा जाति गोंड . ईदल पिता गनेशा जाति गोंड . फुलझर पुत्री रमैया जाति हवदक . फुलमोतिन पुत्री रमैया जाति गोंड . छीता पुत्री रमैया जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	203/1	0.880	1.670	-	बबूल-5
23	सुन्दरलाल पिता तेलीराम पिता महेशसिंह तेलीराम जाति गोंड पता साण्देह भूमि स्वामी	203/2	1.800		-	
24	उमाकांत ओमकार पिता पंचमसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	2.310	2.310	पक्का मकान सीमेंट शीट-1	आम -1 , आम प्लांटिंग-18, खमेर-4,गुलमोहर-2 ,जामुन-6 ,जामुन प्लांटिंग-4 ,नीम-1 ,बबूल-54, बेर-37 ,लभेर-1,शोबबूल-1 ,सगोन प्लांटिंग-8 सेम्हर-1
25	नारायाण सोनवली अनसुइया पिप्नान्हू लच्छी बाई ध प स्व नान्तु राहुल रोशनी पिता खेमचंद जाति गोंड पता साण्देह भूमि स्वामी	207	0.800	0.610	-	खमेर-5 ,बबूल-4 ,बेर-13
26	संपतियाबाई पत्नी विसाहू जाति गोंड . मोहनसिंह पुत्र बिसाहू जाति गोंड . हिरेन्द्र पुत्र बिसाहू जाति गोंड . प्रयिंका पुत्री बिसाहू ना बा वली माँ बाति गोंड . भागाबाई पुत्री मंगलू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	208	1.131	1.110	-	बबूल-1 , बेर-2

27	मुन्नीबाई पुत्री तोप सिंह, गुलबसिया पुत्री तोप सिंह, गोपालसिंह पुत्र तोप सिंह, शंकरसिंह पुत्र तोप सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210	1.070	0.160	-	-
28	गणेश पुत्र सुकली जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	216/2	0.570	0.110	-	बबूल-2
29	मुन्नीबाई पुत्री तोप सिंह, गुलबसिया पुत्री तोप सिंह, गोपालसिंह पुत्र तोप सिंह, शंकरसिंह पुत्र तोप सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	217	0.500	0.010	-	
30	गुलाव पिता बाजे चन्दर आनंद पिता दलसिंह सुखीयाबाई ध प रव वलसिष्ठ कुन्दनसि पिता फूलसिह जाति गॉड पता निवासी ग्राम	219	0.62	0.48	-	सेमर-1
31	सुन्दरिया पत्नी धीरा जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए बुद्धन बाई पुत्री धीरा जाति गोंक पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वाम	220/1	1.74	1.740	-	उमर-1, खमेर-8, छिवला-1, जामुन-1, नीम-1, बबूल-9, बेर-18, शीशम-1
32	जयमा मालवे पति अशोक कुमार मालवे जाति परधान पता हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजकुमार पिता फागूलाल खिलावन पिता फागूलाल मकरंद पिता फागूलाल ,कब्जेदार)	220/2	0.800	0.800	- पक्का मंदिर–1 पक्का रूम छत नहीं	अमरुद-3, अशोक-1, उमर-2, खसी-2, बबूल-2, बरगद-1, बेर-7, शोबाबुल-4, हड्वा-1
33	सूना पुत्र ढोटू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वाम	222	0.700	0.700		उमर-1 ,खमेर-6 , तेंदू-2 ,बबूल-16, बेर-8
34	रमेश पुत्र जेटू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	223	0.740	0.740		खमेर-1 ,जामुन-1 ,नीम-1,बबूल-1 ,बेर-4 , लभेर-1
35	शारदा पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	224/1/1	1.100	1.000		उमर-1, खमेर-7, जामुन-2, बेर-10, महुआ-1, शोबबूल-4

36	रामेश्वर पिता महा सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी .	224/1/2	1.100	1.000		
37	हीरोबाई पत्नी बुध्दसेन जति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	224/2	0.370	0.270		ऊमर-1, बबूल-1, बेर-7, शोबबूल-1
38	लालवती पत्नी मंगल जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	224/3	0.440	0.340		बबूल-1, बेर-7
39	मुन्नेलाल पुत्र रामगनेश जाति परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225	2.130	2.130		केवलार-1,खमेर-84,नीम-3, पलास-1,बबूल-31,बेर-68, लभेर-7, शोबबूल-9, साजा-2, सेमर-1
40	मुन्नीबाई पुत्री तोप सिंह, गुलबसिया पुत्री तोप सिंह, गोपालसिंह पुत्र तोप सिंह, शंकरसिंह पुत्र तोप सिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	226	0.88	0.88		बबूल-9 , बेर-3
41	खन्नीबाई पत्नी काशीराम जाति ढीमर , महेश पुत्र काशीराम जाति ढीमर , सुकवरिया पत्नी लामू, बिरझू पुत्र लामू , लखन पुत्र लागू, रन्नीबाई पत्नी हाजू जाति ढीमर , गैंदलाल पुत्र हाजू जाति ढीमर , राजेश पुत्र हाजू जाति ढीमर पता हिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	227	0.66	0.66		खमेर-2 ,बबूल-4 ,बेर-5 ,शोबबूल-1
42	तितरू पुत्र धोकल जाति ढीमर , सुखराम पुत्र धोकल जाति ढीमर , चैतू पुत्र धोकल जाति ढीमर , कंरजिया पुत्री धोकल, रामबाई पत्नी मंगल जाति ढीमर , चिवली पुत्री मंगल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	229	0.700	0.700		खमेर-1 ,बबूल-8 ,बेर-14
43	छोटेलाल पुत्र विश्रु जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	231	0.690	0.690		बबूल-7, बेर-2

44	गुलाब पुत्र गोकल जाति ढीमर , पारानिया पुत्री गोकल जाति ढीनर , कलावती पुत्री गोकुल नाति ढीमर , वस्पती पुत्री गोकल जाति ढीमर , कुंदनलाल पुत्र ब्रम्हदीन जाति ढीमर ; इतनरिया पुत्र ब्रम्हदीन जाति ढीमर , कतदरिया पुत्री ब्रम्हदीन जाति ढीमर , धूनि स्वामी बुध्दनबाई पुत्री ब्रम्हदीन जाति ढीमर , बैशखियाबाई पत्नी बुच्बू जाति बीगर पढ़ा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सम्पतलाल पुत्र बुध्दू जाति ढीमर , फूलाबाई पुत्री बुध्दू जाति ढीमर , बरथनिन पुत्री बुध्दू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूषि स्वामी विराजोबाई पुत्री ब्रम्हदीन	232	0.920	0.920		उमर-1 ,कंजी-1 , खमेर-2 ,बेर-12 ,मुंडी-2 ,सेमर-1
45	मुन्नेलाल पुत्र रामगनेश जाति परधान , फुलझरबाई पुत्री घुमरा जाति परधान , चमनलाल पुत्र मुन्नेलाल जाति परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	233	0.170	0.170		खमेर-3 ,पड़री-1 ,बबूल-1 ,बेर-13 ,शोबबूल-1
46	नात्थूलाल पुत्र बोधन जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234	0.820	0.730		
47	शारदा पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	235/1	0.570	0.050		
48	रामेश्वर पिता महा सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	235/2	. 0.570	0.050		
49	पंचमसिंह पुत्र सेल्हा जाति गोंड , रतीराम पुत्र सेल्हा जातिं गोंड , दयालसिंह पुत्र सेल्हा जाति गोंड , सोमतीबाई पुत्री सेल्हा जाति गोंड , फूलबाई पुत्री सेल्हा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	236	1.870	0.100		खमेर -1

50	झरियारोबाई पत्नी सुखदयाल जाति गौड , धर्मवती पुत्री सुखदयाल जाति गोंड , पार्वती पुत्री सुखदयाल , शांति पुत्री सुखदयाल जाति गोंड , चमेली पुत्री सुखदयाल जाति गोंड , किरन पुत्री सुखदयाल जाति गौड , देवीसिह पुत्री सुखदयाल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	237/1	0.410	0.010		बेर-1
51	मंगल चेतराम जयसिह पिता देवलाल धनसिह इन्द्रसिह महेशसिंह पिता अमरसिह रामसिहह कोमल पिता बज्जा तेजसिंह हेमसिंह हेमवती पूनम पिता सज्जी इन्द्रवती ध प स्व सुकलसिंह रवि तारा रंजना पिता सुकलसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	237/2	0.420			बेर-1
52	झरियारोबाई पत्नी सुखदयाल जाति गौड , धर्मवती पुत्री सुखदयाल जाति गोंड , पार्वती पुत्री सुखदयाल , शांति पुत्री सुखदयाल जाति गोंड , चमेली पुत्री सुखदयाल जाति गोंड , किरन पुत्री सुखदयाल जाति गौड , देवीसिह पुत्री सुखदयाल जाति गौड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	241	0.390	0.150		बबूल-6 , बेर-2
53	शारदा पिता महा सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश मूमि स्वामी	242/1	0.150	0.055		
54	रामेश्वर पिता महा सिंह जाति गोंड पला हिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/2	0.150	0.055		
55	गनेसी पत्नी परसू जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	243	0.990	0.780		खमेर-1

56	ओमप्रकाश पिता देवसिंह जाति गॉड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	244/1/1	0.050	0.050		
57	गोविन्द पिला देवसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्यामी	244/1/2	0.050	0.050		
58	शारदा पिता महा सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	244/2/1	0.050	0.050		
59	रामेश्वर पिता महा सिंह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	244/2/2	0.050	0.050		
60	हीरोबाई पत्नी बुध्दसेन जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	244/3	0.200	0.200		नीम-1, बबूल-11, बेर-5, साजा-3
61	लालवती पत्नी मंगल जाति. गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	244/4	0.210	0.210		
62	बुधसेन पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए देवसिंह पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि ३ स्वामीए महासिंह पिता गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए फूलाबाई पत्नी गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245	0.200	0.200		बबूल-2
63	रामसिह पिता कंधईसिह जाति गौंड पता साण्देह शासकीय संस्था	246	0.150	0.150		
64	मुन्नेलाल पिता रामगनेश जाति परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	247	0.610	0.610		बबूल-4 , सफ़ेद शीशम-1 ,साजा-1 सेमर-1 ·
65	गनेशाबाई पत्नी परसू जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	249	0.970	0.210		
66	गयासिंह पुत्र सुनवा जाति गांड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250	0.140	0.060		

67	लघवा पुत्र शिकारी जाति बीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	251/1	0.120	0.030		
68	गुलबसिया पुत्र झुलरू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	251/2	0.110	0.030		
69	भगतसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , सम्हरसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , भन्नूसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , लालसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	255	0.380	0.030		
70	सम्पतबाई पत्नी जमनाशंकर सम्पतबाई पत्नी जमनाशंकर जाति गोड , लीलाबाई पत्नी हरिसिंह जाति गोड , फूलचंद पुत्र बाबूलाल जाति गोड , फूलसिंह पुत्र बाबूलाल जाति गोड , दिवालसिंह पुत्र हरिसिंह जाति गोड , चंद्रवती पुत्री हरिसिंह जाति गोड , अमरसिंह पुत्र हरिसिंह 71 जाति गोड , सुखिया पानी गंगासिंह जाति गोड , पुष्पलता पुत्री गंगासिंह जाति गोड , खेमसिंह पुत्र नन्नासिंह बाति गोड , बंटी पुत्र नन्नासिंह जाति गोड , सरिता पुत्री नन्नासिंह जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश पिंकी पुत्री नन्नासिंह	346/1	0.780	0.010	कुंआ (आर.सी.सी.)	बबूल-5, बेर-1
71	प्रेमसिंह पुत्र परसादी जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	347/1	0.480	0.310		बबूल-10 , बेर-3
72	लालवती पत्नी मंगलसिह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348	0.110	0.040		बबूल-2 ,बेर-1

73	रातोबाई पत्नी बकली जाति ढीमर , स्वामी सोनू पुत्र बकली जाति ढीमर , नवल पुत्र बकली जाति बीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए	349	0.530	0.530		बबूल-6
74	राजकुमार पुत्र फागूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350	0.330	0.330		खमेर-2 , बबूल-2
75	सुना पुत्र भद्दू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	351	0.320	0.320		बबूल-4 , बेर-7
76	लघवा पुत्र शिकारी जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/1	0.230	0.230		बबूल-5, बेर-1
77	गुलबसिया पुत्र झुलरू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/2	0.220	0.220		
78	सुकलूसिह पुत्र नौसिया जाति गोड , मोतीसिह पुत्र नौसिया जाति गोड , सुखदीनसिह पुत्र नौसिया जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए कार्तिकराम पुत्र नौसिया जाति गोड पता डिंडोरी मध्	353	0.980	0.430		
79	गुहरासिंह चन्द्रसिंह फूलसिंह पिता परसाद कोयली पिण्तनगा चन्द्रसिह फूलसिह पिता बिगरू जाति गोंड पता साप्देह भूमि स्वाम	354	1.480	1.090		कंजी-1 , बबूल-4 , बेर-3
80	खन्नीबाई पत्नी काशीराम जाति ढीमर , महेश पुत्र काशीराम जाति ढीमर , सुकवरिया पत्नी लामू जाति ढीमर , बिरझू पुत्र लामू 85 जाति ढीमर , लखन पुत्र लामू जाति बीमर , रन्नीबाई पत्नी हाजू, गेंदलाल पुत्र हाजू , राजेश पुत्र हाजू जाति बीमर पता डिंडोरी	356	1.120	0.040		

81	देवसिह पुत्र गनेशा जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	357/1	0.200	0.0425		
82	शारदा पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	357/2/1	0.170	0.0425		
83	रामेश्वर पिता महा सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	357/2/2	0.170	0.0425		
84	लालवती पत्नी मंगल जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	357/3	0.230	0.0425		
85	सैलारो बाई पुत्र पनकू , दुलीचंद पुत्र पनकू , धानु लाल पुत्र पनकू	358/1	2.320	0.100		बेर-1
86	भूपत कुमार पिता बुद्धलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए नरेंद्र कुमार पिता बुद्धलाल जाति बीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	358/2	0.720	0.010		
87	भगतसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , सम्हरसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , भन्नूसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , लालसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	360	2.840	2.460		खमेर-4 ,नीम-2 ,बबूल-31 ,बेर-16
88	फूलमतबाई पत्नी टीकाराम जाति गोंड , ध्यानी पुत्र टीकाराम जाति गोंड , मूला पुत्र टीकाराम जाति गोंड , भंवरसिंह पुत्र टीकाराम जाति गौंड पता स्वामी पतिबाई पुत्री टीकाराम जांति गोंड , मूलवती पुत्री टीकाराम जाति गौंड	361	2.600	2.600		अमरुद-1 ,आवला-2, उमर-1,खमेर-52, बबूल-26, बेर-98, महुआ-7, शोबबूल-4, सेमर-1, सोबबूल-2
89	भगतसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , सम्हरसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , भन्नूसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड , लालसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	362	0.090	0.090		बबूल-6 , बेर-2
90	फूलमतबाई पत्नी टीकाराम ध्यानी पुत्र टीकाराम, मूला पुत्र टीकाराम, भंवरसिंह पुत्र टीकाराम ,पतिबाई पुत्री टीकाराम, मूलवती पुत्री टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भमि स्वामी	363	0.130	0.130		बबूल-1, बेर-1

91	नानबाई पुत्री परसूसिंह जाति गोंड, गुडडीबाई पुत्री परसूसिंह, प्रतापसिंह पुत्र परसूसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	364	1.630	1.490		बबूल-10 , बेर-10
92	रोशन पिता लाल सिंह, संतोष पिता लाल सिंह, सरोज पिता लाल सिंह, कमलवती पत्नी लाल सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूनि स्वामी	366	0.050	0.050		बबूल-1 , बेर-4
93	सुमन पति सुन्दर जाति गोंड पता हिंडोरी मध्य प्रदेश भूभि स्वामीए अनीता पति महेश जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	368/1	0.520	0.520		खमेर-8, खमेर-50, खमेर-50 ,बबूल-9, बेर-1
94	ध्यानीसिंह पुत्र टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	368/2	0.520	0.520		बबूल-4, बेर-2
95	महेश पुत्र तेलीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए झलकार पुत्र सुन्दरलाल जाति गोंड पताए डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	369	0.980	0.260		
96	चूरामन पुत्र दलसाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए रम्मू पुत्र वलसाराम जाति गोंड भूमि स्वामी	370	0.590	0.590		बबूल-3 ,बेर-4
97	पंचमलाल पुत्र मिठाई लाल जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	371	0.290	0.290		बेर-3
98	रात्तोबाई पत्नी बकली जाति वीमर ,सोनू पुत्र बकली जाति ढीमर , नवल पुत्र बकली जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	372	0.290	0.290		बबूल-2 , बेर-3
99	माहू पुत्र कल्लू जाति ढीमर , बिरला बाई पत्नी मथुरा जाति डीमर , बसंतलाल पुत्र मथुरा जाति ढीमर , हंसीबाई पिता मथुरा जाति ढीमर , गुलाबवती पिता मधुरा जाति ढीमर , बासूदेव पुत्र कल्लू जाति ढीमर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	373	0.470	0.470		खमेर-1 ,बबूल-2 ,बेर-7 , रेला-1

100	फूलमतबाई पत्नी टीकाराम जाति गोंड , ध्यानी पुत्र टीकाराम जाति गोंड , मूला पुत्र टीकाराम जाति गोंड , भंवरसिंह पुत्र टीकाराम जाति गोंड , पतिबाई पुत्री टीकाराम जाति गोंड , मूलवती पुत्री टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	374	1.130	1.130		बाबूल-1 ,बेर-1
101	श्री देवशंकरजी महाराज सरवाहकार फुलमतिया पति जमादार जाति गोंड पता सा.धौर्य है भूमि स्वामी	375	1.400	0.990		
102	रम्मू पुत्र तुलसीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए चुरामन पुत्र तुलसीराम जाति गौंड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	378	1.980	1.820		खमेर-1, बबूल-1 ,बांस-1 ,बेर-10
103	चूरामन पुत्र तुलसीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	379	0.120	0.120		
104	रोशनी सैयाम पत्नी श्री दिलीप सैयाम पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	380	0.220	0.220		ऊमर-1 ,बेर-2
105	प्रेमसिंह पुत्र परसादी जाति गौंड़ , प्रताप पुत्र परसू जाति गौंड , नानबाई पुत्री परसू जाति गौंड , गुडडी पुत्री परसू जाति गौंड , भानसिंह पुत्र लच्छु सिंह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	381	0.240	0.100		खमेर-1

106	सम्पतबाई पत्नी जमनाशंकर जाति गोंड , लीलाबाई पत्नी हरिसिंह जाति गोंड , फूलचंद पुत्र बाबूलाल जाति गोंड , फूलसिंह पुत्र बाबूलाल जाति गोंड , दिवालसिंह पुत्र हरिसिंह जाति गोंड , चंद्रवती पुत्री हरिसिंह जाति गोंड , अमरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति गोंड , सुखिया पत्नी गंगासिंह जाति गोंड , पुष्पलता पुत्री गंगासिंह जाति गोंड , खेमसिंह पुत्र नन्नासिंह जाति गाँड , बंटी पुत्र नन्नासिंह जाति गोंड , सरिता पुत्री नन्नासिंह जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य पिंकी पुत्री नन्नासिंह	382/1	0.560	0.620		बबूल-5
107	ज्योति पत्नी शोभासिह जाति गाँड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	382/2	0.400			
108	भगवानसिंह पुत्र मंघई जाति गोंड , मायाराम पुत्र संघई जाति गोंड , दयाराम पुत्र मंघई जाति गोंड , होबलाल पुत्र मंघई जाति गोंड , अमृतिया पुत्री गंघई जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	383	0.100	0.100		बबूल-4
109	नारायाण सोनवली अनसुइया पिण्यान्तू लच्छी बाई ध प स्व नान्डु राहुल रोशनी पिता खेमचंद जाति गोंड पताए सा. देह भूमि स्वामी	384	0.400	0.400		
	लच्छी बाई पति नान्हू				कुआँ-1 (शासकीय)	
110	सुमनबाई पत्नी सुंदरलाल, महेश पिता तेलीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	385	0.200	0.200		
111	सुकलूसिंह पुत्र नौसिया जाति गोंड , मोतीसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , सुखदीनसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , कार्तिकराम पुत्र नौसिया जाति गोंड पता	386	0.450	0.450		खमेर-1 ,बबूल-6 ,बेर-2

112	लच्छू पुत्र अकलूसिंह जाति गोंड , रामू पुत्र अक्लूसिंह जाति गोंड , सुभरन पुत्री रामफल जाति गोंड , सुकरती पत्नी रामफल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी लच्छू सिंह पिता अकलू	387	0.260	0.260	- पक्का माकन-2, कच्चा घर-3, गोशाला कच्चा-1, गौशाला पक्का-1	अमरुद-2, खमेर-6, नीम-1,बबूल-6, बांस-1,बेर-1,बेल-1,महुआ-1,शीशम-2, शोबबूल-2
113	सुकलूसिंह पुत्र नौसिया जाति गोंड , मोतीसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , सुखदीनसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड कार्तिकराम पुत नौसिया पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389	0.340	0.340	-	केवलर-1,खमेर-42, बबूल-3, बेर-6, लिसिस-5
114	सुकलूसिंह पुत्र नौसिया जाति गोंड पता , मोतीसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , सुखदीनसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , कार्तिकराम पुत्र नौसिया जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	390	0.670	0.320	-	आवला-5, उमर-1, केवलार-2, खमेर-2, बबूल-16, बेर-12, शीशम-1
115	सुकलूसिंह पुत्र नौसिया जाति गोंड , मोतीसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , सुखदीनसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , कार्तिकराम पुत्र नौसिया जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	391	0.240	0.240	-	
116	सुकलूसिंह पुत्र नौसिया जाति गोंड , मोतीसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , सुखदीनसिह पुत्र नौसिया जाति गोंड , कार्तिकराम पुत्र नौसिया जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	392	0.430	0.040	-	बबूल-2, बेर-1
117	महेश पुत्र तेलीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए झनकार पुत्र सुन्दरलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	396	1.21	0.080	-	बेर-2

118	रतू पुत्र फगना जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	397	0.200	0.170	-	बेर-5 ,लिसिस-2
119	महेश पुत्र तेलीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए झनकार पुत्र सुन्दरलाल जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	400	0.420	0.090	-	
120	रम्मू पुत्र तुलसीराम जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए चुरामन पुत्र तुलसीराम जाति गोंड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश	401	0.400	0.020	-	बेर-3
121	चूरामन पति तुलसीरम जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	402/1/1	0.670	0.670	-	आम-1, ऊमर-1, कंजी-10, खमेर-62, जामुन-1, बबूल-11, बेर-37, बेल-1, लिसिस-41, शीशम-1, शोबबूल-7, सफ़ेद शीशम-4
122	सुमन बाई पत्नी सुंदरलाल जाति गोंड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि भूमि स्वामी मध्य प्रदेश भूमि स्वामीए अनीता धूमकेति पत्नी महेश धूमकेति जाति गोंड पता	402/1/2	0.800	0.390	-	
123	चित्रसेन पुत्र आर एस चौधरी जाति चमार पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	405/1	1.400	0.090	-	-
124	चन्द्रमणी पुत्र फूलचन्द जाति ब्राम्हण पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	405/2	0.150		-	-
125	चिरोजाबाई पत्नी मंगलसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	407	1.210	0.080	-	-

126	चिरौंजाबाई पुत्री मोहन जाति गोंड . निर्मला पुत्री मोहन जाति गौंड . विमलाबाई पुत्री मोहन जाति गोंड . सवित्रीबाई पुत्री मोहन जाति गोंड . छोटी पुत्री मोहन जाति गौंड . सोनवती पुत्री मोहन जाति गोंड . विद्ययाबाई पुत्री मोहन जाति गोंड . बिसरपतिया पत्नी सुन्दरलाल जाति गोंड पता	409/1	3.990	0.550	-	खमेर-1, बेर-14, शीशम-1, शोबबूल-1,सगोन-1
	योग		90.771	52.926		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 06 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकवा 27.39 हे.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका--1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु।

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–853–भू–अर्जन–2023–24–41–अ–82–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची (1) के कॉलम नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की **धारा–19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की सख्यां	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	इमलई रैयत प.ह.नं. 72	**31.174 हेक्ट.**	58	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			**31.174 हेक्ट.**		

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्रं	भूमि स्वामी का नाम	खसरा न	कुल रकवा (हे.)	कुल रकवा (हे.)	परिसंपत्तियों की संख्या	वृक्षों का विवरण
1	गोपालसिंह पिता बोधासिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2	3.78	2.437	-	लिप्तिस-128
2	गोपालसिंह पिता बोधासिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/1	2.10	2.10	-	उमर-3, ककैया-1, खमेर-58, खसी-1, छिवला-8, तिनसा-13, पीपल-1, बबूल-18, बांस-1, बेर-56, लड़िया-1, लिप्तिस-43, शीशम-8, सगोन-3, सीताफल-1, सेमर-2, सोबबूल-3
3	जगतसिह पिता बोधासिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/2	0.65	0.65	-	उमर-1, नीम-1, बबूल-7, बेर-9, लिप्तिस-2, सगोन-1, सोबबूल-2
4	तीरथ पिता नारायण मोहवती बाई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1/1	1.76	1.76	-	बेर-14
5	नीरज पिता नारायण माहवती बाई जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1/2	1.76	0.92	-	

6	सुशीला पति प्रेमलाल,भैयालाल पिता अलबेल,हुल्कर पिता बैसाखू जाति गोङ पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	4.62	1.227	-	-
7	शिवचरण पिता हुलकरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/1	1.27	0.094	-	-
8	हुल्कर पिता बैसाखू जाति गोङ पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	0.80	0.80	-	-
9	भैयालाल पिता अलबेला जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9	3.83	1.401	-	-
10	लालसिंह पिता बोध सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/1	1.99	0.03	कुआं–01	-
	जगतसिंह पिता बोधसिंह				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	उदयभान पिता जगतसिंह				कच्चा घर छत खपरेल, पक्का मकान छत खपरेल, पक्का पानी टंकी, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
11	गोपालसिह पिता बोधनसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/2	0.54	0.54	-	बेर-4
12	बलराम पिता जगतसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/3	1.64	1.59	-	खमेर-7, नीम-1, बबूल-17, बांस-3, बेर-2, लिप्तिस-3
13	देवेन्द्र पिता उदयभान सिंह ना बा वली आजा लाल सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/4	1.2	0.38	-	-
14	दलबीर पिता जगत सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/5	0.55	0.55	कुआं–01	आवला-1, खमेर-8, नीम-1, बबूल-24, बेर-4, लभेर-1, लिप्तिस-7
15	रामकुमार पिता जगत सिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/6	0.55	0.52	-	किर्गी-2, खमेर-1, बबूल-1, लिप्तिस-1, शीसम-1
16	तीरथ पिता नारायण ना बा वली मोहवती बाई जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13/1	0.95	0.95	-	कंजी-1,किर्गी-1, खमेर-1, पीपल-1, बबूल-44, बेर-29, लिप्तिस-5,शीशम-1
17	नीरज पिता नारायण ना बा वली मॉ माहवती बाई जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13/2	0.95	0.95	-	
18	योगेन्द्र पिता नारायण ना बा बली मॉ मोहवती बाई जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13/3	0.95	0.95	कुआं–01	
19	तीरथ पिता नारायण ना बा वली मोहवती बाई जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13/4	0.95	0.95	-	-

20	कुहीलाल पिता मतादीन जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14/1	2.06	2.06	कुआं–01, बोरबेल / हेण्डपंप– 01	किर्गी-2, खमेर-11, बबूल-20, बांस-2, बेर-40, लिप्तिस-5
	त्रिलोक सिंह पिता कुहिलाल				पक्का मकान-1, कच्चा मकान -3	-
21	देवकीबाई पति नवल सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14/2	0.06	0.06	कच्चा घर छत टिन शेड-1	बेर-1
22	तिलोकसिंह पिता कुहीलाल जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16	0.46	0.46	-	खमेर-4, जामुन-1, बबूल-22, बेर-21, शीसम-1
23	कुहीलाल पिता मातादीन पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1	0.25	0.25	-	कंजी-1, खमेर2, जामुन-1, बबूल-13, बेर-7
24	छोटी पति धरम सिंह,सम्पत पिता धरमसिंह, यदुनंदन पिता धरमसिंह, यदुनंदन पिता धरमसिंह,जगदीप पिता धरमसिंह, देवकी पिता धरमसिंह,यशोदा पिता धरमसिंह,कांती पिता धरमसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/2	0.95	0.95	-	खमेर-8, जामुन-1, नीम-1, पीपल-1, बबूल-35, बेर-32, लिप्तिस-2, सगोन-11, सोबबूल-2
	यदुनंदन पिता धरमसिंह				कुआं–01	-
25	लोकसिंह पिता कुहीलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/3	0.23	0.23	-	बबूल-10, बेर-18
26	शिवभजन पिता भूपत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/1	1.40	2.559	कच्चा घर-2	उमर-1, खमेर-1, बबूल-59, बांस-1, बेर-16, लिप्तिस-2
27	चरणसिंह पिता भूपत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/2	1.40		कच्चा घर-2, पक्का मंदिर गुम्बद-1, कच्चा बौंड़ी बाल	बबूल-12, बांस-1, बेर-10, लिप्तिस-4
28	चन्द्रकान्ति पिता भूपत जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/3	0.50		-	उमर-1
29	भूपतसिंह पिता भैयालाल जाति गोड पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/4	0.44		पक्का घर-1	-
30	नारायणसिंह पिता भैयालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19	0.50	0.062	पक्का घर-2, कच्चा घर-2, कच्चा गौशाला-1, पक्का मंदिर-1, पक्का बौंड़ी बाल	लिप्तिस-8
31	सोमवती पिता हीरालाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39	5.28	0.102	-	-
32	धुवनिया पिता भैयालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	43/1	1.906	0.605	-	जामुन-4, बबूल-11, बेर-23, सगोन-1
33	पर्वतीयाबाई पति दान सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ो	47	3.36	0.878	-	खमेर-2, बबूल-1, बेर-10, लिप्तिस-2
34	जयसिह पिता जेठू सिंह,रेवासिंह पिता मुक्ति ,त्रिलोक पिता मुक्ति ,फूलवती पिता मुक्ति ,हरिवति पिता मुक्ति पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49	1.51	1.51	-	-
35	भैयालाल पिता अलबेला जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51	0.12	0.02	-	खमेर-1, बांस-2, महानीम-1
36	जोहरसिंह पिता ढोमासिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52	0.08	0.025	-	खमेर-1

37	सुशीला पति प्रेमलाल,भैयालाल पिता अलबेला,हुल्कर पिता बैसाखू जाति गोङ पता डिंडोरी डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53	0.12	0.02	-	बांस-2
38	जगदीप पिता धरमसिंह, जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/1/1/1	0.082	0.082	पक्का घर-2, पक्का घर छत टिन शेड-1, पक्की सीढई, बॉड्री बाल पक्का	महानीम-1, मुनगा-2
39	यदुनंदन पिता धरमसिह जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/1/1/2	0.082	0.082	-	--
40	यदुनंदन पिता धरमसिह जाति गोङ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/2	0.2	0.025	-	-
41	इन्द्रवती पति कुवरसिह,गोतम पिता कुवरसिह,शोभाबाई पिता कुवरसिह,कलावती पिता कुवरसिह,सावित्री पिता कुवरसिह,कोसुमवती पिता कुवरसिह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57/1	0.007	0.007	-	बबूल-3
42	इन्द्रवती पति कुवर सिह,गोतम पिता कुवरसिह,शोभाबाई पिता कुवरसिह,कलावती पिता कुवरसिह,सावित्री पिता कुवरसिह,कोसुमवती पिता कुवरसिह जाति गौंड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	58/1	0.089	0.042	-	सोबबूल-2
43	सम्पत पिता धरमसिंह,गौतम पिता कुंवरसिंह,मंतीबाई पिता सकर,सनकिया पिता सुक्खन,मूरतीन पिता सुक्खन,रैमनिया पिता सक्खर,सोमवती पिता हीरसिंह,यदुनंदन पिता धरम,जगदीप पिता धरम,देवकी पिता धरम,यशोदा पिता धरम,कांतिबाई पिता धरम,शोभाबाई पिता कुंवर सिंह,कलावती पिता कुंवर,सावित्री पिता कुंवर,कुसुमवती पिता कुंवर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/1	0.057	0.038	-	-
44	कुहीलाल पिता मतादीन जाति अहीर पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60/1	0.055	0.055	कच्चा घर -2, पक्का घर, पक्का छज्जा 2, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, कच्चा बॉड्री बाल	-
	रमेश पिता त्रिलोकसिंह परस्ते				कच्चा घर छत सीमेंट शीट 1 , शौचालय पक्का 1, पक्का पानी टंकी	-
45	कमला पिता द्रूपसिह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/1	0.119	0.119	-	-
	रामफल पिता दप सिंह				पक्का घर-1, कच्चा घर-2	

46	गोपालसिंह पिता बोधासिंह जाति गोड़ पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65/1	0.17	0.077	पक्का मकान छत खपरेल 1, पक्का मकान गौशाला छत खपरेल 1, पक्का मकान छत खपरेल, बॉड्री बाल पक्का 2, पक्का फर्श, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, पक्का पट्टी	खमेर-4, बांस-2
	लोकेश्वर पिता गोपालसिंह				पक्का घर, पक्का छज्जा, पक्की सीढ़ी, पक्का कालम 4, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, पक्का फर्श	-
47	बलराम पिता जगतसिंह पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65/2	0.17	0.020	पक्का घर, पक्का छज्जा, पक्का मकान छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, पक्का पानी टंकी 2, बॉड्री बाल पक्का, पक्का मंदिर, पक्का फर्श, शौचालय पक्का, पक्का पट्टी	खमेर-3, लिप्तिस-4, सगौन-2
48	दलपत पिता सैलू,पंचम पिता सैलू, गुलबसिया पिता सैलू,रामबाई पिता सैलू, पार्वती पिता सैलू,जानकी पिता सैलू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66	0.21	0.131	-	खमेर-8, बांस-3
	दलपत सिंह पिता शेलु सिंह				पक्का कच्चा घर-1, कच्चा घर-1, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का	-
	पंचम सिंह पिता शेलु सिंह				पक्का घर-1, पक्की सीडी., पक्की बॉड्री बाल, , कच्चा घर टिन शेड -1 , कच्चा गौशाला छत खपरेल	-
49	छोटी पति धरम सिंह,सम्पत पिता धरमसिंह, यदुनंदन पिता धरमसिंह, यदुनंदन पिता धरमसिंह,जगदीप पिता धरमसिंह, देवकी पिता धरमसिंह,यशोदा पिता धरमसिंह,कांती पिता धरमसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/1	0.17	0.17	-	अमरुद-1 ,खमेर-2
	सम्पत सिंह पिता धरम सिंह				पक्का घर-2 , कच्चा घर-2 , बॉड्री बाल	-

50	सोमवती पिता हीरालाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/2	0.13	0.13	-	कंजी-1,खमेर-15, बांस-8, बेर-16, लिप्तिस-2, सोबबूल-1
51	त्रिलोकसिंह पिता मुक्तीसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70	4.43	1.606	-	खमेर-1, बबूल-3, बेर-6
52	मोहन सिंह पिता रतन सिंह	63			पक्का घर-1, पक्की सीडी. कच्चा घर छत सीमेंट शीट , कच्चा गौशाला छत खपरेल 2, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	मान सिंह पिता रतन सिंह				पक्का घर छत सीमेंट शिट-1 , कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	हरिसिंह पिता रतनसिंह				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	सम्भू सिंह पिता रतन सिंह				पक्का घर-1, कच्चा घर-1 , कच्चा घर छत सीमेंट शीट , कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, पक्का मंदिर, कच्चा वॉन्ड्री बाल	-
53	त्रिलोकसिंह पिता मुक्तीसिंह (कब्जेदार) मध्यप्रदेश शासन				कुआं–01	-
54	यदुनंनद पिता धरमसिंह	64			पक्का मकान छत खपरेल 2, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, बॉड्री बाल पक्का, पक्का मकान छत सीमेंट शीट, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, पक्का मंदिर	-
	जगदीप पिता धरमसिंह				कच्चा घर छत खपरेल, पक्का मकान छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, बॉड्री बाल पक्का, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-

55	भजनसिंह पिता जोहरसिंह	64			कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	
	गनपत पिता जौहरसिंह				कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	रमईसिंह पिता जोहरसिंह				पक्का घर, पक्का छज्जा, पक्का पेरापिट बॉड्री, कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, कच्चा वॉन्ड्री बाल	-
	इतवरिया बाई पति रूपसिंह				पक्का घर, पक्का छज्जा 4, कच्चा घर छत खपरेल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी, कच्चा वॉन्ड्री बाल,	-
	हेमसिंह पिता भैयालाल				पक्का घर, कच्चा घर छत खपरेल, पक्का छज्जा 2, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल 2, शौचालय पक्का 2, पक्का पानी टंकी 2	-
55	पूरनसिंह पिता लहरमेन	50			कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा गौशाला छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	मंतीबाई पति लहरमेन				पक्का मकान छत सीमेंट शीट , कच्चा घर छत खपरेल, कच्चा वॉन्ड्री बाल, शौचालय पक्का, पक्का पानी टंकी	-
	योग		57.437	31.174		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंम्ब की संख्या 26 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिंहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–मुढ़िया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. 09 रकबा 27.39 है.।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:–

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

11.2. सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11.3 वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

11.4 भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

11.6 यथेचित पंचायत घर।

11.7 जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

11.12 बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।

12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–8582–भू–अर्जन–2025 रायसेन, दिनांक 18 सितम्बर 2025

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2013) }

——00——

प्र.क्र. 0002/अ–82/2024–25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची–1 ::

1. भूमि का वर्णन :–
   (क) ग्राम :– बासखेडा (पम्प हाउस कं–4)
   (ख) तहसील :–उदयपुरा
   (ग) जिला :–रायसेन
   (घ) भूमि का क्षेत्रफल :– 0.902 हे.

अनुसूची–2

(अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	सुरेन्द्र सिंह पुत्र रमेश कुमार जाति राजपूत नि.ग्राम चौरास भूमिस्वामी	164/1	0.611	0.570
2	हरनामसिंह, अयोध्या प्रसाद, देवराज सिंह, धनश्याम सिंह, बाईसाहब, गीताबाई पुत्र/पुत्री मोहन सिंह	164/2	0.615	0.332

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है– चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पम्प हाउस कं–4 निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम बासखेडा तहसील उदयपुरा
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र.–8583–भू–अर्जन–2025

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2013) }

—

प्र.क्र. 0001/अ–82/2024–25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची–1 ::

1. भूमि का वर्णन :–
   (क) ग्राम :– चौरास (पम्प हाउस कं–4)
   (ख) तहसील :–उदयपुरा
   (ग) जिला :–रायसेन
   (घ) भूमि का क्षेत्रफल :– 1.840 हे.

अनुसूची–2

(अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	सुप्यार बाई पत्नि चन्द्रपाल सिंह राजपूत	484/1/1/1	0.248	0.248
2	केशव सिंह आ. चन्द्रपाल सिंह राजपूत	484/2/1	0.032	0.032
3	बाईसाब बेवा पुष्कर सिंह, जयहिन्द आ. पुष्कर सिंह राजपूत	484/3/1	0.628	0.628
4	सुरेन्द्र सिंह आ. भगवान सिंह जाति राजपूत	484/4/1	0.934	0.747
5	राजकुमार आ. भगवान सिंह राजपूत	484/5/1	0.069	0.069
6	हरिबाई बेवा बालमोहन, प्रियंका, बंदना, अर्चना, अंजली, रामदेवी पुत्री बालमोहन	484/6/1	0.334	0.116

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है– चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पम्प हाउस कं 4 के निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

क्र.–8584–भू–अर्जन–2025

{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क्र 30 सन् 2013) }

प्र.क्र. 0003/अ–82/2024–25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची–1 ::

1. भूमि का वर्णन :–
   (क) ग्राम :–चौरास(पम्प हाउस कं–4 एवं बौरास बराज निर्माण हेतु)
   (ख) तहसील :–उदयपुरा
   (ग) जिला :–रायसेन
   (घ) भूमि का क्षेत्रफल :– 4.902 हे.

:: अनुसूची–2 ::

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित रकबा हे.मे
1	2	3	4	5
1	गोधन सिंह पुत्र. रामचरन जाति राजपूत	483/1/1/1/1 483/1/1/1/2	0.906 0.405	0.771 0.405
2	गिरवर सिंह आ. नर्वदा सिंह	483/2/1/3/1	0.684	0.554
3	सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह	483/2/2/1/1	0.670	0.448
4	रामकुवर बाई पुत्री नर्मदा, गिरवर सिंह पुत्र. नर्मदा, गीताबाई पुत्री नर्मदा, गायत्री बाई पुत्री नर्मदा	483/3/1	0.311	0.251
5	परषोत्तम आ. छोटेलाल जाति राजपूत	454/2/3/1/1	0.514	0.514
6	विशाल बाई बेवा छोटेलाल जाति राजपूत	454/2/1/1/1/1	0.345	0.345
7	ओमप्रकाश पुत्र. छोटेलाल जाति राजपूत	454/2/2/1	0.647	0.611
8	खरगोबाई बेवा बालाराम, राधाबाई पुत्री बालाराम, लखन सिंह, रेवाराम, तुलसीराम, पुत्र बालाराम	450/1	0.173	0.173
9	थम्मन सिंह पुत्र गुन्चीलाल जाति राजपूत	450/2/1	0.377	0.377
10	आरामबाई पुत्री छोटेलाल जाति राजपूत	454/3/1	0.186	0.186
11	रश्मिबाई पत्नि मनोज शास्त्री जाति ब्राहम्ण	454/4/1	0.185	0.185
12	रामपाल पुत्र कोमल सिंह जाति राजपूत	454/1/1/2/1	0.082	0.082

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है– चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पम्प हाउस कं–4 एवं बौरास बराज निर्माण हेतु।
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–8058–भू–अर्जन–प्र.क्र.–0007–अ–82–2025–26 हरदा, दिनांक 19 सितम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अत- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचिक प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा – 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार उसके द्वारा सभी संबधित व्यक्तिओं को इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में वर्णित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

लोक प्रयोजन (लोक निर्माण विभाग संभाग हरदा अंतर्गत रेलवे फाटक हरदा से खंडवा रोड व्हाया बिरजाखेडी – 2 लेन मार्ग निर्माण हेतु) के लिए **मौजा बिरजाखेडी तहसील – हरदा** में कुल अर्जित अशासकीय रकबा 0.913 हैक्टयर अर्जन होना है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एंव आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बध्द है तथा इसके क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन भी नहीं होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अनुसूची – 1

स. क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	रकबा हैक्ट.	अर्जन की क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)	धारा -12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.048	0.048	नदरून बी पुत्री बहीद खां, रमजान खां पिता बहिद खां, जेमनबी पुत्री बहीद खां, फिरदोस बी पुत्री बहीद खां, एशिया पुत्री बहीद खां जाति मुसलमान	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग हरदा	लोक निर्माण विभाग संभाग हरदा अंतर्गत रेलवे फाटक हरदा से खंडवा रोड व्हाया – बिरजाखेडी -2 लेन मार्ग
2	4/2	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.911	0.073	अख्तर खां पिता कालेखां उर्फ कदीरखां जाति मुसलमान		
3	1/1/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	1.554	0.186	फारूख खां सत्तारखां , रफीनाबी पुत्री सत्तारखां ,हईम पुत्र सत्तारखां, अमीना बी बेबा सत्तारखां , फिरोज पुत्र सत्तार		
4	1/4	भूमि-स्वामी	सिंचित	2.079	0.170	मुंशी खां पुत्र सलीम खां , मोहम्मद खां पिता सलीमखां मजीद खां पिता सलीमखां जाति मुसलमान		
5	1/6	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.405	0.104	मुंशीखा पिता सलीमखां जाति मुसलमान		
6	1/3/3/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.577	0.259	अकबरखॉ पिता रमजानखॉ जाति मुसलमान		
7	1/3/2	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.606	0.073	अफजल पिता अहमद जाति मुसलमान		
कुल रकबा				6.180	0.913			

1. अधिनियम की धारा -11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
2. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुत व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेगे ।
3. भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है । अधिसूचना जिला की वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

क्र.–8060–भू–अर्जन–प्र.क्र.–0006–अ–82–2025–26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अत- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा – 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार उसके द्वारा सभी संबधित व्यक्तिओं को इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में वर्णित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

लोक प्रयोजन (लोक निर्माण विभाग संभाग हरदा अंतर्गत रेलवे फाटक हरदा से खंडवा रोड व्हाया बिरजाखेडी – 2 लेन मार्ग निर्माण हेतु) के लिए **मौजा दुधकच्छखुर्द तहसील** – हरदा में कुल अर्जित अशासकीय रकबा 0.594 हैक्टयर अर्जन होना है. जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एंव आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बध्द है तथा इसके क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन भी नहीं होगा । अत: इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अनुसूची – 1

स. क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व एवं प्रकार	भूमि का प्रकार	रकबा हैक्ट.	अर्जन की क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)	धारा -12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.014	0.010	मैना बाई बेवा भवानीसिंह जाति कतिया	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग हरदा	लोक निर्माण विभाग संभाग हरदा अंतर्गत रेलवे फाटक हरदा से खंडवा रोड व्हाया – बिरजाखेडी -2 लेन मार्ग
2	38/2	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.014	0.009	अतरबाई बेवा जागेश्वर जाति कतिया		
3	45/7, 46/7	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.861	0.056	कृष्णकुमार पिता जागेश्वर जाति कतिया		
4	41	भूमि-स्वामी	सिंचित	5.431	0.174	शशिकलाबाई बेवा दौलतराव, मगेशराव पिता यादोराव, हीराबाई पुत्री यादोराव, प्रदीप पिता दौलतराव, मीराबाई पुत्री दौलतराव, शोभाबाई पुत्री दौलतराव, गीताबाई पुत्री दौलतराव, संध्याबाई पुत्री दौलतराव, साधनाबाई पुत्री दौलतराव, शरद नाबा बलिमां पिता दौलतराव, राहुल नाबा, बलिमां पिता दौलतराव, रजनी नाबा बलीगां पिता दौलतराव , रेखा पुत्री काशीनाथ, संजय पिता काशीनाथ, सचिन पिता काशीनाथ		
	37/1/1/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	2.983	0.184			
5	37/1/2	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.906	0.051	विक्रम पिता रामनारायण जाति लोधी शुभम पिता रामचन्द्र , गोपी पिता जीवनलाल		
6	40	भूमि-स्वामी	सिंचित	2.0800	0.024	गौरीशंकर पिता हरनारायण		
7	21/3	भूमि-स्वामी	सिंचित	1.011	0.012	शकुनबाई पत्नि श्रीराम		
8	21/2	भूमि-स्वामी	सिंचित	1.750	0.015	श्रीराम पिता हरनारायणसिंह जाति लोधी		
	30/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.040	0.007			
9	34/1, 36/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	1.047	0.012	खतीलउददीन पिता मोहम्मद उददीन मूसा, नाजनी बेगम पत्नि नजमउददीन		
10	34/2, 36/2, 32/1	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.809	0.016	मोईउददीन पिता मोहम्मद मूसा, आमनाबी पत्नि मोहम्मद मूसा		
11	30/2	भूमि-स्वामी	सिंचित	0.809	0.024	रूखसाना बेगम पत्नि नईमउददीन, निजामुददीन पिता मोहम्मद		
कुल रकबा				17.755	0.594			

1. अधिनियम की धारा -11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

2. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेगे।

3. भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है। अधिसूचना जिला की वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 9353–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0086–अ–82–2024–25. उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उन अनुसूची क्रमांक–01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के **ग्राम सांवराखेड़ी** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	सांवराखेड़ी	2.517	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01	02	03	04	05
1	रतन पिता रूपसिंह जाति माली पता सांवराखेड़ी	155/1/1/1, 163/1/1, 172/2/1	0.322	0.200
2	रतन पिता रूपसिंह जाति माली पता सांवराखेड़ी	155/1/1/2, 163/1/1, 172/2/1	0.200	0.150

क्र..	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01	02	03	04	05
3	बद्रीलाल पिता मनीराम पता उज्जैन 412/587, (प्रभावित रकबा **0.027** है), सारिका पति हितेंद्रजैन पता २८ कमला नेहरू मार्ग उज्जैन 33/587 (प्रभावित रकबा **0.002** हैं), नेहा पति तुषार कालरा यशस्वी पति मुकेश सोनी जयश्री पति श्याम कुमार धनवानी पता ४६ अलखधाम नगर उज्जैन 55/587, (प्रभावित रकबा **0.003** हैं) विक्रम पिता कैलाशचंद्र सोनी पता २१ आर के कॉलोनी नानाखेड़ा उज्जैन 87/587 (प्रभावित रकबा **0.005** है)	161/1/1/1/1, 161/2/1 मि. 162/2/1 मि., 163/2/1 मि., 166/1/1 मि., 167/2/1 मि., 166/2/1/1 मि.	0.587	0.037
4	जुगल किशोर पिता मांगीलाल भागवत पता उज्जैन हिस्सा 300/487, प्रतिभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता पता उज्जैन हिस्सा 404/487, (प्रभावित रकबा **0.015** हैं) अनुराधा पति विवेक सिहल पता उज्जैन हिस्सा 296/487, (प्रभावित रकबा **0.015** हैं) धर्मेंद्र पिता कैलाशचंद प्रजापति पता ९८२ यत्र महल नीलगंगा उज्जैन हिस्सा 501/487, निर्मला पति नीलेश चौहान पता उज्जैन हिस्सा 400/487, (प्रभावित रकबा **0.015** हैं) कुलदीप पिता कैलाशनारायण् यशोधन पिता प्रवीण वशिस्ट पता उज्जैन हिस्सा 295/487, (प्रभावित रकबा **0.015** हैं) रजीत पिता कैलाशचंद्र प्रजापत पता उज्जैन हिस्सा 372/487, (प्रभावित रकबा **0.015** हैं) महेश पिता नारायणदास परियाणी पता उज्जैन, हिस्सा 1440/487, (प्रभावित रकबा **0.045** हैं) जगदीश भगवानी पिता सीताराम भगवानी पता 131 संत राम सिंधी कॉलोनी उज्जैन हिस्सा 499/487, (प्रभावित रकबा **0.015** हैं) चंचला खत्री पति जर्नादन खत्री पता 511/17 मेघदूत नगर उज्जैन हिस्सा 363/487 (प्रभावित रकबा **0.015** हैं)	161/1/1/2/1/1, 161/2/1 मि., 162/2/1 /1 मि., 163/2/1 मि., 166/1/1 मि., 167/2/1 मि., 166/2/1/1 मि.	0.436	0.150
5	हेमन्त पिता चंद्रकांत वर्षा पति हेमन्त संजय पिता चद्रकांत राधिका पति संजय शैलेन्द्र पिता चद्रकांत प्रीति पति शैलेन्द्र पता 5 पाश्वनाथ परिसर सूरजनगर उज्जैन	161/1/2, 162/2/2, 163/2/2, 166/1/2	0.188	0.030
6	संतोष पिता पुरूषोत्तम दास काबरा पता नि. 52 फववारा चौक उज्जैन	167/2/2/1	0.113	0.055

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01	02	03	04	05
7	उमाबाई पति योगेन्द्रसिंह पता नि.उज्जैन	168/1	0.986	0.314
8	किरण पति अतुल कुमार जैन मोनिका पति विपुल जैन पता उज्जैन हिस्सा 340/3730, (प्रभावित रकबा **0.016** हैं) नंदिनी पति महेंद्र शर्मा पता ६ महेशनगर उज्जैन हिस्सा 300/3730, सागर पिता संजय अग्रवाल पता 52 बड़ा सराफा उज्जैन हिस्सा 300/3730, संतोष पिता निहाल सिंह तवर जितेंद्र पिता जय किशन कृपलानी सचिन पिता राजेंद्र कुमार गोसर पता उज्जैन हिस्सा 330/3730,(प्रभावित रकबा **0.016** हैं) रौनक पिता पवन बोहरा पता उज्जैन हिस्सा 400/3730, (प्रभावित रकबा **0.017** हैं) रविंद्र पिता कैलाशचंद्र जाति प्रजापत पता उज्जैन हिस्सा 420/3730, मुस्कान वासवानी पति ललित कुमार वासवानी पता 46, ब्रजधाम कॉलोनी, शिवाजी पार्क उज्जैन हि. 360/3730 (प्रभावित रकबा **0.017** हैं), अमरीन निशा पति मुश्फिक एहमद जाति नागौरी पता उज्जैन हिस्सा 320/3730 (प्रभावित रकबा **0.017** हैं), नीलोफर पति मोहम्मद मुबीन जाति नागोरी पता उज्जैन हिस्सा 320/3730, (प्रभावित रकबा **0.017** हैं) शकुनबाला पति देवेन्द्र जाति ब्राह्मण पता उज्जैन हिस्सा 340/3730,(प्रभावित रकबा **0.016** हैं) कीर्ति पति मनोज बरखा पति पवन पता उज्जैन हिस्सा 300/3730 (प्रभावित रकबा **0.016** हैं)	176/1/2/2/2/1/1/1, 178/1/6	0.373	0.132
9	किरण पति अतुल कुमार जैन मोनिका पति विपुल जैन पता उज्जैन हिस्सा 340/3730, नंदिनी पति महेंद्र शर्मा पता ६ महेशनगर उज्जैन हिस्सा 300/3730, (प्रभावित रकबा **0.016** हैं) सागर पिता संजय अग्रवाल पता 52 बड़ा सराफा उज्जैन हिस्सा 300/3730, संतोष पिता निहाल सिंह तवर जितेंद्र पिता जय किशन कृपलानी सचिन पिता राजेंद्र कुमार गोसर पता उज्जैन हिस्सा 330/3730, रौनक पिता पवन बोहरा पता उज्जैन हिस्सा 400/3730, रविंद्र पिता कैलाशचंद्र जाति प्रजापत पता उज्जैन हिस्सा 420/3730, मुस्कान वासवानी पति ललित कुमार वासवानी पता 46, ब्रजधाम कॉलोनी, शिवाजी पार्क उज्जैन हि. 360/3730 ,अमरीन निशा पति मुश्फिक एहमद जाति नागौरी पता उज्जैन हिस्सा 320/3730 नीलोफर पति मोहम्मद मुबीन जाति नागोरी पता उज्जैन हिस्सा 320/3730, शकुनबाला पति देवेन्द्र जाति ब्राह्मण पता उज्जैन हिस्सा 340/3730, ,कीर्ति पति मनोज बरखा पति पवन पता उज्जैन हिस्सा 300/3730	176/1/2/2/2/1/1/2, 178/1/6	0.030	0.016

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01	02	03	04	05
10	किरण पति अतुल कुमार जैन मोनिका पति विपुल जैन पता उज्जैन हिस्सा 340/3730 , नंदिनी पति महेंद्र शर्मा पता ६ महेशनगर उज्जैन हिस्सा 300/3730, सागर पिता संजय अग्रवाल पता 52 बड़ा सराफा उज्जैन हिस्सा 300/3730, संतोष पिता निहाल सिंह तवर जितेंद्र पिता जय किशन कृपलानी सचिन पिता राजेंद्र कुमार गोसर पता उज्जैन हिस्सा 330/3730, रौनक पिता पवन बोहरा पता उज्जैन हिस्सा 400/3730, **रविंद्र पिता कैलाशचंद्र जाति प्रजापत पता उज्जैन हिस्सा 420/3730 (प्रभावित रकबा 0.016 हैं)** मुस्कान वासवानी पति ललित कुमार वासवानी पता 46, ब्रजधाम कॉलोनी, शिवाजी पार्क उज्जैन हि. 360/3730 ,आशादेवी गोयनका पति कैलाशचंद्र गोयनका प्रेमशर्मा पति बाबूलाल शर्मा पता महेश नगर उज्जैन हि. 290/3740 , अमरीन निशा पति मुश्फिक एहमद जाति नागौरी पता उज्जैन हिस्सा 320/3730, नीलोफर पति मोहम्मद मुबीन जाति नागोरी पता उज्जैन हिस्सा 420/3730, शकुनबाला पति देवेन्द्र जाति ब्राह्मण पता उज्जैन हिस्सा 340/3730, कीर्ति पति मनोज बरखा पति पवन पता उज्जैन हिस्सा 10/3730	176/1/2/2/2/1/2, 178/1/6	0.041	0.016
11	किरण पति अतुल कुमार जैन, मोनिका पति विपुल जैन पता उज्जैन हिस्सा 340/3730 , नंदिनी पति महेंद्र शर्मा पता ६ महेशनगर उज्जैन हिस्सा 300/3730, **सागर पिता संजय अग्रवाल पता 52 बड़ा सराफा उज्जैन हिस्सा 300/3730 (प्रभावित रकबा 0.016 हैं)** , संतोष पिता निहाल सिंह तवर जितेंद्र पिता जय किशन कृपलानी सचिन पिता राजेंद्र कुमार गोसर पता उज्जैन हिस्सा 330/3730, रौनक पिता पवन बोहरा पता उज्जैन हिस्सा 400/3730, रविंद्र पिता कैलाशचंद्र जाति प्रजापत पता उज्जैन हिस्सा 420/3730, लोकेश छाबडा पिता गोविन्द छाबडा पता 32 बी प्रेमनगर इंदौर हि. 360/3730 ,आशादेवी गोयनका पति कैलाशचंद्र गोयनका प्रेमशर्मा पति बाबूलाल शर्मा पता महेश नगर उज्जैन हि. 290/3740 , अमरीन निशा पति मुश्फिक एहमद जाति नागौरी पता उज्जैन हिस्सा 320/3730, नीलोफर पति मोहम्मद मुबीन जाति नागोरी पता उज्जैन हिस्सा 420/3730, शकुनबाला पति देवेन्द्र जाति ब्राह्मण पता उज्जैन हिस्सा 340/3730, कीर्ति पति मनोज बरखा पति पवन पता उज्जैन हिस्सा 10/3730	176/1/2/2/2/2, 178/1/6	0.030	0.016
12	सलमा पति अब्बास अली पता नि.288 खाराकुंवा उज्जैन	176/1/2/2/3/1/2, 178/1/7 मि.–1/ मि.–2	0.044	0.005
13	हुसैन पिता नजर हुसैन अरबा हुसैन पति हुसैन चायवाला पता निवासी ,/123 नई सड़क उज्जैन	176/1/2/2/3/1/3, 178/1/7 मि.–1/मि–3	0.093	0.010
14	सुभाषचन्द्र पिता रामनिवास गुप्ता पता निवासी 7/1 बसंत बिहार कालोनी उज्जैन	176/1/2/3/2/2, 178/1/7 मि.–2/मि.–2	0.047	0.005

क्र..	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01	02	03	04	05
15	भगतसिंह लक्ष्मणसिंह कमलजीत पिता प्रेमसिंह पता सांवराखेड़ी	176/1/2/3/2/3, 187 /1/7 मि.–2 / मि. –3	0.090	0.030
16	उदयसिंह पिता निर्भयसिंह पता ग्राम दाऊदखेड़ी, हेमंत व्यास पिता चंद्रकांत व्यास वर्षा व्यास पति हेमंत व्यास संजय व्यास पिता चंद्रकांत व्यास राधिका व्यास पति संजय व्यास , शेलेन्द्र पिता चंद्रकांत व्यास प्रीति व्यास पति शेलेन्द्र व्यास पता सूरजनगर	121/1/2/1/2	0.254	0.112
17	हेमन्त पिता चंद्रकांत, वर्षा . पति हेमन्त, संजय पिता चद्रकांत ,राधिका पति संजय शैलेन्द्र पिता चद्रकांत, प्रीति पति शैलेन्द्र पता 5 पाश्वनाथ परिसर सूरजनगर उज्जैन	121/1/2/2	0.200	0.080
18	ममता पति संतोष कावरा पता 52 तिलक मार्ग उज्जैन	119/2/1/1	0.108	0.050
19	हेमन्त पिता चंद्रकांत वर्षा पति हेमन्त संजय पिता चद्रकांत राधिका पति संजय शैलेन्द्र पिता चद्रकांत प्रीति पति शैलेन्द्र पता 5 पाश्वनाथ परिसर सूरजनगर उज्जैन	120/3/1/2	0.025	0.025
20	हेमन्त पिता चंद्रकांत वर्षा पति हेमन्त संजय पिता चद्रकांत राधिका पति संजय शैलेन्द्र पिता चद्रकांत प्रीति पति शैलेन्द्र पता 5 पाश्वनाथ परिसर सूरजनगर उज्जैन	120/3/2/1/2	0.040	0.040
21	भेरूलाल पिता कालूराम गटटाबाई बेवा घनश्याम रीना लक्ष्मी नाबा पुत्रीयां घनश्याम सूरज पूजा कुंता पिता घनश्याम माता सरमाता गटटाबाई जाति माली पता उज्जैन	119/1/1	0.296	0.040
22	तेजसिंह पिता अमतलाल चौधरी पता नि.117 ऋषिनगर उज्जैन	119/2/1/2	0.209	0.015
23	चैतन पिता सीताराम गुप्ता पता 53 संत नगर उज्जैन	120/1/1/2	0.209	0.040
24	हेमन्त पिता चंद्रकांत वर्षा पति हेमन्त संजय पिता चद्रकांत राधिका पति संजय शैलेन्द्र पिता चद्रकांत प्रीति पति शैलेन्द्र पता 5 पाश्वनाथ परिसर सूरजनगर उज्जैन	120/2/1/1	0.023	0.023

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में
01	02	03	04	05
25	हेमन्त पिता चंद्रकांत वर्षा पति हेमन्त संजय पिता चद्रकांत राधिका पति संजय शैलेन्द्र पिता चद्रकांत प्रीति पति शैलेन्द्र पता 5 पाश्वनाथ परिसर सूरजनगर उज्जैन	120/2/1/2	0.298	0.027
26	भेरूलाल पिता कालूराम गटटाबाई बेवा घनश्याम रीना लक्ष्मी नाबा पुत्रीया घनश्याम सूरज पूजा कुंता पिता घनश्याम माता सरमाता गटटाबाई जाति माली पता उज्जैन	118/1/1/1	0.202	0.040
27	भेरूलाल पिता कालूराम गटटाबाई बेवा घनश्याम रीना लक्ष्मी नाबा पुत्रीया घनश्याम सूरज पूजा कुंता पिता घनश्याम माता सरमाता गटटाबाई जाति माली पता उज्जैन	117/1	0.146	0.080
28	रमेंशचन्द्र चेतन अवयस्क पिता नरेन्द्र कुमार सरपरस्त दादाजी कालूराम पिता पीराजी पता ग्राम सावराखेड़ी	117/2	0.178	0.090
29	रमेंश चन्द्र चेतन अवयस्क पिता नरेन्द्र कुमार सरपरस्त दादाजी कालूराम पिता पीराजी पता ग्राम सावराखेड़ी उज्जैन	118/2/1/1	0.491	0.050
30	पप्पूलाल पिता सोमेश्वर जाति माली पता उज्जैन	116/1	0.040	0.040
31	बाबूलाल पिता सोमेश्वर पता उज्जैन	116/2	0.039	0.039
32	राजाराम पिता सोमेश्वर जाति माली पता उज्जैन	116/3	0.039	0.039
33	प्रेमचन्द पिता सोमेश्वर पता सावंराखेडी	116/4/1	0.019	0.019
34	अक्षय पिता राजेन्द्र गुल्हाटी पता नि. 22 सुभाष नगर कालोनी उज्जैन	116/4/2	0.020	0.020
35	क्षय पिता राजेन्द्र गुल्हाटी पता नि. 22 सुभाष नगर कालोनी उज्जैन	190/1/7/1	0.230	0.030
36	दीपेश पिता विजय सिंह दीपक पिता विजयसिंह जाति अहीर पता बी–3 आनंदनगर राममंदिर के पास उज्जैन	115/2	0.104	0.040
37	बाबूलाल पिता सोमेश्वर पता उज्जैन	115/3	0.104	0.040
38	विवेकसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति ठाकुर पता 28, आनंदगज इंदौर गेट, उज्जैन	115/4	0.105	0.040
39	विवेकसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति ठाकुर पता 28, आनंदगज इंदौर गेट, उज्जैन	188/1/1/1/1/2	0.004	0.004
40	विवेकसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति ठाकुर पता 28, आनंदगज इंदौर गेट, उज्जैन	188/1/2/3/1/1	0.017	0.017
41	दिनेश दीपक पिता रमेशचंद दुर्गेश प्रकाश राहुल पिता भेरूलाल सुरज पिता घनश्याम जाति माली पता उज्जैन	115/5	0.104	0.040
42	डॉ विजय पिता अरविन्द व ज्योति पति अरविन्द सोनी पता निवासी 116/1 जवाहर मार्ग पटनी बाजार उज्जैन	188/1/1/2/1	0.147	0.040
43	डॉ विजय पिता अरविन्द व ज्योति पति अरविन्द सोनी पता निवासी 116/1 जवाहर मार्ग पटनी बाजार उज्जैन	188/1/1/2/2	0.134	0.040

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में
01	02	03	04	05
44	डॉ विजय पिता अरविन्द व ज्योति पति अरविन्द सोनी पता निवासी 116/1 जवाहर मार्ग पटनी बाजार उज्जैन	188/1/2/2	0.033	0.005
45	रिपल पिता अमृत भाई नि. पटेल निवासी 133 आनंद नगर सांवेर रोड उज्जैन	188/1/2/4	0.023	0.005
46	रिपल पिता अमृत भाई नि. पटेल निवासी 133 आनंद नगर सांवेर रोड उज्जैन	188/1/3/4	0.081	0.001
47	अमीत पिता नवीन भाई पटेल निवासी 133 आनंद नगर सांवेर रोड उज्जैन	188/1/3/2	0.105	0.010
48	राजाराम पिता सोमेश्वर जाति माली पता उज्जैन	188/1/3/3/1/1	0.005	0.005
49	फुलजहां पुत्री जमीर हसन पति मुनाजीर अली व मुन्ना हसन पिता जमीर हसन पता नि. 24 महेश विहार देवश्री स्टोन के पास उज्जैन	188/1/3/3/2	0.036	0.005
50	फुलजहां पुत्री जमीर हसन पति मुनाजीर अली व मुन्ना हसन पिता जमीर हसन पता नि.24 महेश विहार देवश्री स्टोन के पास उज्जैन	188/1/3/5	0.105	0.005
51	प्रेमचन्द पिता सोमेश्वर पता सांवराखेडी	188/1/4/1/1/1	0.019	0.019
52	बलकेश पिता कचरूलाल पता निवासी 11/1 इन्दौर गेट आनंद गंज झीरी उज्जैन	190/1/5/1 मि.–1/ मि.–1	0.117	0.016
53	बलकेश पिता कचरूलाल पता निवासी 11/1 इन्दौर गेट आनंद गंज झीरी उज्जैन	190/1/4/1	0.015	0.005
54	डॉ. पंकज पिता बाबूलाल नि.उज्जैन	190/1/5/1/ मि. –1/ मि.–2	0.022	0.010
55	मयंक पिता राजेंद गुलहाटी पता 68/1 अनूपनगर उज्जैन	190/1/5/1 मि.–2	0.023	0.010
56	देवनारायण, गणेश, जगदीश पिता हरीकिशन जाति माली समान भाग 1'/3 पता सांवराखेडी उज्जैन	190/1/6/1	0.164	0.040
57	देवनारायण, गणेश, जगदीश पिता हरीकिशन जाति माली समान भाग 1'/3 पता सांवराखेडी उज्जैन	190/1/6/3	0.102	0.017
58	बंटी पिता बाबूलाल जाति माली पता सांवराखेड़ी संगीता पति गुलाब प्रजापति पता नीलगंगा उज्जैन	190/1/7/3/ मि. –1/1/1	0.014	0.005

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में
01	02	03	04	05
59	बंटी पिता बाबूलाल जाति माली पता सांवराखेड़ी, संगीता पति गुलाब प्रजापति पता नीलगंगा उज्जैन,	190/1/7/3/ मि. –1/1/2	0.034	0.008
60	जुगलकिशोर पिता मांगीलाल भागवत पता उज्जैन 300/4870, मेसर्स महामगल इन्फ्रा द्वारा भागीदार ब्रजेश पिता बेनी प्रसाद शर्मा मनोज पिता तुकाराम ईगले वलकेश पिता कचरूलाल पवन पिता मोहनलाल यादव जाति सिंधी पता उज्जैन 235/4870, रविंदकुमार पिता अनोखीलालपता उज्जैन 499/4870 ,प्रतिभागुप्ता पति राधेश्यामगुप्ता पता उज्जैन 404/4870, अनुराधा पति विवेकसिहल पता उज्जैन 296/4870, मेसर्स महामगल इन्फ्रा द्वारा भागीदार ब्रजेश पिता बेनी प्रसाद शर्मा मनोज पिता तुकाराम ईगले वलकेश पिता कचरूलाल पवन पिता मोहनलाल यादव जाति सिंधी पता उज्जैन 128/4870, **धर्मेंद्र पिता कैलाशचंद प्रजापति पता १/२ यंत्र महल नीलगंगा उज्जैन 501/4870,** **(प्रभावित रकबा 0.025 हैं)** निर्मला पति नीलेश चौहान पता उज्जैन 400/4870, कुलदीप पिता कैलाश नारायण यशोधन पिता प्रवीण वशिस्ट पता उज्जैन 295/4870, रजीत पिता कैलाशचंद्र प्रजापत पता उज्जैन 372/4870, महेश पिता नारायणदास परियाणी पता उज्जैन 1440/4	161/1/1/2/1/2	0.051	0.025
			योग	**2.517**

उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतुहितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील उज्जैन ग्रामीण, जिला उज्जैन के कार्यालय में किषा जा सकता है।

क्र. 9354–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0085–अ–82–2024–25.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील कोठीमहल जिला उज्जैन के ग्राम जीवनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	कोठीमहल	जीवनखेड़ी	1.318	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	कमलाबाई बेवा नानूराम, ईश्वर पिता नानूराम, पप्पूबाई रेखाबाई, राजूबाई, मायाबाई पुत्री नानुराम, राधाबाई बेवा मेहरबानसिंह, विशाल, नाबा पिता मेहरबानसिंह, अंशु नाबा, पिता महेरबानसिंह सर. माता राधाबाई जाति बलाई निवासी ग्राम जीवनखेडी	52/2/1	0.093	0.055	सिंचित
2	जितेन्द्र, राहुल दीपक पिता भगवान सिंह जाति बलाई पता जीवनखेडी	51/1/1	0.093	0.055	सिंचित
3	जितेन्द्र, राहुल दीपक पिता भगवान सिंह जाति बलाई पता जीवनखेडी	54/15/1/1/1	0.050	0.050	सिंचित
4	रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल जाति बलाई पता जीवनखेडी	54/15/1/1/2	0.050	0.050	सिंचित
5	सुरेश चन्द्र पिता मांगीलाल जाति बलाई पता जीवनखेडी	54/15/1/1/3	0.050	0.050	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
6	सुरेश चन्द्र पिता मांगीलाल जाति बलाई पता जीवनखेडी	51/1/3	0.093	0.062	सिंचित
7	जितेन्द्र कुमार पिता बसंत कुमार कटारिया,अखिलेश पिता रमेश चन्द्र राठौर पता 355 शास्ती नगर कॉलोनी उज्जैन, अर्पित पिता सत्यनारायण किरण पति सत्यनारायण पता 33/1 नीलगंगा चौराहा उज्जैन	54/17/2/1/6/1/1	0.1253	0.041	पडत
8	सुनील राठौर पिता रमेष राठौर पता उज्जैन	54/17/2/1/6/2	0.1237	0.041	पडत
9	खोजेमा रोजेवाला पिता नजर हुसेन रोजेवाला नि. 8 गोंसा दरवाजा एजी अगरबत्ती के पास उज्जैन	54/17/2/1/2	0.111	0.069	व्यवसायिक
10	बद्रुदीन लोहावाला पिता हकीमउद्धीन, श्रीमती खुर्शीद पति बद्रुदीन निवासी 68 दादा भाई नोरोज मार्ग उज्जैन	54/17/2/1/3	0.056	0.034	व्यवसायिक
11	मुर्तजा अत्तरवाला पिता ताहिर अली तसनीम अत्तरवाला पता 50 वल्लभ पटेल मार्ग केडी गेट उज्जैन	54/17/2/1/4	0.042	0.020	व्यवसायिक
12	अमीरूद्धीन पिता हकीमुद्धीन ,होजेफा पिता हकीमुद्धीन नि. 71 दादा भाई नोरोज मार्ग उज्जैन	54/17/2/1/5	0.056	0.027	पडत
13	विजयसिंह मांगीबाई, कलाबाई छोटीबाई पिता भेरूसिंह, आकाश सुनील पिता लक्ष्मण, रेखाबाई बेवा लक्ष्मण, जितेन्द्र, कमल, कमलेश ज्योति पिता रमेशचन्द्र, रमेशचन्द्र पिता जादूराव जाति माली पता जीवनखेडी	54/17/1/1	0.022	0.022	मकान
14	हितेन्द्र जैन पति रवि जैन जाति जैन पता 1202 12थ सी किंग बिल्डिंग एच के भाभा रोड लेंडस एंड होटल बेंड स्टैंड वेस्ट मुंबई हिस्सा 44/167, श्रीमती भाविका परियानी पति महेश परियानी पता 2 सीनियर ऍमआई जी महाष्वेता नगर उज्जैन हिस्सा 45/167, संजय अग्रवाल पिता शम्भूदयाल अग्रवाल श्याम सुन्दर अग्रवाल पिता रामदेव अग्रवाल पता तिरूपति हाइट्स नानाखेड़ा हिस्सा 34/167 सुदर्शना बैरागी पति राधेश्याम जाति बैरागी पता तिरूपति हाइट्स इंदौर रोड उज्जैन हिस्सा 44/167	5/3/1	0.167	0.138	पडत
15	दुलीचंद मेकालिया पिता शंकरलाल पता कोठीमहल उज्जैन	21/1/1/3/2	0.049	0.049	व्यावसायिक

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
16	मेसर्स वसुंधरा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा श्रीमती मेघा जैन नि1 उदासी का अडडा इंदोर गेट उज्जैन, पवन यादव नि इंदौर गेट उज्जैन वलकेश जागरी पिता कचरूलाल जाति मौर्य हिस्सा 71/550 , श्री सांई कृपा डेवपलर्स द्वारा भागीदार संतोष लालवानी पिता हजारीलाल लालवानी निवासी 65/1 यंत्र महल संतराम सिंधी कालोनी उज्जैन हिस्सा 109/550 ,लोकेष आडवाणी पिता शीतलप्रसाद आडवाणी पता बसंत विहार नानाखेडा हिस्सा 180/550, जीतेंद समधानी पिता सुंदरलाल पता 39 गीता कॉलोनी उज्जैन हिस्सा 180/544 मुकेष सोनी पिता घनष्याम सोनी ,गोपालदास धनवानी पिता जेठानन्द धनवानी पता 124 बी संतराम सिंधी कालोनी उज्जैन हिस्सा 11/550, मनोहर आहूजा पिता किषनचन्द्र आहूजा पता 150 महाष्वेता नगर उज्जैन हि. 8/550	21/1/1/3/1	0.055	0.055	पडत
17	हितेन्द्र जैन पति रवि जैन जाति जैन पता 1202 12 थ मुंबई शहर महाराष्ट हिस्सा 29/136 , श्रीमती भाविका परियानी पति महेश परियानी पता 2 सीनियर ऍमआई जी महाष्वेता नगर उज्जैन हिस्सा 29/136, संजय अग्रवाल पिता शम्भूदयाल अग्रवाल श्याम सुन्दर अग्रवाल पिता रामदेव अग्रवाल पता तिरूपति हाइट्स नानाखेड़ा हिस्सा 50/136 , सुदर्शना बैरागी पति राधेश्याम ज़ाति बैरागी पता तिरूपति हाइट्स इंदौर रोड उज्जैन हिस्सा 28/136	5/2	0.136	0.021	पडत
18	श्री सांई कृपा डेवपलर्स द्वारा भागीदार संतोष लालवानी पिता हजारीलाल निवासी 65/1 यंत्र महल संतराम सिंधी कालोनी उज्जैन हि. 151/544 , लोकेष आडवाणी पिता शीतलप्रसाद आडवाणी पता बसंत विहार नानाखेडा हिस्सा 75/544, जीतेंद समधानी पिता सुंदरलाल पता 39 गीता कॉलोनी उज्जैन हिस्सा 99/544, मनोहर आहूजा पिता किषनचन्द्र आहूजा पता 150 महाष्वेता नगर उज्जैन हि. 114/544, मुकेष सोनी पिता घनष्याम सोनी ,गोपालदास धनवानी पिता जेठानन्द धनवानी पता 124 बी संतराम सिंधी कालोनी उज्जैन हिस्सा 105/544	6/2/1	0.544	0.119	पडत
19	महेश परियानी पिता नारायणदास परियानी जाति सिंधी पता 84 महाकाल सिंधी कॉलोनी उज्जैन	7/1/2	0.073	0.027	पडत
20	श्रीजी देवकॉन द्वारा भागीदार सुमित यादव पिता रामसिंह यादव पता उज्जैन	17/93/1/2/1	0.032	0.032	पडत
21	महेश परियानी पिता नारायणदास परियानी जाति सिंधी पता 84 महाकाल सिंधी कॉलोनी उज्जैन	17/93/2/2	0.132	0.085	पडत
22	मान सिंह पिता रामचन्द्र निवासी जीवनखेडी	17/1/1/1/1/1/1	0.0504	0.0504	आवासीय
23	मानसिंह पिता रामचन्द्र निवासी जीवनखेडी	17/1/1/1/1/2	0.0036	0.0036	आवासीय
24	देवश्री देवकांन द्वारा भागीदार पवन यादव पिता मोहनलाल, वलकेश जागरी पिता कचरूलाल पता उज्जैन	17/1/1/1/1/1/2	0.010	0.010	पडत
25	श्री नाथ डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार पता उज्जैन	8/1/1/1	0.378	0.121	पडत
26	देवश्री देवकान द्वारा भागीदार पवन यादव पिता मोहनलाल, वलकेश जागरी पिता कचरूलाल पता 11/1 महिष्मति मार्ग गली 1 इंदौर गेट उज्जैन	9/1/2/2/1/1	0.045	0.031	पडत
			योग	1.318	

उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेत् हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील कोठीमहल, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 9363–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0002–अ–82–2025–26.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील **घट्टिया** जिला उज्जैन के ग्राम **कमेड़** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	कमेड़	0.235	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	इकबाल पिता नूर मोहम्मद जाति नायता पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7/1/2/3	0.299	0.200	सिंचित
2	इकबाल पिता नूर मोहम्मद जाति नायता पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/1/3	0.031	0.026	सिंचित
3	इकबाल पिता नूर मोहम्मद जाति नायता पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/1/1	0.016	0.009	सिंचित
			योग	0.235	

उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 9364–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0003–अ–82–2025–26.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील **घट्टिया** जिला उज्जैन के **ग्राम कालियादेह** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	कालियादेह	7.043	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	मेहमूद पटेल पिता गयूर जाति नायता पता कलियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	422/4	0.924	0.024	सिंचित
2	फरजाना पटेल पिता अफरोज पटेल जाति नायता पता कलियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/2/6/2	1.385	0.125	सिंचित
3	हाजराबाई पति एहसान जाति नायता पता कालियादेह ,अफसर पिता अब्बास जाति नायता पता कलियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य भूमि स्वामी, रूकसाना पिता अब्बास जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,रेहाना पिता अब्बास जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश ,शेहनाज पिता अब्बास जाति नायाता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,शबाना पिता अब्बास जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, यास्मीन पिता अब्बास जाति नायाता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/2/7	0.836	0.156	सिंचित
4	शिवनारायण पिता रामचद जाति बलाई पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	427/2/1	0.894	0.285	सिंचित

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
5	अशोक पिता रामचंद जाति बलाई पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	427/2/2	0.894	0.085	सिंचित
6	शिवनाराण पिता रामचंद जाति बलाई पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	425/1/1	0.220	0.220	सिंचित
7	अशोक पिता रामचंद जाति बलाई पिता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	425/1/2	0.210	0.210	सिंचित
8	रामचन्द्र पिता धन्ना जाति बलाई पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	425/1/3	0.220	0.220	सिंचित
9	अंतर पिता मांगीलाल जाति बलाई पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	425/1/4	0.180	0.130	सिंचित
10	कलाबाई उर्फ अनिताबाई पति विक्रम सरमनाथ बालिग पिता विक्रम सरपरस्त माता स्वय जाति बलाई पिता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	425/2/3	0.217	0.042	सिंचित
11	अंतर पिता मांगीलाल जाति बलाई पिता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	425/2/4	0.037	0.017	सिंचित
12	अन्तरसिंह पिता सेवाराम जाति आंजना पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	433/2/6/1	0.286	0.286	सिंचित
13	शंकर सिह पिता सेवाराम जाति आंजना पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	433/2/6/2	0.287	0.287	सिंचित
14	केसर सिंह पता तोलाराम जाति आंजना पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	433/2/5	0.661	0.480	सिंचित
15	शीबा रीता ना0बा0 पिता बहादुर सिंह सर0 मामा सेवाराम पिता कालूराम निवासी बाडकुम्मेद जाति ऑजना पता निवी ग्राम भूमि स्वामी	433/2/2/1	0.200	0.042	सिंचित
16	अन्तरसिंह पिता सेवाराम जाति आंजना पिता घट्टिया मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	431/1/1	0.721	0.486	सिंचित
17	शंकरसिंह पिता सेवाराम जाति आंजना पिता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	431/1/2	0.721	0.721	सिंचित
18	केसर सिंह पिता तोलाराम जाति आंजना पिता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	431/2	1.045	0.052	सिंचित
19	इस्लाम पिता जब्बार जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , आजाद पिता जब्बार जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , सेराजबी बेवा जब्बार जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	428/1	0.240	0.240	सिंचित
20	उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	428/2/1/1/1	0.209	0.201	सिंचित
21	एहमदनूर पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	428/2/1/1/2	1.154	0.888	सिंचित
22	इस्लाम पिता जब्बार जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आजाद पिता जब्बार जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सेराजबी बेवा जब्बार जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	428/3	0.063	0.063	सिंचित
23	हातम पिता लाला जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	429/1/1	0.880	0.880	सिंचित
24	मुंशी पिता लाला जाति नायता पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	429/2/3	0.095	0.095	सिंचित
25	अजगर पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377/1/1/1/1	0.130	0.130	सिंचित
26	उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377/1/1/1/2	0.621	0.475	सिंचित
27	मुंशी पिता लाला जाति नायता पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377/3/1	0.418	0.203	सिंचित
			योग	**7.043**	

उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 9356–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0004–अ–82–2025–26.

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन नगर में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4–लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति – इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन नगर में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4–लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

–:अनुसूची (1) :–

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन नगर में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4–लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण	0.070 हेक्टयर

–: अनुसूची (2) :–

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :– उज्जैन

(ख) तहसील :– उज्जैन नगर

(ग) ग्राम :– कस्बा उज्जैन

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :– 0.070 हेक्टेयर

सं.क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	2347/1	0.048	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)	उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन नगर में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4–लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण
2	2347/2	0.002		
3	2349/1 2349/2	0.020		
	कुल रकबा	0.070		

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9358–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0012–अ–82–2025–26.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) मे सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्याक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति– इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेंगा, या संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढावा मिलेना जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम ढ़ेड़िया में घाट निर्माण कार्य हेतु।	1.575 हेक्टर

–: अनुसूची (1) :–

1. भूमि का विवरण :–
2. जिला– – उज्जैन
3. तहसील – उज्जैन कोठी महल
4. ग्राम – ढेंडिया
5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 1.575 हे.

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	3/2/1/1	0.0300	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई–01, जल संसाधन विभाग उज्जैन	सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम ढेंड़िया के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
2	3/2/2/3	0.0940		
3	3/2/2/1	0.0620		
4	3/2/3/1	0.0680		
5	12/1	0.0500		
6	12/3/1	0.0100		
7	12/3/2	0.0410		
8	12/4	0.1300		
9	13/1/1	0.1650		
10	13/1/2	0.0950		
11	14/1	0.1910		
12	16/1/1/3	0.1630		
13	16/2/1/1/1/1	0.0400		
14	16/2/1/1/1/2	0.1410		
15	16/2/1/3	0.0300		
16	16/2/2/1	0.0650		
17	23/1/2	0.0320		
18	98/1/1/1	0.0840		
19	98/1/1/2	0.0840		
	कुल रकबा	1.575		

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकर्ता में देखा जा सकता है।

क्र. 9359–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0009–अ–82–2025–26.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यावित्तयों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति– इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेंगा, या संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धार 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढावा मिलेना जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हैक्टर में
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम जीवनखेडी में घाट निर्माण कार्य हेतु।	2.3128 हेक्टर

–: अनुसूची (1) :–

1. भूमि का विवरण :–
2. जिला – उज्जैन
3. तहसील – उज्जैन कोठी महल
4. ग्राम – जीवनखेडी
5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 2.3128 हे.

क्र	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे में)	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	59/2	0.032	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे पयिोजना कियान्वयन इकाई–01 जल ससाधन विभाग उज्जैन	सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम जीवनखेडी के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
2	58	0.0814		
3	57	0.027		
4	59/5/3	0.086		
5	55	0.146		
6	54/23	0.055		
7	54/22	0.195		
8	54/1/2	0.070		
9	54/1/1	0.1150		
10	54/21	0.135		
11	53/2	0.010		
12	53/1	0.063		
13	52/2/1	0.0804		
14	52/1/1	0.015		
15	41/1	0.054		
16	41/2	0.042		
17	49	0.130		
18	47	0.094		
19	54/12/2/4	0.023		
20	54/12/2/5	0.014		
21	54/12/2/6	0.010		
22	54/12/1	0.023		
23	44/2	0.086		
24	44/1	0.027		
25	54/11/3/3	0.033		
26	54/11/3/4	0.024		
27	54/11/1	0.007		
28	42	0.094		
29	39/1	0.078		
30	39/2	0.084		
31	39/3	0.078		
32	5/1/1/1	0.040		
33	2/3/2	0.063		
34	2/3/1	0.062		
35	48	0.136		
	कुल रकबा	2.3128		

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मे आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9360–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0005–अ–82–2025–26.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्याक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति– इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेंगा, या संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढावा मिलेना जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नही है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम सिकंदरी में घाट निर्माण कार्य हेतु।	2.5888 हेक्टर

–: अनुसूची (1) :–

1. भूमि का विवरण :–
2. जिला– – उज्जैन
3. तहसील – उज्जैन कोठी महल
4. ग्राम – सिकंदरी
5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 2.5888 हे.

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	4/1/1	0.0620	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे पयोजना कियान्वयन इकाई–02 जल संसाधन विभाग उज्जैन	सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम सिकंदरी के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
2	4/7	0.0940		
3	4/4/1	0.0320		
4	4/4/2	0.0320		
5	4/4/3	0.0330		
6	4/5	0.1560		
7	4/6/2	0.094		
8	4/2/2	0.057		
9	4/1/2/2/1	0.0230		
10	4/1/2/2/2	0.0634		
11	4/1/2/2/3	0.0230		
12	4/1/2/2/4	0.0230		
13	4/1/2/4	0.1450		
14	3/1	0.1560		
15	3/3	0.1880		
16	10/1/2	0.1654		
17	10/2/1	0.1520		
18	10/3	0.1880		
19	10/4	0.2500		
20	9/1	0.2740		
21	9/3/1	0.0980		
22	9/3/2	0.0110		
23	9/2/1	0.0620		
24	9/2/2	0.0120		
25	43/3	0.1950		
	कुल रकबा	2.5888		

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकर्ता में देखा जा सकता है।

क्र. 9361–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0006–अ–82–2025–26.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) मे सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्याक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति– इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेंगा या संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढावा मिलेना जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम गोठडा में घाट निर्माण कार्य हेतु।	2.6754 हेक्टर

–: अनुसूची (1) :–

1.	भूमि का विवरण –	
2.	जिला–	– उज्जैन
3.	तहसील	– उज्जैन कोठी महल
4.	ग्राम	– गोठडा
5.	निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	– 2.6754 हे.

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	15/1	0.0630	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना कियान्वयन इकाई–02 जल संसाधन विभाग उज्जैन	सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोठडा के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
2	15/2	0.2190		
3	16	0.0390		
4	18	0.1574		
5	19	0.1000		
6	28/1	0.1170		
7	28/2	0.2260		
8	28/3	0.0120		
9	29/1	0.1320		
10	29/2	0.2270		
11	29/3/2	0.1050		
12	31/4	0.0500		
13	31/1	0.0700		
14	31/3	0.1264		
15	71/1/3/1	0.1604		
16	71/1/3/2	0.1200		
17	70/4/2/1	0.1400		
18	70/4/2/2	0.0770		
19	70/11/1/1	0.0854		
20	70/11/1/2	0.0564		
21	70/12/2/1/1	0.1474		
22	70/12/2	0.1020		
23	70/7	0.0510		
24	74/4	0.0870		
25	20	0.0050		
	कुल रकबा	2.6754		

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9362–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र. 0023–अ–82–2025–26.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति– इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियो के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेंगा, या संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितग्राहियो के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धार 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढावा मिलेना जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नही है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर मे
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम कमेड़ में घाट निर्माण कार्य हेतु।	2.6016 हेक्टर

–: अनुसूची (1) :–

1. भूमि का विवरण –
2. जिला– – उज्जैन
3. तहसील – घट्टिया
4. ग्राम – कमेड़
5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 2.6016 हे.

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	165/4/2	0.0650	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई–02 जल संसाधन विभाग उज्जैन	सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम कमेड़ के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु।
2	165/4/3	0.0200		
3	163	0.0520		
4	164	0.1460		
5	168/1	0.0306		
6	168/2	0.0530		
7	167/1	0.2000		
8	159/1/1	0.7450		
9	159/2/1	0.5000		
10	159/1/3	0.3450		
11	159/3/1/1	0.2000		
12	159/3/2/1	0.2450		
	कुल रकबा	2.6016		

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकर्ता में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश

बागली, दिनांक 12 सितम्बर 2025

प्रारुप ''घ''

क्र.-H. N. 526-भू-अर्जन-2025.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र भाग 1, क्रमांक 20, दिनांक 16 मई 2025 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए आई. एस. पी. कालीसिंध चरण-2 लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित ग्राम गोला, तहसील हाटपीपल्या, जिला देवास हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 मई 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	कृषक का नाम	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	हाटपीपल्या	मोहनलाल, नरेंद्रसिंह कविताबाई पिता खुशालसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव.	गोला	28	0.1233

शिवम यादव, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी.